ट्रेनमें, जुलाई, १९३४

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

५८

(१८ मई, १९३४ – १५ सितम्बर, १९३४)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

प्रस्तुत खण्डमे मईके उत्तरार्धसे सितम्बर, १९३४ के पूर्वार्ध तककी चार माहकी सामग्रीका सकलन किया गया है। इससे एक सप्ताह पूव ८ मईसे गाधीजीने उडीसा का अपना शेष दौरा धम-यात्राओकी पुरानी परिपाटीके अनुसार पद-यात्राके द्वारा करना शुरू कर दिया था। उनकी यह पद-यात्रा, बीचमे दो दिन, १७ और १८ मईको छोडकर — जब वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे भाग लेनेके लिए पटना गये थे — अनवरत चलती रही और ८ जूनको पूरी हुई। कुछ दिनो वाद उन्होने पुन रेलगाडीका उपयोग करना शुरू किया, और दौरेके इस चरणमें वे पूना, अहमदा-बाद, अजमेर, कराची, कलकत्ता, कानपुर और लखनऊ गये तथा अन्तमें २ अगस्त को बनारस पहुँचे। सम्पूर्ण हरिजन-यात्रा कुल मिलाकर ९ माह चली। इसमे उन्होने १२००० मीलकी दूरियाँ तय की — १५६ मील पद-यात्राके द्वारा - और लगभग दस लाख रुपया इकट्ठा किया। दौरेमे लगभग लगातार, जगह्-जगह, सनातनियोने काले झण्डे दिखाकर उनके खिलाफ विरोधका प्रदशन किया और २५ जूनको पूनामें किसी ने उस कारपर जिसमें उसने माना था कि गाधीजी हैं, बम भी फेंका। सनातनी प्रदर्शनकारियोके नेता पण्डित लालनाथपर अजमेरमे ५ जुलाईको, जिस समय वे एक सभामे भाषण कर रहे थे, लाठीसे प्रहार किया गया। गाधीजी ने माना कि यह प्रहार किसी 'सुधारक' द्वारा ही किया गया होगा और उसके प्रायश्चित्तके रूपमें उन्होने तत्काल यह घोषणा की कि वे दौरेकी समाप्तिपर ७ दिनका उपवास करेगे। ५ अगस्तको वर्धा पहुँचनेके बाद उन्होने ८ अगस्तको यह उपवास आरम्भ किया और उसे १४ अगस्तको पूरा किया। २३ अगस्तको केन्द्रीय असेम्बलीमें रगा अय्यरने अपना विवादास्पद मन्दिर-प्रवेश विधेयक वापस ले लिया। सरकारने और असेम्बलीके कई सदस्योने भी सिद्धान्त तथा अव्यावहारिकताके आधारपर इस विधेयकका विरोध किया था। विधयकके इस गौरवहीन अन्तपर सबसे ज्यादा प्रसन्नता सनातनियोको हुई।

यह दौरा, गाधीजी ने ४ अगस्त, १९३३ को उन्हें एक वर्षकी कैद की सजा होनेके बाद सक्रिय राजनीतिमें भाग न लेनेका जो निश्चय किया था, उसकी अवधि पूरी होनेके साथ-साथ ही समाप्त हुआ। किन्तु इस बीच ३० माह के अन्तरालके बाद वर्धामें १२ जूनको काग्रेस कार्यकारी समितिकी एक बैठक हो चुकी थी। अलबत्ता, इस बैठकमें काग्रेसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खाँ जैसे उसके महत्वपूर्ण सदस्य नही थे, क्योकि वे

तो उस समय भी जेलके अन्दर ही थे। कार्यकारी समितिकी दूसरी बैठक १७ और १८ जूनको बम्बईमें हुई, जिसमें उसने ब्रिटिश सरकारके 'साम्प्रदायिक निर्णय' के सम्बन्धमें उसे न तो स्वीकार और न अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। गांधीजी इन दोनों बैठकोंमें हाजिर रहे। पण्डित मदनमोहन मालवीय और मा० श्री० अणेने उक्त निर्णयको पूरी तरह अस्वीकार कर देनेकी माग की थी। अतः जब गांधीजी अपने दौरेके सिलसिलेमें बनारसमें थे तब कार्यकारी समितिकी एक बैठक मालवीय तथा अणे और समितिके अन्य सदस्योंके बीच विद्यमान इस मतभेदको दूर करनेके उद्देश्यसे वहाँ भी हुई। इस बैठककी अध्यक्षता सरदार पटेलने की, जो तबतक जेलसे रिहा हो चुके थे। चूँकि समिति स्वीकार और अस्वीकारका अपना बुनियादी रवैया नही छोड सकी, अतः मालवीय और अणेने कांग्रेससे त्यागपत्र दे दिया।

विभिन्न दृष्टियों और मतोंके प्रति गांधीजी उदार सहिष्णुताका भाव रखते थे, इसलिए वे संसदीय कार्यक्रममें विश्वास रखनेवालों या समाजवादियों-जैसे लोगोंको, जो कांग्रेसके भीतर कांग्रेसकी मुख्य धारासे हटकर चलना चाहते थे, अपने स्वधर्मका अनुगमन-पालन करनेके लिए न केवल प्रोत्साहित करते रहे, बल्कि सलाह-सूचना या मैत्रीपूर्ण आलोचना आदिके द्वारा उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। वे कौंसिलोंमें प्रवेशके पक्षमें नही थे, किन्तु पटनामें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें कौंसिल-प्रवेशका प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा, "संसदीय कार्यको, जिनका उधर झुकाव हो, उनके लिए छोड देना चाहिए। मुझे आशा है कि ज्यादातर लोग तो कौंसिलके कार्यकी चकाचौंधसे सदा अप्रभावित रहेंगे। अपनी जगहपर वह कार्य उपयोगी होगा। परन्तु कांग्रेसने यदि अपना सारा ध्यान विधान-सभाके कार्यपर ही लगा दिया, तो वह उसके लिए आत्महत्या-जैसा होगा। स्वराज्य उस मार्गसे कभी नही आना है। स्वराज्य तो केवल जनसाधारणकी सर्वांगीण चेतनासे ही आ सकता है" (पृष्ठ ११)। उनकी अपनी योजना तो "अस्पृश्यता-निवारण और अन्य रचनात्मक कार्य" करते रहनेकी ही थी (पृ० ३००)। यद्यपि वस्तुस्थितिको देखते हुए "रियायतके रूपमें" बार-बार जोर देते रहे कि "राष्ट्रीय कार्यक्रममें उसका (संसदीय बोर्डका) स्थान सबसे छोटा है। रचनात्मक कार्यक्रमकी मदद बिना वह, स्वराज्यकी दृष्टिसे, बेकार रहेगा। वह कार्यक्रम केवल कागजपर नही, बल्कि ठोस और वास्तविक भारत-व्यापी कार्यमें चलना चाहिए" (पृ० ३००)।

कांग्रेसके अन्दर समाजवादी दलके बननेका उन्होंने स्वागत तो किया, किन्तु उसके कार्यक्रममें जो भी त्रुटियाँ दिखाई पडी उन्हें उन्होंने निःसकोच भावसे बताया। इस कार्यक्रमके दो दोषोंकी ओर उन्होंने मुख्य रूपसे इस दलका ध्यान खींचा: एक तो उसकी भारतीय परिस्थितियोंकी अवहेलना और दूसरे उसका यह मानकर चलना कि "वर्गों और जनसाधारणके बीच अथवा मजदूरों और पूँजीपतियोंके बीच संघर्ष अनिवार्य है और वे पारस्परिक हितके लिए काम कभी नही कर सकते" (पृ० ७५)।

मजदूरोको अपने अधिकारोका ज्ञान होना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि इन अधिकारोके लिए कैसे लडा जाये और प्राप्त किया जाये, यह सब सही है किन्तु उनका विचार था कि हर अधिकार के साथ उसीके जोडका कर्त्तव्य भी जुडा होता है अत समाजवादियोके घोषणापत्रमे मजदूरोके कर्त्तव्योका उल्लेख भी होना चाहिए और इन कर्त्तव्योके पालनपर भी जोर दिया जाना चाहिए" (पृ० ७५)।

गाधीजी को इस बातका विश्वास था कि भारतके पजीपति और जमीदार अपनी सम्पत्तिमें से जनताको क्रमश उसका समुचित हिस्सा देनेके खिलाफ नही है। अपने इस विश्वासको व्यक्त करते हुए उन्होने कहा, "काँचके घरोमे रहनेवाले हम लोगोको पत्थर तो नही फेकने चाहिए हमने खुद रहन-सहनकी वे आदते पूरी तरह नही छोडी है जिनके लिए पूजीपति बदनाम है। वर्ग-युद्धका विचार मुझे नही जँचता। भारतमे वर्ग-युद्ध अनिवार्य नही है, इतना ही नही, यदि हम अहिंसाका सन्देश समझ ले तो हम उससे बच सकते है" (पृ० २२७)। इस सन्दर्भमे उन्होने पश्चिमसे आयात मोहक "शब्दो और नारो" की (पृ० २२७) अन्धी आवृत्तिको अवाछनीय तो बताया किन्तु यह स्वीकार किया कि ये शब्द और नारे सत्यकी उस व्याकुल खोजके सूचक है जो आज पश्चिमकी आत्माको बैचेन किये है।

"मै इस वृत्तिकी कद्र करता हूँ। हम वैज्ञानिक अनुसन्धानकी इस वृत्तिसे अपनी प्राच्य सस्थाओका अध्ययन करे तो ससारने जिस समाजवाद और साम्यवादके सपने अभीतक देखे है, उससे अधिक सच्चे समाजवाद और साम्यवादका हम विकास कर लेगे। यह मान लेना बेशक गलत बात है कि जनसाधारणकी दरिद्रताके प्रश्नके बारेमे पाश्चात्य समाजवाद या साम्यवाद अन्तिम हल है" (पृ० २२७)। उन्होने पश्चिमके समाजवादियो और साम्यवादियोकी इस धारणाको मान्य नही किया कि "मनुष्य स्वभावसे स्वार्थी होता है।" उन्होने घोषणा की कि मनुष्य अमीर हो या गरीब हो, मालिकोके वर्गका हो या मजदूरोके वर्गका, वह "अपनी अन्तरात्माकी पुकारके अनुरूप कार्य कर सकता है और उसमे पशुके जो आवेग है उनसे वह ऊपर उठ सकता है। और इसलिए वह स्वार्थ और हिंसासे, जिनका सम्बन्ध पाशविक प्रकृतिसे है मनुष्यकी नित्य आत्मासे नही, ऊपर उठ सकता है" (पृष्ठ २५९)। उन्होने अहिंसापर, और श्रम तथा पूजीके, जमीदार और काश्तकारके सामजस्यपूर्ण सहयोगपर आधारित समाजवाद अथवा साम्यवादकी सिफारिश की। उन्होने नरेन्द्रदेवको लिखा, समाजवादी उद्देश्यका आपका निरूपण "मुझे भयभीत करता है, तीनो सिद्धान्तोके जो फलितार्थ है वे इतने व्यापक है कि मेरी समझसे बाहर है। वे कार्यक्रमको नशीला बना देते है, जबकि सभी तरहके नशोसे मुझे डर लगता है" (पृष्ठ ८७)। उन्होने सुझाव दिया कि समाजवादियोको देशके सम्मुख व्यावहारिक समाजवाद रखना चाहिए, "आप वैज्ञानिक समाजवादकी बजाय, जैसाकि आपके कार्यक्रमको नाम दिया गया है, देशको व्यावहारिक समाजवाद दे, जो भारतीय परिस्थितियोके अनुरूप हो।" (पृ० २८९)।

और इमी प्रमगमें अन्तमे जवाहरलालको लिखा १७ अगस्त, ३४ का पत्र भी उल्लेखनीय है। जवाहरलालने बैलगाडीवाले समाजवादके प्रति अपना तिरस्कार आक्रोशके साथ व्यक्त किया था। गाधीजी ने इस पत्रमे कायकारिणीके प्रस्तावकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और लिखा, "अलबत्ता, तरीके या साधनपर हमारे जोर देनेमें अन्तर है। मेरे लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना लक्ष्य, बल्कि एक तरहसे साधन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योकि उनपर तो हम कुछ नियन्त्रण रख सकते है। अगर साधनोपर हमारा काबू न रहे तो लक्ष्यपर वह बिलकुल ही नही रह जायेगा (पृष्ठ ३३६)।"

खादी कार्यकर्त्ताओके समक्ष बोलते हुए गाधीजी ने एडम स्मिथके इस मतसे अपनी असहमति जाहिर की कि आर्थिक क्रिया-कलापके अध्ययनमें मानव-तत्व गडबड पैदा करना है। गाधीजीने कहा, "इसी मानव-तत्वपर खादीका समूचा अर्थशास्त्र टिका है, और मानवकी स्वार्थपरायणता, जिसे एडम स्मिथ 'शुद्ध आर्थिक हेतु' कहते हैं, 'गडबड पैदा करनेवाला तत्व' है जिसपर हमे काबू पाना होगा। इसलिए जो बात मिलके कपडेके उत्पादनपर लागू होती है, वह खादीपर लागू नही होती। व्यावसायिक उत्पादनमे घटिया माल बनाना, मिलावट करना, मानवकी हीन रुचियाको सन्तुष्ट करना, वगैरह आम बाते है। खादीमे इनके लिए कोई स्थान नही है, और न खादीमे अधिक-से-अधिक मुनाफा और कम-से-कम मजदूरीके सिद्धान्तकी गुजाइश है। कत्तिन कोई मशीन नही है खादीकी कला पहले हृदयको और बादमें आँखको भाती है।" (पृष्ठ ३७३-७४)। डॉडके साथ हुई अपनी एक बातचीतमे उन्होने कहा कि चरखेमे और कोई गुण न हो लेकिन यह गुण तो है कि यह राष्ट्रके बचे हुए समयका सदुपयोग कर अतिरिक्त उत्पादनमे सहायक होता है। इसका उद्देश्य धन्धेमे लगे हुए लोगोको धन्धेसे निकाल बाहर करना कदापि नही है। उन्होने कहा, "इने-गिने थोडे-से लोगोकी नही, किन्तु करोडाकी रोजकी आमदनी जिससे दूनी हो सके, ऐसा कोई दूसरा साधन आप ढूढ दें तो मै चरखा छोड देनेको तैयार हूँ।" (पृ० ४२३)।

लेकिन काग्रेसके प्रबुद्ध वर्गको गाधीजी के खादी कार्यक्रममे और उससे जुडे हुए दूसरे सहगामी कार्योमें कोई आस्था न थी। अपनी तथा उनकी दृष्टि तथा कार्य-पद्धतिके अन्तरसे गाधीजी परेशान हो उठे थे और वे गम्भीरतासे काग्रेस छोडनेकी बातपर विचार करने लगे थे। वल्लभभाई पटेलको लिखे पत्रोमे हमें इस प्रश्नको लेकर उन्हें जो मानसिक क्लेश हो रहा था, उसकी झलक मिलती है। उन्होने वल्लभभाई पटेलको लिखा कि मुझे लगता है कि "मै काग्रेसकी प्रगतिको रोक रहा हूँ।" कांग्रेसमें व्याप्त गन्दगीसे निपटनका मुझे उसे छोडनेके सिवा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। "मेरे निकल जानेसे काग्रेससे पाखण्ड चला जायेगा।" (पृष्ठ ३४८)। धीरे-धीरे वे इस खेदजनक निर्णयपर पहुँचे कि "काग्रेससे अपने सभी तरहके पद-सम्बन्ध और शारीरिक, यहाँतक कि मूल सदस्यताके सम्बन्ध भी सर्वथा तोड देनेसे कांग्रेस और

राष्ट्रका सबसे अधिक हित होगा मुझे लगता है कि अब मेरे इसमें बने रहनेसे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है एक पके फलके गिरनेसे पेडको कोई क्षति नही होती। इसी प्रकार मेरे बाहर चले जानेमे काग्रेसका कोई क्षति नही पहुँचेगी। वस्तुत फल तो व्यर्थका बोझ होगा अगर वह पूरी तरह पक चुकनेके बाद भी पेडसे न गिरे मुझे लगता है कि मै अब काग्रेसके लिए व्यथका बोझ हूँ।" (पृष्ठ ४०३-४)"। उन्होने इस बातको अच्छी तरहसे समझ लिया था कि जो प्रवुद्ध वग काग्रेसका नेतृत्व करनेकी इच्छा रखता है वह जनता-जनादनकी जरूरतोको नही समझ सकता। उन्होने कहा, "मेरी विवेकबुद्धि उस दिशासे ठीक विपरीत दिशाकी ओर मुझे ले जाती है जिधर कि अधिकाग बुद्धिमान काग्रेसी, अगर मेरे प्रति अद्भुत वफादारीके कारण उनकी गतिमे बाधा न पडे तो, सहर्ष और सोत्साह जाना चाहेगे ।" वे अपने उन काग्रेसी मित्रोकी वफादारी और निष्ठाका नाजायज फायदा नही उठाना चाहते थे, और वे नेता जो उनकी कार्य-पद्धतिसे सहमत नही थे अपने बहुमतके द्वारा उनकी नीतियोको अमान्य ठहराने और उन्हे काग्रेसमे निवृत्त करनेके लिए तैयार न थे। इसलिए गाधीजी इस निष्कर्षपर पहुचे कि "ऐसी वफादारीको मै एकमात्र इसी तरीकेसे तृष्ट कर सकता हूँ कि स्वेच्छापूवक निवृत्त हो जाऊँ।" (पृष्ठ ४२७)।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन हो अथवा राजनीतिक स्वाधीनता या आर्थिक समानताके लिए किया जा रहा सघर्ष, गाधीजी का ध्यान इस बातपर तो था ही कि इन लक्ष्योकी प्राप्तिके लिए तत्काल और प्रभावकारी कदम उठाये जाये, लेकिन इसके साथ ही वे इस सम्बन्धमे भी पूरी तरह सचेष्ट थे कि व्यक्तियोकी तथा समाजकी अखण्डता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उनका विश्वास था कि जीवन एक अखण्ड और अविभाज्य वस्तु है और आध्यात्मिक साधना जीवनकी माँगोसे पलायन नही बल्कि उनसे जूझना और उसमे और गहरे प्रवेश करना है। प्रेमाबहन कटकको एक पत्रमें वे काग्रेसके कार्यक्रमके विषयमें कोरी बात करने और उसे पूरा करनेमे भेद करते हुए लिखते है, "जो लोग कृष्ण-कृष्ण कहते हैं वे उसके पुजारी नही हैं। जो उसका काम करते हैं वे ही उसके पुजारी हैं। रोटी-रोटी कहनेसे पेट नही भरता। रोटी खानेसे ही भरता है।" (पृष्ठ ४१४)।

श्री अरविन्दके एक अनुयायी दिलीपकुमार रायको लिखे एक पत्रमे समुचित विनम्रताके साथ कर्मयोगके बारेमें अपनी तात्कालिक धारणा स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा, "मैं यह नही मानता कि मेरी वर्तमान कमशीलता मेरी आत्मानुभूतिमें अथवा भगवानमें मेरे लीन हो जानेमें मेरी कर्म-विरतिकी अपेक्षा कम सहायक है। सन्यास समस्त शारीरिक क्रियाओका बन्द हो जाना थोडे ही है। मेरे लिए उसका अर्थ है, उन सब शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओका बन्द हो जाना जो स्वाथमय हैं। अगर मुझे विश्वास दिलाया जा सकता कि अकर्म मेरे लिए बेहतर मार्ग है, तो मैं वह मार्ग तत्काल अपना लेता।" (पृष्ठ २०१-२)। अनासक्त कर्म व्यक्तिके आध्यात्मिक

विकासमे इसीलिए सहायक होता है क्योकि यह निश्चित रूपसे जीवनको अखण्ड बनानेमें मदद करता है। जीवनको एक-दूसरेसे विच्छिन्न ऐसे खण्डोमे विभाजित नही किया जा सकता जिनमें से कुछको आध्यात्मिक माना जाये और कुछको लौकिक। "राजनीति, धर्म, सामाजिक सुधार, आर्थिक उन्नति—ये सब एक ही इकाईके अग है।" (पृष्ठ १७८)।

व्यक्तिगत और सामाजिक अखण्डताको अक्षुण्ण बनाये रखनेकी तथा लोगोमे सघर्ष पैदा करनेके बजाय उन्हे परस्पर मिलानेकी प्रवृत्ति ही किसी कमको आध्यात्मिक बनाती है। गाधीजी के सामाजिक और राजनीतिक आदर्श यान्त्रिक नही थे, उनमे एक प्रकारकी सजीवता थी और अपने लक्ष्योकी प्राप्तिके लिए वे राजसिक नही सात्विक शक्तिका निर्माण करना चाहते थे। अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनके प्रति उनका उत्साह अत्यन्त तीव्र था किन्तु वे उसे गलत साधनोके द्वारा अथवा "तर्क, विनय, मर्यादा" (पृष्ठ १३५)का त्याग कर सफल नही बनाना चाहते थे। बनारस मे एक सार्वजनिक सभामे भाषण करते हुए उन्होने कहा, "धर्म बुद्धिग्राह्य विषय नही, हृदयग्राह्य विषय है मैं किसीके साथ बलप्रयोग तो करना नही चाहता और न झगडा ही करना चाहता हूँ। किसीको भी मुझमे डर नही होना चाहिए। मुझमे सनातन धर्मका अहित, अकल्याण नही हो सकता। जिस सनातन धर्मको आप मानते हैं उसीको मैं भी मानता हूँ।" (पृष्ठ २८१)।

प्राप्त स्थितिको तथा उसे बदलने और सो भी सबकी सहमतिसे बदलनेकी आवश्यकताको इस तरह हृदयसे स्वीकार करनेमे गाधीजी को सबसे बहुमूल्य सहयोग स्त्रियोसे मिला, जो गाधीजी के विचारमे "आध्यात्मिकतामे पुरुषोसे अधिक श्रेष्ठ हैं तथा जिनमें त्याग करनेकी, धैर्यकी और कष्ट-सहन करनेकी ज्यादा सामर्थ्य है और इस प्रकार वे धर्मकी ज्यादा अच्छी तरहसे रक्षा कर सकती है।" (पृ० ११३) कोई माँ अपने बुद्धिहीन, मूढ और विकलाग बच्चेसे विशेष स्नेह करेगी। पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियाँ उनकी इस बातको माननेके लिए ज्यादा तैयार थी "हम सभी थोडे-बहुत पापी तो है ही, और हमारे धर्मग्रन्थ—गीता, भागवत और तुलसीकृत रामायण—स्पष्ट शब्दोमें यह घोषणा करते हैं कि जो ईश्वरकी शरण लेगा, उसका नाम जपेगा, वह पापसे छूट जायेगा। यह प्रतिज्ञा सारी मानव जातिके लिए है।" (पृष्ठ २९१) उन्होंने कहा कि गीता न केवल मेरी माँ है बल्कि वह समस्त विश्वकी माँ है। अस्पृश्योकी सेवाके विषयमें गाधीजी की दृष्टि यह थी कि उनकी सेवा समाजको छिन्न-भिन्न किये बिना माताकी सेवाकी तरह करनी है। उन्होने सुधारकके धर्म-सकटका वर्णन करते हुए कहा, "डॉ० अम्बेडकर होशियार बैरिस्टर उनमे त्यागवृत्ति भी जबर्दस्त है वे सादगीसे रहते हैं ऐसे मनुष्यकी भी आज समाजमें क्या दशा है? यह किसके लिए शर्मकी बात है? जिसे यह सब सहन करना पड़ता है, उसका हृदय-स्पर्श कैसे किया जा सकता है? दूसरी ओर रहा शकराचार्यके

हृदयको स्पर्श करना। दो व्यक्ति दो छोरपर हैं। इनका मिलन कैसे कराया जा सकता है? इन दोके बीचमे हम लोग हैं हम दोनोंको अपने त्याग और अपनी सहन-शक्तिसे ही जीत सकते है।" (पृष्ठ १७२-१७३)

त्यागका अर्थ गाधीजी के लिए अकसर यह होता था कि वे अपने निकट सहयोगियोकी भूलचूककी जिम्मेदारी स्वय ओढ लेते थे। अपने हृदयकी पीडाको जनता तक पहुँचानेका उनका सुपरीक्षित तरीका उपवास था, इसको उन्होने कई बार अपनाया था और वह अत्यन्त कार्यकारी सिद्ध हुआ था। जैसा कि उन्होने वल्लभभाई पटेलको लिखा था और सिन्धके पत्रकारोके समक्ष उससे भी ज्यादा जोरदार शब्दोमें कहा था, "वे केवल एक ही भाषा समझते हैं—हृदयकी-और उपवास जब बिलकुल निःस्वार्थ होता है तो वह हृदयकी भाषा होती है।" (पृष्ठ १७७)। १० जुलाई, १९३४के अपने वक्तव्यमे उन्होने प्रस्तावित उपवासकी चर्चा करते हुए कहा कि मै यह उपवास पण्डित लालनाथपर हुए आक्रमणके प्रायश्चित्तके रूपमे कर रहा हूँ, पण्डित लालनाथके प्रति और उन सनातनियोके प्रति जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं मेरा यह कर्त्तव्य है और आन्दोलनमे भाग ले रहे मेरे समर्थकोको चेतावनी-स्वरूप भी है। इस सन्दर्भमे अपने समर्थकोमे उन्होने कहा कि "उन्हे इसमे साफ दिलसे और मन, वचन, कर्ममे हिंसा तथा असत्यसे रहित रहकर भाग लेना चाहिए।" (पृष्ठ १६५)। उपवाससे एक दिन पहले ६ अगस्तको जारी किये गये अपने वक्तव्यमें गाधीजी ने उपवास जिनके प्रति उद्दिष्ट था उनके दायरेमे सभी काग्रेसियोको भी शामिल किया। चुनावके दौरान काग्रेसियोके आपसी कलहकी तथा भ्रष्टाचारकी भर्त्सना की "यद्यपि मेरे उपवासको इन गन्दे तरीकोसे कुछ लेना-देना नही है, पर मेरी बडी इच्छा है कि काग्रेसी कार्यकर्त्ता मेरे इन शब्दोसे मेरी पीडाको समझे और उसे कम करनेके लिए इस शुद्धीकरण सप्ताहमे अपना अन्तर्निरीक्षण करे और काग्रेसको उसके सिद्धान्तोके अनुरूप सगठन बनानेका सकल्प करे।" (पृष्ठ ३१४)। उपवास शुरू करनेके दिन प्रार्थना-सभामे भाषण करते समय भी गाधीजी ने शुद्धीकरणकी आवश्यकताकी चर्चा की और लोगोको दो शत्रुओके, असत्य और अशुद्धताके विरुद्ध चेतावनी दी। समाचारपत्रोको दी गई एक भेटमे उन्होने एक बार फिर "न केवल हरिजन कार्यकर्त्ताओंके लिए वरन काग्रेसके लिए भी आन्तरिक शुद्धि प्राप्त करनेकी मुख्य आवश्यकता" पर बल दिया। उन्होने कहा कि काग्रेस-जैसी शक्तिशाली राष्ट्रीय सस्थाको यदि "उन लोगोकी जिनसे मिलकर काग्रेस सस्था बनी है, आन्तरिक शुद्धि द्वारा पोषण नही मिलता, तो एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सस्थाके रूपमे वह समाप्त हो जायेगी।" (पृष्ठ ३२१)।

जवाहरलाल नेहरूको लिखे अपने पत्रोमे उन्होने अपनी बात बहुत साफ-साफ कही है, जैसा कि एक वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगीमें, जो एक-दूसरेको अच्छी तरह समझते थे और जो मिलकर एक जिम्मेदारी सँभाल रहे थे, स्वाभाविक ही था।

कमला नेहरूकी बीमारीके कारण जब सरकारने जवाहरलालको जेलसे रिहा कर दिया तब गांधीजी ने उन्हें सलाह दी कि वे कोई राजनीतिक बात न कहें और लिखा, "यदि मेरी दलील तुम्हारी विवेक-बुद्धिको जँचती है, तो तुम अपने आत्मसंयमको सही ढंगसे प्रकट करोगे।" (पृष्ठ ३२१)। आनन्द भवनके लिए बनाये जा रहे न्यासके सम्बन्धमें जवाहरलाल नेहरूने जो आलोचना की थी, उसकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा, "तुम्हारे रुखसे क्रोध प्रकट होता है मैं तुमसे कहूँगा कि इस मामलेको इस प्रकार व्यक्तिगत न समझो जैसा तुमने समझा है पिताजीकी स्मृतिका संरक्षक राष्ट्रको बना दो और तुम राष्ट्रके एक अंग बन जाओ।" (पृष्ठ ३३७)। जिन लोगोंको वे अपना समझते थे उनसे यह अपेक्षा रखते थे कि वे लोग कभी-कभी बिना सोचे-समझे भी उनके आदेशका पालन करें। उदाहरणके तौरपर नारणदास गांधीको उन्होंने लिखा, "मैं जो कहता हूँ, तदनुसार तो तभी करना चाहिए जब तुम्हारी बुद्धि उसे स्वीकार करे। अथवा जब यह कहूँ कि बुद्धि कबूल न करे तब भी करना।" (पृष्ठ ३९९)

तैयबजी परिवारमें जब 'एक विचित्र रहस्यमयी दुनिया' में रहनेवाली रैहाना और उसके माता-पिताके बीच माता-पिताके प्रेमपूर्ण पूर्वाग्रहोंको लेकर एक गलतफहमी उठ खड़ी हुई तब गांधीजी ने रैहानाको लिखा, "याद रखो कि उन लोगोंने तुम्हें जो प्रशिक्षण दिया है और स्नेहका जो घेरा तुम सबके आसपास डाल रखा है, यदि वह न होता तो तुम तुम नहीं होतीं ।" (पृष्ठ ४३३)। साथ ही उन्होंने उसके पिताको पत्र लिखा, "मैं बिना किसी शिकायतके खुशीसे उसे अपने रास्तेपर चलने देता या उसे एक अलग घर और गुजारा दे देता और अपने मनके मुताबिक रहने देता।" (पृष्ठ ४६१)। हर व्यक्तिको अपने-अपने विवेकके अनुसार अपना विकास करना चाहिए, अपने इस विश्वाससे प्रेरित होकर गांधीजी ने मार्गरेट स्पीगलको लिखा, "ईश्वरने तुम्हें कुछ दिया है, उसीके अनुरूप नेक बननेकी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। कोई दो आदमी संसारमें एक-जैसे नहीं होते।" (पृष्ठ ५३)। हम किस तरह निरन्तर बड़े होते जा रहे हैं, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने प्रेमाबहन कंटकको लिखा, "वर्षगाँठ तो रोज होती है। हम रोज जन्म लेते हैं और रोज मरकर फिर जन्म लेते हैं।" (पृष्ठ २८१)।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके प्रकाशको तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी है।

सस्थाएँ साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि व सग्रहालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, तथा विश्व भारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन।

व्यक्ति श्री भगवानजी अनूपचन्द मेहता, राजकोट, श्री ए० के० सेन, कलकत्ता, श्री क० मा० मुशी, श्रीमती लीलावती आसर, श्रीमती मनुबहन मशरूवाला, श्रीमती लीलावती मुशी, श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई, श्री महेश पट्टणी, भावनगर, श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत, श्री एस० डी० सातवलेकर, पारडी (सूरत), श्री घनश्यामदास बिडला, कलकत्ता, श्री एम० आर० मसानी, श्री जयरामदास दौलतराम, श्रीमती वनमाला देसाई, नई दिल्ली, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर, श्री कान्ति गाधी, बम्बई, श्री वालजी गो० देसाई, श्रीमती प्रेमलीला ठाकरसी, पूना, श्रीमती मीराबहन, आस्ट्रिया, श्री परीक्षितलाल मजमुदार, श्री रमणीकलाल मोदी, श्रीमती शान्ताबहन पटेल, अहमदाबाद, श्री कनुभाई मशरूवाला, अकोला, श्री नारणदास गाधी, श्री प्रभुदास गाधी, राजकोट, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, पटना, श्री काशीनाथ एन० केलकर, पूना, श्री यू० राजगोपाल कृष्णैय्या, श्री जी० एन० कानिटकर, पूना, श्री फूलचन्द के० शाह, बढवान सिटी, श्री डी० एम० पटेल, अहमदाबाद, राजकुमारी अमृतकौर, शिमला, कुमारी प्रेमाबहन कटक, सासवड, श्रीमती एस० अम्बुजम्माल, मद्रास, श्रीमती सुशीला गाधी, फीनिक्स, श्री नारायण म० देसाई, बारडोली, श्रीमती एफ० मेरी बार, कोट्टागिरी, तथा श्री भगवानजी पु० पण्ड्या, बढ़वान।

पुस्तके 'महात्मा,' खण्ड ३, 'सरदार वल्लभभाई पटेल' २, 'टु दि स्टुडेन्ट्स,' 'बापुना पत्रो – ४ मणिबहन पटेलने,' 'बापूज़ लेटर्स टु मीरा,' 'बापुनी प्रसादी,' 'मध्यप्रदेश और गाधीजी,' 'बापुकी छायामें – मेरे जीवनके सोलह वर्ष 'पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद,' 'ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स,' 'बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने," डॉ० वि० च० राय,' 'बापुना पत्रो – ७ श्री छगनलाल जोशीने,' तथा 'माई डियर चाइल्ड'।

पत्र-पत्रिकाएँ 'अमृतबाजार पत्रिका,' 'ट्रिब्यून,' 'पायनियर,' 'बॉम्बे क्रॉनिकल,' 'लीडर,' 'सर्चलाइट,' 'स्टेट्समैन,' 'हरिजन,' 'हरिजनबन्धु,' 'हरिजन सेवक,' 'हिन्दुस्तान टाइम्स,' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गाधी स्मारक सग्रहालय, इडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली, साबरमती सग्रहालय, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद तथा श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र है। कागजपत्रोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे सहायता देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्लीके फोटो-विभागके आभारी हैं।

पाठकोको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री गाधी जीके स्वाक्षरोमे मिली है उसे अविकल रूपमे दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमे हिज्जोकी स्पष्ट भूलोको सुधारकर दिया गया है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमे अनुवादको मूलके समीप रखनेकी पूरी चेष्टा की गई है, किन्तु साथ ही भाषा सुपाठय बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूले सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है। और मूलमे प्रयुक्त शब्दोके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमे सशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चोकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधी जीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोडकर गहरी स्याही मे छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अश उन्होने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोडकर साधारण टाइपमे छापा गया है। भाषणकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधी जीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है। भाषणो और भेटकी रिपोर्टोके उन अशोमे जो गाधी जीके नही है, कही-कही कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड भी दिया गया है।

शीषककी लेखन-तिथि जहा उपलब्ध है वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है। परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमें की गई है, और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वषका उल्लेख है, उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वषके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधी जीकी सम्पादकीय टिप्पणिया और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है।

इस पुस्तक मालाके खण्ड १ के सन्दर्भ जनवरी १९६९ सस्करणसे है।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज-पत्रोका, 'एम० एम० यू०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिटकी रीलोका, 'एस० जी०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध सेवाग्राम सग्रहकी फोटो-नकलोका तथा 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूण गाधी वाड्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सग्रहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये गये है। अन्तमें साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई है।

विषय-सूची

भूमिका पाँच

आभार तेरह

पाठकोको सूचना पन्द्रह

चित्रसूची इक्तीस

१ निवेदन कार्यकर्त्ताओसे (१८-५-१९३४) १

२ पत्र भगवानजी अ० मेहताको (१८-५-१९३४) २

३ भाषण अ० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठक, पटनामे – १ (१८-५-१९३४) ३

४ पत्र अमतुस्सलामको (१९-५-१९३४ से पूर्व) ८

५ प्रस्ताव कौसिल-प्रवेशके बारेमे (१९-५-१९३४) ८

६ भाषण अ० भा० का० कमेटीकी बैठक, पटनामे – २ (१९-५-१९३४) ९

७ भेट 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको (२०-५-१९३४) १३

८ भेट 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिको (२१-५-१९३४) १५

९ पत्र जमनालाल बजाजको (२१-५-१९३४) १६

१० पत्र वल्लभभाई पटेलको (२२-५-१९३४) १७

११ पत्र अमृतलाल चटर्जीको (२२-५-१९३४) १९

१२ पत्र लालजी परमारको (२२-५-१९३४) १९

१३ पत्र मागरेट स्पीगलको (२२-५-१९३४) १९

१४ पत्र हीरालाल शर्माको ([१९ तथा]२३-५-१९३४) २०

१५ पत्र क० मा० मुशीको (२३-५-१९३४) २१

१६ पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (२३-५-१९३४) २१

१७ पत्र वसुमती पण्डितको (२३-५-१९३४) २२

१८ पत्र पी० निरुपमाको (२३-५-१९३४) २२

१९ तार जेल महानिरीक्षकको (२४-५-१९३४) २३

२० पत्र डी० के० कर्वेको (२४-५-१९३४) २३

२१ पत्र जी० वी० सुब्बारावको (२४-५-१९३४) २४

२२ पत्र चारु प्रभा सेनगुप्तको (२४-५-१९३४) २५

२३ पत्र क० मा० मुशीको (२४-५-१९३४) २५

२४ पत्र घनश्यामदास बिडलाको (२४-५-१९३४) २५

२५ टिप्पणी अतिशयोक्तिसे बचो (२५-५-१९३४) २६

२६ क्या वे इसे करेगे? (२५-५-१९३४) २७

२७ बातचीत एम० आर० मसानी और ना० र० मलकानीसे (२५-५-१९३४) २८
२८ भाषण पातपुरमे (२५-५-१९३४) ३१
२९ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२६-५-१९३४) ३१
३० पत्र क्षीरोदचन्द्र मैतीको (२७-५-१९३४) ३२
३१ पत्र मथुरादास सेठको (२७-५-१९३४) ३२
३२ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (२७-५-१९३४) ३३
३३ पत्र जमनालाल बजाजको (२७-५-१९३४) ३३
३४ भाषण केन्द्रपाडामे (२७-५-१९३४) ३४
३५ पत्र वसुमती पण्डितको (२८-५-१९३४) ३५
३६ पत्र घनश्यामदास बिडलाको (२८-५-१९३४) ३५
३७ पत्र अमतुस्सलामको (२८-५-१९३४) ३६
३८ एम० आर० मसानीके समाजवादी कार्यक्रमपर विचार (२९-५-१९३४) ३७
३९ पत्र एम० आर० मसानीको (२९-५-१९३४) ३९
४० भाषण केन्द्रपाडामे (२९-५-१९३४) ३९
४१ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको (२९-५-१९३४) ४०
४२ पत्र चारु प्रभा सेनगुप्तको (३०-५-१९३४) ४१
४३ पत्र वल्लभभाई पटेलको (३०-५-१९३४) ४२
४४ भेट उत्कलके कार्यकर्ताओको (३०-५-१९३४) ४३
४५ पत्र जमनालाल बजाजको (३१-५-१९३४) ४४
४६ पत्र हरिभाऊ उपाध्यायको (३१-५-१९३४) ४४
४७ पत्र हीरालाल शर्माको (३१-५-१९३४) ४५
४८ पत्र अमतुस्सलामको (३१-५-१९३४) ४५
४९ असममे कुली-समस्या (१-६-१९३४) ४६
५० अस्पृश्यता जिस रूपमे आज है (१-६-१९३४) ४७
५१ पत्र तारा जसवानीको (१-६-१९३४) ४९
५२ एक पत्रका अश (२-६-१९३४ से पूर्व) ४९
५३ भाषण सावजनिक सभा, जाजपुरमे (२-६-१९३४) ४९
५४ एक पत्र (३-६-१९३४ से पूर्व) ५१
५५ एक पत्र (३-६-१९३४ से पूर्व) ५१
५६ पत्र कोतवालको (३-६-१९३४) ५२
५७ पत्र मार्गरेट स्पीगलको (४-६-१९३४) ५३
५८ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (४-६-१९३४) ५४
५९ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (४-६-१९३४) ५५
६० एक पत्रका अश (५-६-१९३४ से पूर्व) ५५

६१ पत्र बलवन्तसिंहको (४-६-१९३४) ५५
६२ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (४-६-१९३४) ५६
६३ पत्र रामेश्वरदास पोद्दारको (४-६-१९३४) ५६
६४ पत्र अमतुस्सलामको (४-६-१९३४) ५७
६५ तार राजेन्द्रप्रसादको (५-६-१९३४ या उससे पूर्व) ५७
६६ पत्र नारणदास गांधीको (५-६-१९३४) ५८
६७ पत्र द्वारकानाथको (५-६-१९३४) ५९
६८ पत्र कान्ति गांधीको (५-६-१९३४) ५९
६९ पत्र केशवजी रावचन्द और कानजी मूलजी सिक्काको (५-६-१९३४) ६०
७० पत्र वल्लभभाई पटेलको (७-६-१९३४) ६०
७१ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (७-६-१९३४) ६१
७२ भाषण गरदपुर आश्रम, भद्रकमें (७-६-१९३४) ६१
७३ भाषण हरिजन कार्यकर्त्ताओंके समक्ष, भद्रकमें (७-६-१९३४) ६२
७४ टिप्पणी प्रायश्चित्तकी मर्यादाएँ (८-६-१९३४) ६३
७५ एक सावधान कतैया (८-६-१९३४) ६४
७६ तार आनन्द तो० हिंगोरानीको (८-६-१९३४) ६५
७७ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (८-६-१९३४) ६६
७८ भेंट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको, (८-६-१९३४) ६७
७९ भाषण बालासोरमें (८-६-१९३४) ६८
८० पत्र तारा जसवानीको (९-६-१९३४) ६९
८१ भाषण कपड़ा मिलके मजदूरोंके बीच, नागपुरमें (९-६-१९३४) ६९
८२ महागुजरातसे (१०-६-१९३४) ७०
८३ सन्देश अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-प्रतिरोधकोंको (१०-६-१९३४) ७२
८४ पत्र क० मा० मुंशीको (१०-६-१९३४) ७२
८५ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (११-६-१९३४) ७३
८६ पत्र ब्रजकृष्ण चांदीवालाको (११-६-१९३४) ७३
८७ पत्र नारणदास गांधीको (१२-६-१९३४) ७४
८८ पत्र एम० आर० मसानीको (१४-६-१९३४) ७५
८९ पत्र प्रभाशंकर पट्टणीको (१४-६-१९३४) ७६
९० भेंट हरिजन सेवक संघके सदस्योंको (१४-६-१९३४) ७७
९१ भेंट गांधी सेवा सेनाके सदस्योंको (१४-६-१९३४) ७८
९२ टिप्पणियाँ जे० के० कूप-निधि, सही कदम (१५-६-१९३४) ७९
९३ हरिजन बनाम अहरिजन (१५-६-१९३४) ८०
९४ भाषण महिलाओंके समक्ष, बम्बईमें (१५-६-१९३४) ८२

९५ भेट डॉ० भीमराव अम्बेडकरको (१६-६-१९३४) ८३
९६ भाषण कांग्रेस संसदीय बोर्डकी बैठक, बम्बईमें (१६-६-१९३४) ८४
९७ भाषण आजाद मैदान, बम्बईमें (१६-६-१९३४) ८५
९८ तार पुरुषोत्तमदास टण्डनको (१६-६-१९३४ या उसके पश्चात्) ८७
९९ तार वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (१७-६-१९३४ या उससे पूर्व) ८८
१०० पत्र अमतुस्सलामको (१७-६-१९३४) ८८
१०१ भेट अ० भा० स्वदेशी लीग, बम्बईके शिष्टमण्डलको (१७-६-१९३४) ८८
१०२ पत्र मदनमोहन मालवीयको (१८-६-१९३४) ९१
१०३ पत्र एम० एस० अणेको (१८-६-१९३४) ९१
१०४ मौनवारकी टिप्पणियाँ (१८-६-१९३४) ९२
१०५ पत्र जमनाबहन गांधीको (१८-६-१९३४) ९२
१०६ पत्र नारणदास गांधीको (१८-६-१९३४) ९३
१०७ पत्र विद्या रा० पटेलको (१८-६-१९३४) ९३
१०८ तार हीरालाल शर्माको (२०-६-१९३४) ९४
१०९ पत्र मीराबहनको (२०-६-१९३४) ९४
११० पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२१-६-१९३४) ९५
१११ भाषण महिला आश्रम, पूनामें (२१-६-१९३४) ९५
११२ भाषण छात्रोंके समक्ष, पूनामें (२१-६-१९३४) ९६
११३ पत्र मीराबहनको (२२-६-१९३४) ९७
११४ पत्र राजेन्द्रप्रसादको (२२-६-१९३४) ९७
११५ भेट राष्ट्रीय शिक्षा-कार्यकर्त्ताओंको (२२-६-१९३४) ९८
११६ भाषण बारह वफातके जलसेमें (२३-६-१९३४) ९९
११७ पत्र चारु प्रभा सेनगुप्तको (२४-६-१९३४) १००
११८ पत्र बेचरदास जे० दोषीको (२४-६-१९३४) १०१
११९ पत्र नारणदास गांधीको (२४-६-१९३४) १०१
१२० पत्र कृष्णदास जाजूको (२४-६-१९३४) १०१
१२१ भाषण जिला स्थानीय बोर्ड, पूनामें (२४-६-१९३४) १०२
१२२ भेट हरिजन-सेवकोंको (२४-६-१९३४) १०३
१२३ भाषण सार्वजनिक सभा, पूनामें (२४-६-१९३४) १०४
१२४ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२५-६-१९३४ से पूर्व) १०५
१२५ पत्र मणिलाल और सुशीला गांधीको (२५-६-१९३४ या उससे पूर्व) १०७
१२६ पत्र प्रेमी जयरामदासको (२५-६-१९३४) १०८
१२७ पत्र नानाभाई आई० मशरूवालाको (२५-६-१९३४) १०८
१२८ पत्र रैहाना तैयबजीको (२५-६-१९३४) १०९

१२९ वक्तव्य बम दुर्घटनापर (२५-६-१९३४) १०९
१३० डॉ० दिनशा मेहताके लिए धन-सग्रहकी अपील (२६-६-१९३४) ११०
१३१ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको (२६-६-१९३४) १११
१३२ भाषण बडौदामे (२६-६-१९३४) ११३
१३३ सन्देश पजाबको (२७-६-१९३४ से पूव) ११३
१३४ भेंट हरिजन-सेवकोको (२७-६-१९३४) ११४
१३५ भाषण महिलाओकी सभा, अहमदाबादमे (२७-६-१९३४) ११५
१३६ पत्र गुलाबचन्द जैनको (२८-६-१९३४) ११८
१३७ बातचीत गुजरात स्वदेशी सघके कायकर्त्ताओसे (२८-६-१९३४) ११८
१३८ पत्र मीराबहनको (२९-६-१९३४) ११९
१३९ भाषण मिल-मजदूरोकी सभा, अहमदाबादमे (२९-६-१९३४) ११९
१४० भाषण ज्योति सघके सदस्योके समक्ष, अहमदाबादमे (२९-६-१९३४) १२४
१४१ भाषण सावजनिक सभा, अहमदाबादमे (२९-६-१९३४) १२५
१४२ पत्र एस्थर मेननको (३०-६-१९३४) १२९
१४३ भाषण काग्रेस-समाजवादियोकी सभा, अहमदाबादमे (३०-६-१९३४) १२९
१४४ पत्र एस० डी० सकलातवालाको (१-७-१९३४) १३१
१४५ बातचीत काठियावाडी युवकोसे (१-७-१९३४) १३१
१४६ भाषण भावनगरकी हरिजन-सभाम (१-७-१९३४) १३३
१४७ भाषण भावनगरकी सार्वजनिक सभामे (१-७-१९३४) १३४
१४८ पत्र न० चि० केलकरको (२-७-१९३४) १३९
१४९ पत्र डी० वी० गोखलेको (२-७-१९३४) १४१
१५० पत्र ए० एस० एम० मोफाखेरको (२-७-१९३४) १४१
१५१ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२-७-१९३४) १४२
१५२ पत्र वसुमती पण्डितको (२-७-१९३४) १४३
१५३ पत्र हीरालाल शर्माको (२-७-१९३४) १४४
१५४ पत्र यू० राजगोपाल कृष्णैयाको (२-७-१९३४) १४५
१५५ भाषण सार्वजनिक सभा, भावनगरमे (३-७-१९३४) १४६
१५६ भाषण राज्य-गोशाला, भावनगरमें (३-७-१९३४) १४६
१५७ पत्र मार्गरेट स्पीगलको (५-७-१९३४) १४७
१५८ भाषण महिलाओकी सभा, अजमेरमे (५-७-१९३४) १४७
१५९ भेंट हरिजन-सेवकोको (५-७-१९३४) १४८
१६० भाषण सावजनिक सभा, अजमेरमे (५-७-१९३४) १४८
१६१ पत्र मीराबहनको (५-७-१९३४) १५०
१६२ पत्र जी० जी० जोगको (६-७-१९३४ या उससे पूर्व) १५०

१६३ पत्र ना० र० मलकानीको (६-७-१९३४) १५१
१६४ पत्र महादेव देसाईको (६-७-१९३४) १५२
१६५ भाषण हैदराबादमे (७-७-१९३४) १५२
१६६ भाषण कराची नगरपालिकाके अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमे (७-७-१९३४) १५३
१६७ पत्र बालूकाका कानिटकरको (८-७-१९३४) १५४
१६८ पत्र अमतुस्सलामको (८-७-१९३४) १५४
१६९ भाषण कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओके समक्ष, कराचीमे (८-७-१९३४) १५५
१७० भाषण सिंधके हरिजन-सेवकोके समक्ष, कराचीमे (८-७-१९३४) १५५
१७१ भाषण व्यापारियोके बीच, कराचीमे (८-७-१९३४) १५६
१७२ भाषण सावजनिक सभा, कराचीमे (८-७-१९३४) १५८
१७३ तार घनश्यामदास बिडलाको (९-७-१९३४) १५९
१७४ पत्र ना० र० मलकानीको (९-७-१९३४) १६०
१७५ पत्र मागरेट स्पीगलको (९-७-१९३४) १६०
१७६ पत्र पुरातन जे० बुचको (९-७-१९३४) १६१
१७७ पत्र फूलचन्द क० शाहको (९-७-१९३४) १६२
१७८ पत्र कान्ति गाधीको (९-७-१९३४) १६२
१७९ पत्र रैहाना तैयबजीको (९-७-१९३४) १६३
१८० पत्र रमादेवी चौधरीको (९-७-१९३४) १६३
१८१ वक्तव्य उपवासके सम्बन्धमे (१०-७-१९३४) १६४
१८२ तार नटराजनको (१०-७-१९३४) १६६
१८३ तार घनश्यामदास बिडलाको (१०-७-१९३४) १६६
१८४ तार मथुरादास त्रिकमजीको (१०-७-१९३४) १६७
१८५ पत्र मीराबहनको (१०-७-१९३४) १६७
१८६ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (१०-७-१९३४) १६८
१८७ भेट हरिजन नेताओको (१०-७-१९३४) १६९
१८८ भाषण दयाराम जेठामल सिंध कॉलेज, कराचीमे (१०-७-१९३४) १६९
१८९ पत्र वल्लभभाई पटेलको (११-७-१९३४) १७४
१९० पत्र डाह्याभाई पटेलको (११-७-१९३४) १७५
१९१ पत्र क० मा० मुशीको (११-७-१९३४) १७६
१९२ भेट सिंधके पत्रकारोको (११-७-१९३४) १७७
१९३ भाषण पारसियोकी सभा, कराचीमे (११-७-१९३४) १८०
१९४ पत्र मीराबहनको (१२-७-१९३४) १८४
१९५ भेट 'ट्रिब्यून'के प्रतिनिधिको (१२-७-१९३४) १८४
१९६ तार रवीन्द्रनाथ ठाकुरको (१३-७-१९३४ से पूर्व) १८५

१९७ पत्र उत्तमचन्द शाहको (१३-७-१९३४) १८६

१९८ भेंट प्रान्तके काग्रेसीनेताओको (१३-७-१९३४) १८६

१९९ भेंट हरिजन-शिष्टमण्डलको (१३-७-१९३४) १८७

२०० भाषण विद्यार्थियोकी सभा, लाहौरमे (१३-७-१९३४) १८८

२०१ तार वल्लभभाई पटेलको (१४-७-१९३४) १९०

२०२ तार घनश्यामदास बिडलाको (१४-७-१९३४) १९१

२०३ पत्र मार्गरेट स्पीगलको (१४-७-१९३४) १९१

२०४ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (१४-७-१९३४) १९२

२०५ पत्र रमाबहन जोशीको (१४-७-१९३४) १९२

२०६ पत्र वसुमती पण्डितको (१४-७-१९३४) १९३

२०७ पत्र घनश्यामदास बिडलाको (१४-७-१९३४) १९३

२०८ भाषण छात्राओकी सभा, लाहौरमे (१४-७-१९३४) १९४

२०९ भाषण महिलाओकी सभा, लाहौरमे (१४-७-१९३४) १९५

२१० पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको (१५-७-१९३४) १९६

२११ पत्र विद्या रा० पटेलको (१५-७-१९३४) १९७

२१२ भेंट अकाली और खालसा दरबार शिष्टमण्डलको (१५-७-१९३४) १९७

२१३ भेंट पजाबके हिन्दू और सिख शिष्टमण्डलको (१५-७-१९३४) १९८

२१४ भाषण सार्वजनिक सभा, लाहौरमे (१५-७-१९३४) १९९

२१५ पत्र मौलाना अबुल कलाम आजादको (१६-७-१९३४) २००

२१६ पत्र कलकत्ताके बिशपको (१६-७-१९३४) २०१

२१७ पत्र दिलीपकुमार रायको (१६-७-१९३४) २०१

२१८ पत्र वल्लभभाई पटेलको (१६-७-१९३४) २०२

२१९ पत्र पद्माको (१६-७-१९३४) २०४

२२० पत्र डाह्याभाई म० पटेलको (१६-७-१९३४) २०४

२२१ पत्र गोपबन्धु चौधरीको (१६-७-१९३४) २०५

२२२ पत्र राजकुमारी अमृतकौरको (१७-७-१९३४) २०५

२२३ पत्र जमनालाल बजाजको (१७-७-१९३४) २०६

२२४ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको (१७-७-१९३४) २०६

२२५ भाषण प्रार्थना-सभा, लाहौरमे (१७-७-१९३४) २०७

२२६ बातचीत स्वयसेवकोके साथ (१७-७-१९३४) २०८

२२७ बातचीत सीमान्तके नेताओके साथ (१७-७-१९३४) २०९

२२८. भाषण पजाबके राष्ट्रवादी कार्यकर्त्ताओके समक्ष लाहौरम (१७-७-१९३४) २०९

२२९ भाषण खादी-कार्यकर्त्ताओके समक्ष, लाहौरमे (१७-७-१९३४) २१०

२३० भेट पत्रकारोको (१७-७-१९३४) २११
२३१ भाषण गुलाबदेवी तपेदिक अस्पताल, लाहौरमे (१७-७-१९३४) २१२
२३२ भाषण माडल टाउन, लाहोरमे (१७-७-१९३४) २१४
२३३ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको (१७-७-१९३४) २१४
२३४ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको (१८-७-१९३४) २१५
२३५ पत्र मीराबहनको (१९-७-१९३४) २१६
२३६ पत्र नारणदास गाधीको (१९-७-१९३४) २१७
२३७ पत्र प्रेमाबहन कटकको (१९-७-१९३४) २१८
२३८ पत्र लीलावती आसरको (१९-७-१९३४) २१८
२३९ वक्तव्य समाचारपत्रोको (१९-७-१९३४) २१९
२४० पदयात्राकी प्रशसा (२०-७-१९३४) २१९
२४१ पत्र मार्गरेट स्पीगलको (२०-७-१९३४) २२१
२४२ पत्र एस० अम्बुजम्मालको (२०-७-१९३४) २२२
२४३ बातचीत पीडित वर्गोके प्रतिनिधियोके साथ (२१-७-१९३४ या उससे पूर्व) २२२
२४४ भाषण चित्तरजन सेवा-सदन, कलकत्तामे (२१-७-१९३४) २२३
२४५ बातचीत विद्यार्थियोके साथ, (२१-७-१९३४) २२४
२४६ भाषण टाउनहॉल, कलकत्तामें (२१-७-१९३४) २३०
२४७ भाषण सार्वजनिक सभा, कलकत्तामे (२१-७-१९३४) २३१
२४८ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको (२१-७-१९३४) २३२
२४९ पत्र सनातनियोको (२२-७-१९३४) २३४
२५० उत्तर कानपुरके नागरिक अभिनन्दनोका (२२-७-१९३४) २३४
२५१ भाषण सार्वजनिक सभा, कानपुरमे (२२-७-१९३४) २३६
२५२ पत्र ना० र० मलकानीको (२३-७-१९३४) २३८
२५३ पत्र सुलोचना ए० शाहको (२३-७-१९३४) २३९
२५४ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (२३-७-१९३४) २४०
२५५ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको (२३-७-१९३४) २४०
२५६ पत्र शान्तिलाल जे० मेहताको (२३-७-१९३४) २४१
२५७ पत्र कान्ति गाधीको (२३-७-१९३४) २४१
२५८ पत्र नरहरि द्वा० परीखको (२३-७-१९३४) २४२
२५९ पत्र मणिबहन पटेलको (२३-७-१९३४) २४३
२६० पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२३-७-१९३४) २४४
२६१ पत्र छगनलाल जोशीको (२४-७-१९३४) २४५
२६२ भाषण तिलक हॉल, कानपुरके उद्घाटन-समारोहमे (२४-७-१९३४) २४५

२६३ बातचीत सनातनियोंके साथ (२४-७-१९३४) २४७
२६४ भाषण सयुक्त प्रान्तके हरिजन-सेवकोके समक्ष, कानपुरमे (२४-७-१९३४) २५०
२६५ भाषण छात्रो और हरिजनोके समक्ष, कानपुरमे (२४-७-१९३४) २५३
२६६ भेंट राष्ट्रीय भाषा शिष्टमण्डलको (२४-७-१९३४) २५४
२६७ पत्र मीराबहनको (२५-७-१९३४) २५४
२६८ टिप्पणी दर्शक-पुस्तिकामे (२५-७-१९३४) २५५
२६९ भाषण सार्वजनिक सभा, लखनऊमे (२५-७-१९३४) २५५
२७० भाषण आर्य समाज-सभामे (२५-७-१९३४) २५७
२७१ उत्तर जमीदारोको (२५-७-१९३४) २५७
२७२ पत्र मीराबहनको (२६-७-१९३४) २६०
२७३ पत्र सरिताको (२६-७-१९३४) २६०
२७४ बातचीत काग्रेस, हरिजन और खादी-कार्यकर्त्ताओसे (२६-७-१९३४) २६१
२७५ भाषण महिला सभा, कानपुरमे (२६-७-१९३४) २६४
२७६ पत्र एम० एस० अणेको (२७-७-१९३४ से पूर्व) २६५
२७७ बातचीत समाजवादियोके शिष्टमण्डलके साथ (२७-७-१९३४) २६५
२७८ पत्र डॉ० गोपीचन्द्र भागवको (२८-७-१९३४) २६६
२७९ काग्रेस ससदीय बोर्डका घोषणा-पत्र (२९-७-१९३४) २६७
२८० भाषण काग्रेस ससदीय बोर्डके घोषणा-पत्रके सम्बन्धमे, बनारसमे (२९-७-१९३४) २७०
२८१ भाषण हरिजन सेवक-सघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठक, बनारसमें, (२९-७-१९३४) २७१
२८२ भाषण राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्धमे (२९-७-१९३४) २७५
२८३ पत्र आनन्द तो० हिंगोरानीको (३०-७-१९३४) २७६
२८४ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (३०-७-१९३४) २७६
२८५ वक्तव्य उपवासके बारेमे (३०-७-१९३४) २७७
२८६ बातचीत वल्लभभाई पटेलके साथ (३०-७-१९३४ या उसके पश्चात्) २७७
२८७ भाषण सार्वजनिक सभा, बनारसमे (३१-७-१९३४) २७९
२८८ पत्र प्रेमाबहन कटकको (३१-७-१९३४) २८१
२८९ पत्र नारणदास गाधीको (१-८-१९३४) २८२
२९० भाषण हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसमें (१-८-१९३४) २८३
२९१ भाषण हरिजनोकी सभा, बनारसमे (१-८-१९३४) २८६
२९२ पत्र नरेन्द्र देवको (२-८-१९३४) २८७
२९३ पत्र गोविन्ददासको (२-८-१९३४) २८९
२९४ पत्र मदनमोहन मालवीयको (२-८-१९३४) २९०

२९५ भाषण महिला सभा, बनारसमें (२-८-१९३४) २९१
२९६ अस्पृश्यता-विरोधी विधेयक (३-८-१९३४) २९२
२९७ पत्र जे० सी० गुप्ताको (३-८-१९३४) २९३
२९८ पत्र सुरेन्द्रनाथ चटर्जीको (३-८-१९३४) २९३
२९९ पत्र मुल्कराजको (३-८-१९३४) २९४
३०० पत्र विधानचन्द्र रायको (३-८-१९३४) २९५
३०१ पत्र लीलावती आसरको (३-८-१९३४) २९६
३०२ पत्र हीरालाल शर्माको (३-८-१९३४) २९६
३०३ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (३-८-१९३४) २९७
३०४ भाषण बिहार केन्द्रीय सहायता-समितिकी बैठक, पटनामें (३-८-१९३४) २९८
३०५ भेंट समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको (३-८-१९३४) ३००
३०६ तार हीरालाल शर्माको (४-८-१९३४) ३०४
३०७ पत्र मणिलाल और सुशीला गांधीको (४-८-१९३४) ३०४
३०८ बातचीत रामनामपर (४-८-१९३४) ३०५
३०९ भेंट जबलपुरमें (४-८-१९३४) ३०६
३१० सन्देश जन्म-दिवसपर (५-८-१९३४) ३०७
३११ "हरिजन" के लिए (६-८-१९३४) ३०७
३१२ स्वदेशी (६-८-१९३४) ३०८
३१३ तार ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (६-८-१९३४) ३११
३१४ एक पत्र (६-८-१९३४) ३११
३१५ पत्र रणछोड़लाल ए० शोधनको (६-८-१९३४) ३१२
३१६ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (६-८-१९३४) ३१३
३१७ वक्तव्य उपवासपर (६-८-१९३४) ३१३
३१८ पत्र मीराबहनको (७-८-१९३४) ३१४
३१९ पत्र अगाथा हैरिसनको (७-८-१९३४) ३१६
३२० भाषण प्रार्थना-सभा, वर्धामें (७-८-१९३४) ३१७
३२१ टिप्पणी मौन-दिवसपर (१३-८-१९३४) ३१९
३२२ तार जमनालाल बजाजको (१३-८-१९३४) ३१९
३२३ तार नारणदास गांधीको (१४-८-१९३४) ३२०
३२४ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१४-८-१९३४) ३२०
३२५ पत्र हीरालाल शर्माको (१४-८-१९३४) ३२१
३२६ बातचीत गुजरात विद्यापीठके शिक्षकोंके साथ (१४-८-१९३४के पश्चात्) ३२२

३२७ "ईश्वर धन्य है" (१५-८-१९३४) ३२६
३२८ पत्र जमनालाल बजाजको (१५-८-१९३४) ३२७
३२९ तार मोहनलाल सक्सेनाको (१६-८-१९३४ या उससे पूर्व) ३२८
३३० पत्र मीराबहनको (१६-८-१९३४) ३२८
३३१ तार जमनालाल बजाजको (१६-८-१९३४) ३३०
३३२ पत्र जमनालाल बजाजको (१६-८-१९३४) ३३०
३३३ पत्र नारणदास गांधीको (१६-८-१९३४) ३३१
३३४ पत्र एफ० मेरी बारको (१६-८-१९३४) ३३२
३३५ पत्र रमाबहन जोशीको (१६-८-१९३४) ३३२
३३६ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (१६-८-१९३४) ३३३
३३७ भेंट पत्र-प्रतिनिधियोंको (१६-८-१९३४) ३३३
३३८ पत्र न० चि० केलकरको (१७-८-१९३४ या उससे पूर्व) ३३५
३३९ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१७-८-१९३४) ३३६
३४० तार जमनालाल बजाजको (१८-८-१९३४) ३३८
३४१ तार हीरालाल शर्माको (१८-८-१९३४) ३३८
३४२ पत्र डॉ० शेरवुड एड्डीको (१८-८-१९३४) ३३९
३४३ पत्र एच० ए० पॉपलेको (१८-८-१९३४) ३३९
३४४ पत्र भास्कर मुखर्जीको (१८-८-१९३४) ३४०
३४५ पत्र हीरालाल शर्माको (१८-८-१९३४) ३४१
३४६ पत्र जमनालाल बजाजको (१९-८-१९३४) ३४१
३४७ पत्र उमादेवी बजाजको (१९-८-१९३४) ३४२
३४८ पत्र कलकत्ताके कांग्रेसियोंको (१९-८-१९३४) ३४२
३४९ पत्र च० राजगोपालाचारीको (१९-८-१९३४) ३४३
३५० पत्र पी० जी० दाते और अन्य लोगोंको (१९-८-१९३४) ३४४
३५१ पत्र मोतीलाल रायको (१९-८-१९३४) ३४४
३५२ पत्र एन० आर० नाडिगको (१९-८-१९३४) ३४५
३५३ पत्र छगनलाल जोशीको (१९-८-१९३४) ३४५
३५४ पत्र नारणदास गांधीको (१९-८-१९३४) ३४६
३५५ पत्र मनु गांधीको (१९-८-१९३४) ३४७
३५६ पत्र वल्लभभाई पटेलको (१९-८-१९३४) ३४८
३५७ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२०-८-१९३४) ३४९
३५८ पत्र जमनालाल बजाजको (२०-८-१९३४) ३५०
३५९ पत्र उमादेवी बजाजको (२०-८-१९३४) ३५१
३६० पत्र मीराबहनको (२१-८-१९३४) ३५१

३६१ पत्र सिस्टर अमताको (२१-८-१९३४) ३५३
३६२ पत्र जी० आर० सहगलको (२१-८-१९३४) ३५३
३६३ पत्र एस० गणेशनको (२१-८-१९३४) ३५४
३६४ पत्र प्रेमाबहन कटकको (२१-८-१९३४) ३५५
३६५ पत्र जमनालाल बजाजको (२१-८-१९३४) ३५६
३६६ पत्र लीलावती मुशीको (२१-८-१९३४) ३५६
३६७ पत्र क० मा० मुशीको (२१-८-१९३४) ३५७
३६८ पत्र नारणदास गाधीको (२१-८-१९३४) ३५८
३६९ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२१-८-१९३४) ३५८
३७० पत्र अन्नपूर्णाको (२१-८-१९३४) ३५९
३७१ तार प्रभाशकर पट्टणीको (२२-८-१९३४) ३६०
३७२ पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (२२-८-१९३४) ३६०
३७३ पत्र अगाथा हैरिसनको (२२-८-१९३४) ३६१
३७४ पत्र म्यूरियल लेस्टरको (२२-८-१९३४) ३६२
३७५ पत्र स० ना० गागुलीको (२२-८-१९३४) ३६३
३७६ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२२-८-१९३४) ३६४
३७७ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२२-८-१९३४) ३६५
३७८ वक्तव्य एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाको (२३-८-१९३४ या उससे पूव) ३६६
३७९ तार आनन्द तो० हिगोरानीको (२३-८-१९३४) ३६७
३८० पत्र आनन्द तो० हिंगोरानीको (२३-८-१९३४) ३६७
३८१ पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२३-८-१९३४) ३६८
३८२ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (२३-८-१९३४) ३६८
३८३ पत्र ना० र० मलकानीको (२३-८-१९३४) ३६९
३८४ पत्र एच० ए० ललवानीको (२३-८-१९३४) ३७०
३८५ पत्र जमनालाल बजाजको (२३-८-१९३४) ३७०
३८६ पत्र उमादेवी बजाजको (२३-८-१९३४) ३७१
३८७ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२३-८-१९३४) ३७२
३८८ भेट खादी-कार्यकर्त्ताओंको (२४-८-१९३४ या उससे पूर्व) ३७३
३८९ टिप्पणियाँ शरीरपर उपवासका असर, अजमेरकी दुर्घटना, एक अंग्रेज मित्रकी चेतावनी (२४-८-१९३४) ३७५
३९० पत्र एफ० मेरी बारको (२४-८-१९३४) ३७८
३९१ पत्र टी० एम० जरीफको (२४-८-१९३४) ३७९
३९२ पत्र क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको (२४-८-१९३४) ३८०

३९३ पत्र वीरेन्द्रनाथ गुहाको (२४-८-१९३४) ३८०
३९४ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२४-८-१९३४) ३८१
३९५ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२४-८-१९३४) ३८२
३९६ पत्र भूलाभाई जे० देसाईको (२४-८-१९३४) ३८४
३९७ पत्र भगवानजी पु० पण्ड्याको (२४-८-१९३४) ३८४
३९८ तार राजेन्द्रप्रसादको (२५-८-१९३४ या उससे पूर्व) ३८५
३९९ पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको (२५-८-१९३४) ३८५
४०० पत्र मघाराम सन्तदासको (२५-८-१९३४) ३८७
४०१ पत्र नरहरि द्वा० परीखको (२५-८-१९३४) ३८७
४०२ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२५-८-१९३४) ३८९
४०३ पत्र उमादेवी बजाजको (२५-८-१९३४) ३९०
४०४ पत्र जमनालाल बजाजको (२५-८-१९३४) ३९०
४०५ पत्र मणिबहन पटेलको (२५-८-१९३४) ३९१
४०६ पत्र जी० आर० सहगलको (२६-८-१९३४) ३९१
४०७ पत्र वल्लभभाई पटेलको (२६/२७-८-१९३४) ३९२
४०८ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (२७-८-१९३४) ३९३
४०९ पत्र चन्दूलाल मोदीको (२७-८-१९३४) ३९४
४१० पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको (२७-८-१९३४) ३९४
४११ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२७-८-१९३४) ३९६
४१२ एक पत्रका अश (२८-८-१९३४ से पूर्व) ३९६
४१३ पत्र बलीबहन एम० अडालजाको (२९-८-१९३४) ३९७
४१४ पत्र उमादेवी बजाजको (२९-८-१९३४) ३९८
४१५ पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको (३०-८-१९३४) ३९८
४१६ पत्र हरिभाऊ फाटकको (३०-८-१९३४) ३९८
४१७ पत्र नारणदास गाधीको (३०-८-१९३४) ३९९
४१८ पत्र विमला जोशीको (३०-८-१९३४) ४००
४१९ पत्र मनु गाधीको (३०-८-१९३४) ४००
४२० एक पत्र (३०-८-१९३४) ४०१
४२१ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (३०-८-१९३४) ४०१
४२२ वह अभागा बिल (३१-८-१९३४) ४०२
४२३ पत्र पी० एन० राजभोजको (३१-८-१९३४) ४०४
४२४ पत्र सीताराम शास्त्रीको (३१-८-१९३४) ४०६
४२५ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (३१-८-१९३४) ४०७
४२६ भयानक अत्याचार (२-९-१९३४) ४०७

४२७ नम्र प्रायश्चित्त (२-९-१९३४) ४०९
४२८ पत्र साहेबजी महाराजको (२-९-१९३४) ४०९
४२९ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (२-९-१९३४) ४११
४३० पत्र हू० न्रा० कुँजरूको (२-९-१९३४) ४११
४३१ पत्र बीरेन्द्रनाथ गुहाको (२-९-१९३४) ४१२
४३२ पत्र उमादेवी बजाजको (२-९-१९३४) ४१२
४३३ पत्र द्रौपदी शर्माको (२-९-१९३४) ४१३
४३४ पत्र प्रेमाबहन कटकको (३-९-१९३४) ४१४
४३५ पत्र एस० ए० ब्रेल्वीको (३-९-१९३४) ४१५
४३६ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (३-९-१९३४) ४१६
४३७ पत्र प्रभाशकर पट्टणीको (३-९-१९३४) ४१६
४३८ पत्र प्रागजी के० देसाईको (३-९-१९३४) ४१७
४३९ पत्र प्रेमलीला ठाकरसीको (३-९-१९३४) ४१७
४४० पत्र महेन्द्र वा० देसाईको (३-९-१९३४) ४१८
४४१ पत्र शान्तिकुमार मोरारजीको (३-९-१९३४) ४१८
४४२ पत्र वल्लभभाई पटेलको (३-९-१९३४) ४१९
४४३ पुर्जा जयरामदास दौलतरामको (३-९-१९३४ या उसके बाद) ४२०
४४४ पत्र अब्बास तैयबजीको (४-९-१९३४) ४२०
४४५ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (४-९-१९३४) ४२०
४४६ बातचीत डॉडके साथ (४-९-१९३४) ४२१
४४७ पत्र वल्लभभाई पटेलको (५-९-१९३४से पूर्व) ४२५
४४८ वक्तव्य समाचारपत्रोको (५-९-१९३४) ४२८
४४९ पत्र एस० गणेशनको (५-९-१९३४) ४२९
४५० पत्र स० न० बोसको (५-९-१९३४) ४३०
४५१ पत्र डॉ० एन० आर० धमवीरको (५-९-१९३४) ४३०
४५२ पत्र मघाराम सन्तदासको (५-९-१९३४) ४३१
४५३ पत्र जी० आर० सहगलको (५-९-१९३४) ४३२
४५४ पत्र रैहाना तैयबजीको (५-९-१९३४) ४३३
४५५ पत्र एफ० मेरी बारको (५-९-१९३४) ४३४
४५६ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (५-९-१९३४) ४३५
४५७ पत्र एस्थर मेननको (६-९-१९३४) ४३५
४५८ पत्र सुरेशचन्द्र बनर्जीको (६-९-१९३४) ४३७
४५९ पत्र बी० जे० मराठेको (६-९-१९३४) ४३८
४६० पत्र भास्कर मुखर्जीको (६-९-१९३४) ४३८

४६१ पत्र शकरलाल बैंकरको (६-९-१९३४) ४३९

४६२ गाँवोमे चमडा कमानेका धन्धा और उसकी सम्भावनाएँ (७-९-१९३४) ४३९

४६३ पत्र मीराबहनको (७-९-१९३४) ४४३

४६४ पत्र नरगिसबहन कैप्टेनको (७-९-१९३४) ४४४

४६५ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको (७-९-१९३४) ४४५

४६६ पत्र पुरातन जे० बुचको (७-९-१९३४) ४४६

४६७ पत्र भगवानजी ए० मेहताको (७-९-१९३४) ४४६

४६८ पत्र नरहरि द्वा० परीखको (७-९-१९३४) ४४७

४६९ पत्र हीरालाल शर्माको (७-९-१९३४) ४४७

४७० पत्र मोतीलाल दीवडाको (७-९-१९३४) ४४८

४७१ पत्र जमनालाल बजाजको (८-९-१९३४) ४४९

४७२ पत्र नारणदास गाधीको (८-९-१९३४) ४५१

४७३ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको (८-९-१९३४) ४५२

४७४ पत्र नारायण स्वामीको (८-९-१९३४) ४५३

४७५ पत्र रामचन्द्रनको (८-९-१९३४) ४५४

४७६ पत्र बी० जे० मराठेको (८-९-१९३४) ४५४

४७७ पत्र गुलजारीलाल नन्दाको (८-९-१९३४) ४५५

४७८ पत्र लीलावती आसरको (८-९-१९३४) ४५५

४७९ पत्र अन्नपूर्णाको (८-९-१९३४) ४५६

४८० पत्र निरुपमाको (८-९-१९३४) ४५६

४८१ पत्र श्रीपाद दामोदर सातवलेकरको (९-९-१९३४) ४५७

४८२ पत्र नारणदास गाधीको (११-९-१९३४) ४५७

४८३ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको (११-९-१९३४) ४५९

४८४ पत्र ब्रजकृष्ण चादीवालाको (११-९-१९३४) ४५९

४८५ एक प्रार्थना (१२-९-१९३४ या उससे पूर्व) ४६०

४८६ तार हीरालाल शर्माको (१२-९-१९३४) ४६१

४८७ पत्र अब्बास तैयबजीको (१२-९-१९३४) ४६१

४८८ पत्र एफ० मेरी बारको (१२-९-१९३४) ४६२

४८९ पत्र डॉ० बी० वी० मुलेको (१२-९-१९३४) ४६३

४९० पत्र बी० जे० मराठेको (१२-९-१९३४) ४६३

४९१ पत्र श्रीमती सौदामिनी मेहताको (१२-९-१९३४) ४६४

४९२ पत्र रामदास गाधीको (१२-९-१९३४) ४६६

४९३ पत्र रघुवीर नारायणसिहको (१२-९-१९३४) ४६७

४९४ पत्र हीरालाल शर्माको (१२-९-१९३४) ४६७

४९५ पत्र हीरालाल शर्माको (१३-९-१९३४) ४६८
४९६ स्वदेशीपर कुछ और (१४-९-१९३४) ४६९
४९७ 'हरिजन' क्यो नही? (१४-९-१९३४) ४७०
४९८ तर्क नही, अनुभव (१४-९-१९३४) ४७२
४९९ प्राय हरिजन जैसा ही (१४-९-१९३४) ४७४
५०० तार मीराबहनको (१४-९-१९३४) ४७६
५०१ पत्र नारणदास गाधीको (१४-९-१९३४) ४७६
५०२ पत्र जमनाबहन गाधीको (१४-९-१९३४) ४७७
५०३ पत्र आत्मारामको (१४-९-१९३४) ४७८
५०४ पत्र को (१४-९-१९३४) ४७८
५०५ पत्र जी० वी० मावलकरको (१५-९-१९३४) ४७९

अवशिष्टाश

१ पत्र सरिताको (३१-५-१९३४) ४८०
२ पत्र काशीप्रसाद दीक्षितको (२५-६-१९३४) ४८०

परिशिष्ट।

१ श्वेत-पत्र एव साम्प्रादायिक-परिनिर्णय सम्बन्धी प्रस्ताव ४८१
२ एन० सी० केलकरका पत्र ४८२
३. स्वदेशी विषयक प्रस्ताव ४८५
४ अनुशासन पर प्रस्ताव ४८६
५ जवाहरलाल नेहरूका पत्र ४८६

सामग्रीके साधन-सूत्र ४९२
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ४९४
शीर्षक सांकेतिका ४९९
सांकेतिका ५०५

चित्र-सूची

ट्रेनमे, जुलाई, १९३४	मुख पृष्ठ
हरिजन-यात्राके दौरान गुजरातमे, जून, १९३४	पृष्ठ १४४ के सामने
हरिजन बच्चोके साथ, भावनगर, जुलाई, १९३४	पृष्ठ १४४ के सामने

१. निवेदन : कार्यकर्त्ताओसे

जिस दिन मै यह लेख लिख रहा हूँ, यह मेरी पैदल यात्राका छठा दिन है।[1] रेल और मोटरसे अब तक मै ७५० मीलकी यात्रा कर लेता और सरसरी तौरसे कमसे-कम १,५०,००० आदमियोसे मिल लिया होता। पैदल ४० मीलसे अधिक नही चला, क्योकि यह छठा दिन तो मौनमे निकल गया, किन्तु फिर भी करीब २०,००० नर-नारियोके सम्पर्कमे आ सका हूँ।

मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि कृत्रिम यात्रा तथा स्वाभाविक यात्रामे कामका परिमाण उलटा होता है। आशय यह है कि कृत्रिम यात्राकी गतिका वेग तो अधिक पर काम कम होता है, किन्तु स्वाभाविक यात्राकी गतिका वेग जहाँ बहुत कम होता है, वहाँ काम वास्तवमे अधिक होता है। पिछले पाँच दिनोमे ग्रामवासियोके साथ मेरा खूब समागम रहा है, पर इन अनुभवोकी चर्चा तो फिर कभी करूँगा। इस लेखके लिखनेका हेतु इतना ही है कि मै समस्त भारतवर्षके सहयोगकी याचना करूँ। उत्कलके नेताओके लिए यह कोई मामूली बात नही थी कि उन्होने परिश्रम और सावधानीके साथ निश्चित किये हुए अपने प्रान्तके कार्यक्रमको एकदम उडा दिया। भारतके इस अत्यन्त गरीब प्रान्तसे भी उन लोगोको ३०,०००) एकत्रित कर लेनेकी आशा थी। मेरी अपनी धारणा तो यह थी कि उडीसामे ५०,०००) इकट्ठा हो सकता था। पर जब उन्हे सत्यका साक्षात्कार हुआ, तो उन्होने अथलाभकी आशा छोड देने और अपने सहयोगियोके रोषकी जोखम उठानेमे तनिक भी आनाकानी नही की। और जब डाक्टर विधानचन्द्र रायको मैने अपना इरादा सुनाया, तो उन्हे भी अपने बगाल-प्रान्तके कार्यक्रमका त्याग करते हुए कोई कठिनाई नही हुई। मै नही समझता कि फिर अन्य प्रान्तोके लिए यह बात कुछ मुश्किल होगी। मै यह विश्वास कदापि नही करूँगा कि रेल और मोटरकी यात्राकी अपेक्षा पैदल यात्रा कही अधिक सुन्दर है, यह बात उनकी समझमे न ही आ सकेगी।

किन्तु कोरे निष्क्रिय सहयोगकी अपेक्षा मै अधिककी माँग करता हूँ और आशा भी अधिककी करता हूँ। मै देशभरके सक्रिय सहयोगकी याचना करता हूँ। मै आशा करता हूँ कि देशके तमाम कार्यकर्त्ता एकसाथ अपने-अपने प्रान्तमे इसी प्रकारकी पैदल यात्राओका आयोजन करे, जिसमे वे लोगोको हरिजन-सेवाका सन्देश सुनायें — और अगर मै उनके यहाँ जाता, तो जैसे वे मुझे रुपये-पैसेकी थैलियाँ हरिजन-कार्यके लिए भेट करते, उसी प्रकार मेरे पास भेजनेके लिए वे जगह-जगह जाकर रुपये

१ गांधीजीने ८ मई, १९३४को पुरीमें सवारीका प्रयोग त्याग दिया था और अगले दिन पैदल हस्तिनापुर गये थे। देखिए खण्ड ५७, "वक्तव्य समाचार-पत्रोंको", ८-५-१९३४।

व पैसे-पाई इकट्ठा करे। कार्यकर्त्ताओ और हरिजनोके बीच खूब घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित होना चाहिए और सनातनियोसे भी मित्रतापूर्वक जाकर मिलना-जुलना चाहिए। कार्यकर्त्ता जिस गाँवमे जाये, वहाँके हरिजनोकी कठिनाइयो और कष्टोका उन्हे पूरा पता लगाना चाहिए। वहाँ अधिक मन्दिर खुलने चाहिए और अधिकसे-अधिक हरिजन बालकोको सावजनिक पाठशालाओमे भरती कराना चाहिए। कार्यकर्त्ता तथा ग्रामवासी यह समझे कि मै उडीसाके गाँवोमे जो यात्रा कर रहा हूँ, वह मानो उनके ही गाँवोमे कर रहा हूँ। यदि मेरा कार्य आध्यात्मिक है, तो उसका यही परिणाम होना चाहिए कि हरिजन-कायके लिए लोगोके दिलमे और भी अधिक उत्साह बढे। इस यात्राके परिणामस्वरूप नये-नये कायकर्ता मिलने चाहिए और जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्हे इस कायके प्रति अपनेको और भी अधिक लगनसे अर्पित कर देना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १८-५-१९३४

२. पत्र . भगवानजी अ० मेहताको

१८ मई, १९३४

भाई भगवानजी[1],

आपके पत्रपर तारीखकी जगह ३०-१२-१९३३ लिखा हुआ है, किन्तु यह भूलसे हुआ होगा, क्योकि मुझे तो यह कल ही मिला। कोई बात नही, भाई प्रभाशकर[2] के विषयमे तुम्हारे मधुर अनुभवोको जानकर अच्छा लगता है। किन्तु मेरे लिए तो अप्रासगिक है। जो रतिलाल[3] का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, उसे जेकीबहन[4] जैसी अपग महिलाको उसका हिस्सा देनेमे आनाकानी कदापि नही करनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। इस मामलेमे छगनलाल[5] का नाम लेना ठीक नही है। क्या कोई भी समझदार आदमी नासमझ आदमीके कामकी आड ले सकता है। आप और हम सभी जानते है कि छगनलालको उस विषयमे कुछ नही मालूम। आपने इतना लम्बा पत्र लिखनेका लोभ क्यो किया, मै तो यही नही समझा। अगर आप मेरी बात समझ गये हो तो कृपया अपनी बुद्धि और प्रभावका उपयोग इस बातमे करे कि बहनोको रतिलालकी तरफसे उनका भाग मिलना ही चाहिए।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५८२३) से। सी० डब्ल्यू० ३०४६ से भी, सौजन्य भगवानजी अ० मेहता।

१ सौराष्ट्रके एक वकील।
२ प्रभाशकर पारेख, रतिलालके ससुर।
३ डॉ० प्राणजीवन मेहताका द्वितीय पुत्र।
४ डॉ० प्राणजीवन मेहताकी छोटी पुत्री जयकुँवर, मणिलाल डॉक्टरकी पत्नी।
५ डॉ० प्राणजीवन मेहताका सबसे बड़ा पुत्र।

३ भाषण : अ० भा० का० कमेटीकी बैठक, पटनामें – १

१८ मई, १९३४

मै उन लोगोको जिन्होने अनेक सशोधन पेश किये है बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि उनके भाषणोसे अपने वक्तव्यमे अभिव्यक्त मेरा मत ही दृढ होता है।[१] सशोधनोमे मुझे ऐसी कोई चीज नही मिली जिससे मुझे अपना निर्णय बदलनेकी प्रेरणा मिले। यह देखकर निस्सन्देह मुझे आश्चर्य होता है कि भाषण देनेवालोमे किसीने भी मुझे अपनी इस बातके लिए आडे हाथो नही लिया कि मैने अपने सिवा बाकी सभीको सविनय प्रतिरोध स्थगित रखनेकी राय दी है।

इसके विपरीत, सभी सशोधन एक स्वरसे सविनय प्रतिरोध स्थगित रखनेकी मॉग करते है। इससे मुझे आश्चर्य तो होता है, परन्तु इसका मुझे दु ख नही है। इससे इतना ही मालूम होता है कि मेरा फैसला ठीक मौकेपर हुआ है। बहरहाल, जब आप यह कहते है कि एक कदम और बढकर मै स्वय भी सविनय प्रतिरोध करनेका विचार छोड दूँ, तो आप मुझे काम करनेकी मेरी व्यक्तिगत निजी स्वतन्त्रतासे वचित करना चाहते है। इस बातमे आप निस्सन्देह स्वतन्त्र है कि अपने सविनय प्रतिरोधमे काग्रेसका प्रतिनिधित्व करनेके मेरे दावेका आप खण्डन करे। काग्रेसकी ओरसे इस तरहका खण्डन किये जानेकी बात मै समझ सकता हूँ और उसकी सराहना भी कर सकता हूँ।

पूना-सम्मेलनके निश्चय[२] के अनुसार व्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध भी काग्रेसके नाम पर ही किया जानी था और अब आपके सामने जो चीज रखी गई है वह यह है कि पूनाके-निश्चयमे थोडा परिवतन कर दिया जाये। तब सविनय प्रतिरोध करनेवालोकी सख्या अनिश्चित रखी गई थी और अब वह एक व्यक्ति तक ही सीमित कर दी गई है। मै आपसे इसका अनुमोदन करनेके लिए कह रहा हूँ, यह बात ही इसका प्रमाण है कि मै काग्रेसके नाम पर और काग्रेससे अधिकार प्राप्त करके काम करना चाहता हूँ। परन्तु यदि आपको लगे कि आप मुझे वह अधिकार नही दे सकते तो भी आप मुझे व्यक्तिगत रूपसे कार्य करनेकी स्वतन्त्रतासे वचित न करे, क्योकि उसका मतलब तो मेरी सत्ता समाप्त कर देना ही होगा। यदि मुझे विश्वास हो कि इस कदमसे भारत अपने लक्ष्यकी दिशामे प्रगति करेगा तो मै अपने अस्तित्व तकको मिटा देनेमे सकोच नही करूँगा।

१ देखिए खण्ड ५७, पृष्ठ ३७८-८१।

२ देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ २६२ तथा २७६-८।

मेरा तो यह विश्वास है कि भारत किसी भी व्यक्तिकी काम करनेकी स्वतन्त्रताको छीनकर स्वराज्य प्राप्त नही करेगा। एक वक्ताने यह कहकर कि "एक आदमी द्वारा प्राप्त किया हुआ स्वराज्य राष्ट्रके किसी कामका नही", वस्तुत यह कहा है कि मै केवल अपने अकेलेके कार्य द्वारा स्वराज्य लानेका भरोसा दिला रहा हूँ। उन्होने मेरे ही शब्दोको उद्धृत किया हे। मैने ये शब्द हजारो मचोसे हिंसा-पथके अनुयायियोसे कहे है। मैने कहा है कि यदि वे किन्ही अग्रेज या भारतीय अधिकारियोकी जान लेकर स्वराज्य प्राप्त करनेमे सफल भी हो जाये, तो वह स्वराज्य उनके अपने ही लिए होगा, भारतके जन-समुदायके लिए नही, और किसीको क्या मालूम कि उससे आगे वे और किस-किसकी जान लेगे।

सविनय प्रतिरोध हिसाका पूर्ण विकल्प है। प्रत्येकको अहिसाके द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त करना है। इस अस्त्रसे जन-समुदायको प्रेरणा और नई शक्ति मिली है। वैधानिक कायसे जन-समुदाय जागरूक नही बनता। मै चाहूँगा कि आप कुछ दिनोके लिए मेरे साथ आये और जो-कुछ मै कहता हूँ उसकी सचाईको परखे। मैने अपने निर्णय आपपर थोपनेकी कोशिश कभी नही की है। आप लोगोको नम्रतापूर्वक मनानेके सिवाय मेरे पास और कोई ताकत नही है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझे अपनी मान्यताके विरुद्ध काम करनेके लिए बाध्य न करे।

लाला दुनीचन्द[1]ने कहा है कि मै सविधानकी सीमाओका, जिसके निर्माणमे मेरा भी हाथ रहा है, उल्लघन न करूँ। मै उनसे यह कह देना चाहता हूँ कि मै सविनय अवज्ञाकारी इसीलिए हूँ कि मै स्वभावसे ही सविधानका पालन करनेवाला हूँ। यही कारण है कि मै आपका प्रतिनिधि बनकर आपके पास आया हूँ। काग्रेस सविधानकी चार-दीवारीके बाहर जानेकी मेरी कोई इच्छा नही है।

यदि मै आपमे विश्वास नही जगा सका हूँ तो आप मुझे अधिकार न दे। परन्तु मेरा अनुरोध इतना ही है कि मुझे व्यक्तिगत रूपसे काम करनेकी स्वतन्त्रता दी जाये। निराशाके परिणामस्वरूप मै इस निर्णयपर नही पहुँचा हूँ। मेरी इच्छा अहिंसात्मक प्रतिरोध पर मेरे अडिग विश्वाससे उत्पन्न हुई है।

निश्चय ही यह काम सेनापतिका है कि कार्यवाहीका समय और उसकी पद्धति वह स्वय निश्चित करे। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि सिपाहियोमे नियत समय पर कायवाही करनेकी समता है। जिस सेनापतिके पास कोई भौतिक शक्ति न हो, उसके सिपाहियोको किन शर्तोका पालन करना होगा, इसका निर्णय भी उसे ही करना होता है। वह तो अपने सिपाहियोसे यही कह सकता है कि वे उसकी बातको बुद्धि और हृदयकी कसौटी पर परखे। अकेले सविनय प्रतिरोध करनेमे मेरा मतलब आपमे से किसीको भी कम गिनना नही है।

इतने बरसो तक मै जिन प्रतिबन्धोके भीतर काम करता रहा, उनका मुझे ज्ञान नही था। परन्तु ऐसा वक्त आया जब यह जरूरी लगा कि यदि हमे सत्याग्रह-शस्त्रको बदनामीसे बचानी है तो यह परिस्थिति समाप्त कर देनी चाहिए।

१ अम्बालाके एक काग्रेसी कार्यकर्त्ता।

आप अपने सेनापतिकी बात माने या न माने, यह आप पर निर्भर करता है। अहिंसात्मक सघर्षमे यदि सेनापति चाहे तो अपने सिपाहियोको बर्खास्त कर सकता है और इसी तरह यदि उसकी शर्तें उन्हे मजूर न हो तो वे भी उसे बर्खास्त कर सकते है।

यह कोई धमकी नही है। मै काग्रेसका सदस्य तो बना ही रहूँगा, परन्तु फिर काग्रेसका प्रतिनिधि होनेका दावा नही करूँगा। फिरसे उस प्रतिनिधिपर आपका विश्वास जमनेमे यदि एक या दो साल लग जाये तो वह कोई खास बात नही होगी। अहिंसात्मक सघषमे सेनापति सजा देनेका अधिकार नही रखता। उसके पास इतना अधिकार नही होता कि वह अपने आदेशका जबदस्ती पालन करवाये। उसका अधिकार समझाने-बुझानेकी उसकी ताकत पर निर्भर करता है। ऐसे सेनापतिसे कार्यवाहीकी दिशा बदलनेके लिए कहनेका अर्थ है, उसे अपनी न्यायबुद्धिके विपरीत काम करनेके लिए बाध्य करना। यदि उसके आदेश आपको नही भाते तो आपको पूरी स्वतन्त्रता है कि आप ऐसे सेनापतिको बर्खास्त कर दे।

मै यह बात क्रोधमे नही कह रहा हूँ। यदि अपनी सलाह न माननेके कारण मै आपसे क्रुद्ध हो जाऊँ तो मै सविनय प्रतिरोध करनेके अयोग्य ठहरूँगा। मेरा दावा है कि मै तक-सम्मत बातको मानकर चलता हूँ। बच्चे भी मुझसे नही डरते और मुझे अपनी इच्छाके अनुरूप चलानेमे समथ हो जाते है। मक्खियो द्वारा तग किये जाने पर भी मैने उन्हे कभी हानि नही पहुँचाई है। यदि आप ठीक समझते है, तो ऐसे आदमीको स्थान रिक्त कर देनेका आदेश देनेमे आपको डरना क्यो चाहिए। मै आपसे कहता हूँ कि इससे मुझे कोई दु ख नही होगा। इसके विपरीत, आपकी स्पष्टवादिताके लिए मै आपको धन्यवाद ही दूँगा। परन्तु यदि आप अपने सेनापतिको बनाये रखना चाहते है तो आपको तर्क-वितर्क छोड देना चाहिए और उसका अनुशासन मानना चाहिए।

आप उसका अनुशासन न माने, यह तो आपपर निर्भर करता है। परन्तु यदि आप एक बार उसे अपना सेनापति स्वीकार कर ले तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप उसका आदेश माननेके लिए बाध्य है। वक्ताओमे से एकने मुझसे कहा है कि मैने इस अवसर पर राजनीतिमे आध्यात्मिकताको नया-नया शामिल कर लिया है। एक मित्रने मुझे उस प्रस्तावका स्मरण दिलाया है जिसे काय-समितिने दाडी-यात्राके अवसरपर १९३० मे पारित किया था।[1] उस प्रस्तावकी भूमिकामे वही चीज है जिसका जिक्र मैने इस वक्तव्यमे किया है। वहाँ वह स्व० पण्डित मोतीलाल नेहरूके अनुमोदन पर रखा गया था। भूमिकामें स्पष्ट शब्दोमे कहा गया है कि वही लोग सघर्ष शुरू करे एव उसे जारी रखे जो सत्य और अहिंसाको नीति नही अपितु कर्त्तव्य मानकर चलते हो। इसलिए मुझे यह अधिकार दिया गया था कि मै सघर्ष शुरू कर दूँ और उसे जारी रखूँ और काग्रेसियोको आदेश दिया गया था कि वे मेरी मदद करे।

१ १५ फरवरी, १९३० को अहमदाबादमें, देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ४९८।

मैं जो आज कहता हूँ वह उस भूमिकाके कथनसे अलग नही है। निस्सन्देह, जिन्होने तब सविनय प्रतिरोधको राजनीतिक हथियारके रूपमे अपनाया, वे सघर्षमे शमिल हुए। परन्तु उनसे आशा की जाती थी कि जबतक वे सघषमे रत रहेगे, अपेक्षित सिद्धान्त और अनुशासनके प्रति वफादार रहेगे। मै उनसे इसके प्रति इसी तरह वफादार रहनेकी आशा रखता था जेसे कि एक जेलर मन, वचन और कर्मसे उस कैदीकी रक्षा करता है जो हत्याका अपराधी हो और जिसे फिलहाल उसके अधिकारमे रखा गया हो। यदि आप मेरा नेतृत्व स्वीकार करते है तो आपको मेरी शर्तें माननी होगी। यदि नही तो आप मुझे उस रास्ते पर चलनेके लिए स्वतन्त्र रहने दे जिसे मै सही मानता हूँ। फिर उसपर चाहे मै अकेला ही क्यो न पड जाऊँ।

१९२२का बारडोली-निर्णय[1], जिसे स्वर्गीय हकीम साहब और डॉ० अन्सारी अत्यन्त कठिनाईसे स्वीकार कर सके थे, एक ऐसा कदम था जिससे देश अपमानजनक हार और विनाशसे बच गया। इससे आम लोगोके सामने यह स्पष्ट हो गया कि शान्तिपूर्ण सघर्षमे हिसाके लिए कोई स्थान नही है। जिन्होने अभी हालके सघषमे भाग लिया था, उनके कममे हिसा नही थी। यह तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारे विचार कहाँतक हिसा-भावनासे अछूते थे। यह माना जा सकता है कि हमने वचनमे उसी सीमातक अहिंसाका पालन नही किया।

हमारी अहिसा ज्यादातर कर्म तक सीमित थी। यदि देश जेल जानेकी कला सीख जाता है और अहिसाका पालन करनेकी कला सीख जाता है, जैसे कि पठानोने किया है, तो आसानीसे स्वराज्य हासिल किया जा सकता है। मुझे बारडोली-निणयका कोई पश्चात्ताप नही है और मै इसे बुद्धिमत्तापूण राजनैतिक कदम मानता हूँ। मै अपनी इस सलाहको भी वैसा ही मानता हूँ। ऐसा समझा जाता है कि मेरा हृदय अत्यन्त कोमल है, पर मुझे मालूम है कि वह इस्पातकी तरह कठोर है।

यदि आप इस वक्तव्यका कोई अनुचित अर्थ लगाये तो उसमे मै कुछ नही कर सकता। जिस व्यक्तिका जिक्र मैने अपने वक्तव्यके शुरूमे किया है वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि अपना पुत्र। उसके विरुद्ध मेरे पास कोई आरोप नही है। मैने उस पर कोई दोष नही लगाया है। मैने दोष अपनेपर लगाया है। वह इस वक्त मेरे साथ यात्रा कर रहा है। यदि मैने उसके विरुद्ध कोई निर्णय नही दिया तो मै दूसरोके विरुद्ध ऐसा कैसे कर सकता था? परन्तु जब मै देखता हूँ कि हमारी ढिलाईकी सीमा यहाँतक आ पहुँची है कि उससे हमारे हितकी हानि हो रही है, तो ऐसी स्थितिमे यदि मै सदस्योको ढिलाई खत्म करनेके लिए न कहूँ और यह चेतावनी न दूँ कि लोगोको फिरसे सघर्षमे जुटनेका आह्वान देनेसे पहले यह स्पष्ट देना चाहिए कि अब अत्यन्त कडा अनुशासन और मन,

१ कार्य-समितिके सामूहिक सविनय अवज्ञाको स्थगित कर देनेके प्रस्तावकी ओर सकेत है, देखिए खण्ड २२, पृष्ठ ३००८१।

वचन तथा कर्मसे अहिंसाकी आवश्यकताको भली-भाँति समझ लेना जरूरी है, तो मै विश्वासघातका अपराधी होऊँगा।

मैने अभी सीमा-प्रान्तके बारेमे कुछ शब्द कहे। मेरे मनमे बगालके लिए वैसी ही तीव्र भावना है। मै जानता हूँ कि आज बगालमे क्या हो रहा है। कुछ बगाली ऐसे है जो मुझपर इस बातका आरोप लगाते है और ऐसा मानते है कि मै बगालके दु खोकी उपेक्षा करता हूँ। उनमेसे कुछ बगालका प्रतिनिधित्व करनेके मेरे दावेका खण्डन करते है। यदि मै बगालका प्रतिनिधित्व नही करता तो मै किसी भी प्रान्तका प्रतिनिधित्व नही करता। मै बगालकी कविता और सवेदनशीलताका प्रशसक हूँ। अपने इस प्रान्तसे मै प्रेमकी रेशम डोरसे बँधा हूँ। परन्तु आज मै असहाय हूँ। मेरे होठ मेरे व्रतके कारण बन्द है।[1]

क्या मुझे खान अब्दुल गफ्फार खाँके कैद हो जानेका दु ख नही है, जिनका अहिंसामे विश्वास हमारे विश्वाससे ज्यादा दृढ है? दोनो भाइयोके मनमे अहिंसा असाधारण सीमा तक घर कर चुकी है। मै समझता हूँ कि 'कुरान' की हरएक आयतमे उन्हे अहिंसाका सन्देश मिलता है। क्या सेनापतिके रूपमे मै उन्हे उनके भाग्यपर छोडकर उनके कैद हो जानेके प्रति दार्शनिको-जैसी उदासीनता बरत सकता हूँ? जवाहरलाल नेहरूको जेलमे डाल दिया गया है और सरदार वल्लभभाई पटेलको भी। चूकि वे मेरी सब बातोको मान लेते है, लोग खिल्ली उडाते हुए उन्हे गाधीका अन्धानुयायी कहते है। क्या आप समझते है कि उनमे बुद्धि नही है? वे मुझसे भी बडे बैरिस्टर रहे है। फौजदारी मामलोके वकीलके रूपमे उन्होने नाम कमाया है। जो-कुछ मैने कहा उसे उन्होने सही माना, क्योकि उन्हे इस बातका विश्वास था कि मेरा प्रस्ताव बुद्धिमत्तापूण है। क्या मै इन लोगोको जेलमे छोड दूँ और अपनेको या आप लोगोको फिरसे ऐशो-आरामकी जिन्दगी बसर करने दूँ? जिस उद्देश्यसे वे जेल गये हैं, मै उसी उद्देश्यके लिए आपको बाहर रहनेके लिए कहता हूँ।

लेकिन मै यह नही चाहता कि आप ऐशो-आरामकी जिन्दगी बसर करनेके लिए बाहर रहे। मै चाहता हूँ कि आप स्वेच्छासे गरीबी स्वीकार करनेके लिए बाहर रहे। आगे आनेवाले किसी भी सघषमे, आपके जो आश्रित पीछे रह जायेगे उनके लिए आपको भत्ते नही मिलेगे। जेलोसे बाहर कामकी कमी नही है। हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए आप अपना जीवन दे सकते है। क्या आप खादीकी उपेक्षा कर ग्रामीणोके लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी आशा रख सकते है? और फिर अस्पृश्यता की बात है। आप लोगोको, जो बाहर होगे, न तो आराम मिलेगा और न शान्ति ही मिलेगी। मैने आपके सामने एक भी बात ऐसी नही रखी है जो १९२० से अबतक काग्रेसके कार्यक्रममें शामिल न की गई हो। आप पहले उस कायक्रमको

१ ४ अगस्त, १९३३ को एक सालकी साधारण कैदकी सजा पानेके पश्चात् यरवदा जेलसे बिना शर्त रिहा होनेपर (देखिए खण्ड ५५, पृ० ३५८ ६०) गाधीजीने निश्चय किया था कि वे सत्याग्रह नही करेंगे और कैदकी शेष अवधिमें अर्थात् ३ अगस्त, १९३४ तक, हरिजन कार्य करेंगे।

पूरी तरह कार्यान्वित करे, आप केवल तभी मुझे यह कह सकेगे कि मै जेल न जाऊँ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २०-५-१९३४ और २१-५-१९३४

४. पत्र अमतुस्सलामको

[१९ मई, १९३४से पूर्व][1]

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,

तुम्हारा खत व तार मिले। डॉक्टर जीवराज [मेहता] पर खत भेजता हूँ। डॉ० शर्माको नही लिखता। इस तरह तुमको उनको बुलाना अच्छा नही है। किसी की जरूरत है तो बम्बईसे हो सकता है।

तुमने डॉ० शर्माके खुराकके बारेमे जो लिखा हे इस बारेमे मै उनको लिखता हू।[2] तुम्हारी तरफसे खत बराबर मिलते रहने चाहिए।

बापूकी दुआ

[पुनश्च]

उन्नीस तक पटना, बादमे कटक।

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९६) से।

५ प्रस्ताव . कौंसिल-प्रवेशके बारेमें[3]

पटना

१९ मई, १९३४

चूँकि काग्रेसमे ऐसे सदस्योकी सख्या बहुत ज्यादा है, जो विधान-सभाओमे प्रवेशको[1] जरूरी समझते है और देशकी प्रगतिमे इसे लक्ष्यकी ओर उठाया गया एक कदम मानते है, अत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पण्डित मदनमोहन मालवीय और डॉ० मु० अ० अन्सारीको इस कामके लिए नियुक्त करती है कि वे डॉ० मु० अ० अन्सारीकी अध्यक्षतामे काग्रेस ससदीय बोड नामसे एक बोडका गठन करे।

१ "पुनश्च" से।

२ देखिए "पत्र हीरालाल शर्माको", पृष्ठ २०।

३. कार्यकारिणी समितिकी सुबहकी बैठकमें स्वीकृत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक तीसरे पहर तीन बजे राधिका सिंह इन्स्टीटयूट पटनामें हुई थी। बैठकमें यह प्रस्ताव गांधीजी द्वारा रखा गया था। डॉ० मु० अ० अन्सारीने इसका अनुमोदन किया था। प्रस्ताव पर गांधीजीके भाषणके लिए देखिए अगला शीर्षक।

बोर्ड काग्रेसकी ओरसे विधान-सभाके सदस्योके चुनावो पर नियन्त्रण रखेगा और कोषमे वृद्धि करने, उसकी देखरेख तथा तत्सम्बन्धी कामके लिए उसके उपयोग का उसे अधिकार होगा। बोर्ड अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके अधीन होगा और उसे इसका सविधान बनाने, समय-समय पर इससे सम्बन्धित मामलोके इन्तजामके लिए नियमादि बनानेका अधिकार होगा।

सविधान और नियमो तथा व्यवस्थाओको स्वीकृतिके लिए कायकारिणी समितिके सामने रखा जायेगा, लेकिन स्वीकृति मिलनेसे पहले भी यह लागू होगा। जो लोग समय-समय पर निर्धारित काग्रेस-नीतिको विधान-सभामे रखनेका वचन देगे, बोड उन्ही उम्मीदवारोको चुनेगा।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २०-५-१९३४

६. भाषण : अ० भा० का० कमेटीकी बैठक, पटनामें – २[1]

१९ मई, १९३४

यह ठीक ही है कि यह प्रस्ताव[2] पेश करनेके लिए मुझसे कहा गया है, क्योकि जहाँतक मेरी जानकारी है विधान-सभाओके बहिष्कारका विचार मेरे ही दिमागकी उपज है। बहिष्कारका दृढतासे पालन करनेके लिए मैने काग्रेसमे अपने कुछ सम्मानित साथियोके साथ वर्षों सघर्ष किया। लेकिन थोडे-से प्रभावशाली व्यक्तियोने इसे हमेशा गलत ही समझा।

इसलिए, पिछले साल जुलाईमे पूनाकी अनौपचारिक सभा[3]मे जब हम मिले और सर्वश्री सत्यमूर्ति और आसफअलीने मुझसे कहा कि मै कौसिल-प्रवेशका बहिष्कार समाप्त कर दूँ, तो मैने उन्हे सुझाव दिया कि वे काग्रेसियोका एक कौसिल-प्रवेश दल सगठित करे।

आइए, बहिष्कारके इतिहास पर हम एक नजर डाले। १९२० मे देशने इसे अपनाया। देशको इसने नया जीवन प्रदान किया, जिसकी आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति किसीसे भी छिपी नही रही। लेकिन १९२२ मे जब सविनय प्रतिरोध स्थगित कर दिया गया, तो कौसिल-प्रवेश कार्यक्रम सामने आया और फिर उसने स्वराज्य पार्टीका रूप ग्रहण किया। पहले तो उस पार्टीने काग्रेससे मान्यता प्राप्त की और १९२६मे वह उसकी सर्वाधिकारिणी बन गई।

१९२९ मे काग्रेस विधान-सभा दलके नेता पण्डित मोतीलाल नेहरूके आग्रह पर, विधान-सभाका पुन बहिष्कार किया गया। लेकिन तब भी काग्रेसके अन्दर एक ऐसा

१ गाधीजीने भाषण हिन्दीमें दिया था।

२ देखिए पिछला शीर्षक।

३ देखिए खण्ड ५५, पृ० २७४ तथा २७६-८।

गुट था जो पुन बहिष्कार नही चाहता था। और अब, जबकि सविनय प्रतिरोध व्यवहारत स्थगित कर दिया गया है, विधान-सभाओमे वापसीकी मागसे डॉ० अन्सारी सरीखे पुराने और अपरिवर्तनवादी नेताके नेतृत्वमे स्वराज्य पार्टी पुन जीवित हो उठी है।

मै अपनेको व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूँ। विधान-सभाओमे मेरा अविश्वास बना रहेगा, क्योकि मै उन्हे स्वराज्यकी — जनताके लिए हितकारी स्वराज्यकी प्राप्तिका साधन नही मानता। लेकिन मै देख रहा हूँ कि कुछ काग्रेसियोकी कौसिल-प्रवेशमे आस्थाको डिगानेमे मै सफल नही हो पाया हूँ। इसलिए अब सवाल यह है कि उन्हे, काग्रेस-प्रतिनिधियोकी हैसियतसे, विधान-सभाओमे प्रवेशकी अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए या नही। मुझे इसमे बिलकुल सन्देह नही है कि जो मान्यता वे चाहते है वह उन्हे मिलनी चाहिए। मान्यता न देनेका मतलब है हमारे बीच जो प्रतिभाएँ है, उनका उपयोग न करना। ये देशभक्त उस तथाकथित राजनीतिक कायके अभावसे निष्क्रिय बने रहे तथा इनके अन्दर असन्तोष भरता गया। यद्यपि ये हर तरहसे हमारी ही तरह पक्के देशभक्त है। इनके असन्तोषका प्रभाव औरो पर भी पडा और पूरे वातावरणमे एक जडता व्याप गई। ऐसा इसलिए हुआ कि काग्रेसियोने, समग्र रूपसे, चरखे जैसे शुद्ध रचनात्मक कार्यको खुले मनसे कभी नही अपनाया। मेरा इस परिस्थितिको तटस्थ भावसे देखते रहना सम्भव नही था। इसलिए डॉ० अन्सारीने जब मुझे लिखा, तो उन्हे काग्रेसियोका एक ससदीय दल सगठित करनेको प्रोत्साहित करनेमे मुझे कोई झिझक नही हुई। अब सरकारकी अनुज्ञासे हम एक वैधसगठनके रूपमे एकत्रित हुए है। इसलिए यह उचित ही है कि हम डॉ० अन्सारीके प्रयासको मान्यता दे। इसलिए यह प्रस्ताव आपके सामने है।

सविनय प्रतिरोधके व्यवहारत स्थगित हो जानेसे यह प्रस्ताव और भी आवश्यक हो जाता है। व्यवहारत मै इसलिए कहता हूँ कि अब यह कडाईसे एक व्यक्ति तकही सीमित है। इस प्रस्ताव द्वारा हम एक बोडकी स्थापना कर रहे है, जिसे विधान-सभाओके कायके सचालनकी जिम्मेदारी दी जायेगी। अखिल भारतीय चरखा सघकी तरह, यह एक स्वायत्त निकाय होगा। केवल एक ही अन्तर रहेगा। अखिल भारतीय चरखा सघके कायमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी या काग्रेस हस्तक्षेप नही करती है, परन्तु ससदीय दल अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके अनुशासनमे कार्य करेगा, क्योकि उसे समय-समय पर देशमे पैदा होनेवाले राजनैतिक प्रश्नो पर अपनी राय व्यक्त करनी होती है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी स्वभावत यह चाहती है कि विधान-सभाओमे उसका राजनैतिक मत ससदीय दलके माध्यमसे प्रतिबिम्बत हो। इसलिए वह विधान-सभाओमे काग्रेसियोसे यह अपेक्षा रखेगी कि वे उसके मतको व्यक्त करे। अन्य सब बातोमे वह एक स्वायत्त निकाय होगा।

कुछ प्रान्तीय काग्रेस समितियोने यह राय जाहिर की है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी एक पृथक बोर्ड बनानेकी बजाय, कौसिलके कार्यकी खुद ही जिम्मेदारी ले ले। कार्य-समितिने इस सुझाव पर विचार किया है और इसे अव्यावहारिक मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।

मुझे बराबर यह आशा रही है कि सभी काग्रेसी विधान-सभाओमे प्रवेश करना नही चाहते है और ससदीय मनोवृत्तिवाले वर्गकी कौसिलोमे जितनी आस्था है, हम सबकी उतनी नही है। अभीतक मैने आपके आगे कौसिलोमे जानेवालोका दृष्टिकोण रखनेकी कोशिश की है। उन्हे आशा है कि कौसिलोके द्वारा वे राष्ट्रके लिए सीमित लाभ प्राप्त कर सकते है। मुझे इस बातमे जरा भी सन्देह नही है कि वह लाभ, उसके लिए जो शक्ति खच होगी उसकी तुलनामे क्षुद्र ही होगा। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको पूर्णतया एक ससदीय निकाय ही नही बन जाना चाहिए। उसे काग्रेस-जनोकी सभी राष्ट्रीय गतिविधियोका प्रतिनिधित्व और नियमन करना चाहिए। उसे १९२० के महान् रचनात्मक कार्यक्रममे रुचि लेनी चाहिए, जिसमे खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता, मद्यनिषेध, राष्ट्रीय शिक्षा, ग्राम-सगठन, ग्रामोद्योग, औद्योगिक मजदूर, आदि कार्य शामिल है। ससदीय कायको, जिनका उधर झुकाव हो उनके लिए छोड देना चाहिए। मुझे आशा है कि ज्यादातर लोग तो कौसिलके कायकी चकाचौधसे सदा अप्रभावित रहेगे।

अपनी जगह पर वह काय उपयोगी होगा। परन्तु काग्रेसने यदि अपना सारा ध्यान विधान-सभाके काय पर ही लगा दिया, तो वह उसके लिए आत्महत्या जैसा होगा। स्वराज्य उस मागसे कभी नही आना है। स्वराज्य तो केवल जन-साधारणकी सर्वागीण चेतनासे ही आ सकता है।

आज तीसरे पहर दो साथियोने मेरे पास आकर बडे ही उत्तेजित ढगसे इसका विरोध किया। उन्हे भय था कि कार्यकी मौजूदा दिशा अन्तमे पूरी काग्रेसको ही एक कौसिलगामी पार्टीमे बदल देगी। मैने कहा कि मुझे ऐसा कोई डर नही है। 'परिवर्तन-विरोधी' यदि तडक-भडकवाले कौसिल कार्यक्रमसे होडमे टिक नही सकता, तो उसकी आस्था अवश्य ही दुर्बल है। इसलिए मै ऐसा महसूस करता हूँ कि मैन जो प्रस्ताव पेश किया है, वह परिस्थितिके बिलकुल अनुरूप है। रॉचीके स्वराज्यवादी प्रस्ताव[1]को स्वत पर्याप्त और इसीलिए पूर्ण होना था। वह इस सुदूर सम्भावनाको दृष्टिमे रखते हुए पास किया गया था कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक कभी भी नही ही सकेगी। चूँकि उसकी बैठक हो सकी है, इसलिए कार्य-समितिका प्रस्ताव ही रॉचीके फैसलेकी पुष्टिका सबसे उपयुक्त मार्ग है। राँची-प्रस्तावके लिए जो करना जरूरी था, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको उसे दोहरानेकी जरूरत नही है।

एक सवाल यह पूछा गया है कि दो सदस्योको अन्य सदस्योको नियुक्त करनेका अधिकार क्यो दिया गया है। मैने सदा यह देखा है कि सुव्यवस्थित लोकतन्त्रमे जिन्हे कोई अधिकार दिया जाता है उन पर यह विश्वास किया जाता है कि वे उस अधिकारका न्यायोचित ढगसे उपयोग करेगे। प्रस्तावमे उल्लिखित इन दो सज्जनोकी ईमानदारी पर यदि आपका विश्वास है, तो आपको इन पर यह भी विश्वास रखना चाहिए कि वे बोडमे पूणतया योग्य व्यक्तियोको ही नियुक्त करेगे। ऐसे सदस्योको इन पर थोपना जो इनके साथ जितना ये चाहते है उतना सहयोग

१ २ और ३ मई, १९३४ को हुए स्वराज्यवादियोके सम्मेलनका प्रस्ताव देखिए पृष्ठ १४ भी।

न कर सके, गलत होगा। किसी विशेष प्रशासनकी बागडोर जब हम किसीके हाथमे देते है, तो उसे अपने सहयोगियोको आप चुननेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। काग्रेसने मेरी सलाह पर इसे अपनी एक परम्परा बना लिया है। कार्यकारी समितिके बारेमे इस नियमको सविधानमे शामिल करनेकी मेरी हिम्मत नही हुई। पर अनुभवसे हमने यह जाना है कि यह परम्परा अच्छी तरह काम करती है। अध्यक्ष अपने सहयोगी आप चुनता है। उस चुनावके लिए आपकी स्वीकृति केवल एक औपचारिकता बन गई है।

बिहार भूकम्प-समितिकी जब बैठक हुई तो मै एक कदम और आगे बढ गया, और एक प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष राजेन्द्र बाबूको अपने सहयोगी आप चुननेका अधिकार दे दिया गया। बोर्डकी स्थापनाके बारेमे भी मै इसी काय-विधिकी सलाह देता हूँ।

अब दो शब्द यह प्रस्ताव पास करनेकी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी क्षमता के बारेमे। अध्यक्ष अपनी व्यवस्था दे ही चुके है। मै इस कार्यवाहीकी इसके गुणोके कारण वकालत करना चाहता हूँ। यदि आज काग्रेसका अधिवेशन हो रहा होता, तो स्वभावत अपने किये को केवल वही रद्द कर सकता था। परन्तु आपत्कालमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको वह सब काम करना होता है जो काग्रेस अपने अधिवेशनमे कर सकती है। अपने ऊपर आई जिम्मेदारीसे वह कन्नी नही काट सकती। यदि काग्रेस चाहे तो अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके कार्यो पर फिरसे विचार कर सकती है। काम करनेका जब आपको अधिकार है और वह आपका कर्त्तव्य भी है, तो आप राष्ट्रपर एक अधिवेशन बुलानेका खर्चा नही डाल सकते।

मै आपको सशोधनोकी अच्छी तरह जाँच करनेसे नही रोकना चाहता। सदस्योका यह अधिकार है कि वे सशोधन सुझाये। परन्तु प्रस्ताव पेश करनेवाला सदस्य यदि आपके सशोधन स्वीकार न कर सके, तो उस हालतमे बेहतर यही हे कि वे वापस ले लिये जाये। और यदि सशोधनोको स्वीकार न करनेके उसके कारण आपको जँचते न हो, तो फिर वह प्रस्ताव ही अस्वीकृत कर देना चाहिए। किसी कुशलसे कुशल चितेरेने भी अभीतक कोई ऐसा चित्र नही बनाया है, जिसकी कुछ-न-कुछ आलोचना न हुई हो। सभी सुझावोको यदि उसे अपने चित्रमे स्थान देना पडे, तो वह चित्र मात्र पुताई हो जायेगा। बहुत झझटके बाद तैयार किया गया प्रस्ताव उस चित्रकी तरह है जिसे या तो अस्वीकार करना होगा या स्वीकार। जबतक उसके प्रणेताको ही अपनी गलतीका विश्वास न हो जाये, उसमे हेरफेर नही हो सकता।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २३-५-१९३४

७ भेंट : 'हिन्दू'के प्रतिनिधिको

२० मई, १९३४

गाधीजी बहुत सवेरे सियालदह एक्सप्रेस गाडीसे पटनासे रवाना हुए। उन्हे बहुत-से लोगोने विदाई दी। थके हुए होनेके बावजूद, वे हर स्टेशनपर अपना हाथ खिडकीसे बाहर निकालकर हरिजन-कार्यके लिए पैसे माँगनेसे नहीं चूकते थे। केवल थोडी देरके लिए वे सो गये थे। उतनी ही देर इस कार्यके लिए वे पैसा नहीं माँग पाये। उन्हे पर्याप्त मात्रामें रुपये भी मिले। हर दर्शनार्थीसे वे रुपये माँगते थे और यदि कोई थोडी देर बात करना चाहता तो उसकी कीमत नकद दस रुपये थी। उन्होने कहा

गाडियोमे मै हरिजनोके लिए चन्दा इकट्ठा करनेके सिवा और कुछ नही करता हूँ।

मोकामेह स्टेशनपर एक बगाली सज्जन तेजीसे भागते हुए आये और उन्होने गाधीजीसे कहा कि वे हरिजन-निधिके लिए १,००१ रु० देना चाहते हैं। महात्माजी प्रफुल्लित हो गये और उन्होने अपना हाथ फैलाया। बगाली सज्जनने कहा "परन्तु इसे लेनेके लिए आपको कलकत्ता आना पडेगा। हम इससे भी बहुत ज्यादा देंगे।"

सवाददाता चूकि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि आपके ७ अप्रैलके वक्तव्यको स्वीकार कर लिया जाये और आपको काग्रेसकी ओरसे एकमात्र सविनय प्रतिरोधी बना दिया जाये, तो क्या आप कृपापूर्वक यह बता सकते है कि यदि आप इसे कायरूप देना चाहेगे तो कैसे और कब?

गाधीजी इसे कार्यरूप कैसे दूगा सो मै आपको नही बता सकता, क्योकि मै स्वय नही जानता। जहॉतक तारीखका सम्बन्ध है, वह तो जब मुझे यरवदा जेलसे रिहा किया गया था तभी नियत हो गई थी। इसके आगे जैसे बाकीके लोग कुछ नही जानते वैसे मै भी कुछ नही जानता। फिर भी रिहा होनेके वक्त मैने जो कहा था उसपर मै दृढ हूँ और मै कहूँगा कि सविनय अवज्ञा अनिवार्य न हो, इस उद्देश्यके लिए प्रयत्न करनेमे मै कोई कसर उठा नही रखूगा।

सवाददाता आपका प्रस्ताव[1] जिसमें कौंसिल-प्रवेशकी अनुमति है, रॉंची प्रस्तावसे इस दृष्टिसे अलग पडता है कि आपके प्रस्तावमें श्वेत पत्रका कोई उल्लेख नहीं है और उसके प्रति काग्रेसके रुखकी व्याख्या भी उसमें नहीं की गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रॉंची-प्रस्तावके अतिरिक्त इस प्रस्तावका क्या

१ देखिए पृ० ८-९।

महत्त्व है और आपके मतमें अब कांग्रेसियोको रॉची-प्रस्तावके प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए?

गांधीजी रॉची-प्रस्ताव एक स्वतन्त्र प्रस्ताव था। उससे स्वराज्यवादी-अपने मनकी बात जान सकते थे और अनिवार्य परिस्थितियोमे यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे मान्यता प्राप्त करना असम्भव होता, तो भी वे काम कर सकते थे। परन्तु अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठककी अनुमति मिल जानेपर उसके लिए रांची-सम्मेलनके प्रस्तावोको स्वीकार करनेका सवाल ही नही रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका कौन्सिल-दलको आत्मसात कर लेना और कांग्रेसके राजनीतिक कायक्रम को चलानेके उद्देश्यसे उसे अपनी एजेंसीमे बदल देना काफी है। श्वेत-पत्रके प्रति कांग्रेसके रुखकी व्याख्या करना अनावश्यक हे, क्योकि वह तो सर्वविदित ही है। कांग्रेस ऐसी कोई चीज स्वीकार नही कर सकती जो उसके उद्देश्य, अर्थात् पूण स्वराज्य-प्राप्तिसे मेल न खाती हो।

यह पूछे जानेपर कि क्या वह वे चाहते हैं कि स्वराज्य-दलको भंग कर दिया जाये, महात्माजीने उत्तर दिया

आपके पिछले प्रश्नके उत्तरमे इस प्रश्नका उत्तर आ गया है। स्वराज्यदल कांग्रेस-संगठनका ही हिस्सा बन गया है।

भेंटके समाप्त होने तक गाडी जहाज्ञा पहुँच चुकी थी। याद रहे कि कुछ समय पहले यहाँ हरिजन-विरोधी प्रदर्शनमें महात्माजीकी मोटर-गाडी पर पत्थर फेंके गये थे, और उसकी शीशेकी खिडकी टूट गई थी। आज इस जगह अत्यन्त मित्रतापूर्ण वातावरण था। प्लेटफार्म पर एक हजारसे ज्यादा लोग इकट्ठे थे और लगातार "महात्मा गांधीकी जय" चिल्ला रहे थे तथा हरिजन-आन्दोलनके प्रवर्तक पर फूल बरसा रहे थे। बहरहाल, गांधीजीने जनसमूहसे कहा वे फूल नहीं पैसा चाहते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २१-५-१९३४

८ भेंट . 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिको[1]

२१ मई, १९३४

प्र० अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके बारेमें आपकी क्या धारणाएँ हैं ?

उ० दोनो प्रस्तावोके क्रान्तिकारी स्वरूपको दृष्टिमे रखकर आलोचना मर्यादामे रही और मतदानसे यह स्पष्ट हो गया कि सदस्योने परिस्थितिको समझकर उत्तर-दायित्वपूर्ण भावनाका असाधारण परिचय दिया है। लोगोकी उपस्थिति भी काफी अच्छी थी।

प्र० क्या आप ऐसा समझते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आपको इजाजत मिल जानेपर, उसके अनुरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करना आपके लिए जरूरी हो जायेगा ?

उ० अब फिर ३ अगस्त हमारे सामने है, लेकिन उस दिन क्या होगा मै ठीक नही बता सकता।[2] अभी मैंने कोई कार्यक्रम तय नही किया है। उस दिन तक मुझे पर्याप्त काम निबटा देने हैं।

प्र० समाजवादी गुटके कांग्रेसमें विलयके बारेमें आप क्या सोचते हैं ? इस बारेमें क्या आप कोई सन्देश देंगे ?

उ० मै विलयका स्वागत करता हूँ। अगर दलने सयमसे और देशके विशेष हालातको ध्यानमे रखकर काम किया, और मुझे यकीन है कि वह करेगा, तो परिणाम अच्छा ही होगा। मै समझता हूँ कि वे लोग हिंसात्मक तरीके छोडकर अहिंसात्मक तरीकोको अपनानेके लिए वचनबद्ध हैं।

प्र० देशको अपनी सलाहके सन्दर्भमें आप पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई और अब्दुल गफ्फार खाँसे क्या उम्मीद रखते हैं ?

उ० मुझे इसमे सन्देह नही कि अगर वे बाहर होते तो वैसा ही करते जैसा मैंने किया। आज तो वे जेलमे हैं, अर्थात् बाहरकी परिस्थितिसे अनभिज्ञ हैं। यहाँकी कार्यवाहीको प्रत्यक्ष देखे बिना वे क्या सोचेगे, ऐसा पूछना अनुचित है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २२-५-१९३४

१ गांधीजी बीरीमें उतरे और गांधी सेवा आश्रम चम्पापुरहाट तक पैदल गये। उस दिन मौन दिवस होनेसे उन्होंने प्रश्नोंके जवाब लिखकर दिये।

२ देखिए पृ० ७की पाद टिप्पणी।

९. पत्र : जमनालाल बजाजको

२१ मई, १९३४

चि० जमनालाल,

एलविन[1] का पत्र पढ गया। टिकट-खर्च बचानेके लिए उसे अलग डाकसे लौटा रहा हूँ। इनकी सस्था देखनेके बाद इन्हे मदद देनी पडेगी, ऐसा लगता है। इनके पास जो रुपये आते है, वे कहाँसे? ये गायन सिखाते है सो किस तरह? इनके साथ शामरावके अलावा और कौन है?

ऐसा मालूम होता है कि इनकी मासाहार किये बिना गति नही है। इनकी ऐसी श्रद्धा नही है कि दूध-फल पर निर्वाह हो सके। परन्तु ये कुछ भी खाये, इस कारण इनकी मदद बन्द करनेका कोई प्रयोजन नही है। परन्तु कताई बन्द हो जाये या हल्की पड जाये तो यह सहन नही किया जा सकता। यदि कताईमे इनका विश्वास न हो तो उसे छोड देना चाहिए। मै यह नही कहता कि ये काते तभी मदद दी जाये, आशय यह है कि ये सत्यकी रक्षा करे। देखना इतना ही है कि काम सब स्वच्छ हो। एलविन सीधे-भोले है, इसलिए आत्मवचना कर सकते है। इसीलिए इस बातकी आवश्यकता है कि मित्र लोग इनकी देखभाल करे।

डॉ० अन्सारीकी पार्टी[2] का निश्चय हो गया होगा। जबतक इसका स्पष्टीकरण न हो जाये, तबतक उसमे दिलचस्पी अवश्य लेते रहना। राजाजी भी दिलचस्पी ले। मालवीयजीको अन्दर लानेके बाद मदद भी देनी होगी और यह भी देखना होगा कि वे नुकसान भी न करने पाये। विलम्ब या जल्दी करके वे नुकसान पहुँचा सकते है।

जुलाई तकका कायक्रम तो देख लिया न? इसके अनुसार काय करनेसे लोग मुझसे कई जगह मिल सकेगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३३) से।

१ वेरियर एलविन।

२ कांग्रेसने केन्द्रीय विधान-सभाके चुनाव लडनेके लिए डॉ० अन्सारीकी अध्यक्षतामें ससदीय बोर्ड बनाया था।

१०. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

चम्पापुरहाट, (उत्कल)
२२ मई, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आपका पत्र परसो मिला। इस समय ३ बजे है। [1] आश्रममे सब सो रहे हैं। कल (सोमवारको) यहाँ पहुँचे। समाजवादी दलके हमारे मित्र मसानी साथ हैं। वे आज वापस बम्बई चले जायेगे। अगाथा[2] भी साथ है। चार-पाँच दिन मे जायेंगी। सेरेसोल[3] आज आ पहुँचेगे। दो-चार दिन हमारे साथ रहेगे। म्यूरियल[4] भी आयेगी। दो दिन रह कर जायेगी। दूसरे यहाँके जो लोग साथ हैं, उनके नाम नही दे रहा हूँ। यह (पद) यात्रा १२ तारीखको बालासोरमे पूरी होगी। इसके बाद पैदल चलना छोडकर प्रत्येक प्रान्तको थोडे-थोडे दिन देना तय किया हे। वहाँ कार्य एक स्थान• पर बैठकर करना है। १४ तारीखको बम्बई पहुँचना है। वहाँसे १७ को पूना और २६ को अहमदाबाद। वहाँसे सिन्ध। तीन दिन सिन्ध रहकर, तीन दिन लाहौर और वहाँसे यू०-पी०। इसीके साथ कार्यक्रमकी एक प्रति रख रहा हूँ। इसमे फेरफार हो सकता है। सब प्रान्तोके आदमियोको पटना बुला लिया था। उनका खयाल था कि मुझे उनके प्रान्तोमे तो जाना ही चाहिए। अन्तमे यह निणय किया कि सब प्रान्तोमे थोडे दिन एक-एक जगह ही जाकर बैठू। ये महीने बरसातके होगे, इसलिए पैदल चलना मुश्किल हो सकता है। पटनाका हाल तो आपने पढ लिया। जो हुआ सो ठीक ही हुआ समझिये। लोगोकी यही इच्छा थी। केवल मेरे हाँ कहनेकी प्रतीक्षा की जा रही थी। परन्तु आरम्भ होते ही झगडे भी शुरू हो गये हैं। अन्सारी और मालवीयजीकी भलमनसाहत और सहनशीलताकी हद नही, डॉ० रायके तेज स्वभावका पार नही। अब देखे क्या होता है। इसके साथ सुशीला[5] का लिखा शब्द-चित्र भेजूगा। शायद ओम[6] भी लिखेगी। अगाथासे लिखनेके लिए कहूँगा।

बा छूट गई। वह वर्धासे दिल्ली होकर कही-न-कही साथ हो जायेगी।

१ साधन सूत्रमें छूटा हुआ है।

२ अगाथा हैरिसन।

३ पियरे सेरेसोल, स्विट्जरलैंडवासी इन्जिनीयर, बिहार भूकम्प सहायता कार्यके सम्बन्धमें भारत आये थे।

४ म्यूरियल लेस्टर।

५ श्री सुशीला पै, राजकोट वनिता विश्रामकी मुख्याध्यापिका। बादमें कस्तूरबा स्मारक निधिकी मन्त्री।

६ उमादेवी बजाज।

बाढ-सकट-निवारण कोषका जो रुपया है, उसमेसे ५,००० इसी प्रकारके हरि-जन-सकटके लिए मैने खर्च करना चाहा। परन्तु मैने सुना कि आपने उसमेसे कुछ भी खर्च करनेकी मनाही की है। इसलिए एक हजार ही मिले। और रुपये लेनेसे पहले आपसे ही पूछ लेना ठीक मालूम हुआ। इस बारेमे जो याद हो या इच्छा हो सो लिखिये।

सुरेन्द्र[1] वर्धामे उपवास कर रहा है, केवल स्वास्थ्य सुधारनेके लिए। जेलके भोजनने बडे-बडे महारथियोके शरीर तोड दिये। नारणदासकी नाकसे खून बहता था। बूढे जैसे होकर बाहर आये। स्वामीका फौलाद जैसा शरीर भी टूट गया। सुरेन्द्रका भी वैसा ही हुआ। निरे स्टाच और तेलसे काम नही चला। मै देखता हूँ कि दूध-दहीके बिना काम नही चलता। मणिलालकी सुशीलाको लडका हुआ है। मणिलालने आज तक खबर ही नही दी। इस वशवृद्धिमे मेरी तो दिलचस्पी ही नही रही। अगर कुछ होता है तो गहरा उद्वेग। फिर भी यह कहनेसे कि कुदरतको कौन रोक सकता है या यूरोपकी पद्धति (सन्तति-नियमनकी) ग्रहण करके 'चारु-लोचने! चलो, आनन्द मनाये और उसका परिणाम रोके' की वृत्ति अपनानेसे मुझे तो नही लगता कि शुद्ध ज्ञान मिल सकता है। जबतक मृत्यु अजित है, तबतक मनुष्य जो-कुछ करता है सब बेकार है। इसीलिए ईशोपनिषद्का पहला मन्त्र लिखा गया। वह ध्यानमे हे न? शायद आपको याद होगा कि मै यह उपनिषद् जेलमे रटता था और रोज उसका पाठ करता था। याद न हो और चाहो तो भेज दूँगा। उसमे कुल अठारह मन्त्र है। इतनेमे ही सारा ज्ञान भर दिया गया है। इसमे और गीतामे भेद नही है। जो इसमे बीजरूपमे है, वह गीतामे सुन्दर वृक्षके रूपमे दिया गया है। अब और आगे नही लिखूगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ १०२–३

१ एक आश्रमवासी।

११ पत्र : अमृतलाल चटर्जीको[1]

२२ मई, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४४७) से, सौजन्य ए० के० सेन।

१२ पत्र . लालजी परमारको

२२ मई, १९३४

चि० लालजी,

तेरा पत्र मिला। (पढ़कर) प्रसन्नता हुई। तू सावधानीसे रहे और निरन्तर चंगा होता चला जाये, तो मैं समझूं कि मेरा काम हो गया। मुझे लिखते रहना। तुझे वेतन क्या मिलता है? और तू किस तरह रहता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२९६) से।

१३. पत्र . मार्गरेट स्पीगलको

२२ मई, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारी संगिनी गिलहरीकी मृत्युपर मेरी संवेदना। तुम्हारा यह सोचना ठीक है कि तुम्हारे इर्द-गिर्द रहनेवाले लोग जिस सिद्धान्तकी डींग हाँकते है, उसके अनुरूप आचरण नही करते। वे ऐसा महसूस नही करते कि हिंसा करनेसे बचना-भर काफी नही है। पीडितोके प्रति सक्रिय सहानुभूति दिखाना जरूरी है।

१ अमृतलाल चटर्जीके अनुसार सविनय प्रतिरोधकों और हरिजन उन्होंने सेवकोंके बारेमें श्री गांधीजी को एक रिपोर्ट भेजी थी। यह उसीकी प्राप्ति स्वीकृति है, देखिए खण्ड ५७, "पत्र अमृतलाल चैटर्जीका", २३ अप्रैल, १९३४।

मेरे लिए तुम्हे चिन्तित नही होना चाहिए। अभियानका फल मेरे लिए अच्छा होगा। मैं बिलकुल ठीक हूँ।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च]

सलग्न[1] पत्र लालजीके लिए, जो वही रह रहा हे।

[अंग्रेजीसे]

स्पीगलके कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय।

१४ पत्र : हीरालाल शर्माको

[१९ तथा][2] २३ मई, १९३४

भाई शर्म्मा,

अमतुस्सलाम तुमारी तारीफ करती है। इतनी ही शिकायत वह लिखती है कि तुमारा वजन बहूत कम हो गया है। खाना कम कर दिया है। मैं इतना हि कहना चाहता हू कि शरीरको निरर्थक कष्ट देना इतना हि गुनाह है जितना शरीर-को पपालना। इसलिये शरीर रक्षाके लिये जो आवश्यक है वह किया जाय।

इतना तो चार दिनोके पहले[3] लिख चुका था। अब तुमारा खत मिला है। दिल चाहे तब मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन वहाँके मरीजोको छोडकर नहिं। मेरा मुसाफरी क्रम तो तुमारे पास होगा। जुन १२ तक तो यही काम चलेगा। पीछे शायद मुबई।

तुमारी इच्छा सिद्ध होनेमे कुछ देर लगेगी। मैं चाहता हूँ थोडे और स्थिरचित्त बनो। लेकिन यह सब बाते करनेपर। इस समय तो सबका प्रेम सपादन कर रहे हैं सो अच्छा ही है।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ६८ और ६९ के मध्यकी प्रतिकृतिसे।

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ विषय वस्तुसे अनुमानित।

३. अर्थात्, १९ मई, १९३४ को।

१५ पत्र : क० मा० मुन्शीको[1]

लखनपुर
२३ मई, १९३४

मैंने मन्दिर-प्रवेश विधेयकपर आपका लेख पढ लिया है और उसकी विचार-सारणी मुझे पसन्द आई है। अब उसका परिमार्जन करके और जितना बने उतना सक्षिप्त करके आप मेरे पास भेजे तो मै उसे 'हरिजन'मे प्रकाशित करा दूंगा।

श्रीयुत कन्हैयालाल मुन्शी
गिलबर्ट बिल्डिग
बबूलनाथ रोड, बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५३८) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी।

१६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

[२३ मई, १९३४][2]

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। भावनगर आना नही होगा। पदयात्राने सब कुछ बदल दिया है। जिन-जिन प्रान्तोमे जाऊँगा, वहाँके एक-एक शहरमे ही ठहरे रहकर जो हो सकेगा, सो करूँगा। पदयात्रा चौमासेमे हो नही सकती, और सभी प्रान्त अपना-अपना हिस्सा चाहते है, इसलिए उपरोक्त बीचका माग निकाला है। आप कुशल होगे। अपनी थैली तो आप शायद अहमदाबाद भेजेगे। यहाँ भेजे, तो भी कोई हर्ज नही।

मोहनदास

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३२) से। सी० डब्ल्यू० ३२४८ से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी।

१ यह सन्देश सुशीला पै द्वारा इसी तारीखको श्री मुन्शीको लिखे गये पत्रमें भिजवाया गया था।
२ डाककी मुहरसे।

१७ पत्र वसुमती पण्डितको

२३ मई, १९३४

चि० वसुमती,

मेरा पत्र न मिलनेसे तू दुखी होती है, यह कैसे निभेगा? मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि तुझे सबके बादमें लिखू तो भी कोई हर्ज नही। मेरी इच्छा है कि तू वही रहकर अपना स्वास्थ्य ठीक कर ले। डाक्टर शर्मापर विश्वास जम गया हो, तो उनका इलाज जारी रख। और अन्य तकलीफोसे दु खी न होना, अब तो तुझे सीख लेना चाहिए।

सुरेन्द्रसे कहना कि यदि डॉक्टर शर्माका इलाज चल रहा हो, तो अभी उसे मेरे पास आनेकी जरूरत नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३८६) से। सी० डब्ल्यू० ६३१ से भी, सौजन्य वसुमती पण्डित।

१८. पत्र पी० निरुपमाको

२३ मई, १९३४

चि० निरुपमा,

तुमारा खत मिला। तुमारी भाषा अच्छी है। जेवर अनावश्यक है, जेवरसे लडकीया बाह्य सौन्दय पर मुग्ध होती है। गरीब मुलकमे जेवरका शोख कम होना चाहिये। यह सब कारण जेवरके विरोधमे है।

बापूके आशीर्वाद

कुमारी पी० निरुपमा[1]
मारफत पी० मजुनाथ नायक[2]
सुदामा कुटीर, उडीपी[3]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ९२२३) से।

१, २, ३ साधन-सूत्रमें यह रोमन लिपिमें है।

१९ तार : जेल महानिरीक्षकको

सालीपुर
२४ मई, १९३४

जेल महानिरीक्षक
पूना

अभी-अभी मालूम हुआ है कि हैदराबाद जेलमे काकासाहब कालेलकरके वजनमे कमी आ गई है और वे बीमार है। यह भी कि खुली हवामे सोनेकी उन्हे इजाजत नही है। सही स्थितिके बारेमे कृपया तार दे।

गाधी

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्सट्रेक्ट्स होम डिपार्टमेन्ट, स्पेशल ब्राच, ८०० (४०) (४), भाग – २, पृ० १७७।

२०. पत्र : डी० के० कर्वेको

कटकके पते पर
२४ मई, १९३४

प्रिय प्रो० कर्वे,

पिछली १५ मईका आपका पत्र अभी-अभी मिला है। अगर आप और स्वर्गीय सर विट्ठलदासकी वसीयतके निष्पादकोके बीच चल रहा झगडा आपसमे तय हो जाये तो मुझे बडी खुशी होगी। और यह आपसमे तय हो या नही, आपके विश्वविद्यालयके लिए चन्देके निमित्त उदार प्रतिक्रियाकी जो अपील की गई है, उसे तो मै पसन्द करूँगा ही। यह दु खकी बात है कि आप-जैसा अद्भुत परिश्रमी और अपने आदर्शके प्रति महान श्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति ऐसे कार्यके लिए जिसके निमित्त उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया हो धनकी कमी महसूस करे। जिस ओरसे आपको मददकी

आशा नहीं है यदि उस ओरसे मदद पानेमें आपको इस पत्रसे सहायता मिल सके तो मुझे खुशी होगी।

आपका,

मो० क० गांधी

प्रो० डी० के० कर्वे
श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी
इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी
यरण्डवाना, कर्वे रोड पूना – ४

[अंग्रेजीसे]

महात्मा, खण्ड – ३, पृ० ३४४के सामनेकी प्रतिकृति।

२१ पत्र : जी० वी० सुब्बारावको

कटकके पते पर
२४ मई, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं 'गोष्ठी'के हर पृष्ठको तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन सरसरी दृष्टिसे मैं इसे देख गया हूँ। अफसोसके साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि आपकी दलीलका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अपने सहयोगियोंके चुनावपर मुझे कोई खेद नहीं है। और मेरा फैसला पश्चात्ताप या दोषकी भावनासे उत्प्रेरित नहीं है। पूनामें जो फैसला हुआ वह भूल नहीं थी। इसके अलावा और कोई फैसला किया ही नहीं जा सकता था। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञाका प्रयोग तो करना ही था। उस वक्त इसे अकेले अपने तक सीमित रखना, बहुत बड़ी गलती होती, जबकि अब वैसा न करता तो वह कायरता होती। जिन्होंने निर्णयको समझा है वे ऐसा बिलकुल महसूस नहीं करते कि वे चुपचाप खड़े-खड़े मुझे अपनी बलि दे देनेकी अनुमति दे रहे हैं। उनकी कुर्बानी मेरी कुर्बानीसे शायद ज्यादा कठोर होगी। तो भी आप निडर होकर अपनी आलोचना जारी रखें। कौन जानता है कि आपकी आलोचनाओंसे किसी दिन जिन्हें आप फैसलेकी बहुत-सी मेरी भूलें समझते हैं, मुझे उनकी जानकारी हो जाये। और अगर तबतक आपकी आलोचनाओंका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे पश्चात्ताप नहीं होता, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?

हाँ, गोपालकृष्णैय्याका पत्र मैंने देख लिया था।

आपका,

मो० क० गांधी

श्रीयुत जी० वी० सुब्बाराव
मंत्री, आन्ध्र कांग्रेस स्वराज्य पार्टी
बेजवाडा

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३६२७) से।

२२. पत्र . चारु प्रभा सेनगुप्तको

कटकके पते पर
२४ मई, १९३४

प्रिय चारु प्रभा,

अफसोस है कि मै बगाल नही जा रहा हूँ। मै क्या कर सकता हूँ? अगर तुम पुरीसे न गई होती तो कितना अच्छा होता। कमसे कम पहले गाँव तक तो मैं तुम्हे अपने साथ पैदल चलाता ही, और मैं जानता हूँ इसके धार्मिक महत्त्वके अलावा भी तुम्हे इसमे आनन्द आता।

स्नेह।

तुम्हारा,
बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४९१) से, सौजन्य ए० के० सेन। जी० एन० ८७०५ से भी।

२३ पत्र : क० मा० मुन्शीको[1]

२४ मई, १९३४

सेठ मथुरादासका तार आया है। मैं लगभग १४ जूनको बम्बई पहुँचूंगा, इसलिए जो योग्य समझो करना।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५३९) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी।

२४ पत्र घनश्यामदास बिडलाको

२४ मई, १९३४

भाई घनश्यामदास,

यह [2]का दूसरा खत है। दोनोको ऐसे ही छोडनेसे तो लाभ नहिं होगा। [3]को घुमाना चाहिये। उसके लिये दूसरे रस पैदा करनेकी आवश्यकता पाता हूँ। [4]की हालत और मुश्केल है। उसका क्या किया जाय? मैं तो इतना देखता

१ यह सन्देश सुशीला पै द्वारा इसी तारीखको श्री मुन्शीको लिखे गये पत्रमें भिजवाया गया था।
२ और ३, ४ नाम नही दिये जा रहे है।

हू कि वह खुद अपने लिये कुछ नहिं कर सकेगा। उसको एक साथी ऐसा चाहिये जिसका कुछ प्रभाव पडे और जिसका वह सुने।

कलकत्ते जानेका बिलकुल नहि रहा है। अब तो मुझको मिलनेके ही लिये आओ तब ही आना। ठक्कर बापासे बाते करनेके बाद देखा जाये।

बापूके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९६० से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला।

२५. टिप्पणी

अतिशयोक्तिसे बचो

पडित लालनाथने मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि अस्पृश्यता-निवारणका समथन करनेवाले कुछ अखबारोने देवघरकी दुघटनाके बारेमे बहुत बढा-चढाकर लिखा है और मेरी मोटरके हुडपर लाठियाँ चलानेवाले लोगोपर यह इलजाम लगाया है कि उनका इरादा मेरी जान लेनेका था। विरोध-प्रदर्शन करनेवालोपर ऐसा कोई दोष नही लगाया जा सकता कि उनका इरादा मेरी जान लेनेका था। वहीसे बिना दस्तखतका एक पर्चा भी प्रकाशित हुआ है जिसमे सुधारकोके विरुद्ध प्रदर्शन करनेवालोको मार डालनेकी धमकी दी गई है। मै यह नही मान सकता कि यह बेनामका पर्चा किसी उत्तरदायी मण्डल या व्यक्तिने छपवाया है। जहाँतक मै जानता हूँ, कलकत्तेमे सनातनियोने मन्दिर-प्रवेश बिलके विरोधमे सभा इत्यादि करनेका जो दिन नियत किया था, उस दिन उनके विरुद्ध न तो कोई प्रदर्शन ही किया गया और न उन्हे कोई नुकसान ही पहुँचाया गया। फिर भी इस बातपर मै जितना भी जोर दूँ उतना थोडा है कि सुधारकोको मन, वचन और कमसे अहिंसक रहना चाहिए। उन्हे इन सनातनियोके विरोध-प्रदर्शनोपर कोई ध्यान नही देना चाहिए। मैने जहातक देखा है, जनता इन सनातनियोके विरोध-प्रदशनोका तनिक भी समथन नही कर रही है। कुछ भी हो, उनकी भावनाके प्रति आदर दिखाकर ही हमे उन्हे जीतना है। उनके कार्योके प्रति हमे ऐसी कोई बात मुँहसे नही निकालनी चाहिए जिससे वे चिढे या गुस्सा हो।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-५-१९३४

२६ क्या वे इसे करेंगे?

जबसे मैंने पैदल यात्रा आरम्भ की है, सैंकडो ग्रामवासी हमारे साथ-साथ यात्रियोकी तरह चलते रहे है। कुछ अपने कष्टोकी कहानी भी सुनाते है। इस यात्रामे, जब मै साखीगोपालके निकट पहुँच रहा था, बुनकरोके एक प्रतिनिधिने मुझसे कहा कि बुनकर बडे कष्टमे है, क्योकि उनके कपडेकी कोई माँग नही है।[1] मैंने उससे कहा कि यह भविष्यवाणी तो मैंने पन्द्रह वष पहले ही की थी कि जबतक बुनकर मिलके सूतका व्यवहार करेगे, तबतक मिलोकी प्रतियोगितामे ठहर नही सकते, हाथ-करघेका पोषणकर्त्ता और जीवनदाता तो चरखा ही है। इसके उत्तरमे, जहाँतक मुझे स्मरण है, पहली ही बार मैंने सुना — 'हमे हाथका कता सूत दीजिए, हम उसे बुनेगे।'

'अवश्य, यदि तुम जैसा मै कहूँ, वैसा करो' — मैंने कहा।

'हम करेगे' — बूढेने जवाब दिया। वह बुनकर बूढा था और उसकी कमर झुकी हुई थी।

मुझे उसके उत्तरसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने कहा — 'यह बड़ी अच्छी बात है। पर ऐसी हालतमे मै तुम्हे, तुम्हारी पत्नी और बच्चोको ओटना, धुनना और कातना सिखलाऊँगा। तुम्हे तब अपने करघेके लिए काफी सूत मिल सकेगा। तुम्हे अच्छा, मजबूत और इकसार सूत कातना होगा और टूट-फूट एव खराबीसे बचना होगा। फिर मै उम्मीद यह करूँगा कि तुम पहली बारके कते सूतसे अपने निजी उपयोगके लिए खद्दर तैयार करो, और इसके बाद जो खादी बचेगी, उसे मै खरीद लूगा। मै तुम्हारे कुटुम्बका एक सदस्य बननेका प्रयत्न करूँगा और अपने अनुभवोका लाभ तुम्हे प्रदान करूँगा। यदि तुम्हे मादक द्रव्योका व्यसन होगा तो उसे छोडनेको कहूँगा। तुम्हारे कुटुम्बके आय-व्ययकी मै जाँच करूँगा और तुम्हे ऋण लेनेसे रोकूगा।

बूढेका मुख प्रसन्नतासे चमक उठा और वह बोला — 'हम निश्चय ही आपकी सलाहके मुताबिक चलेगे। इस समय भूखमरी मुँह बाये हमारे सामने है।' मैंने उससे कहा कि अपने कुछ साथियोको लेकर साखीगोपालके गोपबन्धु आश्रममे ३ बजे मुझसे मिलो।

वह अपने मित्रोके साथ आया। मैंने सुबहकी बातचीतमे कही हुई बहुतेरी बाते दोहरानेके बाद कहा — मै जानता हूँ कि तुम लोग अपने करघोको चलाने लायक सूत तुरन्त ही नहीं कात सकते। इसलिए शुरूमे अत्यन्त आशाजनक कुटुम्बोको मै काफी सूत दूँगा। जबतक तुम उस सूतको बुनोगे तबतक अपने करघोको आगे काम देनेके लिए काफी सूत तैयार कर लोगे। इस दिये हुए सूतसे तुम जो पहली खादी

१ भेंट १० मई, १९३४ को हुई थी।

बुनोगे, वह तुमसे ले ली जायेगी। दूसरी बारके लिए भी यदि तुम्हारे पास काफी सूत न होगा, तो कुछ सूत मैं फिर दूगा। इसके बाद तुम्हे स्वावलम्बी हो जाना पडेगा। पहले तुम अपने कुटुम्बके कपडेकी आवश्यकता पूरी करोगे और इससे जो बचेगा उसे बेचोगे।

मैं इसे अत्यधिक महत्त्व और शक्तिका प्रयोग समझता हूँ। भारतवर्षमे कदाचित् एक करोड बुनकर हैं। यो तो ठीक-ठीक कितने है — यह कोई नही बता सकता, पर एक करोडकी सख्याके अनुमानमे कोई जोखिम नही है। यदि ये लोग बुनाईकी कलाके साथ तत्सम्बन्धी अन्य प्राथमिक कार्यो (ओटाई, धुनाई, कताई)को भी अपना ले तो ये न केवल अपने अस्तित्वको सुरक्षित कर लेगे, वरन् खादीको भी सम्भाव्य सीमा तक सस्ती कर सकेगे और अबतक जैसी खादी बनती आई है उसकी अपेक्षा अधिक टिकाऊ और खूबसूरत खादी तैयार कर सकेगे।

'हरिजन'के पाठक जानते है कि मध्यप्रदेशमे कुछ ऐसे हरिजन बुनकर कुटुम्ब है, जो अपने कामके लिए रूई स्वय धुन और कात लेते है। इसके साथ मैं ओटाईको भी जोडता हूँ। यदि बुनकर अपने हितकी दृष्टिसे बुनाईके पहलेकी सभी क्रियाओको स्वय ही करने लग जाये तो खादीका भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-५-१९३४

२७ बातचीत: एम० आर० मसानी और ना० र० मलकानीसे[१]

२५ मई, १९३४

म० क्या आपका मतभेद मुख्य रूपसे साधनोके बारेमें ही है या आपको यह भी सन्देह है कि समाजवाद हिंसापर आधारित होता है?

गाधीजी यह तथ्य ही है। इसमे सन्देहकी कोई बात नही। यह जरूरी नही कि हिंसा शारीरिक ही हो। आपकी समाजवादी पद्धति बल-प्रयोगपर आधारित है।

म० परन्तु बल-प्रयोग उसका साध्य नहीं है। यह बहुजनहिताय ही है।

गाधीजी हिंसा अधीरता और अहिंसा धीरताकी निशानी है। महान् धैर्यके बिना महान् परिवर्तन नही किये जा सकते। भावी असफलताके बीज हिसामे विद्यमान रहते हैं। उदाहरणके लिए मान लीजिए कि १०० आदमियोमे से पाँच इतने शस्त्र-

१, इसकी प्रस्तावनात्मक टिप्पणीमें ना० र० मलकानीने, जो गाधीजीके कार्यवाहक सचिव थे, लिखा था कि "इन टिप्पणियोंको गांधीजीने स्वीकृत किया था। यह बात २५ मई, १९३४की है। हमें सुबह सिसुआसे पातपुर तक पाँच मील पैदल चलना पड़ा गाधीजी नंगे पाँव सिरपर कपड़ा रखे हुए चले। उनका दायाँ हाथ मसानीके कधे पर और बायाँ मेरे कन्धे पर था। उनके शब्द हमें निर्देश देते थे। उनके हाथ हमें कभी शान्त करते थे तो कभी नियंत्रित बातचीतमें 'म' मसानी और मलकानी दोनोंको ही सूचित करता हैं ।"

सज्जित और शक्तिसम्पन्न है कि अगर ९५ असहाय लोग उनका विरोध करे तो वे उनके सिर काट ले सकते हैं। वह पॉचोकी पूरी तरह असफलता होगी। परन्तु मान लीजिए कि ९५ मे से कोई एक इन पॉचोकी हत्या करके बाकी बचे हुए ९४की इच्छाके बिना उनपर अपना अधिकार जमा लेता है, तो आप यह नही कह सकते कि नया शासन सबके लिए अच्छा होगा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि एक बुरे शासनके बाद दूसरा बुरा शासन आ जायेगा।

म० परन्तु ९४की इच्छा और सक्रिय सहयोगके बिना कोई अधिकार नही छीन सकता।

गाधीजी हम यह मानकर चले कि उनकी इच्छा नही है।

म० परन्तु हमारी इच्छा है। समाजवादी कार्यक्रमको सब समझ सकते है और स्वीकार कर सकते हैं।

गाधीजी यदि आप उडीसाके किसानसे व्यापारपर एकाधिकार और उद्योगको समाजवादके दायरेमे लानेके लिए बातचीत करे तो वह नही समझ पायेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं।

म० परन्तु गुजराती एव दक्षिणका किसान भूमि-सुधारकी बात समझ सकता है।

गाधीजी मैंने गुजराती किसानोको गॉवमे साहूकारीका समर्थन करते और उसका पक्ष लेते हुए देखा है। वे इस तरहकी बाते करते है कि बनिया विपत्तिके समय उनका हित करता है। इन लोगोमे जागृति लानेकी जरूरत हे। आवश्यकतासे अधिक उच्चाकाक्षावाला कायक्रम रखनेकी कोई आवश्यकता नही है। मै व्यावहारिक व्यक्ति हूँ। आपके कायक्रमको जिस हदतक उसपर अमल हो सकता है उस हदतक काटकर कम कर लूंगा।

म० आजकल रुझान कृषिके विकेन्द्रीकरणकी दिशामें है। सघन खेती छोटे पैमानेपर ही हो सकती है। परन्तु उद्योगमें रुझान बडे पैमानेपर उत्पादन और बादमें बडे पैमाने पर नियन्त्रणके पक्षमें है। ऐसी स्थितिमें मजदूरो और पूजीपतियोके बीच सघर्ष अवश्यम्भावी है। कुछ ऐसे उद्योग है, जिनका रुझान सदा बडे पैमानेके उद्योग बननेकी दिशामें ही रहता है।

गाधीजी परिवहन, बीमा, विनिमय जैसे उद्योग सरकारके ही हाथमे होने चाहिए। परन्तु मै इस बातपर जोर नही दूँगा कि सभी बडे उद्योग सरकार अपने हाथमे ले ले। मान लीजिए कि कोई समझदार और विशेषज्ञ व्यक्ति है और वह किसी उद्योगको चलानेके लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करता है, वह ज्यादा पारिश्रमिक नही मॉगता और यह सब समाजकी भलाईके लिए करता है। तो मै इस पद्धतिको इतनी लचकदार रखूँगा कि उक्त उद्योग ऐसे व्यक्तिको सगठित करने दिया जाये।

म० ऐसे लचीलेपनमें मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु शर्त यह है कि सारा निजी लाभ समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समाजके लिए काम करनेका वायदा करता है तो उसे ऐसा करनेकी अनुमति दी जानी चाहिए।

परन्तु मैं इस बातका आश्वासन चाहूँगा कि उद्योग राष्ट्रीय नीतियों पर चलाये जायें। इसलिए मैं चाहूँगा कि राज्यमें उद्योगोंका प्रतिनिधित्व क्रियात्मक आधारपर हो और हरएक व्यापारका अपना अलग प्रतिनिधित्व हो।

गांधीजी : बालिग मताधिकार पर आधारित राज्यमें यह बात निरर्थक होगी। भारत कृषि-प्रधान देश है और इसलिए बालिग मताधिकारसे खेतीको अधिक प्रधानता मिलेगी।

म० : रूसमें कुछ अलग पद्धति है। शहरी मजदूरका वोट ज्यादा कीमती होता है — चार किसानोंका वोट शहरी मजदूरके एक वोटके बराबर है। बाकी चुनाव तो हमारे कांग्रेस चुनावकी भाँति अप्रत्यक्ष होता है।

गांधीजी : मैं शहरी वोटको उस तरहकी तरजीह नहीं दूँगा। मैंने गोलमेज परिषद्में बालिग मताधिकार और गाँवके लोगों द्वारा वोट दिये जानेका प्रस्ताव आग्रह-पूर्वक रखा था। किन्तु वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि गोलमेज परिषद् प्रतिनिधि संस्था नहीं थी।

म० : परन्तु कोई भी ऐसी परिषद् जिसमें भूमिपतियों और पूँजीपतियोंके प्रतिनिधि हों बालिग मताधिकारको अस्वीकार ही करेगी। वे कहेंगे कुछ, और करेंगे कुछ।

गांधीजी : तब हमें उन्हें तर्क और अनुरोधके द्वारा अपने विचारोंके अनुकूल करना होगा। मैं तथाकथित वर्ग-संघर्षमें विश्वास नहीं करता।

म० : हम व्यक्तियोंको तो बदल सकते हैं, परन्तु पद्धतिको कभी नहीं बदल सकते। उदाहरणके लिए चम्पारनके निलहोंको ही लीजिए। वे अन्ततक नहीं माने। यदि उनपर गवर्नर द्वारा दबाव न डाला जाता तो कुछ भी न होता।

गांधीजी : मैं पक्की तौरपर ऐसा नहीं कह सकता। कुछ निलहे बदल गये थे। मुझे नहीं मालूम कि समझौतेमें निलहों और सरकारने क्या भूमिका निभायी। परन्तु यह निश्चित है कि यदि निलहोंने साथ न दिया होता तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी।

म० : परन्तु गवर्नरका रुख अमित्रतापूर्ण होता तो उन्होंने भी अन्त तक प्रतिरोध किया होता।

गांधीजी : आप बात बदल रहे हैं। मेरा सिर्फ यह कहना है कि कुछ निलहे बदल गये थे। भारतमें यूरोपियनोंके चार वर्ग हैं — व्यापारी, सैनिक, असैनिक कर्मचारी और पादरी। निश्चय ही आप यह नहीं सुझाना चाहते कि इन वर्गोंके लोगोंको व्यक्तिगत रूपमें नहीं बदला जा सकता। आप हिंसाको अलग रख दें तो आप देखेंगे कि आपमें और मुझमें अधिक अन्तर नहीं है। हम दोनों लाखों भूखे लोगोंका हित चाहते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-८-१९३५

२८ भाषण पातपुरमें

२५ मई, १९३४

आज ७ बजे सुबह गाधीजी पातपुर पहुँचे। दल पिछली रात सिसुआमें ठहरा था।

पातपुरके भाषणमें गाधीजीने इलाकेको खादी उत्पादन करनेवाला स्थान बताया और श्रोताओको मिलमें तैयार कपड़ेकी जगह खादी पहननेके लिए प्रेरित किया। चरखा सघने उन्हे कुछ खादी भेंट की। जनताकी ओरसे १०१ रुपयेकी थैली भेंट की गई।

[अग्रेजीसे]
अमृतबाजार पत्रिका, २५-५-१९३४

२९ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको

ककतिया[1]
२६ मई, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। बगालका फैसला मुझे ठीक लगा। बरसातके बाद बगालमें घूमकर तीन महीने बिताना मेरे लिये कितना अच्छा होता। पर चूकि मैं बगाल नही आ रहा हूँ, कलकत्ता भी नही, इसलिए चाहूँगा कि जिन लोगोने मेरी इस पैदल तीथयात्राका अर्थ समझा है, वे चन्देकी अपनी रकमें मेरी उडीसाकी इस तीर्थयात्राके दौरान यही मेरे पास भेज दे। इसलिए आप जितना-कुछ मिल सके इकट्ठा करके मेरे पास भेज दे। भगीरथजी[2] भी, जो यहाँ आये थे, मेरी इस रायसे सहमत थे कि मै कलकत्ता नही जा सकता तो भी जो चन्दा इकट्ठा हो सके वह मेरे पास भेज दिया जाये। दौरेका कार्यक्रम आपको मिल चुका है। थैलिया चाहे जब भेजी जा सकती है। अगर और कही नही, तो कमसे-कम बालासोरके पतेपर ही भेज दी जाये। वहाँ मै तकरीबन १२ तारीखको पहुँच रहा हूँ और वही मेरा

१ कटक जिलेका एक गाँव।
२ भागीरथ कनौडिया।

आखिरी मुकाम है। थैलियाँ पहले भेजना सम्भव न हो तो बालासोर भेजना तय कर ले।

स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]
अमृतबाजार पत्रिका, २६-५-१९३४

३० पत्र: क्षीरोदचन्द्र मैतीको

२७ मई, [१९३४][1]

अगर मुझे यह विश्वास हो जाये कि आपके निर्देशानुसारमें मैं लाभदायक कार्य कर सकूँगा तो मैं अन्य सारे काम छोड़कर कई महीने बंगालका दौरा करूँ। लेकिन फिलहाल मुझे यह विश्वास नहीं है।

आपका,
मो० क० गांधी

श्री क्षीरोद चन्द्र मैती
बिबत्तरहाट, मिदनापुर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५०५८) से।

३१ पत्र: मथुरादास सेठको[2]

२७ मई, १९३४

बहुत करके मैं १४ तारीखको बम्बई पहुँच ही जाऊँगा और १९को पूना रवाना हो जाऊँगा। पक्का निश्चय तो बादमें होगा। इससे जो सम्भव हो सो कर लेना। मुझे जगह-जगह मत घसीटना। एक ही सभामें जो हो जाये सो ठीक। मैं तो वहाँ एक जगह बैठकर बातें करना और समझाना चाहूँगा। अस्पृश्यता केवल पैसेसे नहीं जायेगी, ज्यादातर लोगोंके हृदय द्रवित होंगे तभी जायेगी। इस विषयमें मैं तुमसे विचार करनेको कहूँगा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५४०) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी।

१ जी० एन० रजिस्टरके अनुसार, साधन-सूत्रमें यह साफ नहीं है।

२ यह संदेश गांधीजीके निजि सचिव चन्द्रशंकर शुक्ल द्वारा क० मा० मुन्शीके नाम इसी तारीखको लिखे गये पत्रमें भिजवाया गया था।

३२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२७ मई, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

मैंने कान्नानूरके गोपालनको लिखा है। वह पत्र चन्द्रशकर अथवा वालजीने नष्ट तो नही किया होगा। काशी जाना, क्या तय ही हो गया है? अगर वहाँ जाना हो, तो बोर्डकी बैठक भी वही कर ली जाये। अब तो, इसके लिए अनेक स्थान है। आपके फोडे अच्छे हो गये होगे। हमारी गाडी भी चल रही है, यद्यपि बहुत अच्छी नही। निरन्तर काम करनेवाली रमाबहन बीमार पडी है। हरखचन्द[1] यहाँ नही है, ईश्वरलाल[2] भी नही है। बाकी सब नये रगरूट है।[3] किन्तु "जाको राखै साँइयाँ मार सकै नहिं कोय।" हिल्डापुडकी बाबत राजाको लिखा है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११३९) से।

३३. पत्र : जमनालाल बजाजको

२७ मई, १९३४

चि० जमनालाल,

मैंने मान लिया है कि तुम डॉ० सुरेश बनर्जीको सँभाल लोगे।

तुम्हारे पत्र और तारका जवाब दे चुका हूँ। तुम्हारे पास यात्राका कार्यक्रम तो है ही। वर्धा उतरनेका मन तो बहुत होता है, पर उतरा नही जा सकेगा। मुसाफिरीका क्रम तय हो जाने पर फिर उसीके मुताबिक चलना ठीक लगता है।

तुम्हारी तबीयत सभल रही होगी। एलविनके बारेमे मेरा पत्र[4] मिला होगा।

मालवीयजी पूनामे कार्यकारी समितिकी बैठक करनेको लिखते है। मेरी तारीखोके दौरान हो तो मुझे तो दोनो समान है। बम्बईमे हडताल चल रही होगी तो मुझे

१ हरखचन्द मोतीचन्द, काठियावाड़के एक धनाढ्य जनसेवी।

२ एक आश्रमवासी।

३ गांधीजी ने यहाँ एक गुजराती मुहावरेका प्रयोग किया है, जिसका शब्दानुवाद होगा "सब बुहारियाँ नई हैं।"

४ २१ मई, १९३४ का, देखिए पृष्ठ १६।

वहाँ रहना ही अच्छा नही लगेगा। पर यह तो अप्रासगिक बात लिख डाली। बम्बई १४से १८ तारीख तक तो रहना ही है।

ओमकी[1] गाडी ठीक चल रही है। अनुभवसे काफी सीख रही है। पर पढनेमे आलस्य काफी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३४) से।

३४. भाषण : केन्द्रपाडामे

[२७ मई, १९३४][2]

उडीसाके गहरे अनुभवोके बाद यह कार्यक्रम मुझे बिलकुल अच्छा नही लगता। लेकिन बगालको छोडकर कोई प्रान्त अपने यहाँ मेरा दौरा रद्द करनेको तैयार नही हुआ। प्राय सभी प्रान्तीय कार्यकर्त्ता यह मानते थे कि पैदल यात्रा ज्यादा लाभ-दायक होगी। मैंने कहा कि तीन-चार दिनोकी पैदल-यात्रा तो हास्यास्पद ही होगी और अगर उसके साथ-साथ रेल और मोटरसे भी यात्रा की गई तो उसका नैतिक प्रभाव नही पडेगा। इसलिए एक समझौता किया गया और सशोधित कार्यक्रम उसीका परिणाम है। इसकी विशेषता यह है कि हर प्रान्तमें पूरी अवधि तक एक स्थान पर ही रहना है। देखता हूँ, सयुक्त-प्रान्तके मामलेंमे हदतक ठक्करबापाने छूट ली है, क्योकि वह वास्तवमे एक प्रान्त नही है। इससे भयकर भाग-दौड बच जायेगी।

सशोधित कार्यक्रम मुख्यतया कोष-सग्रहके लिए किया गया दौरा बन जायेगा, उसमे मै अपनी बात लोगो तक नही पहुँचा सकूगा। तथापि मै चाहूँगा कि काय-कर्त्ता इन स्थानो पर मुझसे मिले, पिछले ६ महीनेके दौरोके परिणामोको इकट्ठा करे और कामकी भावी रूपरेखापर विचार-विनिमय करे। अगर मुझे यह ठोस काय करना है तो थैली लेने और सभाओमे भाषण देनेके लिए जगह-जगह मुझे न ले जाया जाये। प्रान्तोमे अपने मुकामके दौरान मेरे कही जानेके बारेमे कोई कायक्रम न बने। एक सावजनिक सभा और जहाँ ठीक माना जाये वहा एक महिला-सभाके अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम न हो। मै यथासम्भव ज्यादा-से-ज्यादा हरिजन और सनातनियोके सम्पर्कमे आना चाहूँगा।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-५-१९३४

१ उमादेवी बजाज।

२ ८-६-१९३४ को **हरिजन**में छपी "साप्ताहिक चिट्ठी" से।

३५ पत्र · वसुमती पण्डितको

२८ मई, १९३४

चि० वसुमती,

अब तो तुझे मेरे पत्र नियमसे मिल रहे होगे। इस पदयात्रामे तो जितनी बहने होती, सभी समा सकती थी। हॉ, सभी इसे बर्दाश्त कर सकती या नही, यह बडा सवाल है। मीरा शायद इस पत्रके साथ ही पहुँचेगी, सो तुझे सफरका विवरण बतायेगी। तू वहॉ अपनी व्याधियोसे मुक्त हो सके, तो मानूगा कि तुझे पूरी यात्राका फल मिल गया।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३८७) से। सी० डब्ल्यू० ६३२ से भी, सौजन्य वसुमती पण्डित।

३६ पत्र घनश्यामदास बिडलाको

२८ मई, १९३४

भाई घनश्यामदास,

तुमारा प्लान पढ गया हू। छै सफापर गधा रह गया है। भूलसे छूट गया है न?

योजना कुछ मैघीसी लगती है। लेकिन मुझे जो बाधा आती है वह तो यह है कि उसमे प्रतिवषका परिणाम नहि बताया गया है। रशियाकी योजनाकी विशेषता तो यह है न कि उसमे प्रतिवर्षका परिणाम बताया गया है और अतमे उसकी स्वावलबिता कागद पर तो सिद्ध की गई है। ऐसा कोई प्रयत्न इस योजनामे नहि पाता हू।

[1]के बारेमे मेरा खत मिला होगा। [2]ने कल खत लिखा उसमे ऐसा है कि [3] मेरे पास आ रहा है। आयेगा तो अच्छा ही है। [4] व्याकुलचित है इसमे शक नहि है। तुमारी तबीयत ठीक होगी।

१ से ४. नाम छोड दिये गये है।

मुझे तो यात्रा बहुत अच्छी लगती है। शरीरमे थकान होनेके कारण देहातोमे घूम नहि सकता हू इतना दुख रहता है सही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

कलकत्तेकी थैली यहा किसी मुकामपर मिलनी चाहिये। यात्रामे दूसरे प्रान्तोका अनुसधान नहि पाता हूँ।

सी० डब्ल्यू० ७९६१ से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला।

३७. पत्र : अमतुस्सलामको

२८ मई, १९३४

प्यारी बेटी अमतुल सलाम,

तुम सच कहती हो कि मेरे नजदीक अमीर और लिखे-पढे लोग रह सकते हैं। अमीरको फकीर बनाने हैं और लिखे-पढोके हाथमे झाडू रखना है। तुमको साथ क्यो रखू? ज्यादा फकीर बनानेके लिए? या तुम्हारे हाथमे झाडू रखने के लिए? पटनामे क्या था? तुम्हारे भाषण करने थे?[1] तुम्हारे सेवा करनी हो तो शान्त होना होगा। तुम्हारा तार मिल गया था। क्यो आपरेशन मौकूफ किया गया? तुम्हारे खतसे पता लगेगा। हा, अच्छा तो होगा अगर अम्माजानकी बात मानकर शादी कर लेती। कुमारिका रहनेके वास्ते तुम्हारेमे जो एकाग्रता चाहिये सो कहा है? हर किस्मके खयाल आते रहते हैं। कोई एक चीज पर दिल नही लगता। कुमारिका रहना है तो बिलकुल शान्त हो जाओ। हिन्दी कब सीख लेगी? गुजराती भी अब तो जानना चाहिये। बोल, अब क्या करेगी? मैं १४ तारीखको बम्बई पहुँचूंगा, १८ तक रहूँगा। बाद पूना। पूनामे ६ दिन रहूँगा। पीछे अहमदाबाद। अच्छी हो जाओ। नादानीकी बात छोड दो।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०६) से।

१ अमतुस्सलामकी बड़ी इच्छा थी कि वह गांधीजीके साथ रहे। उसने छींटा कशी करते हुए लिखा था कि उस-सरीखी अपढ़के लिए उनके पास जगह कहाँ।

३८ एम० आर० मसानीके समाजवादी कार्यक्रम पर विचार

[२९ मई, १९३४][1]

मै काग्रेसमे समाजवादी दलके अभ्युदयका स्वागत करता हूँ। परन्तु मै यह नही कह सकता कि जो कायक्रम इस छपी हुई पुस्तिकामे दिया गया है, मै उसे पसन्द करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह भारतीय परिस्थितियोको ध्यानमे रखे बिना बनाया गया है। इसके बहुत-से प्रस्तावोमे अन्तर्निहित कुछ धारणाएँ मुझे पसन्द नही है। उनसे यह ध्वनित होता है कि कुछ वर्गो और जनतामे, मजदूरो और पूँजी-पतियोके बीच ऐसा एक विरोध है ही कि वे आपसी हितके लिए कभी काम नही कर सकते। मेरा निजी दीर्घ अनुभव इसके विपरीत है। जरूरत इस बातकी है कि मजदूर और कारीगर अपने अधिकारोको जाने और उन्हे यह भी मालूम हो कि वे किस तरह अपने अधिकारोको दृढतासे पेश करे।[2]

"भारतीय नरेशोका शासन समाप्त करना" उस अधिकारकी बात करना है जो दलके पास है ही नही या अगर है भी तो उतना भी जितना पुर्तगाली और फ्रासीसी भारत कहे जानेवाले प्रदेशसे, पुर्तगाली और फ्रासीसी शासन समाप्त करनेका अधिकार। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण मानी जा सकती है, परन्तु भारतका यह विभाजन एक ऐसा तथ्य है जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती। इसलिए निश्चित रूपसे जिसे ब्रिटिश भारत कहते है, उसपर ध्यान केन्द्रित करना ही हमारे लिए काफी होगा। किसी भी दलके कार्यक्षेत्रके लिए यह भू-भाग काफी बडा है। ब्रिटिश भारतमे किसी भी दलकी सफल गतिविधियोका भारतके दूसरे भागोपर असर पडे बिना नही रहेगा। सिद्धान्तत भी मै राजाओका शासन समाप्त करनेके पक्षमे नही हूँ। बल्कि मै जनतन्त्रकी सच्ची भावनाके अनुरूप उनमे सुधार और सशोधन करनेकी बातमे विश्वास रखता हूँ।

"प्रगतिशील और प्रबुद्ध दलके नाते विदेशी सरकार द्वारा भारतके लिए लिये गये तथाकथित सरकारी कर्जेको अमान्य करना" एक अत्यन्त अस्पष्ट एव अति-व्याप्तिपूर्ण वक्तव्य है। काग्रेसने एकमात्र वास्तविक एव राजनीतिक दृष्टिसे सम्यक् प्रस्ताव रखा है। उसने कहा है कि इससे पहले कि भारतकी भावी स्वतन्त्र सरकार इसके किसी भी अशका भार लेना स्वीकार करे, यह तथाकथित सारा सरकारी ऋण एक निष्पक्ष अधिकरणके सुपुर्द किया जाये।

"उत्पादन, वितरण और विनिमयके सब साधनोका उत्तोत्तर राष्ट्रीयकरण" इतना अतिव्याप्तिपूर्ण है कि इसे स्वीकार नही किया जा सकता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर

१ देखिए अगला शीर्षक।

२ यह अनुच्छेद एम० आर० मसानीको लिखे गाधीजीके १४ जून, १९३४के पत्रमें भी है।

साहित्य-सृजनके आश्चयजनक साधन है। मुझे नही मालूम कि क्या वह अपना राष्ट्रीयकरण स्वीकार करेगे।

जहातक "विदेशी व्यापारपर सरकारके एकाधिकार" का सम्बन्ध है क्या सरकारके पास जो अधिकार होगे उनसे उसे सन्तोष नही होगा? क्या सरकारको बिना यह सोचे-समझे कि ऐसे प्रयोगकी आवश्यकता है या नही इन अधिकारोका तत्काल प्रयोग करना ही चाहिए?

"किसानो और मजदूरो पर जो कर्ज है उसको रद्द कर देना" एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे कर्ज लेनेवाले स्वय सहमत नही होगे। क्योकि ऐसा करना आत्मविनाशका सूचक होगा। जरूरी यह है कि कर्जोकी जॉच की जाये। मुझे मालूम है कि उनमे कुछ कर्जे जॉच करने पर गलत साबित हो जायेगे।

मुझे चाहिए कि मै लोगोको मितव्ययिताकी आदत डालना सिखाऊँ। यदि मै उन्हे यह सोचने दूँ कि बुढापा, बीमारी, दुर्घटना और इस तरहकी दूसरी चीजोके बारेमे निरोधक उपाय अपनानेकी दृष्टिसे उनका कोई दायित्व नही है, तो क्या उन्हे अपाहिज बनानेका दोष मुझे नही लगेगा?

"हडताल करनेका अधिकार", इस वाक्याशको मै नही समझ पाया हूँ। यह उन सभीका अधिकार है जो हडतालके कारण आनेवाले खतरे उठानेके लिए तैयार है।

"राज्यसे अपनी देख-रेख एव भरण-पोषण प्राप्त करनेके बच्चोके अधिकार" का अथ क्या यही है कि माता-पिता अपने बच्चोकी देख-रेख एव भरण-पोषणके उत्तरयायित्वसे मुक्त हो जाते है?

"जमीदारीकी समाप्ति" का स्पष्टत अथ यह है कि धारा १३ मे जमीदारी और ताल्लुकेदारीके भू-खण्डोको छीन लिया जाये। मै जमीदारी उन्मूलनके पक्षमे नही, अपितु जमीदारो और काश्तकारोके सम्बन्धको न्यायोचित तरीकेसे विनियमित करनेके पक्षमे हूँ।

यदि आप सारी धार्मिक स्थायी निधियोको व्यवस्थित और नियन्त्रित करे तो आप "धार्मिक विषयोके राजनीतिमे सम्मिलित किये जानेका" विरोध कैसे कर सकते है? वास्तवमे हम धमके मामलेमे पूरी तरह निरपेक्ष रहना चाहते है। परन्तु जब राज्यमे किसी एक धमको माननेवाले किसी तरहका कोई आन्तरिक सुधार चाहे, जिसके बिना उनके लिए उन्नति करना असम्भव हो, तो राज्यकी ओरसे सहायता अनिवार्य हो जायेगी।

आपके छपे हुए कार्यक्रमपर सरसरी दृष्टि डालने पर ये कुछ विचार मेरे मनमे आते है।

मो० क० गाधी

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८८३)से, सौजन्य एम० आर० मसानी। जी० एन० ४१२५ से भी।

३९ पत्र . एम० आर० मसानीको

(मुकाम) केन्द्रपाडा
२९ मई, १९३४

प्रिय मसानी,

यह रहा मेरा उन सवालोका[१] उत्तर जिन्हे तुम मेरे पास छोड गये थे। तुम्हे इसमे अपने सारे सवालोके जवाब मिल जायेगे। अगर तुम्हारा कार्यक्रम अच्छा होता तो प्रथम अखिल भारतीय काग्रेस समाजवादी सम्मेलनमे[२] स्वीकार किये गये प्रस्तावोके विरुद्ध मै कुछ न कहता। लेकिन दिये गये कारणोसे वह मुझे ऐसा नही लगता। प्रस्ताव शायद शब्दाम्डबरपूर्ण है, शब्द-बाहुल्य तो उसमे है ही। जरूरत पडने पर मुझे लिखनेमे सकोच न करना।

तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री एम० आर० मसानी
मार्फत "द सन"
१३९ मीडोस स्ट्रीट
पो० बा० न० ६२, फोट, बम्बई

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८८३)से, सौजन्य एम० आर० मसानी। जी० एन० ४१२५ से भी।

४० भाषण : केन्द्रपाडामें

२९ मई, १९३४

मै हरिजन भाइयोके मनसे सब तरहका हीन-भाव मिटा देने पर तुला हुआ हूँ। हरिजन सुधार आन्दोलनके विरोधियो द्वारा इसी हीन-भावका फायदा उठाया जाता है और इसी हीन-भावके कारण हरिजन समाजमे अपने अपमानजनक और बिलकुल अनुचित दर्जेको चुपचाप स्वीकार करते रहते है।

१ देखिए पिछला शीर्षक।
२ आचार्य नरेन्द्रदेवकी अध्यक्षतामें ११ मईको पटनामें हुआ था।

आगे बोलते हुए गाधीजीने अपने श्रोताओसे कहा कि अपने प्रतिदिनके जीवनमें आपका इस प्रकार आचरण आवश्यक है जिससे कि आप अपने तथाकथित सवर्ण साथियोके साथ बराबरीके व्यवहारके पात्र बन सके। गाधीजीने कहा कि इसके लिए यह जरूरी है कि हरिजन मुर्दार-मास खाना बन्द कर दें और अस्वच्छता और शराबखोरीको पूरी तरह छोड दें।

महात्माजीके शिविरमें आज एक ममस्पर्शी दृश्य उपस्थित हुआ। एक आश्रम-वासी महिला अपने किसी निकट सम्बन्धीकी मृत्युका समाचार पाकर रोने लगी। गाधीजीने उसे सान्त्वना दी और कहा कि मृत्युपर विजय पानेका सबसे अच्छा उपाय उसपर ध्यान न देना ही है। उन्होने खादी-प्रतिष्ठानके श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्तका उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होने अपने पुत्रकी मृत्युका समाचार सुननेपर भी क्षण-भरके लिए भी चरखा कातना नही छोडा था। उन्होने कहा कि यह सच्ची वीरताका उदाहरण है और मै चाहता हूँ कि राष्ट्रका प्रत्येक सेवक इस उदाहरणका अनुसरण करे।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २९-५-१९३४

४१ भेंट. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको

२९ मई, १९३४

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिने एक भेंटमें गाधीजीसे पूछा, "क्या आपने बगालका दौरा निश्चित रूपसे रद्द कर दिया है? श्री गाधीने कहा

बगालका दौरा मैने रद्द नही किया है। मैने यह मामला बगाल-मडल पर ही छोड दिया है और उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ रख दी है। उन्होने पहले मुझे जिलोका दौरा करनेसे मना किया। यद्यपि मेरा खयाल सिफ कलकत्ता जानेका नही था, तो भी मैने कहा था कि यदि कभी जरूरी हुआ तो मै कुछ दिनोके लिए कलकत्ता चला जाऊँगा। बगाल-मडलका भी यही मत था और उन्होने निर्णय किया कि यदि मैं बगाल जाऊँ तो मुझे वहाँ तीन महीनेके लिए जाना चाहिए। क्योकि यह सम्भव नही था, इसलिए कलकत्तेका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मै निश्चय ही तीन या तीनसे भी ज्यादा महीनोके लिए बगाल जाना चाहूँगा। परन्तु नही मालूम ऐसा अवसर मुझे अपने जीवन-कालमे मिलेगा या नही।

उनसे एक अन्य प्रश्न पूछा गया "क्या पूना-समझौतेपर बगालके हिन्दू नेताओसे बातचीत करनेका आपका इरादा है और क्या पूना-समझौतेपर अब भी बातचीत की जा सकती है और उसमें सशोधन हो सकता है? श्री गाधीने कहा

पूना-समझौतेपर बगालके हिन्दू नेताओसे बातचीत करनेके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सारे दल सहमत हो तो सब कुछ हो सकता है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, ऐसा कोई काम नही हो सकता जो हरिजनोके प्रति न्यायसगत न हो।

उनसे पूछा गया, यदि अछूत मन्दिरोंमें प्रवेश करनेके अधिकारके लिए सत्याग्रह शुरू कर दें तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे। क्या अछूतोको मन्दिरोंमें पूजा करनेका पूरा अधिकार है? गाधीजीने कहा

मेरा यह विश्वास अवश्य है कि हरिजनोको मन्दिरोमे पूजा करनेका उतना ही अधिकार है जितना अन्य हिन्दुओको। लेकिन मै अधिकार जतानेके लिए ताकत इस्तेमाल करनेके हकमे नही हो सकता। सत्याग्रहके बहुत-से अथ लगाये जाने लगे है। इसलिए मै जानना चाहूँगा कि जो सत्याग्रह किया जानेवाला है वह किस किस्मका होगा। सुधारक रूढिवादी लोगोको अपनी आपत्तियाँ हटानेके लिए मनानेका भरसक प्रयास कर रहे है। ऐसी स्थितिमे हरिजनो द्वारा सत्याग्रह किया जाना किसी भी हालतमे सही नही माना जायेगा।

यह पूछे जानेपर कि क्या आप पुरीके जगन्नाथ-मन्दिरमें अछूतोके प्रवेशके सम्बन्धमें उनका नेतृत्व करेंगे, श्री गाधीने उत्तर दिया

सालो पहले जैसे पुरीका मन्दिर हरिजनोके लिए खुला था, वैसे ही अब भी हरिजनोके लिए खोल देनेका महत्त्व मै समझता हूँ। मेरे पास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जबतक हरिजनोने इसके लिए अधिकार जताना शुरू नही किया था, तबतक वह मन्दिर उनके लिए खुला था। परन्तु मै मन्दिरको खुलवानेके सम्बन्धमे यह कहनेके अलावा कोई नेतृत्व नही करूँगा कि इसके लिए जनमत तैयार किया जाये।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३०-५-१९३४

४२ पत्र चारु प्रभा सेनगुप्तको

३० मई, १९३४

प्रिय चारु प्रभा,

तुम्हारा पत्र मिला। बेशक तुम जिस मुकाम पर चाहो मुझसे आ मिलो। मेरा कायक्रम[1] तो तुम जानती हो न? ६ तारीखको मै भद्रक पहुँच रहा हूँ।

सस्नेह।

बापू

श्री चारु प्रभा सेन
राजबाडी (बगाल)

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४९२) से, सौजन्य ए० के० सेन। जी० एन० ८७०६ से भी।

१ जिस पोस्टकार्डपर यह पत्र है, उसके पीछे किन्ही अन्य सज्जनके अक्षरोंमें ४ जूनसे १२ जून तकके १३ मुकाम सूचित किये गये है।

४३. पत्र वल्लभभाई पटेलको

बेरीमूल, (उत्कल)
३० मई, १९३४

भाई वल्लभभाई,

यद्यपि आज बुधवार है, इस बार आपका पत्र अभी तक नही मिला।

नये जहाजमें बनते ही दरार पड गई है। चलेगा तो जरूर, मगर दरारवाला जहाज किनारे पहुँच जाये तब ही। चौकडी[1] फिर बम्बईमें १५ तारीखको मिलेगी।

राजेन्द्रबाबूके बडे भाई महेन्द्रबाबू काफी बीमार हैं। शायद ही बचे। यदि वे चल दिये तो राजेन्द्रबाबू पर एकदम भारी जिम्मेदारी आ पडेगी। राजेन्द्र बाबूको लिखिये।

सेरेसोल, अगाथा और म्यूरियल १५ तारीखको रवाना हो रहे हैं। तीनोने काफी अनुभव ले लिया। सेरेसोल फिर अक्तूबरमें लौट आयेंगे। दूसरे साथियोको लायेंगे। बिहारका काम ठीक चल रहा है। जमनालालजी अच्छी देखरेख रखते हैं। वे म्यूरियलको लेकर [2] के पास गये हैं। अनन्तपुर होकर वर्धा जायेंगे।

बापाकी जगह अब मलकानी हे। देवदास पटनामें था। काफी तगडा हो गया है। विवाह और दिल्ली उसके लिए अनुकूल सिद्ध हुए हैं। रामदास जैसा था वैसा ही, कुछ बेहतर ही है।

मणि (जेलमें) काफी कडी परीक्षामेंसे गुजर रही दीखती है। काकाकी भी परीक्षा हो रही हे। वे बीमार थे। अब कुछ ठीक है, ऐसा तार आया था।

सुशीला, प्रभावती और ओम पत्र लिखती रहती है, इसलिए छुटपुट खबरे तो आपको मिलती ही होगी। ऐसा कह सकते है कि यहाँकी गर्मी अहमदाबादको भी मात देनेवाली है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो २ – सरदार वल्लभभाईने, पृ० १०४

१ कांग्रेस संसदीय बोर्डके पण्डित मदनमोहन मालवीय, डॉ० अन्सारी, डॉ० विधानचन्द्र राय और श्री भुलाभाई देसाई।

२ साधन सूत्रमें नाम छोड दिया गया है।

४४ भेंट : उत्कलके कार्यकर्त्ताओसे

३० मई, १९३४

यह पूछे जानेपर कि क्या स्वराज्य ससदीय बोर्डके गठनसे, जिसमें उत्कलका प्रतिनिधित्व नहीं है, आप सन्तुष्ट है, महात्मा गाधीने कहा

मेरा इससे कोई खास सम्बन्ध नही है, और न बोडके पदाधिकारियोके चुनावसे ही। मेरे बारेमे दी गई प्रेसकी तत्सम्बन्धी सूचना भ्रामक है। इसकी सारी जिम्मेदारी केवल मालवीयजी और डॉ० असारीने अपने ऊपर ले रखी है।

उत्कलके लोगोमे बोर्डमें उनके प्रतिनिधित्वकी सम्बन्धी उपेक्षाके कारण जो असतोष है, उनके बारेमे उन्होने कहा

मै तो इस विचारधाराका हूँ कि जो लोग रचनात्मक काय कर सकते है उन्हे बोडमे प्रतिनिधित्वके लिए परेशान नही होना चाहिए। परन्तु अगर आप इसे बहुत ज्यादा महत्त्व देते है तो आपको दृढताके साथ लिखना चाहिए कि कमसे-कम एक स्थान पानेका तो आपको अधिकार है ही।

आगे उन्होने उत्कलके कार्यकर्त्ताओको सुझाया कि मेरी सेवाओको ऐसे कार्योमें लगानेके बदले आपको उनका उपयोग बाढ-समस्याको सुलझानेमे करना चाहिए, जिसके बारेमें मै दिन-रात सोचा करता हूँ और वह अधिक उपयोगी भी है। बाँधोकी मरम्मत, जिसपर सरकारने रोक लगा दी है, सबसे बडी समस्या है। इसके बारेमें उत्कल के लोगोके हर प्रतिनिधिको सोचना चाहिए। इसके हल के लिए मै एक कुशल इजीनियरको जाँच-पडतालके लिए लिख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर कोई हल सुझाया जा सके तो सरकार उसकी उपेक्षा नहीं करेगी।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १-६-१९३४

४५ पत्र : जमनालाल बजाजको

३१ मई, १९३४

चि० जमनालाल,

द्वारकानाथ पर बोझ बढ गया है। उससे सब समझ लीजिए और उसका बोझ हल्का कीजिए। मनोहर और केशूकी बाबत वे जो कहे सो सुनकर तथा गहरेमे उतरकर जो उचित हो सो कीजिए। मनोहर एकाएक बगीचेमे रहने क्यो चले गये ? इस बातकी भी जॉच कीजिए कि शर्मा क्या बहुत बोझ अपने सिर ले लेते है। बम्बईमे इस विषयमे बात करनेका समय निकालना ही पडेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३५) से।

४६ पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

३१ मई, १९३४

भाई हरिभाऊ,

आपके पुत्रके देहान्तकी खबर अभी-अभी मिली। इस राजमागसे तो सबको देर या सबेर जाना ही है। किन्तु यदि आप दोनोको इसका शोकका मनाना ही हो तो पूर्ण सयमका पालन करके मनाइए। इतना याद रहे, कि सविनय अवज्ञाके जो कठोर नियम है, अब उनका पालन अधिक सावधानीके साथ करना होगा।

आपका पत्र मिला था। उसका अर्थ यही है न कि मुझे भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द करके प्रेमका प्रदर्शन करना चाहिए ? जरूरत मालूम पडे तो यह भी करूँ। किन्तु मै इसकी जरूरत नही देखता। सरकारी पक्षको दु ख हुआ है। उसका कारण सविनय अवज्ञा नही है, वरन् उसके नामपर जो अविनय हुई है, वह है। हिंसावादियोके लिए प्रेम-प्रदर्शनका सवाल नही था, न अब है। उन्होने हमारी अहिंसा नही देखी, हमारी सूक्ष्म हिंसा देख ली, और निष्कर्ष यह निकाला कि हमारी सूक्ष्म हिंसा हमारी कायरताके कारण है, और इसलिए उनकी बहादुरीकी हिंसा ही इससे अच्छी। इस प्रकार, हमारी अवज्ञाके विनयहीन होनेसे दोनो पक्षोमेसे एक भी उसे ठीक समझ नही सका। समझ गये न ?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०७९ से), सौजन्य हरिभाऊ उपाध्याय।

४७ पत्र : हीरालाल शर्माको

३१ मई, १९३४

भाई शर्मा,

आस्ते चलना। द्वारकानाथजी कहते है बहूत बोज उठाते हो। शायद सुरेन्द्रके खतमे भी कुछ ऐसी शिकायत थी। यथाशक्ति सेवा लेने करनेमे सबको और सर्व प्रकारसे लाभ है। मुझे लिखा करो। खानेमे दूध इ० की जरूर रहे इतना लेनेका धर्म समजो।

द्रौपदीदेवीने अब तक मेरे पत्रका उत्तर नहि दिया है।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ६८ और ६९ के मध्य की प्रतिकृति से।

४८. पत्र : अमतुस्सलामको

३१ मई, १९३४

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,

तुम्हारा खत मिला। अस्पतालमे गई और आपरेशन नही हुआ वह कैसे? मै जून माह १४ को बम्बई पहुँचता हू। कैसा अच्छा होगा अगर आपरेशन हो जाये! मेरे साथ चलनेके बारेमे तुमको लिख चुका हू। आपरेशनसे इतना क्यो डरती हो? खुदा पे इतना एतबार नही है?

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०७) से।

४९. असममें कुली-समस्या

असममे मेरे दौरेके दौरान एक पत्रलेखकने अपने उद्गार उपरोक्त शीर्षकसे मेरे पास भेजे थे। नीचेका अश मैंने उसी पत्रसे लिया है।[1]

पत्र-लेखककी ज्यादातर बातोकी पुष्टि मेरे अनुभवसे होती है। यह 'कुली' शब्द ही एक बिलकुल असगतिपूण शब्द है और यह हमे दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिका स्मरण कराता है। वहाँ इस शब्दका अर्थ श्रमिक या बोझा ढोनेवाला व्यक्ति नही रह गया है, बल्कि इसका प्रयोग उसकी राष्ट्रीयताका बोध करानेके लिए किया जाने लगा है और यह एक कलकसूचक शब्द बन गया। भारतीय व्यापारी, वकील या डाक्टर कुली व्यापारी, कुली वकील आदि कहलाने लगा। इसी तरह असममे जो भारतीय दूसरे प्रान्तोसे चाय बागानोमे काम करनेके लिए आता है, मजदूरके रूपमे उसका ठेका समाप्त होने पर भी तथा मजदूरी पेशा छोडकर जमीन का मालिक बन जाने पर भी वह कुली ही कहलाता है। परिश्रमी होनेकी वजहसे वह सारे असममे फैल गया है, तो भी वह समाजसे बाहर समाजच्युत होकर रहता है। वहाकी आत्मघाती नीति ही ऐसी है, जिसकी वजहसे उसे इस तरह रहना पड रहा है। असमसे बाहर तो उसे निकाला नही जा सकता। उसकी बहुत ज्यादा उपेक्षा की गई है जिससे उसकी जबदस्त आर्थिक हानि हुई है। अगर इनकी अच्छी देखभाल की गई होती तो वे आज प्रथम श्रेणीके लोगोके समान होते। असमके पढे-लिखे लोगोका यह कत्तव्य है कि वे इस समस्याका अध्ययन करे और सभी सम्बन्धित लोगोके हितके लिए इसे सुलझाएँ। धनकी इसमे उतनी जरूरत नही है जितनी कि बुद्धि और परिश्रम की।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १-६-१९३४

१ यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने तथाकथित कुलियो तथा दलितवर्गों द्वारा झेले जा रहे असम्मान और उसे दूर करनेकी जरूरतकी ओर गांधीजीका ध्यान खीचा था। उनके जीवनस्तरको उठाने तथा समाजमें उन्हें मान्यता दिलानेके लिए एक कार्य-योजना लागू करवानेको उसने अनुरोध किया था।

५०. अस्पृश्यता जिस रूपमें आज है

'हरिजन' के सम्पादकने मेरे पास एक सज्जनका पत्र भेजा है। पत्र-लेखकने अपना नाम व पता दिया है, लेकिन वह उसे पाठकोके प्रति प्रकट नही करना चाहता। वह लिखता है

९ मार्चके 'हरिजन'में मैंने देखा कि गाधीजीने अपने भाषणमे यह कहा है कि 'अस्पृश्यताके समर्थनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है'। महात्माजीके इस आन्दोलनका समर्थन करनेवाले सबसे धुरन्धर पण्डितोमे एक हैं, काशी-हिन्दू विश्वविद्यालयके महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथ तर्कभूषण। गत वर्ष उन्होने गाधीजीको अस्पृश्यता-निवारणके पक्षमें जो पत्र लिखा था, वह उन्होने प्रकाशित कर दिया है। तर्कभूषणजीने उस पत्रमें लिखा है कि अस्पृश्यताके समर्थक श्लोक शास्त्रोमें मिलते तो हैं, पर ऐसे भी श्लोक मौजूद है जिनमे कहा गया है कि मन्त्र-दीक्षा और भगवद्भक्तिके द्वारा अस्पृश्य जन भी शुद्ध हो सकते हैं। इस तरह तर्कभूषणजीके कथनानुसार तो जिन चाडालोको मन्त्र-दीक्षा नहीं दी गई और जो भगवानके भक्त नहीं है, वे शास्त्रीय दृष्टिसे अस्पृश्य है। इसलिए गाधीजीके इस मतका समर्थन तर्कभूषणजी नहीं कर रहे ह कि 'अस्पृश्यताके समर्थनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है।'

क्या आप कृपाकर बतायेंगे कि किन पण्डितोने गाधीजीसे यह कह दिया है कि अस्पृश्यताके समर्थनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है?

गाधीजीने पहले खुद ही लिखा था कि सनातनियोने ऐसे अनेक श्लोक उन्हे बताये है जिनसे अस्पृश्यताका समर्थन होता है, पर उन श्लोकोको प्रामाणिक इसलिए नही मानते कि वे सदाचारके मूल सिद्धान्तोके प्रतिकूल है।

अब गाधीजीके इस हालके वक्तव्यका, कि अस्पृश्यताके समर्थनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, उनके उस पहले कथनके साथ कोई मेल नहीं बैठता, कि अस्पृश्यताके समर्थनमें श्लोक तो है, पर सदाचारके प्रतिकूल होनेके कारण वे उनकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते।

इस प्रत्यक्ष असगतिके सम्बन्धमें क्या आप कृपाकर 'हरिजन'के स्तम्भोमें कुछ स्पष्टीकरण करेंगे?

मैंने ९ मार्चके 'हरिजन'से उद्धरणकी जाँच नही की है। लेकिन यह तो सभी जानते है कि आजकल अस्पृश्यताके विषयमे जब भी मै बोलता हूँ, तो मेरा मतलब अस्पृश्यताके उस रूपसे होता है जिस रूपमे कि वह आज बरती जाती है अथवा

उसका जो अर्थ हम आज समझते है। जो बात मैने हजारो सभाओमे कही है, वही फिर कहता हूँ कि आज हम जिस अस्पृश्यताका पालन कर रहे है, उसके समथनमे कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है। महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथ तकभूषणने मुझे जो पत्र लिखा था, उसका मुझे भली भाति स्मरण है। इस अमिट अस्पृश्यता सिद्धान्तके खण्डन मे उन्होने बडा ही प्रबल तक दिया है। उनका वह पत्र मेरे कथनका इस अथमे समर्थन करता है कि कोई भी अस्पृश्य सदाके लिए अस्पृश्य नही बना रह सकता। एक बार यह मानते ही कि केवल द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) मन्त्रका उच्चारण करने से कोई भी अस्पृश्य 'स्पृश्य' हो सकता हे, अस्पृश्यताका गढ ढह जाता है। अपने पक्षके समर्थनमे मै सनातनियोका भी नाम इसलिए लेता हूँ कि जैसी अस्पृश्यता आज मानी या बरती जाती है, उसके समर्थनमे सनातनियोने अबतक एक भी शास्त्रीय वचन उपस्थित नही किया। अब जनगणनाका गोरखधन्धा लीजिए। जननणनाके कागजोमे एकबार जो जातिया अस्पृश्य शुमार कर ली जाती है, दूसरी बार वे ही स्पृश्य मान ली जाती है और दूसरी कुछ जातियॉ अस्पृश्य गिन ली जाती है। निश्चय ही शास्त्रोमे ऐसा कोई प्रमाण नही है जिससे लोगो पर अस्पृश्यताकी छाप लगा देनेवाले जनगणनाके इन आँकडोको हम स्वीकार कर ले। और आज हम जिस अस्पृश्यताका पालन कर रहे है उसका सम्बन्ध तो सिर्फ उन्ही करोडो नर-नारियोसे है जो जनगणनाके कागजोमे अस्पृश्य दर्ज कर लिये गये है। इसी प्रकार उन बेचारोके साथ उनके प्रान्तो या जिलोमे जैसा बरताव किया जाता है, उसके लिए भी शास्त्रोमे कोई आधार नही है। मैने यह अवश्य कहा है कि सनातनियोने जिस अस्पृश्यताका वर्णन किया है, उसके समथनमे प्रस्तुत किये गये शास्त्रवचन हिन्दूधमके मूल सिद्धान्तोके विरोधी है। इसलिए खुद शास्त्रोके ही बताये हुए शास्त्राथके नियमोके अनुसार, ऐसे वचनोको अप्रामाणिक मानकर ग्रहण नही करना चाहिए। इसलिए जब मै यह कहता हूँ कि जो अस्पृश्यता आज बरती जाती है उसके समथनमे कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है, तो उससे मेरे किसी लेख या कथनमे कोई असगति नही आती। हॉ, स्वच्छताके लिए एक तरहकी अस्थायी अस्पृश्यता माननेके प्रमाण शास्त्रोमे काफी मिलते है। पर यह अस्पृश्यता वह अस्पृश्यता नही है जो बुद्धि या सदाचारकी विरोधी हो। मै जिस अस्पृश्यताके खिलाफ लड रहा हूँ, वह तो अन्तरकी वह कलक-कालिमा है जो जन्मके साथ ही लगी आती है और लाख धोओ, पर छूटती नही।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १-६-१९३४

५१. पत्र : तारा जसवानीको

१ जून, १९३४

चि० तारा,

तीन बरसमे पत्र लिखती हे, इसके लिए क्या तुझे धन्यवाद दूँ? इतने बरस बाद पत्र लिखा, लेकिन अपनी सेवाका हिसाब तो दिया ही नही। जिस प्रयोजनको लेकर मै यह यात्रा कर रहा हूँ, उस हरिजन-सेवाके लिये तूने कुछ पैसा इकट्ठा किया हे क्या? न किया हो, तो अब करना और उसमे अपना दान मिला कर भेजना। मै कलकत्ता न जाऊँ, तो उससे यह काम रह नही जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८७८५)।

५२ एक पत्रका अश[1]

[२ जून, १९३४से पूव]

आपको मन छोटा क्यो करना चाहिए? आप राजा जनकके दृष्टान्तका अनुकरण क्यो नही कर सकते? उनकी राजधानी भस्म हो गई, मगर वे तटस्थ वृत्ति बनाये रहे। वे जो करना था सो सब कर चुके थे। क्या आपसे कर्त्तव्यमे कोई कसर रह गई है? अगर नही रह गई, तो आप चिन्ता क्यो करते है। भगवानको, जिसके इगित पर सब चल रहा है, अपनी मर्जी पूरी करने दीजिए। अगर आपसे कही त्रुटि हुई हो, तो भी चिन्ताकी क्या बात है? कहानीकी लैसीकी तरह "पुन उद्योग करो।"

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५४१) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी।

५३. भाषण : सार्वजनिक सभा, जाजपुरमे

२ जून, १९३४

आपने मुझे जो मानपत्र दिया है, उसमे यह स्मरण दिलाया है कि यह क्षेत्र एक तीथक्षेत्र है। कितना अच्छा होता यदि आप इसके साथ-साथ यह भी कह सकते कि इस तीर्थक्षेत्रके सब मन्दिर हरिजनोके लिए खुल गये है! मैने अनेक बार कहा है कि जिस मन्दिरमे हरिजनोको प्रवेशका अधिकार नही, उस मन्दिर मे मूर्ति तो है, पर वहाँ भगवानकी प्रतिष्ठा नही हुई है।

१ यह सन्देश क० मा० मुन्शीके नाम चन्द्रशकर शुक्लके २ जून, १९३४के पत्रमें भेजा गया था। सन्देश किसके लिए था, यह स्पष्ट नही है।

भगवानको हम पतित-पावन कहते है, दरिद्रनारायण कहते है, दयानिधि कहते है, करुणासागर कहते है। भगवानके ऐसे हजारो विशेषण है जिनसे हम सिद्ध कर सकते है कि भगवान किसी एक खास कौमके नही है। न ब्राह्मणके है, न क्षत्रियके है, किन्तु वे सबके है। पर हम तो अपने अभिमानमे डूबकर यो कहते है कि 'भगवान केवल हमारे लिए है, दूसरोके लिए नही।' जो ऐसा मानते है, उन्हे मैने यह चीख-चीखकर सुना दिया है कि अगर शास्त्रमे कुछ सत्य है, शास्त्रके सिद्धातोमे कुछ सत्य है, तो जिस मन्दिरमे हरिजनोको जानेका अधिकार नही है, उस मन्दिरमे भगवान नही है, वहाँ सिर्फ पाषाण है।

जो बात सामान्य बुद्धि समझ लेती है, उसे हम न समझे और ऊँच-नीचके भावको अपने दिलोमे रखकर हरिजनोका बहिष्कार करे, तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति जीवित नही रह सकती।

मानपत्रमे आपने जो लिखा है, उससे तो यह ध्वनि निकलती है कि अस्पृश्यताको समाप्त करनेके लिए प्रचण्ड प्रचार किया जा रहा है, पर इस युगमे अस्पृश्यता निर्मूल नही हो सकती। जिस प्रकार मनुष्य आँखोसे देख लेता है, उसी प्रकार मै प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि अस्पृश्यता, हम अच्छा कहे या न कहे, नष्ट होनेको ही है। काल-चक्रकी गतिको कोई भी मनुष्य आजतक रोकनेमे समर्थ नही हुआ है। अगर हम अपनी इच्छासे हरिजन भाइयोको अपना लेगे, जितने अधिकार हमारे है वे सब उन्हे दे देगे, तो ईश्वरके दरबारमे, ईश्वरके खातेमे हमारा यह पुण्यकार्य माना जायेगा। हमारी अनिच्छासे अस्पृश्यताके मिटनेका जो परिणाम होगा तथा हमारी इच्छासे उसके मिटनेका जो परिणाम निकलेगा, इन दो बातोको मै बता देता हूँ। हमारी अनिच्छासे अस्पृश्यताके मिटनेका अर्थ है हिन्दू-धर्मका मिट जाना। हिन्दू-धर्मके मिट जानेसे कोई अछूत तो नही रह सकता, पर यह मानवताके लिए कल्याणकारी नही होगा। किन्तु हिन्दू-धर्मावलम्बियोकी इच्छासे, सवर्ण हिन्दुओके पश्चात्तापसे, उनकी आत्मशुद्धिसे अस्पृश्यताका मिटना गौरवकी बात होगी, पुण्यकी बात होगी, और हिन्दूधर्मका जहाँ आज लोप हो रहा है वहाँ उसका पुनरुद्धार होगा, उन्नति होगी। हिन्दूजातिकी उन्नतिसे भारतमे और, केवल भारतवर्षमे ही क्यो, सारे जगतमे भ्रातृभाव और मैत्रीभाव पैदा हो जायेगा। आपके सामने मैने दो मार्ग रख दिये है — एक उन्नतिका, दूसरा अवनतिका। अब यह निश्चित करना आपका कर्त्तव्य है कि आपको किस मार्गसे जाना चाहिए।

एक मुसलमान भाईने मुझे एक खत भेजा है। वे चाहते है कि उसका जवाब मै यही दे दूँ। उनके खतका आशय यह है कि आजतक मैने जो-जो प्रयत्न किये है उनमें मुझे निष्फलता ही हासिल हुई है। वे लिखते है, "तो आपने क्यो खामखाँ यह एक और काम हाथमे ले लिया है?" उदाहरणके लिए वे कहते है — "आपने हिन्दू-मुसलमान ऐक्यके लिए भारी प्रयत्न किया, मगर उसका कोई फल नही हुआ, वैमनस्य ही कुछ और बढ गया।" इसके उत्तरमे मै इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं यह स्वीकार नही करता कि मुझे अपने प्रयत्नोमें निष्फलता मिली है, खासकर हिन्दू-मुसलमानोके ऐक्यके प्रयत्नमे। मेरा यह अडिग विश्वास है कि जो कुछ भी

प्रयत्न हिन्दू-मुसलमानोकी एकताके लिए किया गया है—यद्यपि आजके राजनीतिक वातावरणके कारण उनमे वैमनस्य कुछ बढ गया प्रतीत होता है—उससे एकता बढी ही है। मेरा यह भी अडिग विश्वास है कि हिन्दू और मुसलमानोकी एकताका प्रयत्न इतिहासमे लिखा जायेगा कि यह बडा अच्छा था और ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन हम मान भी ले कि मेरे सारे प्रयत्न निष्फल ही गये है, तो भी मुझे पछतावा नही है, क्योकि मैंने एक सत्यके पुजारीकी हैसियतसे ही अपने जीवनमे ये सारे प्रयोग किये है। इसलिए मेरे दिलमे इनके लिए कोई पश्चात्ताप नही है।

हरिजन सेवक, १५-६-१९३४

५४ एक पत्र[1]

[३ जून, १९३४से पूर्व]

अगर गाँवोमे मेरी नित्यकी इस पदयात्राको आप लोग सारे भारतके गाँवोकी पदयात्रा मान ले तो इस आन्दोलनमे सभी प्रान्तोका प्रत्यक्ष सहयोग सुलभ हो जाये। गाँव-गाँवमे लोग दल बनाकर पदयात्रा करे और समानता तथा भाईचारेका सन्देश द, क्योकि आखिर अस्पृश्यताके उन्मूलनका अर्थ यही तो हे। ऐसा मानकर कि मैं स्वय उनके साथ-साथ यात्रा कर रहा हूँ ये दल सवण हिन्दुओके सामने ऊँच-नीचके भेदभाव और अस्पृश्यताकी हानि स्नेहपूवक रखे और उसके पश्चात्तापके रूपमे उनसे धन इकट्ठा करके मेरे पास भेजे। अगर साथ, एक जैसा मैंने निरूपित किया है, काम शुरू हो जाये तो लोगोमे कैसी जागृति फैल जाये!

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३-६-१९३४

५५. एक पत्र

[३ जून, १९३४से पूव]

इस बातकी मुझे खुशी है कि आप, चाहे पाँच दिनोके लिए ही क्यो न हो, बगालमे पदयात्रा करने जा रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया अच्छी हुई तो यात्रा सफल कहलायेगी। दौरेमे धन-सग्रहका उद्देश्य तो आप लोगोको समझायेगे ही। उन्हे यह भी समझाये कि उडीसामे मेरा दौरा करना ज्यादा जरूरी था और यह भी बताये कि उडीसाके मेरे दौरेको सारे भारतका दौरा समझा जाये। जब भी मुझे मौका मिला, निश्चय मानिये, मैं बगालमे तीन महीने अथवा उससे भी अधिक समयतक दौरा करूँगा।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३-६-१९३४

१ साधन सूत्रमें कहा गया था कि यह और अगले शीर्षकका अश डॉ० वि० च० राय और सतीश चन्द्र दास गुप्त द्वारा एक वक्तव्यमें उद्धृत किया गया था।

५६. पत्र कोतवालको

३ जून, १९३४

भाई कोतवाल,

आपका पत्र मिला।

आपकी खुराककी बात समझा। जेलमे जाना पडे, तो भोजनमे फल की माँग करनेमे मै कोई हर्ज नही देखता। लेकिन उसके लिए, मुझे लगता है, अनशन नही किया जा सकता। आपने व्रत नही लिया है, अब व्रत ले भी नही सकते। तो जिससे हमारा काम चल सकता हो, वह यदि सम्मानपूर्वक दे, तो उसीको लेकर सन्तोष करना चाहिए। जेलमे पहुँचकर हम अपना शरीर जेलरको सौप देते है।

जेलमे आपने जो उद्धरण आदि इकट्ठे किये थे, उनके सम्बन्धमे आप इडिया ऑफिस तक लिखा-पढी कर सकते है, और चाहे तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते है।

आँखकी रोशनीके लिए नाक पर शल्यक्रिया करवानेकी जबतक खास ही जरूरत ही न मालूम पडे, तबतक न करवाना ही बुद्धिमानी होगी।

देशी राज्योके बारेमे आप जो प्रस्ताव पेश करना चाहते है, उसमे मुझे तो बहुत दोष दिखाई देता है। उस प्रस्तावकी तहमे मै तो विचारशून्यता अथवा मोह ही देखता हूँ। सो मै तो उस प्रस्तावके पेश करनेकी सलाह नही दूँगा।

दूसरा प्रस्ताव पहले प्रस्ताव जितना दोषयुक्त नही है, किन्तु दोष तो उसमे भी काफी मात्रामे है। यह प्रान्त कैसे बना, इसके इतिहासका आपको ज्ञान नही है। जनसख्या जितनी आप गिनते है, उतनी मानी ही नही जा सकती। अजमेर-मारवाडको जितने प्रतिनिधि दिये गये है, मेरी दृष्टिमे तो वे भी अधिक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३६११) से।

५७. पत्र मार्गरेट स्पीगलको

४ जून, १९३४

चि० अमला,

पत्र लिखकर तुमने अच्छा ही किया। तुम जसी हो मै तुम्हे वैसा ही जानना चाहता हूँ, न कि उस रूपमे जिसकी सम्भावना हे। तुम्हारे दोषोके बावजूद, मै तुम्हे प्यार करूँगा। तुम्हारे मुझसे डरनेका कोई कारण नही है। मै तुमसे घृणा करता हूँ, यह विचार तुम अपने दिमागसे बिलकुल निकाल दो। घृणा मै ससारमे किसीसे नही करता। तुमने ऐसा कुछ नही किया जिससे मै घृणा करूँ। इसके विपरीत, तुमने ऐसा बहुत-कुछ किया है, जिसके कारण मै तुम्हे प्यार करूँ। इसलिए तुम्हे अपनी विचारशक्ति नही खोनी चाहिए।

मीराके नाम लिखा तुम्हारा पत्र मैने पढा है। मेरा खयाल है तुम्हे किसी ठण्डी जगह चले जाना चाहिए। मै आसानीसे तुम्हे कही न कही भेज सकता हूँ। जर्मन दवाओके कडवे घूट पीनेकी क्या जरूरत है? अहमदाबादमे बहुत-से योग्य चिकित्सक है। परीक्षितलालसे कहो। वह तुम्हे किसी एकके पास ले जायेगा। इन मामलोमे तुम्हे स्वस्थचित्त रहना चाहिए। अगर तुम बीमार होती रही और तुम्हारा शरीर कमजोर रहा तो यह मेरे लिए बहुत बडी चिन्ताका कारण बन जायेगा।

तुम मीरा जैसी क्यो बनना चाहती हो? वह सवगुणसम्पन्न नही है। सर्वगुण-सम्पन्न कोई नही है। ईश्वरने तुम्हे कुछ दिया है, उसीके अनुरूप नेक बननेकी तुम्हे कोशिश करनी चाहिए। कोई दो आदमी ससारमे एक-जैसे नही होते। लेकिन बनना चाहे तो नेक सभी बन सकते है।

जल्दी ही हम लोग मिलेगे। मै चाहूँगा कि मुलाकात होनेके समय तक तुम भली-चगी हो जाओ। और अगर अपनी बीमारीके बारेमे न सोचो और ठीक होनेके लिए आवश्यक उपाय करो तो तुम स्वस्थ हो जाओगी।

कुछ पत्र मै सम्बन्धित लोगोको देनेके लिए सलग्न कर रहा हूँ।

सस्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगलके कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय।

५८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

४ जून, १९३४

'सिविल रेजिस्टेंस' शब्द-प्रयोग अधिक व्यापक है, साथ ही उसमें आदरका भाव भी मिला हुआ है। 'सिविल डिसओबीडिएन्स,' 'सिविल रेजिस्टेंसमें' निहित वृत्ति की सही अभिव्यक्ति नहीं है। 'सिविल डिसओबीडिएन्स' शब्द-प्रयोग भी एक मनोदशाको सूचित कर सकता है। यह शब्द-प्रयोग पहले-पहल थोरोने किया था, मुझे वह अच्छा नहीं लगा, और मैं जो सब कहना चाहता था, वह उसमें समाता भी नहीं था। आखिर खोजबीन करते मुझे 'सिविल रेजिस्टेंस' शब्द-प्रयोग सूझा। 'पेसिव रेजिस्टेंस' प्रचलित प्रयोग था। मेरा विरोध अथवा मेरा बल 'पेसिव' नहीं था, 'एक्टिव' था। पर 'एक्टिव' का अर्थ हिंसक भी हो सकता है। 'सिविल' केवल अहिंसामूलक विशेषण है, इसलिए मैंने उसे 'रेजिस्टेंस' के साथ जोड़ दिया।

दाडी-कूचके समय जो प्रतिज्ञा की गई थी, उसका यह अर्थ तो था ही नहीं कि स्वराज्य न मिलने तक जेलमें ही रहा जाये। फिर जेलमें रहना हमारे हाथमें भी तो नहीं होता।

यरवदा-समझौतेके अनुसार परिनिर्णय[1] में परिवर्तन करना जिस प्रकार सरकारका कर्त्तव्य था, उसी प्रकार जनताको भी तो हरिजनोंके प्रति अपना ऋण चुकाना था। यह शर्त सरकार देख पाई थी, इसलिए उसके निहितार्थं द्वारा वह बाध्य थी कि उस शर्तका पालन करनेकी मुझे पूरी सुविधा दे। मेरे इसी प्रकारके तर्कको स्वीकार करके सरकारने पहली कैदमें मुझे छूट दी थी। वह पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो चुका है, अब वे उससे विमुख कैसे हो सकते हैं?

जमनालालजीकी नियुक्तिमें मेरा हाथ नहीं है, किन्तु वह हुई ठीक है। सचिव का स्थान रिक्त रखा गया है, क्योंकि एक सचिव बाहर है। अगर दोनोंमेंसे एक भी बाहर न होता, तो वह जगह भी भरनी पड़ती। ऐसे मामलोंमें सिद्धान्त नहीं होता। हाँ, शिष्टाचारकी मर्यादा होती है। खजान्ची और अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हो तो उसमें असंगत क्या है?

संसदीय बोर्डके मामलेमें तुम जैसा कहते हो, वैसा ही है। पुरोहित ब्याह करा देता है, किन्तु क्या उसे वर-वधूका घर भी चलाना चाहिए? हम जैसे हैं, वैसे दिखाई देते रहें, तो किसी दिन जैसे होना चाहिए, वैसे हो भी जायेंगे।

अब पत्र १४वीं[2] को न? फिर भी कुछ हुआ, तो लिखूंगा अथवा लिखाऊँगा।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १४६-७

१ साम्प्रदायिक परिनिर्णयमें।

२ उस तिथिको गांधीजी बम्बई पहुँचनेवाले थे।

५९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

४ जून, १९३४

मुझे जो सीमित छूट[1] दी गई थी, उसकी सूचना यद्यपि सुपरिंटेन्डेटने मुझे जबानी दी थी, तथापि वह टेलीफोनसे भेजा हुआ सन्देश था, जो उसने मुझे पढकर सुनाया था। उस समय तो मैने स्वीकार कर लिया, किन्तु उसके जानेके बाद आधा घन्टा भी नही बीता होगा कि मैंने पत्र[2] लिखा और सरकारको भेज दिया।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३२

६०. एक पत्रका अंश[3]

[५ जून, १९३४से पूर्व]

बगालको तो तीन महीने देना चाहूँगा। मगर वह मेरे दूसरे जन्ममे ही हो सकता है।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५४२) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी

६१ पत्र : बलवन्तसिंहको

४ जून, १९३४

भाई बलवन्तसिंह,

'भाई' अथवा 'चि' अथवा और कोई विशेषणसे कुछ फरक नहिं पडता जबतक भाव एक है। मुझे जिसका ठीक परिचय नहिं है जिसकी उमर इत्यादि नहिं जानता हू उसको प्राय 'भाई' लिखा करता हूँ। तुमको सुरेन्द्र अपने साथ रखे तो मुझे अच्छा लगेगा। नारणदास राजकोट है। वह कहे ऐसे करो।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १८७१ की फोटो-नकल से

१ हरिजन कार्य करनेके लिए।

२ देखिए खण्ड ५५, पृ० ३७४।

३ यह सन्देश क० मा० मुन्शीके नाम चन्द्रशकर शुक्लके पत्रमें भेजा गया था—सन्देश किसके लिए था, यह स्पष्ट नही है।

६२ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

४ जून, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला है। मुझे लगता है कि तुमारे घर काममें लग जाना चाहीये। जो कमाई हो सके वह करनी चाहिये और जब स्वतन्त्रतया कुटुंब मोह छूट जाय, धन लोभ भी मिट जाय और ब्रह्मचर्य स्वयसिद्ध हो जाय तब सेवा क्षेत्रमें उतरना। मेरे अथवा किसी ओरके कहनेसे त्याग करनेकी बात निरर्थक समजो। तुमारी शक्तिका नाप तुमारी पास ही हो सकता है। तुमारे मोहकी बात तुम ही जान सकते हैं। जबतक तुमको सच्चा नाप न मिले तबतक कौटुंबिक सबंध और पेशा कायम रखना धर्म समजा जाय। कौटुंबिक सबंध कोई पाप नहि है। धनोपार्जन भी पाप नहि है। कौटुंबिक सबंधको मर्यादित करनेमें भी सेवा तो है ही। जो मनुष्य अपने क्षेत्रमें रहता हुआ सत्यादिका पालन करता है वह भी सेवा करता है। जो सेवा क्षेत्रमें पडकर सूक्ष्म विषय, स्वार्थ इ० सेवता है वह सेवा नहि करता, नुकसान करता है, दंभी बनता है। ऐसा कहना कि धनोपार्जनमें सत्यका पालन होता ही नहि बडी भ्रमणा है। धनोपार्जन करते हुए सत्य पर कायम रहनेवाले लोग आज मौजूद हैं। तुमारे लिये आज यही कर्तव्य मुझे तो लगता है। प्रथम काय शरीर बिलकुल अच्छा करनेका है।

मेरे पास यात्रामें आना तो बेकार है। लेकिन जब पुना जाऊं तब अथवा अमदाबाद आना है तो आना। मेरी सलाह है नहि आना। कायमें रत हो जाना बहतर हे।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २४१२की फोटो-नकल से।

६३ पत्र रामेश्वरदास पोद्दारको

४ जून, १९३४

चि० रामेश्वरदास,

जमनालालजीकी कैदमें हो, रहो और जैसे वह कहे ऐसा ही करो। कन्धोरा[1] डाकसे या कोई आने जानेवालेके साथ भेजा जाय।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६८ की फोटो-नकल से।

[1] एक प्रकारका आभूषण।

६४ पत्र अमतुस्सलामको

४ जून, १९३४

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,

तुम्हारा खत और डॉक्टरका तार साथ पहुँचा। आपरेशन हो गया सो बहुत अच्छा हुआ। मेरे बम्बई पहुँचनेपर तो फिरती हो जायेगी। फिकर किसी चीजकी मत करो। चन्द्रकान्ता[1] और राजे[2] को खत लिखता हूँ। अच्छा हुआ दोनो वहाँ है।

बापूकी दुआ

उर्दू जी० एन० ३०८की फोटो-नकल से।

६५ तार राजेन्द्रप्रसादको[3]

[५ जून, १९३४ या उससे पूव][4]

तार अभी अभी मिला। उनकी विधवा और भागवती[5] से कहिए होनहार पर दुख न करे। परिवारका मुरय आधार आपने खो दिया है, तो भी आपने कुछ नही खोया है। ईश्वर सदा आपका सहायक था और है। महेन्द्रबाबू भगवानके निमित्त थे। घनश्यामदास बिडला और कुमारी हैरिसन यही है। वे तथा दूसरे लोग शोक भेजनेमे मेरे साथ शामिल है।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ५-६-१९३४

१ और २ कानपुरके प्रसिद्ध काग्रेसी डॉ० जवाहरलाल रोहतगीकी पुत्री और पुत्र, जो किग एडवर्ड मेमोरियल अस्पतालमें हाउस सर्जन थे। इसी अस्पतालमें अमतुस्सलामका ऑपरेशन हुआ था।

३ राजेन्द्रबाबूके उस तारके उत्तरमें जिसमें उन्होंने अपने बडे भाई महेन्द्रप्रसादकी मृत्युकी सूचना दी थी।

४ तार "भद्रक, ५ जून, १९३४" की तिथि पक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

५ राजेन्द्रप्रसादकी बहन।

६६ पत्र : नारणदास गाधीको

५ जून, १९३४

चि० नारणदास,

तुम घूम-फिर आये यह अच्छा किया। रुखीके बारेमे समझ गया। शहरी जीवन बितानेका इसके सिवा और कोई अर्थ ही नही निकल पाता। रुखी अपना मार्ग सरल बना सकती थी, किन्तु उसमे इतना साहस नही था। इसमे उसका कोई दोष नही है। प्रकृतिके अनुसार ही सब व्यवहार करते है। उसीके अधीन रहकर जो परिवर्तन किये जा सकते है, करते रहते है। इससे अधिक करनेका प्रयत्न करते है तो हानि ही होती है।

प्रभुदास जो चाहता था, सो उसे मिल गया है। यदि वह स्वास्थ्यको सँभालकर चलता रहा तो मार्ग तय कर लेगा।

वेलाबहन अपनी इच्छाके अनुसार चढ-उतर सकती है। उसे कोई खतरा नही है। प्रेमा मेरे रवाना होनेके बाद छूटेगी तो मेरे पास पहुँचेगी न? लीलावती कब छूटेगी। मुझे यह अवश्य लगने लगा है कि अब आनन्दी इत्यादि का बोझ[1] अनसूया-बहनके सिरसे उतार लेना चाहिए। कहा जा सकता है कि कनुने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। मैंने अमलाको चिट्ठी लिखी है। लगता है तुम अमीनासे नही मिले। अमतुस्सलामका बम्बईमे अर्शका आपरेशन हो गया है। वह किंग एडवर्ड [मेमोरियल] अस्पतालमे है, उसे लिखना। बुनकरोको सूत नही मिलता, यह दु खकी बात है।

गोशालाके बारेमे विचार कर लेना। यह काम पीछे न रह जाये। टाइटसको लिखना कि वह अवसर न चूके। वह अपनी इच्छाके अनुसार गोशालासे दूर न रहे। छगनलालके नाम लिखा पत्र इसीके साथ है।

चिमनलाल कहाँ है? जब मै अहमदाबाद आऊँगा, उस समय तो तुम वहाँ रहोगे न? यदि जमनादासकी तबीयत नही सुधरती तो मै उसका इस्तीफा देना ठीक मान लूँगा। किन्तु उसके बाद पाठशाला कौन चलायेगा? जमनादास तो मुझे एकाध बार ही लिखता है। देखना, वह कोई निर्णय जल्दबाजीमे न कर बैठे।

यह अच्छी बात है कि पुरुषोत्तम वर्धा जाना चाहता है। यहाँ वर्षा हो चुकी है, और इसलिए पदयात्राके योग्य मौसम नही रहा। सोच रहा हूँ कि शेष दिनोमें क्या करना चाहिए।

१ आश्रम बन्द कर दिये जानेके बाद छोटी छोटी बालिकाओंकी जिम्मेदारी अनसूयाबहनको सौंप दी गई थी।

यह तय हो गया है कि आज और पदयात्रा की जाये और भद्रक पहुँचे, वहाँ से शुक्रवारको वर्धाके लिए रवाना हो जाये, तथा वर्धासे निकलकर बम्बई।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एम० एम० यू०/१) की माइक्रोफिल्मसे। सी० डब्ल्यू० ८४०१ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

६७ पत्र : द्वारकानाथको

५ [जून][1], १९३४

चि० द्वारकानाथ,

यहाँ बरसात शुरू हो गई है, इसीलिए पदयात्रा करना असम्भव हो गया है। अत तीन दिन भद्रकमे बितानेके बाद वहाँ आना तय किया है। आशा है, शुक्रवारको भद्रकसे रवाना होकर शनिवारको वहाँ पहुँचूगा। वहाँसे बुधवारको रवाना होऊँगा। साथमे दसेक व्यक्ति होगे। जमनालालजी तथा रामदासको अलगसे नही लिख रहा। विद्यासे कहना कि उसका पत्र मिला है। ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०८७) से।

६८ पत्र कान्ति गाधीको

५ जून, १९३४

चि० कान्ति,

तू मुझे बिलकुल पत्र न लिखे, यह बात कैसे चल सकेगी? तू क्या कर रहा है, क्या पढ रहा है, कैसे रह रहा है, यह सब मुझे लिखेगा नही? वहाँसे तो तुझे हर हफ्ते एक सुन्दर पत्र मुझे लिखना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८५) से, सौजन्य कान्ति गाधी।

१ साधन सूत्रमें पढ़ा नही जाता, तथापि सन्दर्भसे स्पष्ट है कि यह पत्र जूनमें ही लिखा गया था। देखिए पिछला शीर्षक भी।

६९. पत्र : केशवजी रावचन्द और कानजी मूलजी सिक्काको

५ जून, १९३४

भाई केशवजी रावचन्द तथा कानजी मूलजी सिक्का,

मेरा कलकत्ता आना तो रुक गया। लेकिन फिर भी कलकत्तेके गुजराती भाई-बहनोसे थैली पानेकी आशा तो करता ही हूँ। मारवाडी भाई-बहनोसे कमसे कम २०,००० रुपयेकी बात पक्की हुई है। हो सकता हे २५,००० रुपये भी मिल जाये। गुजराती भाई-बहनोकी ओरसे जो हो जाये, उसे प्राप्त करनेके लिए भाई वालजीभाई देसाईको भेज रहा हूँ। मुझे शुक्रवारकी ट्रेनसे वर्धा जाना है। अत जो इकट्ठा हो सके, वह कीजिए और वालजीभाईके साथ भेज दीजिए।

मोहनदास गाधीके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४६६) से, सौजन्य वा० गो० देसाई।

७० पत्र : वल्लभभाई पटेलको

गरदपुर, (उत्कल)
७ जून, १९३४

भाई वल्लभभाई,

इस बार आपका पत्र अभीतक नही आया। मेरे पत्र तो नियमपूर्वक गये ही हैं। यहाँ वर्षा आरम्भ हो गई है, इसलिए सब काम रुक गया है। अब प्रात कालीन प्रार्थनाका समय हो रहा है। यह लिख रहा हूँ, इतनेमे सतीशबाबू अपने दस आदमियो की टोलीके साथ भद्रक स्टेशनसे दो मील पैदल और सामान उठाकर यहाँ आ पहुँचे हैं। कीचडके कारण आनेमे पौने दो घटे लगे।

प्रार्थनाके बाद यह फिरसे लिख रहा हूँ।

सतीशबाबू बगालमे पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्राका फल बताना अभी मुश्किल है। मुझे तो पूरा सन्तोष है। और सब फीका लगता है।

हैरिसन बम्बई गई है। उससे फिर बम्बईमे मिलूगा। बहुत भली स्त्री है। चौबीसो घटे यही विचार करती रहती है। म्यूरियल जमनालालजीके साथ काफी घूमी। वह भी बम्बईमे मिलेगी।

प्रवासक्रम तो आपको भेजा ही है। विश्वास रखिये कि जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ १०५

७१ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको

७ जून, १९३४

यहा बरसात शुरू हो गई हे, इसलिए पदयात्रा करना असम्भव हो गया है। अत भद्रकमे तीन दिन बिता रहा हूँ। कल (शुक्रवारको) यहाँसे रवाना होकर वर्धा जाऊँगा और चार रोज वहाँ ठहर कर निश्चित तारीखको बम्बई पहुँचूँगा।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १४६

७२ भाषण: गरदपुर आश्रम, भद्रकमे

[७ जून, १९३४][1]

भाइयो और बहनो,

यह तय हुआ था कि आज सुबह ९ बजे आम सडकपर सभा की जाये। लेकिन मुझे सूचित किया गया कि पुलिस-अधीक्षकसे इजाजत लिये बगैर आम सडकपर सभा नही की जा सकती। यह हमारी गलती थी कि हमने सभाके लिए इजाजत नही ली। पुलिस-अधीक्षक इस वक्त यहाँ नही है। वे बालासोरमे रहते है। उनके जो मातहत अधिकारी यहाँ है, उन्हे इजाजत देनेका अधिकार नही है। अत मै सभा-स्थल तक नही जा सकता था और इसलिए आप सबको मैने इस जगह बुलाया है। मै जानता हूँ, यहाँ सभा करनेसे कानून नही टूटेगा। मेरी इच्छा कानून भग करनेकी और आम सडकपर सभा करनेकी नही है। मेरा आपसे यह कहना है कि आप सभी लोगोको अस्पश्यताका त्याग कर देना चाहिए। हम सभी एक परमेश्वरके पुत्र है, फिर हम हरिजनोसे अलग क्यो रहे? हमको चाहिए कि हम उन्हे वे सारी सुविधाएँ प्रदान करे जिनका उपभोग सवर्ण हिन्दू करते है। हमे ऊँच-नीचका किसी प्रकारका भेदभाव नही रखना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हम अकर्मण्य हो गये है। अकर्मण्यता खत्म कर दी जानी चाहिए। अगर हम अकम-

१ **अमृतबाजार पत्रिका**, ८-६-१९३४ से।

ण्यताका अन्त नही करेगे तो भूखो मरेगे। इसलिए कुछ काम अवश्य किया जाना चाहिए। अगर और कोई काम न हो तो चरखा ही चलाना चाहिए, ताकि कुछ-न-कुछ कमाया जा सके। अगर और कोई काम करनेसे किसीको ओर अधिक पैसे मिलते हो तो उसे उसीमे जुट जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि नशीली वस्तुओको त्याग देना चाहिए, क्योकि नशीली वस्तुएँ हमे हानि पहुँचाती है। मेरी बात अगर आपने समझ ली है तो अब हरिजनोकी सेवाके लिए आप जो-कुछ दे सके, दे।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ७-६-१९३४

७३ भाषण . हरिजन कार्यकर्त्ताओके समक्ष, भद्रकमे[1]

७ जून, १९३४

इस पदयात्रामे जो लोग हमारे साथ रहे है, उन्हे अवश्य मालूम हो गया होगा कि सच्चा कार्यक्षेत्र तो हमारे लिए गाँवोमे ही है। हरिजनोका बहुत बडा भाग गाँवोमे रहता है। देहातोमे अस्पश्यताने बडी मजबूतीसे जड जमा रखी है। और दरिद्रता भी सबसे ज्यादा हमारे गावोमे ही हे। मेरे कहनेका मतलब यह नही है कि शहरोकी उपेक्षा की जाये, पर सघका यह कत्तव्य होना चाहिए कि वह अच्छेसे-अच्छे सेवकोको हरिजनो तथा सवर्णों दोनोकी ही सेवाके लिए गाँवोमे भेजे। हरिजनोकी सेवा तो इस प्रकार, कि उनके लिए शिक्षाका प्रबन्ध करे, स्वच्छ जल उपलब्ध कराये, मन्दिरोमे प्रवेश कराये, उनकी आर्थिक स्थितिको सुधारे और उनकी बुरी आदतोको छुडाये जैसे मुर्दार मासका खाना और मादक चीजोका सेवन करना शराब आदिका पीना, और उन्हे सफाईकी आदत डलवाये। सवर्णोके साथ मित्रतापूर्ण सम्पर्क स्थापित करे तथा हरिजन-सेवामे उनका जितना सहयोग प्राप्त हो सके, प्राप्त करे। इन सब बातोमे जोर-जबरदस्तीसे काम नही लेना चाहिए। काम सच्चा होना चाहिए, दिखावटी नही। और निजी शुद्ध चरित्र तो सर्वप्रथम होना चाहिए। जिन सेवकोका चरित्र निष्कलक न हो और जो सब प्रकारके कष्ट सहनेको तैयार न हो, वे हरिजन-सेवासे दूर ही रहे, खासकर गाँवोमे। इसलिए कायकर्त्ताओके चुननेमे सघको बहुत ही अधिक सावधान रहनेकी जरूरत है।[2]

उडीसामें सर्वत्र हर वर्गके लोगोने, जिनमें स्त्रियाँ भी थीं, हरिजन-उद्धार कार्यके प्रति जो उत्साह दिखाया, गाधीजी ने उसपर सन्तोष व्यक्त किया। महात्माजी ने कहा

१ यह "साप्ताहिक चिट्ठी", से उद्धृत है।

२ आगेका अश **बॉम्बे क्रॉनिकल,** ७ ६-१९३४ से है।

मै पहलेसे ज्यादा आश्वस्त होकर लौट रहा हूँ कि हरिजन-कार्य पदयात्रा द्वारा कही ज्यादा अच्छी तरहसे होता है।

श्रोताओमें से एकके इस प्रश्नका उल्लेख करते हुए कहा कि क्या सविनय अवज्ञा मुल्तवी करनेकाअथ उसकी असफलता लगाया जाये, गाधीजीने कहा

सत्याग्रहीके शब्दकोशमे 'असफलता' जैसा कोई शब्द नही है। वह तो हर कदमपर मिले अनुभवके अनुसार अपने-आपको तैयार कर लेता है। सत्याग्रहकी प्रगति एक पवतारोहीकी प्रगतिके समान है, जिसे आगे बढते समय ऊँचे चढनेसे पूव कई बार पीछे नीचे कदम रखना होता है।

एक और प्रश्नका कि सविनय अवज्ञाको मात्र अपने-आप तक सीमित रखकर आप कैसे स्वराज्य प्राप्तिकी आशा करते है, जवाब देते हुए गाधीजी ने कहा

प्रतीक्षा करे और देखे।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १५-६-१९३४, **बॉम्बे क्रॉनिकल**, ७-६-१९३४ भी।

७४ टिप्पणी

प्रायश्चित्त उपवासकी मर्यादाएँ

पाठकोको याद होगा कि कुछ दिन हुए श्री सीताराम शास्त्रीने अपने एक मित्रकी कमजोरीपर बतौर प्रायश्चित्तके बिना शर्त उपवास शुरू किया था। उनके एक मित्रने अपना एक मन्दिर हरिजनोके लिए खोलनेका वचन दिया था। पर बादको वे अपने मित्रोके दबावमे पडकर अपने उस वचनसे हट गये। शास्त्रीजीने इस उपवासकी, जब मुझसे चर्चा की, तो मैने उनसे कहा कि इस सम्बन्धमे मेरी जो दलील है उसे मै सक्षेपमे 'हरिजन' मे दे दूगा।

सराहनीय तो वही उपवास है जो आध्यात्मिक उद्देश्यको लेकर उचित परि-स्थितियोमे किया जाता है। उपवास अपना स्वार्थ साधनेके लिए नही होना चाहिए। उसमे कोई हिंसा जैसी बात न हो। उदाहरणके लिए, किसी सनातनीकी धर्मश्रद्धा मन्दिर खोलनेके विरुद्ध है—यह जानते हुए भी यदि कोई उस सनातनीके खिलाफ अनशन करता है, तो उसका वह अनशन हिंसामे आ जाता है। सीताराम शास्त्रीको जिस प्रसगके विरुद्ध उपवास करना पडा, वह दूसरे ढगका है। उनके सामने तो यह सवाल था कि जबकि उनके एक प्रगाढ स्नेहीने अपना वचन-भग कर दिया है, तो उस स्थितिमे उनका क्या कर्त्तव्य है। ऐसा वचन-भग हुआ हो या होनेकी आशका हो, तो साधारण रीतिसे तो उसका इलाज उपवाससे होता है। जिनका यह विश्वास है कि अस्पृश्यता-जैसे सामाजिक या धार्मिक पापके विरुद्ध अहिंसाका युद्ध चलानेमे उपवासका उपयोग धमसगत है, उनके लिए उपवास कर्त्तव्यरूप नही तो कमसे-कम

वाछनीय तो समझा ही जाता है। पर हमे तो भीरु ही नही, बल्कि एक तरहसे निर्वीय समाजसे निबटना है। इसलिए वचन-भगका भी उपचार हमे शान्तिसे धीरे-धीरे करना होगा — खासकर तब जबकि वचन व्यक्तिगत विषयमे नही, बल्कि किसी सामाजिक विषयमे दिया गया हो। अन्धविश्वास हमारे रोम-रोममे पैठ गया है। अस्पृश्यता खुद एक ऐसा बहिष्कार है जिसमे तेज-से-तेज जहर भरा हुआ है। इसने हमारे मनमे काल्पनिक बहिष्कारका काल्पनिक भय भर दिया है। ऐसी भयभीत अवस्थामे सामाजिक बहिष्कारकी महज धमकीसे ही वह मनुष्य अपने वचनसे मुकर सकता है या उसे तोडनेको तैयार हो सकता है, जो अपनी जातिसे बाहर रहनेकी कभी कल्पना भी नही कर सकता। ऐसे प्रसगपर उपवास एक बहुत सख्त उपचार साबित होता है। समझदारीका रास्ता तो यह है कि ऐसे आदमियोसे कोई वचन लेना ही नही चाहिए और यदि वे वचन दे चुके हो, तो उसको कोई महत्त्व नही देना चाहिए। ऐसे मनुष्योके साथ नम्रता और मुलामियतसे ही पेश आना चाहिए। उपवास-जैसे तेज उपचारसे उन मनुष्योकी शक्ति बढनेके बजाय शायद और भी क्षीण हो जाती है और इससे जिस सुधारके लिए उपवास किया जाता है, उस सुधारको ही हानि पहुँचती है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ८-६-१९३४

७५. एक सावधान कतैया

एक हरिजन-सेवक, जो एक हरिजन पाठशालामे काम करते है और अन्य कई बातोके अलावा अपने विद्यार्थियो एव उनके अभिभावकोमे हाथ-कताईका प्रसार करनेका प्रयत्न कर रहे है, लिखते है

> **राष्ट्रीय सप्ताहमें मैंने पहलेकी अपेक्षा अधिक परिश्रम और कहीं अधिक सावधानीसे कताईका काय किया। मेरी गतिका औसत ३०० गज प्रति घटा था। ४० तोले रूईसे मैंने १६ नम्बरका ३७ तोला सूत काता। कुल सूत ९,७०० तार था — एक तार ४ फुटके बराबर होता है। रूईको साफ करने और धुननेमें मेरे ढाई तोले खराब हो गये और कातनेमे आधा तोला। यह खराब भाग मैंने रख छोडा है। इसका उपयोग मैं तकिया भरने या ऐसे ही किसी काममें करना चाहता हूँ। मैंने कई कातनेवालोको देखा है कि कभी-कभी इतना हिस्सा रद्दी कर देते है जिसका दाम कुल रूईकी कताईसे मिली मजदूरीके बराबर होता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए, कि मैं केवल फुर्सतके समय ही कातता हूँ। इतने समयमें ही मैं अपनी निजी आवश्यकतासे कहीं अधिक सूत तैयार कर लेता हूँ। बचे हुए सूतको बेचकर उसकी आयको अपने निरीक्षणमें चलनेवाली हरिजन पाठशालामें लगाऊँगा। मेरा सूत इतना अच्छा और मजबूत समझा जाता है कि बुनकर उसे दूसरे किसी सूतपर तरजीह देते है।**

मैं इस कर्तव्यको जानता हूँ। आज वह जो-कुछ बन सका है, अपनी सच्चाई और लगनसे ही बन सका है। वह साधारण कर्तैयोसे कुछ अच्छा नही था, किन्तु आज स्वेच्छासे कातनेवालोमे बहुत ही थोडे ऐसे निकलेगे जो इस हरिजन-सेवकके जैसा लेखा-जोखा दिखा सके। उडीसाके गाँवोमे भ्रमण करते हुए, लोगोसे बात करते और उनके घनिष्ठ परिचयमे आते हुए, मैं नित्य ही हाथ-कताईकी असीम सम्भावनाओके दर्शन करता हूँ। गरीब ग्रामवासियोमे जो आलस्य आ गया है, वह बडी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं देखता हूँ कि सैकडो और अकसर हजारो आदमी बेकार, बिना किसी कामके, सारे दिन मेरे चारो ओर घूमते रहते है। जो लोग हमारे चारो ओर चक्कर लगाते रहते हैं, किसी प्रकार अच्छी हालतमें नही है। उनका भोजन बहुत ही निम्न कोटिका है। दूध-घी तो शायद ही उन्हे मिलता हो। उबले चावल, दाल और तेल ही मुख्यतया उनका भोजन है। मुझे ये लोग महत्वाकाक्षासे हीन और आशारहित प्रतीत होते हैं। इतनेपर भी वे अपने जीवनमे एक उच्च सस्कृतिको प्रकाशित करते हैं जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना हम नही रह सकते। किन्तु यदि वे अपने प्रत्येक बेकार घटेका लाभदायक उपयोग करनेको प्रेरित नही किये जा सके, तो यह सस्कृति उनके किसी काम न आयेगी। मैं तो मजबूर होकर इसी नतीजेपर पहुँचता हूँ कि इन लाखो लोगोको इनके बेकार घटोमे देनेके लिए चरखेके अलावा और कोई चीज नही है। निश्चय ही कोई उद्योग, जो लाखोको काम देता है, लाभदायक धन्धा है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ८-६-१९३४

७६ तार : आनन्द तो० हिंगोरानीको

भद्रक
८ जून, १९३४

आनन्द
द्वारा केवलरमानी
इरीगेशन
जहनिया

तुम वर्धा या बम्बई आकर साथ हो सकते हो। विद्याका[1] दो हफ्तोके लिए वर्धा आना बेकार है।

बापू

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्म से, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा आनन्द तो० हिगोरानी।

१ आनन्द हिंगोरानीकी पत्नी।

७७. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको[1]

८ जून, १९३४

आपका ४ तारीखका पुर्जा मिला।

आपने यहाँकी बातोके बारेमे पूछा है। मै आपको प्रबन्ध-मण्डलकी नीतिकी यथावत् रिपोर्ट देकर ही सन्तोष करूँगा, क्योकि मै आशा करता हूँ कि किये गये कामकी विस्तृत रिपोट प्यारेलाल और अन्य लोगो द्वारा समय-समयपर मिलती रहती होगी।

आपके दलके लिए आपसे मैने खर्च माँगा, उसका लाभप्रद असर हुआ और लोग बिहार केन्द्रीय राहत-समितिके खातेमे कुछ डालते हुए ज्यादा सावधानी बरतने लगे है। लेकिन अभी तक राहत कार्य और पुर्निर्माण कार्यको एक समझनेकी प्रवृत्ति है। वे, पहले जिला बोर्डोसे तथा सरकारी व अन्य स्रोतोसे यथासम्भव राशि पानेका प्रयत्न किये बिना, हमारे कोषमे से पुल — यहाँ तक कि पक्के पुल — बनवाना चाहते है। जो कुएँ खोदे गये है, वे भी अधिक दिखते है, और अभीतक बिना मजदूरीके पैसा पानेकी बात भी लोगोके मनसे पूरी तरह हटी नही है। मुझे लगता है कि बहुत-सा राहत-कार्य राजनीतिक उद्देश्योसे किया जा रहा है, खास कर अ० भा० का० कमेटीके निणयोके बादसे। समितिको चलानेवाले लोगोका बिहार केन्द्रीय राहत-समितिकी ओर निष्पक्ष और शुद्ध ध्यान नही है, और चूकि उद्देश्य मिश्रित है, काम वैसा नही हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। कामके भारको देखते हुए मध्यम श्रेणीकी राहत देना ही सही कदम है।

एक सस्थाके रूपमे हमारी कमजोरी यह है कि जिलोमे जो देखभाल करनेवाले अधिकारी है, उनका पूरा नियन्त्रण है और उन्हे ही निर्णयका हक है। यह सच है कि प्रबन्ध-समिति पूरी गम्भीरतासे बजट निश्चित करती है। लेकिन नेकदिलीके कारण अध्यक्षको जब प्रबन्ध-समितिसे सलाह लिये बिना देखरेख करनेवाले अधिकारियो के नाम कोरे चैक जारी करनेके लिए राजी कर लिया जाता है, तो बजट एक ढकोसला बनकर रह जाता है और उसका कोई लाभ नही होता। जो काम हुआ है उससे केवल यह झलकता है कि हर जिलेमे एक ही आदमीने सोच-विचारकर या बिना सोचे-विचारे काम किया है। आपत्कालमे तानाशाही ढगकी ताकत अच्छी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रचनात्मक कायमे समन्वय रखनेके लिए कार्यकारिणीका कुछ नियन्त्रण होना महत्त्वपूण है। आज तो लेखा-विभाग एक रस्मअदाई जैसी चीज है और वह साधारणतया कार्यकारिणीके निर्णयके आधीन

१. जी० एन० रजिस्टरके आधार पर।

होता है, जब कि जाँच विभाग सही राय लिखकर दे देनेवाली एक सस्था बनकर रह जाता है।

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१०५)।

७८ भेंट. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको

बालासोर
८ जून, १९३४

एसोसिएटेड प्रेसको दी गई भेंटमें श्री गाधीने कहा कि यदि मुझमें शक्ति होती तो मैंने अपनी बम्बई यात्राके दौरान इसका उपयोग मजदूरोकी हडतालका फैसला करानेके लिए अवश्य किया होता। परन्तु मुझे मालूम है कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उडीसाकी पदयात्राकी समाप्तिपर अपना मत प्रकट करते हुए उन्होने कहा

मैंने उडीसाको देशके सूबोमे से सबसे ज्यादा गरीब माना है। यात्राके दौरान मै जिन गाँवोमे गया, उन्हे नजदीकसे देखकर मेरी यह धारणा और भी दृढ हो गई। काम न मिलनेसे लोगोमे भयावह बेकारी फैली हुई है। गाँवोमे सभी जगह मैंने हरिजनोमे स्वच्छतासे रहनेकी आदत देखी। कुछ गाँवोमे तो उनके घर अन्य गाँववालोके घरोकी बनिस्बत निस्सन्देह ज्यादा साफ थे। सामाजिक पाबन्दियोके बावजूद, वे मुझे प्रतिभामे भी दूसरोकी अपेक्षा किसी तरह कम नही लगे।

इस यात्राकी सुखद स्मृतियाँ मेरे साथ है। यदि उपयुक्त अवसर आया तो मै फिर वहाँ इससे भी लम्बा दौरा करूँगा। उडीसाके सहयोगियोने सहनशीलताकी बडी शक्ति दिखाई। उनकी सगठनकी योग्यता भी कम न थी। दो बार रातमे आँधियाँ आईं। स्वयसेवकोने आपत्कालका सामना किया और हमने आम तौरपर वे राते भी आरामसे गुजारी।

हमारे दलमे रमादेवी[1] के आश्रमकी लडकियाँ थी। नगे पैर चलनेकी उनकी शक्ति पर मुझे आश्चर्य हुआ। हर सुबह, जैसे ही हम अपने उद्दिष्ट स्थानपर पहुँचते, वे लडकियाँ हरिजन घरोमे चली जाती और वे जो कुछ देखती या करती उसकी रिपोर्ट मुझे देती थी। थकावट क्या होती है, यह कभी उन्होने जाना ही नही। उनमे से कुछ-एक यद्यपि ऐशो-आराममे पली थी, फिर भी उन्होने यात्राकी सभी कठिनाइया सहन की। यह कोई आसान काम नही था। यदि उसी लगन एव उत्साहसे काम होता रहे जो यात्रा के दौरान दिखाया गया था, और यदि कार्यकर्त्ता शहरोकी अपेक्षा गाँवोमे हरिजन-सेवा पर अधिक ध्यान दे तो परिणाम आश्चर्यजनक होगा। मुझे इसमे सन्देह नही कि सवर्ण हिन्दू मानसिक रूपसे तैयार है। परन्तु उन्हे कार्यमे प्रवृत्त

१ गोपबन्धु बाबूकी पत्नी, हरिजन सेवक सघकी सचिव।

करनेके लिए उनके साथ सम्पर्क रहना चाहिए और यह सम्पर्क गाँवोमे काम करनेवाले शुद्ध मनवाले कायकर्त्ताओ द्वारा ही रखा जा सकता है। यह सम्पर्क अनियमित रूपसे नही, नियमित रूपसे रहना चाहिए।

अन्तमें श्री गाधीने कहा कि सिवाय बगालके और कहीं पदयात्राएँ नहीं की गईं। गाधीजी ने कहा — मेरी रायमें ये यात्राएँ अनुभव बढनेके साथ ज्यादा लोकप्रिय हो जायेंगी।[१]

काग्रेस-सगठनोपर से प्रतिबन्ध हटानेके बारेमें जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति पर फिलहाल किसी तरहकी टिप्पणी करनेसे गाधीजी ने इनकार कर दिया।

यह कहे जाने पर कि इस मामलेमें सारा देश उनके नेतृत्वकी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देशको ज्ञात होना चाहिए कि उनका नेतृत्व क्या है।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ९-६-१९३४, बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-६-१९३४ भी

७९ भाषण बालासोरमें

[८ जून, १९३४][२]

श्री गाधी लगभग १५ मिनट तक बोले। अपनी पदयात्राको समाप्त करनेकी वजह बताते हुए उन्होंने अपना भाषण आरम्भ किया और कहा कि दो रातोकी मूसलाधार वर्षासे वे बिलकुल सराबोर हो गये थे और फिर तुरुगा नामक स्थानपर भी दिन-भर वर्षा होती रही, इसलिए उन्हे अपनी पदयात्रा समाप्त करनी पडी। इसके बाद उन्होंने अस्पृश्यताकी बात करते हुए कहा, हम सब एक ही परमेश्वरके पुत्र हैं। वह अपने पुत्रोमें किसी तरहका भेद नहीं रखता, इसलिए अगर हम भेद करे तो यह हमारे लिए पाप होगा। हिन्दुओकी विभिन्न जातियो, सवर्ण हिन्दुओ और हरिजनो तथा हिन्दुओ और गैर-हिन्दुओके बीच किसी तरहका भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योकि सभी भाई-भाई हैं। इस भेदभावको दूर न करना पाप है। जो धर्म ऐसे भेदभावोको नष्ट नहीं करता, उसका इस पापके फलस्वरूप नष्ट हो जाना अवश्यम्भावी है। श्रोताओसे उन्होंने अस्पृश्यताको त्याग देनेका निवेदन किया।

इसके बाद उन्होंने मादक द्रव्योकी चर्चा की और कहा कि इनके सेवनसे व्यक्तिकी बुद्धि जड हो जाती है और यह पागलपन तकका कारण बन सकता है। श्रोताओंको उन्होंने सभी प्रकारके नशे त्यागनेके लिए प्रेरित किया।

१ आगेका अंश बॉम्बे क्रॉनिकलसे लिया गया है।

२ हरिजन, १५-६-१९३४ में छपी "साप्ताहिक चिट्ठी" से।

अन्तमें उन्होने कहा कि हरएकको कुछ-न-कुछ काम करना चाहिए, क्योकि बेकार रहना तो हमेशा ही बुरी बात है। श्रोताओसे उन्होने कहा कि अगर उनके पास और कोई काम न हो तो वे चरखा चलायें। इससे उडीसाकी गरीबीका अन्त हो सकता है।

इसके बाद उन्होने हरिजन कोषके लिए चन्दा माँगा।

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०६१९) से, सौजन्य उडीसा सरकार।

८० पत्र तारा जसवानीको

९ जून, १९३४

चि० तारा,

यह पत्र मै चलती ट्रेनमे लिख रहा हूँ। ५० रुपये मिले। वहाँ जो हो सके, सो करना। सुशीलाबहनने तेरी बात सुनाई थी, सुनकर प्रसन्न हुआ। जब इच्छा हो लिखती रहना।

नटवरलाल रगून चले ही गये होगे।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती ताराबहन
मार्फत, मैसर्स कान्तिलाल मोहनलाल एण्ड कम्पनी
३७, बरटोला स्ट्रीट
कलकत्ता

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८७८६) से।

८१ भाषण : कपडा मिलके मजदूरोके बीच, नागपुरमें

९ जून, १९३४

वर्धा जाते हुए महात्मा गांधी मेलसे यहाँ पहुँचे। रेलवे स्टेशनपर कपडा मिलके मजदूरोने (जो हडताल पर थे) बडी तादादमें उनका स्वागत किया।

एकत्रित लोगोके बीच बोलते हुए गाधीजी ने कहा कि मैंने मजदूर-नेताओको कल मुलाकातके लिए वर्धामें आमन्त्रित किया है। मै तभी उनसे हालातकी जानकारी प्राप्त करूँगा और उन्हे अपनी सलाह दूँगा। मुझे आशा है कि वह उनके लिए हितकर होगी।

गांधीजी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग तो आजके मजदूर हैं, मैं तो पिछले २० बरसोंसे मजदूर हूँ। यद्यपि मैंने वकीलकी हैसियतसे काम किया है, पर हमेशा मैं मजदूरोंमें रहा हूँ और मैंने उनकी ही तरह जीवन-यापन किया है।

गांधीजीको ५० रुपये चन्दा स्टेशनपर प्राप्त हुआ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-६-१९३४

८२ महागुजरातसे

पदयात्राके प्रति नापसन्दगी किसीने व्यक्त नहीं की है, फिर भी सभी प्रान्तोंमें थोड़ी-बहुत खिन्नता तो है ही। सबको लगता है कि मैं एक शहरसे दूसरे शहर (किसी वाहन द्वारा) यात्रा करूँ। मेरा मन अब रेल और मोटरकी सवारीसे बिलकुल ऊब गया है। इस समय हम एक खेतमें पड़े हैं। ऊपर आकाश है, नीचे धरती। हम सब मिलकर कोई पचास व्यक्ति होंगे। इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। रेल-मोटरसे इतनी दूर कि उनकी आहट तक न आये। गाँववालोंके निकट सम्पर्कमें आना, गाँवके हरिजनोंसे पहचान करना, यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारे रसोईघरमें रोज गाँवके हरिजन भोजन करते हैं। रोज रातको मैजिक लालटेनके साथ गोपबन्धु बाबूके व्याख्यान होते हैं। रोज हमारी लड़कियाँ हरिजन-बस्तीमें जाती हैं। आगे-आगे रमादेवीके आश्रमकी पाँच लड़कियाँ चलती हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं चाहिए। सवेरे तीन बजे अपने-आप उठ जाती हैं और चल पड़ती हैं। सारा दिन मेहनत करती हैं। यदि इस प्रकार जीवन बिताया जाये, तो मुझे लगता है, जल्दी ही अस्पृश्यताका नामोनिशान मिट जाये। लेकिन यह हिसाब यदि गलत भी सिद्ध हो जाये, तो भी इस प्रवृत्तिके विषयमें यह तो कहा ही जा सकता हे कि 'इसमें अभिक्रमका नाश नहीं है, प्रत्यवाय होगा नहीं, तथा इसका अल्प पालन भी मनुष्यका महान् पापसे उद्धार कर सकता है।'[1]

मैंने अपना प्रत्यक्ष अनुभव कहा है। किन्तु दूसरे प्रान्तोंके साथी इसपर क्यों विश्वास करेंगे? 'यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' यह महावाक्य कैसे उनके गले उतरेगा? बंगालने कड़वा घूँट पिया। उसने अपने सब दिन उड़ीसाको दे दिये। और अब सुनता हूँ, बंगालमें साथी अनेक स्थानोंमें पदयात्राका आयोजन कर रहे हैं। ऐसा और भी कहीं हो रहा है, अभी सुना नहीं। क्यों नहीं हो रहा? सद्भावपूर्वक, त्यागवृत्तिके साथ यदि पदयात्रा हो, तो अस्पृश्यता कितने दिन टिक सकती है? किन्तु यह विश्वास साथियोंमें पैदा कैसे किया जाये?

अतः अब दूसरे प्रान्तोंमें किसी तरह घूमना ही होगा। एक जगह पर जमकर बैठ जानेकी बात भी कठिन मालूम होती है, फिर भी साथियोंको इतनी तकलीफ

१ **भगवद्गीता,** अध्याय २, श्लोक ४०।

तो गवारा करनी ही चाहिए। जहाँ मै बैठ जाऊँ, वहाँ प्रान्तके सब लोग आवे, मिले-जुले, विचार-विनिमय करे, और अपने-अपने स्थानकी प्रायश्चित्त-थैली लाये। मुझे बहुतोसे ताबेके पैसे चाहिए, कुछ थोडोके रुपये नही। रुपयोसे अस्पृश्यता नही जायेगी। धनसे कभी हृदय पिघले हो, मै नही जानता। किन्तु प्रत्येक व्यक्तिका पैसा यदि उसके हृदय-परिवर्तनका सूचक हो, तो इससे हरिजनोका काम नही बनेगा, इससे तो उनका काम बनेगा जो अपने-आपको सवण मानते है। अत गुजरात, काठियावाड और कच्छसे मै यह आशा करता हूँ कि वे

१ यह पहचाने कि यह प्रवृत्ति शुद्ध धार्मिक प्रवृत्ति है,

२ लोगोके बीच जाये और उन्हे अस्पृश्यता-निवारणका सन्देश दे, विरोध को सहन करे,

३ व्यक्तिसे दान ले, यदि वह प्रायश्चित्तके रूपमे दे तो — मेरे लिए नही,

४ मनका मैल धोकर, स्वार्थको छोडकर और राग-द्वेषसे ऊपर उठकर मुझसे मिलने आएँ,

५ अहमदाबादमे भी मुझे यहाँ-वहाँ घुमानेका आग्रह न रखे। जहाँ बैठना चाहूँ, वहाँ बैठने दे। काठियावाडसे दु खभरा तार आया है। वे दो दिन काठियावाडके लिए माँगते है। उनकी माँगमे सार है। क्या किया जाये, यह अभी इस समय तक तो नही सूझा। किन्तु इसके प्रकाशित होते तक कुछ निर्णय हो जायेगा। मन तो, जहाँ हूँ, वही घूमते रहनेको कहता है। किन्तु मै जानता हूँ, मन जो कहे हमेशा वही करना कर्त्तव्य होता है, ऐसी बात नही है। मनका विरोध भी करना पडता है। मीराबाईके शब्दोमे, 'काचे तातणे मने हरजीये बाधी, जेम ताणे तेम तेमनी रे।'

हरिने मुझे कच्चे धागेसे बाँध रखा है। जितना ही वे मुझे खीचते है, उतनी ही मै उनकी होती जाती हूँ।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १०-६-१९३४

८३ सन्देश · अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-प्रतिरोधकोंको

वर्धाके पते पर
१० जून, १९३४

प्रिय मित्र,

पत्रके लिए आपको धन्यवाद। शान्ति और अहिंसामें आस्था रखनेवालोंको तुरन्त ठोस परिणामोंकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। असीम धैर्य ही अहिंसाका गुण है, अधीरता हिंसाका। वे यह भी समझ लें कि अहिंसा कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है। इसपर ध्यान केन्द्रित करनेसे दुनियाकी ज्यादासे-ज्यादा क्रियाशील ताकतें खुलकर खेलने लगती हैं।

हृदयसे आपका

अंग्रेजीकी ~~फोटो-नकल~~ (जी० एन० ९७५१)से। सी० डब्ल्यू० ६२८५से भी, सौजन्य मीराबहन।

८४ पत्र : क० मा० मुन्शीको

१० जून, १९३४

भाई मुन्शी,

देखूँगा, आप इतने सारे वकील कितना क्या उगाहते हैं।

स्वदेशीके सम्बन्धमें जो बैठक तय की है, उसका समय संसदीय बोर्डके समयके साथ टकरायेगा तो नहीं? मैं सभी विरोधोंका उत्तर देने तथा अपनी योजना बतानेके लिए तैयार रहूँगा। किन्तु मेरा कहना सबके गले उतरेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने।

सत्यको ध्यानमें रखकर ढेर-सारा पैसा कमाइए, परन्तु अपने ऊपर उसे खर्च कीजिए कंजूसकी तरह।

बापूके आशीर्वाद

श्री क० मा० मुंशी
रिज रोड, मलाबार हिल,
बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५४३)से, सौजन्य क० मा० मुंशी।

८५. पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

११ जून, १९३४[1]

भाई परीक्षितलाल,

आपको पीटा गया,[1] इसके लिए बधाई। [इस घटनाके सम्बन्धमे] अधिकारियोको लिखते रहिए। क्या बडौदा और नवसारीमे इसके निमित्त सभा नही हो सकती? यह मार आपको नही, हरिजनोको पडी है। अत जो उपाय किये जा सकते हो, उन्हे करनेमे बिलकुल मत हिचकिचाइए।

भावनगरकी बात समझा। उसे पूरे दो दिन मिलने चाहिए। इसके बिना काम पूरा नही होगा। अहमदाबादमें तो सब समय मोटरका उपयोग होगा ही। मोटरके सर्वथा त्यागकी स्थितितक मैं अभी नही पहुँचा हूँ। किन्तु आपको यह डर लगा था, यह पढकर मुझे अच्छा लगा।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत परीक्षितलाल मजमूदार
हरिजन-आश्रम
साबरमती

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४००१)से। सी० डब्ल्यू० ११५से भी, सौजन्य परीक्षितलाल एल० मजमूदार।

८६. पत्र . ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

११ जून, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला।

तुमको मैं हरिजन शाला दू? रु० २५ दर माह मिलेगा। तुमको चर्खा काम के लिये उसी दर माहसे किसी देहातमे भेजु? चर्खा शास्त्रका अभ्यास करेगा? तुमको साबरमती हरिजन आश्रममे दस रुपयेके दरमाहसे भेज सकता हू। वहा जानेकी

१ परीक्षितलाल हरिजन सेवक सघकी गुजरात शाखाके सचिव थे। बड़ौदा राज्यके एक गाँवमें रास्तेकी प्याऊसे उन्होंने पानी पिया और उन्हें हरिजन समझकर पीटा गया।

हिम्मत है ? इन बातोंमें मेरे विचार सख्त होते जाते हैं और किसी तरहसे अस्पृश्यता न मिटेगी, न चर्खा बनेगा, और क्या लिखूं ? सोचो और लिखो।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० २४१३की फोटो-नकलसे।

८७ पत्र : नारणदास गांधीको

वर्धा
१२ जून, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारे सब पत्र मिल गये हैं। किन्तु मुझे जवाब देनेकी फुर्सत कहाँसे मिलती ! आज तो मैं १ बजे उठकर लिखने बैठ गया हूँ।

तुमने वहाँ ठीक काम हाथमें ले रखा है। यहाँ ऐसी नैतिक समस्याएँ खड़ी हो गई हैं कि तुम्हारी बड़ी जरूरत महसूस हो रही है। फिर भी तुमने मेरी सम्मतिसे वहाँका काम हाथमें लिया है, इसलिए फिलहाल तो क्या कर सकता हूँ। वहाँका तुम्हारा प्रयोग चलते रहने देना चाहिए। मुझे यह बात गड़ती है कि वह स्थान राजकोट है। तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है इसलिए निश्चिन्त हूँ। मेरे विश्वासका आधार तुम्हीं हो।

मैं माने ले रहा हूँ कि तुम अहमदाबाद या भावनगरमें मुझसे मिलोगे। क्या तुम प्रेमा अथवा गंगाबहनको वहाँ रखना चाहोगे।

[१] फिर फिसल गया और सो भी बुरी तरह। अब उसे यहाँसे जाना ही पड़ेगा। आज अन्तिम निर्णय हो जायेगा। विनोबा सात दिनका उपवास कर रहे हैं। यह तय हुआ है कि अब विनोबा यहीं रहेंगे। किन्तु इतना ही बस नहीं है। उनके पास तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। क्या तुम मुझे कोई नाम सुझा सकते हो ?

अब जमनादासके बारेमें। उसकी शिकायत बिल्कुल गलत है, किन्तु अविश्वासका क्या इलाज हो सकता है ? उसने जब कभी कुछ पूछा है या मदद माँगी है, उसे जवाब दिया गया है और मदद पहुँचाई गई है। बिना पूछे भी उसे मार्गदर्शन देनेकी कोशिश करता रहा हूँ। यदि तुम कहो कि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की तो जमनादास भी ऐसा कह सकता है। जब किसीके कामके विषयमें मुझे कोई सन्देह न हो और सलाह देनेकी जरूरत न लगे तो निरर्थक क्यों लिखता रहूँ। जब कभी भी उसने चाहा है मैंने उसे दौरोंमें साथ रखा है, किन्तु वह कुछ सीख ही न पाये तो मैं क्या कर सकता हूँ ? जो मेरे साथ यात्राओंमें इस तरह अनियमित होता रहे, उसे मैं क्या काम दे सकता हूँ ?

१ साधन सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

इस समय तो इतने अधिक लोग मेरे साथ है कि उनमे और किसीको जोडना एक समस्या ही है। इन सबकी मुझे जरूरत तो नही है। अगर जमनादास भी इन्हीमे आकर मिल जाये तो वह एक और अतिरिक्त व्यक्ति हो जायेगा। मै तो अपने काममे ही लगा रहूँगा। परिस्थिति ही ऐसी है। अगर तुम इसे समझ सको तो उसे भी समझाना। यदि मेरे कहनेसे समझ जाये तो मै उसका मार्गदर्शन करनेके लिए तैयार हूँ। मै तो उसे कोई गाँव सौप दे सकता हूँ। क्या वह फिनिक्स जा सकेगा? क्या तुम्हारे साथ रहकर ही वह कोई काम नही कर सकता? तुमने पाठशालाका काम ठीक जमा दिया है। अब वह उस कामको अपने हाथमे क्यो नहीं ले लेता? अथवा वह अपने शरीरको सुधारनेके लिए ही कही क्यो नही चला जाता? वह अल्मोडा जानेको तैयार है? क्या वह अपने मनको ठीक समझ रहा है? क्या वह विवाह करना चाहता है? यह सब उसे पढनेके लिए दे देना।

मै शर्माके विषयमे सोचता रहा हूँ। उसने रामदासके लिए सब कुछ छोड दिया है। वह रामदासको फिनिक्स ले जाना चाहता है। अभीतक निश्चित कुछ नही हुआ है, आज हो जायेगा। जमना पर मेरा एक पत्र उधार है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४०२ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

८८ पत्र : एम० आर० मसानीको

१४ जून, १९३४

प्रिय मसानी,

जिन सवालोको तुम मेरे पास छोड गये थे, मैने उन्हे पढ लिया है। काग्रेस समाजवादी दलके कार्यक्रमको भी मैने पढ लिया है।

काग्रेसमे समाजवादी दलके गठनका मै स्वागत करता हूँ। लेकिन छपी हुई पुस्तिकामे जो कार्यक्रम छपे है, मुझे वे पसन्द है, मै ऐसा नही कह सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इसमे भारतीय परिस्थितियोको नजरन्दाज किया गया है और इसके बहुत-सारे प्रस्तावोमे निहित यह धारणा कि वर्गो और जन-साधारणके बीच अथवा मजदूरो और पूजीपतियोके बीच सघर्ष अनिवार्य है और वे पारस्परिक हितके लिए काम कभी नही कर सकते, मुझे ठीक नही लगती। मेरा खुदका एक लम्बे अरसेका अनुभव निस्सन्देह इसके प्रतिकूल है। जरूरी यह है कि मजदूर अथवा कर्मचारीगण अपने अधिकारोको जाने और यह भी जाने कि उनपर उन्हे किस तरह कायम रहना चाहिए। और चूकि हर अधिकारके साथ सदा ही अनुकूल कर्त्तव्य जुडा हुआ है, इसलिए मेरी रायमे जो अधिघोषणा कर्त्तव्य पूरा करनेकी आवश्यकता पर बल नही देती और यह नही बताती कि कर्त्तव्य क्या है, वह अधूरी है।

आप अभी यह तो नही चाहेगे कि मै आपके कार्यक्रमकी हर धाराकी जाच करूँ, फिर भी अगर आप बहुत इच्छुक है और मेरी सुविधाके बारेमे विचार करना आपको बुरा न लगे तो मै आपको और जिसे आप चाहे उसे एक निश्चित समय दूँगा और तब आपके सारे कार्यक्रम पर सविस्तार आपसे बात कर सकूँगा।

आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१२६)से। सी० डब्ल्यू० ४८८४ से भी, सौजन्य एम० आर० मसानी।

८९ पत्र : प्रभाशकर पट्टणीको

बम्बई[1]
१४ जून, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

आपके दोनो पत्र मिले। आपकी सुविधा और आपकी इच्छामे ही मेरी इच्छा है। आपकी अडचने मै समझ गया हूँ। आप तो सब-कुछ स्वागत-समितिको सौप दीजिए, और उसके अनुकूल बने रहनेके लिए जितना उचित हो, मात्र उतना करके सन्तोष कीजिए। अपने प्रेमका प्रदर्शन करनेकी शक्ति व्यक्तिमे हमेशा एक-सी नही रहती। बाकी मिलने पर।

आपका,
मोहनदास

गुजरातीकी फोटो-नकलसे। (जी० एन० ५९३३)से। सी० डब्ल्यू० ३२४९से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी।

१ साधन-सूत्रमें यह गांधीजीकी हस्तलिपिमें नही है।

९०. भेंट: हरिजन सेवक संघके सदस्योको[1]

बम्बई,
१४ जून, १९३४

गाधीजी बम्बई पहुँचते ही सबसे पहले प्रान्तीय हरिजन सेवक सघके सदस्यो से मिले। सदस्योका परिचय करानेके बाद सघके अध्यक्ष सेठ मथुरादासजीने सघका सक्षिप्त कार्य-विवरण गाधीजीको सुनाया। छात्रवृत्तियोपर सघ काफी पैसा खर्च कर रहा है। करीब २०० हरिजन कुटुम्बोके रहने लायक तीन चालोका सचालन भी कर रहा है। सघ और क्या काम करे, इस प्रश्नके उत्तरमें गाधीजीने कहा कि हमारे कार्यक्रममें मन्दिर-प्रवेशका प्रश्न तो एक महत्त्वकी चीज है ही। इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आप लोग सवर्ण हिन्दुओके बीच ऐसी जागृति पैदा करे कि वे हमारे कायक्षेत्र तथा अस्पृश्यताकी बुराई दूर करनेकी आवश्यकताका अनुभव करने लगें। यह काम शुद्ध प्रामाणिक स्वयसेवक ही कर सकते है। दूसरी चीज है रचनात्मक कार्यका विस्तार। अच्छा हो, यदि सघकी ओर से एक सुन्दर भोजनालय खोला जाये, जहाँ जाते हुए हरिजनोको लगे कि वे बिना रोक-टोक वहाँ भोजन करने जा सकते है। एक सुव्यवस्थित भोजनालय हरिजनोके लिए सस्कृतिका सुन्दर केन्द्र बन सकता है। और लोग यह भी देख सकते है कि हरिजनोकी खानेकी आदतें उतनी ही साफ ह जितनी कि सामान्य सवर्ण हिन्दुओकी। यह सच है कि कुछ हरिजनोके कपडे साफ नहीं रहते। परन्तु जिस प्रकार सवर्ण हिन्दुओमें ऐसे गदे कपडे पहननेवाले कम ही लोग भोजनालयोमें जाते है, उसी तरह भविष्यमें ऐसे हरिजन भी इन जगहोमें नहीं जायेंगे। ये जो दो बातें कही है ये उदाहरणके तौर पर बताई है। बम्बईके हरिजनोकी अगर आप लोग पूरी जनगणना कर डाले और अस्पृश्यताकी बदौलत उनको जो असुविधाएँ और अभाव है, उनकी एक सूची बना ले, तो आप एक निश्चित कायक्रम तैयार कर सकते है। मुझे आशा है कि कई बातोमें, जिनमें निगम ही प्रभावी मदद दे सकता है, बम्बई-निगमसे भी सहायता लेनेका आप उद्योग करेगे।[3]

थोडी बातचीतके बाद महात्मा गाधीने बम्बई बोडके इस कामकी सराहना की कि उसने नगर-सुधार न्यासके तीन चाल किराये पर ले लिये और उन्हे हरिजनोके

१ यह तथा अगला शीर्षक "साप्ताहिक चिट्ठी" से लिये गये है।

२ सेठ मथुरादास, दहनुकर, अवन्तिका बाई गोखले, हसा मेहता, वी० एल० मेहता, पी० बालू, नारायण काजूलकर, डॉ० सोलकी, एस० के० बोले, जे० के० मेहता, और के० एल० झवेरी।

३ आगेका अंश बॉम्बे क्रॉनिकल, से है।

इस्तेमालके लिए दे दिया। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि स्थानीय बोर्ड हिन्दू मकान-मालिकों पर प्रभाव डाले कि वे अपने मकान हरिजनोंको किरायेपर दें और होटलोंके हिन्दू मालिकोंको समझाकर आग्रह करे कि वे हरिजनों पर लगे प्रतिबन्ध हटा लें। महात्माजीने बोर्डसे कहा कि हिन्दुओंसे आग्रह करे कि वे हरिजनोंको घरेलू नौकर और कार्यालयोंमें कर्मचारी नियुक्त करें। उन्होंने बोर्डको इस तथ्यसे अवगत कराया कि यद्यपि किसी भी जगह अस्पृश्यता-निवारणके कार्यके प्रति विरोध नहीं है फिर भी हर जगह उदासीनता और सुस्ती है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हरिजन-संघ इस सुस्तीके विरुद्ध संघर्ष करे। उन्होंने एकत्रित धनके विनियोजनके सम्बन्धमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उसके बारेमें बोर्डसे सिफारिश करनेका वायदा किया।[1]

एक प्रश्नके उत्तरमें गांधीजीने कहा कि हरिजन-कार्यका राजनीतिसे कोई वास्ता नहीं है। संघ इस कामको शुद्ध धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणसे करता है। इसलिए संघ हर किसीके लिए खुला है। उन्होंने कहा, मैं तो चाहूँगा कि यदि वे आयें तो सभी पद गैर-कांग्रेसीजन ग्रहण करें। कांग्रेसी लोग उनके अधीन काम करनेमें गर्वका अनुभव करें। हिन्दू-धर्ममें सुधारका यह शक्तिशाली कार्य किसी एक दल या गुटकी बपौती नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुझे यह कह सकनेकी खुशी है कि मेरे दौरेमें मैंने कई जगहों पर देखा है कि सरकार गैर-कांग्रेसी लोगोंके अधीन बिना किसी शिकायतके काम कर रही है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-६-१९३४, तथा *बॉम्बे क्रॉनिकल*, १५-६-१९३४

९१ भेंट: गांधी सेवा सेनाके सदस्योंको

बम्बई

१४ जून, १९३४

कार्यक्रममें दूसरी बात श्रीमती गोसीबहन कैप्टेनके नेतृत्वमें आई बम्बईकी जनसेविकाओंसे मुलाकात थी। इनके सेवा-कार्यका पता बहुत कम लोगोंको होगा। पर गोसीबहनने अपने कार्य-विवरणका पारायण करनेमें गांधीजी का समय नष्ट नहीं किया। वे तो गांधीजी से इस विषयपर दो-चार शब्द कहलवाना चाहती थीं कि जिन सेविकाओंमें उदासीनताकी वृत्ति है, वे क्या करें। इससे गांधीजीको मूल बुराई दूर करनेकी जरूरत पर बोलनेका अवसर मिला। उन्होंने पूछा, कमजोर शरीरवाली क्या करें? गांधीजी ने

१ बम्बई प्रान्तीय बोर्डने गांधीजीसे प्रार्थना की कि वे केन्द्रीय बोर्डसे उसे यह अनुमति दिला दें कि वह बम्बईमें इकट्ठे हुए कोषमें से ५० के बजाय ७५ फीसदी रख ले।

कहा कि एक काम है, जिसे वे आसानीसे कर सकती है। एक-आध हरिजन-बालक या बालिका अपने यहाँ रखकर उससे सेवा करा सकती है। हृदय-परिवर्तन और सेवा-भावनाकी इच्छा भर हो, सेवाका क्षेत्र तो हम सबके लिए असीम है। और जहाँ घरके बडे-बूढे इस सुधारके विरोधी हो, वहाँ बहनें क्या करे? इसमें सन्देह नहीं कि उनके मार्गमें काफी कठिनाई है। परन्तु ऐसेमें ही सेवा करनेका अवसर भी तो अच्छा मिलता है। सबसे पहले उन्हे नम्रता तथा दृढतापूर्वक अपने बडे-बूढोको अपने पक्षमें करना चाहिए। अपने विश्वासकी खातिर जो भी कष्ट उन्हे झेलने पडें, उनके लिए उन्हे हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुधारके हर कदममें आचरण बहुत बडी चीज है। सुधारकोका शुद्ध हृदय ही दूसरोके हृदयको पिघला सकेगा।[1]

महात्मा गाधीने अपने भाषणके दौरान महिलाओको हरिजन-उद्धार कायमें अधिकाधिक दिलचस्पी लेनेको कहा और हरिजन स्त्रियोमे स्वास्थ्य, सफाई आदिके सम्बन्धमे ज्ञानका प्रचार करनेकी सलाह दी।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २९-६-१९३४, तथा **बॉम्बे क्रॉनिकल**, १५-६-१९३४

९२. टिप्पणियाँ

जे० के० कूप-निधि[2]

ठक्करबापाने जो अपील की है, मै उसकी महत्ता पर आसानीसे जोर दे सकता हूँ। यह अपील हरिजनके पिछले अकमे प्रकाशित हुई थी। उसमे हरिजनोके लिए कुएँ बनवानेके लिए चन्दे माँगे गये थे। पुरी और कटकके जिलोमे से गुजरते हुए मैने लगभग सब जगह पानीकी कमी देखी। जब सब जगह पानीकी कमी हो तो पाठक कल्पना कर सकते है कि हरिजनोकी क्या दुर्दशा होगी। यह ऐसा दान है जिसके लिए सभी सनातनी सुधारक और दूसरे लोग चन्दा सग्रह करके दे सकते है। यह स्मरण रखा जाये कि जहाँ हम तर्क-विहीन पूवग्रहके कारण हरिजनोको जीवनकी एक मूलभूत आवश्यकता [पानी]का उपयोग करनेसे रोकते है, बहाँ हरिजनोके उपयोगके लिए बनाये गये हर एक कुएँसे हरिजनोका ही दुख दूर नही होगा, बल्कि पानीकी सामान्य कमी भी पूरी होगी। हरिजनोके लिए बनाये गये सब कुएँ उन लोगोके लिए भी जो उनका उपयोग करना चाहेगे, उपलब्ध होगे। इसलिए

१ आगेका अश **बॉम्बे क्रॉनिकल**, से है।

२ एक सज्जनने, जो गुमनाम रहना चाहते थे, जून, १९३३ में २५,००० रु० की रकम दानमें दी थी। इस रकमका भुगतान २००० रु० की मासिक किश्तों द्वारा होना था और इसका उपयोग सारे देशमें हरिजनोके लिए कुएँ बनवानेके लिए किया जाना था। इस रकमकी पूरी अदायगी हो चुकनेके बाद इसका यह नामकरकरण दिया गया था।

मुझे आशा है कि ठक्कर बापा द्वारा की गई अपीलको मानकर लोग उस निधिमे उदारतापूर्वक दान देगे।

सही कदम

जो वर्ग 'दलित' कहे जाते थे, वे अबसे 'हरिजन' कहे जायेगे और 'अपराधशील कबीले 'बनजारे कबीले' कहे जायेगे – यह घोषणा करनेके लिए मध्य-प्रान्तकी सरकार बधाईकी पात्र है। 'दलित वग' और 'अपराधशील कबीले' ये दोनो नाम निश्चय ही अपमानजनक थे। हम आशा करते है कि बाकी सरकारे भी मध्यप्रान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरणका अनुसरण करेगी।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १५-६-१९३४

९३, हरिजन बनाम अहरिजन

हरिजन-कार्यकर्त्ताओकी बैठकमे उस दिन एक प्रश्न यह भी आया था कि "हरिजनोमे रचनात्मक कार्य करनेकी अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि उनके अन्दर उनकी मौजूदा अवस्थाके प्रति इतना अधिक असन्तोष पैदा कर दिया जाये कि वे उसे सुधारनेके लिए खुद अपने पैरो पर खडे हो सके? आपकी यह सवर्णोके हृदय-परिवर्तनवाली बात तो व्यर्थ-सी लगती है।" चूकि यह महत्त्वका प्रश्न है, इसलिए इसके उत्तरमे मैने उस बैठकमे जो कहा था, उसका आशय दे देना मै उचित समझता हूँ। प्रश्नमे आन्दोलनके क्षेत्रके प्रति अज्ञान भरा है। हरिजनोमे असन्तोष पैदा कर देनेसे तत्काल तो उनका कष्ट दूर होनेका नही। इससे तो हिन्दू-समाजके अन्दर आज जो विकृत फूट मौजूद है वह और भी स्थायी हो जायेगी। इस आन्दोलनका उद्देश्य तो यह है कि हिन्दू-समाजके अन्दर सवर्णों और हरिजनोके बीच जो नितान्त कृत्रिम भेद आज दिखाई देता है, वह समाप्त कर दिया जाये और हरिजन जिस न्यायके पानेके हकदार है, सवर्ण लोग वह न्याय उन्हे दे दे। इस तरह देखा जाये तो यह आन्दोलन प्रायश्चित्त और भूल-सुधारका ही एक आन्दोलन है। इसलिए एक ओर तो सुधारकोको हरिजनोके अन्दर रचनात्मक कार्य करना है, और दूसरी ओर धीरजसे, दलीलसे और सबसे अधिक अपने शुद्ध चरित्र-बलसे सवर्णोका हृदय-परिवर्तन करना है। सुधारकोमे यदि नम्रता, सहनशीलता और धैर्य होगा तो जिस अस्पृश्यता-निवारणकी बातको आज हमारे सनातनी भाई ताना दे-देकर घृणित और अधार्मिक कह रहे है, उसीको कल वे 'धर्मका सारतत्व' समझने लगेगे। मनु महाराजने धर्मकी व्याख्या करते हुए क्या यह नही कहा है कि

विद्वद्भि सेवित सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभि ।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त निबोधत ।।

"सामान्य रीतिसे जिसका परिपालन विद्वान्, सज्जन और रागद्वेषसे रहित मनुष्य करते है और जिसका अनुभव हृदयमे होता है, उसीको 'धम' समझना चाहिए।" इसलिए यदि मनु महाराजके बताये गुण सुधारकोमे होगे, तो इसमे सन्देह नही कि सनातनियोका हृदय पिघलेगा। और उनका हृदय-परिवतन हो या न हो, पर दलित लोगोकी इस प्रकार जो सेवा सुधारक करेगे, उससे मानवोन्नति तो वस्तुत होगी ही और वह कार्य स्वय ही उस जन-सेवाका पुरस्कार होगा। ईश्वरकी सनातन जीवन-पुस्तकमे उस सेवाका अवश्य ही प्रतिष्ठापूण उल्लेख रहेगा।

एक और प्रश्न था। वह यह कि "क्या आपका यह खयाल नही है कि भूखसे मरते लाखो-करोडो किसानोका सवाल हरिजन-सेवासे कही अधिक महत्त्वका है? इसलिए क्या आप किसानोके सघ सगठित नही करेगे, जिनमे, जहाँतक उनकी आर्थिक स्थितिका सम्बन्ध है, हरिजन भी आ जायेगे?"

ऐसा होता तो अच्छा ही था। किन्तु बदकिस्मतीसे यह जरूरी नही है कि किसानोकी आर्थिक स्थितिके सुधारके साथ-साथ हरिजनोकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाये। जो किसान हरिजन नही हे, वह जितना चाहे या उसे जितना अवसर मिले उतना ऊँचा उठ सकता है, पर बेचारा दलित हरिजन ऐसा नही कर सकता। सवण किसानकी तरह न तो भूमिपर ही उसका कोई अधिकार है और न उसे वह आजादीके साथ काममे ही ला सकता है। उसे हलवाहे भी मिलनेके नही। बहुत-सी जगहोमे तो यह देखा गया है कि वह बेचारा आवश्यक बीज तक नही खरीद सकता। थोडी देरके लिए यह मान भी लिया जाये कि ठीक अहरिजन किसानकी तरह हरिजन किसान भी अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकता है, तब भी अनगिनत सामाजिक असुविधाओका शिकार तो वह पहले जैसा रहेगा ही। उसकी आर्थिक अवस्थाके सुधरते ही ये सब सामाजिक अत्याचार उसे और भी अधिक सालने लगेगे। अत्याचारोका तभीतक उसे उतना अधिक भान नही है जबतक कि वह कगाल है। इसी कारण हरिजनोकी सेवाके लिए एक खास सघ बनानेकी जरूरत आ पडी, क्योकि उनके अभाव और कष्ट भी खास और निराले ढगके है। समाजके इस निम्नतम वर्गकी यदि यथेष्ट उन्नति हो गई, तो निश्चय ही उसके परिणामस्वरूप हमारा सारा समाज उन्नत हो जायेगा। इसके अलावा, साधारण किसानकी कोई उपेक्षा तो की नही जा रही है। अखिल भारतीय चरखासघ किसानोकी आर्थिक अवस्थाको उन्नत करनेमे पूरी तरह से लगा ही हुआ है। यह सघ बराबर किसानोमे यह भाव पैदा कर रहा है कि कताई-बुनाईके गृह-उद्योगसे उनकी खेती-बारीकी साधारण आमदनीमे अवश्य ही खासी वृद्धि हो सकती है और इस तरह दुर्भिक्षके मुखमे पडनेसे वे खुद अपने-आपको बचा सकते है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-६-१९३४

९४ भाषण : महिलाओके समक्ष, बम्बईमें[1]

१५ जून, १९३४

गाधीजी ने भाषण आरम्भ करते हुए श्रोताओसे पूछा कि क्या मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है और पीछे बैठी महिलाओने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया कि वे ठीक-ठीक सुन पा रही है।

भाषण देते हुए गाधीजी ने कहा — मेरे लिए यह प्रसन्नताकी बात है कि पुरुषोकी सभामें भाषण देनेसे पहले मै स्त्रियोकी सभामें भाषण दे रहा हूँ। जो श्रद्धा और भक्ति स्त्रियोमें है वह पुरुषोमें कहाँ! इस दृष्टिसे वे पुरुषोसे बढ़-चढ़कर है। (अस्पृश्यताके विरुद्ध) मैने जो यह लडाई छेडी है, यदि इसमें मुझे बहनोका पूरा सहारा मिल जाये, तो मै यह कह सकता हूँ कि मैने आधीसे अधिक लडाई जीत ली। मुझे आशा है कि बम्बईकी बहनें इस अवसरको हाथसे नहीं जाने देंगी। समाजमें स्त्रियोका महत्त्वपूर्ण स्थान है और इसलिए अगर कहीं वे सुधारका रास्ता रोककर खडी हो गईं तो यह दु खकी बात होगी।

अस्पृश्यताका मूल उद्‌गम धर्ममें नहीं है। उच्चताके झूठे अहकारने ही अस्पृश्यताको जन्म दिया है। अपनेसे दुर्बलोको हम पैरो तले दबाये रहे, इसी मनोवृत्तिसे अस्पृश्यता पैदा हुई है। यह लम्बी अवधिसे इसीलिए चली आ रही है क्योकि हरिजनोके साथ कोई सम्पर्क नहीं रखा गया और उन्हे बुरीसे-बुरी बस्तियोमें सडाया गया। हमारे समाजमें अगर वे सब लोगोके साथ आजादीसे मिलने-जुलने लग जायें और बिलकुल बराबरीकी हैसियतसे सब काम-धन्धे करने लगें, तो कुछ ही दिनोमें हमें यह देखकर अचरज होगा कि क्या ये वही तिरस्कृत हरिजन है!

सुधारकका काम इसलिए और कठिन हो गया है कि अस्पृश्यताको हमने धर्मका एक अग मान लिया है। त्याग जरूरी है, बिना त्यागके सेवा असम्भव है। अत अस्पृश्यताके इस पुरातन कलकको धो-मिटानेके लिए जितना भी त्याग किया जाये थोडा है।

कोषके लिए अपील करते हुए गाधीजी ने इस बातको जनताके मनसे निकालनेका प्रयत्न किया कि वे हमेशा पैसा ही इकट्‌ठा करते रहते है। उन्होने कहा कि मैं बम्बईकी महिलाओसे हरिजन-कार्यके लिए सहायता माँगने आया हूँ—उस कार्यके लिए जो मुझे किसी भी अन्य चीजसे ज्यादा प्रिय है। पैसा देनेसे पहले लोगोको ऐसा

१ पहला तथा अन्तिम अनुच्छेद *बॉम्बे क्रॉनिकल* से है।

लगना चाहिए कि वे उस कामके लिए दे रहे हैं जो उन्होने किया है या जिसके किये जानेमें उनकी सहमति रही है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-६-१९३४, तथा बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९३४ भी

९५ भेंट . डॉ० भीमराव अम्बेडकरको

बम्बई
१६ जून, १९३४

उसी दिन तीसरे पहर डॉ० अम्बेडकरने डॉ० सोलकी तथा अपने अन्य मित्रोके साथ[1] गाधीजी से मुलाकात की। जब गाधीजी ने डॉ० अम्बेडकरसे हरिजन-सेवक सघके कार्यकी आलोचना करनेके लिए कहा, तो उन्होने एक सलाह तो यह दी कि सघको शिक्षा और दवा-दारू पर इतना अधिक पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योकि सरकार भी यह काम कर रही है और इस तरह इन कार्योंके प्रयासोमें दोहराव होनेका खतरा है। फिर शिक्षासे मुख्य लाभ तो व्यक्तिको ही होता है। समाजको उस व्यक्तिकी शिक्षासे क्या लाभ होगा, यह तो उस शिक्षित व्यक्तिके समाजके प्रति रुखपर निर्भर करता है। इससे उनकी रायमें सघको अभी अपनी सारी शक्ति हरिजनोको कुछ नागरिक अधिकार दिलानेमें ही लगानी चाहिए। वे अधिकार यही हैं, जैसे, सार्वजनिक कुँओसे पानी भर सकना, सार्वजनिक पाठशालाओमें उनके बच्चोका बिना किसी भेदभावके दाखिला आदि। गाँवोमें हरिजनोके साथ जो बुरे सलूक होते रहते हैं, उनपर भी डॉक्टर साहबने गाधीजीका ध्यान आकर्षित किया। गाधीजी ने कहा कि सघका तो यह कर्त्तव्य ही है कि वह ऐसे मामलोको अपने हाथोमें ले। सघने ऐसे अनेक मामले हाथमें लिये भी हैं और उसे इस कार्यमें थोडी-बहुत सफलता भी मिली है। पर यदि भविष्यमें डॉक्टर अम्बेडकर हरिजनोके साथ इस तरहके हर सलूकके बारेमें पूरे तथ्य मुझे लिख भेजें तो अच्छा हो। गॉवोका दौरा करते समय मैंने देखा कि ठीक दिशामें परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अगर मुझे डॉ० साहबका अमूल्य सहयोग मिला तो इस दिशामें प्रगति और भी तेजीसे होगी। जहाँतक शिक्षाका सम्बन्ध है, मै नहीं समझता कि कुछ अधिक किया जा रहा है। वास्तवमें सघ जितना जरूरी है उतना नहीं कर पाता, क्योकि सही ढगके शिक्षक शीघ्र सुलभ नहीं होते।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-६-१९३४

१ जी० वी० नायक, अमृतराव खाम्बे और बाबूराव गायकवाड।

९६ भाषण : कांग्रेस संसदीय बोर्डकी बैठक, बम्बईमें

१६ जून, १९३४

उनके साथ विचार विमर्शके बाद[1] बोर्डके समक्ष गांधीजी ने एक भाषण दिया जिसे उनके अत्यन्त प्रभावशाली और गम्भीर भाषणोंमेंसे एक बताया गया है। भाषणका खास मतलब यह था कि मुसलमानोंके प्रति कांग्रेसका वही रुख है जो हिन्दुओं, सिखों तथा अन्य दूसरी जातियोंके प्रति है। और इसलिए, ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे मुसलमान यह महसूस करें कि कांग्रेस अपनी बातसे हट गई है।

मुसलमानोंने साम्प्रदायिक समझौतेको बहुमतसे स्वीकार कर लिया है। उनका यह कर्तव्य है कि साम्प्रदायिक समझौतेको वे एक ऐसे स्वैच्छिक समझौतेका रूप दें जिससे सभी जातियाँ सन्तुष्ट हों। समझौतेमें फेरबदलके लिए उन्हें तीसरे पक्षके पास नहीं जाना चाहिए। तथापि, जबतक स्वैच्छिक समझौता नहीं हो जाता, साम्प्रदायिक समझौतेके प्रति मुसलमानोंका जो रुख है, उसके अनुकूल रुख न अपनाकर कांग्रेसमें उनके विश्वासको डिगाना उनके साथ विश्वासघात करना होगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-६-१९३४

१ श्री मदनमोहन मालवीयके साथ, जो श्री एम० एस० अणे और कुछ दूसरे लोगोंके साथ इस बात पर जोर दे रहे थे कि संसदीय बोर्ड, जिसकी बैठक १५, १६ जूनको मणि भवनमें हुई थी, साम्प्रदायिक समझौतेको अमान्य कर दें। राष्ट्रवादी मुसलमान रांची कांग्रेसके उस दृष्टिकोणका समर्थन कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि जबतक हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखोंमें कोई समझौता नहीं हो जाता साम्प्रदायिक समझौतेको न स्वीकार किया जाये न अस्वीकार। इसपर बोर्डने गांधीजीकी राय चाही थी। संसदीय बोर्डके आग्रह पर १७ जूनको मणि भवनमें कांग्रेस कार्य समितिकी बैठक हुई, जिसमें गांधीजीके दृष्टिकोणको मंजूर किया गया। कार्य-समितिके प्रस्तावके लिए देखिए परिशिष्ट २।

९७ भाषण आजाद मैदान, बम्बईमे[1]

१६ जून, १९३४

आज तो सारे ही दिन मेहकी झडी लगी रही। ऐसी वर्षामे भी आप लोगोने यहाँ आनेका कष्ट किया, इसके लिए मै आपका आभारी हूँ। हमारा यह सौभाग्य ही समझना चाहिए जो ठीक इस वक्त मेह रुक गया है। इस बीच मै थोडेमे अपना वक्तव्य दिये देता हूँ।

बम्बई आते हुए मुझे बहुत हिचक हो रही थी। एक तो यहाँ मिलोके मजदूरोकी हडताल चल रही है। मै खुद अपनेको मजदूर कहता हूँ। जब मै दक्षिण आफ्रिकामे था, तभीसे मै मजदूरकी तरह जीवन बितानेका यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ, और इसमे मुझे काफी सफलता भी मिली है। इसलिए मजदूरोके प्रति उनकी विपत्तिमे मेरी कितनी गहरी सहानुभूति होगी, यह आप सहज ही समझ सकते है। फिर मजदूरोमे हरिजन भी बहुत है, इससे उनके प्रति मेरी सहानुभूति और भी बढ जाती है। मै मानता हूँ कि मिल-मालिको और मजदूरोके बीचका झगडा निपटानेकी कुछ शक्ति मुझमे है। पर मुझे दुःख है कि कुछ कारणोसे, जिनकी तफसीलमे मै जाना नही चाहता, इस विषयमे मै अपनी उस शक्तिका अभी प्रयोग नही कर सकता। यहाँके मजदूरोसे मेरा कोई सीधा सम्पर्क नही है, और उनके नेताओसे तो शायद और भी कम है। फिर यहाँका रोजगार मदीसे अभीतक उबरा नही है और हाल ही मे आप लोगोने बिहारके भूकम्प-पीडितोके कष्ट-निवारणके लिए भी खासी रकम दी है।

आपकी इस ३९,००० रुपयेकी थैलीको, जो अध्यक्षके कथनानुसार, ५०,००० रुपये तक की हो सकती है, मै बहुत अधिक नही मानता। आपने तो हमेशा ही मेरे ऊपर अपने प्रेम और पैसेकी वर्षा की है। पर पहलेके और इस दानमे भारी अन्तर है। हरिजनोके प्रति जो अन्याय किया गया है, उसके प्रायश्चित्तस्वरूप आप लोग यह पैसा दे रहे है। अगर यह दान इस तरहके प्रायश्चित्तका प्रतीक नही है, तो मेरी दृष्टिमे इसका कोई मूल्य नही है। और यदि यह प्रायश्चित्त है, तो अपनी शक्तिके अनुसार आपको अधिकसे-अधिक पैसा देना चाहिए। जब मैने अनशन किया,[2] तभीसे एक सज्जनने अपने भोजनकी कुछ जरूरी चीजोका त्याग कर दिया

१ यह "ऐट दि मैदान" शीर्षकसे वालजी गोविन्दजी देसाईकी इस प्रस्तावनात्मक टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था "वर्षा होते हुए भी गाधीजी १६ तारीखको बिलकुल ठीक समय पर सार्वजनिक सभामें भाषण देने आ गये। सेठ मथुरादास (विशनजी, हरिजन सेवक सघके अध्यक्ष) सभाके अध्यक्ष थे। गाधीजीके भाषणका यह सार है।"

२ ८ से २९ मई तक, जो "अपने तथा अपने सहयोगियोंकी शुद्धिके लिए" किया गया था, देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ७४-६।

है, और इम तरह प्रतिमास सवा दो रुपये बचाकर वे मेरे पास भेज देते है। कोई धनाढ्य भाई २,००० रुपये मुझे दे, तो भी उसकी अपेक्षा ये दो रुपये मेरी दृष्टिमे अधिक मूल्यवान है। ईमानदारीसे कमाई हुई और शुद्ध हृदयसे दानमे दी गई एक कोडी भी अमूल्य रत्न है।

मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि समय रहते हमने अस्पृश्यताको निर्मूल न किया, तो हमारा कही नामोनिशान भी न रहेगा। अस्पृश्यता-जैसा घोर पाप कोई दूसरा है ही नही, क्योकि इसका प्रयोग धर्मके नामपर किया जाता है। हम निर्बल है इसलिए हमारा पतन हो, यह एक बात है। किन्तु यह बिलकुल दूसरी बात है कि हम गढेमे गिरते हुए भी इस भ्रममें रहे कि हमारा उत्थान हो रहा है। हमारे जो भाई हर तरहसे हमारे ही जैसे मनुष्य है, हम उन्हे जन्मसे अस्पृश्य माननेकी धृष्टता कैसे करते है? आपने सुना ही होगा कि बडौदा राज्मे उस दिन हमारे अविश्रान्त हरिजन-सेवक श्री परीक्षितलाल मजमूदारको एक हिन्दू सिपाहीने खूब पीटा, और सिर्फ इस अपराव पर कि वहाँकी प्याऊके लोटेसे पानी पीकर वे हरिजन-बस्तीमे गये थे।[1] इससे क्या प्रकट होता है? यही न कि हरिजन और अहरिजनके बीच पहचान नही हो सकती? और यह भी प्रकट होता है कि आपका हरिजन होना ही गुनाह है। फिर आप न्यायकी आशा नही कर सकते। आपको अपनी प्यास बुझानेका भी हक नही है। अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्त्तापर पुलिसकी लाठी पडी होती, तो आज कितना हो-हल्ला मच जाता। पर श्री परीक्षितलाल पर जो मार पडी है, उसके विरूद्ध न यहाँ हम लोगोने और न बडौदा राज्यवालोने ही कोई आवाज उठायी है।

यह लाछन लगाना व्यर्थ है कि हरिजन मुर्दार मास खाते है, दारू पीते है और गन्दे ढगसे रहते है। उन्हे हम बुरी तरहसे ठुकराते रहेगे, उन्हे छूना भी पाप समझेगे, तो उनसे हम और आशा ही क्या कर सकते है? हमने उन्हे ऐसी जगहोमे रख छोडा है जहाँ जानवर भी रहना पसन्द न करेगे — और फिर हम इसपर आश्चर्य प्रकट करते है कि ये लोग कितने गन्दे ढगसे रहते है! पर वे लोग अगर अपनी बुरी आदते छोड दे, तो क्या हम उन्हे अपनानेको तैयार है? सच बात तो यह है कि हमे उनके साथ गुजर करनी है, हमे उन्हे ऊँचा उठानेका प्रयत्न करना चाहिए। आपकी इस बम्बई नगरपालिकाके मुलाजिम हरिजनोकी नरक-जैसी बस्तियाँ देखकर मेरा दिल रो उठा। बम्बई एक सुन्दर नगरी कही जाती है। पर इसकी सुन्दरता कहाँ है — मलाबार हिलमे या महालक्ष्मीकी कचरा पट्टीमे? मै कहता हूँ कि इन हरिजनोके रहनेकी ठीक-ठीक व्यवस्था करके ही आप रिजपर शान्तिसे रह सकेगे। हरिजनोके लिए अच्छे मकान बनवानेमे खर्च ही कितना होगा? जिस नगरीकी नगरपालिकाकी आमदनी करोडोकी है और जहाँके नागरिकोने मुझे एक ही महीनेमे ४३ लाख रुपये दिये, उसके लिए क्या यह कोई बडी बात है? मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि बम्बईके इन रुग्ण स्थलोको एक बार आप जरूर देखें और

१ देखिए पृ० ७२ भी।

नगरपालिकासे इस बातका आग्रह करे कि वह उनकी हालत तुरन्त ठीक करे। गन्दी नालीके पास एक दिन भी रहना आपको कैसा लगेगा?

अगर आप वालपाखाडी जाये, तो आप देखेगे कि श्री पुरुषोत्तमदास श्री मोरारजी सेठ और श्री सुपारीवाला जैसे थोडे-से सेवक भी कितना सुधार कर सकते है। उनका काम भी परिपूर्ण नही है, पर अन्यत्र उतना भी नही है, इसलिए वही हमे बहुत बडा लगता है। कार्यकर्त्ताओकी आलोचना करना — जैसे कि यह कहना कि प्रान्तीय बोर्डके सदस्य सारे दिन आराम कुर्सियाँ तोडा करते है, इन्हे आफिससे निकाल देना चाहिए — बडा आसान है। दूसरोकी आलोचना करना हमे बहुत प्रिय है, पर हमे अपनी सस्थाओसे काम कराना नही आता। सस्थाओको हम अपनी सेवाएँ अर्पित नही करते, और जबतक हम स्वय सस्थाओमे सेवा करनेको तैयार न हो, तबतक हमे दूसरोकी ध्वसात्मक आलोचना करनेका कोई अधिकार नही है। मैं यह मानता हूँ कि सघके कार्यमे सुधारकी अभी काफी गुजाइश है, किन्तु कार्यकर्त्ता अपनी शक्तिके अनुसार ईमानदारीसे काम कर रहे है। हमे उनके कामकी कद्र करनी चाहिए, और तब कार्यकी नई-नई दिशाओके बारेमे सलाह देनी चाहिए, जैसे कि एक ऐसे भोजनालयकी स्थापना हो, जहाँ हरिजन अन्य नागरिकोके साथ सम्मान-पूर्वक भोजन कर सके। यहाँ मैं यह बता दूँ कि लोगोका भोजनके लिए इस तरह एक पक्तिमे बैठना अन्तर्जातीय भोज नही है। इसलिए मुझे आशा है कि आप सब लोग सघको अपना सहयोग देगे और इस तरह उसकी उपयोगिता बढायेगे। यह आप भूलकर भी न कहे कि हममे सेवा करनेकी क्षमता नही है। इस ध्येयसे अगर आपको प्रेम है, तो सब-कुछ आसान हो जायेगा।[1]

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २९-६-१९३४

९८ तार. पुरुषोत्तमदास टण्डनको[2]

[१६ जून, १९३४ या उसके पश्चात्][3]

आपके दृष्टिकोणको समझते हुए अगर काग्रेसके लोग आपको चुनते है तो पद स्वीकार करनेमे कोई कानूनी बाधा नही है।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २६-६-१९३४

१ सभा समाप्त होने पर गाधीजीने कई चीजोकी, जो उन्हें भेंट की गई थी, नीलामी की।

२ और ३ पुरुषोत्तमदास टण्डनके १६ जून, १९३४के तारके उत्तरमें जो इस तरह था "कार्य-समितिके प्रस्तावके सम्बन्धमें जिसमें उम्मीद की गई है कि काग्रेसके कार्यकर्त्ता ससदीय बोर्डको सहायता पहुँचायेंगे, कृपया तार द्वारा अपना विचार भेजें कि क्या वे काग्रेसी जो चुनावोमें भाग लेनेसे इनकार करते हैं काग्रेस कार्यकारिणीमें रह सकते है।"

९९ तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

[१७ जून, १९३४ या उससे पूर्व][1]

अभी अभी दुखद समाचार[2] पढ़ा। ईश्वरकी यही इच्छा थी। मुझे मालूम है आप साहसके साथ इस क्षतिको बर्दाश्त करेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १८-६-१९३४

१०० पत्र : अमतुस्सलामको

१७ जून, १९३४

चि० अमतुलसलाम,

तू जरा शान्तिसे काम ले। सम्भव हुआ तो मैं तुझे जरूर पूना ले जाऊँगा। लेकिन तुझे धीरज रखना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०९) से।

१०१ भेंट : अ० भा० स्वदेशी लीग, बम्बईके शिष्टमंडलको[3]

बम्बई
[१७ जून, १९३४][4]

मार्गदर्शन पानेके विचारसे पिछले कुछ महीनोंमें कई स्वदेशी कार्यकर्त्ताओंने गांधीजीसे 'स्वदेशी' की एक व्यापक व्याख्या करनेको कहा है। एक सर्वथा पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करनेका प्रयास करते हुए और सुदूर दक्षिणके साथी कार्यकर्त्ताओंके साथ विचार-विमर्श करते हुए, गांधीजीको लगा कि इस तरहकी व्याख्या प्रायः असम्भव है, क्योंकि स्वदेशीकी भावना रोज विकसित और परिवर्तित हो रही है। फिर भी अखिल भारतीय स्वदेशी लीग और उस-जैसे अन्य संगठनोंके मार्गदर्शनके लिए उन्होंने निम्नलिखित व्यावहारिक सूत्र सुझाया :

१. यह तार "कोयम्बटूर, १७ जून, १९३४", तिथि पंक्ति देकर छपा था।
२. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री की पत्नी की मृत्युका।
३. शिष्टमंडलमें लालूभाई सामलदास, क० मा० मुंशी, श्रीमती रायजी, जे० ए० डी० नौरोजी, एस० ए० बरेलवी, वैकुण्ठ एल० मेहता, बी० जी० खेर, मगनलाल, पुरुषोत्तमदास और धीरजलाल मोदी थे।
४. बॉम्बे क्रॉनिकल से।

"अखिल भारतीय स्वदेशी लीगके उद्देश्योके लिए 'स्वदेशी' मे वे सभी उपयोगी वस्तुएँ आ जाती है जो भारतमे लघु-उद्योगो द्वारा तैयार की जा रही है। इन उद्योगोकी सहायताके लिए लोकशिक्षण जरूरी है। लघु-उद्योग कीमतोके नियमन तथा श्रमिकोकी मजदूरी और उनके कल्याणके मामलोमे अखिल भारतीय स्वदेशी लीगका मार्गदर्शन स्वीकार करेगे। स्वदेशीमे, इसलिए वे वस्तुएँ शामिल नही होगी जो बडे और सगठित उद्योगो द्वारा तैयार की जा रही है। उन उद्योगोको अखिल भारतीय स्वदेशी लीगकी मददकी जरूरत नही है। वे सरकारसे सहायता प्राप्त कर सकते है और करते भी है।"

जैसा कि स्पष्ट बता दिया गया है, मेरा यह सूत्र स्वदेशी लीगके मार्गदर्शनके लिए है। इसका आशय स्वदेशीके पूरे क्षेत्रको समेटना नही है। यह केवल लीगको यह सुझाव देनेके लिए है कि उसे अपना कार्यक्षेत्र लघु-उद्योगो, विशेषकर गृह-उद्योगोके प्रोत्साहन और प्रचार तक सीमित रखना चाहिए और बडे व सगठित उद्योगोको उससे बाहर रखना चाहिए। यह सुझाव देनेमे आशय बडे उद्योगोकी अवज्ञा करना या उन उद्योगोसे देशको जो लाभ हुआ है और जो आगे हो सकता है, उसकी उपेक्षा करना नही है। परन्तु स्वदेशी लीग जैसी सस्थाको अपनी ओर से उन उद्योगो का विज्ञापन-एजेट नही बनना चाहिए, वह अबतक यही भूमिका निभाती रही है। उनके पास पर्याप्त साधन है, वे अपनी फिक्र आप कर सकते है। देशमे पर्याप्त स्वदेशीकी भावना पैदा हो गई है और स्वदेशी सगठनोकी कोशिशोके बिना भी, उन्हे उस भावनासे सहायता मिलती रहती है। इन सगठनोको यदि उपयोगी बनना है, तो इन्हे अपना ध्यान सघषरत उद्योगोपर ही केन्द्रित करना होगा। बडे और सगठित उद्योगोके मालके प्रचारकी कोशिशोका परिणाम तो केवल यही हो सकता है कि कीमते और बढ जाये। यह ग्राहकके साथ अन्याय होगा। एक सफल व्यावसायिक सगठनकी सहायताके लिए किसी लोक हितकारी सगठनका स्थापित किया जाना — बेकारका ही श्रम है। हमे इस कामना और विश्वासमे पडकर आत्मवचना नही करनी चाहिए और यह नही सोचना चाहिए कि उन उद्योगोकी वृद्धि और प्रगतिमे हमारी कोशिशोसे बडी सहायता मिली है। यह एक सस्ती आत्मतुष्टि होगी, जो तथ्योसे सही सिद्ध नही होती। १९२० मे फजलभाईके साथ हुई एक बातचीत मुझे याद आ रही है। मैं तब स्वदेशी आन्दोलन शुरू करने ही जा रहा था। उन्होने अपने खास अन्दाजमे मुझसे कहा था, "यदि आप काग्रेसवाले हमारे विज्ञापन-एजेंट बन जाते हैं, तो इससे इसके सिवा देशकी और कुछ भलाई नही होनी है कि हमारे मालपर लाभ बढ जायेगा और हमारी चीजोकी कीमतें चढ जायेगी।" उनकी दलीलमे वजन था। परन्तु जब मैंने उन्हे यह बताया कि हमारा उद्देश्य हाथकी कती और हाथकी बुनी खादीको प्रोत्साहन देना है जिसकी शोचनीय ढगसे उपेक्षा होती आई है और जिसे लाखो भूखे बेरोजगार लोगोकी सेवाके लिए पुनरुज्जीवित करना आवश्यक है, तो वे चुप रह गये। लेकिन केवल खद्दर ही इस तरहका सघषरत उद्योग नही है। इसलिए मैं आपके आगे यह सुझाव रखता हूँ कि आप अपना ध्यान और

अपनी कोशिशें छोटे पैमानेके उन सभी असंगठित लघु-उद्योगों पर केन्द्रित करें जिन्हें आज जनताके समर्थनकी जरूरत है। उनके लिए यदि कोशिश नहीं की गई तो वे नष्ट हो सकते हैं। बड़े उद्योग, जिनके मालसे बाजार अटे हैं, इनमें से कुछको पीछे धकेलते चले जा रहे हैं। आपकी सहायताकी वस्तुत इन्हींको जरूरत है।

चीनी उद्योगको लीजिए। कपड़ेके बाद चीनी-उत्पादन ही देशका सबसे बड़ा उद्योग है। इसे हमारी सहायताकी कोई जरूरत नहीं है। चीनीके कारखानोंकी संख्या तेजीसे बढ़ रही है। इस उद्योगके विकासमें लोक संस्थाओंका कोई योग नहीं रहा है। अपने विकासके लिए यह अनुकूल कानूनका ऋणी है। यह उद्योग आज इतना फल फूल रहा है और फैल रहा है कि खाँडका उत्पादन अतीतकी चीज बनता जा रहा है। निश्चित रूपसे पौष्टिक गुणोंमें खाँड मिलकी चीनीसे कहीं अच्छी है। इस बहुमूल्य कुटीर-उद्योगको ही आपकी सहायताकी जरूरत है। [चीनी-उद्योगको नहीं।] इसी एक क्षेत्रमें शोध और ठोस सहायताकी बड़ी गुंजाइश है। हमें इसे जिन्दा रखनेके तरीके और उपाय खोजने हैं। मेरा जो आशय है, यह उसका केवल एक उदाहरण है। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि लघु-उद्योगोंकी सहायता करना राष्ट्रीय सम्पदाको बढ़ाना है। मुझे इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि इन गृह-उद्योगोंको प्रोत्साहन देना और फिरसे जिन्दा करना ही सच्चा स्वदेशी आन्दोलन है। लाखों मूक लोगोंकी केवल इसी तरह सहायता की जा सकती है। इससे लोगोंकी रचनात्मक क्षमताओं और सूझ-बूझको भी अवसर मिलता है। देशके हजारों नवयुवक, जो आज बेकार हैं, इससे उपयोगी धन्धोंमें लग सकते हैं। आज जो शक्ति व्यर्थ नष्ट हो रही है, वह सब इस तरह काममें लगाई जा सकती है। मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग अधिक लाभदायक धन्धोंमें लगे हैं वे उन्हें छोड़कर लघु-उद्योगोंमें आयें, चरखेके बारेमें भी मेरा यही रुख था। जो लोग बेकारी और गरीबीसे पीड़ित हैं, केवल उन्हींसे मैं यह कहूँगा कि वे इनमेंसे कुछ उद्योगोंको अपनायें और अपने अल्प साधनोंमें थोड़ी वृद्धि करें।

इस तरह आप यह देखेंगे कि [लीगकी] गतिविधिमें जो परिवर्तन मैंने सुझाया है, उसका बड़े उद्योगोंके हितोंसे किसी भी तरह कोई टकराव नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने राष्ट्रीय सेवकोंके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी गतिविधियोंको लघु-उद्योगों तक सीमित रखें और बड़े उद्योगोंको स्वयं अपनी मदद करने दें, जैसा कि वे कर ही रहे हैं। मेरी यह धारणा है कि लघु-उद्योग बड़े उद्योगोंकी जगह नहीं लेंगे, बल्कि उनके पूरक होंगे। जहाँतक बड़े उद्योगों का सवाल है, मैं उनके मालिकोंको भी इस बातके लिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि वे इस कार्यमें, जो विशुद्ध लोकोपकारी कार्य है, दिलचस्पी लें। मैं मिल-मालिकोंका भी हितैषी हूँ और वे मेरे इस कथनकी पुष्टि करेंगे कि जब भी मुझे उनकी सहायताका अवसर मिला है, मैं पीछे नहीं रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २६-७-१९३४, **बॉम्बे क्रॉनिकल**, १८-६-१९३४ भी

१०२. पत्र : मदनमोहन मालवीयको[1]

१८ जून, १९३४

भाई साहब,

जमनालालजीसे आजकी बात सुनकर मुझको बडा दु ख हुआ। जो आपने जीवन-भरमे कभी नही किया वह आप आज कैसे करेगे? हो ही नही सकता। इस्तीफा देनेकी बात छोडे। भाईकी सुने। कोई बुरा परिणाम नही हो सकता है। आप पूना चले। वहाँ हम बाते करेगे।

आपका,
मोहनदास

रिमिनिसेन्सेस ऑफ गाधीजी, पृ० २०९

१०३ पत्र: एम० एस० अणेको

१८ जून, १९३४

प्रिय बापूजी अणे,[2]

आप इस्तीफा नही दे सकते। मुझसे सही ढगसे लडाई लडे बिना तो बिलकुल ही नही दे सकते। मै आपको यह प्रमाणित करनेकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि दोनो समितियोमे रहकर भी आप अपने सिद्धान्तोको कोई हानि नही पहुँचायेगे।[3]

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
रिमिनिसेन्सेस ऑफ गाधीजी, पृ० २०९

१ ऐसी सूचना मिली थी कि कार्य-समितिके साम्प्रदायिक परिनिर्णय सम्बन्धी प्रस्तावके विरोधमें एम० एस० अणे और मदनमोहन मालवीय कांग्रेससे इस्तीफा देना चाहते है। इस सम्बन्धमें मौलाना आजाद, डॉ० बी० सी० राय और जमनालाल बजाज गाधीजीसे सुबह मिले (देखिए परिशिष्ट-२)। गाधीजीने, जो मौन व्रत रखे हुए थे, उन्हें यह और अगला पत्र दिया कि ये मदनमोहन मालवीय और एम० एस० अणेको दे दिये जायें।

२ लोकनायक बापूजी अणेके लोकप्रिय नामसे प्रसिद्ध।

३ देखिए पिछला शीर्षक भी।

१०४ मौनवारकी टिप्पणियाँ[1]

१८ जून, १९३४

यह दुःखदायी है। परन्तु यदि ऐसा होता ही है तो इसे सहन कर लिया जाना चाहिए। कांग्रेस इस धक्केको बर्दाश्त कर लेगी।

मेरे मनमें यह बात साफ है कि चुनावोंका सामना करना ही चाहिए। कांग्रेस जैसा बड़ा संगठन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मात्र व्यक्तिगत लिहाजों से ही इसके भाग्यका निर्णय हो। यदि हम दृढ़तासे, शान्ति और ईमानदारीसे अपने कामको विनियमित करें तो मुझे किन्हीं बुरे परिणामोंकी प्रत्याशा नहीं है।

मुझे निश्चय है कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता। यदि हम इस वक्त अपने कदम पीछे हटा लें तो इससे देशकी कितनी ज्यादा हानि होगी यह मैं अनुमान नहीं कर सकता। यह जो भी कुछ है, इस स्थितिपर हम रुक नहीं सकते।[2]

आप, संसदीय बोर्डके सदस्य, जो यहाँ बम्बईमें हैं, एक बार फिर मिल लें और यदि आप इस निर्णयपर पहुँचें कि यदि दो इस्तीफे बरकरार रहे तो चुनावका काम आगे नहीं चलाया जा सकता तो आप उसके मुताबिक कार्य-समितिको सलाह दें। मैंने आपको जो राय बताई है वह मेरी पक्की राय है। परन्तु इसका कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि चुनाव मुझे नहीं कराने हैं।

[अंग्रेजीसे]

रिमिनिसेन्सेस ऑफ गांधीजी, पृ० २०९–१०

१०५ पत्र : जमनाबहन गांधीको

१८ जून, १९३४

चि० जमना,

तुम्हारा पत्र मिला है। पिछला नहीं मिला था। वैसे पृथुराज कहता तो है कि वह पत्र मेरे पास रखा गया था। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, यह तुमने नहीं लिखा। और अधिक इस समय नहीं लिखा जा सकता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८८५) से, सौजन्य : नारणदास गांधी।

१ साधन-सूत्रके अनुसार ये तब लिखी गईं जब अबुल कलाम आजाद, डॉ० बी० सी० राय और जमनालाल बजाजने दिनके लगभग १० ३० बजे गांधीजीको बताया कि अणे और मदनमोहन मालवीय अपने इस्तीफे वापस लेनेके लिए तैयार नहीं हैं। देखिए पिछले दो शीर्षक भी।

२ चन्द्रशंकर शुक्लके अनुसार अगला अनुच्छेद तब लिखा गया जब "भूलाभाई देसाईने, जो अभी-अभी अन्दर आये थे, अन्य तीनों नेताओंका जोरदार समर्थन किया"।

१०६ पत्र : नारणदास गाधीको

बम्बई
१८ जून, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारे पत्र मिल गये है। तुरन्त जवाब देनेका समय ही कहाँ है?

केशुके प्रति जमनालालका असन्तोष बढता जा रहा है। वह अभीतक यहाँ नही पहुँचा है। कहा नही जा सकता कि वह क्या करेगा। सन्तोकको जितना बताना जरूरी समझो बता देना। समय मिलनेपर अधिक लिखूंगा।

वर्धा इत्यादिके विषयमे जब कही आओगे, तब बात करूँगा। जमनादासके नाम लिखी चिट्ठी साथमे है। यह खोज निकालना कठिन है कि उसे किस प्रकार सन्तुष्ट किया जाये। तुम उसे साथ ला सको तो लेते आना। वह तुम्हारी बात सुनेगा।

डॉक्टर शर्मासे उसके पूना पहुँचनेपर और बात करूँगा। अमतुस्सलामके अर्शका ऑपरेशन हो गया है। डाक्टर मेहताके अस्पतालमे है। मै अमीना और कुरैशीसे मिल लिया हूँ। कुरैशी अहमदाबाद आयेगा।

मै मथुरादास सेठसे कहूँगा अथवा उन्हे बादमे लिखूँगा। मणिलालकी ओरसे शुल्क नही मिलेगा। डाक बन्द होनेका समय हो रहा है, इसलिए अब अधिक नही लिखता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू० १) से। सी० डब्ल्यू० ८४०३ भी, सौजन्य नारणदास गाधीसे।

१०७ पत्र : विद्या आर० पटेलको

१८ जून, १९३४

चि० विद्या,

आशा है तू अपने वचनका पालन कर रही होगी। रोना नही चाहिए, हँसते रहना चाहिए, काम खूब करना चाहिए, और ब्याहकी चिता नही करनी चाहिए। ब्याह तब होगा जब भगवान् योग्य वर भेजेंगे। जो कार्यमे दत्तचित्त रहता है, उसके मनमे और विचार कभी आ सकते है? मुझे लिखती रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५८६) से, सौजन्य रवीन्द्र आर० पटेल।

१०८. तार: हीरालाल शर्माको[1]

पूना
२० जून, १९३४

शर्मा
मार्फत "श्री"
बम्बई

पाँच बजे सुबह पर्णकुटीमे।

बापू

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२–४८, पृष्ठ ७३ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

१०९. पत्र · मीराबहनको[2]

२० जून, १९३४

चि० मीरा,

कैसा वियोग था वह! बडा उदास कर देनेवाला वियोग था। लेकिन मै जानता हूँ कि मुझपर इससे अधिक गहरे, मूल्यवान और निःस्वार्थ स्नेहकी वर्षा कभी कोई नही करेगा। मै उसी स्नेहसे परेशान हो गया हूँ। लेकिन यह तो उसका अस्थिर पहलू है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे प्रयत्नको सफल करे। जबतक जरूरी हो तुम वहाँ ठहरना और जितनी जल्दी हो सके लौट आना।

ऋषि और उनकी बहन[3] को मेरा प्यार पहुँचा देना। एफी[4] से मिलना न भूलना। उसे और दूसरे सब भाई-बहनोको मेरा प्यार।

१ हीरालाल शर्मा रामदासके इलाजके बारेमें बातचीत करनेके लिए २१ जून, १९३४को गाधीजीसे मिलना चाहते थे।

२ 'बापूके पत्र मीराके नाम' में मीराबहन लिखती हैं "मैं मध्य भारत तथा दक्षिण भारतके सारे दौरेमें बराबर बापूके साथ रही। जब मैं फिर उत्तरमें बम्बई तक आई तो मुझे आतरिक प्रेरणा हुई कि मैं इग्लैंड जाऊँ और बापू तथा उनके स देशके बारेमें लोगोंको खासकर मेहनतकश लोगोंको बताऊँ। मैं सीधे बापूके पास गई और उन्हें यह बताया। उन्होंने कहा कि मुझे जाना चाहिए और पाँच दिनके अन्दर मैं जहाज पर यूरोपके लिए चल पड़ी। यह पत्र उनसे अलग होनेके बाद लिखा गया बापूका पहला पत्र है।"

३ रोमाँ रोलाँ और मैडेलिन रोलाँ।

४ एफी० एरिस्टॉर्ची।

आशा है तुम्हारी चीजे समयपर पहुँच गई होगी।

स्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२८६) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५२ से भी।

११० पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२१ जून, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत आज प्रात कालको ही पढ सका। अवश्य कृष्ण नायरके साथ आश्रममे रहो। काम कामको सिखाता है। इस बखत विनोबाके पास जानेकी कोई आवश्यकता नहि है। और लिखनेका समय नहि है। तुमारा शरीर अच्छा है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४१४) से।

१११ भाषण . महिला आश्रम, पूनामें[1]

२१ जून, १९३४

आश्रममें गाधीजी को हरिजन कन्याओने हार पहनाये। कन्याओको सम्बोधित करते हुए गाधीजी ने कहा कि प्रोफेसर कर्वेके साथ और भारतकी महिलाओके लिए वे जो महान कार्य कर रहे है उससे उनका पहला परिचय स्व० श्री गोखलेके माध्यमसे हुआ था। श्री गोखले चाहते थे कि मै स्वय देख लूं कि महिलाओकी उन्नतिके लिए एक आदमी कितना कुछ काम कर सकता है। तबसे इस लम्बी अवधिके दौरान मुझे कई कठिनाइयोका सामना करना पडा है। परिणामस्वरूप मै आपके पास बीस साल बाद आ सका हूँ, और वह भी अचानक ही। जो काम तत्काल किया जाना चाहिए, उसके लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। परन्तु फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि मै आपके बीचमें हूँ। मुझे आशा है, जब आप बडी होगी तब आप अपने जीवनको इस तरह नियमित रखेंगी कि कर्वेने आपके हितके लिए जो त्याग किये है आप उनकी पात्र बन सकें। जब आपके सामने ऐसा उदाहरण है तो आप सुखोपभोग और प्रलोभनोके प्रति लगावका जीवन नहीं बिता सकतीं। सस्कृतमें

१ यह और अगला शीर्षक "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है।

एक पुरानी सूक्ति है कि यदि मनुष्य ज्ञान द्वारा तुच्छ स्वार्थसे मुक्ति नहीं पाता तो वह ज्ञान नहीं है। इसलिए मै आशा करूँगा कि आप अपनी हीन भाग्यवाली बहनोकी सेवामें अपने-आपको लगायेंगी।

मुझे यह देखकर दु ख हुआ है कि महिला विश्व विद्यालय जैसी राष्ट्रीय सस्थामें हिन्दी अनिवाय न होकर एक ऐच्छिक विषय है। मै सुझाव दूँगा कि अग्रेजी ऐच्छिक और हिन्दी अनिवाय विषय बना दिया जाये, क्योकि अग्रेजी तो सभी लडकियाँ प्रचलित फैशनके कारण अनिवाय रूपसे पढेंगी ही और उतनी आसानीसे वे हिन्दी नहीं पढेंगी। जब मै विद्यार्थी था तब मेरे मुख्याध्यापकने शारीरिक शिक्षा, जो उन दिनो प्रिय नही थी, अनिवार्य बना दी थी। व्यायामशालासे एक दिनकी अनुपस्थिति पर एक आना जुर्माना निश्चित था। एक दिन मुझे भी वह जुर्माना देना पडा था।[1] वही नियम हिन्दीपर भी लागू कर दिया जाना चाहिए। हिन्दीका अध्ययन यद्यपि आवश्यक है परन्तु वह अभी प्रिय नही हुई है। राष्ट्रीय भाषाके व्यावहारिक ज्ञानके बिना आप सही ढगसे राष्ट्रकी सेवा नहीं कर सकती। आप हिन्दीमें आसानीसे निपुणता प्राप्त कर सकती है, क्योकि वह मराठी और उत्तरी भारतकी दूसरी भाषाओसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ६-७-१९३४

११२ भाषण छात्रोके समक्ष, पूनामें[2]

२१ जून, १९३४

छात्रोको गाधीजी ने उन हरिजन बस्तियोके बारेमें बताया जिनका उन्होने निरीक्षण किया था और राय दी कि छात्र झाड़ू, टोकरियाँ और फावडे लेकर वहाँ जायें और उन स्थानोकी भली-भाँति सफाई करे। इसके बाद वे बस्तियोका नक्शा बना सकेंगे और हरिजनोकी आबादीकी गणना कर सकेंगे। जहाँ कहीं जरूरी हो, दीवारोको ऊँची करके व उनके घरोको सुधार कर भी वे हरिजनोकी मदद कर सकते है। वे बच्चो और जवानोको अक्षर और अक सिखानेकी बातको बहुत महत्त्व न दें, बल्कि पहले उन्हे स्वास्थ्य, सफाई और शराबसे परहेज आदि बातें समझाकर उन्हे शिक्षा दें।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ६-७-१९३४

१ देखिए खण्ड ३९ पृ० १६।

२ अपने स्वागत भाषणमें छात्रोंने हरिजनोकी सेवा करने की इच्छा प्रगटकी थी और गाधीजीसे अनुरोध किया था कि वे इस बारेमें उनका मार्गदर्शन करें।

११३. पत्र . मीराबहनको

२२ जून, १९३४

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र और पोस्टकाड मिल गये। ईश्वर तुम्हे सुखी रखे। मै लगातार मुलाकातियोसे घिरा रहता हूँ। तुमपर प्रभुकी छाया बनी रहे।

हम सबकी ओरसे प्यार।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२८७) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५३ से भी।

११४ पत्र : राजेन्द्र प्रसादको

२२ जून, १९३४

भाई राजेन्द्रप्रसाद,

जीरादेईसे तुमारा खत मिल गया था। नित्य तुमारा स्मरण होता है। अब तो शात होगे। कौटुबिक कार्य[1] मे कितना समय देना होगा। खचके बारेमे क्या होगा, जनादन[2] अब कहा रहेगा। इस बारेमे लिखे। रिलीफका कार्य चलता होगा।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९७१६ से, सौजन्य डॉ० राजेन्द्र प्रसाद।

१ कौटुबिक कार्योकी जिम्मेदारी राजेन्द्र प्रसादके बडे भाई महेन्द्र प्रसादपर थी, जिनकी इसी महीने मृत्यु हो गई थी, देखिए "तार राजेन्द्र प्रसादको", पृ० ५७।

२ महेन्द्र प्रसादके पुत्र।

११५ भेंट राष्ट्रीय शिक्षा-कार्यकर्त्ताओको[1]

पूना
२२ जून, १९३४

अपनी बातचीतके दौरान श्री गाधीने कहा कि जिन सस्थानोपर सरकार ने रोक लगा दी है, उन्हे सरकारसे निवेदन करके अथवा अन्य किसी तरीकेसे रोकको हटवानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे उन्होने इस बातपर जोर दिया कि नगरपालिका और स्थानीय सस्थाएँ चूंकि अर्ध-सरकारी है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षाके लिए ऐसे निकायोसे मदद नहीं लेनी चाहिए।

यह पूछा गया कि काग्रेस सगठनके माध्यमसे राष्ट्रीय शिक्षाका लाभ उठानेवाले हरिजनोको क्या सरकारी विद्यालयोमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। श्री गाधीने कहा कि जबतक हरिजनोको हम अपने समाजका अग नहीं मान लेते, राष्ट्रीय शिक्षाके अपने नियमोको हम उनके ऊपर लागू नहीं कर सकते। शिक्षा प्राप्त करनेके लिए वे हर उपाय काममें ला सकते है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय स्कूलसे प्राप्त करनी हो चाहे सरकारी स्कूलसे।

सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय शिक्षाका उद्देश्य राष्ट्रीय विचारोके आत्म-निर्भर कायकर्त्ता तैयार करना न होकर गाँवोमें कार्य करनेवाले कार्यकर्त्ता तैयार करना होना चाहिए। गाधीजी ने कहा कि कायकर्त्ताओका ध्यान शहरी कार्यकर्त्ता तैयार करनेकी बजाय गाँवोमें काम करनेवाले कार्यकर्त्ता तैयार करनेकी ओर खीचना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षाका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। गाधीजी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालीमें प्राथमिक शिक्षाकी नितान्त आवश्यकता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डका आदर्श उन्होने मजूर कर लिया, लेकिन कहा कि अभी इसकी आजमाइशके लिए उपयुक्त समय नहीं आया है। लेकिन इसकी उपयोगिताको कार्यकर्ता ही सिद्ध कर सकते है। वही इस तरहका प्रस्ताव कायकारिणी समितिकी अगली बैठकमे रख सकते है। श्री गाधीने कहा कि जनशिक्षाको राष्ट्रीय शिक्षाका अग मान लेनेकी जरूरत है।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, २३-६-१९३४

१ यह भेंट तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठमें आयोजित की गई थी, उस समय कार्यकर्त्ताओने गाधीजीके समक्ष एक प्रश्नमाला रखी थी।

११६ भाषण : बारह वफातके जलसेमे[1]

पूना
२३ जून, १९३४

मुसलमानोसे मेरी दोस्ती हाल ही की नही है। वह पचास साल पहले, जब मै नौजवान था, शुरू हुई थी। दक्षिण आफ्रिकाकी मेरी पहली यात्रा वहाकी एक मुस्लिम फमके मामलोके ही सिलसिलेमे थी। वहाँ कई सालतक मुझे मुस्लिम मित्रोके घनिष्ठ सम्पकमे आनेका सौभाग्य मिला। भारतमे भी, आप जानते ही है, अली बन्धुओ और मुझमे कितना गहरा सहयोग था। यद्यपि मौलाना शौकत अली और मै अब एक-दूसरेसे अलग हो गये लगते है, फिर भी वे यह जानते है कि मै हमेशा उनकी मुठ्ठीमे हूँ।

मुसलमानोके साथ अपने सम्बन्ध इस तरहके होनेके कारण, पैगम्बरके जीवनका अध्ययन मुझे अपना कत्तव्य लगा। दक्षिण आफ्रिकामे मैने उसके अध्ययनकी कोशिश की, पर मेरा ज्ञान तब काफी नही था। भारतमे कारावासके समय मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ और मौलाना शिबली रचित पैगम्बरकी जीवनी पढनेका मुझे मौका मिला। स्वर्गीय हकीम अजमल खाने मेरी प्राथनापर इसे भेजनेकी कृपा की थी। साथ ही मैने पैगम्बरके साथियोपर भी पुस्तके पढी। इस्लाम और पैगम्बरपर मैने अग्रेजीमे पुस्तके पढी है।

इस अध्ययनसे मै इस निष्कषपर पहुँचा कि मेरे लिए केवल 'वेद' और 'गीता' ही नही, बल्कि 'कुरान' और 'बाइबिल' भी पवित्र ग्रन्थ है। हजरत मुहम्मद एक महान पैगम्बर थे और ईसा मसीह भी एक महान पैगम्बर थे। अपने अध्ययनसे मेरी धारणा यह बनी है कि पैगम्बरको सत्यकी तलाश थी। उन्हे ईश्वरका भय था। इसमे, मुझे मालूम है, मै आपको कोई नई बात नही बता रहा हूँ। मै तो सिफ यह बता रहा हूँ कि उनके जीवनसे मै किस तरह प्रभावित हुआ। उन्होने अपार कष्ट सहे। वे बहादुर थे और अल्लाहके सिवा और किसीसे नही डरते थे। परिणामोकी परवाह किये बिना, उन्होने वही किया जिसे वे ठीक समझते थे। उनकी कथनी और करनीमे कभी भेद नही रहा। वे जैसा सोचते थे वैसा ही करते थे। यदि उनके विचारोमे कोई परिवर्तन आता था तो वे, इस बातका खयाल किये बिना कि उसकी उन्हे क्या कीमत चुकानी होगी और जन-साधारण उसका समर्थन करेगे या विरोध, अगले ही दिन उस परिवतनके अनुरूप काय करने लगते थे।

पैगम्बर एक फकीर थे। उन्होने सर्वस्वका त्याग किया था। यदि वे चाहते तो सम्पत्तिशाली हो सकते थे। उन्होने और उनके परिवार व साथियोने स्वेच्छासे

१ अंजुमन ए फिदा ए इस्लामके तत्वावधानमें हुआ था और गाधीजी वहाँ हिंदीमें बोले थे।

जो कष्ट सहे, जब मै उनके बारेमे पढता हूँ तो मेरी आँखोसे आनन्दाश्रु बहने लगते है, आपके भी बहने लगेगे। जिनका मन बराबर अल्लाहपर टिका था, जो हमेशा खुदासे डरते रहे और जिनके हृदयमे मानव जातिके लिए अपार दया थी, मेरे-जैसा सत्यका अन्वेषी उनका आदर किये बिना भला कैसे रह सकता है?

आप सब कुरान पढते है। पर जो-कुछ आप पढते है उसमे से अमलमे कितना लाते है? आप शायद इसका मुँहतोड जवाब यह दे कि यदि आप कुरानके आदेशोके अनुसार नही रहते है तो हिन्दू ही गीताके आदेशोके अनुसार कहाँ व्यवहार करते हे, और आपका यह कहना सही होगा। पर इससे निष्कष केवल यह निकलता है कि यदि दोनो सम्प्रदाय अपने-अपने धमके उपदेशोका अनुकरण करे, तो साम्प्रदायिक झगडे अतीतकी चीज हो जाये। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि दोनो सम्प्रदायोके कुछ लोगोने अपनी समझको धता बता दी है और वे एक-दूसरे पर कीचड उछालनेमे लगे है। एक भी मुसलमान यदि इस सभाके कारण परिस्थितिको ठीक-ठीक समझने लगता है और छिद्रान्वेषणकी बजाय अपने सम्प्रदायके साथ-साथ अन्य सम्प्रदायोसे भी प्रेम करने लगता है, तो यहाँ मेरा भाषण देना बेकार नही जायेगा।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-६-१९३४

११७. पत्र . चारु प्रभा सेनगुप्तको

२४ जून, १९३४

चि० चारु प्रभा,

जहाँ जगह अच्छी लगे तुम्हे वही रहना चाहिए। तुम्हारे पुत्रने जो निणय लिया है वह बहुत अक्लमन्दीका है। अपने स्वयके परिश्रमपर जीना ही इज्जतके साथ जीना है। यही हमारा आदर्श है और होना चाहिए। हम तो इसके अधिकसे-अधिक करीब पहुँचनेकी कोशिश ही कर सकते है।

स्नेह।

बापू

श्री चारु प्रभा सेन
राजवाडी, बगाल

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८७०७) से। सी० डब्ल्यू० १४९३ से भी, सौजन्य ए० के० सेन।

११८ पत्र : बेचरदास जे० दोषीको

२४ जून, १९३४

भाई बेचरदास,

आपका पिछला कार्ड मिलनेकी मुझे याद नही। दिल्लीमे मेरे रहनेकी कोई बात नही है। लेकिन मै वहाँ होकर निकलूँ, तो अवश्य मिल जाइए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३४१) से।

११९ पत्र नारणदास गाधीको

[२४ जून, १९३४][1]

चि० नारणदास,

यदि माताजी और पिताजी मुझसे वढवाणमे आकर मिल सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, किन्तु मै वहाँ रातको पहुँचूँगा। उन्हे इतनी तकलीफ क्यो दी जाये? मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, मै इससे सन्तुष्ट हूँ। उनका प्रेम यदि उन्हे वढवाण खीचकर ले आये तो आने देना।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४०४ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

१२० पत्र . कृष्णदास जाजुको

२४ जून, १९३४

भाई जाजु जी,

आपका मधुर पत्र मिला है।

कोटशिपमे मानसिक व्यभिचार अनिवार्य है। इससे बचनेके कारण और व्यभिचारमय स्थितिमे अयोग्य पसदगीके भयसे मुक्त होनेके कारण मैने मात-पितापर प्राथमिक शोध और पसदगीका बोज रखा है। अबतक इसमे कोई बाधा पैदा नहिं हुई है। मेरे दो लडके तीस वर्षके नजदीक आकर विवाहित हुए। दोनोके लिये वधुकी

१ यह सदेश २४ जून, १९३४ को प्रभावती द्वारा नारणदास गाधीको लिखे पत्रमें भेजा गया था।

पहली पसदगी मेरी थी। देवदासके बारेमे देवदासकी थी सही, लेकिन जैसे देवदासमे यह बात पैदा हुई ऐसे हि उसने किसीके पूछनेके पहले ही मुझे और राजगोपालाचारी को कह दिया और हमको सतुष्ट करनेकी नीतिमय चेष्टा की और सफल हुआ। बात बढनेके बाद विवाहमे कोटशिपका भय रहता है। ऐसा तो धम मात्रमे है। धम नाम ही उसका है जिसमे मनुष्यको प्रतिक्षण पाप अथवा पुण्यके बीचमे एक ही पसदगी करना पडता है। तुमारे प्रश्नके गभमे प्रश्न लडके लडकीकी एक साथ शिक्षा-का उपस्थित होता है। मिश्रित शिक्षाके बारेमे मुझे सदेह है। मै कोई निश्चय नहि कर सका हू। हमारा प्रयोगका यह तो आरभ काल ही है, उसमे भूल होवेगी। अपूणता है ही। तो भी प्रयोग करने योग्य है। सर्वांशमे लाभ ही प्रतीत होता है। कटु अनुभव भी काफी हो रहे है। और भी इस बारेमे पूछना है तो पूछीये।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१४८) से

१२१ भाषण जिला स्थानीय बोर्ड, पूनामे[1]

२४ जून, १९३४

गाधीजी ने बोर्डको हरिजन-सेवाके कामके लिए बधाई दी[2] और कहा, "मुझे विश्वास है कि अगर स्थानीय बोर्ड और नगरपलिकाएँ सन्तोषजनक रीतिसे अपना कर्त्तव्य पालन करने लगे, तो हरिजनोका आर्थिक सकट थोडे ही दिनोमे दूर हो जाये और हरिजन-बस्तियोमें सफाई की भी हालत सुधर जाये। बोर्डोको यह देखते रहना चाहिए कि प्रारम्भिक पाठशालाओमें हरिजन बच्चोको ठीक तरहसे शिक्षा दी जाती है या नही। शिक्षासे मेरा मतलब यहाँ अक्षरो-अकोकी ही पढ़ाईसे नहीं है। हरिजन बालकोको सबसे पहली शिक्षा तो यह मिलनी चाहिए कि वे स्वच्छतासे रहना सीखें और अपने कपडे साफ रखें। हरिजन छात्रोकी शिक्षा-सस्कृतिपर जो शिक्षक अधिक ध्यान दें, उन्हे इनाम इत्यादि देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बात और है कि अकसर सार्वजनिक कुँओसे पानी भरनेकी हरिजनोको इजाजत नहीं दी जाती, यद्यपि इसका कानूनी हक उन्हे हासिल है। जहाँ ऐसी बात देखनेमें आये, वहाँ बोर्डोको अधिकारवचित हरिजनोकी हर तरहसे सहायता करनी चाहिए। पर इस बीच इस बातका खयाल रखा जाये कि वे बेचारे प्यासे न मरे। अगर कुछ अडचन हो, तो उनकी बस्तियोमें खासतौरपर कुँए खुदवा दिये जायें।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ६-७-१९३४

१ यह तथा अगले दो शीर्षक 'साप्ताहिक पत्र' से लिये गये है।

२ जिला स्थानीय बोडने गाधीजीको मानपत्र भेंट किया था, जिसमें बोर्ड द्वारा की गई हरिजन सेवाका विवरण था।

१२२ भेंट : हरिजन-सेवकोको

पूना
२४ जून, १९३४

उस दिन गाधीजी ने १००से ऊपर हरिजन-सेवकोके साथ डेढ घटेतक बातचीत की। उनके सभी प्रकारके प्रश्नोके उत्तर गाधीजी ने हमेशाकी तरह बडे धीरजसे दिये। कार्यकर्त्ता गॉवोमें जाकर डेरा डाल दें और वहॉ सवर्ण हिन्दू तथा हरिजन दोनोके ही बीचमें सेवा-कार्य करे, इसी बातपर गाधीजी ने सबसे अधिक जोर दिया।

एक हरिजन भाईने पूछा कि क्या आज, जबकि इस हत्यारी बेकारीके मारे सारे देशमें बी० ए०, एम० ए० पास लोगोकी मिट्टी पलीद हो रही है, हरिजनोको कालेजकी पढाईके लिए प्रोत्साहन देना उचित है, और क्या यह अधिक अच्छा न होगा, कि उन्हे औद्योगिक शिक्षा दी जाये? गाधीजी ने जवाब दिया कि जबतक यह औद्योगिक शिक्षा सवर्ण हिन्दुओको पूरी तरह जँच न जाये, तबतक यह आशा करना कठिन ही है कि हरिजन इसे ग्रहण करेगे। हो सकता है कि सवर्णोंके लिए विश्वविद्यालयोकी पढाई लाभदायक न भी हो, पर हरिजनोके लिए तो वह कामकी चीज है। मै बहुत दिनोतक समझता रहा कि डाक्टर अम्बेडकर ब्राह्मण है। प्रतिभा और योग्यतामें वे किसी सवर्ण हिन्दूसे कम नहीं है। हरिजनोको तो इस उच्च शिक्षासे लाभ ही है। औद्योगिक शिक्षामें मै खुद पूरा विश्वास करता हूँ और मै चाहता हूँ कि जितने ज्यादा हरिजन विद्यार्थी उद्योग-धन्धेकी शिक्षापर ध्यान दें उतना ही अच्छा। पर हरिजन-सेवक सघ हरिजनोको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसे तो दोनो ही प्रकारकी शिक्षाके लिए हरिजनोको प्रोत्साहित करना पड रहा है। औद्योगिक शिक्षाका उपदेश तो हरिजनोमें खुद हरिजन ही करे। मै आशा करता हूँ कि हमारे हरिजन भाई बुकर टी० वाशिगटन[1] की जीवनी और उनकी रचनाओको पढेंगे तथा उनसे शिक्षा ग्रहण करेगे। वाशिगटनकी मै ससारके महापुरुषोमें गणना करता हूँ।

हरिजन-बस्तियोके बारेमें गाधीजी ने कहा कि देहातोमें यह प्रश्न नहीं है, वहाँ उनके मकान बुरे नहीं हैं। रही शहरोकी हरिजन-बस्तियोकी बात, सो उनका सुधार नगर-पालिकाओको करना चाहिए। हरिजन-सेवकसघ इतना बडा काम अपने हाथमें नहीं

१ १८५६-१९१५, अमेरिकी नीग्रो शिक्षक, जिन्होंने जीवनके प्रारम्भिक दिन दासतामें बिताये थे। उन्होंने नीग्रों लोगोको उद्योग-धधोमें प्रशिक्षित करनेके लिए एक सस्थान बनाया था।

ले सकता। नगरपालिकाएँ अगर अपने कर्त्तव्य-पालनपर-उचित ध्यान दें, तो यह सवाल थोडे ही पैसेमें हल हो सकता है।

जब सावजनिक कुँओसे पानी भरनेके हकके बारेमे गाधीजी से पूछा गया, तो उन्होने जवाब दिया कि जरूरत पडे तो इसमें पुलिसकी मदद ले और अदालतमें जा कर कानूनी कार्रवाई भी करे।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ६-७-१९३४

१२३ भाषण सार्वजनिक सभा, पूनामे

२४ जून, १९३४

शामकी सार्वजनिक सभा एक देखनेकी चीज थी। महाराष्ट्रके विभिन्न जिलोके प्रतिनिधि-मडल अपनी-अपनी थैली गाधीजीको भेंट करने वहाँ आये हुए थे। विरोधी सनातनी जनोके प्रतिनिधिस्वरूप, पूनाके पुराने जनसेवक श्री शकरराव लवाटे भी आये थे। गाधीजी ने श्री लवाटेसे बोलनेको कहा। श्रीयुत लवाटेने कहा कि मै और मेरे सनातनी मित्र अस्पृश्यता दूर करनेके लिए गाधीजीसे कम इच्छुक नहीं हें। पर हमारा एतराज तो उस बिलपर है जिसके सरकारी और दूसरे सम्प्रदायोके वोटोकी मददसे पास हो जानेसे सारी हिन्दू-जातिपर बुरा असर पडनेकी आशका है।

गाधीजी ने श्री लवाटेको उनकी शिष्टता और अत्यधिक विनयशीलतापर धन्यवाद दिया और कहा, जब लवाटेजी बोल रहे थे, तब लोगोको इस तरह अधीर नहीं हो जाना चाहिए था। मुझे अधीरता प्रकट करनेका दुख है। शिष्टताका तो यह तकाजा है कि जब कोई भाषण दे रहा हो, तो हमें धीरज और शान्तिके साथ उसकी बात सुननी चाहिए और बोलते समय बीचमें टोकना नही चाहिए। श्री लवाटे एक मँजे हुए सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हे। १९१५में जब मै पूना आया, तो मुझे बतलाया गया था कि अगर पूनामें कोई सच्चा जनसेवक है तो वह श्री लवाटे हें। जब मैंने उनके दर्शन किये, तो मेरी आँखोके आगे प्राचीन कालके ऋषियोका चित्र आ गया। उनके मद्य-निषेध सम्बन्धी महान कार्यको कौन नही जानता? मेरी तो उनके प्रति पहले ही जैसी श्रद्धा है, यद्यपि आज वे मेरे विरोधमें खडे हें। मै इतना मूर्ख नहीं हूँ कि श्री लवाटे-जैसे सत्पुरुषोके विचारोकी उपेक्षा कर दूँ। पर मुझे भय है कि श्री लवाटेको कुछ भ्रम हो गया है। अपनी इस यात्रामें मैंने कहीं भी मन्दिर-प्रवेश बिलके पक्षमें वोट नहीं माँगे। मैंने तो इस बिलकी चर्चा भी बहुत कम की है। मेरा विश्वास है कि बिलके इस बखेडेको तो हमें कानूनके जानकारोपर ही छोड देना चाहिए। मेरा यह निश्चित मत है कि बिलको पास कराना आप सबका कर्त्तव्य है, क्योकि जबतक मन्दिरोके द्वार हरिजनोके लिए नहीं खुलते, तबतक यह

नहीं कहा जा सकता कि अस्पृश्यता जड-मूलसे मिट गई। पर मै यह हरगिज नहीं चाहता कि असेम्बलीके हिन्दू सदस्योके बहुमतके बिना इस बिलको कानूनी रूप दे दिया जाये। मुसलमानो या ईसाइयोके वोटोसे बिलका पास करा लेना तो साफ ही हिंसा है। श्री लवाटे तथा दूसरे सनातनी मित्रोको मै विश्वास दिलाता हूँ कि उनका यह भय सर्वथा निराधार है। अगर पूनाके सनातनी इस आन्दोलनमें मेरा हाथ बँटायेंगे तो मुझे सचमुच प्रसन्नता होगी। मैंने सुना है कि गाँवोके सवर्ण हिन्दू हरिजनो को मुर्दार मास खाने और उनकी मर्जीके विरुद्ध उनसे मरे हुए ढोर उठवानेके लिए मजबूर कर रहे है, और अगर वे कभी अपने अधिकारके बलपर सावजनिक कुँओसे पानी खीचनेका साहस करते है, तो सवर्णोके हाथो सताये जाते है। क्यो न हम सब ऐसे अत्याचारका मुकाबला मिलकर करे? ऐसी अस्पृश्यताके समर्थनमें तो एक भी शास्त्रीने कोई श्लोक मुझे नहीं बताया है। मैंने शास्त्रोको जैसा-कुछ समझा है, उसके अनुसार शास्त्रोके माननेका मै दावा करता हूँ। सत्यको जिस रूपमें मने पहचाना है, उसके लिए प्राणतक दे देनेका साहस मुझमें आये, यही सदैव ईश्वरसे माँगता रहता हूँ। यही कारण है कि मै अपनेको सनातनी कहा करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ६-७-१९३४

१२४ पत्र वल्लभभाई पटेलको

"पर्णकुटी", पूना
[२५ जून, १९३४ से पूर्व][1]

भाई वल्लभभाई,

बहुत कोशिश की, मगर पिछले हफ्ते-भर लिख न सका। इस आशासे कि लिखूँगा ही, लडकियोके पत्र भी रोक रखे।

आज भी मुश्किलसे लिख रहा हूँ। वक्त हो तो पन्ने-पर-पन्ने भर दूँ। परन्तु अब तो मै जितना भी लिखूँ, उसीसे सन्तोष कीजिए।

चन्दूभाईके लिए जो-कुछ हो सकेगा, करता ही रहूँगा। कसर नही रख छोडूगा। गुजरातका दौरा करना आवश्यक था, इसलिए वहा जा रहा हूँ। जाऊँ तो हरिजन-चन्दा करना ही पडेगा। मैंने जो निणय दिया सो तो आपने देखा ही होगा। अभी तो जो हो उसे देखते ही रहना है। अच्छा-बुरा तो कौन जानता है? हम जो करे तो अच्छा समझकर करे, इतनी ही आशा रखी जा सकती है। मेरा विश्वास है कि सब-कुछ अच्छा ही हो रहा है।

१ साधन सूत्रमें "२७ जून" है, परन्तु गाधीजी २५ को पूनासे रवाना हो गये थे।

सुनता हूँ कि आपका स्वास्थ्य आजकल अच्छा नही रहता। जो हो सके कीजिए और स्वास्थ्य सुधारिए। डाक्टरोको बुलवाना जरूरी हो तो जरूर बुलवाइए। मागे बिना माँ भी रोटी नही देती। आपसे जो माँगा जा सके माँग लीजिए। और नाक को ठीक कर लीजिए।

इस बार जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह शायद आपको तो अच्छा नही लगा होगा। मै मानता हूँ कि उसका फल अच्छा ही होगा। बडे भाई[1] मिल गये। अब जो हो जाये सो सही। वायुमण्डलमे इतनी नई गर्द छा गई है कि उसका पार पानेमे कोई समर्थ नही है। हम अपने वश-भर करके सन्तोष माने। वहाँ बैठे हुए बाहरकी चिन्ता करना व्यर्थ है, हानिकर है, इसपर पूर्ण विश्वास रखकर निश्चित रहिए।

खुर्शेदबहन और दूसरी दोनो यही है। खुर्शेदबहनने (जेलमे) काफी कष्ट सहन किया है। अब तबीयत अच्छी है। उसे सीमा प्रान्त जानेकी लौ लगी है।

परीक्षितको पीटा गया, यह मेरे लिए साधारण बात नही है। और यह बात मुझे उससे भी ज्यादा भयानक प्रतीत होती है कि इसके खिलाफ लगभग कोई आन्दोलन नही हुआ।

बा मेरे पास आ गई है। ठीक है। सुखी है।

कान्ति देवदासके पास है। पढता है। उसकी आकाक्षाएँ महान है।

वेलाबहन और आनन्दी मेरे साथ है। मेरा दल अब बहुत बडा हो गया है। सोचूँगा उसमे क्या कटौती की जा सकती है। बाबला जीवणजीके साथ है।

[2] निकम्मा साबित हुआ। उसने फिर पहले-जैसी ही भूल की है। लेकिन भूलका महत्त्व समझा हो, ऐसा नही जान पडता। अब मैने उसे राजकोट जानेकी सलाह दी है। नारणदास अब वही रहेगे। [3] वहाँ जाकर रहे और जो हो सके करे। जमनालालजीका विश्वास खो बैठा है। ऐसा नही दिखता कि उसने हिसाब तक ठीक रखा हो।

राधा (गाधी) प्रोफेसर कर्वेकी पाठशालामे भरती हो गई है। मुझे तो इसका कुछ पता नही था। उसने अपने-आप ही सब प्रबन्ध कर लिया। कल मिली थी। मै उससे ज्यादा देर तक तो नही मिल सका। यहाँ भी समय कम मिलता है।

स्वामी यही है। राजाजी है। जमनालालजी कल ही बम्बई गये। [4] काफी बीमारी भोगकर आबूसे आये है। मेरे साथ व्यवस्था-सम्बन्धी बाते करनी है। स्वामी को वापस बिहार जाना ही है।

मीराबहनके बारेमे तो आपने पढा ही होगा। इससे अधिक कुछ भी नही है। एकाएक उसके मनमे आया कि उसे खुद जाकर कुछ-न-कुछ करना चाहिए। मैने हाँ कहा और वह चली गई।[5] मेरे सामने उसका व्यक्तित्व बिलकुल दब गया था।

१ पण्डित मदनमोहन मालवीय।

२, ३, ४ साधन सूत्रमें नाम नही दिये गये है।

५ देखिए पृ० ९४।

अब पहले की अपनी कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले तो अच्छा है। दो-चार महीनेके लिए ही गई है। मैक्सवेल[1] से केवल साधारण कैदियोकी हालतके बारेमे बात करने गई थी, अपने अनुभव बतानेके लिए।

अम्बालाल साराभाईसे मिला था। सरला देवीको काफी लाभ हुआ है।

आज बस इतना ही। यह सबेरे 'पर्णकुटी'मे लिखा था। अब भाभुरडा[2] जाना है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ १०६-८

१२५ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

[२५ जून या उसके पूव][3] १९३४

चि० मणिलाल तथा सुशीला,

बा के इतने लम्बे पत्रके बाद अब मै और क्या लिखू? अरूणकुमार नाम तुम दोनोको अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगा समझो। नानाभाईने जो लम्बी फेह-रिस्त भेजी है, उसमे से मुझे गोविन्द ज्यादा पसन्द है। ज्यादा लिखनेकी फुरसत भी नही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुम दोनोके एक प्रश्नका उत्तर देना रह गया। मेरे कहनेका आशय यह था कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी मुल्तवी कर दिया गया है, अत उसके फिर शुरू होनेसे पहले उसकी पूरी तैयारी कर लो। त्याग, सादगी, सयम आदिका अभ्यास करो, तभी उसमे अपनी आहुति दे सकोगे।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२१)से।

१ बम्बई सरकारके तत्कालीन गृह सचिव।
२ पूनाका एक मोहल्ला जो अब शिवाजीनगर नामसे प्रख्यात है।
३ देखिए "पत्र नानाभाई आई० मशरूवालाको", पृ० १०८।

१२६ पत्र · प्रेमी जयरामदासको

२५ जून, १९३४

प्रिय प्रेमी,

परीक्षा पास कर लेनेपर अगर तुम्हे बधाइयाँ चाहिए तो मै तुम्हे बधाई देता हूँ। क्या कारण है कि तुम मुझसे केवल स्टेशनपर ही मिलोगी? पिताजी मेरे साथ कराची जायेगे, यह तो तय है। फिर तुम क्यो नही चलती? तुम्हारी हिन्दीका क्या हाल है?

सस्नेह।

बापू

श्री प्रेमीबहन जयरामदास
मार्केट रोड, हैदराबाद
सिन्ध

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२४७) से, सौजन्य जयरामदास दौलतराम।

१२७ पत्र : नानाभाई आई० मशरूवालाको

२५ जून, १९३४

भाई नानाभाई,

आपका पत्र मिला था। आपने जो नाम भेजे है, उनमे से मैने गोविन्द पसन्द किया है। किन्तु इस सम्बन्धमे मेरा कोई आग्रह नही हो सकता। मैंने मणिलाल और सुशीलाको लिखा है और यह सुझाव दिया है।

आप चगे हो रहे है, यह सुनूं तो अच्छा लगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६९१) से। सी० डब्ल्यू० ४३३६ से भी, सौजन्य कनुभाई ना० मशरूवाला।

१२८ पत्र रैहाना तैयबजीको

२५ जून, १९३४

चि० रैहाना,

आज मैं बडी जल्दीमे हूँ, और इसलिए गुजरातीमे लिख रहा हूँ। तेरे पत्रमे से एक अश मैंने 'हरिजन' मे लिया है। अबतक हरिवदन, हमीदाका मानसिक असन्तुलन समाप्त हो गया होगा। जेल उन लोगोके लिए नही है जो उसे आनन्द मनानेकी जगह बना लेते है। बाहर रहकर भी हमे वैसा ही जीवन बिताना चाहिए और अपना सारा समय रचनात्मक काममे तन्मय होकर लगाना चाहिए। आशा है तू प्रसन्न होगी। अम्माजान और अब्बाजानको मेरे आदाब। सरोज[1] रोज मिलती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६४९) से।

१२९ वक्तव्य बम दुर्घटनापर

पूना
२५ जून, १९३४

अपने जीवनमे मै इतनी बार बाल-बाल बचा हूँ कि इस ताजा घटनासे मुझे कोई आश्चय नही हुआ।[2] ईश्वरको धन्यवाद देना चाहिए कि बमसे किसीकी जान नही गई। और मुझे आशा है कि जो व्यक्ति कमो-बेश जख्मी हुए है उन्हे शीघ्र अस्पतालसे छुट्टी मिल जायेगी।[3]

मै विश्वास ही नही कर सकता कि कोई भी समझदार सनातनी आज शामकी नासमझीकी इस घटनाको कभी प्रोत्साहन दे सकता है। परन्तु मै चाहूँगा कि सनातनी मित्र उन वक्ताओ और लेखकोकी भाषा पर नियन्त्रण रखे जो उनकी ओरसे

१ सरोज नानावटी, काका कालेलकरकी निजी सचिव।

२ एक कार पर यह मानकर कि उसमें गाधीजी म्यूनिसिपल हॉल जा रहे है, बम फेंका गया था। शाम ७ ३० पर गाधीजी जब वहाँ पहुँचे तो जो कुछ हुआ था उसकी उन्हें कोई जानकारी नही थी। उस घटनाकी सूचना मिलनेपर वे शा त ही रहे और इस सुझावसे उन्होने सहमति प्रकट की कि जो कार्यक्रम है वह चलना चाहिए। अत उन्हें अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया और ८-३० पर वे हॉलसे चल दिये। यह तब "भगवानने फिर कृपा की" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

३ यह अनुच्छेद **हिन्दू**, २६ ६-१९३४ से लिया गया है।

बोलनेका दावा करते हैं। यह घटना शोचनीय है, किन्तु इससे हरिजन-ध्येय निश्चय ही आगे बढेगा। यह बात आसानीसे समझी जा सकती हे कि जो लोग किसी ध्येय पर जमे होते है उनकी शहादतसे वह ध्येय फूलता-फलता है। शहादतके लिए मै बेचैन नही हूँ। पर यदि करोडो हिन्दुओकी तरह जिस धममे मेरी आस्था है उसकी रक्षाके लिए मुझे अपना जो कर्त्तव्य सर्वोच्च लगता है, उसका पालन करते हुए मुझे शहादत मिलती है, तो मै उसके लिए सुपात्र ही ठहरूँगा और भावी इतिहासकार यह कह सकेगा कि हरिजनोके आगे की गई मेरी यह प्रतिज्ञा कि यदि जरूरत पडी तो मै अस्पृश्यताको मिटानेकी कोशिशमे अपनी जान भी दे दूगा, अक्षरश पूरी हुई।

मेरे इस पार्थिव जीवनका जितना कुछ भाग अभी शेष है, उसपर जिन्हे ईर्ष्या हो उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि मेरे शरीरको खत्म करना तो बडा ही आसान काम है। मगर मेरे जीवनको, जिसे वे पाप-पूर्ण समझते है, समाप्त करनेके लिए बहुत-से निर्दोष जीवनोको सकटमे डालनेकी क्या जरूरत है? यदि वह बम मुझपर और मेरे साथके लोगोपर गिरा होता, जिनमे मेरी पत्नी और बेटियो-जैसी प्रिय वे तीन लडकियाँ थी जिन्हे उनके माता-पिताने मेरे सुपुद किया है, तो दुनिया हमारे बारेमे क्या कहती? मुझे यकीन है कि बम फेकनेवालेका इरादा उन्हे नुकसान पहुँचानेका तो हो ही नही सकता था।

बम फेकनेवाले उस अज्ञात व्यक्तिपर मुझे बडा तरस आता है। यदि मेरा बस चलता और बम फेकनेवालेको मै जानता होता, तो मै निश्चय ही उसे छोड देनेके लिए ही कहता। दक्षिण आफ्रिकामे जो लोग मुझपर हमला करनेमे सफल हुए थे, उनके लिए मैने ऐसा ही किया था।[१] सुधारकोको बम फेकनेवालेपर या जो लोग उसके पीछे है उनपर क्रोध नही करना चाहिए। मै तो उनसे यह अपेक्षा रखता हूँ कि वे अस्पृश्यताकी इस घातक बुराईको मिटानेकी कोशिशे अब दुगनी कर दे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-६-१९३४

१३० डॉ० दिनशा मेहताके लिए धन-सग्रहकी अपील

२६ जून, १९३४

मुझे अपने २१ दिनके उपवास[२] की अवधिमे तथा उसके बाद श्री दिनशा मेहता और उनके कमचारियोकी अत्यन्त हार्दिक सेवा प्राप्त हुई है। यह सब स्वेच्छासे किया हुआ श्रम था। मै मानता हूँ कि वे अपने पेशेको सच्चे दिलसे चाहनेवाले व्यक्ति है। उन्हे प्राकृतिक चिकित्साकी धुन है। चूकि मै खुद रोग-निवारणके प्राकृतिक और सादे उपायोमे विश्वास करता हूँ, मुझे उनके प्रयोगोमे गहरी दिलचस्पी है। वे

१ देखिए खण्ड ८, पृ० ९०४।

२ ८ से २८ मई, १९३३ तक, देखिए खण्ड ५५।

इस समय आर्थिक कठिनाईमे है। जो मित्र अबतक उदारतापूर्वक उन्हे मदद करता रहा है वह और ज्यादा समयतक वैसा नही कर सकता। उनका कम-से-कम खर्च प्रति मास ३,००० रु० है। उन्हे आजकल इसकी आधी रकमका घाटा है। इसलिए वे धन-सग्रहके लिए सावजनिक अपील करना चाहते है। यदि मिलनेवाली मदद काफी बडी हुई तो वे उस धनका उपयोग स्थायी निधिकी तरह करेगे। वे हिसाब-किताब रखते है जिसकी जाँच की जा सकती है।

मै खुशीसे इस अपीलका अनुमोदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे सफलता मिलेगी।

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

१३१. भेंट . एसोसिएटेड प्रेस आफ इडियाके प्रतिनिधिको[1]

बम्बई
२६ जून, १९३४

कोई मेरे प्रति चाहे-जैसी हिंसा करनेका इरादा क्यो न करे, जिस कार्यको मै सर्वथा उचित समझता हूँ, उसे करनेसे वह मुझे रोक नही सकती।

कल रात पूनामें हुई बमकी घटनासे वह जरा भी विचलित नहीं थे और एसोसिएटेड प्रेससे अपनी भेंटमें वे अपने स्वाभाविक ढगसे, बीच-बीचमें मजाक करते हुए, बातें करते रहे। उन्होने आगे कहा

अस्पृश्यताके मामलेमे जो-कुछ हो रहा है, वह आखिर इतिहासकी पुनरावृत्ति है। कोई भी सुधार, जिसे सुधार कहा जा सके, अभीतक ऐसा नही हुआ है जिसमे सुधारकको अपने ध्येयके लिए अपने प्राणोकी बाजी न लगानी पडी हो। अस्पृश्यताका दानव यदि एक व्यक्तिकी बलि लेता है तो यह समझना चाहिए कि वह आसानीसे सन्तुष्ट हो गया। युगोसे चली आती एक बुराई, जिसे एक गुण कहकर रखा गया है, पर्याप्त बलिदानके बिना नही हटाई जा सकती। मेरा ईश्वरकी सवशक्तिमत्तामे विश्वास है। जबतक वह इस ध्येयके लिए मुझे इस शरीरमे रखना चाहता है, तबतक सभी तरहकी क्षतिसे वह मेरी रक्षा करेगा। और जब उसके लिए इसका कोई उपयोग नही रहेगा, तो पार्थिव शक्तिकी कैसी भी सुरक्षाका कोई लाभ नही हो सकेगा।

प्र० आपको अभिनन्दन-पत्र भेंट करनेके विचारका सनातनियोने जो विरोध किया और बम फेंकनेकी जो यह घटना हुई, आपके खयालमें क्या ये इस बातके सकेत है कि सनातनी हिंसापर आमादा है?

१ पूनासे अहमदाबाद जाते हुए एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाका प्रतिनिधि गाधीजी से प्रात काल बम्बईमें मिला था।

गाधीजी एक व्यक्ति अपनेको सनातनी कहकर हिंसा करना चाहता था, इससे मै यह नही कहूँगा कि सनातनी हिंसापर आमादा है। अभीतक मै यह माननेको तैयार नही हूँ कि सचमुच सनातनियोने मेरी गतिविधियोका विरोध करनेके लिए कोई हिंसक सगठन बनाया है।

प्र० पूना, बिहार और उडीसामें हुई कार्रवाइयाँ, आपके ख्यालमें, क्या इस बातका सकेत है कि आपके अस्पृश्यता-निवारक आन्दोलनका सनातनियोकी ओरसे जो विरोध है, वह हिसाका रूप धारण कर रहा है?

गाधीजी मै यह माननेको बिलकुल तैयार हूँ कि पूनामे और अन्यत्र जो कार-वाइया हुई है, उनका असर जल्दी ही भडक उठनेवाले कुछ युवकोपर यह पडा हे कि वे मेरे विरुद्ध हो गय है। १९१५ मे जब मै भारत लौटा था तो मैने यह भविष्य-वाणी की थी कि यदि इस देशमे किसी भी ध्येयकी आडमे बमको जगह मिल गई, तो वह केवल उस ध्येयतक ही सीमित नही रहेगा। मेरी वह भविष्यवाणी अनेक बार सच सिद्ध हो चुकी है। इस समय मै आपसे यह सोचनेके लिए भी कहूँगा कि यदि हम विचार और वाणीमे हिंसाका अनुसरण करते है, तो किसी-न-किसी दिन वह अवश्य ठोस रूप भी ग्रहण करेगी, और जिसे अच्छा ध्येय कहा जाता है, केवल उसी तक सीमित नही रह सकेगी।

यह कहना बिलकुल गलत है कि यदि उद्देश्य पवित्र है तो हर तरहके साधन न्यायोचित है। पवित्र उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। मुझ पर चाहे-जैसा हमला करनेका इरादा क्यो न किया जाये, जिस कायको मै सवथा उचित समझता हूँ, वह मुझे उससे रोक नही सकता।[1]

साम्प्रदायिक समझौते और उसके बादकी घटनाओपर कार्य-समितिका जो प्रस्ताव है, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होने कहा

काग्रेस-कायकर्त्ताओमे फूट पडनेकी मुझे कोई आशका नही है।

इस गूढ वाक्यके सिवाय राजनैतिक परिस्थितिपर किसी और बहसमें पडने से गाधीजी ने इनकार कर दिया।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २६-६-१९३४, **हरिजनबन्धु**, १-७-१९३४ भी

१ यह अनुच्छेद **हरिजनबन्धु**, १ ७ १९३४ से अनूदित है।

१३२ भाषण : बडौदामे[1]

भारी भीडके समक्ष बोलते हुए गाधीजी ने बडौदाकी जनताको हरिजन-कार्यके लिए १,००० रुपयेकी थैली देने पर धन्यवाद दिया। उन्होने कहा

गुजरातके दु खी किसानोके लिए डॉ० चन्दूलाल देसाई तथा अन्य लोगोने जिस कोषका आरम्भ किया है, मै चाहूँगा कि बडौदाके लोग सबसे पहले उसमे चन्दा दे और फिर अस्पृश्यताके कलकको मिटाना अपना अनिवाय कर्त्तव्य मानकर हरिजन-कोषके लिए चन्दा दे। मै यहाँ रुक नही सकता। इसका मुझे दु ख है। मै थका हूँ और क्लान्त हूँ। महाराजा साहब गायकवाडने हरिजनोकी प्रगतिके लिए काफी-कुछ किया है। ऐसी हालतमे यह बडौदाके लोगोके लिए कलककी बात है कि गुजरात हरिजन सेवक सघके मन्त्री श्री परीक्षितलाल मजमूदारके साथ राज्यके एक छोटे-से गाँवकी पुलिसने अनुचित व्यवहार किया। यहाँ उपस्थित सभी लोगोसे मै निवेदन करूँगा कि वे अस्पृश्यताके कलकको खत्म करे।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-६-१९३४

१३३ सन्देश · पंजाबको

[२७ जून, १९३४ से पूर्व][2]

आशा है, हरिजन-कोषके लिए पजाबके लोग उदारतापूवक चन्दा देगे।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-६-१९३४

१ सभाका आयोजन स्थानीय हरिजन-सेवक सघ द्वारा स्टेशनपर ही किया गया था।
२ यह सदेश "लाहौर, २७ जून, १९३४" की तिथि पक्तिके अन्तर्गत छपा था।

१३४ बातचीत . हरिजन-सेवकोसे[1]

अहमदाबाद
२७ जून, १९३४

हर कार्यकर्त्ताने अपने-अपने जिलेमें अभीतक किये गये कार्यको गाधीजी के सामने रखा। हरिजन-कार्य करनेमें, खासकर गॉवोमें, जो नाना प्रकारकी दिक्कतें रास्तेमें रोडा बनकर आती है, गाधीजी को उन्होने उनसे भी अवगत कराया। उन्होने उन्हे यह भी बताया कि हरिजनोके लिए कुएँ खोदना एक बहुत बडी समस्या है और सुझाव दिया कि इस कायके लिए विशेष धन एकत्र करना चाहिए।

कुएँ खोदनेके लिए विशेष कोष एकत्र किया जाये, गाधीजी को यह बात पसन्द नहीं आई। उन्होने कहा, कुएँके लिए दिये गये हर प्रार्थना-पत्रको बारीकीसे देखना चाहिए, क्योकि उन्हे पानी तथा यथासम्भव अन्य सभी सुविधाएँ प्रदान करना हमारा कर्त्तव्य है। सनातनियोसे किसी भी रूपमें कोई भी सहायता मिले तो स्वीकार की जानी चाहिए। हरिजनोको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाये, यही देखना कार्यकर्त्ताओका मुख्य कर्त्तव्य होना चाहिए। गाधीजी ने कहा कि उन्हे गॉवोमें काम करना चाहिए। नित्य प्रचार-कार्यसे उनके रास्तेके सारे रोडे दूर हो जायेंगे।

एक सवालके जवाबमें गाधीजी ने कहा कि अगर किसी खास गॉवमें हरिजन-काय हरिजन-सेवक सघ अथवा इसके सदस्यो द्वारा सक्रियताके साथ न किया गया हो, तो उन्हे स्वय वह काय करना चाहिए। जैसे, अगर नगरपालिका अपना कार्य ठीक-ठीक नहीं करती तो सरकार उसके कायको करती है।

सुधारकोकी सख्या रोज बढ रही है और हरिजनोके प्रति अपने व्यवहारमे लोगोका हृदय-परिवतन भी हो रहा है।

श्रीयुत परीक्षितलाल मजमूदारने बताया कि हरिजनोके लिए कुओकी व्यवस्था करनेमें उन्हे किन कठिनाइयोका सामना करना पड रहा है तथा चन्दा इकट्ठा करनेमें क्या-क्या समस्याएँ है।

गाधीजी ने कहा कि यदि वे सच्ची लगनसे काम कर रहे है तो वे आसानीसे चन्दा प्राप्त कर सकते है।

श्रीयुत ठक्कर बापाके इस सवालका जवाब देते हुए कि हरिजनोके लिए अलग कुओकी व्यवस्था करनेका अर्थ कुछ लोग अस्पृश्यताको जारी रखना लगाते है, गाधीजी

१ गुजरात और काठियावाड़के।

ने कहा कि यह जरूरी ही हो, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी हालतमें पानीके अभावमें हरिजनोको मरने नहीं दिया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-६-१९३४

१३५ भाषण महिलाओकी सभा, अहमदाबादमे[1]

२७ जून, १९३४

मै इसे एक शुभ लक्षण मानता हूँ कि अहमदाबादमे आनेके बाद हरिजन-सेवा का मेरा सावजनिक कार्य बहनोसे शुरू हो रहा है। अनेक स्थानोपर बहनोकी सभाओमे, तथा कई स्थानोपर पुरुषोकी सभाओमे भी यह बात कहना उचित मालूम हुआ और तब मैंने कहा कि धमकी रक्षा हिन्दुस्तानमे ही नही बल्कि सारे ससारमे स्त्रियोके हाथो ही होती आई है और आगे भी होगी। यह रक्षा स्त्रियोने बडी-बडी पुस्तके लिखकर या भाषण देकर की है, यह मेरे कहनेका आशय नही था, न आज है। यह रक्षा उन्होने अपने आचरणसे की है। किसी भी धर्मका प्रचार भाषणो अथवा पुस्तकोसे नही हुआ। कुछ पुस्तकोको हम धम-ग्रन्थ मानते है, किन्तु वे भी सत्पुरुषो अथवा सत्स्त्रियोके आचार-विचारका प्रचार है। जिसके पीछे शुद्ध आचरण नही है, ऐसे सुन्दरसे-सुन्दर विचारोकी माला भी धमग्रन्थ नही होती। वह धर्मग्रन्थो की शान्ति नही दे सकती। जो हमेशा झूठ बोलता है, ऐसा मनुष्य यदि 'सच बोलो' कहे, तो उसके कहनेका प्रभाव नही पडता, फिर चाहे यह किसीको मालूम न हो कि वह झूठ बोलता है। किन्तु जो मनुष्य अपने सदाचरणके हेतु जूझता है, वह यदि न बोले, तब भी उसका आचरण फलदायक होता है। जीवन्त बीज धरतीमे डाला जाये और धरती ठीक हो, तो वह बीज अवश्य फूट निकलेगा। ठीक यही बात पुस्तकमे कहे हुए वचनोके बारेमे है। ऐसा समझकर ही मैने कहा है कि धमकी रक्षा स्त्रियोके ही हाथो अधिकसे-अधिक हुई है। स्त्रीमे त्यागकी, सहनेकी, धैयकी जो शक्ति है, वह पुरुषमे नही दिखाई देती। इसके कारण अनेक है। उनमे जानेकी यहाँ जरूरत नही है। किन्तु जो बात मैंने कही है, उसे ससार मानता है। इसलिए मुझे आनन्द हो रहा है कि मेरे यहाँके कामका आरम्भ इस सम्मेलनसे हुआ है।

यदि आप लोगोके मनमे इस विचारका उदय हुआ हो कि अस्पृश्यता सामाजिक पाप है, तो इस पापसे मुक्त होनेका भगीरथ-प्रयत्न करना चाहिए। मुझ-जैसे व्यक्ति घूमे-फिरे, पैसे इकट्ठे करे, यह काफी नही है। मेरे इस प्रयत्नके पीछे आशा यह है कि मै स्त्रीके हृदयको छू सकू। यह हो जाये, तभी मेरा काम सब प्रकारसे पूरा होगा। पुरुषके हृदयको छू सकूँ, तो काम थोडा-थोडा होगा। बम्बईमे मै लेडी लक्ष्मीबाईसे मिलने गया था। अब उनसे समवेदनामे मै क्या कहता? अत मैने तो एक ही मुद्दे

1. यह सभा सात महिला मण्डलोके तत्त्वावधानमें कृष्ण थियेटरमें हुई थी।

पर जोर देते हुए बात शुरू की। मैंने उनसे कहा "आप इस तरह घरके कोनेमे बैठकर शोक करना छोडिए और बाहर निकलिए। घरके कौनेमे बैठकर वैधव्य भोगना आपको शोभा नही देगा। यह तब शोभा देगा जब आप बाहर निकलकर हरिजन-सेवा करेगी।

लक्ष्मीबाईने अस्पृश्यता-निवारणका काम किया। उन्होने बताया "आपका पुरुष-वर्ग चाहे जो कहे, किन्तु यदि स्त्रियाँ ठान ले तो आप पुरुष क्या कर सकते है?" मैंने कान पकडा। मुझे इसका अनुभव है। उन्होने यह भी कहा, "आपके — अर्थात् अपने पति अथवा पिताके—वचन हम न माने तो आप क्या करेगे? हम स्त्रियाँ तो बस एक 'ना' कह देना जानती है। और फिर आप २४ घटे घरमे बैठे थोडे ही रह सकते है। आप कुछ करनेको कहकर चले जाये और हम न करे तो उसकी आपको क्या खबर होगी?" उन्होने जो बात कही, वह बिलकुल सच है। इसीसे मैंने कहा है कि स्त्रियोके हृदयोको छू सकू, तभी मेरा काम होगा। पुरुष मुझसे कहते है, "हम अस्पृश्यताका पालन नही करते। किन्तु क्या आप हमारे घरमे किलकिल शुरू कराना चाहते है? हम तो कह दे कि हरिजनको घरमे रखेगे, किन्तु जिन्हे २४ घटे घरमे रहना है, वे यदि न रखे, तो हम क्या करे?" इसलिए यदि बहने समझ जाये कि अस्पृश्यता पाप है और उसे निकाल बाहर करना है, तो पुरुष उससे चिपके नही रहेगे। यह पुरुषकी शक्तिके बाहरकी बात है, यह अनेक पुरुषोका अनुभव है।

अत मुझे बहनोके मनमे यह बात बैठानी है कि आपके पास चाहे जितने ब्राह्मण आये, ज्योतिषी आये, किन्तु इतनी बात आप याद रखेगी। अगर आप-सब माता है, तो बेटे-बेटेमे भेद नही करेगी, बल्कि उलटे नादान, मूर्ख, अपग बेटेपर अधिक प्रेम उँडेलेगी। मैंने ऐसी कोई माता नही देखी जिसने अपने मूर्ख बेटेको फेक दिया हो अथवा जो अपने बुद्धिमान बेटेपर अधिक ध्यान देती हो। अगर ऐसी कोई माता हो, तो आप उसकी निन्दा करेगी। मेरा मन तो जरूर निन्दा करेगा। माताका प्रेम तो अपग बालकपर अधिक होता है। हम स्त्री-पुरुष, जो मिट्टीके पुतले है, जब अपनी सन्तानके साथ इस न्यायके अनुसार आचरण करते है और अपने अपग बेटेकी ओर अधिक ध्यान देते है, तब ईश्वर, जिसने हमे पैदा किया है, जो हमारा पिता है, पिताओका भी पिता है, जो ससारका पिता है, जो प्राणि-मात्रका सिरजनहार है, वह इससे भिन्न न्यायका बरताव कैसे करेगा? हरिजनोका बहिष्कार किया जाये, कुओ-तालाबोसे उन्हे पानी न लेने दिया जाये, उन्हे मन्दिरोमे न जाने दिया जाये और चले जाये तो मन्दिर अपवित्र हो जाये, वे फल अथवा रोटीको छू ले तो उन्हे फेक देना पडे — ऐसा विधान ईश्वरने रचा होगा, यह मेरी बुद्धि स्वीकार नही करती। यह भ्रम है। इस्लाम अथवा ईसाई धर्ममे हम यह नही देखते। हिन्दू-धर्मने ही मनुष्योको पशुकी अपेक्षा भी नीच समझनेका इजारा लिया है। गाय-भैसोको तो हम अच्छा पानी और अच्छा दाना देते है, किन्तु इन्हे जूठन देते है, और वह भी छू जानेके डरसे ऊँचेसे छोड देते है। ऐसा करते हमे शर्म भी नही आती। हम मान लेते है कि ये लोग इसीके लिए जन्मे है।

यह इतनी मोटी बात है कि यदि हम इसे समझना चाहे, तो समझ सकते है। जो अपने-आपको सनातनी मानते है, वे तो हमे पाँव भी नही धरने देते। वे कहते है कि ये अस्पृश्य जन्मसे ही अस्पृश्य है और इन्हे छूनेसे पाप लगता है। मै यह नही कहता कि यह बात ससारमे और कही नही है। अमेरिकामे भी ऐसा है, लेकिन वहाँ इसे धर्मका चोला नही पहनाया गया है। मेरी शिकायत हिन्दू भाइयो और बहनोसे यह है कि हम अस्पृश्यताका आचरण धर्मके नामपर करते है। 'हरिजनको छूना अधर्म है', यदि आप ऐसा कहे तो मै पूछूगा, यह बात आप कहाँसे ले आये ? कोई शास्त्री मुझे ऐसा नही मिला, जिसने कहा हो कि आजकी अस्पृश्यताका विधान शास्त्रमे है। मैने अनेक शास्त्र भली-भाँति पढे है और पाया है कि आजकी अस्पृश्यताका उल्लेख शास्त्रोमे नही है। थोडी अस्पृश्यता है, किन्तु उसमे अभी मुझे नही जाना है। मै तो कहता हूँ कि आजकी अस्पृश्यताको मिटाओ। यह तो अधर्म ही है, धर्म नही है। इतना हम समझ जाये, तो जो सुधार हम करना चाहते है, वे झपाटेसे हो जाये।

इन सब बातोकी चर्चा मैने आपको यह बतानेके लिए की है कि मै आपसे चाहता क्या हूँ। आप सब इस विषयका अध्ययन कीजिए। आपकी शक्तिसे जो बाहर न हो, सो कीजिए। इतना करनेकी तो सबमे शक्ति है कि जब मौका आये, हरिजनोकी सेवा करे। उनके लिए पैसा दे। इतना ही नही, वरन् वे अस्पृश्य नही है, हमारे-जैसे ही है, ऐसा माने। वे जन्मसे अस्पृश्य होते तो उनके दो आँखोकी जगह तीन आँखे होती अथवा एक आँख होती। दो कानोकी जगह एक कान होता। अथवा ऐसा ही कोई चिह्न ईश्वरने उन्हे दिया होता। परन्तु ऐसा कोई चिह्न ईश्वरने उन्हे नही दिया। यहा कोई हरिजन बालिका हो, तो हम एकाएक उसे पहचान भी नही सकेगे।

जो अस्पृश्यताको पाप न समझते हो, वे एक कौडी भी इस थैलीमे न दे। जो उसे पाप समझते हो, वे यथाशक्ति देकर प्रायश्चित्त करे। हमे पता तो चलेगा कि अमुक बहनने पैसा दिया और भविष्यमे हम उस बहनसे कुछ और सेवा लेगे। आपने एक पैसा दिया, तो यह सहृदयता हुई। आपने साथ दिया, यह कहो तो भी ठीक है। फिर जब आप अपनी पडोसिनोके पास जाये और उनमे से कोई गाली दे, तू-तू मैं-मैं करे तो उसे सहन कीजिए और उनसे कहिए कि आप जो करती है, वह धर्म नही, अधर्म है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १५-७-१९३४

१३६ पत्र गुलाबचन्द जैनको

२८ जून, १९३४

भाई गुलाबचन्द,

तुमने लिखा है, सच्च हे। उपाय तो वही है कि जो कानून तोडते है वह खादी पहने अथवा कानून रद्द कर दिया जाय।

मो० क० गाधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७७४२) से

१३७ बातचीत गुजरात स्वदेशी सघके कार्यकर्त्ताओसे[1]

अहमदाबाद
२८ जून, १९३४

इस सस्था (अखिल भारतीय स्वदेशी सघ)के लिए स्वदेशीमे वे उपयोगी वस्तुएँ आयेगी जो पूरी तरह इस देशमे तैयार हुई हो, और ऐसे छोटे-छोटे उद्योगोसे तैयार हुई हो जिनके अस्तित्वको बनाये रखनेके लिए उनके प्रति जनतामे लगातार रुचि पैदा करते रहनेकी जरूरत है। इनमे वे सब उद्योग आ जायेगे जो अपने तैयार मालकी कीमत तथा अपने अधीन काम करनेवाले मजदूरोकी मजदूरी और उनके कल्याणके मामलेमे इस सस्थाके बोड द्वारा जारी किये गये निर्देशोको स्वीकार करेगे। अत इस स्वदेशी मे वे वस्तुएँ नही आयेगी जो उन बडे और सुव्यवस्थित उद्योगो द्वारा तैयार की गई होगी जो इस स्थितिमे है कि अपनी देखभाल स्वय कर सकते है और जो बिना सावजनिक सहायताके जब चाहे राज्यका सरक्षण प्राप्त कर सकते है।[2]

अपनी परिभाषाको समझाते हुए गाधीजी ने कहा कि उनकी परिभाषा ऐसी है कि इसमें परिवतनकी गुजाइश है ही नहीं। उन्होने कहा कि स्वदेशीका आन्दोलन

१ हरिजन आश्रम (सत्याग्रह आश्रम), साबरमतीमें।

२ कुछ कार्यकर्त्ताओको यह परिभाषा बिलकुल अव्यावहारिक लगी, और गुजरात स्वदेशी सघने इसमें एक तबदीली सुझाई "वे माल जो पूरी तरह भारतमें तैयार किये गये हो तथा जहातक सम्भव हो भारतमें उपलब्ध वस्तुओसे तैयार हुए हों, जो किसी भी व्यवस्थापिकाके निर्देशनमें ७५ प्रतिशत भारतीय मजदूरो व पूँजीसे तैयार कराये गये हो, स्वदेशी माने जायें। लेकिन तैयार मालोंमें सूती कपड़ा, रेशमी तथा ऊनी कपड़ा तो अवश्य ही भारतमें बना होना चाहिए।" देखिए पृ० ८८ ९० भी।

इस वक्त जिस पद्धतिसे चलाया जा रहा है, उसी की वजहसे हम बडे उत्पादकोके स्वैच्छिक एजेंट बन गये है और इसका नतीजा यह हुआ है कि वे कुटीर-उद्योगोकी उपेक्षा कर रहे हैं।

इसलिए, गांधीजी ने कहा, मेरी समझमें बडे-बडे उद्योगोको हमारे किसी प्रोत्साहनकी जरूरत नहीं है और मेरी परिभाषामे विचारका आधार बेरोजगारी खत्म करना है।

कच्चा माल जो भारतमें प्राप्त नही किया जा सकता, उसे विदेशोसे मगाना चाहिए या नहीं, इस सवालका स्वीकारात्मक जवाब देते हुए गाधीजी ने कहा कि जो कच्चामाल भारतमे उपलब्ध नहीं है, उसे विदेशोसे मगानेके लिए मै जरूर कहूँगा।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-६-१९३४

१३८. पत्र . मीराबहनको

२९ जून, १९३४

चि० मीरा,

तुम्हे गाडी-भर प्यार भेजनेके सिवाय मुझे और कुछ नही लिखना है। मुझे तुम्हे यह बतलाते हुए खेद होता है कि बूटो अभी-अभी फटी बॉसुरीकी तरह निकम्मा साबित हुआ है।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२८८) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५४ से भी

१३९ भाषण मिल-मजदूरोकी सभा, अहमदाबादमे

२९ जून, १९३४

मै आज बहुत समयके बाद आप सबसे इतनी बडी सख्यामे मिल सका हूँ। इसके लिए मै भगवानका आभार मानता हूँ और अपने-आपको भाग्यशाली समझता हूँ। आपने मानपत्र पढकर सुनाया और ५००१ रुपयेकी थैली हरिजन-सेवाके लिए दी, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो [मानपत्रमें] लिखा हे कि आप लोग अन्य हरिजनोकी अपेक्षा अधिक सुखी हैं, यह बिलकुल ठीक है। आपके पास थोडा पैसा है और आपको अक्षरज्ञान आदिकी सुविधा दिनो-दिन अधिक मिलती जा रही है। ऐसे हरिजन भी है जो इस कोषमे पैसा देनेवाले हरिजनोकी अपेक्षा

नीचे समझे जाते है। इस प्रकार अस्पृश्यताके भीतर एक और अस्पृश्यता उत्पन्न हो गई है। यह पैसा आप लोगोने इस पापके प्रायश्चित्तस्वरूप दिया है। यह पाप आप लोगोने स्वीकार कर लिया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। किन्तु आप यह न मान बैठे कि हमने प्रायश्चित्त किया, थैली भेट की, अत अब हमे अपनेको ऊँचा और अन्य हरिजनोको नीचा माननेका अधिकार प्राप्त हो गया। कितने ही लोग इसी प्रकार अपने पापका प्रायश्चित्त करते देखे जाते है। भगवानके दर्शन किये, पैसा-सुपारी-अक्षत चढाये और प्रायश्चित्त किया कि बस पाप करनेका अधिकार मिल गया — ऐसा माननेवाले अनेको पडे है। जैसे रोज कपडे मैले होते है और रोज धोये जाते है, वैसे ही रोज पाप करे और रोज प्रायश्चित्त करे — ऐसा मानकर चलनेवाले भी बहुत है। इस प्रकार पाप करनेकी छूट पानेके लिए अगर आपने यह रुपया दिया हो तो यह गलत है। जो प्रायश्चित्त करता है, वह दूसरेको नीचा नही समझता। इसके लिए मै आपको सीधा-सा गुर बताता हूँ। हम अपने-आपको सबसे नीचा माने। हमसे नीचा कोई नही हो सकता। अपनेको किसीसे ऊँचा माने, तो हमारा पतन अवश्यम्भावी है, तब हम नही कह सकेगे कि हमने अस्पृश्यताको दूर कर दिया। जिन्होने पैसा दिया है, वे पूरा प्रायश्चित्त करे और ढेड, भगी, चमार आदि उप-जातियोके बीचका भेदभाव मिटा दे। इस भेदभावके लिए भी जिम्मेदार सवर्ण हिन्दू ही है, जो अपने-आपको ऊँचा मानते है। उन्हीने यह अस्पृश्यता सिखाई है, जो अब घर-घरमे फैल गई है। यह ऊँच-नीचका भेदभाव मिटा देगे, तभी जाति-जातिके बीच तथा विभिन्न धर्मियोके बीच जो कटुता है, उसे दूर कर सकेगे। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाईके बीच जो कटुता है, उसका कारण कुछ और नही बल्कि इनके बीच व्याप्त ऊँच-नीचका भाव व अनन्यताकी भावना है। पेडके पत्ते अलग-अलग होते हुए भी एक ही है। उनमे भेद नही है। इसी प्रकार हमारे विचार तथा धर्म भिन्न हो, तिस पर भी यदि हममें भेदभाव, भिन्नता, ऊँच-नीचके भाव न हो, तो मात्र मत-मतान्तर होनेमें कोई हर्ज नही। बस, समझदारीकी यही एक घूट आपके गले उतारनेके लिए अस्पृश्यता-निवारणका अभियान छेडा गया है।

यहाँ श्रमिक-सघके कार्यकर्त्ता आपके लिए भी जी-तोड परिश्रम कर रहे है। रात-दिन वे आपके सुखका विचार करते है। अहमदाबादमे जो अनेक कार्यक्रम देखता हूँ, वे मै अन्य स्थानोमें नही देखता। यह ठीक है, कि अन्य स्थानोमे मै रहा भी नही। अन्य स्थानोमे तो गया कि भागा। आपके कार्यक्रमोमे मै जैसा डूब गया हूँ, वैसा और दूसरोमे नही। आपके कार्यक्रमके विषयमे मुझे जानकारी है, हो सकता है, इसलिए ही वह मुझे बडा लगता हो। मै समझता हूँ, अहमदाबादमे मजदूरोके कल्याणका जो कार्यक्रम है, वह सर्वोत्तम है। किन्तु क्या आप उससे फायदा उठाते है? अगर नही उठाते, तो करा-धरा सब मिट्टी है। मै अभी कल्याणग्राम देखकर लौटा हूँ। वहाँके घर सुन्दर और स्वच्छ है। आँगन और गलियाँ भी स्वच्छ है। उनसे अधिक स्वच्छ घरमे मै नही रहा, न रहता हूँ। उससे अधिक की आशा मैने की भी नही थी। [लेकिन यदि आपको परवाह नही है तो] इस सबपर आप पानी फेर सकते हैं। अच्छे घरमे रहते हुए भी यदि हम अपने

शरीरको बिगाडे, तो शरीररूपी घरमे जिस जीवको चौबीसो घटे रहना है, वह तो बर्बाद हो ही जायेगा। तब ईंटके अच्छे मकानोका क्या उपयोग? एक झगडा मेरे और आपके बीच बहुत समयसे चला आ रहा है, वह है शराब छोडनेका। फिर भी अभी आप सबने शराब छोडी नही है। यहाँकी शराबकी दूकानके इतिहासकी छानबीन की जाये, तो मालूम होगा कि उसमे जानेवाले ज्यादातर मजदूर है। मजदूर इतना अधिक पैसा बहाते है कि उन्हे आर्थिक कठिनाइयोका सामना करना पडता है, पैसा खर्च करके पागल बनते है। शराब पीनेवाला पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। आप अपनी इस आदतको सुधारिए।

अनेक हरिजन मुर्दार-माँस खाते है। यहाँ तो ऐसा करनेका कोई कारण नही बताया जा सकता। आपको खानेके लिए यहाँ घी, दूध, साग सब मिलता है। फिर भी आप मुर्दार-माँस खाये, यह कैसी शर्मकी बात है? ससारमे कही भी मुर्दार-माँस खानेवाला सभ्य जातियोमे शामिल नही माना जाता। आप तो सभ्य माने जाते है फिर आप यह जगलीपन कैसे करते है? पैसा उडाना ठीक नही है। अपने बच्चोको पढाना चाहिए। आप लोगोको बहुत आगे जाना है। आपको और आपके बच्चोको भोजन लेना चाहिए। बच्चोका काम दूधके बिना नही चलता। उन्हे आटेकी राब देकर ही सन्तोष नही करना चाहिए। बच्चे उस तरह पनप ही नही सकते। जहाँ पैसेका उपयोग करना चाहिए, वहाँ कीजिए। इसका पुरस्कार आपको मिलेगा। बालक हृष्ट-पुष्ट होगे, चगे होगे, अधिक कमायेगे, वे सुखी होगे और आप सुखी होगे। इस प्रकार आप ससारके और भारतके धनमे वृद्धि करेगे। यदि आप अनेक प्रकारकी वस्तुओका निर्माण करे, तो किसकी मजाल है कि हरिजन कहकर, अस्पृश्य मानकर आपका अपमान करे। मैने पहले भी कहा है कि हरिजन सचमुच हरिके जन बन जाये, जैसा नाम है वैसे गुन प्राप्त कर ले, तो सारे दु ख दूर हो जाये। मुझ जैसेको तो हरिजन बननेके लिए योग्यता प्राप्त करनी पडेगी। सवर्ण हिन्दू भी हरिजन बने। इस शुद्धि-यज्ञमे सवर्णोको अपना सुधार कर लेना है। उन्हे प्रायश्चित्त करना है। आपको भी कोषमे पैसा देना है, अपने दोष दूर करने है। अपने घर साफ-स्वच्छ रखिए, धूप और प्रकाश सबके मन और शरीरके लिए जरूरी है। आप हवाको गन्दा न करे। घर, आँगन, गलियाँ स्वच्छ रखे। घरोके सामने आपने पेड रोपे है, यह देखकर मुझे आनन्द हुआ। अन्तत ये घर आपके ही है। ज्यो-ज्यो आप किराया देते जाते है, त्यो-त्यो घरपर आपका अधिकार बढता जाता है। आप पैसा बचायेगे और किराया देते जायेगे, तो एक अवधिके बाद घर आपका हो जायेगा — ऐसी योजना है।

आपने मुझे हाथका लिखा मानपत्र दिया, इसके लिए मै आपको बधाई देता हूँ। एक और छपा हुआ पर्चा यहाँ बाँटा गया है, उसे आप जरूर पढिए। उसमे कम्युनिस्ट भाइयोने मेरी आलोचना की है। मै इतना ही कह सकता हूँ कि उसमे जो बाते लिखी गई है, वे नासमझीके कारण लिखी गई है। जिन भाइयोके लिए वह लिखा गया है, वे यदि उसे ध्यानसे पढे, तो देखेगे कि उसमे जो लिखा गया है, वह सही नही है। उसमे कहा गया है कि मै पूंजीपतियोका साथी हूँ। पूंजीपति मजदूरोका

शोषण करे, यह मेरे कायक्रममे नही है। दक्षिण आफ्रिकासे ही मै मजदूर हो गया हूँ[1]

इन भाईका पहला प्रश्न है कि बम्बई, शोलापुर, कानपुर तथा दूसरे स्थानो पर जब मजदूर कष्ट भोग रहे थे, तब मैने क्या किया। बम्बईमे मजदूरोपर गोली-बार हुआ, तब मैने क्या किया। इसका जवाब मुझे देना चाहिए। मै परमेश्वर नही हूँ, आप ही जैसा मजदूर हूँ। आप मुझसे पूछते है कि मैने क्या किया। तो मै कहता हूँ कि मेरे पास जितनी शक्ति थी, उसमे से मैने मजदूरोको उनका हिस्सा दिया। मेरी शक्ति मनुष्यकी शक्ति थी। अधिक हो, तो उसका उपयोग करनेके लिए मै तैयार हूँ। जिस समयकी बात ये भाई कर रहे है, उस समय जो भाई मेरे पास आये थे, उन्हे मैने समझाया था और उनकी जरूरते मालूम की थी। आखिर मुझे मालूम तो होना चाहिए कि पैसा काहेके लिए चाहिए। मै तो जो सलाह दे सकता हूँ वही दूँगा। मेरे पास सत्ता इतनी ही है कि मै जो करना तय कर लूँ, वह करूँ। हडताल क्यो हुई है, यह मुझे देखना चाहिए। मजदूर यदि अपनी भूलके कारण कष्ट भोग रहे हो, तो इसका उपाय यही है कि वे अपनी भूल सुधारे। जीवन-भर मैने बिना समझे कुछ नही किया। मेरे पास अपना पैसा नही है। मुझे तो पैसा किसीसे माँगना होगा। इसलिए मुझे समझना चाहिए कि पैसा काहेके लिए चाहिए। जहाँ-जहाँ मजदूर है, वहाँ-वहाँ सब जगह मैने उनतक पहुँचनेका प्रयत्न किया है। जो मजदूर मुझसे मिले है, उनसे मैने बात की है। नागपुरमे जब हडताल जारी थी, तब वहाँ भी मजदूर-नेता मुझसे मिले थे।

सरकारने इस सम्बन्धमे जो कुछ किया, उसकी बाबत मैने क्या किया, यह भी इन भाईने पूछा है। सरकारकी कार्रवाइयोपर मै बोलता ही नही हूँ। मै अपनी यह प्रतिज्ञा भग करूँ, यह तो आपकी भी इच्छा नही होगी। मैने अपने लिए इस वर्ष हरिजन-सेवाका कार्यक्रम खोज लिया है। इसलिए हरिजन-सेवाके विषयपर बोलता हूँ, वह भी सरकारकी नीतिकी आलोचना किये बिना। मैने जो प्रतिज्ञा की है, उसका पालन मुझे अवश्य करना चाहिए। यह प्रतिज्ञा सरकारके सामने नही की गई, आप सबके सामने भी नही की गई, यह प्रतिज्ञा भगवानके सामने की गई है। मै जेलमे बैठे हुए आदमीके समान हूँ। अत मै एक ही काम कर सकता हूँ, अन्यथा मुझे मौन रहना चाहिए। जो काम मै जेलमे बैठकर कर सकता था, वही आज मै बाहर रहकर कर रहा हूँ। अत सरकारकी नीतिके बारेमे बोलनेकी मेरी इच्छा नही है। बोलूँ, तो मेरी प्रतिज्ञा भग हो जायेगी।

हरिजनोकी सेवासे मुझे इतना समय ही नही मिलता कि मै अखबार पढू या अन्य आन्दोलनोका अध्ययन करूँ। कम्युनिस्टोसे मेरा झगडा नही है, मतभेद हो

१ इस बीच उपरोक्त पर्चेके लेखक बोलनेके लिए आये। गाधीजी ने उन्हें बोलने दिया। उन्होंने कहा, "मजदूरोंके लिए गांधीजी ने क्या किया है? बम्बई, शोलापुर, कानपुर वगैरहमें जब मजदूरोंकी हड़ताल हुई थी, तब गाधीजी ने मजदूरोकी क्या मदद की? गाधीजी हरिजनोको मजदूरोसे अलग करना चाहते है।"

सकता है। फिर भी मेरी इच्छा होती है कि अपना मत मै उन्हे समझाऊँ और उन्हे अपने साथ मिलाऊँ। जहाँ मतभेद हो, वहाँ मै उनके मतको बर्दाश्त करूँ, वे मेरे मतको करे। शायद किसी दिन वे मुझे समझ सकेगे। मै पचास बरससे मजदूरोकी सेवा करता आ रहा हूँ। उसमे मेरी एक ही भावना रही है। मै पूजीपतियोके साथ बैठता हूँ, उनसे मित्रता रखता हूँ, तथापि काम मै मजदूरोका करता हूँ। मेरी मान्यता है कि पूजीपतियोका अन्त कर देनेसे मजदूरोका भला नही होगा। जो पूँजीपति करते है, वह मजदूरोसे कराऊँ, यह मेरी मशा नही है। एक दृष्टिसे मजदूर भी पूजीपति है। पैसा ही पूजी है, मेहनत पूजी नही है, ऐसा मजदूर क्यो मानते है? पूजी मजदूरोके द्वारा ही उत्पन्न होती है। सहाराके मरुस्थलमे पैसेकी कीमत नही होती। वहाँ मजदूरोके बिना मनुष्य पानी प्राप्त नही कर सकता। वहाँ मजदूर पूँजीपति है। मजदूरोमे सगठन तथा समझदारी हो तो वे पैसेवालोके समान ही पूँजीपति है। एककी पूजी मजदूरी है, दूसरेकी पैसा। लोगोको पूँजीका उपयोग करना तथा सग्रह करना नही आता। कई जगह बिखरा हुआ करोड रुपया भी पूजी नही होता। उसे एकत्र करके समझदारीसे उसका उपयोग किया जाये, तभी वह पूजी होता है। यही हाल मजदूरीका है। एक लाख मजदूरोका समझदारीके साथ किया गया सगठन पैसोकी पूँजीकी अपेक्षा भी अधिक काम दे सकता है। जो यह समझता है, वह पैसा-रूपी पूजीसे द्वेष नही करेगा। वह उसका सदुपयोग करायेगा। अभी पूँजी-पूँजीमे द्वन्द्व हो रहा है। मजदूर और धनी दोनो ही पूजीपति है। किन्तु वे लोग सगठन करते है, और आप लोग नही कर सकते। उन लोगोमे चतुराई तथा बुद्धि है। मजदूरोमे सगठन और स्वार्थ-त्याग बढेगा, तभी उनकी शक्ति भी बढेगी। आप अपनी शक्ति नही जानते, इसलिए आप दबाये जाते है। इससे मजदूरोका नुकसान होता है, ससारका भी नुकसान होता है।

मै मजदूरोका भला चाहता हूँ। किन्तु मेरी मान्यता है कि पूजीपतियोका अन्त करके मजदूरोके हाथ कुछ नही लग सकता।

पूजीपतियोका अन्त हुआ, तो हमारा भी अन्त हो जायेगा। दोनोका समन्वय होना चाहिए। सोने-चाँदीकी ईटे तो हमे भी चाहिए, केवल उनका सदुपयोग करना हमे आना चाहिए। पूजीके सदुपयोग तथा दुरुपयोगके बीच यह विवाद है। पूजीका सदुपयोग हम सीखे तो दोनोका कल्याण हो। अपनी यह मान्यता मै बदल सकूँ, ऐसी बात नही है, क्योकि यह मान्यता पचास वर्षोके अनुभवपर आधारित है। इसके बाद आपको जो उचित और अपने हितमे लगे, वह आप कर सकते है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १५-७-१९३४

१४० भाषण ज्योति सघ[1]के सदस्योके समक्ष, अहमदाबादमे

२९ जून, १९३४

सघकी छोटी लडकियॉ क्या करे, इस प्रश्नके जवाबमें गाधीजी ने सलाह दी कि गुजरात कॉटन मिलके मजदूरोकी चालमे जाकर उन्हे यह देखना चाहिए कि गरीब मजदूर वहॉ किस तरहका जीवन बिता रहे है। उन्हे हरिजनोकी दशासे परिचित होना चाहिए और कमसे-कम जबतक हरिजनोको पेट भर खाना और अच्छे कपडे प्राप्त न होने लगे, तबतकके लिए लडकियॉ मिठाइयो और टीमटामकी वस्तुओका त्याग कर दें। इन छोटी-छोटी बालिकाओको उस काली अँधेरी दुनियामें मशाले बन कर जाना होगा।

गाधीजी ने कहा कि मै ज्योति सघकी बहनोको सुझाव दूँगा कि उन्हे केवल खादी पहननी चाहिए। सच्चा स्वदेशी वस्त्र केवल खादी ही है। लाखो मनुष्योके हाथकी बनी चीजोका ही व्यवहार करना चाहिए, न कि आधे दजन करोडपतियोके कारखानोमें बनी चीजोका। उन्हे चरखा भी चलाना चाहिए। नित्य अगर हमारी लाखो लडकियाँ नित्य सिर्फ आध घटा ही सूत काता करे तो वे राष्ट्रकी सम्पत्तिको काफी बढा सकती है। इसमें दूसरोकी बाट नहीं जोहनी चाहिए कि जब वे कातने लगेंगी तब हम कातेंगी। नहीं, वे स्वय ही इसे आरम्भ कर दें, इस विश्वासके साथ कि बादमें हजारो-लाखो बहनें सूत कातने लगेंगी।

हरिजन-समाजके निम्नतम वर्गके लोग है, या यो कहे कि वे समाजकी नींव है। और यदि उनकी उपेक्षा की जाती है तो समाज ताशके पत्तोसे बने घरकी तरह ढह जायेगा। लेकिन यदि नींवकी सही सार-सम्हाल की गई तो उसके ऊपर की इमारतके बारेमें चिन्ता नहीं करनी पडेगी।

गाधीजी ने कहा, "यह देखकर मुझे बडी खुशी हुई कि इस सघको मुख्यतया महिलाएँ ही चला रही है। यह उनकी इस इच्छाका प्रमाण है कि वे स्त्रियोके लिए निम्न या दासताकी स्थिति स्वीकार नहीं करना चाहती। मै आशा करता हूँ कि आप लोगोका यह इरादा न होगा कि पश्चिमी देशोकी तरह भारतकी स्त्रियाँ भी पुरुषोसे बिलकुल ही स्वतन्त्र होकर रहे। यह चीज भारतीय सस्कृतिके अनुकूल नहीं है। यदि यह चीज हमारे भारतमें लाई गई, तो निश्चय ही इससे बेहिसाब हानि पहुँचेगी।

१ स्त्रियोकी मृदुला साराभाई द्वारा स्थापित सस्था। इसे मुख्यतया महिलाएँ ही चलाती थीं। सार्वजनिक सेवामें स्त्रियाँ रस लें और अपनी आजीविका किसी उद्योग धन्धेको सीख कर चला सकें, इसी उद्देश्यको सामने रखकर ज्योति सघकी स्थापना हुई थी। यह 'साप्ताहिक पत्र' से लिया गया है।

समाजमें पुरुष और स्त्री दोनो ही एक-दूसरेके अर्धांग है। स्त्री शारीरिक बलमें पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, पर आध्यात्मिक बल उसमें पुरुषसे अधिक है। पुरुष भले ही अपने पाशविक बलपर गर्व किया करे, पर स्त्री अपनी शारीरिक निबलता की चिन्तामें न पडे। स्वस्थ सुदृढ शरीर और महान आत्माका सयोग नहीं मिलता। इतनी ही बात है न कि स्त्रियाँ शरीरसे कमजोर होगी तो वे आधी रातको बाहर कहीं अकेली न निकल सकेंगी? अगर सीताके समान उनके अन्दर सतीत्वकी ज्वाला जल रही होगी, तो वे निर्भय होकर चाहे जहाँ अकेली जा सकती है। अगर आप लोगोको मेरी यह बात जँच गई है, तो शरीरको शक्तिशाली बनानेकी अपेक्षा आप आत्माको अधिक बलवान बनानेका प्रयत्न करे। कटार या तमचा चलानेका अभ्यास करनेकी अपेक्षा आप साहस और आत्मबल बढानेका प्रयत्न करे। तमचा और कटार तो शत्रुके हाथो छिन सकते है। इस पृथ्वी पर किसीमे भी किसीको दबानेकी ताकत नहीं है। मनुष्य स्वय ही अपना मित्र है और स्वय ही अपना शत्रु। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं कि आप व्यायाम न करे। व्यायाम अवश्य करे, मेरा तात्पर्य तो यह है कि बिना चरित्रबलके व्यायामसे उपार्जित बल व्यर्थ है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १३-७-१९३४

१४१ भाषण सार्वजनिक सभा, अहमदाबादमें

२९ जून, १९३४

आप लोग लगभग ३२ हजार रुपया हरिजन-सेवाके लिए अहमदाबादसे इकट्ठा कर पाये, और आपने उसमेसे २५ हजारकी हुडी दी है। गुजरातके दूसरे भागोसे पैसा मिल गया है, जिसका हिसाब मैंने सुना। बलुभाईकी शालासे १,२८९ पैसे मिले है, यह भी सुना। इस पैसेकी विशेषता यह है कि एक छात्राने पूर्ण स्वतन्त्रता व्यक्त करते हुए कहा, "मै एक पाई भी नही दूँगी।" इस बहनकी निन्दा अथवा आलोचना किसीने नही की है। मेरी इच्छा है कि इस बहनको धन्यवाद भेजू। इस थैलीमे मुझे एक भी पैसा ऐसे लोगोसे नही चाहिए जो अस्पृश्यताको पाप समझकर उसके निवारणकी इच्छा न रखते हो। अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ है सवर्ण हिन्दूका हृदय-परिवतन। यदि हम यह परिवर्तन यही बैठे-बैठे केवल भगवानकी प्राथना करनेसे करा सके, तो एक भी पैसेकी जरूरत न पडे। जरूरतपर पैसा घर बैठे आकर मिलना चाहिए, ऐसा प्रकृतिका अथवा ईश्वरका विधान है। इसके लिए इतना सारा प्रयत्न करना पडता है, और मुझ-जैसेको बुढापेमे एक जगहसे दूसरी जगह घूमना पडता है, इसका अथ यह है कि मेरी प्राथना करनेकी शक्ति ओछी है। मेरी प्रार्थना करनेकी शक्ति, अर्थात् आत्मशुद्धि इतनी (पर्याप्त) होती, तो घर बैठे सवण हिन्दूका हृदय-

परिवर्तन कराया जा सकता। किन्तु वह पूर्णताकी स्थिति है। हम मनुष्य सब अपूर्ण ठहरे, इसलिए हमे अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्न करना पडता हे। इस प्रयत्नमे ही पूणतातक पहुँचनेकी सम्भावना निहित है। इस स्थिततक पहुँचनेके लिए उत्सुक होकर भी हम इसे प्राप्त नही कर सकते, इसीसे घूम-फिरकर, भाषण देकर, आपकी धमदृष्टिको जाग्रत करके, जो प्रभाव आप लोगोके हृदयपर पड सके, वह प्रभाव डालने का प्रयत्न करना ही मेरे हाथमे है। इस प्रभावके अन्तगत या प्रायश्चित्तके रूपमे जो पैसा दिया गया होगा, वही पैसा फल-फूल सकता है। सवण हिन्दुओने मेरी राजनीतिक सेवाओका खयाल करके अथवा माँगनेवालेकी शममे पडकर यदि पैसा दिया हो, तो वह निरर्थक है। इस प्रकार दिये गये लाख रुपये भी फलितार्थ नही हो सकेगे। इसीलिए उस बालिकाने पैसे नही दिए, तो मैने उसे धन्यवाद भेजा। इसीलिए जिन्होने पैसे नही भेजे, उन्हे धन्यवाद। हृदयमे अस्पृश्यताको सँजोये रखकर भी जो पैसा देगे, वे मुझे धोखा देगे। पैसा देनेवालेसे मै तदनुकूल कामकी आशा रखता हूँ। किन्तु यदि वह सहयोग न मिले तो कितने दु खकी बात होगी?

यह बात मुझे किसानोके लिए उगाहे जा रहे कोषकी ओर ले आती हे। यह प्रश्न जब मेरे सामने आया, तब मैने कहला भेजा कि गुजरात तो मुझे आना ही चाहिए, और आऊँ तो हरिजन-कोषका काम भी आरम्भ करना जरूरी होगा। जो प्रायश्चित्तके रूपमे देगे, उन्हीसे इस कोषके लिए पैसा लिया जायेगा। प्रायश्चित्त करनेवालोके समक्ष यदि दूसरे कत्तव्य आ पडे, तो उनका निर्वाह तो वे करेगे ही। किसानोके लिए तत्काल पैसा चाहिए, यह दायित्व सदा नही बना रहेगा। यह आपत्धर्म है। तात्कालिक धर्म है। इसमे जितना दिया जा सके उतना देकर, तब हरिजन-कोषके लिए दो। उतनेसे मेरा पेट भर जायेगा। इस तरह इकट्ठा हुए पैसोके रुपये बनाये जाये, तो सरलतासे बन जायेगे। ऐसा कोष इस ३२ हजार रुपयेसे भी अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। प्रायश्चित्तके रूपमे दिया गया हो, तो करोड रुपया भी साथक है और करोड पाइया भी। अन्य किसी रूपमे दिया गया हो, तो एक अरब-रुपया भी किसी कामका नही।

क्या अहमदाबादसे मै शिकायत न करूँ? अहमदाबादमे मै आकर बस गया हूँ। अहमदाबादके नागरिकोसे मैने प्रेमके घूँट पाये है। इसलिए आप जो करेगे, वह मुझे तो कम ही लगेगा। अहमदाबादके मिल-मालिक यदि निश्चय कर ले कि गुजरातमे जो काम सामने आयेगा उसके लिए हमने जिम्मा ले रखा है, उचित काम अथवा सस्थाके लिए कोई माँगने आये, तो उसे हम उदार भावसे देगे ही, तो कितना अच्छा हो? यह पैसा वे काहेमे से देगे? उन्होने जो कमाया है, उसीमे से एक भाग देना है। यदि वे ऐसा निश्चय कर ले, तो हमे कभी अडचन न हो। अनेक कोष शुरू होते है, उन सबके लिए कहाँसे दे—ये शब्द धनिकोके मुँहसे निकलना ही नही चाहिए। वह शुभ दिन आये, तब बात बने। इस थैलीमे मिल-मालिकोने कितना दिया है, मुझे नही मालूम। मुझे मिल-मालिकोकी निन्दा नही करनी। वे देते है, किन्तु मेरी इच्छा उनके पाससे अधिक निकलवानेकी है। बम्बई आज उतनी उन्नति

पर नही है, किन्तु फिर भी वह अपने यशको उज्वल बनाये हुए है। जिसे और कही से पैसा नही मिलता, उसे बम्बईसे मिलता है। इसके लिए मुख्य कारण तो पारसी कौम है। अहमदाबाद अपनी ऐसी साख क्यो नही बनाता? सत्पात्रके लिए उसकी थैली क्यो नही खुलती? यह पैसा भगवान देते है, यह मै मिल-मालिको और धनिकोको याद दिलाना चाहता हूँ।

कल दो-तीन बाते हरिजनवासमे जाकर मै देख आया हूँ, जिन्हे कहे बिना काम नही चलेगा। वहाँ मैने क्या देखा? एक ओर अहमदाबादके प्रयत्नके फल-स्वरूप 'प्रीतमपाडा'-जैसी चाल देखी, और दूसरी ओर गन्दी बस्तियाँ देखी, जो बम्बई और पूनाकी गन्दी बस्तियोको भी मात कर दे। अहमदाबादमे इतना काम होता है, फिर भी यह परिस्थिति बनी रहे, यह कैसी बात है। अहमदाबाद तो सरदारका अहमदाबाद है। सरदारके अहमदाबादमे यह सब कैसे निभ सकता है? यह मिल-मालिकोके अधिकारकी बात है। मजदूरोकी जो चाल मैने देखी, उसमे मनुष्य टिक ही नही सकता। फिर भी मजदूर उसमे कैसे रहते है? वे मनुष्योकी तरह नही रहते, जानवरोकी तरह रहते है। और वह भी अपना स्वास्थ्य खोकर। जो अपना स्वास्थ्य खोकर जीता है, वह मनुष्यकी तरह नही जीता। जो मनुष्यकी तरह जीता है, वह अपने मन और आत्माका विकास करता है। ये हरिजन यह विकास नही करते। मिल-मालिकोसे, म्यूनिसिपैलिटीसे, तथा नागरिकोसे मेरी प्रार्थना है कि इस स्थितिको वे एक क्षण भी बर्दाश्त न करे। आप कहेगे कि यह कहना सरल है, किन्तु करना कठिन है। आधुनिक इतिहासके पन्नोसे यह दिखाया जा सकता है कि मनुष्यके प्रयत्नसे क्या नही हो सकता। सब उदाहरण मै नही दे सकता, किन्तु एक तो देना ही चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाके जोहानेसबर्ग शहरमे जिस बस्तीमे हमारे लोग रहते थे, वहाँ प्लेग फैल गया। फौरन बस्तीमे ताले डाल दिये गये, पुलिसका पहरा हो गया, लोगोको तेरह मील दूर ले जाया गया। वहाँ सुन्दर जमीन पर दो-एक दिनमे तम्बुओका गाँव बनाया, और उसमे उन लोगोको बसा दिया। उस बस्तीकी स्थिति इस चालसे अच्छी थी। फिर भी मैने उसका वर्णन करते हुए उसे बीमारीका घर या नरक नाम दिया था। यदि वह बीमारीका घर नरक था तो कल जो मैने देखा, वह महानरक है। उस बस्तीसे वे लोगोको तेरह मील दूर ले गये, वहाँ दूकाने खोली, और सुविधाएँ भी प्रदान की तथा पुरानी बस्तीकी सब चीजे जलाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। जिनकी चीजे जलाईं, उन्हे हर्जाना दिया गया। हर्जाना जो दिया गया, वह कम था, यह भी मेरी एक शिकायत थी। आप ऐसा न कहे, कि जोहानेसबर्ग तो सोनेकी खदान है। कहाँ जोहानेसबर्ग और कहाँ अहमदाबाद? अहमदाबादमे इतनी मिले है। जिस चालकी बात मै कर रहा हूँ, वह मिलकी ही है। उसमे खर्च किये गये रुपयोका फल मिलेगा। हमारा निश्चय होना चाहिए कि जिन हरिजनोकी मेहनतके बलपर हम लोग अच्छे मकानोमे, महलोमे भोग-विलासके साथ स्वच्छतासे रह सकते है, उनके लिए झोपडी नही कमसे-कम ऐसा घर हो जिसमे हवा हो, उजाला हो। इतना तो हम करे ही। इतने नागरिक यदि ऐसा

निश्चय करे, तो यह काम एक हफ्तेमे हो जाये। कैसे होगा, यह मैने बताया। यहाँ इतने सारे स्वयसेवक है, सेविकाएँ है। डॉक्टर हरिप्रसाद जैसे डॉक्टर अहमदाबादके सुधारके लिए जूझते रहे है। वे इस समय ऊटकमडमे है, वहाँ भी वे यही सब विचार कर रहे है। यह बलुभाईने आपको बताया। मुझे भी उन्होने लिखा है, "मै इस समय वहाँ नही हूँ, इसका मुझे दु ख होता है। फिर भी इतना काम तो मै करूँगा।" अब वे सेनिटरी कमेटीके अध्यक्ष हो गये है, इसलिए उनसे काम लेनेका मुझे अधिकार है। इतने सब अनुकूल सयोग होते हुए भी यदि हम हरिजनोको अच्छी स्थितिमे न रख सके, तो यह अहमदाबादके माथे बडा कलक होगा। पहले १९१५ मे मिस्टर यूबेकके साथ मै यह चाल देखने गया था। उस समयकी अपेक्षा अब बहुत सुधार हो गया है। किन्तु यह सुधार समुद्रमे बूदके समान है। अहमदाबादमे एक भी व्यक्ति ऐसा नही होना चाहिए जो अस्वास्थ्यकर स्थितिमे रहकर अपना स्वास्थ्य खोये। समाजके दलिततम वगतक यदि हम पहुँच गये, तो दूसरोतक भी पहुँच ही जायेगे।

यहाँ धुरन्धर माने जानेवाले अनेक सनातनी है। सनातनियोमे कोई ऐसा नही होगा जो यह कहे कि यह काम करनेमे उसे सकोच होता है। जो सनातनी अस्पृश्यताको पाप नही मानते, उनसे मै इस थैलीमे पैसे नही माँगता। किन्तु हरिजनोके घरोके लिए भी उनसे पैसे नही लूगा, यह बात नही है। पारसी, मुसलमान, ईसाइयोसे लेता हूँ, तो उनसे क्यो न लू? जो प्रायश्चित्तके रूपमे नही देना चाहते, उन हिन्दुओसे इस थैलीके लिए कुछ नही लूगा, किन्तु हरिजनोकी चाले तो बनवा दो। शास्त्र ऐसा नही कहता कि हरिजनोको हम जानवरोके समान रखे। आज हम जिस अस्पृश्यताका पालन कर रहे है, उसके लिए शास्त्रमे प्रमाण नही है। एक प्रकारकी अस्पृश्यताको तो सारा ससार मानता है। गन्दे आदमीको हम नही छूते। लेकिन हमने तो ६ करोड लोगोको गुलाम बना रखा है। उन्हे जन्मसे अस्पृश्य मान लिया है। इसके लिए शास्त्रमे प्रमाण कहाँ है? हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सबका यह समग्र धर्म है कि एक भी मनुष्य अहमदाबादमे ऐसा न हो जिसे लाचार होकर अस्वास्थ्यकर स्थितिमे रहना पडे। मैने जो जगहे देखी है, उन्हे आप भी जाकर देख आइए। वहाँ आपको नाक बन्द करनी पडेगी। वहाँ आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायेगा कि हरिजन कैसी दयनीय स्थितिमे रहते है। यह सब हमसे कैसे बर्दाश्त होता है, समझमे नही आता। इस बातके पीछे आप लट्ठ लेकर पिल जाइए और तत्काल इसे समाप्त कर डालिए।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १५-७-१९३४

१४२ पत्र · एस्थर मेननको

३० जून, १९३४

मेरी प्यारी बच्ची,

यद्यपि मैं भोर दो बजे अक्सर उठ जाता हूँ, पर पत्र-व्यवहारके काममे नही जुटता। तुम्हारे जन्म-दिनपर अपना प्यार-भरा एक पत्र भेजनेके लिए मुझे थोडा-सा समय मिल गया है। मैं जानता हूँ, मुझे बच्चोको पेटी-चरखा भेजना है। उन्हे मेरा प्यार और चुम्बन कहना। मीरा एकाएक भावनामे आकर चली गई।

सस्नेह।

बापू

श्री एस्थर मेनन
बौन ऐड
कोदाईकनाल (दक्षिण भारत)

अग्रेजीकी फोटो-नकल (न० १२९) से, सोजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। **माई डियर चाइल्ड**, पृ० १०६ से भी।

१४३ भाषण · काग्रेस-समाजवादियोकी सभा, अहमदाबादमें[1]

३० जून, १९३४

गाधीजी से पूछा गया कि समाजवादी दलके कार्यक्रमका विरोध करते हुए भी आपने काग्रेसके अन्दर उसके गठनका स्वागत क्यो किया। गाधीजी ने बताया कि जाँच-पडतालसे मुझे कार्यक्रममें कुछ अश ऐसे दिखे जिनमें परिवर्तनकी जरूरत थी।

वर्ग-सघर्षके बारेमें सवाल किये जानेपर उन्होने इस बातपर अपनी सहमति प्रकट की कि आज समाजमें वर्ग-सघर्ष तो चल ही रहा है। किन्तु यदि वर्ग-सघर्ष में हिंसा भी आती हो, तो निश्चय ही यह काग्रेस-सिद्धान्तके प्रतिकूल है।

समाजवादियोने अपने ऊपर लगाये गये आरोपोका खण्डन करते हुए कहा कि जो भी हो, हमने अहिसाको एक राजनीतिक आवश्यकता मानकर स्वीकार किया है।

१ हरिजन आश्रम, साबरमतीमें।

गाधीजी ने कहा कि मै ऐसे वर्ग-सघर्षका विरोधी नहीं हूँ जिसका दृष्टिकोण अहिंसावादी है। उन्होने कहा कि मै ऐसे सघर्षमें भाग ले रहे काग्रेसियोका साथ दूँगा।

जहाँतक सर्वविदित गाधी-जवाहर पत्राचार[1] का सवाल है, हममें परस्पर भारी मतभेद है। निहित-स्वार्थोको समाप्त करनेके विचारसे मेरी कुछ हदतक सहमतिका यह अर्थ नहीं है कि मै सम्पत्तिको जब्त कर लेनेके पक्षमे हूँ।

कार्यकारिणी समितिके हालके बम्बई-प्रस्तावके बारेमें गाधीजी ने कहा कि यह उन समाजवादियोपर लागू नहीं होता जो नेकनीयत और अहिंसावादी है, बल्कि उनपर लागू होता है जो वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था और सम्पत्तिको हिसाके द्वारा खत्म करनेकी बात करते हैं।

गाधीजी ने यह स्वीकार किया कि राज्यको बुद्धिमत्ताके साथ और उचित ढगसे सम्पत्तिके उपयोगपर नियन्त्रण रखना चाहिए। उन्होने कहा कि ऐसे राज्यकी कल्पना की जा सकती है जिसमें इस तरहकी मुनाफाखोरी और विषमताके लिए कोई जगह न हो। उनका काम जनताको शिक्षित करना और उसे एक सूत्रमें बाँधना है। अगर इससे जनतामें अपने कर्त्तव्यो, अधिकारो तथा सुविधाओके बारेमें जागृति होती है, अगर इससे जनवर्ग सगठित होता है और जिस समाजवादको मै लाना चाहता हूँ, उसे लानेके लिए वह राज्यकी जिम्मेदारी लेता है तो उसका पक्ष लेनेमें मुझे बिलकुल सकोच नहीं होगा। इस तरहकी निष्पत्तिका मै स्वागत करूँगा।

गाधीजी ने सच्चे लोकतन्त्रमें, जो क्रियाशील बालिग-मताधिकार द्वारा निर्मित हो, अपनी निष्ठा व्यक्त की।

काग्रेस-समाजवादी यदि शक्ति समेटकर काग्रेसकी बागडोर अपने हाथमे ले ले तो मुझे निश्चय ही बडी खुशी होगी।

[अग्रेजीमे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १-७-१९३४

१ देखिए खण्ड ५५, पृ० ४४६-५० और परिशिष्ट १४।

१४४ पत्र . एस० डी० सकलातवालाको

भावनगर
१ जुलाई, १९३४

प्रिय श्री सकलातवाला,

गत १९ तारीखके तुम्हारे तत्काल पत्रोत्तरके लिए धन्यवाद। निरन्तर कार्यभारके कारण पत्रकी पहुँच स्वीकार करनेमे देर हुई है। जिन परिस्थितियोका उल्लेख तुमने किया है, उनमे मै फिलहाल और अधिक सूचनाके लिए तुम्हे कष्ट नही दूगा।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री एस० डी० सकलातवाला
मैसर्स टाटा एण्ड सन्स
बॉम्बे हाउस
बम्बई फोर्ट

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१४५ बातचीत : काठियावाड़ी युवकोसे[1]

भावनगर
१ जुलाई, १९३४

गाँधीजी से जब यह प्रश्न किया गया कि आप हरिजन-आश्रममें क्यों नहीं ठहरे हैं, तो उन्होने जवाब दिया कि मै फिलहाल सवर्ण हिन्दुओका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए प्रवास कर रहा हूँ, इसलिए मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मै न केवल उनका निमन्त्रण स्वीकार करूँ, बल्कि कोशिश भी करूँ कि वे मुझे अपने यहाँ टिकायें।

एक युवकने गाधीजी से पूछा कि अपने हरिजन-यात्रामें आप इतना बडा दल लेकर चल रहे हैं यह कहाँ तक उचित है? गाधीजी तो एक-एक पाईका हिसाब रखनेवाले ठहरे और रुपयोका तो और भी ज्यादा ध्यानपूर्वक रखते हैं। जब वे

१ यह और अगला शीर्षक "साप्ताहिक चिट्ठी" से लिये गये है।

चिटिठयाँ पढकर रद्दीकी टोकरीमें डालने लगते ह, तब उनकी आलपिने बडे ध्यानसे निकाल लेते हैं और उनमें जो कोरा कागज रहता है, उसे भी बडी सावधानीसे रख लेते है। फिर जब बडी-बडी रकमोको खच करनेका सवाल दरपेश हो, तब तो वे और भी बारीकीसे काम लेते ह। उन्होने इस प्रश्नका जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग तो अपने खर्चेसे मेरे साथ यात्रा कर रहे है, और बाकी लोगोका यात्रा-व्यय मेरे एक मित्र दे रहे है। हरिजन-कोषसे यह पैसा खच नहीं हो रहा है। मै जन्मजात शिक्षक हूँ, इसलिए मेरे कुछ मित्र जनसेवाका काय सीखनेके लिए मेरे साथ रहते है। कुछ मेरे निजी काममें मदद देनेके लिए मेरे साथ है तो कुछ ऐसे भी है जिन्हे आप चाहे तो 'अजागल-स्तन' कह सकते है। लेकिन मै तो उनसे भी काम निकालनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मै एक काठियावाडी बनिया ठहरा, इससे यह देखते रहना तो मेरा काम ही है कि एक पाई भी बेकार तो खर्च नही हो रही है।

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कि क्या उनकी दशा एक परास्त सेनापति-जैसी नही हे, गाधीजीने कहा कि मै तो जानता ही नहीं कि परास्त होना क्या चीज है।

एक और सवाल यह किया गया कि क्या आप बेगार प्रथाके विरुद्ध है, और यदि है तो उसे नेस्तनाबूद करनेके लिए क्या करना चाहिए? गाधीजी ने कहा कि मेरा तो सारा जीवन ही बेगारके खिलाफ लडनेमे बीता है — पहले अपने ही कुटुम्बमें इसके विरुद्ध लडा, फिर दक्षिण आफ्रिकामे और उसके बाद अपनी मातृभूमिमे। अगर गरीबोसे बेगार ली जाये तो जनसेवकोको चाहिए कि वे खुद-ही बेगारको अपने ऊपर ले ले।

एक और प्रश्न परिवार-नियोजनके उन कृत्रिम उपायोके बारेमे किया गया जो भारतमें चल पडे है। गाधीजी ने कहा कि देशका स्वास्थ्य वैसे ही अधनष्ट है और यदि ऐसे गलत उपाय अपनाये गये तो पूरी तरह नष्ट हो जायेगा।

अगर धमका खात्मा कर दिया जाये तो क्या इससे हमारी कुछ हानि होगी, एक नवयुवकने पूछा। गाधीजी ने इसके उत्तरमे कहा, धमकी ही नीवपर तो दुनिया की यह गढ़ी खडी हुई है। नींव ही अगर खोदकर फेक दी जाये तो उस इमारतके जमींदोज होनेमें सन्देह ही क्या है?

अन्तिम प्रश्न यह था कि क्या देशी रियासतोको समाप्त नहीं कर देना चाहिए। गाधीजी ने कहा, एक सत्याग्रहीकी हैसियतसे मै उन्हे नष्ट नही करना चाहता, मै तो इन रियासतोको लोक-सेवाके साधन बना देनेके पक्षमें हूँ। देशी रियासतोमे स्वत कोई ऐसी अन्दरूनी बुराई नहीं है।[१]

१ इससे आगेका अंश **बॉम्बे क्रॉनिकल**से लिया गया है।

अन्य प्रश्नोका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा कि मैंने ऐसी संस्थाएँ खोली है जहाँ युवक काम कर सकते है। यदि वे अपनेको मरने दे तो उसमें मेरा दोष नहीं है। काठियावाडी युवक केवल बात करना चाहते हैं, ठोस काम नहीं करना चाहते। यदि वे मेरे खादी और अस्पृश्यता सम्बन्धी कार्यक्रमसे सन्तुष्ट नहीं है तो वे कोई नया कार्यक्रम और नई संस्थाएँ शुरू कर सकते है।

मैं एक अहिंसात्मक युद्ध लडना चाहता हूँ। यदि आपकी इसमें दिलचस्पी है, तो मेरे साथ काम कीजिए या फिर स्वयं अपने लिए नया कार्यक्रम खोजिए।

अन्य प्रश्नोका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि मैं अपने संघर्षमें परास्त हो गया। क्या आपने कभी परास्त व्यक्तिका इस तरह स्वागत होते और वृद्धावस्थामें उसे इतने उत्साहसे हरिजन कार्यके लिए यात्रा करते देखा-सुना है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २०-७-१९३४, बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-७-१९३४ भी।

१४६. भाषण : भावनगरकी हरिजन-सभामें

१ जुलाई, १९३४

दोपहर बाद गांधीजी ने वॉकरवास देखा। वॉकरवास रुवापाडीके निकट है। यह शहरसे दूर है इसलिए वॉकर लोग[1] पुलिस संरक्षणका समुचित लाभ नहीं उठा पाते तथा रोजीपर जानेमें और शहरसे सम्बन्धित कार्यके लिए आने-जानेमें इन्हें ऐसी असुविधाओंका सामना करना पडता है जो शोचनीय है। बहुत दिनोसे इस बस्तीको ऐसे स्थानपर ले जानेकी बात सोची जा रही है जहाँ इन्हें अधिक सुविधाएँ मिल सकें। उम्मीद है कि यह मामला निपट जायेगा और जल्दी ही बस्ती यहाँसे किसी दूसरी जगह ले जाई जायेगी। वॉकर लोगोको अपने निवासकी जमीनपर स्वामित्वका अधिकार मिलना चाहिए, इससे इन्हें बार-बार एक जगहसे दूसरी जगह न जाना पडे। हरिजनोके मकान अगर अच्छी बस्तीमें बनाये जायें तो ज्यो-ज्यो वे सवर्णोंके सन्निकट आते जायेंगे, वे सफाईके तौर-तरीके सीखते जायेंगे। लेकिन हरिजनोका भी अपने प्रति एक कर्त्तव्य है। अगर वे शराब पीना और मुर्दार मांस खाना छोड दें तथा स्वयं अपनेको और अपने अडोस-पडोसको साफ सुथरा रखें, तो दूसरी जातियोसे उन्हें अलग रखनेवाली दीवारको तोडनेमें सुधारकोको मदद मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २०-७-१९३४

1. बुनकर।

१४७ भाषण भावनगरकी सार्वजनिक सभामे[1]

१ जुलाई, १९३४

आपने काठियावाडकी ओरसे हरिजन-सेवाके लिए जो थैली दी है, उसके लिए मै धन्यवाद देता हूँ। हरिजन-सेवाके प्रति और काठियावाडके प्रति आपके भीतर आत्मविश्वासकी इतनी कमी है कि आपने यहा से २५,००० रुपये देनेका जो सकल्प किया था, आपके मनमे उसे पूरा कर सकनेका भी भरोसा नही था और आपने सोचा था कि अगर इतना इकटठा न हो सका तो आप कुछ लोग मिलकर तीन-चार हजार रुपया अपनी तरफसे डालकर उसकी पूर्ति कर देगे। किन्तु जब तीस हजार रुपया इकटठा होनेकी बात कही गई तो आप लोग बहुत खुश हुए और आप लोगोने तालियाँ बजाइ। मुझे ऐसा नही लगा कि यह कोई बडी रकम हुई। जब काठियावाडके विभिन्न शहरोसे प्राप्त धनके आँकडे पढे जा रहे थे तब आप लोगोको लगा होगा कि अरे, इन शहरोसे इतना ही मिला! बाकानेरसे सिर्फ २०३ रुपये? और वह भी सब लोगोसे कहा मिला है? यह तो दो-तीन व्यक्तियोने ही दे दिया है। यही बात मोरवी के बारेमे है। यहाँ काठियावाडमे इतने सारे पहली पक्तिके राज्य है, दूसरे भी बहुत-से राज्य है। काठियावाडकी जनता कगाल थोडे ही है। वह साहसी भी है और देशमे जगह-जगह बसी हुई हे। किन्तु लेनेवाले सकुचाते हुए जाते है तो देने-वालेको भी लगता है, किसलिए दे। खुश होकर पैसा दे, ऐसे लोग थोडे ही मिलते है। कहाँ हरिजन-सेवाका जबर्दस्त काम और कहाँ तीस हजार रुपयोकी रकम। पर यह सच है कि लाखो रुपये भी काठियावाड दे डालता, तो भी उससे अस्पृश्यता थोडे ही दूर हो जाती। इस राक्षसका नाश तो जब सवर्ण हिन्दुओका दिल पिघलेगा, तभी होगा। अस्पृश्यता तो रावणरूप है। पर जिसे यह रामरूप प्रतीत होती हो, वह इसकी पूजा करेगा ही। अस्पृश्यताका जो पुजारी हो और उसका हृदय पलटे, तभी इसका तत्क्षण नाश होगा। नाश तो इसका होना ही है। गैर-राजीसे हुआ, तो उस नाशका यश न तो हिन्दू-धर्मको मिलेगा, न हिन्दू-धर्मावलम्बियोको। जिस दिन हरिजनोमे इतनी जागृति आ जायेगी कि वे अपनी मौजूदा स्थितिको सहन न कर सकेगे, उस दिन अस्पृश्यता एक क्षण भी नही टिक सकती। पर ऐसी दशामे अस्पृश्यता-नाशका श्रेय हमे मिलनेका नही। इसीलिए हमे भगीरथ-प्रयत्न करना है। जो लोग इस सत्यानाशी चीजको रामरूप समझकर पूज रहे है, उन्हे अनुनय-विनय करके मनाना है कि यह अस्पृश्यता राम नही, रावण है। अगर हम इतना कर सके तो हम अपने लक्ष्यकी ओर बढेगे।

१ यह "अस्पृश्यताकी मर्यादा" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

हर जगह मै सनातनी भाइयोसे मिलता हूँ, उन्हे अपनी बात समझानेका प्रयत्न करता हूँ। भावनगरमे भी सनातनी है। होने ही चाहिए। क्या कोई भी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ सनातनी न हो। यहाँ सनातनी भाइयोकी ओरसे एक पत्र निकला था। उसके कुछ लेख मेरे पास भी भेजे गये थे। इसलिए यहाँके सनातनी भाइयोके बारेमे मुझे मालूम था। सनातनी भाइयोसे मै हमेशा ही यह कहता आया हूँ कि जो-कुछ मै कहता हूँ, उसपर कुछ विचार तो करो। मैं इस विषयको आगे लूगा। अभी मैं सुधारकोके सामने सनातनियोकी बात रखूँगा। अगर वे अपनेको रूढिपालन करनेवालोसे श्रेष्ठ समझते है और मानते है कि हम उनसे पहले चेत गये है, तो वे उनका मन नही जीत पायेगे। मै यह इसलिए कहता हूँ कि सनातनियोकी यह शिकायत मेरे पास आई है, कि 'हम तुम्हारे पास किसलिए आये ? आते है, तो सुधारको के अखबार हमारी खिल्ली उडाते हैं। हम कहते कुछ है और वे छापते कुछ है। अगर नही आते है तो बदनामी करते है और कहते है कि सनातनियोके पास कुछ कहनेको है ही नही। देखिए, इसीलिए तो वे नही आये। सभी अखबार तो ऐसा नही करते, पर हो सकता है कि कुछएक अखबार ऐसा करते हो। यह सही है कि कुछ अखबार इन सनातनी भाइयोकी निन्दा करते है। मनुस्मृतिके दो-चार श्लोक सुनाकर ही यदि सुधारक यह कहे कि हमने सनातनियोको हरा दिया तो विजय इस भाँति नही मिलने की। ज्यो-ज्यो इस विषयकी महत्ताका हमे ज्ञान होता जाता है, त्यो-त्यो हम लोगोमे नम्रता आनी चाहिए। सनातनियोके प्रति हमारा आदर-भाव भी बढना चाहिए। आप कहेगे, आदर-भाव किसलिए ? उनमे अनेक तो पाखण्डी है और धर्मके नामपर वे पाखण्डका व्यापार करते रहते है। इस बातकी चर्चा मै कर चुका हूँ। पाखण्ड तो ससारमे रहेगा ही। मै नही मानता और सुधारक भी यह नही मानते कि सारे सनातनी पाखण्डी है। सनातनियोमे कितने ही ऐसे है जो शुद्ध हृदयसे मानते है कि आज जो अस्पृश्यता बरती जा रही है वह बराबर ऐसी ही बनी रहनी चाहिए, नही तो समाजमे वर्णसकरता पैदा हो जायेगी। सदियोसे चली आई प्रथाको तुरन्त छोड देना कठिन है। वे लोग अस्पृश्यताको धर्म मानकर उसका पालन कर रहे है। इसलिए मैं सुधारकोसे प्रार्थना करता हूँ कि वे सनातनियोकी निन्दा न करे, उन्हे तकसे, विनय और मर्यादापूर्वक अपनी बात समझाये।

मै सनातनियोसे एक सीधी-सी बात यह कहता हूँ कि आधुनिक अस्पृश्यताके लिए हिन्दू-धर्मशास्त्रमे कही भी स्थान नही है। अस्पृश्यताका आज जो रूप हमारे बीच रूढ है, उसका तो किसी शास्त्रमे समर्थन नही मिलता। 'आजके रूपमे रूढ' मेरे इस शब्द-समूहको बहुत-से सनातनी भाई भूल ही जाते है। धुरन्धर माने जानेवाले बडे-बडे शास्त्रियोके साथ इस विषयपर चर्चा करते समय उन्होने मुझसे अपना अभिप्राय स्पष्ट करनेको कहा, तो मैंने कहा कि एक प्रकारकी अस्पृश्यताके लिए तो सारे ही ससारमे स्थान है, वह तो सर्वत्र ही मानी जाती है और मानी जानी चाहिए। गन्दे आदमीको हम कब छूते है। जिसके मुँहसे शराबकी दुर्गन्ध आ रही हो उससे अलग ही रहते हैं, उसे कैसे छू सकते है ? उसे छूने जाये तो उसके मुँहकी दुर्गन्ध

हमे चार हाथ दूर पटक देगी। ऐसी अस्पृश्यता तो माँ-बेटेके बीचमे भी होती है। पर यह आजकी अस्पृश्यता तो बीस ही नही, बल्कि सहस्र भुजाओवाली राक्षसी है। इस अस्पृश्यताने पाँच-छ करोड मनुष्योको हमसे दूर फेक दिया है। यह आजकी अस्पश्यता आखिर क्या हे, आप यदि यह पूछे और यहाँकी म्युनिसिपैलिटीके प्रमुख और पट्टणी साहब माफ करे तो मै बताता हूँ, भावनगरमे जो यह भगियोकी बस्ती हे, यही 'आजकी अस्पृश्यता' है। तीन बरस पहले इस बस्तीको मिटाकर हरिजनोके लिए नये घर बनानेकी बात तय हुई थी। मगर वह हुआ नही। पट्टणी साहबने आज नगरपालिकासे इस बस्तीको मिटाकर नयी बस्ती बनानेको कहा है और ३०,००० रुपये भी इसके लिए दे दिये है। नगरपालिकाने यह बात स्वीकार की है। इसलिए अब मुझे उनकी आलोचना नही करनी चाहिए। 'आजकी अस्पृश्यता' का दर्शन करना हो, तो कल सबेरे ही आप उस बस्तीमे चले जाये। फिर यहाँके जुलाहोकी बस्ती भी देखे। देखे, वे बेचारे किस तरह वहाँ गुजर कर रहे है। ये सब जन्मसे ही अस्पृश्य है और मरते दमतक अस्पृश्य ही रहेगे। यहाँ कोई बुनकर पढना चाहे तो वह पढ सकता है, स्कूल-कालेजमे दाखिल हो सकता है। राज्य अथवा हरिजन-सेवक सघ उसे नि शुल्क शिक्षा दिला सकता है। फिर पढ-लिख चुकनेके बाद राज्यमे वह न्यायाधीशका पद भी पा सकता है। लेकिन फिर भी वह रहता अस्पृश्य ही है। हम उस बुनकर न्यायाधीशसे अपना न्याय तो करा सकते है, पर उसे छूकर हमे नहाना तो पडेगा ही। ऐसा अधेर अस्पृश्यताके नामपर हम छ करोड मनुष्योके प्रति करते चले जा रहे है। आजकी अस्पृश्यताके आपको और भी दर्शन कराऊँ? अस्पृश्य कौन है, मनुस्मृतिमे इसका प्रमाण नही मिलता। तो फिर कहे कि सरकारकी जनगणनाके आँकडे ही मनुस्मृति है। आप तो यह निश्चय कर चुके है कि अस्पश्य को तो जीवन-भर अस्पृश्य ही रहना हे, उसमे रत्ती-भर भी फेरफार नही हो सकता। किन्तु जनगणना-रिपोर्टोका कहना है कि फेरफार होता है। हर दस बरसमे जब जन-गणना होती है, तब कितनी ही अस्पृश्य जातियाँ उस गणना-रोगसे भर जाती है, और कितनी ही नयी पैदा हो जाती है। मगर हमने तो जिन्हे एक बार अस्पृश्य कह दिया सो कह दिया। यह है हमारी आजकी अस्पृश्यता!

यहाँ सभामे अनेक सनातनी भाई होगे। वे बताये कि इस अस्पृश्यताके समथनमे है कोई शास्त्रका प्रमाण? वे न जानते हो तो वे शास्त्रियोसे जाकर पूछे और कोई प्रमाण दिखाये। यह मै अभिमानके साथ नही कह रहा हूँ। मैने शास्त्रोका थोडा-सा अध्ययन किया हे। पर उनमे जो प्रमाण आये है, वे मुझे कुछ जँचे नही। मै कोई विद्वान नही हूँ, सस्कृतका ज्ञान मेरा बहुत ही अल्प है, मुझे अर्थ समझनेमे टीका और भाषान्तरकी सहायता लेनी पडती है। इस लिए मेरा यह दावा नही है कि मै शास्त्र-पारगामी हूँ। मै शास्त्रार्थ नही कर सकता। जब-जब शास्त्रार्थ करनेका प्रस्ताव मेरे सामने आया, मैने कह दिया कि मै तो एक साधारण आदमी हूँ, मै शास्त्राथ करना क्या जानूँ। मुझे तो अपनी बात आप लोगोको समझानी-भर है। मै तो सत्यका पुजारी होनेका दावा करता हूँ। सत्यका शोध करते-करते ही यह चोला छोडूँ, यही मेरी इच्छा है, और

यही प्रभुसे प्रार्थना है कि वह मुझ निबलको सत्य-शोधनका बल दे। ऐसा मनुष्य आपको आज यह सन्देश दे रहा है कि इस आजकी अस्पृश्यताके लिए आपके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है। इससे विरुद्ध यदि कोई मुझे बता सके और वह मुझे सत्य जँचे तो उसे मै अवश्य स्वीकार कर लूगा। यह मै अनेक बार लिख चुका हूँ कि मै शास्त्रका अर्थ कैसे करता हूँ। अध्यापक यदि विद्यार्थीकी, और ज्ञानी यदि जिज्ञासुकी सीमाएँ न जानता हो, तो उन दोनोके बीच हृदयका सम्बन्ध नही बनता। इसीसे उन्हे मेरी सीमाएँ जान लेनी चाहिए।

सुधारकोको सनातनियोके प्रति कैसी शिष्टता और नम्रताके साथ पेश आना चाहिए, यह मै बतला चुका हूँ। सनातनियोसे भी कह दिया है कि जो कार्य आज मै कर रहा हूँ, उसे अच्छी तरह समझ ले। मन्दिर-प्रवेशकी बातने भी एक हव्वेका रूप धारण कर लिया है। लेकिन मैने एक भी मन्दिर बिना जनताकी मरजीके नही खोला है, और वह जनता कौन—मन्दिरमे जानेवाली। आर्यसमाजी, हरिजन या मन्दिरमे विश्वास न करनेवाले व्यक्तिका मत मन्दिर-प्रवेशके विषयमे कभी नही लिया गया। मन्दिरमे श्रद्धापूर्वक देव-दर्शनार्थ जानेवालोके ही मत गिने गये है, और जब उनकी सम्मति मिल गई, तभी वह मन्दिर हरिजनोके लिए खोला गया है। इसी रीतिसे मैने अनेक मन्दिर खोले है। और, इस तरह मन्दिर खोलनेमे मै कोई दोष नही देखता। मन्दिरमे जानेवाले दर्शनार्थियोकी इच्छाके विरुद्ध, जहाँतक मेरी चलती है, कोई मन्दिर खुलता ही नही। और आज तो सुधारकोमे मेरी चलती ही है। अब एसेम्बलीमे मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी जो बिल पेश हुआ है, उसे भी यदि वहाँके हिन्दू सदस्य स्वीकार करनेको तैयार न हो, तो वह मेरे कामका नही है। मुझे जबरदस्ती यह बिल पास नही कराना है। मै अपनेको सनातनी हिन्दू मानता हूँ। मुझे इस मर्यादाके अन्दर रहकर ही बिलको पास कराना है। इस बिलके सम्बन्धमे इन सभाओ इत्यादिमे मै कही भी मत-सग्रह नही करता, क्योकि शास्त्र व कानूनकी बात पेचीदा है। इसे साधारण जनता समझ नही सकती। यह तो वकीलो और शास्त्रियोका ही काम है। यह एक अटपटी-सी बात है। मै मानता हूँ कि ऐसी अटपटी बातोको सरल करके साधारण जनताको समझानेकी शक्ति मुझमे है। किन्तु मेरी वह शक्ति इस बिलके सम्बन्धमे लागू नही होती। इसीलिए मैने इस बिलके गुण या दोषके सम्बन्धमे किसी जगह सभाओमे लोगोके मत नही लिये। किन्तु बिल आवश्यक है या नही, सो तो सामान्य मनुष्य कह ही सकता है। बम्बईमे सन् १९३२के सितम्बरमे हिन्दू-समाजके प्रतिनिधियो ने हिन्दू जनताके नामपर यह प्रतिज्ञा की थी कि अबसे हिन्दू-समाजमे अस्पृश्यता न मानी जायेगी। प्रतिज्ञामे यह भी कहा गया था कि कुएँ, धर्मशालाएँ और तमाम सार्वजनिक सस्थाओमे प्रवेश करने और उन्हे काममे लानेका हरिजनोको उतना ही अधिकार है जितना कि सवर्ण हिन्दुओको है। यह बात भी उस प्रतिज्ञा-पत्रमे थी कि हरिजनोको सार्वजनिक मन्दिरोमे भी जानेका हक है, और जब हमारे हाथमे अपने देशकी सत्ता आ जायेगी, तब हम इसका कानून बना देगे, और अगर आज कानून बनवा सकेगे, तो बनवा देगे। कानूनका उल्लेख उसमे आया है, क्योकि मौजूदा

कानूनको बदले बिना प्रगतिका होना सम्भव नही। रास्तेमे जो पहाड अडा हुआ है, उसे तो दूर करना ही होगा। फिर भी इस बिलके सम्बन्धमे जो शका है उसे मै दूर कर देना चाहता हूँ। बिलके बारेमे मेरे ऊपर एक इलजाम लगाया गया है, और आप जानते है उस इलजामका लगानेवाला कौन है? लवाटे जैसा जन-सेवक और योगी। बरसोसे लवाटेजी जनता-जनार्दनकी सेवा करते आ रहे है। हाँ, तो उन्होने पूनाकी सावजनिक सभामे उस दिन कहा कि गाधी तो मुसलमानो और ईसाइयोका मत लेकर बिल पास कराना चाहता है। इस बातपर मुझे हँसी आई कि लवाटे जैसा मनुष्य ऐसा क्यो मान रहा हे। उनसे तो जो लोगोने कहा था, वही उन्होने मान लिया था। मैने उनकी आँखे खोलते हुए कहा कि जैसा आप मानते है वैसी कोई बात नही हे। बिलके बारेमे जो मर्यादा बाँध दी गई है, वह 'हरिजन'[1]मे कई बार प्रकाशित हो चुकी है।

अन्तमे एक बात और। आपने कहा है कि हमने इतना काम किया है। पर यह कार्य तो पहाडके आगे राई-जैसा है। इसमे गर्व करनेकी कोई बात नही है। आप अपने कामके लिए धन्यवाद चाहते है, तो मै धन्यवाद देनेको तैयार हूँ, पर सकोचके साथ। आप लोगोने यह भगीरथ-काय नही किया है। काठियावाडी-जैसे साहसी मनुष्य इस काममे ढिलाई क्यो दिखाये? हिम्मतवर काठियावाडी अस्पृश्यताका पालन तो नही करते। फिर भी वे इस कामके प्रति उदासीन-से क्यो है? आज मैने एक स्त्रीको एक बैसाखीके सहारे चलते देखा और सबब पूछा तो उसने बताया कि उसके पाँवमे सडन पैदा हो गई थी। उसे कटवाना जरूरी हो गया था। अगर पाव न काटा जाता तो विष सारे शरीरमे फैल जाता और उसे जानसे हाथ धोना पडता। हिन्दू-समाजरूपी शरीरमे अस्पृश्यता एक सडा हुआ अग है। उसे दूर करनेका इलाज न किया गया, तो समाजका शरीर ठूँठ हो जायेगा। ठूँठा समाज फिर कैसे चल सकता है, कैसे प्रगति कर सकता है? उस अवस्थामे तो उसका नाश हो गया समझो। धर्मका अग-भग करके क्या हम उसे चला सकते है? धमका तो प्रत्येक अग उसका अविभाज्य अग होता है। मेहराबमे से एक ईंट निकाल ली जाये, तो मेहराब ढह जाती है। इसी प्रकार धर्मके एक अगका विच्छेद हो गया, एक ईंट निकाल ली गई, तो धर्मकी सारी इमारत भर्राकर ढह गई समझिए। इस तरह वह टिकने की नही। दूसरी बातोमे पडकर हम इतने अन्धे हो गये है कि यह देखते ही नही कि हिन्दू-समाज कितना पिछडा पडा है। मेरे-जैसा आँखवाला तो हिन्दू-समाजकी यह हालत देख रहा है। इसका अथ कोई यह न समझे कि हिन्दू मुसलमानोसे आगे बढ जाये, उनसे अधिक शक्तिशाली हो जाये। मै हर्गिज यह नही चाहता। मै सैकडो बार यह कह चुका हूँ कि हिन्दू अगर अपनी इतनी आत्म-शुद्धि कर लेगे तो हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जायेगी, और हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि सभी सम्प्रदायोके बीच आज जो वैमनस्य मौजूद है

१ देखिए खण्ड ९७, पृष्ठ ३६३ ६७

उसे भी हम दूर कर सकेंगे। यह कितनी सुन्दर बात है। यह पोषक है, नाशक नही। पर यह तभी हो सकता है जब हमारे हरिजन-सेवक शुद्ध चरित्रवान होंगे। उनका हृदय शुद्ध न होगा, वे निःस्वार्थ न होंगे, तो वे धर्मकी सेवा कर ही नही सकते। यदि काठियावाडमे ऐसे सेवक तैयार हो जाये तो यहाँ जो अस्पृश्यताका बाघ या दानव फूल-फल रहा है, वह अवश्य नष्ट हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-७-१९३४

१४८ पत्र : न० चि० केलकरको[1]

२ जुलाई, १९३४

प्रिय श्री केलकर,[2]

आपके पिछले २२ जूनके पत्रका जवाब देनेमे देर लगनेका कारण है, मेरे पास समयकी असाधारण कमी और अधिक काम।

आपके उठाये गये मुद्दोपर सीधी बात करने के बजाय मै भारतीय रियासतोके सम्बन्धमे अपनी नीतिकी व्याख्या करना चाहता हूँ।

रियासतोके मामलोमे हस्तक्षेप न करनेकी जो नीति कांग्रेसने अपनाई है, वह बुद्धिमत्तापूर्ण है और ठीक है।

ब्रिटिश कानूनके अधीन ये रियासते स्वतन्त्र इकाइयाँ है। भारतका जो हिस्सा ब्रिटिश कहा जाता है, वह जिस प्रकार अफगानिस्तान या श्रीलंकाकी नीतिका स्वरूप निर्धारित नही कर सकता, उसी तरह उसे रियासतोकी नीति निर्धारित करनेका भी अधिकार नही है।

अच्छा होता यदि बात अन्यथा होती, लेकिन मै इस मामलेमे अपनी अक्षमता को स्वीकार करता हूँ। भारतका रियासतोवाला हिस्सा निस्सन्देह भौगोलिक भारतका अविभाज्य अंग है, लेकिन उससे हमारी स्थिति जहाँकी-तहाँ बनी रहती है। भारतके पुर्तगाली और फ्रांसीसी हिस्से भी भौगोलिक भारतके अविभाज्य अंग हैं, लेकिन हम वहाँ के घटनाचक्रको कोई रूप देनेमे असमर्थ है। हम रियासतोसे कांग्रेसके सदस्य बनाते है। हमे उनसे पर्याप्त सहायता मिलती है।

परिस्थितिको न समझ सकनेके कारण या इच्छाके अभावके कारण हम हस्तक्षेप नही करते, यह बात नही है। यह हमारी लाचारी है।

मेरा दृढ मत है कि कांग्रेसकी ओरसे हस्तक्षेपकी कोई कोशिश करनेसे रियासतोके लोगोके हितोको नुकसान ही पहुँच सकता है।

१ श्री केलकरके २२ जून, १९३४ के पत्रके उत्तरमें, देखिए परिशिष्ट १।

२ अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषदके अध्यक्ष।

फिर भी रियासतोसे किसी विशेष नीतिको अपनानेका आग्रह करनेसे हमें कोई रोक नही सकता।

मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्रिटिश-भारतमे हम जो-कुछ भी हासिल कर सकते है, उसका रियासतोपर असर पडेगा ही।

मैं चाहूँगा कि रियासते अपनी जनताको स्वायत्तता प्रदान करे और मै चाहूँगा कि राजालोग अपने-आपको उन लोगोका न्यासी समझे जिनपर वे शासन करते है और वास्तवमे उनके न्यासी बने। अपने लिए वे आयका एक निश्चित न्यूनतम भाग लेते रहे। मैं उनका पद समाप्त करना नही चाहता। मै व्यक्तियो तथा समाजोके हृदय-परिवतनमे विश्वास करता हूँ।

मैंने गोलमेज-सम्मेलनमे जो-कुछ कहा, वह एक तरहसे राजाओके प्रति अपील थी। निश्चय ही उसका यह अथ नही था कि वे अपीलपर ध्यान दे या न दे, काग्रेस सघमे शामिल होगी ही। मेरे पास काग्रेसको किसी ऐसे बन्धनमे बाँधनेका कोई अधिकार नही था। काग्रेसका सघमे शामिल होना राजाओके रुखके अलावा कई अन्य परिस्थितियोपर भी निर्भर था। यदि कभी सघ बना तो वह निश्चय ही पारस्परिक सामजस्यपर आधारित होगा।

आशा है कि मैंने आपके उठाये सभी मुद्दोका जवाब दे दिया है। यदि ऐसा न हुआ हो, तो कृपया मुझे फिर लिखियेगा। मैंने यह पत्र कामके भारी दबावके बीच लिखा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री न० चि० केलकर
'केसरी' आफिस
पूना सिटी

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३११८) से, सौजन्य काशीनाथ न० केलकर।

१४९. पत्र डी० वी० गोखलेको

२ जुलाई, १९३४

प्रिय श्री गोखले,

आपके पत्रके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि भोपटकर[1] के हल्के-बडे घाव भर गये होगे।

आपका,
मो० क० गाधी

श्री डी० वी० गोखले
५६८, नारायण पेठ
पूना-२

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१०५) से। सी० डब्ल्यू० ९७१३ से भी।

१५० पत्र . ए० एस० एम० मोफाखेरको

वर्धा
२ जुलाई, १९३४

प्रिय मित्र,

अत्यधिक कार्यभारके कारण आपके गत १७ तारीखके पत्रका उत्तर मै इससे पहले नही दे पाया।

सस्थाके नियम मैने ध्यानपूवक पढे है। इस आन्दोलनकी सफलताके बारेमे मुझे भारी सन्देह है। आतकवादियोपर इसका कोई असर नही पडेगा, न उनपर ही जिनकी उनसे मूक सहानुभूति है। अहिसाके सामान्य सिद्धान्त उन्हे बिलकुल प्रभावित नही करते। आतकवादके कारण की खोज किये बिना और उसका सामना किये बिना हमे सफलताकी आशा नही करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री ए० एस० एम० मोफाखेर, बी० एल०
बी० ए० टी० वी० हेडक्वार्टर्स
२१ टाँटी बगान रोड
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलालके कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ लक्ष्मण बलबन्त भोपटकर, पूनाके एक वकील तथा नगरपालिकाके सदस्य, जिन्हें २५ जून, १९३४ को पूनामें बम बिस्फोटमें चोट आ गई थी। देखिए पृष्ठ १०९-१०।

१५१ पत्र : वल्लभभाई पटेलको

भावनगर
२ जुलाई, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आपके पत्रमे पहले-पहल काट-छाॅट देखी। यह आपसे जो लोग मिले उनके नामोमे है।

आज तार आया हे कि साबरमती जेलकी बहने छूट गई है। इसलिए मणि भी छूट गई होगी। कुछ पुरुष भी वहाॅसे छूटे है। कुछ बाकी भी है।

मुझपर हुए हमले के बारेमे क्या लिखू? ऐसा कुछ किसी-न-किसी कारण तो होना ही था। ठीक है कि हरिजन-सेवाके कारण ही हुआ। जो तरीका किसी एक कामके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वह किसी दूसरे अप्रत्याशित कामके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईश्वरेच्छाके बिना कही कुछ होता है?

यह पत्र भावनगरसे लिख रहा हूँ। यहाँका हाल तो आप जानते ही है। काम करनेवाले मिल-जुलकर काम नही कर सकते, यह बडी दिक्कत हे। चन्दा तो काफी हो जायेगा। ३०,००० रुपये।

दुर्गा वगैरह कल मिलने आ रही है।

मै नही समझता कि किसानोको कोई नुकसान होगा। आप बिलकुल चिन्ता न करें।

समय बहुत कम मिलता है, इसलिए लम्बे पत्र नही लिखता। औरोसे लिखनेको कह रखा है।

अमतुस्सलामके अर्शका ऑपरेशन होनेकी बात लिख चुका हूँ न? अब तो वह अस्पतालसे आ गई है। मेहरअली[1] अस्पतालमे है। आपकी तबीयत कैसी है?

रामदास बडा दुःख भोग रहा है। उसे दवा वगैरहके लिए खूब रुपया चाहिए। इतनी रकमका दान भी कैसे लिया जाये? निर्दय होकर आज लिख दिया है कि हर महीने सौ से ज्यादा तो हरगिज नही लिया जा सकता, फिर चाहे मरे या जिये। केशु अभी राजकोटमे है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १०८–९

१ यूसुफ मेहरअली, बम्बईके एक समाजवादी नेता।

१५२. पत्र : वसुमती पण्डितको

२ जुलाई, १९३४

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। स्याहीके बारेमे पूछताछ करूँगा। अभी मिली नही है। वैसे स्याही तो कोई भी आदमी बना सकता है, लेकिन अच्छी स्याही बनानेमे बडी अडचने है। बिरला ही कोई सफल होता है। परीक्षितलालसे सलाह करके जब चाहे हरिजन आश्रम चली जाना। लेकिन अक्तूबरके महीनेकी याद रखना, और अक्तूबरके अन्तिम सप्ताहमे भी मत जाना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमतीबहन
दौलतराम काशीराम कम्पनी
खान मोहम्मद कासमभाई माला
करेलवाडी, ठाकुरद्वार, बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३८८) से। सी० डब्ल्यू० ६३३ से भी, सौजन्य वसुमती पण्डित।

१५३. पत्र : हीरालाल शर्माको

२ जुलाई, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा स्वच्छ पत्र मिला है। खुर्जा जानेमे मुझे कोई एतराज नहि है। अब मै समझा तुमारा रामदाससे कहना कि खच तुम दोगे। इसका अथ यही था न कि उस खर्चकी जिम्मेवारी मैंने अपने सिफद ले ली हे? यदि यह था तो ठीक ही था। इसमे एक बात भी और है कि खचकी मर्यादा होनी चाहीये। जो रामदासने लिखा है उससे मै यह पाता हू कि माहवार खर्च कम से कम ३०० होगा। मेरी दृष्टिसे यह खच बहुत हे। अतमे जो कुछ लेना हे वह तो जमनालालजीसे हे। उन पर अथवा किसी पर इतना बोज मै कैसे डालु? इससे बेहतर यह है कि रामदास द० आ० चला जाय। वहा उसका शरीर किसी हालतमे अच्छा हो जायेगा। तुमारे लिए पासपोर्ट मिले तो तुमारे भी जाना। नैसर्गिक उपचारोमे यह भी समझा जाये कि गरीब भी इसे कर सके। यह सब लिखते हुए मुझे बहूत दुख होता है लेकिन धम मुझे लाचार बना देता है। रामदासके साथ तुमारा प्रेम तुमारी भी परीक्षा कर रहा है। मेरी तो हो ही रही है।

मेरा अभिप्राय ऐसा बन रहा हे कि तुमारे वर्धामे ही रहना और खचको परिमित करके उसीमे सब-कुछ करना। रामदास और निमलाके निमित रु० १००से अधिक नहिं तुमारे भी इतना ही। इतनेमे जो-कुछ शक्य है वह किया जाये। तुमारे मोहके वश होकर कुछ भी नहि करना। रामदासके बारेमे जब निश्चित हो जायगा तब वह दुरस्त हो जायगा। रामदासकी ही स्थितिके दूसरे इसी तरह अच्छे हुए हैं। रामदास भी हो जायगा। इसमे तुमारे निश्चय और निणयकी आवश्यकता रहती हे क्योकि रामदासका तुम पर विश्वास बढता जा रहा है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, (१९३२-४८), पृ० ७६ और ७७ के बीचकी प्रतिकृति से।

हरिजन-यात्राके दौरान गुजरातमें, जून १९३४

हरिजन बच्चोके साथ, भावनगर, जुलाई, १९३४

१५४ पत्र · यू० राजगोपाल कृष्णैयाको

२ जुलाई, १९३४

भाई कृष्णय्या,

तुम्हारे प्रश्नके उत्तर ये हैं

१ धम, अथका ऐक्य व्यक्तिके लिये, समाजके लिये, और देशके लिए सभवित है, इसमे सदेह नही। कब होगा यह कहना अशक्य सा है।

२ फल त्यागके बारेमे जो कुछ मैंने लिखा है वह अनुभवसिद्ध है और वह कोई एक ही वक्तका अनुभव नही है, बहुत मौके पर यही अनुभव हुआ है। बडे परिश्रमसे भूखो रहता हुआ किसान भी आत्मज्ञान पा सकता है। अनुभवी लोग तो यो कहते हैं कि जिसके पास काफी धन है, शरीर बल है, बुद्धि बल है उसके लिये आत्मज्ञान अशक्य नही तो दुर्लभ तो है ही।

३ इस जगतमे एक सवव्यापी चेतनमय शक्ति है। जिसको हम ईश्वर कहते है। उसकी प्राथना आवश्यक है। वो शक्ति हमारी सब इच्छा पूरी नही करती है, लेकिन इसकी भी हमे चिन्ता नही करनी चाहिये।

४ गीताका अथ दिल चाहे ऐसा नही हो सकता। व्याकरण आदिके अनुसार ही हो सकता है।

५ ईश्वर रूप होनेका अथ स्पष्ट है, जैसे पुत्र पिता रूप बनना चाहता है उसके सिवा समाधान नही होता है।

मोहनदास गाधी

सी० डब्ल्यू० ९२३८ से, सौजन्य यू० राजगोपाल कृष्णैया।

१५५ भाषण : सार्वजनिक सभा, भावनगरमे[1]

३ जुलाई, १९३४

काठियावाडके लिए उसकी सीमामे विदेशी वस्त्रोका आना लज्जाकी बात है। आप मनसे अगर काम करे तो न केवल काठियावाड बल्कि सारे भारतको खादी दे सकते है। यह लज्जाकी बात है कि कपास पैदा करनेकी उत्कृष्ट सुविधाओके बावजूद, आप लोग अपने कपडोके लिए दो करोड रुपये विदेशोको देते है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-७-१९३४

१५६ भाषण : राज्य-गोशाला, भावनगरमे[2]

३ जुलाई, १९३४

अपने पुराने दोस्त स्वामी आनन्दके साथ मुझे राज्य-गोशाला देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भावनगर छोडनेसे पहले मै उसके सम्बन्धमे कुछ शब्द ही कह सकूँगा। गोशालामे 'गिर' पशुओकी अच्छी सख्या है। उनमे चार सालका एक बैल भी है जिसके बारेमे महाराजासाहबका कहना है कि इतना अच्छा पशु उन्हे काठियावाडमे देखनेको नही मिला। राजासाहब पशुओके अच्छे पारखी है। इस फार्मका खर्च राज्य वहन कर रहा है। यह बहुत बडी सेवा है। लेकिन मुझे उम्मीद हे कि राज्य इतनेसे ही सन्तोष नही मान लेगा। हर गाँवमे एक-एक सॉड देकर, और वहाँके दूसरे सभी बछडोको बधिया करके, और जहाँ कही लोग धर्मार्थ साँड छोडते है वहाँ उन्हे यह समझाकर कि वह एक अच्छी नस्लका पशु होना चाहिए, और यदि न हो तो उसे साँड नही बनाना चाहिए, वह गाँवोमे पशु-विकासकी अपनी नीतिपर अमल करेगा तथा इस कार्यको पूरा करेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २०-७-१९३४

१ बैठक सुबह हुई थी। काठियावाडके खादी विभागके रामजीभाईने काठियावाडमें खादी प्रगतिके बारेमें रिपोर्ट पेश की थी।

२ यह भाषण "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है।

१५७ पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

५ जुलाई, १९३४

चि० अमला,

यह महज तुम्हे अपना प्यार भेजनेके लिए लिख रहा हूँ। मुझे आशा है तुम अच्छी और खुश होगी।

सस्नेह।

श्री अमलाबहन, हरिजन आश्रम, साबरमती

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगलके कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय।

१५८. भाषण : महिलाओकी सभा, अजमेरमें[1]

५ जुलाई, १९३४

४ जुलाईकी रातको गाधीजी अजमेर पहुँचे। दूसरे दिन सवेरे सबसे पहले महिलाओकी सभामें भाषण देते हुए गाधीजी ने कहा, "मै आप लोगोके आगे कोई खास दलील नहीं रखना चाहता। इस बातसे कौन इनकार कर सकता है कि हम सभी इस ससारमें प्रेमके बन्धनसे बँधे हुए है, प्रेमका कानून हमारे ऊपर शासन कर रहा है। गोसाईं तुलसीदासने दयाको धर्मका मूल कहा है। चूँकि अस्पृश्यता प्रेम और दयाकी भावनाके विपरीत है, इसलिए अब इस पापका अन्त होना ही चाहिए। एक ओर तो हम प्रेमभावका दावा करे और दूसरी ओर अपने ही लाखो-करोडो भाइयोको गन्दीसे-गन्दी जगहोमें रखें, उन्हे कुओसे पानी न भरने दें, पशुओके गँदले हौजोसे उन्हे पानी पीनेको मजबूर करे, और अगर वे बेचारे सार्वजनिक कुओपर हक समझ कर पानी भरने जाय तो उनपर आक्रमण कर बैठें! ये बातें भला एकसाथ कैसे हो सकती है? इसी तरह जब सवर्णोंके गन्दे बच्चे खासी अच्छी सख्यामें सार्वजनिक स्कूलोमें जा सकते है, तब हरिजन बच्चोको, उनके सफाईसे रहते हुए भी, सार्वजनिक स्कूलोसे अलग रखना कहाँतक उचित है, कहाँतक न्यायसगत है? दूसरोको अपनेसे

१ यह तथा अगले दो शीर्षक "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है।

नीच समझना एक प्रकारका अभिमान है, जिसे तुलसीदासजी न सब पापोका मूल कहा है। विनाशसे पहले मनमें अभिमान ही होता है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २०-७-१९३४

१५९ भेट हरिजन-सेवकोसे

अजमेर,
५ जुलाई, १९३४

हरिजन-सेवकोसे बातचीत करते हुए गाधीजी ने हरिजन-सेवाकी शर्तोको सावधानीसे समझाया और कहा — मै चाहता हूँ कि पूरी सच्चाई और ईमानदारीके साथ हमारे सेवक हरिजनोकी सेवा करे। सेवाका फल सेवा ही है। स्वार्थ या किसी राजनीतिक उद्देश्यका तो इसमें लेश भी नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य तो हिन्दू-धर्मकी शुद्धि है। इसलिए उन लोगोके लिए इस हरिजन प्रवृत्तिमें कोई स्थान नहीं हो सकता जो इसमें राजनीतिक दृष्टिसे भाग लेना चाहते है। ऐसोको तो तुरन्त ही इस आन्दोलनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योकि उनका इसमें बना रहना हरिजन-कार्यको भारी हानि पहुँचा सकता है। अगर इस प्रवृत्तिके पीछे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य हुआ, तब हम सवर्ण हिन्दुओका हृदय कभी नहीं पलट सकते। इस आन्दोलनमें तो केवल उन्हींको भाग लेना चाहिए जो सत्य और अहिंसाका सिद्धान्त स्वीकार कर चुके हो, और जिनका यह विश्वास हो कि मन्दिर हिन्दू-धर्मका एक अविच्छिन्न अग है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २०-७-१९३४

१६० भाषण · सार्वजनिक सभा, अजमेरमे

५ जुलाई, १९३४

गाधीजी ने कहा, काली झडीवालोको साथ लेकर पण्डित लालनाथको सभामें आने और हमारे आन्दोलनके विरुद्ध प्रदर्शन करनेका पूरा अधिकार था।[1] जिस किसीने पण्डितजी पर यह हमला किया है उसने बहुत-बडी अशिष्टता की है। काली झडियाँ क्या बिगाड सकती थीं, परन्तु पण्डित लालनाथपर जो यह वार हुआ है, उससे निश्चय ही हरिजन-कार्यको क्षति पहुँची है। जिस किसीने पण्डितजी पर यह वार किया

१ लालनाथ गाधीजी से शामको मिले थे और सभामें बोलनेकी इजाजत उनसे ले ली थी। वे गाधीजी के पहुँचनेसे पहले पहुँच गये थे और काले झडोंका प्रदर्शन किया था जिससे झगडा हो गया और सनातनी नेतापर हमला किया गया।

है उसने ईश्वर तथा मनुष्य दोनोकी ही दृष्टिमें एक भारी गुनाह किया है। सनातनियो तथा सुधारकोके बीच पहले भी अकसर मारपीट हुई है। पर अजमेरका यह हमला योही क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योकि मैंने लालनाथजी की रक्षाका सारा भार अपने ऊपर लिया था। हिंसापूर्ण तरीकोसे अस्पृश्यताका यह काला दाग कदापि नहीं मिट सकता। वे तो उल्टे हमें ही भारी पड़ेंगे। म सोचूँगा कि इस पाप-कृत्यका प्रायश्चित्त मुझे कैसे करना चाहिए[1] ताकि लोगोको मालूम हो सके कि किन शर्तों पर उनका सहयोग लेना चाहता हूँ। सुधारकोको दूसरोपर हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि बिना प्रतिरोधके हमले सहने चाहिए। इसी तरह हृदय-परिवतन हो सकता है और अस्पृश्यता समाप्त हो सकती है। मेरा विश्वास है कि हिंसासे, असत्यसे या क्रोधसे न तो धर्मकी सेवा ही हो सकती है, न उसकी रक्षा ही। धर्मरक्षा या धर्मकी सेवा तो आत्मत्याग तथा कष्टसहन और आत्म-सयमके द्वारा ही हो सकती है। मै तो राजनीतिक क्षेत्रमें भी हिंसाको बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर यह तो धर्मक्षेत्र है।

गाधीजी ने इसके बाद पण्डित लालनाथजीसे बोलनेके लिए कहा और श्रोताओसे धैर्यपूवक सुननेको कहा। पण्डितजी दो ही मिनिट बोले थे कि लोगोने टोका-टोकी शुरू कर दी। इसपर गाधीजी ने कहा, "यह तो आप लोगोकी बहुत ही जबर्दस्त अशिष्टता है। एक तो पहले ही उनपर वार करके अविनयका काम किया गया और अब उनकी बात सुननेसे इनकार करते हुए आप दूसरी अशिष्टता कर रहे है। अगर आप पण्डित लालनाथकी बात सुननेको तैयार नहीं तो इसका यह मतलब हुआ कि आप मेरी भी बात नहीं सुनना चाहते। मुझसे कभी कोई भूल नहीं हुई, यह दावा मैंने कभी नहीं किया। मैंने तो अपने जीवनमें की हुई हिमालय-जैसी भारी-भारी भूलोको कबूल कर लिया है। अगर मै मुक्त कण्ठसे यह कह सकता हूँ कि अस्पृश्यता एक पाप है, तो लालनाथजीको भी यह कहनेका उतना ही अधिकार है कि उनकी रायमें अस्पृश्यता-निवारणका यह आन्दोलन एक अधार्मिक आन्दोलन है। आप जो यह 'शर्म शर्म' की आवाज उठा रहे है, तो यह शर्मकी बात पण्डितजी के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए है। असहिष्णुता एक प्रकारकी हिंसा है। जो मनुष्य अपने विरोधियोकी बात नहीं सुनना चाहता, वह कदापि सच्चे धर्माचरणका पात्र नहीं कहा जा सकता। हरिजन-सेवा एक धार्मिक प्रवृत्ति है। इसमें असहिष्णुता या हिंसाके लिए स्थान नहीं है। मान लीजिए कि कोई मुझपर ही हमला कर बैठे, वह हमला घातक किस्मका भी हो तो क्या आप आपेसे बाहर हो जायेंगे और पागलकी तरह हिंसा करनेपर उतारू हो जायेंगे? अगर ऐसा है तो मैंने व्यर्थ ही आपके आगे अपना जीवन बिताया। ऐसा करके तो आप इतने विशाल आन्दोलनको ही खत्म

१ गाधीजी ने ७ अगस्तसे उपवासका निश्चय किया, देखिए "वक्तव्य उपवासपर", ६-८-१९३४।

कर देंगे। पर यदि आपने सयमसे काम लिया तो मेरे शरीरान्तके साथ-साथ इस अस्पृश्यताका अन्त भी निश्चित समझिए।"

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २०-७-१९३४

१६१ पत्र मीराबहनको

अजमेर
५ जुलाई, १९३४

चि० मीरा,

मेरे पास अब भी समय कम है और काम ज्यादा। इसलिए, तुम मुझसे लम्बे पत्रकी उम्मीद नही कर सकती। चन्द्रशकर तुम्हे विस्तारसे लिख रहा है। आज जो दु खद घटना घटी,[१] उसके बारेमे वह तुम्हे बतायेगा।

जेलके बरताव सम्बन्धी बहुत-से वक्तव्य मेरे पास है, लेकिन उन्हे मै [दोबारा] देख नही पाया हूँ। इसीसे मैक्सवेलके पास भेजनेमे देर हो रही है।

सस्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२८९) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५५ से भी।

१६२ पत्र · जी० जी० जोगको

[६ जुलाई, १९३४ या उससे पूव][२]

समाचारपत्रो[३] मे खादी-हुण्डी और गाधी-थैलीको लेकर जो विवाद उठा है, उसके बारेमें श्री जी० जी० जोग[४] से चल रहे पत्र-व्यवहारके दौरान गाधीजी कहते है कि मेरी समझमें मै पूरे तथ्यो तथा स्थानीय परिस्थितियोकी जानकारी बगैर कोई वक्तव्य जारी नहीं कर सकता।

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ यह पत्र "कानपुर, ६ जुलाई, १९३४" की तिथि पक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

३ गाधीजी के कानपुर दौरेका हवाला देते हुए बहुत-से समाचारपत्रोने कहा कि ज्यो ही यह आशका हुई कि खादी हुण्डी बेचनेसे हरिजन कोषके लिए चन्दा इकट्ठा करनेके कार्यमें बाधा पहुँचेगी, कानपुरके कार्यकर्ताओने अखिल भारतीय चरखा सघके इस कार्यका विरोध किया।

४ कानपुरके एक प्रसिद्ध काग्रेसी कार्यकर्त्ता।

तथ्योका खुलासा करते हुए आपने जो वक्तव्य[1] दिया है, लगता है वह काफी है। अखबारोमे जो-कुछ छपता है, कभी-कभी उसपर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-७-१९३४

१६३ पत्र . ना० र० मलकानीको

६ जुलाई, १९३४

प्रिय मलकानी,

मुझे माफ कर देना। मै जमनालालजी से तो मिला, पर तुम्हारे बारेमे बिलकुल भूल गया। अब मुझे उनको लिखना पडेगा। मै लिख रहा हूँ।

मै जे० के० कोषके बारेमे लिखनेकी उम्मीद रखता हूँ।

ठक्कर बापाके तार अथवा पत्रका, वह जो भी रहा हो, बुरा मानना भूल है। अगर उन्होने ऐसा सोचा कि तुम और वे कार्यालयसे एकसाथ छुट्टी नही ले सकते, तो बिना किसी गलतफहमीके खतरेके वैसा सोचनेका उन्हे अधिकार तो होना ही चाहिए। इसमे हुक्म चलानेकी तो कोई बात ही नही है। चूकि सिवा सिंधके वे मेरे साथ यात्रा करेगे, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना अपने-आप सम्भव नही है। पजाब, सयुक्त प्रान्त या बगालमे उनकी उपस्थिति जरूरी है। उनके बिना गुजरातमे मेरा काम चल ही नही सकता था। काठियावाडमे भी उनका रहना उतना ही जरूरी था। हम कायकर्त्ताओको मोटे चमडेका बनना चाहिए।

सस्नेह।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०६) से।

१ साधन सूत्रमें बताया गया है कि सयुक्त प्रान्त काग्रेसके सचिव डी० मजूमदारके अनुसार कानपुर चरखा-सघ द्वारा एक वक्तव्य प्रसारित किया गया था जो इस तरह था " खादी-कार्य हरिजन-कार्यका विरोधी नही है। खादी हुण्डीके माध्यमसे खादी बिक्रीकी व्यवस्था करनेपर कोष वृद्धिका सवाल कतई पैदा नही होता। चरखा सघने कानपुरके निवासियोंसे किसी तरहके चन्देके लिये अपील नही की है। उन्होने बस खादी खरीदने और गाधीजी के प्रति आदर व्यक्त करनेको कहा है . . ।"

१६४ पत्र महादेव देसाईको

अजमेर,
६ जुलाई, १९३४

चि० महादेव,

आज मै २ ३० पर उठा। डायरी लिखनेके बाद ही मै यह पत्र लिख रहा हूँ। मै अबतक काफी थक गया हूँ। तर्क-वितक और सभाएँ मुझे अच्छी नही लगती। हर वक्त महसूस होता है कि नीद पूरी नही हो पाई। पत्र बहुत सारे इकट्ठे हो गये है। जितना हो सकता है देख लेता हूँ।

दुर्गा और अन्य बहने आकर भावनगरमे मिली। वह और वेलाबहन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए, यह ज्यादा अच्छा होगा कि मेरे पास आनेसे पहले वहाँ जाकर उनसे मिल लो। बबलू दिहनमे है। उन सबके बारेमे क्या किया जा सकता है, नही समझ पाना। लेकिन तुम निर्णय मुझसे मिलनेके बाद ही लेना।

चूँकि कुछ ही दिनोमे अब हमारी मुलाकात होगी, इसलिए और अधिक नही लिखता। चन्द्रशकरने तुम्हे जो-कुछ लिखा है, वह काफी है।

रवाना होनेके बाद अपने स्वास्थ्यका खयाल रखना।

बापूके आशीर्वाद

[अग्रेजीसे]
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

१६५ भाषण हैदराबादमे[1]

७ जुलाई, १९३४

मै देखता हूँ यहाँ महिलाएँ अधिक है और मै जानता हूँ ये धार्मिक है। आपसे मेरा यह कहना है कि अगर आप अपने धर्मकी रक्षा करना चाहती है तो आपको अस्पृश्यताका त्याग कर देना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपनी बुद्धिको निमल बना डाले और सभी मनुष्योको समान समझें। अगर ऐसा नही हुआ तो वह पाप होगा और उससे धर्मपर आँच आयेगी।

१ होमस्टीड हॉलमें, जहा मुख्यतया महिलाएँ ही थी। बाकी लोग हॉलके बाहर थे। जयरामदास दौलतरामने ३,१८८ रुपयेकी एक थैली भेंट की। भीड़भाड़ और शोरगुलकी वजहसे गाधीजी की आवाज हॉलके बाहरके लोग नही सुन पाये।

मिरानी[१]मे एक महिलासे मुझे सोनेकी एक चूडी प्राप्त हुई थी। अब आप भी आभूषण और धन देकर आन्दोलनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करे। मै अपना काम कर चुका, अब आप अपना करे।[१]

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ८-७-१९३४

१६६ भाषण कराची नगरपालिकाके अभिनन्दन-पत्र[२] के उत्तरमें

[७ जुलाई, १९३४][३]

महात्माजीने यहाँ अपने भाषणोमें कराची शहरको हिन्दुओ और मुसलमानोमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए तथा हरिजनोके उत्थानार्थ काफी-कुछ काम करनेके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होने यह आशा भी व्यक्त की कि कराची नगरपालिका हरिजनोके लिए और भी जितना अधिक कर सकती है, करेगी और इस तरह भारतकी दूसरी नगरपालिकाओके लिए एक मिसाल कायम करेगी। उन्होने यह भी कहा कि हरिजनोके लिए बनवाये गये घर, जिनमें कुछ हरिजन रह भी रहे है, अस्वास्थ्यकर है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होने नगरपालिकाके सदस्यो तथा आम जनतासे आग्रह किया कि वे कराचीमें किसी भी हरिजनको ऐसे घरोमें न रहने दें जो उन्हे स्वय अपने लिए सन्तोषजनक न लगें।

उन्होने यह भी आग्रह किया कि लोग ऊँच-नीच अस्पृश्यता-स्पृश्यताके भेदको खत्म कर दें। वे यह भी भूल जायें कि वे हिन्दू या मुसलमान, ईसाई या पारसी आदि है। जबतक ऐसा नहीं होता भारतका कल्याण सम्भव नहीं है। इसमें केवल भारतका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्वका लाभ है।

महात्मा गाधीने इस बातपर भी जोर दिया कि अस्पृश्यता-निवारण जैसा नेक काय जोर-जबदस्तीसे न किया जाये। इसके लिए आत्मशुद्धि और प्रायश्चित्त जरूरी हैं। उन्होने हरिजन-कार्यकर्त्ताओसे कहा कि इस विषयमें उन्हे अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि लोगोको उन सनातनियोके प्रति भी जो उनसे सतभेद रखते है, आदर की भावना रखनी चाहिए।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १३-७-१९३४

१ गाधीजी हैदराबाद स्टेशनसे पाच मील दूर स्थित मिरानीमें उतरे थे।

२ कराचीके महापौर जमशेद मेहताने भेंट किया था।

३ यह भाषण २७-७-१९३४ के **हरिजन**में प्रकाशित "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है।

१६७. पत्र . बालूकाका कानिटकरको

८ जुलाई, १९३४

प्रिय बालूकाका,

तुम्हारा पत्र मै पढ गया हूँ। मै सविनय अवज्ञाकी बात करने नही जा रहा हूँ। मै उस रचनात्मक कार्यक्रमकी बातचीतमे लगा हूँ जो तुम्हे बहुत पसन्द है। इसलिए तुम भी उससे अलग हटकर अपनी पूरी शक्तिके साथ इस काममे जुट जाओ।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री बालूकाका कानिटकर
३४१, सदाशिव पेठ
पूना शहर-२

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६२) से, सौजन्य जी० एन० कानिटकर।

१६८. पत्र : अमतुस्सलामको

८ जुलाई, १९३४

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,[1]

तेरा खत मिला है। मेरे पास अच्छी होनेके लिए नही आना चाहिए। लेकिन अच्छी हो जानेके बाद जरूर आ सकती है। डाक्टर क्या कहते है सो लिखना। घूमने-फिरने लगो और खाना खा सको, तब आना। जल्दसे-जल्द आना हो तो कानपुर आ सकती हो। लेकिन बेहतर यह है कि तू ५ तारीखको वर्धा पहुँच जा। मै कानपुर २३ को, बनारस २६को और वर्धा ५ तारीखको पहुँचूगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१०) से।

१ साधन सूत्रमें सम्बोधन उर्दूमें है।

१६९ भाषण · कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओके समक्ष, कराचीमें

८ जुलाई, १९३४

रविवारको सुबह खालिकदीन हॉलमें महात्मा गाधीने सिंधके कांग्रेसियोसे घुल-मिलकर बातें कीं। समाजवादियो द्वारा लगाये गये अभियोगोका भी उसमें उन्होने जिक्र किया। समाजवादियोने यह अभियोग लगाया था कि कार्यकारिणी समितिका कार्यक्रम ढीला-ढाला और प्रभावहीन है। गाधीजी ने इसका खडन किया। उन्होने कहा कि खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता और किसानोको पुनर्गठित करनेका काम काफी तेजीसे चल रहा है। अगर कार्यकर्त्ता तेजीसे काम करे तो सविनय प्रतिरोध और जेल जानेकी जरूरत रहे ही नही। उन्होने लोगोको सलाह दी कि उस कायक्रममें फेर-बदल न करे जो काफी तेज गतिसे चल रहा है और यथार्थत समाजवादी है।

साम्प्रदायिक समझौतेके बारेमें बोलते हुए उन्होने कहा कि कांग्रेस न मुसलमानोकी इच्छानुरूप इसे स्वीकार कर सकती थी और न हिन्दुओ और सिखोके कहनेपर अस्वीकार। अत उनकी समझसे कायकारिणी समितिका प्रस्ताव ही सबसे अधिक बुद्धि-मत्तापूण है।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, ११-७-१९३४

१७० भाषण · सिंधके हरिजन-सेवकोके बीच, कराचीमें[१]

८ जुलाई, १९३४

इस महीनेकी ८ तारीखको कराचीमें गाधीजी सिंधके उन हरिजन सेवकोसे मिले जिन्होने शिकायत की थी कि हरिजनोको रुपये उधार देनेवाले काबुली उनके साथ क्रूरताका बरताव करते है। मूल और सूदके सम्बन्धमें उनकी बेहिसाब मॉगोको स्वीकार कर लेनेपर भी वे पैसा चुकता लेनेसे इनकार करते है। गाधीजी ने सलाह दी कि उधार देनेवाले इन काबुलियोसे निपटनेके लिए उन्हे पहले ईश्वरमें आस्था रखनेवाले किसी मुसलमानके पास जाना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले हरिजनोको यह समझाना चाहिए कि वे अनुपयोगी कार्योंके लिए कर्ज लेना बिलकुल बन्द कर

१ यह भाषण साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है।

दें तथा शराब और जुआ जैसे व्यसनोमें न फँसें। और अगर कर्ज लेते ही है तो ज्यादा-से ज्यादा छ प्रतिशत सूदपर ले। थारपारकरमे तकरीबन ५,००० भील और मेघवाड मूल निवासी तथा जिलेके अन्य ऐसे किसान है जो बडी तेजीके साथ अपनी जमीनोसे हाथ धोते जा रहे है और इनकी स्थिति भूमिहीन खेतिहरो जैसी हो गई है। इन्हे वैधानिक सरक्षणकी नितान्त आवश्यकता है। गाधीजी ने कहा कि सरक्षणका कानून बनवानेकी कोशिश तो की जाये, लेकिन तबतक कर्मठ कार्यकर्त्ताओको चाहिए कि वे इन पिछडे लोगोके बीच जाकर काम करें और अपने जीवनको इनकी सेवामें समर्पित कर दें।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २७-७-१९३४

१७१ भाषण व्यापारियोके बीच, कराचीमे[1]

८ जुलाई, १९३४

अध्यक्ष महोदयने जो यह कहा कि आजकल मेरे पास ऐसे कामोके लिए जिनका सीधा सम्बन्ध हरिजन-सेवासे नही है, बहुत कम समय रहता है, अथवा कहिए कि बिलकुल नही रहता सो बिलकुल सच है। यह भी सच है कि इतना दौरा करनेके बाद तथा उत्कलमे पदयात्राके अनुभवोके बाद अब मुझे कुछ मानसिक थकावट लगने लगी है। अब तो मन यही इच्छा करता है कि यह जुलाईका महीना जल्दी निर्विघ्न समाप्त हो जाये तो मै थोडा मानसिक विश्राम ले सकूँ। मेरी ऐसी दशामे जब अध्यक्ष महोदयने मुझे यहाँ आनेके लिए निमन्त्रण दिया, तब उसे स्वीकार करनेकी मेरी इच्छा नही थी। किन्तु मैंने देखा कि इस मण्डलके अध्यक्ष महोदय ही हरिजन-सेवक सघके भी अध्यक्ष है और हरिजन-सेवक सघका काम बडी अच्छी तरहसे चलाते हैं, तब मै उनके निमन्त्रणकी उपेक्षा नही कर सका।

यो तो, क्या हिदुस्तानके व्यापारी, क्या अन्य धनिक, सबके साथ मेरा परिचय हमेशासे रहा है। उनकी ओरसे मुझे आर्थिक सहायता भी हिन्दुस्तानके गरीबोके लिए, हरिजनोके लिए तथा अन्य लोगोके लिए भी मिलती रही है। किन्तु यह बात भी मै इस समय स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद्यपि मै राजाओके साथ, अधिकारियोके साथ, व्यापारियोके साथ, धनिकोके साथ उठता-बैठता हूँ, तथापि मै यह कभी नही भूलता कि मै मजदूर हूँ और मजदूरोका प्रतिनिधि हूँ। भगवानसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि यह जो मेरा प्रतिनिधित्व है, इसे मै किसी प्रकारसे लज्जित न करूँ, और इस वर्गसे अपने लिए एक भी वस्तु न माँगू। मुझे विश्वास है कि पचास वर्षका अपना सार्वजनिक जीवन मैंने इसी प्रकार बिताया है।

१ यह भाषण "कराचीके व्यापारियोंसे" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

मै यह भी जानता हूँ कि व्यापारी, धनिक और राजा-महाराजा, ये भी हिन्दुस्तानके अभिन्न अग है। मेरा कर्त्तव्य यह नही है कि मै इनमे से किसी अगका नाश करके दरिद्रनारायणकी सेवा करूँ। इतने वर्षोके अनुभवसे मेरा यह विश्वास बढता जाता है कि यदि इन वर्गोका नाश सम्भव हो, तब भी इनके नाशसे दरिद्रनारायणको कोई फायदा नही होगा। जो बात मै चाहता हूँ और जो बात मेरी कल्पनामे, मेरे सपनो मे रमा करती है, वह तो यह है कि मै वर्गोका समन्वय करानेके प्रयत्नमे जितना भाग ले सकू, लूँ। मेरी शक्तिका जितना व्यय इसमे हो सके, उतना व्यय करूँ। मेरा यह भी अनुभव है कि ऐसा करनेसे दरिद्रनारायणका आजतक मेरे हाथो कोई नुकसान नही हुआ है। मैने देखा है कि जब मै गरीबोमे जाकर खडा होता हूँ, तो वे मुझे अपने-जैसा ही मान लेते है और मुझपर अपना प्रेम बरसाते है। आज भी उनका जो काम मै कर सकूगा, करूँगा।

इस इमारत[1]की नीवका शिलान्यास करके मैने यह मान लिया है कि मै जब आपके पास दरिद्रनारायणके लिए उचित सहायता माँगने आऊँगा, तब आप मुझे खाली हाथ नही लौटायेगे। मै मान लेता हूँ कि हिन्दुस्तानके व्यापारियोके प्रतिनिधि आप लोग कोई गन्दा व्यापार नही करेगे, दरिद्रनारायणको लूटेगे नही, दरिद्रनारायणके अधिकारोका आपके हाथो अतिक्रमण नही होगा। मै आशा करता हूँ कि आप ऐसे व्यापारमे हाथ नही डालेगे जिससे दरिद्रनारायणको नुकसान हो। मै जानता हूँ कि हिन्दुस्तानमे सभी व्यापारी इस प्रकार काम नही करते। मै यह भी जानता हूँ कि सभी धनिक अपने धनको गरीबोकी अमानत मानकर उसका व्यय नही करते। यह जानते हुए भी, मुझे विश्वास है कि ऐसे धनिकोकी सख्या बढती जा रही है जो अपने धनके ट्रस्टी बनना चाहते है, इसके लिए आवश्यक प्रयत्न करते है और सफलता भी प्राप्त करते है। इस धनिक समाजके प्रति यदि हम अच्छा व्यवहार करेगे तो जो आशाएँ हम उनसे करते है, उन्हे वे फलीभूत करेगे। जो बात आज परमार्थ इन्हे नही सिखा सकेगा, वही कल स्वार्थ सिखायेगा। अनुभव तो यह है कि व्यापार मे स्वार्थ और परमार्थ दोनोका समुच्चय हो सकता है। सच्चा अर्थ वही होता है जिसमे परमार्थ निहित रहता है। ससारके सब धर्म यही सिखाते है। धर्मकी उत्पत्ति भी यही सिखानेके लिए हुई है कि ससार-चक्रमे घूमते हुए हम मनुष्य एक-दूसरेको सेवासे सन्तुष्ट करे तथा ऐसी सेवा करते हुए उसीमें से अपनी भोगेच्छाको सयममे रखकर तृप्त करे। किसी धर्ममे मैने ऐसा कहा गया नही देखा कि ईश्वरने मनुष्यको स्वार्थी बनकर अपनी भोगेच्छाको तृप्त करनेका अधिकार दिया है। इतिहासमे भी यही दिखाई देता है कि जो व्यक्ति अथवा समाज अपनी भोग-लालसाका पोषण करनेके लिए जीता है, उसका नाश हो जाता है। उसकी याद भी ससार नही रखता। ससार तो उन्हीकी स्मृतिको स्थायी बनाये रहता है, उन्हीका गुणगान करता है, वे ही अमर होते है जो अपना जीवन पारमार्थिक कार्योमे व्यतीत करते है।

१ कराची इडियन मर्चेट्स एसोसिएशनकी इमारत।

अन्तमे भगवानसे मेरी प्रार्थना है कि इस व्यापारी मण्डलके द्वारा ऐसे भव्य कार्य हमेशा होते रहे जिनमे हिन्दुस्तानी मात्रका भला हो —— केवल हिन्दू-मुसलमानका ही नही, वरन् सारे हिन्दुस्तानका, जिसमे दरिद्रनारायण तथा अन्य दूसरे भी आ जाते है। आपने प्रतिज्ञा की है कि जो अपनेको हिन्दुस्तानी कहते है तथा हिन्दुस्तानको अपने देशके रूपमे अपनाते है, उन सभीके लिए आपका यह मण्डल खुला हुआ है। मुझे आशा है कि यह सुन्दर शहर, जो नन्हा-सा है किन्तु दूसरा बम्बई हुआ जा रहा है, जिसके बारेमे आशा की जाती है कि कुछ समय बाद बम्बईका मुकाबला करेगा, इसमे आप लोगोके बीच द्वेष और शत्रुताको स्थान नही होगा। होड कोई बुरी चीज नही है। व्यापारकी जड ही इसमे है। होड करके आगे बढना ठीक है, किन्तु उसमे द्वेष और झगडा नही होना चाहिए। इसको बरतनेमे यदि आपको सफलता मिले, तो मुझे विश्वास है कि आपका यह मण्डल हिन्दुस्तानके लिए आदश सस्था बन सकेगा।

आपने स्वय अपने मेयरका उल्लेख करते हुए यह कहा है कि इनकी मेहनतके फलस्वरूप आपको जमीन मिलती है तथा और भी सहायता इनकी ओरसे मिलती रहती है। ये धनाढ्य माता-पिताके पुत्र है, किन्तु बाहरसे यदि कोई व्यक्ति कराची आकर इन्हे देखता है, तो वह इन्हे धनिकके रूपमे नही, वरन् फकीरके रूपमे पहचानता है। नगरपालिओके इतिहासमे मैने ऐसा कही नही देखा कि एक बरसके बाद दूसरे बरस हरबार एक ही मनुष्यको चुनकर मेयर बनाया जाता हो। जहाँकी नगरपालिकाका मेयर फकीर हो, उस शहरकी इस सस्थासे यदि मै बडी-बडी आशा करूँ तो यह कोई बडी बात नही है।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २९-७-१९३४

१७२ भाषण : सार्वजनिक सभा, कराचीमे

८ जुलाई, १९३४

शामकी सार्वजनिक सभामें ३०,०००के लगभग लोग गाधीजी का भाषण सुनने आये थे, जिनमें करीब ५,००० महिलाएँ थीं। लेकिन उन्हे निराश होना पडा, क्योकि लाउडस्पीकरोने अपना काम नहीं किया। स्वामी कृष्णानन्दजी[1] ने लाउडस्पीकरोकी बहुत कुछ क्षतिपूर्ति कर दी। गाधीजी ने उन हरिजन-बस्तियोका उल्लेख करते हुए जिनका उन्होने निरीक्षण किया था, कहा, रणछोड लाइन्सकी चाले देखकर मुझे बडी मर्मवेदना हुई है। मै आशा करता हूँ कि कराचीकी नगरपालिका अपने सुन्दर नगरकी इस बदसूरती को नहीं रहने देगी। तीन और भी ऐसी ही बस्तियाँ है जिनका सुधार तुरन्त होना चाहिए। इस नगरके लिए क्या यह बदनामीकी बात नहीं है कि सम्भ्रान्त नागरिक

१ कराची जिला काग्रेस कमेटीके सचिव।

जहाँ एक क्षण भी खुशीसे रहना पसन्द न करे, वहाँ कराचीके एक भी हरिजनको रहनको मजबूर किए जायें? इसलिए नागरिकोका यह फर्ज है कि नगरपालिकाका ध्यान नगरपर लगे इस कलककी ओर तबतक बराबर दिलाते रहे जबतक कि सभी हरिजन भाइयोके लिए समुचित प्रबन्ध न हो जाये।[1]

हरिजन-कार्यके लिए ऐसे सच्चे कार्यकर्त्ताओके दलकी जरूरत है जो प्रार्थना और शुचितासे लैस हो। जाति-पाँतिका कोई भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। मै विभिन्न सम्प्रदायोमे एकता चाहता हूँ और इसीमें भारतकी मुक्ति निहित है। गाधीजी ने जनतासे अपील की कि सनातनियोके विरुद्ध मनमे कोई शिकायत न रखे। प्रेम और अनुरोधके बलके सिवा अपने मतमे परिवर्तित करनेके लिए उनके प्रति किसी और बलका प्रयोग न करे। उन्होने अनुशासनविहीन भीडमें लम्बा भाषण दे सकनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २७-७-१९३४, **ट्रिब्यून**, ११-७-१९३४ भी।

१७३ तार घनश्यामदास बिडलाको

घनश्यामदास बिडला
नई दिल्ली

कराची
९ जुलाई, १९३४

परेशान होनेकी कोई बात नही है। हर तरहकी सावधानी बरत रहा हूँ। लालनाथके घायल हो जानेकी वजहसे वर्धा पहुँचनेके बाद पाँच या छह अगस्तसे एक सप्ताहका उपवास करनेका विचार है। इसे बिलकुल जरूरी समझिए। इसकी घोषणा करना चाहता हूँ। स्वीकृतिका तार दे।[2]

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९६२) से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला।

१ यह अनुच्छेद "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है। आगेका अश **ट्रिब्यून**, ११ ७-१९३४ से लिया गया है। ९ ७ १९३४ के **बॉम्बे क्रॉनिकल**में रिपोर्ट थी " छोटे बच्चेको फुसलाकर आगे बुलाकर गाधीजी ने उसके गलेसे गहने उतार लिये। वे एक बुढियासे अपनी अँगूठी देनेके लिए कहते रहे। नीलामकी एक चीजकी १५ रुपये बोली लगी थी। दाम चुकानेके लिए बोली लगानेवालेने जब ५० रु० का नोट दिया गाधीजी ने शेष रुपये लौटानेसे साफ इनकार कर दिया, जनता इसपर बडी खुश हुई।

२ घनश्यामदासका जवाबी तार यो था "मेरा अपना विचार है कि इतने लम्बे उपवासकी जरूरत नही है। इससे देशको अनावश्यक धक्का लगेगा, और मैं यह आशा करता हूँ कि लालनाथकी इच्छा नही है। कृपया इसे लालनाथको दिखा दें। आशा है, आप उपवासकी अवधि घटानेको राजी हो जायेंगे। यह कदम जरा ज्यादा ही उग्र है। यों अन्तिम निर्णय तो आपके ही विवेकपर निर्भर करेगा।" (बिडला कागजात)

१७४ पत्र : ना० र० मलकानीको

९ जुलाई, १९३४

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। अगर तुम यह समझते हो कि बूटोकी मदद करना जरूरी हो गया है तो निश्चय ही उसकी मदद कर सकते हो। अपने दोस्तोसे उसे पैसा मिलता नही दीखता। क्या जाने, तुमसे उसने यह कहा है या नही कि वह जगह-जगहसे अपने दोस्तोसे पैसे लेता रहा है। उसने जो-कुछ किया है लगता है उसका उसे अफसोस नही है। जो भी हो उसकी मदद करना कोई नैतिक दायित्व नही है। अगर सम्मानके साथ वह जीविकोपाजन नही कर सकता तो उसे भारतसे चले जानेके लिए कहना चाहिए। लेकिन तुम अपना दृष्टिकोण इससे अलग बना सकते हो और फिर तदनुसार अमल कर सकते हो। मै तुम्हारी उदारताके आडे नही आऊँगा।

ठक्करबापाके फैसले[1] को अगर तुम बुरा नही मानते तो उनके आचार-व्यवहारको भी बुरा नही मानना चाहिए। तुम्हारे और मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि उनका हृदय महान है और वे हमेशा अच्छीसे-अच्छी बाते सोचते है। तुम्हारा अथवा उनका केन्द्रमे रहना उन्होने जरूरी माना था।

हम लोग मिलेगे तो जल्द ही, पर कुछ ही मिनटोके लिए।

सस्नेह।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०७) से।

१७५ पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

९ जुलाई, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे इतनी पतली चमडीकी तो कतई नही बनना चाहिए। एक निरा छोकरा जो-कुछ कहता है उसपर तुम्हे ध्यान ही नही देना चाहिए। वह जो चाहे कहे। तुम्हे तो जो बात बेकार है उसे सामान्य ढगसे नजरअन्दाज कर देनी चाहिए और जो हितकारी है उसे ले लेना चाहिए। पुरातन एक अच्छा युवक है। वह जो कुछ कहे उसके सही अशपर तुम्हे ध्यान देना चाहिए।[2] तुम्हारे स्वभावमे

१ देखिए पृ० १५१।
२ देखिए अगला शीर्षक।

एक ऐसी बात है जो निश्चय ही गलत है, जैसे अपनी इच्छाओको बच्चोपर थोपना। तुम उनसे वही करा सकती हो जिसे वे स्वेच्छासे करते है। दस सालकी तुम्हारी गलत आदते किसीके आदेश-भरसे समाप्त नही हो सकती। पर तुम बच्चोपर अपनी बाते न थोपो और मै भी तुम्हारे ऊपर कोई चीज नही थोपूँगा। तुम्हारा जीवन अगर वहाँ कष्टमय हो तो मुझे बताना कि मै तुम्हारे लिए क्या करूँ। कुछ तो तुम्हे तय करना ही है। अच्छी तरह सोचो और मुझे बताओ।

सस्नेह।

बापू

[पुनश्च]

हाँ, पिछले चार दिनोसे मै दूध ले रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय।

१७६ पत्र : पुरातन जे० बुचको

९ जुलाई, १९३४

चि० पुरातन,

अमलाबहनके पत्रमे लज्जाजनक ऐसा क्या हे? जहाँ आवश्यकता आ पडे, वहाँ सुधारना चाहिए। जहाँ हस्तक्षेप करना कर्त्तव्य हो, हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि तुम्हे विश्वास हो गया है कि वह भली स्त्री हे, तो उसकी भूलोको क्षमा करके उसकी सेवाका उपयोग करो। उसमे अनेक सद्गुण है, उनका उपयोग करो। वह थोडी मूर्ख तो है ही। मूर्ख न होती तो मुझसे चिपटी न रहती, क्योकि मेरे बहुत प्रहार उसे सहने पडे है।

मुझे ब्यौरेवार पत्र लिखना।

तोतारामजीका क्या हाल है? हरिप्रसाद चला गया क्या? वहाँका वातावरण दूषित न होने पाये, इसके लिए जो बने सो करते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१७०) मे।

१७७. पत्र . फूलचन्द क० शाहको

९ जुलाई, १९३४

भाई फूलचन्द,

आपने अच्छी याद दिलाई। मै तो भूल ही गया था, और यह बात रह जाती। अब आज ही लिखे देता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मिस्त्रीको अलगसे उत्तर नही देता।

श्रीयुत फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह
केलवाणी मण्डल
वढवान सिटी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१९६) से। सी० डब्ल्यू० २८४९ से भी, सौजन्य फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह।

१७८ पत्र कान्ति गाधीको

९ जुलाई, १९३४

चि० कान्ति,

तेरे दो पत्र मिले। तेरे अध्ययनको आगे बढानेमे जो मदद मुझसे हो सके, वह मै जरूर करना चाहूँगा। किन्तु मद्राससे राजाजी क्या करते है, इसकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आखिर, बनारसमे तो उनसे भेट होगी ही, तब बात करूँगा। आज भी लिख तो देता ही हूँ। तू जामियामे भरती होना चाहे तो वह भी हो सकता है। वहाँ तुझे अपने विषय मिल जायेगे, और तू मुसलमान विद्यार्थियोके सम्पर्कमें भी आयेगा। यो तू काशीमे भी रह सकता है। वहाँ आनन्दशकरभाई[1] है, 'सुन्दरम'[2] है, नागरदास है, और भी अनेक है। और साधनोका तो वहाँ अन्त नही

१ आनन्दशकर बापूभाई ध्रुव (१८६९-१९४२), सस्कृतके विद्वान और गुजराती लेखक, बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालयके उप-कुलपति।

२ त्रिभुवन पुरुषोत्तमदास लुहार, गुजराती कवि।

है। कमसे-कम ये दो सस्थान तो मेरी नजरमे है। यदि तुझे राजकोटमे नारणदासके अधीन रहना हो तो वह भी हो सकता है। मुझे तेरे बारेमे डर नही है। मै तुझे निरा बालक नही समझता। मेरे साथ चर्चा करना हो तो तू दिल्लीसे कुछ स्टेशनो तक मेरे साथ चल सकता है। बात करनेका वह शायद सबसे अच्छा मौका होगा। मगर हो सकता है कि दिल्लीसे कोई दूसरा गाहक साथ हो जाये, जिससे बात करना पडे। सोचकर देखना। बा तो तेरी चिन्ता करती ही है।

और हॉ, रामदास सचमुच बीमार है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८६) से, सौजन्य कान्ति गाधी।

१७९ पत्र : रैहाना तैयबजीको

९ जुलाई, १९३४

प्यारी बेटी रैहाना,[१]

तेरा पत्र मिला। डाह्याभाईको जवाब लिख दिया है। डाह्याभाई तेरा भाई है, तब फिर अगर मै मेहसाना जाकर भी उससे न मिलता तो मेरा पितापन न खतरेमे पड जाता? हमीदाका खत इसके साथ है। वह तू पढेगी ही, इसलिए उसके बारेमे कुछ नही लिखता।

तू मेहसाना नही आ सकी, इसका मुझे अफसोस हुआ। लेकिन न आनेका तेरा कारण ठीक था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६४८) से।

१८०. पत्र : रमादेवी चौधरीको

९ जुलाई, १९३४

चि० रमादेवी,

तुमारा खत मिला है। ग्रामकी प्रवृत्तिके बारेमे जो योजना भेजी है वह अच्छी है। इसका अमल किया जाय तो अच्छा होगा। लडकी, मा और बडी बहनोके लिए इतना ही कह दू।[२] प्रथम तालीम शारीरिक ज्ञानकी, बादमे शारीरिक श्रमकी, पीछे

१ साधन सूत्रमें सम्बोधन उर्दू लिपिमें है।

२ सम्भवत रमादेवी, उनकी पुत्री और अन्य महिलाएँ जो हरिजन उत्थानके लिए काम कर रही थी।

गृह उद्योग की, पीछे हिन्दी अक्षर ज्ञानकी ओर मातृभाषा आवश्यक नहि है। अन्नपूर्णा[1] आदि अच्छी होगी।

बापुके आशीर्वाद

श्रीमती रमादेवी[2]
चादनी चौक[3]
कटक (उडीसा)

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८८) से।

१८१ वक्तव्य : उपवासके सम्बन्धमे[5]

[१० जुलाई, १९३४][6]

अजमेरमे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी और जिसमे पण्डित लालनाथके सिरपर चोट लगी, उसकी मैंने जाँच की। उस जाचमे पता चलता है कि काले झण्डेके प्रदर्शनसे वे लोग उत्तेजित हो गये जिन्होने जुलूसवालोको देखा और पण्डित लालनाथके अनुसार जनताने, जिसमे स्वयसेवक भी शामिल थे, झण्डे छीन लिये और उन्हे पैरो तले कुचला। सघर्ष शुरू हो गया जिसमे पण्डित लालनाथको उक्त चोट लगी। सौभाग्यसे किसी अन्य प्रदर्शनकारीको कोई खास चोट नही पहुची। लेकिन इस तथ्यसे अपराध और बडा हो जाता है कि जिन लोगोकी देखरेखमे स्वयसेवक थे, उन्हे स्पष्ट हिदायत थी कि वे इस बातका ध्यान रखे कि काले झण्डोके प्रदर्शनकारी जनताके हमलेसे पूरी तरह सुरक्षित रखे जाये। बचावमे यह कहना कि पण्डित लालनाथ और उनका दल नियत समयसे काफी पहले आ गया, कोई उचित जवाब नही है। मेरी रायमे प्रदर्शनकारियोकी सुरक्षाके लिए सभी स्थलोपर जिम्मेदार व्यक्ति तैनात किये जाने चाहिए थे और सभा-स्थलपर चारो ओर ऐसे नोटिस लगाये जाने चाहिए थे जिनमे जनताको किसी भी प्रकारसे किसी भी रूपमे छेडछाड न करनेकी चेतावनी दी गई होती।

यह सावधानी नही बरती गई और पण्डित लालनाथको दिया गया यह वचन कि वे तथा उनका दल जब प्रदर्शन करेगा, तो मारपीटसे बचा रहेगा, तोड दिया गया। यह वचन मैंने दिया था और इस तरहके पूर्ण विश्वाससे दिया गया था कि स्वयसेवकोका कप्तान ऐसा करनेको इच्छुक था और वचन पूरा करनेमे समर्थ था। मुझे इसमे कोई सन्देह नही कि वह उस वचनमे स्वेच्छापूर्वक भागीदार था। यह वचन

१ रमादेवीकी पुत्री।
२, ३ और ४ रोमन लिपिमें हैं।
५ यह "गांधीजीका आगामी उपवास", शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।
६ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाने इसी तारीखको कराचीसे यह वक्तव्य जारी किया था।

नही निभाया जा सका, यह बिलकुल साफ है। लेकिन इस विषयमे कोई सन्देह नही हो सकता कि अन्तिम जिम्मेदारी मेरी है। वास्तवमे किसी वचनकी जरूरत नही थी। शुद्ध धार्मिक आन्दोलन होनेका दावा करनेवाले आन्दोलनमे उससे सहानुभूति रखनेवाली जनतासे अहिसाकी अपेक्षा रखकर चला जाता है। मैंने वचनका जो उल्लेख किया है, वह अपराधको और बडा बनाकर व्यक्त करनेके लिए किया है और मेरे लिये सावजनिक प्रायश्चित्त करनेकी और ज्यादा जरूरत जतानेके लिए किया है। पण्डित लालनाथने मुझे बराबर आगाह किया था कि आन्दोलनके लिए मेरे आग्रहका परिणाम होगा, महानुभूति रखनेवाली जनताकी ओरमे व्यापक हिंसा। मै उनकी आशकासे सहमत नही हुआ और न अब हूँ, हालाँकि अब वे काले झण्डोके प्रदर्शन-कारियोके साथ हुई हिसाकी वारदातोके कुछ-एक मामले दिखा भी सकते है।

फिर भी मेरे लिए इस तथ्यपर जोर देना जरूरी है कि आन्दोलनमे, जो कि शुद्ध धार्मिक है, किसी भी तरहकी हिंमाकी गुजाइश नही है। उत्तेजनाओके बावजूद सुधारक यदि विरोधियोकी विवेक-बुद्धिको जाग्रत करे और उनका हृदय स्पर्श करे, तभी आन्दोलन सफल हो सकता है। यह काम मुधारकोकी सच्चाई और तपस्याके द्वारा ही सम्भव है। मैंने हृदयको काफी टटोलनेके बाद अपने लिए सात दिनके उपवासका फैसला किया है। उपवास ७ अगस्तकी दोपहरमे शुरू होगा, यानी मेरे वर्धा पहुँचनेके दो दिन बाद। आशा है कि मै आगामी ५ अगस्तको वर्धा पहुँच जाऊँगा। पण्डित लालनाथ तथा जिन सनातनियोका वे प्रतिनिधित्व करते है, उनके प्रति मेरी यह न्यूनतम देनदारी है। ईश्वरने चाहा तो हरिजन-कार्य-सम्बन्धी दौरा आगामी २ अगस्तको बनारसमे समाप्त हो जायेगा। शायद दौरेकी समाप्तिका सकेत एक प्रायश्चित्तरूप उपवाससे होना समुचित ही है। ईश्वर करे कि इससे मेरी तथा मेरे सहयोगियोकी कर्त्तव्यकी दृष्टिसे अनजाने कृत और अकृत सभी प्रकारकी त्रुटियाँ धुल जाये। उपवासके साथ ही आन्दोलन समाप्त नही हो जायेगा। इस उपवाससे पाँच लाख प्राणियोपर धमके पवित्र नामपर लादे गये दासत्वसे उद्धारके लिए चल रहे सघषमे एक नया और स्वच्छ अध्याय शुरू हो। यह उन लोगोके लिए जो आन्दोलनमे शरीक है या जो इसमे शामिल होंगे, इस बातकी चेतावनी हो कि उन्हे इसमे साफ दिलसे और मन-वचन-कर्ममे हिंसा तथा असत्यसे रहित रहकर भाग लेना चाहिए। मै आशा करता हूँ कि कोई भी मेरे साथ उपवास करनेका लोभ नही करेगा। इस बातमे अनुकरण करनेकी अपेक्षा, अधिकसे-अधिक त्याग करनेसे ही उद्देश्यको अधिक लाभ पहुँचेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १३-७-१९३४

१८२ तार : नटराजनको

१० जुलाई, १९३४

नटराजन
बान्द्रा (बम्बई)

तारके लिए धन्यवाद। वक्तव्य[1] पढो। प्रश्न इतना गम्भीर है कि अजमेर-सम्बन्धी कर्त्तव्यकी उपेक्षाको अनदेखा नही किया जा सकता।

गाधी

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१८३. तार घनश्यामदास बिड़लाको

१० जुलाई, १९३४

घनश्यामदास बिडला
नई दिल्ली

तुम्हारा और देवदासका तार[2] मिला। वक्तव्य पढो। मामलेको देखते हुए सात दिनसे कममे काम नही चलेगा। यहाँ मित्र सहमत है।

बापू

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ घनश्यामदास बिड़लाके तारके लिए, देखिए पृ० १५९।

१८४. तार मथुरादास त्रिकमजीको

करांची
१० जुलाई, १९३४

निर्णय लिया जा चुका है। अनिवार्य था। मेरा वक्तव्य[1] पढो।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० १४७

१८५. पत्र मीराबहनको

१० जुलाई, १९३४

चि० मीरा,

आगामी उपवासके ममको तुम समझोगी। इस घटनाके लिए प्रायश्चित्त करना इसलिए जरूरी है कि इससे साफ वचन-भग हुआ है।[2] सुरक्षाके वचनको भग करने-जैसी गम्भीर बात इस धरतीपर और कोई नही है। अगर मेरी क्षमता अधिक होती तो मैं और लम्बा उपवास करता। तुम बिलकुल परेशान न होना। तुम्हे बिना विचलित हुए अपने पूर्वनियोजित काय[3]को करते रहना चाहिए। अन्य मित्रोको भी इसे पढाना।

सभीको प्यार।

बापू

अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९०) से। जी० एन० ९७५६ से भी, सौजन्य मीराबहन।

१ देखिए पृ० १६४-६५।

२ देखिए भाषण "सार्वजनिक सभा, अजमेरमें", पृ० १४८ ५० और 'वक्तव्य उपवासके सम्बन्धमें", पृ० १६४ ६५।

३ देखिए पा० टि० २, पृ० ९४।

१८६. पत्र मथुरादास त्रिकमजीको

१० जुलाई, १९३४

राजाजी भुलाभाईके साथ एक ही मचपर खडे हो, इसमे मै तो कुछ अनुचित नही देखता। यह सब करते हुए भी, उचित यही है कि वे बोडमे न हो तथा असेम्बलीमे न जाये। जो कट्टर असहयोगी नही है, मै तो उन्हे भी असेम्बलीमे जानेसे रोकूगा। असेम्बलीमे जानेके इच्छुक तो बहुत अधिक होगे। वे सबके सब जाये ही, यह कोई शोभनीय नही होगा। और सब तो जा भी नही सकेगे।

राजाजी और राजेन्द्रबाबूके बारेमे यह मान लेना चाहिए, कि जब वे बोडमे अथवा असेम्बलीमे जाना उचित समझेगे, तब जायेगे। उन्हे इसकी आजादी है ही। इसके विपरीत मुझ-जैसे, जो बिलकुल अस्पष्ट रहना चाहते है, उन्हे भी वैसा करनेकी आजादी है। इसमे किमीकी किसी भी प्रकारकी निन्दा होगी ही नही। और होती हो तो हो। यह युग ऐसा है जिसमे डरको छोड देना चाहिए। यह युग सामने बैठकर एक-दूमरेको देखनेका नही है। मेरे बौद्धिक प्रयोग जबतक जिसे रुचे, तबतक वह उनके अनुसार आचरण करे। मेरे आध्यात्मिक प्रयोगोमे श्रद्धाकी आवश्यकता होती है, जबतक श्रद्धा हो उनका अनुसरण करे। जबरदस्ती अपने हृदयको या बुद्धिको मेरे पीछे घसीटना गलत है।

मेरे आगामी उपवासकी खबर तू अखबारमे पढेगा, इसलिए सब नही लिखता। उसकी आवश्यकता स्वयसिद्ध लगनी चाहिए।

तेरा तार मिला। मेरी तबीयत ठीक रहेगी। अगर मुझपर रोज कामका बहुत बोझ न पडा तो इसे पार कर जाऊँगा। जब भोजनका समय आ गया है, तो क्या कलेवा करने बैठूँ?[1] आस्था रख।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० १४८-४९

१ एक गुजराती कहावत जिसका अर्थ है "जब मैं लक्ष्यपर पहुँच गया हूँ, फिर पीछे क्यों लौटूँ?"

१८७ भेंट : हरिजन नेताओंको[1]

करांची,
१० जुलाई, १९३४

कुछ प्रमुख हरिजन १० तारीखको सुबह-सुबह गाधीजी से मिले। अपनी शिकायतो को उन्होने उनके सामने रखा और बहुत-से मामलोपर उनकी राय जाननी चाही। नगरपालिका और अन्य चुनावोके बारेमें गाधीजी ने कहा कि इन चुनावोमें हरिजनोको आपसमें कभी नहीं लडना चाहिए। जितनी जगहे हो, हरिजनोको आपसमें विचार-विमर्श करके उतने ही योग्य उम्मीदवारोका चयन करना चाहिए तथा उनको निर्विरोध चुनकर आना चाहिए। इन जगहोपर चुनावको सेवाके लिए प्राप्त शुभ अवसर न मानकर सुख-सुविधाजनक माना गया तो यह अहितकर होगा।

हरिजनोने नौकरियोमें कुछ निश्चित प्रतिशत जगहे सुरक्षित करनेकी माँग पेश की। गाधीजी ने कहा कि आप लोगोको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सरकारी नौकरियोकी सख्या भारत-भरमें मुश्किलसे कुछ लाख है। इनमें से कुछ प्रतिशत सुरक्षित करनेपर कितने हरिजनोको रखा जा सकता है? और फिर पाँच करोड हरिजनोका क्या होगा? अत उन्होने सुझाया कि वे कुछ प्रतिशतकी बात न करे और अपनी ओर ध्यान केन्द्रित करानेके लिए योग्यतापर भरोसा रखें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २७-७-१९३४

१८८ भाषण दयाराम जेठामल सिंध कॉलेज, करांचीमे[2]

१० जुलाई, १९३४

आपका और मेरा यह परिचय नया नही है। क्या सिधके और क्या हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तोके विद्यार्थियोके साथ तो मेरा परिचय सदैव अत्यन्त प्रगाढ रहा है। दक्षिण आफ्रिका से जब मैं अपने देश वापस आया, तबसे यह परिचय चला आ रहा है। अत मेरे मनमे यह विश्वास बैठ गया है, जो मेरे अनुभवोपर आधारित है, कि विद्यार्थियोके हृदयमे मेरे लिये कुछ-न-कुछ स्थान है। जब मुझसे कोई पूछता है कि "तुम्हारे कितने बेटा-बेटी है?" तब मैं कहता हूँ कि "असख्य है, और इनमे

१ यह "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत है।
२ यह "भाषण करांचीके विद्यार्थियोके समक्ष" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

निरन्तर वृद्धि होती जाती है, कमी नही होती। इनमे से कुछ मर जाते है, किन्तु मरनेवालोकी अपेक्षा और अविक नये जन्म ले लेते है। कोई धोखा दे जाता है, कोई भाग भी जाता है। किन्तु जो भाग जाते है, धोखा दे जाते है अथवा मर जाते है, उनका जोड लगाऊँ और जो नये जन्म लेते है, उनकी गिनती करूँ, तो नये जन्म लेनेवालोकी सख्या ज्यादा रहती है। ये बेटा-बेटी एक जन्म तो अपनी माताके उदरसे लेते है, और दूसरा जन्म, मुझपर विश्वास करके मेरे पास आकर अपने जीवनमे जो परिवर्तन शुरू करते है, उसके द्वारा लेते है।"

इसीलिए मै आपके निमन्त्रणकी उपेक्षा नही कर सका। आपको जानना चाहिए कि इस समय मेरी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति ऐसी है कि मुझे कोई भी निमन्त्रण स्वीकार नही करना चाहिए। इस शहरमे एक लडकी मृत्यु-शय्यापर पडी है। उसकी इच्छा थी कि मै उसके पास जाऊँ। उसकी दादी मुझे बुलानेके लिए आई। मुझे कहना पडा कि "तुम्हारी लडकीको देखने जाऊँ तो मेरे कितने बेटा-बेटी बीमार है, उन सबको देखने कैसे जा सकता हूँ? एकको देखने जाऊँ, तो दूसरेको कैसे ना कहूँ?" इस धमसकटका निराकरण मै अभीतक नही कर पाया। मैने अपने हृदयको कठोर करके सोचा कि मै जाकर कौन उसे बचा सकूँगा, इससे न जाऊँ यही अच्छा है। रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करनेकी मेरी आदत है, फिर भी मै इस कडवे निर्णयका घूट पी गया ओर अपने हृदयको कठोर बना लिया। उस लडकीको देखने जानेमे मुझे धमसकट लगा तो आपके यहाँ आनेमे भी मुझे धर्मसकट लग रहा था। आज जगह-जगह जाना मेरी शारीरिक और मानसिक शक्तिके बाहरकी बात हो गई है। सामान्यत पैसा मुझे लालचमे फँसा लेता है, किन्तु अब पैसेके लालचसे भी मै बहुत-कुछ मुक्त हो गया हूँ। पैसा मिले या न मिले, इस मामलेमे मै उदासीन हो गया हूँ। पैसा न मिले, तब भी मै यह काम तो करूँगा ही। क्योकि आखिर यह सारा कारबार मै नही भगवान चलाते है। करोडो सवर्ण हिन्दुओके हृदयमे परिवतन लानेकी शक्ति एक मनुष्यमे नही है। आत्मशुद्धि अथवा तपस्या करके यह शक्ति उस मनुष्यमे नही आ सकती। वह आत्मशुद्धि अथवा तपस्या करता है, तो वह भगवानके हाथमें निमित्तरूप हो जाता है। इससे अधिक वह कुछ नही कर सकता। इसका अनुभव मुझे प्रतिदिन ही नही प्रतिक्षण हो रहा है, और इससे मेरा हृदय अधिकाधिक नम्र बनता जा रहा है। मेरी भाषामे तथा मेरे कार्यमे नम्रता है या नही, यह तो ससार जाने। किन्तु मेरे हृदयमे नम्रता भरी है और वह बढती ही जाती है, क्योकि अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तिकी मर्यादा मै जानता हूँ, और देख रहा हूँ।

इस प्रस्तावनाके बाद मै छात्रो और छात्राओसे कहना चाहूँगा कि पहली बात जो सीखनेकी है, वह है नम्रता। जिसमें नम्रताका प्रवेश नही होता, वह विद्याका पूरा सदुपयोग नही कर सकता। भले ही फिर उसने डबल फस्ट अथवा पहला नम्बर लिया हो। परीक्षा पास करके ही जीवन-सरिता नही पार हो जाती। इससे अच्छी नौकरी मिल जायेगी, विवाह-सम्बन्ध अच्छी जगह हो जायेगा, यह सम्भव है। किन्तु यदि विद्याका सदुपयोग करना हो, विद्या-धनको सेवाके लिए ही खर्च करना

हो, तो नम्रताकी मात्रा दिन-प्रतिदिन बढनी चाहिए। और ऐसा बिना सेवाके नही हो सकता। बी० ए० ऑनर्स अथवा इजीनियरिंगकी डिग्री प्राप्त अनेक विद्यार्थियोको मै जानता हूँ। गाँवके लोग इनकी ओर देखते भी नही। वे कहते है कि हमे इससे क्या? क्या आप हमारे दु खमे हिस्सा बँटानेवाले है? कोई व्यक्ति गाँवमे गया हो और उसके पास बडी भारी परीक्षाका प्रमाणपत्र हो, तो इसीलिए उसने गाँववालो का अधिक प्रेम प्राप्त किया हो, ऐसा हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोमे कही किसीने नही देखा। मनुष्यको अपनी बौद्धिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्तिका उपयोग आजीविकाके लिए, शरीरके पोषणके लिए नही करना चाहिए। इसके लिए भगवानने हाथ-पाँव दिये है। इनसे साधारण काम करके रोटी कमाना चाहिए। विद्या क्या हजारो रुपये कमानेके लिए प्रा त की जाती है? प्राचीन युगकी बात देखे, तो वकील भी तब पैसा लिये बिना मुफ्त काम करते थे। यह आज भी इस बातसे स्पष्ट है कि बैरिस्टर अपनी फीसके लिए दावा नही कर सकता, क्योकि यह काम सेवाका काम माना जाता है। यही बात वैद्यके बारेमे भी है। विद्या-धन सेवाके लिए ही है, यह मै किस छात्रको, किस छात्राको बता सकता हूँ? और वह भी सिंधमें? यहाँ तो साहबोकी और पारसियोकी नकल करनेका प्रयत्न हो रहा है। मै पहली बार सिंधमे आया, तब यहाँकी लडकियोको देखकर सोचने लगा कि इतनी ज्यादा पारसी लडकियाँ यहाँ कहाँ से आ गई। बादमे मुझे मालूम हुआ कि ये तो आमिल वर्गकी लडकियाँ है। दक्षिण आफ्रिकामे मेरा सिंधियोसे परिचय हुआ था, किन्तु वे लोग स्त्रियोको साथ नही लाते थे, इसलिए सिंधी स्त्रियोसे परिचय नही हो सका था। सिंधमे आया, तभी मैने सिंधी स्त्रियोको देखा। 'भाईबन्ध' नाम मै जानता था, किन्तु 'आमिल' नामसे डर गया। मुझे लगा, ये लोग न जाने कैसे होगे। फिर आमिल लोगोको देखा, तो अग्रेजो-जैसे लगे। कोई यह समझ सकता है कि ऐसा कहनेमे अग्रेजकी निन्दा होती है। अग्रेज तो अग्रेज-जैसा होता है और उसको वह शोभा भी देता है। दूसरे उस-जैसे बनने जाये तो — जैसाकि ईसपकी नीतिकथाओमे पढा था — कौआ मोरकी चाल चलने गया तो उसकी जैसी दुर्गति हुई थी, वैसी ही दुर्गति उनकी होगी। कौआ अपने स्थानपर अच्छा ही है, किन्तु जब वह स्थान-भ्रष्ट होकर दूसरेकी नकल करेगा, तब भोडा लगेगा। इस प्रकार हम अपने हिन्दुस्तानकी रहन-सहनकी मर्यादामे रहे, तो कितना अच्छा हो। दादाभाईने नही, लॉर्ड कर्जनने कहा था, हिन्दुस्तानमे प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय ४० रुपया है। इस औसतमे करोडपतिका धन भी आ जाता है। इसमे से तीन करोडके पास तो कुछ भी नही है। वे भिक्षापर जीते है, और जो रोटीका टुकडा उन्हे मिल जाता है, वही खाते है। ऐसे गरीब देशमे हमे कैसा रहना चाहिए? हम अपनी औसत आयका हिसाब लगाकर देखें तो हमे मालूम होगा कि हमे अग्रेजोके समान नही रहना है। हमे समझना चाहिए कि हम खादी पहनकर ही भले लग सकते है। यहाँ यदि लडकियोको रेशमी साडी और लेस चाहिए तो उन्हे लडकोके मनसे चलना पडेगा। यहाँ तो लडका तभी किसी लडकीसे विवाह करना स्वीकार करता है, जब उसे हजारो रुपये मिले। और फिर वे उन रुपयोसे डिग्री लेने ऑक्सफोर्ड जाते है।

आपने हरिजन-सेवाके लिए पैसोकी थैलीके लिए मुझे यहाँ बुलाया। इसीमे आपकी प्रतिज्ञा आ गई कि आप हरिजन-सेवा करेगे। अगर ऐसा न हो अगर आप पैसा देकर ही मुक्त होना चाहते हो, तो आपका पैसा बेकार है। यह काम सिफ पैसेसे नही हो सकता। पैसेके साथ दिल भी होना चाहिए। अगर दिल तैयार न हो, तो अकेले पैसेसे काम नही चलता। आपने हरिजन-सेवाकी प्रतिज्ञा की है? प्रतिज्ञा अगर की है तो आपको क्या करना चाहिए, यह मै आपको बताऊँगा। आप नम्र बने, सादे बने और हरिजन बालकोके पास जाकर उन्हे अपनाये। उनके शरीरपर, नाकमे, मुँहपर मैल जमा रहता है और उनसे बास आती है। उनके पास तो हमे सादे कपडोमे ही जाना चाहिए। हिन्दुस्तानमे और वह भी हरिजनोके बीच काम करना हो तो नम्रतासे, बिना विद्याका घमड किये, सादगीसे जाये, तभी काम बनेगा। कराचीकी सात-आठ हरिजन-बस्तियाँ मैने देखी। उनमे मे दो-तीन जगहे अच्छी थी। उनके लिए मै कराचीके निवासियोको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन दो-तीन जगहे ऐसी है जहाँ आप रह नही सकते। वहाँके झोपडे गिरने गिरनेको हो रहे है। उनमे उजाला नही है, धूप नही है, सूयके दर्शन दुलभ है। निवासी बडा शारीरिक कष्ट भोग रहे है। इन लोगोने आकर मुझसे कहा कि हम लोगोके लिए रहनेका ठीक सुभीता करवा दीजिए। ऐसे लोगोमे आप लोग जाये तो बहुत काम कर सकते है। अपना अध्ययन छोडकर जाइये, ऐसा मै नही कहता। अध्ययनसे बचे हुए समयमे यह काम कीजिए। लाहौरके फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेजके प्रिंसिपल डॉ० दत्त मुझे लिखते है कि उनके कॉलेजके कितने ही लडके हर रोज हरिजनोकी सेवा करने जाते है। आगरा कॉलेजके विद्यार्थियोके कामका विवरण पढकर मै खुश हो गया। उस कॉलेजके प्रिंसिपल भी वह काम करते है और मुझे कामका ब्यौरा भेजते है। देहरादूनके कॉलेजके विद्यार्थी अपनी छुट्टीका समय इस काममे लगाते है। इन लडकोने मुझसे पूछा कि जूठनका प्रश्न एक बडी समस्या है, इसका क्या किया जाये? मैने उन्हे लिखा[1] कि भगियोको जूठन देना पाप है, यह प्रथा बन्द होनी ही चाहिए। उन्होने कहा जब हमने जूठन देना बन्द कर दिया, तब भगी कहने आये कि हमे तो जूठन चाहिए ही। हमारा काम सिर्फ पैसेसे नही चलेगा। ऐसी हालतमे भी हमे उनकी सेवा तो करनी ही है।

यह सेवा किस प्रकार हो सकती है? जिसका हृदय पवित्र हो और जिसमे श्रद्धा हो, वही यह काम कर सकता है। हरिजनोको उनकी आर्थिक स्थितिसे परिचित करा देनेसे ही यह काम नही होगा। डॉक्टर अम्बेडकर इतने होशियार और चतुर बैरिस्टर है कि बडे-बडोको लज्जित कर देते है। अपनी तीव्र बुद्धिसे वे दूसरोके हृदयको छू सकते है। उनमे त्यागवृत्ति भी जबर्दस्त है। वे अपने काममे व्यस्त है। सादगीसे रहते है। योग्यता ऐसी है कि चाहे तो हर महीने हजार दो हजार रुपया कमा सकते है। यूरोपमे रहना चाहे तो वहाँ भी रह सकते है। किन्तु वहाँ रहना उन्हे पसन्द नही है। वे तो हरिजनोके हितका ही विचार करते रहते है। ऐसे मनुष्यकी भी

१ देखिए खण्ड ५४, पृ० २८७-८९।

आज समाजमे क्या दशा है? उनका कहना है कि "मै धारासभामे उपस्थित होनेके लिए पूना जाता हूँ तो मुझे तो होटलमे ही रहना पडता है और भत्तेमे मिलनेवाले सब रुपये खर्च कर देने पडते है, जबकि मेरे दूसरे मित्र मित्रोके घर रहकर यह पैसा बचा सकते है। पूनामे एक भी हिन्दू-घर ऐसा नही है जो मुझे अपने साथी अथवा मित्रकी तरह अपनाये।" अब कहिए, यह किसके लिए शर्मकी बात है। जिसे यह सब सहन करना पडता हे, उसका हृदय-स्पर्श कैसे किया जा सकता है? दूसरी ओर रहा शकराचार्यके हृदयको स्पर्श करना। दो व्यक्ति दो छोरपर है। इनका मिलन कैसे कराया जा सकता है? इन दोके बीचमे हम लोग है। हम विद्यासे इनपर क्या प्रभाव डाल सकते है? डॉक्टर अम्बेडकर यदि कहे कि "तुम दगाबाज हो, मै तो मारपीट करके काम करूँगा", तो मै क्या करूँगा? मुझे सिर झुकाना पडेगा और कहना पडेगा कि "मेरी गर्दनपर आप अपनी तलवार चलाइए। मेरे पूर्वजोने जो अपराध किया है, उसका प्रायश्चित्त मुझे करना ही चाहिए।" दूसरी ओर, क्या मै शकराचार्यके सामने जाकर वेदपाठ करूँगा? वे कहेगे कि "तुम्हे वेदपाठ करनेका अधिकार नही है।" किन्तु वे यह थोडे ही कह सकते है कि तुम्हे त्यागका अधिकार नही है, नम्रताका पालन करनेका अधिकार नही है। अत हम दोनोको अपने त्याग और अपनी सहनशक्तिसे ही जीत सकते है।

आपने मुझसे स्वर्गीय विट्ठलभाईके चित्रका उद्घाटन कराया है। किन्तु इससे आपको क्या लाभ हुआ? प्रिंसिपल महोदयने कहा कि विट्ठलभाई हिन्दुस्तानके एक बहुत महान सेवक थे। इस बातमे कोई सन्देह नही है। उन्होने बम्बईके नगरनिगममे, धारासभामे तथा बडी धारासभामे जो काम किया, उससे कोई इनकार नही कर सकता। उनका साहस, उनकी शक्ति, उनका त्याग किसीसे कम नही था। बडी धारासभामे भी वे ऋषिवत् शोभा देते थे। सादगीमे उनसे कोई बढ नही सकता था। वे विद्वान थे, बडे बैरिस्टर थे। उन्होने घास खाई होती तो दस-बीस लाख रुपये जमा कर लिये होते। किन्तु उनके पास पैसा अधिक नही था। बडी धारासभाके अध्यक्ष होनेके नाते उन्हे जो वेतन मिलता था, उसका अधिकाश वे मुझे भेज देते थे। वह अब अच्छी खासी रकम हो गई है और उसका ब्याज आता है, जो इकट्ठा हो रहा है। उस पैसेका क्या उपयोग किया जाये, यह मै अभीतक तय नही कर पाया। ऐसे व्यक्तिके चित्रका उद्घाटन आप लोगोने कराया है। इतना करके ही आप यह नही कह सकते कि आपने विट्ठलभाईके प्रति अपना ऋण अदा कर दिया। विट्ठलभाई हरिजनोको अपनाते थे और उनसे मिलते-जुलते थे। गोधरामे पहली बार जब हरिजन-सभा हुई, तब वे हरिजन-बस्तीमे आये थे। मैने उन्हे एकाएक पहचाना नही, क्योकि वे सन्यासीके-से वेशमे थे। उनमें ऐसा घमड नही था कि मै तो बैरिस्टर हूँ, इसलिए हरिजन-बस्तीमे नही जाऊँगा।

मैने आप लोगोको हरिजन-सेवाकी शर्त बताई, और विद्या-धनके सदुपयोगका ढग बताया। और बताया कि आप लोगोको देन-लेनके [दहेजके] बुरे रिवाजसे बचना चाहिए। सिंधमें जबतक एक भी जवान इस बुरे रिवाजको स्वीकार करता

है, तबतक मैं कहूँगा कि सिवमे कितने ही प्रगतिशील युवक और युवतियाँ क्यो न हो जाये, सब बेकार हे। आखिर धूल धल ही हे।[1] दरिद्रनारायणकी सेवा करनी हो तो आपको खादी पहननी चाहिए। भगवान आप लोगोको सद्बुद्धि दे और आप हिन्दुस्तानके उत्तम सेवक बने।[2]

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २२-७-१९३४

१८९ पत्र वल्लभभाई पटेलको

करांची
११ जुलाई, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आजकल जिस दिन सोचता हूँ उसी दिन पत्र नही लिख पाता। यह पत्र शुरू किया था ५ ३० बजे सवेरेका नाश्ता करके। इतनेमे एक पारसी महिला अपनी १५ वर्षकी लडकीको लेकर आ गई। वह टेनिसमे सारे भारतमें पहले नम्बर आई है, परन्तु उसे वैराग्य हो गया हे। उसका सारा ध्यान धर्ममे है। इसलिए आग्रहपूर्वक मिलने आई। हरिजनोके लिए दस रुपये दिये और हस्ताक्षर लेकर गई है।

मेरे उपवासकी खबर सुनकर आप दुखी न हो। ऐसा करना अनिवाय हो गया है। लोगोकी भारी भीड जमा हो जाती है। सनातनी दगेपर उतारू है। लोग इसे सहन नही करते। इसलिए झगडा होता ही है। लोग कहनेसे चेतते ही नही। उपवाससे ही हजारो को सन्देश पहुँचाया जा सकता है। पहलेसे भी ज्यादा सख्यामे लोग इकट्ठा होते है। इसलिए उनसे निपटना बहुत कठिन हो जाना है। सात दिन आसानीसे निकल जायेगे। चिन्ता बिलकुल न करे। मेरा शरीर अच्छा ही है। इतने वोझके बावजूद खूनका दबाव १५० के आसपास रहता है। यह अच्छा ही माना जायेगा। वजन १०४ है। शेष दौरा निर्विघ्न समाप्त हो जाये नो समझो गगा नहाये। अगस्तका महीना उपवास और उपवास-निवारणमे वीत जायेगा। बादकी भगवान जाने।

आपके स्वास्थ्यके बारेमे पूरी जानकारी चाहिए। डाह्याभाईको लिख रहा हूँ।[3]

मणिके छूटनेकी खबर कल मिली। महादेव और प्यारेलाल लाहौरसे साथ हो लेगे। साथी बढेगे। काकासाहब हैदराबादसे साथ हुए है। इस समय ये तीनो साथ हो, यह ठीक है। नरहरि नही आयेगे। एक जगह जमकर बैठ सकू तो सबसे मिल सकता हूँ। ईश्वरको जो करना होगा सो करेगा।

१ एक गुजराती कहावत जिसका अर्थ है "कोई भी सुधार नहीं होगा।"

२ गाधीजी के भाषणके अन्तमें कालेजकी छात्राओंने सोनेकी चूडियाँ और अँगूठियाँ दी। उन्हें नीलाम किया गया, जिससे काफी बडी रकम प्राप्त हुई।

३ देखिए अगला शीर्षक।

बा की तबीयत अच्छी रहती है। उसे जैसी खुराक चाहिए, जुटा लेती है। ठक्करबापा तो काफी देखभाल रखनेवाले हैं न?

रामदासका कष्ट मानसिक है और मन स्थितिका असर शरीरपर पड़े बिना नही रहता। इस समय वह [1]की सलाहपर चल रहा है। शरीर काफी कृश हो गया है। सन्तान भी तीन है, यह चिन्ता भी उसे सताती है। होनी होकर रहेगी। देवदासकी लक्ष्मी ठीक-ठाक है।

[2] वगैराके साथ खूब बातें की। अभी कोई बात उनके गले नही उतर सकती। नई हवामे नशेका कोई पार नही। यह नशा उतरेगा तभी ठिकाने आयेगे। स्वामी वीरमगाँवसे अलग हो गये है। अब उपनगरमे रचनात्मक काय करनेमे जुटेगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुनापत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० ११०-११

१९०. पत्र : डाह्याभाई पटेलको

कराची
११ जुलाई, १९३४

चि० डाह्याभाई,

वल्लभभाईकी तबीयत[3]के ब्यौरेवार समाचार मुझे लौटती डाकसे भेजो।

मणिबहनसे कहना कि मुझे ब्यौरेवार पत्र लिखे। अपने स्वास्थ्यके[4] पूरे समाचार दे। महादेव तो खबर लायेगे ही।[5]

तुम्हारा काम ठीक चलता होगा।

बापूके आशीर्वाद

डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल
रामनिवास, पारेख स्ट्रीट, बम्बई ४

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ मणिबहन पटेलने, पृ० १६०

१ और २ साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिये गये है।
३ १४ ७ १९३४ को वल्लभभाई पटेलको नासिक जेलसे स्वास्थ्यके कारण छोड़ दिया गया था।
४ मणिबहन पटेल ८-७-१९३४ को बेलगाम जेलसे छूटी थी।
५ महादेव देसाई ९ ७-१९३४ को बेलगाम जेलसे छूटे थे।

१९१. पत्र क० मा० मुन्शीको

११ जुलाई, १९३४

भाईश्री मुन्शी,

आपका पत्र[1] मिला। आपका लेख[2] इस हलचलमे जितने ध्यानसे पढ सकता था, पढ गया। अन्तिम अनुच्छेद शान्तिको भग करता-जैसा लगा। इसलिए उसे निकालकर दो नये वाक्योसे लेखका उपसहार किया हे। [नये वाक्य है]

यह उद्देश्य ससदीय प्रयत्नोसे प्राप्त किया जा सकता हे या नही, यह देखना बाकी है। इसकी सफलता बहुत हदतक मतदाताओके निर्णयपर निभर होगी।[3]

यदि इतना रद्दोबदल आपको पसन्द आये तो करके लेखका उपयोग कीजिये।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५४६) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी। **पिलग्रिमेज टु फ्रीडम,** पृ० ३७६ से भी।

१ दिनाक ७ जुलाई, १९३४ का।

२ जिसका शीर्षक था 'हमारा उद्देश्य सविधान सभा'। लेखक अन्तिम दो अनुच्छेद इस प्रकार थे "सविधान सभाकी, इस प्रकार, आधुनिक राजनीतिक जीवनमें महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। काग्रेस इस तरहकी सभाके पक्षमें है, क्योंकि केवल यही भारतकी स्वत त्रताका प्रतीक और उसके लोगोके लिए शक्तिका स्रोत हो सकती है। इसके द्वारा भारतको एक जन-निर्वाचित राष्ट्रका गौरव प्राप्त करने, आत्मनिर्णयकी अपनी इच्छा पूरी करने, अपनी आत्माको खोजने और उसे मूल सिद्धान्तोमें अभिव्यक्त करनेकी आशा है।

"काग्रेसके सदस्य धारासभाका आगामी चुनाव सविधान सभाके प्रश्नपर लड़ेंगे। वे साइमन कमीशनसे, जो अपना शासन स्वय करनेकी हमारी योग्यताका निर्णायक बननेका ढकोसला करता है, कोई वास्ता नहीं रखेंगे। वे उन गोलमेज कान्फ्रेंसोसे भी कोई वास्ता नही रखेंगे, जहाँ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य देशभक्तों-जैसी भाषा बोलते हैं और चाटुकारोंके चरण चिह्नोपर चलते हैं। सविधान सभाके प्रश्नपर जनमतको शिक्षित करना उनका उद्देश्य होगा। और धारासभाम वे केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेका प्रयत्न करेंगे जिसके द्वारा आगे चलकर सविधान सभा एक प्रत्यक्ष तथ्य हो जाये। इस उद्देश्यतक पहुँचनेका मार्ग जरूरी नहीं कि खून-खच्चरका मार्ग ही हो। वह मार्ग बहुधा दृढ-सकल्प युक्त रक्तहीन सघर्षका होता है और दो राष्ट्रोकी, जो एक-दूसरेका सम्मान करना सीख गये हैं, पारस्परिक सन्धिमें समाप्त होता है।"

३ ये दो वाक्य **पिलग्रिमेज टु फ्रीडमसे** लिये गये हैं।

१९२. भेंट : सिंधके पत्रकारोंको[1]

करांची
११ जुलाई, १९३४

आरम्भमें ही श्री पुन्नियाने[2] कहा कि अपना नया उपवास शुरू करनेके आपने जो कारण दिये हैं वे कुछ जमते नहीं हैं और हमें यह समझ नहीं आता कि हरिजन-कार्यके लिए एक कष्टसाध्य दौरा पूरा करते ही आपको एक और अग्निपरीक्षा में से क्यों गुजरना चाहिए। गांधीजी ने इसके जवाबमें कहा

यह आन्दोलन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उपवास-जैसी किसी सख्त कार्रवाईके बिना परिस्थितिका सामना नहीं किया जा सकता। जन-मानसको आप भाषणों या लेखोंसे नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीजसे ही प्रभावित कर सकते हैं जिसे जन-साधारण खूब अच्छी तरह समझता हो। वह चीज है कष्ट, और उसकी सर्वाधिक मान्य पद्धति है उपवास। यहाँ और दक्षिण आफ्रिकामें मेरा अनुभव बार-बार यह रहा है कि यदि अच्छी तरह प्रयुक्त किया जाये तो उपवास सबसे अचूक इलाज है। मैंने अपना भाग्य जन-साधारणके साथ जोड दिया है, और मुझे सदा उनसे और उनके जरिए काम लेना है। वे केवल एक ही भाषा समझते हैं — हृदयकी भाषा और उपवास जब बिलकुल निःस्वार्थ होता है तो वह हृदयकी भाषा होती है।

गांधीजी को यह खबर दी गई कि उनके संकल्पित उपवाससे बम्बईके कांग्रेसी क्षेत्र बहुत ही चिन्तित हैं और कांग्रेसी मित्रोंकी यह राय है कि इससे उनके स्वास्थ्यपर जो दबाव पड़ेगा वह बहुत अधिक होगा। गांधीजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया

मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जहाँतक शरीरकी बात है, एक थका देनेवाली यात्राके बाद उपवाससे यात्रीको केवल लाभ ही होता है।

पर उसमें खतरा भी है।

बेशक, मैं खतरा मोल ले रहा हूँ। मैं यह उपवास शारीरिक लाभके लिए नहीं कर रहा हूँ। जहाँतक शरीरका सवाल है, उसके लिए कुछ खतरा है, क्योंकि मेरे शरीरको लंघन-चिकित्साकी जरूरत नहीं है। हर उपवासमें कुछ-न-कुछ खतरा तो होता ही है, अन्यथा उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। उसमें शारीरिक यन्त्रणा होनी ही चाहिए।

१. साधन-सूत्रके अनुसार यह **सिंध आब्जर्वर**से लिया गया था।
२. **सिंध आब्जर्वर**के सम्पादक और सिंध पत्रकार संघके अध्यक्ष।

यह फैसला अब बदला नही जा सकता। अजमेरकी सभामे मैंने यह घोषणा[१] की थी कि मै किसी तरहका प्रायश्चित्त करूँगा। वह घोषणा बहुत पहले कार्यान्वित होनी चाहिए थी। मैंने स्वय और मित्रोके साथ इसपर विचार किया और तब मै इस सुचिन्तित निष्कर्षपर पहुचा कि उपवास ही एक ऐसा प्रायश्चित्त है जो मुझे करना चाहिए। तब सवाल यह आया कि वह कबतक चले। मै तो इससे और लम्बा उपवास ही करता। पर मै बिना जरूरत विक्षोभ पैदा करना नही चाहता, इसीलिए मैंने अधिकतम अवधि नही रखी है। जो मित्र भौतिक रूपसे इस समय मेरे निकटमे है, वे इस उपवासकी आवश्यकताको समझ गये है।

क्या उनमें कस्तूरबा भी शामिल हैं?

हाँ, यह मेरा दुलभ सौभाग्य रहा है कि इस तरहके सभी मामलोमे उसने मुझे कभी परेशान नही किया। कभी मुझसे बहस नही की और स्वय व्यथित होते हुए भी मुझे अपने रास्ते जाने दिया। इसीलिए, यद्यपि वह मेरी धमपत्नी है, पर मुझे यह कहनेमे कोई सकोच नही होता कि इस दृष्टिसे वह मेरे सम्पर्कमे आई सबसे बहादुर औरतोमे से है।

श्री पुन्नियाने तब सिधको अलग करने के सवालपर, जिसे लेकर इस प्रान्तके लोग बहुत ही उत्तेजित है, गाधीजी से उनके विचार पूछे।

गाधीजी ने एक अर्थपूर्ण हँसीके साथ और अपने सिरको थोडा हिलाते हुए कहा

अब आप मुझे मेरी सीमासे बाहर खीचनेकी कोशिश कर रहे है। इस सवालका जवाब ३ अगस्तसे पहले नही दिया जायेगा।

पर आप राजनैतिक विचार-विमशमें भाग लेते रहे हैं।

हाँ, लेकिन वह सावजनिक उपयोगके लिए नही था। मुझे खुशी है कि अब इस बातका जिक्र आया है, और इस तरह मुझे इस बातपर खेद प्रकट करनेका मौका मिला है कि काग्रेसकी खालिकदीन हॉलमे हुई सभामे जिन युवा पत्रकारोको उपस्थित होनेकी अनुमति दे दी गई थी, उन्होने विश्वासघात किया है। मैंने उनसे यह कह दिया था कि [मीटिंगकी] कारवाईकी कोई रिपोर्ट नही देनी है। अनधिकृत वक्तव्योकी रिपोट देना, मेरे खयालमे, विश्वासघात ही है और मै ऐसा महसूस करता हूँ कि जिन्होने अपना वचन तोडा है, उन्होने पत्रकारिताके मूल शिष्टाचारका उल्लघन किया है, जो बहुत ही अनुचित है। पत्रकारिताके बारेमे मेरी काफी ऊँची धारणा है।

हरिजन-आन्दोलनने क्या समाजको राष्ट्रीय राजनीतिसे भटका नहीं दिया है?

नही, लेशमात्र भी नही। कुछ लोगोने जन-मानसको सच्ची राजनीतिसे भटकानेके लिए इस आन्दोलनको एक आड बनाया है। जैसाकि सभीको मालूम है, मेरा विश्वास सत्यको अलग-अलग खण्डोमें विभाजित करनेमे नही है। राजनीति, धर्म, सामाजिक सुधार, आर्थिक उन्नति — ये सब एक ही इकाईके अग हैं।

१ देखिए पृ० १४८ ५०।

जिन आलोचकोका यह विचार है कि कौंसिल-प्रवेश दुर्बलताके प्रति एक रियायत है और गाधीजी की इस तरहके कार्यक्रममें कोई हार्दिक आस्था नहीं है, उन्हे उत्तर देते हुए महात्माजी ने कहा

मुझमे इस तरहकी कोई अहमन्यता नही है। यह दुर्बलताके प्रति रियायत नही है। यह ठोस तथ्योके प्रति रियायत है। यह अलग बात है कि स्वराज्यकी दृष्टिसे कौसिल-कार्यक्रममे मेरी अपनी कोई आस्था नही है। कौसिल-प्रवेशमे जिनकी आस्था है, उन्हे मेरा कोई कार्य यदि अपनी आस्थानुसार काम करनेमे रोकता है, तो यह मेरे लिए दु खकी बात है। इसलिए जिन काग्रेसियोकी कौसिल प्रवेश-कार्यक्रममे आस्था है, उनकी अपनी नीतिके अनुसरणमे सहायता करना मेरे लिए खुशीकी बात है।

बातचीत फिर साम्प्रदायिक समझौतेकी ओर मुड गई। यह पूछनेपर कि काग्रेस कार्यकारिणी समितिकी बनारसकी बैठकमें आपका रुख क्या रहेगा, गाधीजी ने कहा

पडित मालवीय, बापूजी अणे और कुछ अन्य लोग कार्यकारिणी समितिके प्रस्ताव पर खिन्न है। जहातक मेरा सवाल है, मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई नही दी है जिससे मै अपना दृष्टिकोण बदलू। कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावको मै सही मानता हूँ और अपने इस विश्वासपर दृढ रहते हुए, मै पण्डितजी और अन्य मित्रोका बहुमूल्य सहयोग अपने साथ रखनेके लिए किसी भी दूरीतक जा सकूगा। कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावपर मै जितना सोचता हूँ, उतना ही मेरा यह विचार पक्का होता जाता है कि काग्रेसके लिए केवल यही एक रुख सही और सम्भव है।

श्री पुन्नियाने कहा कि उपवासका यह बम देशपर उस समय पडा है जब उसे पहले ही से यह डर है कि यदि पण्डित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खाँ और सरदार वल्लभभाई पटेलको रिहा नहीं किया गया, तो ३ अगस्तके बाद आप फिर जेल जा सकते हैं। जनता आपसे यह आश्वासन चाहती है कि आप फिर जेल नहीं जायेंगे, क्योकि बहुत-सारे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्योंपर ध्यान देनेकी जरूरत है।

मै पूरी ईमानदारीसे यह कहता हूँ कि यह चीज मेरे हाथमे बिलकुल नही है। इससे मेरा मतलब यह नही है कि यह चीज सरकारके हाथमे है, यद्यपि कुछ हदतक ऐसा कहना सच होगा। परन्तु, इस समय मै जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि यह चीज निश्चित रूपसे ईश्वरके हाथमे है। उपवास और उसके समाप्त होने पर पुन स्वास्थ्य-लाभके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसकी अभी मेरे मनमे कोई निश्चित धारणा नही है। मै जब आपसे यह कहता हूँ कि मै अपनी अन्तरात्माकी आवाजसे ही निर्देशित होऊँगा तो आपको मेरी बातपर पूरी तरह यकीन करना चाहिए।

एक पत्रकारके प्रश्नके उत्तरमें उन्होने कहा

सिंधके दौरेसे मुझे बडी खुशी हुई है। पर यदि मै ज्यादा धन इकट्ठा कर पाता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती।[1]

१ इससे आगेका अश **ट्रिब्यून**, १३ ७ १९३४ से लिया गया है, जिसमें बताया गया था कि भेंट-स्थलपर ही तीस रुपये एकत्र किये गये और गाधीजी को दे दिये गये।

आपको जो थोडा-बहुत मिलता है, मै उससे आपको वचित करना नही चाहता हूँ। इसलिए आप कमसे-कम मुझे अपनी पेंसिलें ही दे दीजिए।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १३-७-१९३४ और १५-७-१९३४

१९३ भाषण: पारसियोकी सभा, कराचीमे[1]

११ जुलाई, १९३४

आपके यहा आता हूँ तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नही कि मै मेहमान हूँ। पारसियोमे जाता हू तो मुझे यही लगता है कि अपने कुटुम्बियोमे जा रहा हूँ। पारसियोके साथ मेरा यह निकट-सम्बन्ध बहुत समयसे चला आ रहा है। यह सम्बन्ध मैंने ही स्थापित किया हो, ऐसा नही है। अपने बडे-बूढोसे यह मुझे विरासतमे मिला है। कई पारसी मेरे पूज्य पिताके अन्तरग मित्र थे। आपमे मैंने रुपया लिया है, किन्तु वह तो आप सारे ससारको देते हैं। ससारमे प्रथम श्रेणीके दानियो के रूपमे आपकी ख्याति है। यह प्रमाण-पत्र आपको किसी पारसीने नही, एक अग्रेजी-लेखकने दिया है। आप सदा इस प्रमाण-पत्रकी साथकता सिद्ध करते आये है। किन्तु मुझे तो आपने पैसेसे कुछ अधिक दिया है, मैंने आपका प्रेम पाया है। पारसियोके हृदयमे मेरे लिए हमेशा स्थान है, यह मैंने मान लिया है। झूठ-मूठ भी मुझे पारसी सभा अथवा परिवारमे बुलाया जाये, तब भी मैं जाऊँगा। आपसे सार्वजनिक सेवा जब भी लेना चाहूँगा, ले सकूँगा, ऐसा मुझे विश्वास रहा है। इसलिए इस बार भी मेरे लिए आपके निमन्त्रण की उपेक्षा कर सकना सम्भव नही था। भाई सिधवा[2] ने आपको बताया कि मेरी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति ऐसी नही है कि सभा-समाजो मे जाऊँ। मुझे कही जाना अच्छा नही लगता। घरमे बैठकर काम करना अच्छा लगता है। पैदल चलनेका मौका आये, तो गाँवोमे घूम-घमकर हरिजन-सेवाकी बाते तथा सन्देश फैलाते हुए मुझे सन्तोष होता है। किन्तु आपके निमन्त्रणकी अवहेलना मैं नही कर सका।

इतना कहकर अब मैं आपसे जो काम कराना चाहता हूँ, उसपर आऊँ। इसका थोडा-बहुत परिचय अध्यक्ष महोदयने आपको दिया है। यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे है, उनमे से दो ही को चुनकर उन्होने उनका विवेचन किया। उन्होने बताया कि मै आपसे खादी और मद्यनिषेध, ये दो ही काम चाहता हू। ये दोनो बाते आपके समझ लेने योग्य है। आपको दानमे पैसा देनेकी आदत पडी है, तो वह तो आप देंगे ही। किन्तु जिस बातकी आदत पड जाती है, वह फिर गुण नही मानी जाती।

१ यह सभा "जहाँगीर राजकोटवाला गार्डेन्स"में हुई थी और यह भाषण "कराचीके पारसियोंसे" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२ आर० के० सिधवा, पारसी राजकीय मडलके सचिव। उन्होंने मडलके कार्योंका ब्यौरा दिया।

कोई मनुष्य रोज सच बोले, तो उसकी यह बात उसका गुण नही होती, स्वभाव होता है। पैसा देना, यह तो आपका स्वभाव हो गया है। इससे अधिक कुछ करे, तो विशेष माना जाये। इसलिए पिछली बार जब मै आपके पास आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि यदि सच्चा दान करना हो तो आपको अपने शौक बदलने चाहिए। समूचे ससारमे आपकी जनसख्या कुल एक लाख है। सभी हिन्दुस्तानमे हैं, और उनमें से भी अधिकाश बम्बई और गुजरातमे हैं। करोडो रुपयोका व्यापार करने-वाले आप लोग स्वभावत शहरोमे बसे हुए हैं। बम्बई और कराची मे आपका प्रभाव अधिक देखनेमे आता है। किन्तु गाँवोमे? वहाँ आपकी छाप नही दिखाई देती, न दिखना स्वाभाविक है। सात लाख गाँवोमे पारसी जाये तो खो जाये, क्योकि अनुपात प्रति सात गाँव एक पारसी पडेगा। फिर, स्त्री-पुरुष और बालक मिलकर आपकी जनसख्या एक लाखकी है। अत आप लोग गाँव-गाँव नही जा सकते, किन्तु गाँवमे अपना प्रभाव तो फैला सकते हैं।

गाँवके लोग जो खादी तैयार करते है, वह हिन्दुओ और मुसलमानोके लिए ही नही, पारसियोके लिए भी तैयार करते हैं। अत आप खादीका प्रयोग करके गावके साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकते है, उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते है। आपको मालम है कि उत्कलमे भाई-बहन चार-पाच मील चलकर एक पैसेका चावल लेने अथवा काम पानेके लिए आते हैं। आप जरा सोचकर देखे कि उनकी क्या स्थिति होगी। आज उत्कलसे मेरे पास एक पत्र आया है, जिसमे लिखा है कि खादी का काम तो यहाँ बहुत हो सकता हे, किन्तु काम करनेवाले कहाँ से लाये जाये। और वह खादी लेगा कौन? मेरे पास तो यह धोती है, उत्कलके उन लोगोके पास तो धोती भी नही है। वे जो पहनते है, उसे तो धोती भी नही कहा जा सकता, वह तो चिंदी होती है। वे लोग स्नान भी क्वचित् ही कर सकते हैं। स्नान करके बदलनेके लिए कपडा चाहिए न? उन्होने तो जो एक लगोटी पहन ली सो पहन ली। लाखो लोग ऐसी हालतमे है। उन्हे मै एक पैसेका काम दे सकूँ, तो उन्हे कुछ तो मिले। उत्कलमे मुझसे दस हजार बुनकरोके प्रतिनिधियोने भेट की थी। उन्होने मुझसे कहा कि हम लोग कपडा बुनते है, पर उसे कोई लेता नही। ये बुनकर मिल का सूत बुनते थे। मुझे उनसे कहना पडा कि आप हाथके सूतकी खादी बुने, तो मै तुम्हारा ग्राहक हो जाऊँगा। दूसरी बात मैंने उनसे यह कही कि आपको स्वयम् ही कातना होगा। जहाँ ऐसी दीन स्थिति तथा भुखमरी है कि लोग एक पैसेकी मजदूरी अथवा दान लेने निकल पडते है, वहाँ आप क्या दान देगे? नकद पैसेसे उनकी भूख नही मिटेगी, साथ ही वे अपाहिज हो जायेगे। जिसके हाथ-पाँव चलते है, उसे दानमे पैसा देना उचित नही हो सकता। उसे तो काम ही दिया जाना चाहिए। अत उनसे कहा गया कि काम करो और दाम लो, और उससे सस्ते भावके चावल ले जाओ। यह चावल हम उन्हे कुछ घाटा उठाकर देते है। हम इतना कर सकते है और इतना किया गया हे। अनेक लोगोने भिक्षा नही ली, काम ही लिया। ऐसा शुद्ध दान मै आपसे माँगता हूँ। आपने पैसे तो दिये और देगे भी,

किन्तु इससे मेरा पेट नही भरेगा। मेरा पेट तो तभी भरेगा जब आप दरिद्रनारायण का पेट भरेगे। वे आपके पास भिक्षा माँगने नही आयेगे, उन्हे तो आप काम दीजिए।

करोडो आदमियोको क्या काम दिया जा सकना है? उनके लिए तो कोई घरेलू उद्योग चाहिए और यह उद्योग चरखेका ही है। करोडो आदमी जो खादी पैदा करे, वह आप ले, तो काम बन सकता है। यहाँके खादीभण्डारमे जाकर देखे तो वहाँ आपको जैसी चाहिए वैसी रगीन और महीन खादी मिल सकेगी। कोई पारसी बहन ऐसा नही कह सकती कि जैसी हमे चाहिए और शोभा दे, वैसी खादी नही मिलती। आप शायद भूल गये हो, अथवा न जानते हो तो मै आपको बता दू कि बम्बईमे ७५ पारसी बहने खादीपर कशीदेका काम करके अपना गुजारा करती है। दादाभाईकी नातिने इन बहनोसे यह काम कराती है। मीठूबहन पेटिट भी ऐसा ही काम कराती है। वे तो गाँवोमे भी पहुँच गई है। बम्बईमे यह काम करनेवाली पारसी बहने इस काममे एक, दो, तीन रुपयेतक कमा लेती है।

वे खादीपर डिजाइन छापना आदि काम करती है और उसे ऐसा बना देती है कि शौकीन-से-शौकीन स्त्रियोको भी पसन्द आ जाये। आप इनकी मदद कर सकती है। खादीके बारेमे बोलते हुए भाई सिधवाने बताया कि आप बहने विदेशी कपडा नही लेती, देशी मिल्का लेती है। इससे तो आप करोडपतियोका घर भरती है। मै आपके पास करोडपतियोके लिए भिक्षा माँगने नही आया। मै तो आपके पास दरिद्रनारायणका प्रतिनिधि बनकर आपसे दान माँगने आया हूँ और वह दान भी पैसेका नही। आप इन गरीबोकी कारीगरीकी कद्र करे और इनकी बुनी हुई खादी पहनकर शोभित हो।

दूसरी बात भाई सिधवाने शराबकी बताई। आपके मडलका विवरण मेरे हाथमे आया तो मैने देखा कि आप लोगोमे शराब ८० फी सदी बन्द हो गई है। तब तो मेरा मन नाच उठा। लेकिन अब सुनता हूँ ८० फी सदी का अर्थ यह है कि विवाह और नवजोत[1]के अवसरोपर शराब बन्द हो गई है। मैने आशा की थी कि घरमे भी बन्द हो गई होगी। घरमे न बन्द हुई हो तो मुझे यह सन्तोष नही होगा कि जितना हुआ उतना ठीक है। शराबका दोष घरमे से निकल जाये, तभी कहा जायेगा कि काम पूरा हुआ। अनेक पारसी मुझसे कहते है कि ताडीमे नुकसान नही होता, फायदा होता है। कुछ ऐसा भी कहते है कि व्हिस्कीमे अधिक अलकोहल होती है, जबकि बियरमे कम होती है, और ताजी हो, तब तो और भी कम। इस तरह बियर पीनेवाले भी अपने मनको धोखेमे रखते है। व्हिस्की और बियर, दोनोके पीनेवालोको मैने नशेमे धुत देखा है। ताडी न पीनेवाले रोगी हो जाते है और ताडी पीनेवालोको डॉक्टरके यहाँ नही जाना पडता, ऐसा थोडे ही है। ताडी पीनेवाले अनेक पारसी मित्रोके यहाँ मैने दवाकी शीशियोका ढेर देखा है। अत मै पारसियोसे प्राथना करता हूँ, और जबतक जिन्दा रहूँगा करता रहूँगा, कि आप लोग

१ पारसियोंका धार्मिक संस्कार जिसमें लड़के या लड़कीको जनेऊ दिया जाता है।

इस बुराईको छोड दीजिए। यदि सामान्य पारसी शराब छोड दें तो जो पारसी भाई शराबके धन्धेसे जीविका प्राप्त करते है, वे भी समझ जायेगे। आप लोगोमे साहस है। जब आप यह समझ जायेगे कि यह धन्धा करने योग्य नही है तो दूसरा धन्धा करेगे। पारसी कौममे अन्वेषणकी शक्ति, साहस अथवा पुरुषार्थ नही है, यह मेरा मन स्वीकार नही करता। दूसरे जहाँ रास्ता नही निकाल सकते, वहाँ आप निकाल सकते है।

आपने हरिजन-सेवाके लिए ३५२ रुपये मुझे दिये है। एक तरह से इस कामके लिए आपसे पैसा माँगनेका मुझे अधिकार नही है। सभी बातोमे मै आपसे पैसा माँगता हूँ। किन्तु इस कामके लिए, जो केवल हिन्दुओका है, आपसे पैसा लेता हूँ, तो इसका अर्थ दूसरा है। इस कार्यक्रमका सीधा अर्थ है पाँच करोड मनुष्योकी अस्पृश्यता मिटाना। हिन्दू-धममे यह सडाँध इतनी फैल गई है कि औरोको भी इसकी छूत लग गई है और अस्पृश्यता व्यापक हो गई है। कई समझदार पारसी मेरे पास आते है और मुझसे कहते है कि ऊँच-नीचके भेद तो चले ही आ रहे है, अत यह काम आप मत कीजिए। तब मै उनसे कहता हूँ, "आप ऐसे वेदान्ती कबसे बन गये? आपने हिन्दू-शास्त्र कब पढ लिये?। कुछ शास्त्र पढे होगे। पारसी भी [हिन्दू] ज्योतिषीके पास जाते है। सम्भव है, उन पडितोने उन्हे कुछ बताया हो। उसीसे इन भाइयोने मान लिया कि ऊँच-नीचके भेद तो अनादि कालसे चले आ रहे है। अस्पृश्यता जरथुश्त पैगम्बरकी कही हुई बात थोडे ही है। ऊँच-नीचकी भावना एक आसुरी चीज है, यह ईश्वरीय वस्तु हो ही नही सकती। हिन्दू-धर्ममे धमके नाम पर यह ढोग चलता आ रहा है और यह सब धर्मोंमे प्रवेश कर गया है। इन्ही धर्मोमे हिन्दुस्तानके बाहर इसकी गन्ध भी नही होती। किन्तु यहाँ आते ही यह उनमे प्रवेश कर जाता है। ऐसा यह एक अन्धा कुँआ है। अस्पृश्यता मिटानेका दूसरा और व्यापक अर्थ है, ससारमे भ्रातृभाव फैलाना और सब धर्मोका एकीकरण करना। यह नही कि धर्मोका बहुवचन मिटाकर एकवचन कर दिया जाये। जैसे मनुष्योके नाम अलग, चेहरे अलग, वैसे ही धर्म भी अलग-अलग है। किंतु जैसे नाम और रूप अलग होते हुए भी मनुष्य मनुष्यके रूपमे एक ही है, जैसे पेडके पत्ते अलग-अलग होते हुए भी पत्तेके रूपमे एक ही है, उसी प्रकार धर्म भी अलग-अलग होते हुए भी एक है। सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। मैने इस कायक्रमके बडे भव्य परिणामकी कल्पना की है। अन्यथा इस कामके लिए अपना जीवन अर्पित करनेको मै तैयार न होता। मै ऐसा मूख या पागल नही हूँ कि व्यर्थके कामके लिए जीवन अर्पित करनेको तैयार हो जाऊँ, ६५ वर्षकी उम्रमे गाँव-गाँव घूमूँ, और दो-दो पैसे एक-एक पैसेकी भीख माँगूँ। यह जो काम मैने उठाया है, इसमे पाँच करोड लोगोकी मुक्तिके लिए सवर्ण हिन्दुओके हृदयोको, जो पत्थर-जैसे कठोर हो गये है, पिघलाना है। जो ये पिघले, तो अस्पृश्यता, जिसकी जडे गहरी पैठी हुई है और जिसका प्रभाव व्यापक हो गया है, मिट जाये। ऐसे व्यापक कामके लिए आपसे पैसा लेते हुए मुझे सकोच नही होता, न शर्म आती है।

अस्पृश्यता-निवारणका आपके लिए क्या अथ है, यह मैने आपको बताया। आपके दिये हुए पैसे तो मै ले ही जा रहा हूँ। किन्तु साथ ही पारसी भाई-बहनोके हृदय भी ले जाना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद भी चाहता हू कि भगवान इस काममे जल्दी ही सफलता प्रदान करे।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २२-७-१९३४

१९४ पत्र : मीराबहनको

१२ जुलाई, १९३४

चि० मीरा,

पत्र चलती गाडीमे लिख रहा हूँ।

आशा है, उनके महाजनके नामका अधिकार-पत्र तुम्हे मिल गया होगा। वह कितनी राशिका था, यह मुझे नही मालूम। यथासमय अपनी जरूरत मुझे बताती रहना।

कमसे-कम अगस्त-भर तो मै खाली हूँ ही। आगेके बारेमे अभी कुछ साफ नही है और इसके लिए मै परेशान भी नही हूँ। आगे क्या करना है, ईश्वर सुझायेगा ही। २५ अगस्तको एन्ड्रयूज आनेवाले है।

अपना स्वास्थ्य ठीक रखना। तुम्हारे इग्लैडके दौरेका अगर कोई प्रत्यक्ष परिणाम सामने नही आया, तो यह न समझना कि मै चिन्ता करूँगा। तुम जो अनुभव प्राप्त करोगी, मेरे लिए वही परिणाम काफी है। अत काम न सधे तो अपनेसे अथवा आसपासके लोगोसे खिन्न मत होना।

मै बिलकुल ठीक हूँ। थकान है, लेकिन और कोई खास बात नही है।

सस्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६१९१) मे, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५७ से भी।

१९५ भेंट 'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिको[1]

१२ जुलाई, १९३४

महात्माजी बहुत थक गये थे। वे पहले भेंट देते हुए हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दौरा करनेसे थक-सा गया हूँ और इस वजहसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन पजाबके लोगोको सन्देश देनेके लिए जब आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा

मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ बोलना न पडे, क्योकि लाहौरमे मुझे काफी तकलीफ हुई। सभी स्टेशनोपर भयानक शोरगुलसे मेरा स्वागत हुआ। उससे मेरी धमनियाँ झनझना रही है और वे यह बोझ उठानेके काबिल नही रही है। फिर मैं जिस आवश्यक भाईचारेके सन्देशका प्रचार करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ, यह शोरगुल उसके उपयुक्त नही है। मैं उस सन्देशके उपयुक्त वातावरणका प्यासा हूँ।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, १४-७-१९३४

१९६. तार: रवीन्द्रनाथ ठाकुरको

[१३ जुलाई, १९३४ से पूव][2]

आपका तार मिला। बडी कृपा की। कलकत्ता जाना निहायत जरूरी है। मित्रगण घरेलू झगडेको निपटानेके लिए उत्सुक है। सभी तारीखोमे व्यस्त हूँ। क्षमाप्रार्थी हूँ।

गाधी

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १४-७-१९३४

१ विशेष सवाददातासे गाधीजी की मुलाकात गाडीमें हुई थी, वह समस्तासे लाहौरतक उनके साथ आया था।

२ रवीन्द्रनाथ ठाकुरको मिलनेपर तार अखबारमें "शान्ति निकेतन, १३ जुलाई, १९३४" तिथि पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

१९७ पत्र उत्तमचन्द शाहको

१३ जुलाई, १९३४

चि० उत्तमचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम या अन्य साथी कुछ भी करे, उसकी आलोचना करने को मेरा मन इस समय नही होता। ये सब जिस प्रकार बिखर गये है, शायद इसी प्रकार इन्हे सचमुच एकत्र होना है, होगे। जो ईमानदारीसे एक कौडी भी कमायेगा, वह अवश्य ही इस प्रकार सेवा करेगा। तुम तो निश्चिन्त होकर वहाँ रहो, और अपना स्वास्थ्य सुधारो। समय आये, तब आ जाना। मेरे उपवासकी चिन्ता क्यो करते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९४४२) से।

१९८ भेंट प्रान्तके कांग्रेसी नेताओको

लाहौर
१३ जुलाई, १९३४

प्रान्तके कांग्रेसी नेता गाधीजी से मिले। इन नेताओमें अम्बालाके लाला दुनीचन्द, रायजादा हसराज और लाला श्यामलाल भी शामिल थे। अनेक सवालोके साथ पुनर्गठनकी नई योजनामें अवाछनीय तत्त्वोको कांग्रेससे अलग कर देनेके सवालपर भी बातचीत हुई। गाधीजी ने ऐसे तत्त्वोकी मौजूदगीको स्वीकार तो किया, लेकिन कांग्रेसके वतमान सविधानके अधीन इन अवाछनीय तत्त्वोको कांग्रेसके सदस्य बननेसे कैसे रोका जाये, यह उनकी समझमें नहीं आया। उनकी समझमें एक ही रास्ता ऐसा है जिससे इन तत्त्वोपर नियन्त्रण रखा जा सकता है और वह है कांग्रेसके अन्दर अच्छे तत्त्वोको शक्तिशाली बनाना।

इसी बीच गाधीजी ने बताया कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूके अनुरोधपर एक ऐसा नियम बनाया गया था जिससे कांग्रेस-अनुशासनके विरुद्ध काम करनेपर पदाधिकारीको कांग्रेससे हटाया जा सके।

इसके बाद कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओ और नेताओंके बीच सहयोगकी कमीके बारेमें बातचीत हुई। गाधीजी ने कहा कि यह कमी तभी दूर हो सकती है जब कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओका आचरण बहुत ऊँचा हो और उनमें सेवाकी नेक भावनाका विकास हो।

इसके बाद गाधीजी से पूछा गया कि काग्रेसके लिए शक्ति, प्रभाव और प्रतिष्ठा किस तरह अर्जित की जा सकती है, जिससे वह देशमें प्रतिक्रियावादी और विरोधी ताकतोसे टक्कर ले सके। यह सुझाव दिया गया था कि अगर देश उच्च कोटिके लोगोको सविधान-सभामें भजता है तो काग्रेसको विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और इसका प्रभाव बढेगा। गाधीजी ने इसे माना, लेकिन उन्होने इस बातपर ज्यादा जोर दिया कि परिषदमें काग्रेसको अपनी सेवा और कार्यके बल बूतेपर प्रभाव और प्रतिष्ठा अर्जित करनी चाहिए।

इसके बाद हर प्रान्तके लिए भारी सख्यामें वैतनिक कायकर्त्ता नियुक्त करनेके बारेमे सवाल पूछा गया। गाधीजी इस प्रस्तावसे सहमत थे कि काग्रेसके कार्यको चलानेके लिए हर प्रान्तमे भारी सख्यामें वैतनिक कायकर्त्ता रखे जाने चाहिए। कहा गया कि कुछ हदतक काग्रेसके अखिल भारतीय और प्रान्तीय सगठनोमें पहलेसे ही वैतनिक लोग मौजूद है, वैसे इनकी सख्या थोडी ही है। गाधीजी से निवेदन किया गया कि वैतनिक कायकर्त्ताओके बारेमें जनतामें जो गलतफहमी है, वे उसे दूर करे। गाधीजी ने कहा कि यद्यपि वे इस विषयपर पहले लिख चुके है, तो भी पुन लिखेंगे।

साम्प्रदायिक निर्णयका सवाल भी उठा। यह सुझाया गया कि अगर साम्प्रदायिक निणय एक निष्पादित तथ्य बन गया और इसपर आधारित विधेयकने सवैधानिक कानूनका रूप ले लिया, तो भविष्यकी किसी भी राष्ट्रीय सरकारके लिए, तबतक इसके जो दुष्परिणाम हो चुकेंगे, उन्हे मिटाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। गाधीजी ने कहा कि साम्प्रदायिक निणयको कार्यान्वित करनेपर जो बुराइयाँ होगी, उनका उन्हे एहसास है। पर जबतक सभी सम्बन्धित दल एक मान्य योजनापर सहमत नहीं होते, इस समस्याका समाधान उनकी समझसे परे है।

[अग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, १८-७-१९३४

१९९ भेंट . हरिजन-शिष्टमण्डलको

लाहौर
१३ जुलाई, १९३४

हरिजन-शिष्टमण्डल आज दोपहर बाद महात्माजी से मिला। शिष्टमण्डलको उन्होने बताया कि वे मजदूरोके लिए दिल्लीमें एक गृह-निर्माणकी योजनाको पुख्ता करनेमें लगे है।

सुझाव दिया गया था कि हरिजन सघको चाहिए कि वह पजाब भूमि स्वामित्व हस्तान्तरण-अधिनियमको समाप्त करनेके लिए आन्दोलन करे। इस सुझावके सन्दर्भमें गाधीजी ने कहा कि चूंकि हरिजन सघ अराजनैतिक समाज-सुधार सस्था है,

इसलिए वह इस तरहका कोई काम नहीं कर सकता और इस तरहके राजनैतिक मामलोमें वह सरकारसे नहीं झगडेगा।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १४-७-१९३४

२०० भाषण विद्यार्थियोकी सभा, लाहौरमें[1]

१३ जुलाई, १९३४

आपने मुझे जो मानपत्र ओर थैली दी, उसके लिए मै आप मभीका आभारी हूँ। जिस बातका मुझे डर था, वही हुआ। यह सभा केवल विद्यार्थियोके लिए बुलाई गई थी, परन्तु आम जनता भी इसमे आई है। यह उचित नही है। कल भी जब मैने बहुत भीड-भाड देखी तो मुझे डर हो गया था कि मेरी कार रास्तेमे ही खराब हो जायेगी। जिस कामके लिए पन्द्रह मिनट ही काफी थे उसीपर आपने मेरा सवा घटा बरबाद किया। इसलिए आगेसे जिनके लिए सभा बुलाई जाये, केवल वे ही लोग उसमे आये। हरिजन-सेवा धार्मिक कार्य हे, अत केवल तपस्या द्वारा ही इसे पूरा किया जा सकता है। यह कार्य केवल शान्त वातावरणमे ही किया जा सकता है। शायद पजाबमे मेरा यह आखिरी दौरा है, क्योकि मै यहाँ फिर नही आ सकूँगा। अत अपनी इस यात्रामे मै आपको जितना प्रभावित कर सकूँ, करना चाहूँगा। मै उन सभी विद्यार्थियोको धन्यवाद देना हूँ जिन्होने हरिजन-मेवाके कायमे रुचि दिखाई है।[2]

आप लोगोने दोनो मानपत्रोमे नम्रतापूवक जो अपनी त्रुटियाँ स्वीकार की है, इसके लिए मै आपको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भी अपने अज्ञानका भान होना चाहिए और उसे नम्रतापूवक स्वीकार करना चाहिए। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी मर्यादाको, उसकी शर्तोंको आप समझे। इस कायक्रममे यहाँके कॉलेजके पर्याप्त विद्यार्थी भाग लेते है, इसके लिए मै उन्हे धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे और अधिक भाग लेगे। जैसाकि मैने कराचीके विद्यार्थियोसे कहा था,[3] यह काम त्यागसे, तपस्यासे, तथा कष्ट भोगकर ही हो सकता है, और उसे भी मुख्यत शहरोमे नही, गाँवोमे करना है। आपने कहा कि आप हरिजनोको अपनाना चाहते है, तथा हरिजनोके प्रति भेदभाव नही रखते। यदि यह सच है तो आप हरिजनोके प्रति अपने धर्मका पालन करे। इतना ही काफी नही है कि स्कूल और कॉलेजमे आप हरिजन लडकोके साथ समानताका व्यवहार करे। आपका कर्तव्य तो यह है कि आप गाँवोमे हरिजनोके पास जाये, उन्हे अपनाये और उनके साथ स्नेहका सम्बन्ध जोडे। वहा जायेगे तो आपको मालूम होगा कि

१ यह भाषण 'सेवार्थं विद्या' शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२ यह अनुच्छेद **हरिजन-सेवक,** २०-७-१९३४ से लिया गया है।

३ देखिए पृ० १६९-७४।

उन लोगोको शौचाचारके नियमोका ज्ञान कम है। उनमे से कितने ही शराब पीते है, मुर्दार-माँस खाते है। उनके पास जाकर उन्हे समझाना होगा। यह कैसे हो सकता है? साहब बनकर जानेसे नही होगा। इसके लिए तो सादगीसे, नम्रता धारण करके जाना होगा। इस काममे कॉलेजमे मिलनेवाली शिक्षाका उपयोग बहुत कम है। उनके पास तो आप शिष्टता, धार्मिकता, सत्यशीलता तथा ब्रह्मचर्यकी सुगन्ध लेकर जायेगे, तो उनपर अधिक प्रभाव डाल सकेगे। उनपर हुक्म चलाने अथवा अपना बडप्पन दिखानेसे काम नही बनेगा। उनके सेवक, उनके खिदमतगार बनकर और मैने जो शर्तें बताई है, उनके पालनसे ही काम बन सकेगा। इसके लिए आप अपने अध्ययनसे बचा हुआ समय दे, तब भी कोई हर्ज नही।

अस्पृश्यताका अन्त नही हुआ, तो एक दिन हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जातिका नाम-भर शेष रह जायेगा। यह अधर्म, यह कलक, यह जहर इतना जबदस्त है और इतने समयसे चला आ रहा है कि हम इसका जहरीला असर देख भी नही पाते, और यह हम खाये जा रहा है। मेरे-जैसा मनुष्य बिना चश्मेकी आखोसे देखता है कि हिन्दू-धर्मका नाश अब हुआ, तब हुआ। यह जहर हरिजनोतक ही सीमित नही है। छ करोड लोगोपर तो इसका प्रभाव पडा ही है, सवर्ण हिन्दुओमे भी यह फैल गया है। यह दूसरी जातियोमे — मुसलमान, ईसाई आदि जो हमारे सम्पर्कमे आते है — उनमे भी फैल जाता है। ऊँच-नीचका यह भाव मिटाना हमारे लिए बडी और आवश्यक बात है।

यदि हम यह काम करना चाहे तो इसके लिए दो शर्तें है। आपने मुझे बताया कि आप आरामसे रहते है, दिन-रात इम्तिहानकी फिक्र करते है, किन्तु इस सबसे जो मिलता है, उससे आपको सन्तोष नही है और आप इस स्थितिको सुधारना चाहते है। मै आपसे यह नही कहता कि आप यह सब स्वीकार करते है तो स्कूल और कॉलेज खाली कर दीजिए। स्कूल अथवा कॉलेजमे रहकर भी, जो शिक्षा वहाँ नही मिलती, सो लीजिए और वहाँकी शिक्षाको अधिक पूर्ण बनाइए। आज इनमे रहकर विद्यार्थीका मस्तिष्क तेजस्वी नही रहता, और वह अनुकरण ही कर पाता है। इसके विपरीत, उसमे मौलिक चिन्तन करनेकी शक्ति आनी चाहिए। हम ससारमे पैदा हुए है तो सुख-भोगके लिए नही, वरन् त्यागके लिए, सयमके लिए। शिक्षाका उद्देश्य भी यही है कि हम ईश्वरको पहचाने, आदर्शकी दिशामे आगे बढे और ईश्वरके निकट जाये। ईश्वरका कठोर नियम है कि जिसे ईश्वरके निकट जाना हो, उसे ससारका त्याग करके ससारमे रहना चाहिए? ऐसा ईशोपनिषद्का पहला मन्त्र सिखाता है। यह बात कठिन है, किन्तु सरल भी है। जीवन सेवाके लिए है, यह मान ले तो यह बात सरल हो जाती है। हम जो विद्या प्राप्त कर रहे है, वह भोगके लिए अथवा कमाईके लिए नही है, वह मुक्तिके लिए है। अन्धकारसे, भोगसे, स्वेच्छाचारसे बचनेके लिए विद्याकी आवश्यकता मानी गई है। यह हम समझ ले तो जो ज्ञान हमे प्राप्त होता है, उसका सदुपयोग हो। इतना समझेगे तो आप इम्तिहानकी फिक्र नही करेगे। पास हो गये तो ठीक। न हुए, तो निराश नही होगे।

आपने अपने मानपत्रमे कहा हे कि आप ऐश-आराममे पडे है। आपने खादीका त्याग किया हे, यह भी इसमे आ जाता हे। पजाबमे, जहाँ खादी सरलतासे उत्पन्न होती है, आपने खादीका त्याग किया है। इसका अर्थ यह है कि आपने दरिद्र-नारायणका त्याग किया है, ग्रामोका त्याग किया ह, ग्रामवासियोका त्याग किया है। खादी गॉववाले तैयार करते है। जो करोडो बेकारीमे पडे है ओर जिन्हे दूसरे कोई उद्यम नही मिलते, उन्हे इसमे से दो पैसा मिल जाता है। ऐसी खादीका त्याग करके आप लोगोने मेरी दृष्टिमे बडा अपराध किया है। गॉवके लोगोके पैसेसे आप लोग पढते है। आपकी शिक्षापर जो खर्च होता हे, वह आपमेसे कोई विद्यार्थी नही देता। जितनी फीस आप देते है उससे बहुत अधिक आपकी शिक्षापर खच होता है, और वह पैसा गाँवोसे आता है। गॉववालोके पैसेसे आप विद्या प्राप्त करते है। इसके बदलेमे आप उन्हे क्या देते है? कुछ नही। तो कम-से-कम इतना तो आप कीजिए ही कि कपडे खादीके ही पहनिए। इतनी तो दरिद्रनारायणकी सेवा कीजिए। खादीको छोडकर कोई और कपडा पहनना और उसे स्वदेशी कहना, यह पाखण्ड है। उसे स्वदेशी कहकर आप अपने-आपको तथा ससारको धोखा देते है। इस धोखाधडीसे बचिए।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २९-७-१९३४

२०१ तार: वल्लभभाई पटेलको[1]

बम्बई
[१४ जुलाई, १९३४]

डॉक्टरसे जाँच करा लो और इलाज करानेके बाद कानपुर या बनारसमे मुझसे मिलो।

[अग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-७ १९३४

१ वल्लभभाई पटेलको स्वास्थ्यके आधार पर नासिक जेलसे १४ जुलाई, १९३४ को रिहा किया गया था।

२०२. तार : घनश्यामदास बिडलाको[1]

लाहौर
१४ जुलाई, १९३४

डॉक्टरोकी सलाहपर चल रहा हूँ।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९६४) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिडला

२०३. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

१४ जुलाई, १९३४

चि० अमला,

इसका मुझे दु:ख है कि साबरमतीमे तुम्हे अब शान्ति नही मिल रही है। क्या तुम बता सकती हो कि तुम क्या करना चाहती हो? अपमानकी जिन्दगी जीना सबके लिए कष्टकर है।[2] इसलिए मै चाहूँगा कि तुम अपनी इच्छाके अनुकूल अपने जीवनका निर्माण करो। मुझे तो यही उम्मीद थी कि साबरमतीमे तुम खुश रहोगी। तुम इस बातको जान लो कि जबतक कुछ लम्बे अर्सेतक के लिए मै एक स्थानपर नही ठहरता, तुम्हारा मेरे साथ रहना नही हो सकता। और वर्धामे तो तुम किसी भी हालतमे खुश नही रहोगी। तुम इस बातको भी निश्चय मानो कि तुम्हे मैं अपनेसे दूर नही रखना चाहता। मै तो, जहाँतक मुझसे बन पडता है, तुम्हे खुश रखना चाहता हूँ।

मेरे उपवासको लेकर घबराना नही। यह बिलकुल ठीक रहेगा। तुम इसको और इसके मर्मको आसानीसे नही समझ सकती। धीरे-धीरे समझमे आ जायेगा।

सस्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल कागजात, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।

१. घनश्यामदास बिडलाके तारके उत्तरमें, जो उसी दिन मिला था और इस तरह था : "अत्यन्त विनीत भावसे निवेदन करता हूँ कि डॉक्टरोंके सुझावके खिलाफ अपने स्वास्थ्यसे खिलवाड न करें।"

२. देखिए अगला शीर्षक।

२०४ पत्र . परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

१४ जुलाई, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

बुधाभाई [और] जुठाभाई क्या किसी काममे बहुत व्यस्त हो गये हैं? अमला बहनकी जो अडचने[1] हो, बने तो उन्हे दूर करना। वह तग करती हो, तो मुझे बताना। उस छोकरीको आश्रमसे अलग कर दिया होगा। रमाबहन अभी तो है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०२४) से।

२०५ पत्र . रमाबहन जोशीको

१४ जुलाई, १९३४

चि० रमा,

अभी मैं किसी बहनको वहाँ[2] रहनेके लिए राजी नही कर सका। यो मेरा प्रयत्न जारी है। कोई न आये, तबतक कर्त्तव्य समझकर वही जमी रहना। महादेव आज यहाँ पहुँचेगा, उसके आनेके बाद और भी खबर मिलेगी।

तुम्हे चाहिए कि पत्र लिखती रहो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३६५) से।

१ देखिए पिछला शीर्षक।
२ वर्धा कन्या आश्रममें।

२०६ पत्र : वसुमती पण्डितको

१४ जुलाई, १९३४

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। तेरे यहाँ आनेकी जरूरत तो मैं नही देखता। फिर भी, तुझसे न रहा जाये, तो चली आना। हरिजन आश्रममे रहनेका मन न हो, तब भी मुझे लगता है वहाँका अनुभव होना अच्छा रहेगा। किन्तु इसके लिए मेरा कोई आग्रह नही है। आग्रह तो यही है कि जो मनको पसन्द हो, वह करना चाहिए, और एक बार पसन्द कर लेनेके बाद फिर उसमे जुटे रहना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९४०३) से। सी० डब्ल्यू० ६४९ से भी, सौजन्य वसुमती पण्डित।

२०७. पत्र घनश्यामदास बिडलाको

१४ जुलाई, १९३४

भाई घनश्यामदास,

खत मिला है। रामनारायणके बारेमे जो कुछ किया है उसमे रोष बिलकुल नहिं है। इस बारेमे उपवास बिलकुल आवश्यक है ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। न करना केवल दौर्बल्यकी निशानी होगी। उपवासके सिवा जनताको बतानेका और कोई रास्ता है ही नहिं। लोगोमे कितनी हिंसा भरी है उसका मैं तो प्रतिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव पा रहा हूँ।

तार मिला है। उत्तर दिया है।[1] मैं बडी सावधानीसे चल रहा हू। दाक्तरोको पूर्ण विश्वास है कि मुझको किसी प्रकारकी व्याधि नहि है। न वे मुझको रोकना चाहते है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

डॉ० बिधानके इस्तीफा स्वीकार भले किया जाय। सतीश बाबुको लिखे। यदि कलकत्ता आनेमे असुविधा है तो नहिं आना। स्टेशनपर तो मिलेगे ही।

सी० डब्ल्यू० ७९६५ से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला।

१ देखिए पृ० १९१।

२०८ भाषण छात्राओकी सभा, लाहौरमें

१४ जुलाई, १९३४

आपने हरिजन-सेवाके लिए मुझे जो थैलियाँ दी है उनके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। मुझे एक बहनने सूतका एक हार[1] भी दिया है। इस हारको देखकर मुझे दु ख हुआ है। जिस बहनने यह हार बनाया हे, उसे सूत-शास्त्र का जैसे कुछ भी ज्ञान नही हे। यह सूत किसी काममे नही लाया जा सकना। जो सूत काता जाये उसकी तुरन्त ही अटी बना लेनी चाहिए। जैसी दयनीय दशा इस सूतकी है, ठीक वैसी ही हमारी भी है। उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार है। आत्मा ही आत्माका बन्धु है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है। यह बात लडकियो, स्त्रियो और पुरुषोपर समान रूपसे लागू होती है। मैने अपने दौरोमे लाखो लडकियोका परिचय पाया है। उन सबके विचारसे मै पुरुष नही, बल्कि स्त्री ही हूँ। जब मैं दक्षिण आफ्रिकामे था, तभी समझ गया था कि मैं स्त्री जातिकी सेवा न करूँगा, तो मेरा सारा काम अधूरा ही रह जायेगा। और शायद यही कारण है कि जब मै किसी महिला-समाजमे जाता हूँ, तो वहाँकी महिलाएँ समझती है कि उनके बीच जैसे कोई उनका मित्र आ गया है। मै अपनेको हजारो लडकियोका पिता मानता हूँ। लडकियोके माता-पिता बननेका प्रयत्न मेरा सदा-से ही रहा है। इसी नाते आपसे मै यहाँ एक बात कहूँगा। पजाबी लडकियोमे टीमटामका फैशन बहुत बढ रहा है। विलासिता यहाँ बहुत देखनेमे आती है। यद्यपि यह बात सबपर लागू नही होती, तो भी बहुतोपर तो लागू होती ही है। हमारी सभ्यता भी इस विलासको बढानेमे सहायक रही है। हमारा देश इस सत्यानाशी फैशनसे दिन-दिन कगाल होता जा रहा है। यदि हम सभी भोग-विलासमे पड गये तो हमारा नाश हो जायेगा। इतिहाससे पता चलता है कि भोगमे डूबी हुई जातियाँ नष्ट हो जाती है। भोगमे डूबकर उबरना कठिन ही है। इससे मेरी विनय है कि आप फैशनको त्याग दे, भोग-विलासमे न पडे। दुर्भाग्यसे हमारे स्कूल-कालेजोमे पढाये जानेवाले साहित्यकी भी प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही हो रही है। पर यह अच्छी बात है कि यह साहित्य करोडोतक नही पहुँच सकता, चन्द हजार लोगोतक ही इसकी पहुँच है। जिस तरह पानीकी सहज गति नीचेकी ओर ही होती है, उसी तरह भोग-विलासको अपनानेवाले भी अधोगतिको ही प्राप्त होते है। हमे पता नही चलता और यह भोग हमे भीतर-ही-भीतर खोखला कर डालता है। आप इस आत्मघाती विलाससे बचना चाहे तो अभी समय है, शीघ्र बच जाये, आपसे मेरी यही प्रार्थना है।

१ यह सूतकी कुकडियोमें धागा पिरोकर बनाया गया था।

अब हरिजन-सेवाके विषयमे। मैने विद्यार्थियोसे भी कहा था[1] और आपसे भी वही बात कहता हूँ कि अध्ययनसे बचा हुआ समय आप हरिजन-सेवामे ही लगाये। इससे बहुत कुछ काम बन सकता है। अस्पृश्यता-निवारणके कायमे आप बहुत कुछ सहायता दे सकती है। खद्दरको तो आप अवश्य अपनाये। साथ ही सूत-शास्त्रका भी भली-भाँति अभ्यास कर ले। आजसे दस बरस पहले जब मै पजाब आया था, तो यहाँ मैने अच्छे चरखे देखे थे। पर आज तो वे चरखे अच्छी हालतमे नही है। उडीसा प्रान्त पजाबसे बहुत दरिद्र है सही, पर वहाँकी सस्कृति यहासे बढकर है। आप उडीसा-जैसे निर्धन प्रान्तकी सेवा करना चाहे, तो चरखा चलाये। इस प्रकार आपका खाली समय भी कट जायेगा और विलास-पाशसे भी आप मुक्त हो जायेगी। जो समय बचे, उसमे अवश्य आप हरिजनोकी सेवा करे और चरखा चलाये। आपके शरीरपर तो सदा खादी ही रहनी चाहिए।[2]

अन्तमें महात्माजीने कहा कि जिनके शरीरपर आभूषण हैं वे उन्हे हरिजन-कार्यके लिए दे डाले। मैं यह जानता हूँ कि पजाबकी लडकियाँ आभूषणोकी ज्यादा शौकीन नहीं हैं। आभूषण मैं भारतके दूसरे हिस्सोसे भी ले सकता हूँ। लेकिन जो अपने आभूषण देना चाहती हो वे उन्हे मेरे पास भेज दें और जो रुपये-पैसे दे सकती हो उन्हे हरिजन-थैलीके लिए रुपये-पैसे भी देने चाहिए।

हरिजनसेवक, २७-७-१९३४

२०९. भाषण महिलाओकी सभा, लाहौरमे

१४ जुलाई, १९३४

अपने भाषणमें महात्माजी ने महिलाओसे प्राप्त अभिनन्दन-पत्रो और थैलियो[3] के लिए उन्हे धन्यवाद दिया। महिलाओसे उन्होने कहा कि आप लोग अस्पृश्यताके अभिशापको मिटा दें, वरना हिन्दू-धर्म मिट जायेगा। उन्होने कहा कि भारतकी महिलाओने इस देशके धर्मकी सदैव रक्षा की है और वह हर कुरबानीके लिए तैयार रही है।

इसके बाद महात्माजी ने महिलाओको अस्पृश्यताका अर्थ समझाया। उन्होने कहा कि महिलाएँ अभीतक ऊँच-नीचकी भावनाको अपने अन्दर पोषण दे रही हैं। इस भावनाका अन्त होना ही चाहिए। इस भावनाका अन्त जबतक नहीं होगा अस्पृश्यता नहीं मिट सकती। धर्मका अर्थ तुलसीदासने हमें दो शब्दोमें समझाया है और वह

१ देखिए पृ० १८८-९०।

२ इसके बादका अंश *ट्रिब्यून*, १६-७-१९३४ से लिया गया है।

३ राष्ट्रीय स्त्री समाजकी सदस्याओं तथा लाहौरके अन्य महिला-सगठनो द्वारा प्रदत्त।

इस तरह है 'दया धमको मूल है, पाप मूल अभिमान' अर्थात दया सभी धर्मोंका मूल है और अभिमान हमारे मनमें ऊँच-नीचकी भावनाको जगाता है। जब अभिमान चला गया और उसकी जगह दयाने ले ली तब हम निरभिमान और सच्चे धार्मिक बन गये।

अन्तमें महात्माजी ने महिलाओसे कहा कि वे अपने आभूषण उन्हे सौंप दें और 'हरिजनोके कल्याणार्थ उन्हे चन्दा दें। महिलाओसे उन्होने यह भी कहा कि वे सादगीसे रहने और दरिद्रनारायणकी सेवा करनेकी आदत डाले, क्योकि इसीमें उनका हित है।

एक बार फिर महात्माजी ने महिलाओको धन्यवाद दिया और लगातार हो रहे शोरगुलके बीच अपना भाषण समाप्त किया।

[अग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, १६-७-१९३४

२१० पत्र : डॉ० विधान चन्द्र रायको

१५ जुलाई, १९३४

प्रिय डॉ० विधान,

तुम्हारा पत्र मिला।

गवनर[1] से मिलनेके लिए मै अपने-आपको तैयार रखूँगा। 'स्टेट्समैन' के सम्पादकसे भी मिलना चाहूँगा। अत मैं तुमसे कहूँगा कि उनके लिए भी कुछ समय सुरक्षित रखना।

मै समझता हूँ, एक आम सभा पुरुषोके लिए और एक स्त्रियोके लिए जरूरी होगी। और फिर एक और कक्ष[2] का शिलान्यास या उद्घाटन भी तो है?

मेरे साथ कोई गडबडी नही है, लेकिन मुझे अतिशय मानसिक और शारीरिक थकानका भान रहता है। जब भी मौका मिले, मुझे सोनेमे मजा आता है। लेकिन मै चिन्तित नही हूँ। तुम इस कायाका एक-एक कल-पुर्जा दुरुस्त कर देना, और मुझसे जो चाहो या जिनकी जरूरत हो वे सब काम लेना।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

डॉ० विधान चन्द्र राय
कलकत्ता

अग्रेजीसेकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ बंगालके आतकवादके बारेमें चर्चाके निमित्त।
२ चित्तरजन सेवा सदन, कलकत्ताका शिशु-कक्ष।

२११ पत्र : विद्या रा० पटेलको

१५ जुलाई, १९३४

चि० विद्या,

तेरा पत्र मिला। तू बेकार घबराती है। तेरे पत्र चाहे जो पढ़े, इससे क्या? तुझे ऐसा कुछ थोड़े-ही लिखना है, जिसके लिए तुझे शर्मिन्दा होना पड़े। अपने पत्र बड़े-बूढ़े, अभिभावक अथवा शिक्षक पढ़े, तो प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, यह देखना चाहिए कि चुपचाप चोरीसे बिना बताये कोई न पढ़े। तूने मना किया है, इसलिए अब मेरे पत्र भाईको नहीं भेजूंगा, लेकिन तुझे यह मनाहीका हुक्म वापिस ले लेना चाहिए।

अब तो कुछ दिन बाद भेंट होगी। तू वहाँसे अब मत जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५८७) से, सौजन्य रवीन्द्र रा० पटेल।

२१२ भेंट : अकाली और खालसा दरबार शिष्टमण्डलको[1]

लाहौर,
१५ जुलाई, १९३४

गांधीजी ने शिष्टमण्डलसे मास्टर तारा सिंहके सिख-राजनीतिसे अवकाश लेनेका कारण पूछा। सरदार मंगलसिंह ने सारांशमें हकीकत बयान की।

इसके बाद शिष्टमंडलके लोगोंने साम्प्रदायिक समझौतेके मामलेमें कांग्रेसकी ढुलमुल नीतिको अपने लिए अमान्य कहते हुए अपनी मनोभावना व्यक्त की और कहा कि सिखोंने इसके सामने न झुकनेकी प्रतिज्ञा ले रखी है। इसलिए, हर मामले में कांग्रेसका साथ देते हुए भी, वे संविधान सभामें व साम्प्रदायिक समझौतेके विरुद्ध अथवा यों कहें कि सिखोंके अधिकारकी रक्षाके लिए संघर्ष करते रहनेकी बातपर दृढ़ हैं। महात्माजी को उन्होंने सूचित किया कि विधानसभाके आनेवाले चुनावमें खालसा दरबारने अपना उम्मीदवार खुद खड़ा करनेका फैसला किया है।

१ साधन सूत्रमें बताया गया है कि "शिष्टमण्डलमें ५० के लगभग सिख प्रतिनिधि थे जो सिखोंके सभी प्रगतिशील वर्गोंका प्रतिनिधित्व कर रहे थे"। विशेष निमन्त्रणपर शार्दूलसिंह वीर भी आये थे। ये लोग गांधीजी से सुबह ९-४५ पर मिले थे।

बडे ध्यानसे गाधीजी ने सिखोकी बात सुनी। उत्तरमें काग्रेसकी स्थितिको समझाते हुए उन्होने कहा कि श्वेतपत्रको ठुकरानेका अर्थ है साम्प्रदायिक समझौतेको ठुकराना और उसे समाप्त करना। उन्होने कहा कि ऐसा कोई सविधान काग्रेस स्वीकार नहीं करेगी जिससे सिख सन्तुष्ट न हो। इसी तरह वह मुसलमानोकी इच्छाका अनादर भी नही कर सकती और न वह उस चीजको ही स्वीकार कर सकती है जिसे हिन्दुओ और सिखोने अस्वीकार कर दिया हो। इसलिए अगर सिखोमें से किसीको काग्रेसका उम्मीदवार नही बनाया गया तो जो काग्रेसी मतदाता है, उसकी आत्मा मत देनेमें सकोच करेगी और वह मतदानमें भाग नहीं लेगा। लेकिन इसकी जगह अगर कोई निर्विवाद उम्मीदवार किसी प्रतिक्रियावादीका मुकाबला करता है तो वह उस घोर प्रतिक्रियावादीको हरानेके लिए स्वतन्त्र रूपसे अपने मतका प्रयोग करेगा।

शिष्टमण्डलके लोगोने अब गाधीजी का ध्यान ऐसे आदेशोको जारी करने की जरूरतकी ओर खींचा जिनसे अस्पृश्यता-विरोधी कार्यकर्त्ता अपनेको हरिजन-कल्याण-कार्यतक ही सीमित रखें और इसे धर्म-परिवर्तनके प्रचारका रूप न दें। उन्होने कहा कि इसकी जरूरत इसलिए पडी क्योकि पजाबमें तथाकथित अस्पृश्य ऐसे है जो सिख-धर्मके अनुयायी हैं।

गाधीजी ने कहा कि सिखोके खिलाफ मुझे बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें कहा गया है कि वे हिन्दु-हरिजनोको हिन्दू-धर्म छोडकर सिख-धर्म अपनानेके लिए कह रहे है। अगर यह सच है तो निःसन्देह निन्दनीय है। जहाँतक मेरी बात है, मै धर्म-परिवर्तनके प्रचारमें विश्वास नहीं रखता और इसे हरिजन-सेवक सघकी योजनाके अन्तर्गत भी नहीं मानता।

[अग्रेजीमे]
ट्रिब्यून, १८-७-१९३४

२१३. भेंट : पंजाबके हिन्दू और सिख शिष्टमण्डलको[1]

१५ जुलाई, १९३४

खबर है कि महात्मा गाधीने इस बातको मान लिया है कि साम्प्रदायिक निर्णयमें हिन्दुओ और सिखोके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वे उस व्यावहारिक योजनाकी तलाशमें है जिससे साम्प्रदायिक निर्णय समाप्त किया जा सके या उसमें सुधार लाया जा सके। काग्रेसकी वर्तमान नीति इन हालातमें कुछ अपरिहार्य-सी हो गई है। सभी सम्प्रदायो द्वारा मान्य किसी भी समझौतेको स्वीकार करनेके लिए वह बाध्य है, भले ही वह राष्ट्रीय आदर्शसे कुछ कम क्यो न हो।

१. साधन सूत्रके अनुसार, साम्प्रदायिक निर्णयके सम्बन्धमें काग्रेसकी ढुलमुल नीतिके खिलाफ पंजाबके हिन्दुओं और सिखोंका विरोध व्यक्त करनेके लिए शिष्टमण्डल गांधीजी से तीसरे पहर मिला था। शिष्टमण्डलका नेतृत्व राजा नरेन्द्रनाथ कर रहे थे।

महात्मा गाधीने शिष्टमण्डलको आश्वासन दिया कि वह इस मामलेको लेकर दिन-रात चिन्तित रहते है और इस नतीजेपर पहुँचे है कि श्वेतपत्रको समाप्त करके ही निर्णयमें सुधार लाया जा सकता है।

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-७-१९३४

२१४ भाषण सार्वजनिक सभा, लाहौरमें[1]

१५ जुलाई, १९३४

पहली बार जब मै पजाब आया और उसके बाद जब भी आया हूँ, पजाबियोने मेरे ऊपर हमेशा स्नेहकी वर्षा की है। हमेशा वे हजारोकी तादादमे मुझसे मिले है। लेकिन इस बार तो उनकी सख्या पहलेसे इतनी अधिक है, कि डी० ए० वी० कालेज छात्रावासमे इस अपार भीडको बैठनेके लिए जगह नही मिल रही है। इतने लोगोको आया देखकर मुझे बडा सन्तोष हुआ है क्योकि आज मै यहाँ किसी राजनीतिक उद्देश्यको लेकर नही आया हूँ, बल्कि एक ऐसे विशुद्ध धार्मिक कायको लेकर आया हूँ जिसके लिए मै विशुद्ध धार्मिक भावनासे कार्य करता आ रहा हूँ। सभामे एकत्र अपार भीड मेरी समझसे देश तथा हिन्दू-धर्म दोनोके लिए एक शुभ लक्षण है। हमारी मुसीबतोका कोई अन्त नही है, लेकिन यह विशाल सभा जिसके सामने मै भाषण दे रहा हूँ, अस्पृश्यताको समूल नष्ट कर देगी। इसके प्रति मेरे मनमे जो शक था, इस विशाल सभाको देखकर मिट गया। इस यात्राके दौरान प्रातकालीन प्राथनामे मैने हजारोको भाग लेते देखा। आज प्रातकालीन प्रार्थनामे मैने जो दृश्य देखा वह किसीके भी हृदयको पिघला देनेवाला तथा नास्तिकको भी आस्थावान बना देनेवाला था। लोगोकी सख्या १०,०००के लगभग थी, फिर भी वहा जवदस्त शान्ति छाई हुई थी। तकरीबन ३५ मिनट वे ध्यानमग्न बैठे रहे और मै तो यही मानता हूँ कि इन क्षणोमे उनके दिमागमे बस ईश्वर ही विराजमान था। इन सारे अनुभवोसे ईश्वरमे मेरी आस्था और गहरी हो गई है, और मुझे लगता है कि मैं उसके हाथका बस एक यन्त्र मात्र हूँ। अस्पृश्यताके, जो सैकडो बरसोसे हिन्दू-समाज पर छाई हुई है, अन्तके लिए लगता है ईश्वरने अपना फरमान जारी कर दिया है। लगता है वह सवर्ण हिन्दुओके दिलोमे आमूल परिवतन ला रहा है। यह विशाल सभा इस परिवतनका एक प्रमाण है।

इस आन्दोलनका उद्देश्य न तो किसी सम्प्रदायपर विजय हासिल करना है न हिन्दुओकी सख्यामे वृद्धि करना। यह तो बस आत्मशुद्धिका और हिन्दू-धर्मको

१ साधन सूत्रमें बताया गया है कि यह गाधीजी के भाषणका सक्षेप है जिसे ट्रिब्यूनके प्रतिनिधिने गाधीजी के सचिवसे प्राप्त किया था। सभामें गाधीजी का भाषण बहुत ज्यादा भीड और शोरके कारण सुनाई नही दिया था।

अस्पृश्यताके कलकसे मुक्त करनेका आन्दोलन है। मै देखता हूँ कि आप शान्तिमे बैठ नही पा रहे है और शायद मेरे इन कुछ मिनटोके दर्शनसे सन्तुष्ट नही है। जो भी हो, मेरा आपसे यह कहना है कि मै उसी माधारण मिट्टीका बना हूँ जिसके आप बने है और सिर्फ मेरे दशनसे आपको कुछ नही मिलनेवाला है। जो कुछ मै कहता हूँ उसके अनुरूप अगर आप आचरण करे, तब आपको बहुत लाभ होगा।

जो आवाज मैने एक हजार मचोसे बुलन्द की है उसे फिरसे दोहराता हूँ कि अगर अस्पृश्यताको हमने नही मिटाया तो हिन्दू-धम और हिन्दू दोनो मिट जायेगे।

[अग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, १८-७-१९३४

२१५. पत्र : मौलाना अबुल कलाम आज़ादको

१६ जुलाई, १९३४

प्रिय मौलाना साहेब,

आपका पत्र मिला। यह तो ठीक ही है कि कलकत्तेके अपने मुकाममे मै खुशीसे गवर्नरसे मिलूगा और जो हो मकेगा करूँगा। दो दिन पहले डॉ० विधानका खत मेरे पास आया था।

उपवास [का दिन] तो आना ही था। भगवानकी इच्छा ही ऐसी थी। जबतक वह मुझसे सेवा कराना चाहता है, मेरा बाल भी बाँका नही होगा।

मै १९के सवेरे वहाँ पहुँचूगा।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
१९–ए, बालीगज सर्कुलर रोड
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२१६ पत्र कलकत्ताके बिशपको

लाहौर
१६ जुलाई, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके कृपापत्रके लिए धन्यवाद। जबतक भगवानकी इच्छा है कि मैं जीवित रहूँ, तबतक मेरा कोई कुछ भी नही बिगाड सकता। यह विश्वास मेरे मनमे जड पकड गया है।

चाहे मैंने सरकारका विरोध किया हो या चाहे जनताकी इच्छाका, मैंने भगवानके मार्गदशनमे विश्वास किया है।

आखिर कल मैं कलकत्ता जा ही रहा हूँ। मुझे मालूम है, आपका वहाँ न होना मुझे खटकेगा।

मैं हूँ,
हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

दि मेट्रोपॉलिटन बिशप ऑफ कलकत्ता
दि चच इम्पीरियल क्लब
७५ विक्टोरिया स्ट्रीट
वेस्टमिन्स्टर, लन्दन, एस० डब्ल्यू० १

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२१७. पत्र : दिलीप कुमार रायको

१६ जुलाई, १९३४

प्रिय दिलीप,

तुम्हारा पत्र और सलग्न सामग्री मिली। पत्र मेरे हाथमे कल ही आया। यह पहले बम्बई गया और वहाँ गलतीसे कुछ दिन मेरे एक सहायकके यहाँ पडा रहा।

मेरी कठिनाई मौलिक है। मै यह नही मानता कि मेरी वतमान कमशीलता मेरी आत्मानुभूतिमे अथवा मेरे भगवानमे लीन हो जानेमे मेरी कर्म-विरतिकी अपेक्षा कम सहायक है। सन्यास समस्त शारीरिक क्रियाओका बन्द हो जाना थोडे ही है। मेरे लिए उसका अर्थ है, उन सब शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओका बन्द हो

जाना जो स्वार्थमय है। अगर मुझे विश्वास दिलाया जा सकता कि अकर्म मेरे लिए बेहतर मार्ग है, तो मै वह मार्ग तत्काल अपना लेता।

मै कविताका पारखी नही हूँ। तब, तुम्हारी कविताओपर मेरी कोई भी राय किस कामकी होगी? सचमुच, मै कोई राय नही दे सकता। लेकिन हाँ, अब महादेव फुरसतमे है। वह स्वय भी कवि है। और जब मै उसे सारी बात समझा दूंगा, तो वह अपनी राय देगा, इसमे मुझे कोई सन्देह नही है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री दिलीपकुमार राय
श्री अरविन्द आश्रम
पाडिचेरी

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२१८ पत्र : वल्लभभाई पटेलको

लाहौर
१६ जुलाई, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आपका छूटना मेरी कल्पनासे परे था। सरकार और हम आपसमे एक-दूसरेमे सलाह-मशविरा किये बिना जैसा सूझता है वैसा किये जा रहे है। यह ठीक भी है। दोनो [के उद्देश्य] का पता लग जायेगा। आप सब कुछ समझ लीजिए, फिर काजीकी हैसियतसे आपकी राय माँगूँगा। भले ही प्रकट रूपसे आपकी वफादारी साथीके नाते ही हो, पर 'हाँ' मे 'हाँ' मिलानेकी जो आदत पड गई है, वह कोई दो-चार वर्षकी जेलसे थोडे ही मिटनेवाली है?

आप नाकका पूरा इलाज करानेके बाद ही आयेगे, यह मुझे पसन्द है। बनारस मे आपकी उपस्थिति चाहिए तो सही, परन्तु नाककी दशाके कारण यदि आप न आ सके तो आपके बिना काम चला लेगे।

[1]के यहा जाना अनिवार्य था। हमारे कार्यकर्त्ताओकी भी यह इच्छा थी। यो मेरे जानेसे उसे कुछ मिल नही जायेगा। वैसे अजमेरका और दूसरे स्थानोका वातावरण आजकल हिंसासे भरा है। इसकी भनक वहाँ भी आपके कानोमे पडेगी।

लालनाथ इन सबमे अच्छा आदमी मालूम हुआ है। वह बहादुर भी है। दिये हुए वचनोका उसने पालन किया है। वैसे मेरी निन्दा तो करता ही है। यह हक तो

१ साधन-सूत्रमें नाम छोड दिया गया है।

सभीको है। उसे पहली ही बार नही मारा गया है। उसके साथियोने भी मार खाई है। उसने कभी पुलिसको शिकायत नही की। ये लोग ज्यादातर पुलिसका सरक्षण भी नही चाहते। अपने आदमियोपर वह अच्छा काबू रखता है। हमारे आदमियोपर कडा अकुश न रखा होता, तो वे बहुत घायल होते और हमारा काम रुक जाता। आज ही एक आदमी लिखता है कि लालनाथके विरुद्ध लोगोको भडकानेमे उसका हाथ था। वह प्रायश्चित्त चाहता है। यह आदमी हमारा बढिया कायकर्त्ता है, लेखक है, कवि है। अब कहिए क्या उपवास करनेकी घोषणा करके मैने ठीक नही किया? ऐसे मामलेमे किससे सलाह-मशविरा करूँ? कहॉ करूँ? किसीको साप काट ले तो जानकार हकीम औरोसे सलाह लेने बैठे या समझमे आये सो दवा शुरू कर दे? साथियोसे पूछे बिना ऐसे कदम उठानेकी मुझे कोई प्रसन्नता तो नही थी, परन्तु मै लाचार हो गया था, निणय करनेसे पहले सलाह-मशविरा करनेका घनश्यामदासने तार भेजा था, इसलिए उन्हे लिखा।[1] उन्होने अन्तिम निर्णय मुझपर छोडा। देवदासने चार दिनका उपवास सुझाया। जयरामदास[2]ने यह कदम जरूरी माना और कहा कि करना ही है तो सातसे कम हरगिज नही। बापा[3]ने विरोध नही किया। चन्द्रशकर बेचारा क्या विरोध करता? काका[4] तो विरोध कर ही नही सकता था। ऐसे उपवासोके बिना यह भगीरथ-काय पूरा नही हो सकता। जनतामे जागृति अपार है।

लाहौरमे और अन्यत्र लोगोकी ऐसी भीड देखता हूँ जैसी पहले कभी नही देखी।

एक बात जरूर गले उतरती है। रेल और मोटर मुझसे छुडवा दीजिए, एक जगह पडा रहने दीजिए और पैदल यात्रा करने दीजिए – यदि मै बाहर रहूँ, तो। अगस्ततक तो सहज हूँ ही।[5] बादकी राम जाने।

एन्ड्रचूज २५ अगस्तको यहॉ पहुँचेगे। स्वामीसे आपको बहुत-कुछ मालूम होगा। चन्द्रशकर लिखेगे।

मै कलकत्ते जा रहा हूँ, समझो केवल घरकी सफाई करने। परन्तु डॉ० विधान रायका पत्र आया है कि मुझे बहुत करके गवनरसे मिलना पडेगा। यह बात तो थी ही। अगाथा वगैराने इसके लिए बहुत दबाव डाला था। अब बात पक्की हो गई दिखती है। विषय तो केवल बगालका आतकवाद है। मिलेगे तब अधिक और और अब तो महादेव है, इसलिए आपको इच्छित वस्तु मिलती ही रहेगी।

१ देखिए, पृ० १९३।
२ जयरामदास दौलतराम।
३ अ० वि० ठक्कर।
४ द० बा० कालेलकर।
५ गाधीजी, ७ से एक सप्ताहका उपवास करनेवाले थे, देखिए पृ० १६४-६५।

मणि[1] की तबीयत खूब अच्छी हो जानी चाहिए। इस बार वह (जेलमे) काफी कमजोर हुई लगती है। फिर भी ऊपरसे अपनेको स्वस्थ दिखानेका प्रयत्न करती है। आज उसे अलग पत्र नही लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
श्रीराम मेशन
सेडहर्स्ट रोड, बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० ११२-४

२१९ पत्र . पद्माको

[१६ जुलाई, १९३४][2]

चि० पद्मा,

तू कैसी लडकी है? बिना कारण पत्र लिखनेमें आलस्य करती है, और मुझसे पत्रोकी आशा रखती है। मै तो फिर भी अवश्य लिखता, किन्तु समय कहाँ है? आज तेरा पत्र मिला, सो जवाब लिख रहा हूँ। गर्मीमें भी शरीरको सँभालकर रखा, यह अच्छा किया। अपनी लिखावट बिगाड मत लेना।[3]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४८)से। सी० डब्ल्यू० ३५०४से भी, सौजन्य प्रभुदास गाधी।

२२० पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको

१६ जुलाई, १९३४

भाई डाह्याभाई,

भद्दे नामोके सम्बन्धमें आपका लेख मिला था। इस विषयपर लिखनेका मेरा विचार तो है, किन्तु इस समय तो एक क्षणकी भी फुर्संत मिलती नही, इसलिए न तो 'हरिजनबन्धु'के लिए न 'हरिजन'के लिए ही कुछ लिख पाता हूँ। किन्तु भद्दे नामोके विषयमें तो लिखूगा ही। आप स्वय कातते तो होगे ही।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत डाह्याभाई मनोरदास पटेल
धोलका

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७०४)से, सौजन्य डाह्याभाई म० पटेल।

१ मणिबहन पटेल।
२ जी० एन० रजिस्टरसे।
३ शेष पत्र पढ़ा नहीं जा सका।

२२१. पत्र : गोपबन्धु चौधरीको

१६ जुलाई, १९३४

भाई गोपबन्धु बाबू,

आपके पत्र मिले हैं। देहातमे जानेका सकल्प कर लिया सो अच्छा है। कार्य-कर्त्ताओके बारेमे सब नहि पढ सका हूँ। पढनेके बाद फिर लिखुगा।

बापुके आशीर्वाद

श्री गोपबन्धु चौधरी[1]
चादनी चौक[2]
कटक[3]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८१) से।

२२२. पत्र : राजकुमारी अमृतकौरको

१७ जुलाई, १९३४

प्रिय बहन,

बिहारके भूचाल-पीडितो के सहायनाथ ग्रेट-ब्रिटेनके भारतीय चिकित्सक-सघकी ओरसे पौड ५४-४-३ का जा चैक तुमने अपने पत्रके साथ भेजा है उसके लिए मै तुम्हे धन्यवाद देता हूँ। चैक मै राजेन्द्रबाबूके पास भेज रहा हूँ, साथ ही उन्हे यह हिदायत दे रहा हूँ कि वे इसकी प्राप्ति-स्वीकृति डॉ० भण्डारीको भेज दे।

तुम्हे मेरी कितनी चिन्ता है, मै इसे जानता हूँ। ईश्वर जबतक मुझे निमित्त बनाकर रखना चाहता है, तबतक वह मेरी देखभाल करता रहेगा। लाहौरमे हमारे मिलनेकी मुझे पूरी आशा थी। किसी-न किसी दिन कही-न-कही हम जरूर मिलेगे।

तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री राजकुमारी अमृतकौर
मैंनर विला
शिमला

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६३१९)से। सी० डब्ल्यू० ३५१०से भी, सौजन्य राजकुमारी अमृतकौर।

१ २ और ३ रोमन लिपिमें हैं।

२२३ पत्र · जमनालाल बजाजको

१७ जुलाई, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे ऊपर एक ओर तो जिम्मेदारियाँ और दूसरी तरफ कानकी बीमारी। इन दोनोंकी सोचकर मैं घबरा जाता हूँ। अब वल्लभभाई छूट गये हैं, इसलिए एकाध महीनेमें भार कुछ हल्का होगा। जितना हो सके उतना करके निश्चित रहो तो बहुत है। बिहारका जो हो सके सो करना। वैसे कितनी ही बातें तो यों ही चलेंगी। मैं मिलूंगा तब अधिक खुलासा करूँगा। महेन्द्रबाबूके मामलेमें तो तुम्ही जो कर सकोगे वो ठीक होगा। वह मेरी समझमें परे है। बिहारका हिसाब समझमें आयेगा।

आश्रमकी निन्दावाला लेख भेजा था सो पढ गया। उसका कोई जवाब नही दिया जा सकता। हम आश्रमको सुरक्षित रखे तो कुशल ही है। इसका निपटारा कर लेंगे। गगाबहन और प्रेमाको भले ही लिखो। वे शायद ही आये। और उसे अब नये ढगके रस पैदा हुए हैं। बहुत खीच-तान करनेमें कोई सार नही है। ब्ब्टोके पत्र आते रहते हैं। वह तुमसे मिलनेके लिए व्याकुल है।

मैं ठीक हूँ। मेरे उपवाससे डरना नही। यह तो स्पष्ट है कि इसके बिना नही सरेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३६) से।

२२४. पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

१७ जुलाई, १९३४

चि० मणिलाल व सुशीला,

मेरे अगस्तमें होनेवाले उपवासके बारेमें चिन्ता मत करो। भगवान पार लगायेंगे। मुझपर कोई आक्रमण किया जा सकता है, इसकी भी चिन्ता मत करो। यह सब ऐसे ही चलता आया है, तिसपर भी इतने वर्ष निकल गये हैं। और जबतक भगवानकी इच्छा होगी, तबतक और भी निकलते रहेंगे। किन्तु यदि भगवानकी इच्छा कुछ और हुई तो जमुहाई लेनेमें भी प्राण निकल सकते है।

रामदासकी तबीयत ठीक नही रहती। वहाँ जाये तो ठीक हो जायेगा। क्या उसके लिए और एक साथी वैद्यके लिए वहाँ आनेकी अनुमति मिल सकती है? मिले, तो भेज देना। उसके साथीका नाम रघुनन्दन शर्मा है।

मै यह पत्र लाहौरसे लिख रहा हूँ। आज यहाँसे रवाना होना है। देवदास यही है। महादेव छूट गये है, इसलिए वह, प्यारेलाल और काकासाहेब भी यहाँ मेरे साथ है। इस प्रकार एक कौटुम्बिक मेला ही हो गया है।

मै ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२२)से।

२२५. भाषण: प्रार्थना-सभा, लाहौरमें[1]

१७ जुलाई, १९३४

मै चाहता हूँ कि जैसा आप मेरे साथ इन चन्द दिनोमे करते रहे है, दिनका काम तडके प्राथनाके बाद शुरू करनेकी जो रीति अब शुरू की है, इसे आप जारी रखे। आप प्राथना या तो निजी तौरपर अपने-अपने घरोमे कर सकते है या अपने मुहल्लोमे किसी केन्द्रीय स्थानपर सामूहिक रूपसे कर सकते है। प्राथनाका महत्त्व बढा-चढाकर बताना असम्भव है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धापूवक प्राथनाके उपरान्त दिनका काम शुरू करता है, तो उसके दिनका सारा काम एक शुद्ध और प्राथना-युक्त भावनासे प्रेरित रहता है। प्राथनाके लिए उपयुक्त समय तडकेका है। इस समय सूर्य, जो ईश्वरीय प्रकाशोमे सबसे ज्यादा प्रखर है, हमारे सभी कामोमे उसके साक्षी रूपमे प्रकट होता है।

मै आपको ईश्वरके सच्चे उपासकके एक-दो लक्षण बताता हूँ। एक तो है, पीडित तथा दलित लोगोके प्रति मैत्री तथा भ्रातृत्वकी भावना। यह भावना हरिजन को मित्र बनानेसे अधिक अच्छी किसी भी ढगसे व्यक्त नही हो सकती और इसे करनेका सबसे अच्छा ढग यही है कि आप उसकी पीठका बोझ उतार डाले, ताकि वह बोझ ढोनेवाला पशु और पददलित जीव न रहे। हमने उसे युगोसे ऐसा ही बना रखा है। अगर हम उसका बोझ हल्का कर दे तो वह खुली साँस ले सकेगा और आजादीसे घूम-फिर सकेगा।

दूसरा लक्षण है, दरिद्रनारायणकी सेवा, भारतके उन लाखो भूखे लोगोकी सेवा जिनमे निश्चय ही हरिजन भी शामिल है। लेकिन जहाँ गरीब-से-गरीब व्यक्ति, यदि वह हरिजन नही है तो, जहाँ चाहे स्वतन्त्रतापूर्वक घूम-फिर सकता है, वहाँ अमीर-से अमीर हरिजन हिन्दू मन्दिरमे नही जा सकता और सार्वजनिक कुएँका प्रयोग नही कर सकता। इसलिए जहाँ अस्पृश्यता-निवारणका काम हरिजनोकी सेवा है, वहाँ गरीबकी सेवा यह है कि उसके लिए धन्धा खोजा जाये और उसकी थोडी-सी आय मे कुछ और जोडा जाये। इसे करनेका मबसे अच्छा तरीका यह है कि लोग आदतन

१ साधन-सूत्रमें बताया गया है कि यह "महादेव देसाई द्वारा किया गया अनुवाद" था।

खादी पहनने लगे और नित्य कताई-यज्ञ करे। यदि पजाबकी सारी औरते दृढ निश्चय कर ले कि अपना खाली समय कताईमे लगायेगी, तो मुझे विश्वास है कि वे न केवल सारे पजाबको कपडा सुलभ कर सकेगी, बल्कि बाहर अन्य प्रान्तोको भी कपडा भेज सकेगी।

यदि आप ये दो काम करते है, तो मै बिना सकोच कहूँगा कि आप दिनोदिन ईश्वरके समीप पहुँचते जा रहे है। शत इतनी ही हे कि आप जो-कुछ करे वह दिखावे या आत्म-प्रकाशन के लिए न हो, बल्कि सेवाभावसे और इन्सानियतके नाते किया गया हो। एक तीसरी चीज भी है जिसे मैं भगवानके उपासकका लक्षण घोषित करूँगा और वह है, मौन भाव। मै जहाँ भी जाता हूँ, सभाओका शोर-शराबा मुझे खटकता है। आप सबको हर तरहके हल्ले-गुल्लेसे बचाना चाहिए और सुव्यवस्था तथा अनुशासनकी भावना पनपने देनी चाहिए। प्राथनाके अनेको निहितार्थोमें से ये तीन ऐसी बाते हैं जिन्हे मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानमे रखे।

[अग्रेजीमे]
ट्रिब्यून, १९-७-१९३४

२२६ बातचीत : स्वयंसेवकोके साथ[1]

१७ जुलाई, १९३४

एक सक्षिप्त भाषणमें गाधीजी ने कहा कि स्वयसेवक जहाँ भी जाता है, अपने निजी आरामकी व्यवस्था करनेमें काफी समय लगा देता है। इसके बजाय स्वयसेवकोको चाहिए कि वे अपना सामान्य कत्तव्य और वह सेवा-कार्य जिसे करनेकी उन्होने शपथ ली है, ध्यान से करे।

पूछे जानेपर गाधीजी ने कहा कि मुझे स्वयसेवकोके सैनिक प्रशिक्षण लेनेपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हे हिंसासे दूर रहना चाहिए। उन्होने स्वयसेवकोंसे कहा कि यदि भीड महिलाओपर हमला कर दे तब भी हिंसाका प्रयोग न करे। उन्होने कहा कि मेरी समझमें महिलाएँ लाचार अबलाएँ नहीं है, वे अपनी देखभाल करनेमें स्वय काफी समर्थ हैं।[2]

[अग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, १९-७-१९३४

१ गांधीजी स्वयसेवकोंसे प्रात लाजपत राय भवनमें मिले थे।

२ रिपोर्टका अंतिम अंश था "जो महिला स्वयसेविकाएँ वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने गाधीजी के विचारोंका अनुमोदन किया और सभा समाप्त हो गई।"

२२७ बातचीत सीमान्तके नेताओके साथ[1]

१७ जुलाई, १९३४

गाधीजी ने सलाह दी है कि काग्रेसके निर्णयपर अमल करते हुए कानूनको स्वेच्छासे पूरी तरह माना जाये।

समझा जाता है कि सीमान्तके नेता ऐसा कोई काम नही करना चाहते जिससे गाधीजी के हाथ कमजोर हो और काग्रेसकी प्रतिष्ठाको धक्का लगे। उन्होने कानूनको मानते रहनेका वचन दिया है।[2]

शिष्टमण्डलने महात्माजी के प्रति सीमान्तके लोगोका स्नेह और आदर जताया। महात्माजी ने भी सीमान्तके पठानोके प्रति अपनी स्नेह-भावना व्यक्त की।

महात्मा गाधीने सीमान्तका दौरा करनेकी इच्छा व्यक्त की और शिष्टमण्डलको बताया

मै सीमान्त गाधीको दिलसे उतना ही प्यार करता हू जितना कि देवदासको।

अन्तमें गाधीजी ने उनके जरिए सीमान्तके लोगोके प्रति प्रेमका सन्देश भेजा और कहा कि मै उन्हे अपने जीवनमे कभी नहीं भूल सकता और उनकी विशेष कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हमेशा मेरे ध्यानमें रहती है।

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-७-१९६४, **बॉम्बे क्रॉनिकल**, १८-७-१९३४ भी

२२८ भाषण . पजाबके राष्ट्रवादी कार्यकर्त्ताओके समक्ष, लाहौरमें

१७ जुलाई, १९३४

गाधीजी ने कहा कि जेल जानेकी अपेक्षा अपने रचनात्मक कार्यकी योजना पूरी करना कहीं कठिन काम है। मैंने खुद देखा है कि जेल जाना और वहाँ अपनी पुस्तकें पढ़ते व बकरीका दूध पीते हुए शान्तिसे समय बिताना थका देनेवाले भारी

१ साधन-सूत्रमें बताया गया था कि सीमान्त प्रान्तके काग्रेसियोने, जो पेशावर, बन्नू, कोहाट, और हजारा जिलोंका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सुबह गाधीजी से भेंटकी। इनका नेतृत्व सीमान्त काग्रेस कमेटीके अध्यक्ष, पीर शहंशाह कर रहे थे।

२ इससे आगेका अंश बॉम्बे क्रॉनिकलसे लिया गया है।

कार्यक्रमको देशमें पूरा करनेसे आसान है। गाधीजी ने मजाकके लहजेमें कहा कि श्रीमती गाधीने मुझे सुझाव दिया है कि बाहर रहकर जबर्दस्त कार्यक्रमका भार उठानेसे यह अच्छा है कि मै जेल चला जाऊँ और वहाँ आरामसे समय बिताऊँ।

महात्मा गाधीने यह भी कहा कि हमें अपना कार्यक्रम अभी पूरा करना है। यह सोचना गलत होगा कि पहले स्वराज्य हासिल कर ले फिर उसे पूरा कर लेगे। उन्होंने कार्यकर्त्ताओको सलाह दी कि वे आपसमें काम बाँट ले और उसे ईमानदारी से पूरा करे। सत्यको अपना सिद्धान्त मानें तो काम आगे बढेगा ही। यह शान्तिका समय है और हम लोगोमें शान्तिका सन्देश ही पहुँचाये। अपने आनेपर लाहौरमें किये गये स्वागतका उल्लेख करते हुए गाधीजी ने कहा कि लोग मेरे पैर छूना चाहते थे, उससे मेरे शरीरको थोडी तकलीफ पहुँची। यदि कोई शोर न हो तो मैं हजारो लोगोकी भीडसे भी अच्छी तरह मिल सकता हूँ। स्वराज्य शोर मचानेसे नहीं हासिल किया जा सकता।

[अग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-७-१९३४

२२९. भाषण. खादी-कार्यकर्त्ताओके समक्ष, लाहौरमें

१७ जुलाई, १९३४

खादी-कार्यकर्त्ताओके समक्ष भाषण करते हुए गाधीजी ने खादीको 'अन्नपूर्णा' बताया। उन्होने कहा कि यदि किसान कताई करने लगें तो वे रोटी या चावलके साथ अपने लिए मक्खन भी जुटा सकते है। अन्य कुटीर उद्योग बहुत हुआ तो हजारो लोगोका परिपालन कर सकते है, जब कि खादी करोडो लोगोके लिए एक अनिवार्य कुटीर उद्योग है। खादीसे माग और पूर्तिमें अपने-आप सामजस्य पैदा होगा, क्योकि किसान खास करके अपने और अपने पडौसियोके लिए ही खादी तैयार करेंगे और एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचानेका काम नाममात्र को होगा। उन्होने कहा कि मैंने पता लगा लिया है कि यदि बुनकरोके परिवार अपने बुननेके लिए खुद सूत कातें तो प्रथम श्रेणीकी सस्ती खादी मिल सकती है। फिर यदि कोई कपास उत्पादक बिना मूल्य कपडा चाहे तो उसे केवल इतना ही करना पडेगा कि कपास चुननेसे लेकर बुनाईतक की सारी प्रक्रिया स्वय ही कर ले। इससे बुनकरो के मुहसे रोटी नहीं छिनेगी, क्योकि यदि सारा भारत खादी अपनायेगा तो जितने बुनकर अभी है, उससे दुगने बुनकरोकी जरूरत होगी। केवल खादी ही स्वदेशी कपडा है। खादीके साथ-साथ भारतीय मिलोके बने कपडेको स्वदेशी बताना कोरी बकवास है।[1]

१ आगेका अंश खादी जगतसे लिया गया है।

अभीतक मै बहुत नरम रहा हूँ, लेकिन अबसे मुझे सख्त होना पडेगा। चरखा सघमे मैंने उन लोगोको भी भर्ती किया जो कातना नही जानते थे, क्योकि मैंने सोचा था कि इन्ही लोगोमे अच्छे कार्यकर्ता मिलेगे। मै अब इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि ढिलाई काफी हो चुकी है। चरखा सघके प्रत्येक कार्यकर्त्ताको रूईकी सफाई, धुनाई और कताई सीखकर दक्ष बनना होगा। उसे अच्छी तरहसे बुनाई भी आनी चाहिए। इससे आम तौरपर ग्राम-सुधारके हमारे कार्यमे सुविधा होगी और स्वतत्रता जल्दी आयेगी।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ३-८-१९३४, **खादी जगत**, मई, १९४७ भी।

२३० भेट . पत्रकारोको

लाहौर

१७ जुलाई, १९३४

वहाँ बीस और तीसके बीच पत्रकार रहे होगे। वे गाधीजी से एक सन्देश चाहते थे। परन्तु उन्होने कहा कि मै चीजें मुफ्त नहीं देता और चाहता हूँ कि आप लोग सन्देशके बदले हरिजन-कोषमें दान दें। इसपर उन्हे एक अँगूठी दी गई, फिर कुछ रुपये आये, कुछ पैसे आये, कुल १६ रुपये इकट्ठे हुए ।

गाधीजी ने कहा कि यदि वे वस्तुत सन्देश चाहते है तो उन्हे पूरे पचास रुपये देने चाहिए।

वहाँ उपस्थित एक पत्रके कर्मचारीने तब यह जिम्मेदारी ली कि वह बाकी रकम इकट्ठा करेगा और शामको उनके पास भेज देगा।

इसपर गाधीजी ने जवाब दिया कि ठीक है, मेरा कारोबार उधारपर भी चलता है, इस आधारपर मै सन्देश दूँगा . ।

लाहौर रेलवे स्टेशनपर मेरा असाधारण उत्साहके साथ अभिनन्दन किया गया और पजाबकी पाँच दिनकी मेरी यात्रामें वह उत्साह बराबर बना रहा। इससे बहुत खुशी होती है और उत्साह भी मिलता है।

मेरी बडी इच्छा है कि लोगोका यह सब उत्साह एक ठोस और अविरत रचनात्मक कार्यकी ओर मुड जाये। पजाबके नेताओका यह कर्तव्य है कि वे इस उत्साहको, जो बेकार जा रहा है, कार्यमे लगाये। यह बडे हर्षकी बात है कि अमीर और गरीब, सभी हरिजन-थैली कोषमे रकम देनेके लिए स्वेच्छासे आगे आये है। मुझे यह इस बातका निश्चित सकेत लगता है कि दान देनेवालोका यह विश्वास है कि हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यताका अभिशाप मिटना चाहिए।

प्रात कालकी सामूहिक प्रार्थनाओका जिक्र करते हुए महात्मा गाधीने कहा कि उनमें पूर्ण शान्ति रहती थी और भारी सख्यामें उपस्थित लोग बडी श्रद्धा और एकाग्रताके साथ प्रार्थनामें भाग लेते थे — जिस समय भजन गाये जाते थे तब तो यह चीज और भी स्पष्ट हो जाती थी। उन्हे यह आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमें उनके हार्दिक सहयोगका निश्चित सकेत लगा।

अन्तमें महात्मा गाधीने कहा कि जिस चीजसे उन्हे सबसे अधिक दु ख हुआ है, वह है लाहौरके हरिजनोकी दशा। उनके खयालसे वह यह प्रमाणित करती है कि नगरपालिका अपने सबसे योग्य कर्मचारियो और नागरिकोकी कितनी निर्ममतासे उपेक्षा कर रही है। महात्मा गाधीने खास तौरसे हरिजन-बस्तियोकी रोशनी और सफाईकी व्यवस्थाओ और उनमे नलके पानी की कमीका जिक्र किया।

मै यह जानता हूँ कि भारत-भरमे नगरपालिकाओकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। परन्तु उसका असर निश्चय ही इन सबसे योग्य ओर उपयोगी कर्मचारियो और नागरिकोपर नही पडना चाहिए। अत मुझे आशा है कि पानी, रोशनी और सफाईकी सुविधाओकी कमी की शिकायतोपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा। नगर-पालिकाके आगे चाहे कैसी भी कठिनाइया हो, पर लोकहितके इस आवश्यक कार्यकी उपेक्षा नही होनी चाहिए।

इन लोगोके रहन-सहनके ढग, इनकी कामकी परिस्थितियो और आर्थिक स्थितिके बारेमे मै बहुत-कुछ कह सकता हूँ। पर इस सन्देशको मै अनावश्यक रूप से लम्बा करना नही चाहता। मै केवल यही चाहता हूँ कि जो शिकायत सबसे तीव्र है और जो तुरन्त दूर की जा सकती है, जनता और नगरपालिका उसपर ध्यान दे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-७-१९३४

२३१. भाषण : गुलाबदेवी तपेदिक अस्पताल, लाहौरमें[1]

१७ जुलाई, १९३४

महात्मा गाधीने कहा कि आप लोगोने यह समारोह[2] सम्पन्न करनेके लिए मुझे आमन्त्रित किया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ। उन्होने कहा कि स्वर्गीय लालाजी इस अस्पतालका उद्घाटन-समारोह मेरे ही हाथो सम्पन्न कराना चाहते थे, यह मेरे लिए कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध थे। मै लाहौर आ सका और इस अस्पतालके उद्घाटन-समारोहमें भाग ले सका, इसकी मुझे बडी प्रसन्नता है।

१. इसका पहला और अन्तिम अनुच्छेद ट्रिब्यूनसे लिया गया है। यह तथा अगला शीर्षक "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत हैं।

२. गुलाबदेवीके चित्रका अनावरण तथा अस्पतालका उद्घाटन।

गाधीजी ने कहा कि इस समारोहसे मुझे देशबन्धु दासकी याद आ रही है। उन्होने भी अपनी वसीयतमें कलकत्तेमें स्त्रियोके लिए एक अस्पताल खोलनेकी इच्छा जाहिर की थी। चित्तरजन सेवा-सदन अब डॉ० विधानचन्द्र रायके उत्साहप्रद सरक्षण में एक विकासशील सस्थान है। यह एक विचित्र सयोग है कि भारतके ये दोनो महान नेता अपने हृदयमें समाज-सेवा, विशेषकर स्त्रियोकी सेवाकी कामना सँजोये हुए थे। जबतक हमारी स्त्रियाँ पुरुषोके साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर चलनेके योग्य नहीं होतीं, तबतक यह राष्ट्र महानता प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमारे अधिकतम नेता हृदयसे समाजसेवी रहे है, केवल जरूरतने ही उन्हे राजनीतिज्ञ बना दिया था। समाज-सुधार के वे जबदस्त प्रतिपादक थे। सभी लोग यह जानते है कि लालाजी एक महान सामाजिक कायकर्त्ता थे, और यदि उनकी अपनी पसन्दकी बात होती, तो वे समाज-सेवाको ही अपने जीवनका ध्येय चुनते। परन्तु कोई भी सच्चा जनसेवक आज राज-नीतिकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यह चीज ध्यान देने लायक है कि चित्तरजन दास और लालाजी की अन्तिम इच्छाएँ समाज-सेवापर ही केन्द्रित थीं।

लालाजी से जिनका परिचय रहा है उन्हे यह जानकार कोई आश्चय नहीं होगा कि उनकी इच्छा यहाँ हरिजन स्त्रियोको प्राथमिकता दी जानेकी थी। लालाजी से बड़ा हरिजन-सेवक कोई नहीं रहा है।

गाधीजी ने कहा, तपेदिकके अस्पताल, दुर्भाग्यसे बहुत ही जरूरी है, पर मुझे विश्वास है कि यहाँके चिकित्सक इस भयानक व्याधिकी रोकथामपर भी उसके इलाज जितना ही ध्यान देंगे। भारत-जैसे देशमें, जहाँ निरन्तर धूप खिलती हो, तपेदिककी व्यापकता कुछ समझमें नही आती। इसकी छानबीन होनी चाहिए। अस्पतालके चिकित्सक वगको अपने रोगियोमें तपेदिकके कारणोके अध्ययनका और उसकी रोकथामके उपायोको खोजनेका अपूर्व अवसर मिलेगा।

अन्तमें, गाधीजी ने इस अस्पतालकी स्थापनामें सहायता देनेवाले सभी लोगोको बधाई दी और यह आशा व्यक्त की कि वे इसकी धनसे सहायता करते रहेगे।[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३-८-१९३४

१ महात्मा गांधीने तब तालियोकी गड़गड़ाहटके बीच पहले अस्पतालका उद्घाटन किया और फिर उसकी कुछ इमारतोका निरीक्षण किया।

२३२ भाषण : माडल टाउन[1], लाहौरमें

१७ जुलाई, १९३४

अभिनन्दन-पत्रमें शहरका जो सुन्दर नक्शा खींचा गया था, उसका उल्लेख करते हुए गाधीजी ने कहा कि मुझे खेद है कि यह नक्शा वास्तविकतासे मेल नहीं खाता। एक आदर्श शहर (माडल टाउन)ने भी यदि हरिजनोको, जो समाजके लिए वही काम करते हैं जो माँ अपने बच्चोके लिए करती है, अलग रखनेकी पुरानी और बुरी परम्पराका दास-भावसे पालन किया, तो वह शहर माडल टाउन कहलाने योग्य नहीं है। फिर मैंने यह भी सुना है कि हरिजन बुरे मकानोमें रहते हैं और पानीके लिए बडी कठिनाईका सामना करना पडता है। मैं विश्वास करता हूँ कि माडल टाउनके सज्जन पुरुष इस शिकायतकी जाँच करेंगे और हरिजनोके साथ बराबरीका व्यवहार करनेके अपने वायदेको पूरा करेंगे।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ३-८-१९३४

२३३ भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको

लाहौर
१७ जुलाई, १९३४

गाधीजी से पूछा गया कि चूँकि पण्डित लालनाथने आपसे अपने फैसलेपर फिर से विचार करनेकी अपील की है, और राजपूताना हरिजन बोर्डके मत्रीने भी हाल ही में एक बयान दिया है, तो क्या अब इस बातकी कोई आशा की जा सकती है कि आप ७ अगस्तसे शुरू होनेवाले सात दिनके अपने घोषित उपवासको रद कर देंगे। इसपर महात्मा गाधीने कहा

इसकी कोई सम्भावना नही है।

आगे जब उनसे यह पूछा गया कि क्या राजपूताना हरिजन बोर्डके मत्रीकी इच्छाके अनुसार आप मत्रीके लिए भी कोई पश्चात्ताप निर्धारित कर रहे हैं, तो महात्मा

१ साधन सूत्रमें बताया गया था कि कलकत्ताके लिए लाहौरसे रवाना होनेसे ठीक पहले गांधीजी लाहौरके इस उप-नगरकी एक सभामें शामिल हुए और वहाँके नागरिकोने उन्हें एक अभिनन्दन पत्र तथा एक थैली भेंट की।

गांधीने जवाब दिया कि मंत्रीके लिए पहलेसे ज्यादा सतर्कताके सिवा और कोई पश्चात्ताप आवश्यक नहीं है।

अगला प्रश्न यह था कि यह उपवास क्योंकि हरिजन-कार्यके लिए आपके लगातार दौरेके बाद ही होना है, तो क्या, आपके खयालमें, इस उपवाससे आपके स्वास्थ्यपर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि मुझे किसी स्थायी क्षतिकी आशंका नहीं है।

यह पूछनेपर कि हिन्दू महासभा और कांग्रेसके बीच चुनाव संघर्ष रोकने और पंडित मदनमोहन मालवीय और श्री अणेको कांग्रेस संसदीय बोर्डमें बनाये रखनेकी क्या कोई सम्भावना है, महात्मा गांधीने कहा

मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैं फूटको रोकनेकी कोशिश करूँगा।

हरिजन-कार्यके लिए अपने इस दौरे और उपवासके बादके अपने कार्यक्रमके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने अभी कुछ नहीं सोचा था।

अन्तिम प्रश्न हरिजन-कोषको खर्च करनेके तरीकेके बारेमें था। महात्माजी ने कहा कि तीन-चौथाई रकम उसी स्थानको लौटा दी जायेगी जहाँसे कि वह आई है, पर शर्त यही है कि उसका वहाँ सदुपयोग होना चाहिए। शेष रचनात्मक कार्यके लिए इस्तेमाल की जायेगी।

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, १९-७-१९३४

२३४ भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको[1]

१८ जुलाई, १९३४

पण्डित जवाहरलाल नेहरूकी रिहाई न होनेके बारेमें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दिये गये सर सैम्युअल होरके जवाबके सन्दर्भमें गांधीजी ने कहा

इस प्रश्नको हरिजन-कार्य सम्बन्धी दौरा पूरा हो जानेतकके लिए टालनेका कोई कारण नहीं है।

वे पहलेसे ही इसपर विचार कर रहे थे।

यह पूछे जानेपर कि जिस स्वयंसेवकने पण्डित लालनाथको अजमेरमें पीटा था और जिसने एक समाचारपत्रको लिखे गये पत्रमें अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, उसके लिए आप क्या प्रायश्चित्त सुझाते हैं, गांधीजी ने कहा कि उसे अपना दिमाग दुरुस्त करना चाहिए।

१ कलकत्ता जाते हुए नई दिल्ली स्टेशनपर।

डॉक्टर आलमके काय-समितिसे इस्तीफेके बारेमें एक अन्य प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा घरेलू कारणोसे दिया गया है।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल १९-७-१९३४

२३५ पत्र: मीराबहनको

१९ जुलाई, १९३४

चि० मीरा,

यह पत्र भी चलती गाडीमे लिख रहा हूँ। मुझसे[1] तुम्हे लम्बे और जानकारी-भरे पत्रोकी आशा नही रखनी चाहिए। मेरे लिए तुम्हे हर सप्ताह अपना प्यार भेज देना काफी है। बाकीका काम चन्द्रशकर अच्छी तरह कर लेते है। और अब महादेव और वल्लभभाई भी छूट गये है। प्यारेलाल और महादेव मेरे साथ है, काका भी है। जयरामदास भी छूट गये, मगर मेरे साथ नही है। अब तो मुख्य व्यक्तियोमे जवाहरलाल और अब्दुल गफ्फार खॉ ही रह गये है।

यह गाडी मुझे कलकत्ता ले जा रही है। सम्भव है, गवनरसे मेरी मुलाकात हो और मूर से तो होगी ही।

आनेवाले उपवाससे तुम्हे अशान्ति नही होनी चाहिए। तुम्हे यह जानकर आश्चय होगा कि उपवासकी खबरसे उन आदमियोके नाम प्रकट हो गये है जिहोने काली झण्डियोके प्रदशनपर हमला करनेमे भाग लिया था।

मै पहले ही पूछ चुका हूँ कि वह अधिकार-पत्र तुम्हारे पास है या नही जिसका मैने वायदा किया था।[2]

सस्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९२) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५८ से भी।

१ साधन-सूत्रमें 'मुझसे' की जगह 'तुमसे' है।

२. देखिए पृ० १८४।

२३६. पत्र : नारणदास गांधीको

१९ जुलाई, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारे दोनों पत्र मिल गये हैं। तुम्हारा यह विचार कि गोशालाको स्वतन्त्र रूपसे चलाना चाहिए, मालूम हुआ। यदि ऐसा मान ले तो उसके लिए ट्रस्टी कौन लोग होंगे? शकरलाल[1], अम्बालालभाई,[2] रणछोडभाई[3] और टाइटस? मैंने उन लोगोंके नाम छोड दिये हैं जिनके किसी भी समय गिरफ्तार हो जानेकी सम्भावना है। यदि चाहो तो चिमनलाल[4]को भी रख सकते हैं।

अमलाबहनके बारेमें कुछ समझ नहीं पाता। क्या तुम उसे राजकोटमें रखनेके लिए तैयार हो? वर्धामें भी वह नहीं टिक सकती। यह भार किसके ऊपर डालूँ? आखिर मैं वर्धामें कितने दिनतक रह सकता हूँ? अगर मैं गिरफ्तार न किया गया तो उडीसा अथवा बंगाल या सरहदी सूबेमें रहूँगा। मुझे रोजमर्राके काममें अब मत गिनना।

आशा है, वहाँ सब ठीक चल रहा होगा। केशुका क्या हाल है। जमनादासकी तबीयत सुधरी? सन्तोक, केशु, राधा इतने लोगोंका खर्च निकालना है। यह तुम्हें देखना है कि इन्हें कितना दिया जाये। जो ठीक लगे सो रकम निश्चित करना। राधाको निश्चिन्त कर दो। सन्तोक वहाँ कुछ काम करे, या तो बच्चोंको पढानेका या दूसरा जो सम्भव हो। वह स्वयं कहाँ रहती है? केशु कहाँ रहता है? यह बोझ तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ। पर लाचार हूँ। मैं यहाँ बैठकर निर्णय नहीं ले पाता। तुम तटस्थ भावसे दृढतापूर्वक न्याय कर पाओगे। मुझसे कुछ पूछना पडे तो पूछ लेना।

कुसुमका क्या हाल है? प्रेमाकी कोई चिट्ठी ही नहीं है। यह एक विचित्र बात है। सुशीला मुझे अपने विषयमें लिखने वाली थी, इसलिए उसे नहीं लिखा।

यह कलकत्ता जाते हुए रेलगाडीमें लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

१. शंकरलाल बैंकर।
२. अम्बालाल साराभाई।
३. रणछोडलाल अमृतलाल।
४. चिमनलाल शाह।

[पुनश्च]

तुम यह मान सकते हो कि आश्रमकी खादी चर्खा संघको दे दी गई है। शंकरलालको ऐसा बता देना।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८४०५से भी, सौजन्य नारणदास गांधी।

२३७ पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१९ जुलाई, १९३४

चि० प्रेमा,

तूने पत्र लिखनेका वचन दिया था, फिर भी नहीं लिखा। यह दुःखकी बात है। मैंने आशा रखी थी कि तू भविष्यमें क्या करना चाहती है इस बारेमें कुछ लिखेगी। क्या यह आशा बनाये रखूँ?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५८)से। सी० डब्ल्यू० ६७९५से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कंटक।

२३८ पत्र : लीलावती आसरको

१९ जुलाई, १९३४

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला था। तू मेरे साथ रहनेका मोह छोड़ दे। समझ ले कि मैं किसी कामका नहीं हूँ। आश्रम टूटा तो समझ ले कि टूट ही गया। मुझे तो अब यहाँ-वहाँ भटकना है अथवा जेलमें रहना है। उपवासके लिए वर्धामें रहना पड़ेगा। उस समय तू आकर क्या करेगी? वहाँ तू काममें संलग्न है ही, और ठीक व्यवस्थित हो गई है। वहीं रहकर जो सीख सके सो सीख और सिखा सके सो सिखा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९५७४) से। सी० डब्ल्यू० ६५८६ से भी, सौजन्य लीलावती आसर।

२३९. वक्तव्य समाचारपत्रोको[1]

कलकत्ता
१९ जुलाई, १९३४

मेरे लिए यह बडे खेदकी बात रही कि मै हावडा स्टेशनपर नही उतर सका। मैं यह नही जानता था कि जनता मेरे हावडा स्टेशनपर उतरनेकी आशा कर रही है। वास्तवमें मुझे बर्दवान स्टेशनसे ही लिवा ले जानेकी बात थी, लेकिन अन्तमे मुझे बेलूर स्टेशनसे लिवा ले जाया गया। इस सबमे रेलवे अधिकारियोके शिष्ट व्यवहारके लिए धन्यवाद। यदि मुझे यह मालूम होता कि जनता हावडा स्टेशनपर मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तो मैं वहाँ पहुँचनेका आग्रह करता।

मुझे यह जानकर भी दु ख हुआ कि कुछ लोग इस आशकासे गिरफ्तार कर लिये गये है कि कही वे मुझे चोट न पहुँचाये या गडबडी न मचाये। मै पुलिस अधिकारियोसे अनुरोध करूँगा कि उन्हे रिहा कर दे। मेरा जीवन जनताकी धरोहर है और उसकी सेवामे अर्पित है और जबसे मैंने सार्वजनिक जीवनमे कदम रखा है, तभीसे वह जनताके लिए रहा है। मै अच्छी तरहसे समझता हूँ कि पुलिसको अपना कर्तव्य पालन करना है। तथापि मै पुलिससे कहूँगा कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो उन लोगोको जो गिरफ्तार किये गये है, रिहा कर दे।

[अंग्रेजीसे]
अमृतबाजार पत्रिका, २०-७-१९३४

२४० पदयात्राकी प्रशंसा

उडीसाकी उन धीमी परन्तु नियमित, सफल और शान्त पदयात्राओसे साथी कार्यकर्त्ताओने मुझे फिर रेल और मोटरकारमे घसीट लिया है। अत ऐसेमे इस आशयके विचारो को प्राप्त कर, जैसेकि नीचे दिये गये है, बडी खुशी होती है

> **आपकी तीर्थयात्राओसे मेरा मन गाने लगता है। जिनके लिए आप यह यज्ञ कर रहे हैं, यह उनके अनुरूप ही है। गर्वोक्तिके लिए क्षमा करे, पर इसके विचारसे ही मैं अपनेको आलोकित अनुभव करने लगता हूँ। हरिजन-कार्यके लिए आपका मोटरकारमें दौडना न जाने क्यो मुझे विचित्र और बेतुका लगा।**

१ साधन-सूत्रमें बताया गया था कि गाधीजी ने यह वक्तव्य "कलकत्ता पहुँचनेके तुर त बाद" दिया।

मैं इसे पूर्णतया एक आध्यात्मिक समस्या मानता हूँ ,और एक सच्चे तीर्थकी तरह आपका इसकी ओर पैदल बढना, उत्कृष्ट सगीत या साध्य छटाकी तरह मेरे मनको अभिभूत कर देता है। मुझे लगता है कि दरिद्रनारायणके पास ऐसे ही पहुँचना चाहिए। क्षमा करे, मेरे ये शब्द एक सगीतकारका वैसा ही स्वत स्फूर्त उद्‌गार है, जैसाकि भावातिरेकमें पूरी तरह सुरमें मिले तम्बूरे पर निकलता है। लोग कहते हैं, "पर पैदल वे कितने गाँवोमें जा सकते हैं?" मेरा हृदय कहता है, "हाँ, पर वे कितनी आत्माओको छुएँगे।" आत्माएँ, निश्चय ही, गाँवोसे अधिक महत्त्व रखती है और एक तीर्थयात्री हजार प्रचारकोके बराबर है।

मेरी बडी इच्छा है कि साथी कायकर्ता हरिजन-कार्यके लिए पदयात्राओकी खूबी और आवश्यकनाको समझे। तूफानी दौरेसे आप लोगोके हृदयोको नही छू सकेगे। उनके साथ तो आपका शान्त, व्यक्तिगत और घनिष्ठ सम्पक होना चाहिए। मोटरकारो और रेलोकी तूफानी यात्रा कुछ समयके लिए आदमीको स्तब्ध कर देती है और उसमे साफ-साफ सोचनेकी शक्ति नही रहती। पिछली यात्राके धक्केसे वह प्रकृतिस्थ भी नही हो पाता कि उसे दूसरी यात्राके लिए तैयार होना पडता है। इस तरह इनसे यात्री या उसकी यात्राके शिकार किसीको भी प्रकृतिस्थ होनेका अवसर ही नही मिल पाता। मै जानता हूँ कि वतमान कार्यक्रममे कोई बडा परिवर्तन नही हो सकता। पर भावी कार्यक्रमके लिए उपरोक्त विचारोकी कद्र करनी चाहिए और शेष सप्ताहोके कार्यक्रमको ऐसा रूप देना चाहिए कि भागादौडी न करनेके विचारसे उसका तालमेल बैठ सके। मै जितनी देर मुख्य स्थानोपर रुकूँ उसमे यथासम्भव कम-से-कम आना-जाना हो। मेरी उपस्थितिका लाभ अन्य कार्योंके लिए नही उठाना चाहिए, फिर चाहे वे कार्य कितने ही सराहनीय क्यो न हो। मेरा मन, जहाँतक सम्भव हो, हरिजन-कायपर ही केन्द्रित रहने देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २०-७-१९३४

२४१ पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

२० जुलाई, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे उपवासके बारेमे तुम नाहक ही चिन्तित हो उठी हो। कोई और चिन्तित नही है। सात दिनका उपवास मेरी जान नही ले सकता। लेकिन यदि मेरा अन्त ही आनेको है तो उपवास हो या न हो, अन्त आयेगा ही। इसलिए मै तुमसे कहूँगा कि मेरे बारेमे सब चिन्ता त्याग दो।

तुम्हारा वर्धा आनेकी इच्छा करना कर्तव्यकी ओर सरासर उपेक्षा व्यक्त करता है। जब तुम मेरा काम कर रही हो, तो तुम मेरे साथ रह रही हो, फिर चाहे तुम शरीरसे मुझसे मीलो दूर ही क्यो न हो। ओर यदि तुम मेरा काम न कर रही हो तो चाहे मेरे साथ सशरीर एक ही स्थानपर हो, मेरे साथ नही रह रही हो। जब भगवान चाहेगा तुम शरीरसे भी मेरे पास रह सकोगी। लेकिन जैसा मैंने कहा है, यदि तुम आश्रममे नही रह सकती तो फिर तुम जैसा चाहो करो। उस हालतमे इजाजतका कोई सवाल ही नही है। मै अपनी प्रकृतिको नही दबा सकता और जो असम्भव है, नही कर सकता। क्या तुम राजकोट जाकर नारणदासके पास रहोगी? द्वारकानाथ अभी वर्धासे बाहर नही गये है। मै बिलकुल ठीक हूँ। रक्तचाप सामान्य है।

सस्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे

स्पीगल कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।

२४२ पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

२० जुलाई, १९३४

चि० अम्बुजम्,

तुमारे दो खत मिले है।

मेरे उपवासकी चिंता मत करो। ईश्वर उसे निर्विघ्न समाप्त करेगा। जहा तक इस शरीरसे कुछ भी सेवा लेना चाहता है कोई हानि नही हो सकती है।

पतिके साथ बिलकुल नहि रह सकती है तो मातपितासे कह दो। जैसा वे कहे वह शान्तिसे सुनो-सहन करो। यदि कुम्बकोनम जा सकती है तो अवश्य जाकर उनके साथ रहो। जो चीजके लिये मन तैयार नहि है उसको बलात्कारसे करनेमे लाभ नहि पर हानि है। क्योकि मन ही आत्माके बधन मोक्षका कारण है। ऐसे गीता माता कहती है और वही अनुभव सबका है। क्या करती है मुझे अवश्य लिखा करो।

भगवान तुमको शाति देवे।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५९६)से, सौजन्य एस० अम्बुजम्माल।

२४३ बातचीत: पीडित वर्गोंके प्रतिनिधियोके साथ[1]

[२१ जुलाई, १९३४ या उससे पूव][2]

गाधीजी ने बिना किसी कठिनाईके यह स्पष्ट कर दिया कि 'पीडित वर्ग' नाममें जो एक दुर्गन्ध है, वह 'हरिजन' नाममें निश्चित रूपसे नहीं है। पर उन्होने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि प्रेममें रखे गये किसी नामको भी उसे पसन्द न करनेवालोपर वे कदापि थोपना नहीं चाहेगे। शिकायतोमें एक शिकायत यह थी कि हरिजन बोर्डमें उन्हे आधीसे ज्यादा सीटें नहीं दी गई है। गाधीजी ने उन्हे विस्तार से समझाया कि सवर्ण हिन्दुओके सगठनने अपने आगे जो कार्य रखा है, उसका स्वरूप पश्चात्तापका है और कहा कि हरिजनोको पश्चात्तापके इस कार्यमें किसी भी तरह भाग लेनेको नहीं कहा गया है। बेहतर यह होगा कि वे हरिजन सेवक सघ

१ यह महादेव देसाई द्वारा लिखित "कलकत्तेमें तीन दिन" से उद्धृत है।

२ गाधीजी २१ जुलाई १९३४को कलकत्तेसे कानपुरके लिए चल पड़े थे।

बोर्डके कार्यकी जाँच और समीक्षाके लिए उसे सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए एक स्वतन्त्र सलाहकार बोर्ड बनायें। यह उनका विशेषाधिकार ही नहीं बल्कि कर्त्तव्य भी है। उनका दूसरा कर्त्तव्य, जिसे वे सवर्ण सुधारकोसे कही ज्यादा कारगर ढगसे निभा सकते है, भीतरी सुधार करना है, अर्थात् जो हरिजन मरे हुए पशुओका मास खाते है और मद्यपान आदिके आदी है, उनकी इन आदतोको छुडाना। अन्तमें उन्होने उनसे अनुरोध किया कि यद्यपि उन्हे इसका पूरा अधिकार है, फिर भी वे अधीर न हो, क्योकि पिछले दो वर्षोंमें सवर्ण हिन्दुओकी मनोवृत्तिमें आश्चयजनक परिवर्तन हुआ है। मानसिक परिवर्तनसे पहले की गई कार्रवाई यान्त्रिक और निष्फल हो सकती है। पर यदि वह मन और हृदयके परिवर्तनका परिणाम हो तो उसमें ऐसी शक्ति होती है कि सभी उसके ताप और आलोकका अनुभव कर पाते है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १०-८-१९३४

२४४. भाषण: चित्तरजन सेवा-सदन, कलकत्तामें

२१ जुलाई, १९३४

एक राष्ट्रके रूपमे, हम भारतीयोमे आत्मविश्वासका अभाव है। हमारे आलोचक अक्सर हमारे बारेमे यह कहते है कि हम लोगोमे रचनात्मक योग्यताओकी कमी है और हम बडी सार्वजनिक सस्थाओका सफलतासे सचालन और प्रबन्ध नही कर पाते। सेवा-सदनने डॉ० विधानचन्द्र राय और सर नीलरत्न सरकारके सुयोग्य मार्गदशनमे लगातार जो प्रगति की है, वह इस आरोपका बहुत ही करारा जवाब है।

अभी उस दिन मुझे लाहौरके गुलाबदेवी धर्माथ अस्पतालका उद्घाटन करनेके लिए आमन्त्रित किया गया था।[1] उस अवसरपर मेरे मनमे जो विचार उठा, मै उसे आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। क्या यह आश्चयकी बात नही है कि स्वर्गीय लाला लाजपतराय और स्वर्गीय देशबन्धु दास, जो अपने समयके सबसे प्रमुख राजनैतिक नेता थे और जिनका सारा जीवन राजनैतिक सघषमे बीता, दोनोने ही अपनी मृत्युके समय अपनी सारी सम्पत्ति राजनैतिक उद्देश्यके लिए नही बल्कि विशुद्ध परोपकारी और लोकहितकारी उद्देश्यके लिए दान की। यह एक ऐसी घटना है जो हमारे आलोचकोके लिए विचारणीय है और उन्हे इसका सार समझना चाहिए। इससे यह जाहिर होता है कि हमारी प्रतिभा मुख्य रूपसे सेवा और लोकहितकी दिशामे काम करती है। बाह्य परिस्थितियोके कारण हम राजनीतिमे आनेको बाध्य हो जाते है और परिणामस्वरूप रचनात्मक कार्यकी हमारी आन्तरिक प्रेरणा दब जाती है और पूरी नही हो पाती। स्वर्गीय लोकमान्य तिलकको भी इसीका दुख रहा।

१ देखिए पृ० २१२-१३ ।

जैसाकि सारे ससारको ज्ञात है, उन्हे दो बार जेल जाना पडा और दोनो अवसरो पर उन्होने अपने समय और प्रतिभाका उपयोग कोई राजनैतिक रचना लिखनेमे नही बल्कि धार्मिक और वैज्ञानिक रचनाएँ लिखनेमे किया। एक बार सुप्रतिष्ठित 'गीता रहस्य' लिखा और दूसरी बार वेदोकी प्राचीनतापर वह स्मरणीय ग्रन्थ लिखा जो अब विश्व-भरमे प्रसिद्ध हो गया है। जो बात मै पहले भी कह चुका हू उसे यदि आप दोहरानेकी अनुमति दे तो, इससे भी यही सिद्ध होता हे कि यद्यपि आज राज-नीति हमारे समूचे जीवनपर छाई लगती है, पर हमारी आत्मा जिस आदर्शके लिए लालायित है, वह सेवा ही है। हमारी आ तरिक प्रवृत्ति, धमके सीमित या सकीर्ण अथमे नही बल्कि अविकस-अधिक व्यापक अथमे धार्मिक है और यदि कभी हम राजनीतिमे व्यस्त होनेको बाध्य होने है, तो उसका भी उद्देश्य अपनी रचनात्मक प्रतिभाको कायक्षम बनानेके लिए अपना माग प्रशस्त करना होता है।

आपको मालूम ही हे कि देशबन्धु और मै परस्पर कितने घनिष्ठ हो गये थे, खासकर उनके अन्तिम दिनोमे जबकि हम दार्जिलिगमे एक-साथ ठहरे हुए थे। हमने मिलकर रचनात्मक कायक्रमकी योजना बनाई थी और मै उसे प्रयोगमे लानेमे उनके पूण सहयोगकी आशा कर रहा था। परन्तु ईश्वरकी इच्छा कुछ और थी। उस भेंटके बाद एक सप्ताहके अन्दर ही देशबन्धु स्वर्ग सिधार गये। जो हम दोनोका समान आदश था उसके लिए कुछ भी कर सकनेपर मुझे सदा बडी प्रसन्नता होती है। इसलिए डॉ० विधानचन्द्र रायसे जब इस समारोह[1] का निमन्त्रण मिला तो मैने उसका सहर्ष लाभ उठाया। आप लोगोसे मेरी यह अपील है कि इस सस्थाकी आप जितनी भी सहायता कर सकते है करे। स्वर्गीय देशबन्धुकी स्मृतिमे कमसे-कम इतना तो आपका फज है ही।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २२-७-१९३४

२४५. बातचीत . विद्यार्थियोके साथ

[२१ जुलाई, १९३४][2]

प्रश्न यह मानते हुए कि स्वतन्त्रता-प्राप्तिका एकमात्र साधन जनक्रान्ति है, क्या आप यह विश्वास रखते है कि ऐसी क्रान्तिके दौरान, सभी सम्भव उत्तेजनाओके बावजूद, जनता विचार और कर्मसे सर्वथा अहिंसक रह सकती है और रहेगी? अहिंसा का यह स्तर प्रप्त करना एक व्यक्तिके लिए तो सम्भव है। लेकिन क्या आप समझते है कि जनताके लिए कर्ममें अहिंसाके इस स्तरतक पहुँच सकना सम्भव है?

१ सेवा-सदनके बाल-कक्षकी आधार शिला रखनेका।

२ **अमृतबाजार पत्रिका**, २२ ७ १९३४ से। साधन-सूत्रमें "१८ जुलाई, १९३४" है, जो कि गलत है।

गांधीजी इस समय आपका यह प्रश्न करना विचित्र है, क्योंकि हमारे अहिंसात्मक संघर्षका पूरा दौर इस बातका प्रमाण है कि जहाँ-कहीं हिंसा भड़की है, जनसमूहकी ओरसे नहीं, बल्कि यदि मैं कहूँ तो वर्गोंकी ओरसे भड़की है, यानी वह बुद्धिजीवियों द्वारा करवाई गई है। हिंसात्मक संघर्षमें भी यद्यपि कभी-कभी व्यक्ति अपनेपर काबू खो देता है और सब-कुछ भूल जाता है, फिर भी संघर्षरत जन-समूह वैसा करनेकी हिम्मत नहीं करता और वैसा करता भी नहीं है। जन-समूह केवल आदेश मिलनेपर ही हथियारोंका प्रयोग करता है और आदेशानुसार ही हिंसाग्निको रोकता है, भले ही बदला लेने और जवाबी चोट करनेकी व्यक्तिगत भावना कितनी ही प्रबल क्यों न हो। यदि अहिंसाके अधीन जन-समूह अनुशासन बद्ध हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वह उस अनुशासनका प्रदर्शन न कर पाये जो आम तौरपर एक सुसचालित युद्धमें लड़नेवाली फौज प्रदर्शित करती है। इसके अलावा अहिंसात्मक सेनापतिको एक विशेष सुविधा यह भी प्राप्त है कि उसे संघर्षको सफलतापूर्वक चलानेके लिए हजारों नेताओंकी जरूरत नहीं है। अहिंसाके सन्देशके प्रसारणके लिए इतने सारे लोगोंकी जरूरत नहीं है। कुछ सच्चे पुरुष व महिलाओंने यदि अहिंसाकी भावनाको ग्रहण कर लिया है, तो उनका दृष्टान्त अन्ततोगत्वा समस्त जन-समूहको प्रभावित अवश्य करेगा। मैंने आन्दोलनके प्रारम्भमें ठीक इसी चीजका अनुभव किया। मैंने पाया कि लोग वास्तवमें ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं अहिंसाका उपदेश तो देता हूँ, किन्तु दिलसे हिंसाका समर्थन करता हूँ। उन्हें इसी ढंगसे नेताओंके वचन समझने और पढ़नेका प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने यह जान लिया कि मैं जो-कुछ कहता हूँ, मेरा अभिप्राय भी वही होता है, तो उन्होंने अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें सचमुच अहिंसाका पालन किया। चौरी-चौराकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। जहाँतक विचारोंमें भी अहिंसाकी बात है, उसका तो केवल ईश्वर ही निर्णायक है। लेकिन इतना निश्चित है कि कर्ममें अहिंसा तबतक कायम नहीं रखी जा सकती जबतक कि वह विचारोंमें भी उसके साथ-साथ न चल रही हो।

क्या आपके खयालसे आपके आदर्शोंकी प्राप्तिके लिए शोषकों और शोषितोंमें कुछ भी सहयोग सम्भव है? क्या आप समझते हैं कि वह समय आ गया है जब कांग्रेसको पूँजीपतियों और जमींदारोंके हितोंकी परवाह न करके जन-साधारणके अधिकारोंके लिए कोई निश्चित रवैया अख्तियार कर लेना चाहिए? क्या आपका यह विचार नहीं है कि किसी राष्ट्रवादी कार्यक्रमके आधारपर जन-साधारणको कारगर रूपमें संगठित करना सम्भव नहीं है और कार्यकर्त्ताओंके पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है कि वे शोषित किसानों और मजदूरोंके पक्षमें पूँजीपतियों और जमींदारोंके विरुद्ध खड़े हो जायें? क्या आप नहीं मानते कि वर्गयुद्ध अनिवार्य है और वर्गहितोंको विशाल मानवताकी खातिर नष्ट हो जाना चाहिए?

मैंने कभी नहीं कहा कि जबतक शोषण और शोषणकी इच्छा बनी हुई है तबतक शोषकों और शोषितोंमें सहयोग होना चाहिए। इतनी ही बात है कि मैं यह नहीं मानता कि तमाम पूँजीपति और जमींदार जन्मजात आवश्यकताके कारण

शोषक ही हैं या उनके और जन-साधारणके हितोमे कोई बुनियादी या अमिट विरोध है। शोषणमात्रका आधार शोषितोका सहयोग है, भले वह खुशीसे दिया गया हो या मजबूरीसे। हमे यह स्वीकार करना कितना ही बुरा लगता हो, परन्तु यह सत्य है कि यदि लोग शोषकोकी आज्ञाका पालन करनेसे इनकार कर दे तो शोषण नही होगा। परन्तु स्वार्थ बीचमे आ जाता है और जो जजीरे हमे बाँधे हुए होती है, हम उन्हीसे चिपटे रहते हैं। ऐसा बन्द होना चाहिए। जरूरत इस बातकी नही है कि जमीदारो और पूँजीपतियोको मिटा दिया जाये बल्कि जरूरत इस बातकी है कि उनके और जन-साधारणके मौजूदा सम्बन्धोका रूप बिलकुल बदलकर अधिक कल्याण-कारी और शुद्ध बना दिया जाये। आप पूछते है कि 'क्या काग्रेसके लिए पूजीपतियो और जमीदारोके हितोके विरुद्ध जन-साधारणके अधिकारोके लिए खडे हो जानेका समय नही आ गया है?' मेरा उत्तर है कि जबसे काग्रेस मैदानमे आई है, भले ही उसमे बहुमत नरम दलवालोका रहा हो चाहे गरम दलवालोका, तबसे उसने हमेशा इसके सिवा और कुछ नही किया है। श्री ए० ओ० ह्यूमके नेतृत्वमे अपने जन्मसे ही काग्रेसने आम जनताका प्रतिनिधित्व करनेकी कोशिश की है। सच तो यह है कि उसकी शुरूआत ही इस तरहसे हुई, और उसके लगभग आधी शताब्दीके इतिहासका अध्ययन करनेमे पूरी तरह साबित हो जाता है कि काग्रेस बराबर आम जनताका प्रतिनिधित्व करनेमे प्रगतिशील रही है।

आप पूछते है, क्या काग्रेसके लिए पूजीपतियो और जमीदारोके हितोकी परवाह न करके जन-साधारणके हकोके पक्षमे कोई निश्चित रवैया अख्तियार कर लेनेका समय नही आ गया है? मेरा उत्तर है, नही। यदि हम जन-साधारणके हितैषी कहे जानेवाले ऐसे रवैये अख्तियार करेगे, तो केवल अपनी और उनकी कब्र ही खोदेगे। स्व० सर सुरेन्द्रनाथकी तरह मै तो जमीदारो और पूँजीपतियोको जन साधारणकी सेवाके लिए इस्तेमाल करना पसन्द करूगा। हमे पूजीपतियोके लिए गरीबोके हितोका बलिदान नही करना चाहिए। हमे उनके हाथोमे नही खेलना चाहिए। हमे उस हदतक उनपर भरोसा रखना चाहिए जिस हदतक वे जन-साधारणकी सेवाके लिए अपना लाभ छोड सके। क्या आपके विचारसे कथित भाग्यशाली वर्ग राष्ट्रीय भावनाओसे सर्वथा विहीन है? ऐसा सोचना उनके साथ घोर अन्याय और जन-साधारणका अपकार होगा। क्या शासक उनका शोषण नही करते? वे उच्च भावनाओके असरसे अछूते नही हैं। यह मेरा हमेशाका अनुभव है कि प्रेमपूर्ण बातका उनपर जरूर असर होता है। यदि हम उनका विश्वास प्राप्त कर ले और उन्हे निश्चिन्त होने दे, तो हम देखगे कि वे क्रमश जन-साधारणको अपनी दौलतमे हिस्सेदार बनानेके विरुद्ध नही है। इसके सिवा, हम जन-साधारणके साथ-साथ अपने-आपसे भी तो पूछे कि क्या हमने अपने और उमडती करोडो जनताके बीचकी खाई पाट ली है? काँचके घरोमे रहनेवाले हम लोगोको पत्थर तो नही फेकने चाहिए। हम कहाँतक गरीबोके जीवनमे शरीक होते है? मै अपने लिए तो स्वीकार करता हूँ कि यह अभीतक एक आकाक्षा ही है। हमने खुद रहन-सहनकी वे आदते पूरी तरह नही

छोडी है जिनके लिए पूँजीपति बदनाम है। वग-युद्धका विचार मुझे नही जचता। भारतमे वग-युद्ध अनिवार्य नही है, इतना ही नही यदि हम अहिंसाका सन्देश समझ ले तो हम उससे बच सकते हैं। जो वग-युद्धके अनिवाय होनेकी वाते करते है, उन्होने या तो अहिंसाके फलितार्थ समझे ही नही या केवल ऊपरसे समझे है।

धनवान स्वय गरीब हुए बिना गरीबोकी सहायता कैसे कर सकते है? धन या पूँजीवाद ऐसी प्रणाली है जो अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए पूँजी और श्रमके बीच जबर्दस्त अन्तर बराबर कायम रखनेकी कोशिश करती है। इसलिए क्या इन दोनोमें से किसी एकके हितोको भारी हानि पहुँचाये बिना कोई समझौता कराना सम्भव है?

धनवान अपने धनका उपयोग स्वाथपूण सुखोके लिए न करके गरीबोके हित-साधनके लिए कर सकते है। यदि वे ऐसा करे तो गरीबो और अमीरोके बीच आज जो अमिट खाई है वह नही रहेगी। वर्ग-विभाजन तो रहेगा, मगर वह साधारण होगा, बहुत भारी नही होगा। हमे पश्चिमसे आये हुए पथभ्रष्ट करनेवाले शब्दो और नारोके वशीभूत नही हो जाना चाहिए। क्या हमारी अपनी विशिष्ट प्राच्य परम्पराएँ नही है? क्या पजी और श्रमके प्रश्नका हम अपना हल निकालनेमे समर्थ नही है? वर्णाश्रम धमकी प्रणाली यदि ऊँच-नीच और पजी व श्रमके अतरको दूर करके उनका सुमेल साधनेका साधन नही है तो और क्या है? इस विषयमे पश्चिमसे आनेवाली हर चीजपर हिसाका रग चढा होता है। मुझे उसपर इसलिए आपत्ति होती है कि इस मागके अन्तमे जो सवनाश है, उसे मै देख चुका हूँ। आजकल पश्चिममे भी अधिक विचारशील लोगोको उस अधकूपके प्रति चिन्ता हो रही है जिसकी ओर उनकी प्रणाली दौडी चली जा रही है। और मेरा पश्चिममे जो भी प्रभाव है, वह ऐसा हल निकालनेके मेरे सतत प्रयत्नके कारण है जिससे हिसा और शोषणके कुचक्रसे निकलनेकी आशा होती है। मैने पाश्चात्य समाज-व्यवस्थाका सहानुभूतिपूवक अध्ययन किया है और मुझे पता चला है कि पश्चिमकी आत्मामे जो बेचैनी भरी है, उसकी जडमे सत्यकी अविश्रान्त खोज है। मै इस वृत्तिकी कद्र करता हूँ। हम वैज्ञानिक अनुसन्धानकी उस वृत्तिसे अपनी प्राच्य सस्थाओका अ ययन करे, तो ससारने जिस समाजवाद और साम्यवादके सपने अभीतक देखे है, उससे अधिक सच्चे समाजवाद और साम्यवादका हम विकास कर लेगे। यह मान लेना बेशक गलत बात है कि जन-साधारणकी दरिद्रताके प्रश्नके बारेमे पाश्चात्य समाजवाद या साम्यवाद अन्तिम हल है।

हम ठीक-ठीक और स्पष्ट रूपसे जानना चाहते है कि अहिंसासे आपका क्या अभिप्राय है। यदि अहिंसासे आपका अभिप्राय व्यक्तिगत घृणाका अभाव है तो हमें इसपर कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति तो तब होती है जब आप अहिंसाका अर्थ किसीको न मारना बताते है। युद्ध व्यक्तिगत आधारपर नहीं लडे जाते, बल्कि

राष्ट्रीय सम्मानकी अथवा हितोकी रक्षाके लिए लडे जाते है। विवाद नैतिक तथा शारीरिक दोनो ही ताकतोके अधिकतम प्रयोग द्वारा सुझलाये गये है। जब हमारे राष्ट्रीय आदशकी विजयके लिए सब लोग सफलतापूवक शारीरिक शक्तिका प्रयोग कर सकते है और जब वह सबसे छोटा रास्ता है, तो आप उसपर आपत्ति क्यो करते है? इसके अलावा, ससार अभी भी इतना आगे नही बढ पाया है कि नैतिक आग्रहकी कद्र कर सके।

मेरी अहिसा नैतिक बलके अलावा अन्य सभी बलोके प्रयोगको अस्वीकार नही करती। पर यह कहना कि राष्ट्रीय समस्याओके समाधानके लिए विश्वमें शारीरिक शक्तिका प्रयोग होता रहा है या आज हो रहा हे, एक बात है और यह कहना कि उसका प्रयोग होते रहना चाहिए, दूसरी बात हे। हम अन्धाधुन्ध पश्चिमकी नकल नही कर सकते। पश्चिममे यदि कुछ चीजे की जाती है तो उनके पास उनके प्रतिकार भी है, हमारे पास नही है। उदाहरणके लिए, सन्तति-निरोधको ही लीजिए। यह पद्धति वहाँ ठीक तरह लागू होती दिख सकती है, परन्तु यदि हम उस पद्धतिको, जैसीकि वह पश्चिममे प्रतिपादित की जा रही है, अपना ले, तो दस वषमे भारतमे नपुसकोकी एक नस्ल पैदा हो जायेगी। इसी प्रकार यदि हम पश्चिमकी तरह हिसाको अपनाते है तो शीघ्र ही हम दिवालिया हो जायेगे, जैसेकि पश्चिम तेजीसे होता जा रहा है। अभी उस दिन मेरी एक यूरोपीय मित्रसे बात हो रही थी। वे सभ्यताके इस रूपसे भयभीत थे कि पश्चिमके अत्यन्त उद्योगसम्पन्न राष्ट्रो द्वारा विश्वकी अश्वेत नस्लोका बडे पैमानेपर शोषण हो रहा है। अहिसाका सिद्धान्त आज परीक्षाके दौरमे मे गुजर रहा है। आत्मिक शक्तिया और पाशविक शक्तिके बीच जिन्दगी और मौतका सघष चल रहा है। इसलिए सकटकी इस घडीमे हमे परीक्षासे नही कतराना चाहिए।

बगालके नजरबन्द युवको और युवतियोके सिलसिलेमे काग्रेसने क्या किया है या उसे क्या करना चाहिए?

मेरे पास जो समाधान है, वह मैने आपको बता दिया हे। काग्रेस-सगठनको यदि हम अहिसात्मक रीतिसे और ईमानदारीसे चलाये, तो उसमे आज जो भ्रष्टाचार है' हम उसे उससे मुक्त कर सकेगे। वह भ्रष्टाचारसे बुरी तरह ग्रस्त है, और मुझे खेदके साथ यह स्वीकार करना पडता है कि बगाल इस मामलेमे सबसे बडा पापी है। मै आपसे वादा करता हूँ कि इन नजरबन्दोमे से हरएक रिहा कर दिया जायेगा। पर हमे मन, वचन और कर्मसे सच्चा अहिसक होना होगा।

अपने समाजके उन सभी तत्वोको, जिनका किसी-न-किसी तरह शोषण या दमन होता है, हम हरिजन मानते है। आपका सत्याग्रह-आन्दोलन सदा उनके लिए है जो पददलित है। फिर एक पृथक् हरिजन-आन्दोलनकी क्या जरूरत है?

मै जो आन्दोलन चला रहा हूँ, यह एक पृथक हरिजन-आन्दोलन नही है। यह विश्वव्यापी महत्त्व रखता है।

क्या भारतके युवकोके लिए सामाजिक व्यवस्थाको बदलनेका समय आ गया है? यह कार्य स्वराज्यके लिए होनेवाले राजनैतिक प्रयत्नसे पहले होना चाहिए या पीछे?

सामाजिक व्यवस्थाको बदलना और राजनैतिक स्वराज्यके लिए सघष, दोनो ही साथ-साथ चलने चाहिए। यहाँ पहले पीछे या दोनोको अलग-अलग खण्डोमे बाँटनेका तो सवाल ही पैदा नही होता। परन्तु नई सामाजिक व्यवस्था जबदस्ती नही लादी जा सकती। वह इलाज बीमारीसे भी खराब रहेगा। मै सुधारके लिए उतावला हूँ। मै सामाजिक व्यवस्थामे व्यापक और आमूल परिवर्तन लाना चाहता हूँ। पर वह आगिक विकास होना चाहिए, जबदस्ती और ऊपरसे थोपी हुई चीज नही होनी चाहिए।

कुछ नकली राष्ट्रवादी मुसलमानोको अवैध और अयुक्तियुक्त रियायतें देकर, जिससे उनकी कभी न शान्त होनेवाली भूख और बढती ही जाती है, उन्हे काग्रेसके अन्दर रखनेकी कोशिशसे आखिर क्या फायदा है?

यदि राष्ट्रवादी मुसलमान नकली राष्ट्रवादी है, तो हम भी नकली राष्ट्रवादी है। इसलिए वह शब्द हमे अपने कोशमे निकाल देना चाहिए। 'अयुक्तियुक्त रियायत से आपका क्या मतलब है, मुझे नही मालूम। पर आप मुझे कभी किसी अवैध रियायतका समथन करते नही पायेगे। हमारे बीच यह एक समान आधार है।

खिलाफतके प्रश्नको काग्रेस-मचपर लानेके कारण क्या काग्रेस-दल साम्प्रदायिक सम्बन्धोकी कटुताके लिए उत्तरदायी नहीं है?

काग्रेसका खिलाफत-आन्दोलनमे भाग लेना साम्प्रदायिक सम्बन्धोमे कटुता पैदा होनेके लिए उत्तरदायी है, यह कहना ऐतिहासिक दृष्टिसे सच नही है। वास्तविकता इससे बिलकुल उल्टी है, और मेरी मान्यता सदा यही रहेगी कि काग्रेसका अपने मुसलमान देशवासियोकी खिलाफतकी लडाईमे उनका साथ देना ठीक ही था।

[अग्रेजीसे]

टु दि स्टूडेंटस, पृ० २०४-९

२४६. भाषण : टाउनहॉल, कलकत्तामें[1]

२१ जुलाई, १९३४

अभिनन्दनका हिन्दीमें उत्तर देते हुए गाधीजी ने इस बातपर खेद प्रकट किया कि उन्हे बगला भाषा नहीं आती। इस सुन्दर और मधुर भाषाको, जिसकी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी रचनाओसे इतनी श्रीवृद्धि हुई है, सीखनेकी उनके मनमें बडी साध रही है।

उन्हे वह अवसर याद आया जब देशबन्धु चित्तरजन दासके हाथो उन्हे एक और नागरिक अभिनन्दन-पत्र प्राप्त हुआ था। देशप्रिय यतीन्द्रमोहन सेनगुप्तके साथ, जिन्हे वे अब अपने निकट नही पा रहे थे, अपने घनिष्ठ और अन्तरग सहयोगका भी उन्होने मार्मिक शब्दोमे उल्लेख किया।

अभिनन्दनमें उनकी प्रशसामे जो-कुछ कहा गया था, उसे महात्माजी ने उनका आशीर्वाद माना और कहा मै हैरान हूँ कि उत्तरमें क्या कहूँ। मैं तो ईश्वरसे केवल यह हार्दिक प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि यह बृहत् नगर निगम एक आदर्श निकाय बन जाये और ऐसा उदाहरण रखे जिसके अनुकरणसे अन्य म्युनिसिपल सस्थाएँ भी लाभ उठा सकें।

कलकत्तेको, जिसमें सुन्दर उद्यान, बडी-बडी सडकें और आलीशान इमारते हैं, महलोकी नगरी कहना ठीक ही है। पर इस हकीकतको नजरन्दाज नही किया जा सकता कि तस्वीरका एक दूसरा पहलू भी है। एक ओर जहा ये शानदार चीजे है, जिन पर यह नगर गर्व कर सकता है, वहाँ दूसरी ओर हरिजन जिन बस्तियोमें रहते हैं उनकी दशा दयनीय है। इस विरोधाभाससे मुझे बहुत दु ख पहुँचता है। सुबह मुझे कुछ हरिजन-बस्तियोमे जानेका अवसर मिला था और जिस अभागी स्थितिमें वे लोग रह रहे हैं—न हवा है, न रोशनी है, न पीनेको पर्याप्त पानी है—उसे देख कर मुझे बडी पीडा हुई। मैं तो स्वय अपनी मर्जीसे हरिजन बन गया हूँ और यदि मैं कहूँ कि मुझे खुद उस जगह बैचेनी लगी थी तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बडे शहरकी सफाई और सेहतकी जिम्मेदारी शहरके इन भगियो और जमादारोपर ही है। नगर निगमके सदस्योसे मेरी प्रार्थना है कि उन्हे हर साल कुछ रकम इन लोगोकी विभिन्न शिकायतोको दूर करनेके लिए

१ नगर निगमकी ओरसे महापौर नलिनीरजन सरकारने तीसरे पहर अभिनन्दन पत्र भेंट किया था, जो सफेद खद्दरपर बगलामें छपा था।

निकालनी चाहिए। मानवता और न्यायके नामपर मेरी उनसे अपील है कि वे अपना कुछ समय और ध्यान इस महान ध्येयपर लगायें।

अन्तमें, गाधीजी ने कहा कि अखबारोमें महापौरके चुनाव सम्बन्धी विवादपर जो बडी-बडी सुर्खियाँ छपी है उनपर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। मुझे आशा है कि इस तरहकी चीज फिर नहीं होगी। उन्होने निगमके सदस्योसे अपील की कि वे ऐसी कोशिश करे जिससे निगमके सभी विभाग, जाति, रग और धर्मके भेदभावके बिना, नगरके हितोके समान उद्देश्यके लिए एक होकर कार्य कर सकें। उन्होने आशा प्रकट की कि यह बृहत् निकाय इस ढगसे काम करेगा जिससे सारा हिन्दुस्तान इस पर गर्व अनुभव करेगा और इसे सराहेगा।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २२-७-१९३४

२४७ भाषण . सार्वजनिक सभा, कलकत्तामें[1]

२१ जुलाई, १९३४

गाधीजी ने शुरूमें कलकत्तेमें ज्यादा समयतक न रह सकनेके लिए खेद प्रकट किया। उन्हे हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें रातको ही बगालसे रवाना हो जाना था। उन्होने आगे कहा कि यहाँ इतने सारे लोगोकी उपस्थितिसे स्पष्ट है कि बगालके लोग हरिजनोके प्रति अपने कार्यको नहीं भूलेगे। वे उसे भूल ही नहीं सकते। उन्होने कहा कि इस महान कार्यके लिए कलकत्तेमें उन्होने अभीतक ६५,००० रुपये इकट्ठे किये है और आशा व्यक्त की कि रातको इस शहरसे रवाना होनेसे पहले उन्हे और भी दान मिलेगा। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि बगाल बस सिडीकेट तक ने ५०१ रुपये दान देकर अपनेको इस ध्येयसे जोड दिया है। हरिजन-कार्य एक ऐसा कर्त्तव्य है जो सभी वर्गों, अपनेको सनातनी कहनेवाले लोगोतकके लिए प्रिय हुए बिना नहीं रह सकता। मानवताको छोडे बिना इस कायकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होने कहा कि कुछ मजदूरोने, जो यहाँ भारी सख्यामें एकत्रित है, मुझसे पूछा है कि उनकी भलाईके लिए मेरे पास क्या कार्यक्रम है। मै अपना जीवन हरिजनोकी सेवाके लिए समर्पित कर चुका हूँ और इस तरह मजदूरोकी सेवा भी कर रहा हूँ।

मै चरखेके प्रचारका काम कर रहा हूँ। यह एक ऐसा कार्य है जिसका लाभ लाखो गरीब हरिजनोको मिलेगा। मै इन गरीब मजदूरोके हितके लिए काम कर

१ सभा देशबधु पार्कमें हुई थी और गाधीजी हिन्दीमें बोले थे।

रहा हूँ, इसलिए मैं खुद एक मजदूरकी तरह रहता हूँ और मैंने गरीबीको गले लगाया है। उन्होंने कहा, उनकी खुशीको मैं अपनी खुशी और उनके दुःखको अपना दुःख मानता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २२-७-१९३४

२४८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको[1]

२१ जुलाई, १९३४

आपसी मतभेदोंको मिटानेके लिए जब मैंने तीन दिनके लिए कलकत्ते जाना स्वीकार किया तो डॉ० विधानचन्द्र रायने पत्र लिखकर मुझसे पूछा कि सभी कार्यकर्त्ताओंको एक जगह कैसे इकट्ठा किया जा सकता है और क्या मौलाना अबुल कलाम आजादको एक ऐसा तटस्थ पक्ष माना जा सकता है जो कार्यकर्त्ताओंके नाम निमन्त्रणपत्र जारी कर सके। मैंने तुरन्त लिखा कि मौलाना साहब निमन्त्रणपत्र जारी करनेके लिए उपयुक्त रहेंगे, और उन्होंने निमन्त्रण जारी कर दिये।

वहाँ पहुँचनेपर मैंने इस बातको लेकर कुछ असन्तोष देखा कि काफी निमन्त्रण-पत्र भेजे नहीं गये हैं। मौलाना साहब इसके लिए तैयार थे कि जैसे ही उन्हें नाम मिलेंगे वे और निमन्त्रण-पत्र भेज देंगे। नाम उन्हें दिये तो गये लेकिन वे इतने ज्यादा थे कि मीटिंगके लिए समय रहते कार्ड भेजे नहीं जा सकते थे। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा कि यदि जाँच करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी शिनाख्त कर दें तो उन्हें बिना कार्डके मीटिंगमें आने दिया जाये। यह बयान देना मेरे लिए जरूरी हो गया ताकि कार्यकर्त्ताओंको एक जगह इकट्ठा करनेके सिलसिलेमें जो कुछ हुआ है, वह स्पष्ट किया जा सके।

विभिन्न गुटोंके साथ मैंने पूरी तरह और खुलकर विचार-विमर्श किया, और उसके फलस्वरूप मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि यदि दलगत भावनासे बचना है तो कांग्रेस-संगठनको वोटोंकी हेराफेरीसे, जिसमें वोटका खरीदनातक आ जाता है, मुक्त करना होगा।

इस तरहकी हेराफेरीसे बचना बहुत ही आवश्यक है, खासकर बंगालमें, जहाँ दलगत भावना बहुत तीव्र है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि ४८ जिलोंमें से २२ ने, अपने प्रतिनिधियोंके जरिए, मुझे यह यकीन दिलाया है कि वे मेरे सुझावका समर्थन करते हैं और यह भी यकीन दिलाया है कि वे निर्विरोध चुनाव करायेंगे। यदि पूर्वोक्त जिलोंके प्रतिनिधि अपने वादे पूरे कर सकें, तो भविष्यके लिए यह एक शुभ लक्षण होगा और इतने सारे जिलोंके उदाहरणका दूसरोंपर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

1. कलकत्तासे गांधीजी कानपुर जा रहे थे और एसोसिएटेड प्रेसका एक प्रतिनिधि आसनसोल तक उनके साथ गया था।

हर हालतमे, बगालके काग्रेस-सगठनको सभी अवाछनीय तत्वोसे मुक्त करनेका मेरे पास कोई ऐसा नुस्खा नही है जो मै सुझा सकू। जबतक काग्रेसियोकी भारी बहुसख्या पूरी ईमानदारीसे काग्रेसका काम करनेका सकल्प न कर ले, तबतक बगालके काग्रेस-सगठन या किसी भी काग्रेस-सगठनको चलाना सम्भव नही होगा। यह बात भूलनी नही चाहिए कि मेरे सुझावका अर्थ किसी भी तरहसे या किसी भी रूपमे चुनाव-बोर्डका अतिलघन नही है। उसके अन्तिम निर्णायक तो श्री एम० एस० अणे है। निर्विरोध चुनाव करनेवाले जिलोसे मिले पत्रोकी भी उन्हे जॉच करनी होगी। उस बोर्डको इस तरहके निर्विरोध चुनावोकी घोषणा करनी होगी, और यदि दुर्भाग्यसे चुनाव लडे ही गये तो उक्त बोर्ड ही उनका नियमन करेगा।

इसलिए, यह आशा की जाती है कि सभी काग्रेसी, चाहे वे किसी भी पक्षके क्यो न हो, मेरे सुझावपर ध्यान देगे। मुझे यकीन है कि काग्रेस-सगठनमे जबतक शुद्धि और ईमानदारी नही होगी, तबतक बगालको उन बहुत-सी विशेष बुराइयोसे, जिनका वह आज शिकार है मुक्त नही किया जा सकेगा।

अन्तमे, मै यह कहना चाहूँगा कि मेरी सलाहका परिणाम कुछ भी क्यो न निकले, परन्तु कार्यकर्त्ताओने हर जगह विनम्रता दिखाई और जो-कुछ मैने उनसे कहा, उसे उन्होने बहुत ही ध्यानसे सुना।[1]

एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिने जब उनसे बगालमें हरिजन-आन्दोलनकी प्रगति के बारेमे पूछा, तो महात्मा गाधीने कहा कि जबतक मै परिस्थितिका और भी अच्छी तरह अध्ययन न कर लूँ, इस प्रश्नका उत्तर नहीं दे सकता। फिर भी, प्रान्तने हरिजन-कोषमे जिस उदारतासे दान दिया है, उसपर उन्होने बहुत सन्तोष प्रकट किया।

पण्डित जवाहरलाल नेहरूकी रिहाई और बगालके नजरबन्दोके सवालपर कुछ भी कहनेसे उन्होने इनकार कर दिया।

[अग्रेजीसे]

स्टेट्समैन, २२-७-१९३४, **अमृतबाजार पत्रिका,** २२-७-१९३४ भी

1 इससे आगेका अश **अमृतबाजार पत्रिका**से लिया गया है।

२४९ पत्र सनातनियोको

[२२ जुलाई, १९३४][1]

बनारसके एक कट्टर सनातनीके पत्रके जवाबमें महात्मा गाधी कहते है कि मै अस्पृश्यताके विषयमें शास्त्रोकी सही व्याख्या मिल सकनेकी दृष्टिसे पण्डितोकी चर्चा सुनने को हमेशा तैयार हूँ। फिर भी यदि अध्यक्षका निर्णय मुझे ठीक नहीं जँचेगा, तो मै उसे स्वीकार करनेको बाध्य नहीं होऊँगा।[2]

[अग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २४-७-१९३४

२५० उत्तर कानपुरके नागरिक अभिनन्दनोका[3]

२२ जुलाई, १९३४

म्यूनिस्पल और जिला बोर्डो द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्रोका उत्तर देते हुए, गाधीजी ने म्यूनिस्पल-बोर्डको हरिजन-उद्धारके उसके शानदार कामके लिए धन्यवाद दिया। बोर्डके सदस्योसे उन्होने अपील की कि वे उस योजनाको यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी पूरा करे। उन्होने कहा कि कानपुर-जैसी बडी नगर-पालिकाके लिए थोडे समयमें ही साफ-सुथरे मकान बनाना कोई कठिन काम नही है। उन्हे आशा थी कि इन मकानोको वे खुद देख सकेंगे। उन्होने इस बातका जिक्र किया कि वे जब भागलपुर नगरपालिकामें गये थे तो वहाँ भी उन्होने बोर्डको यही सलाह दी थी कि वह कार्यको शीघ्र पूरा करे और उसने वह बात तुरन्त मान ली थी। उन्हे आशा थी कि कानपुर म्यूनिस्पल बोर्ड भी उनकी सलाहपर अमल करेगा। उन्होने बताया कि बहुत-से ऐसे काम है जो वे बिना किसी खास कठिनाईके कर सकते है। उनकी (हरिजनोकी) शिकायतें कोई ऐसी नहीं है जिनके लिए बजटमें लाखो रुपयोकी जरूरत हो। जो लोग उच्च वर्गके कहलाते है वे तो अपना काम बहुत तरीकोसे करा सकते हैं। पर बेचारे हरिजन अपनी शिकायतें कैसे दूर करवायें? महात्माजी को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि कानपुर नगरपालिकाके सदस्य, जिनमें हिन्दू,

१ "बनारस, २२ जुलाई", १९३४ की तिथि पक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित।

२ सनातनियोके साथ विचार विमर्शके लिए, देखिए पृ० २४७ ५०।

३ "साप्ताहिक चिट्ठी" में वालजी गो० देसाईने स्पष्ट किया था कि "डॉ० जवाहरलालके बगले पर, जहाँ गाधीजी ठहरे थे", नागरिक अभिनन्दन किया गया था।

मुस्लिम और अन्य सभी सम्प्रदायोके लोग है, हरिजनोसे एक-जैसा प्रेम करते है। जैसा कि वे कह चुके है, वे इन बोर्डोमें हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य सम्प्रदायके व्यक्ति की हैसियतसे नहीं है, बल्कि जन-सेवकोकी हैसियत से है। कानपुर-नगरपालिकाने हरिजनोके कल्याणके लिए जो सच्चा और ठोस काम किया, उसके लिए उन्होने एक बार फिर आभार प्रकट किया।

जिला-बोर्डके अभिनन्दन-पत्रका उल्लेख करते हुए उन्होने खास तौरपर दो मुद्दोकी चर्चा की। अभिनन्दन-पत्रमें कहा गया था कि जिला-बोर्डने यह निश्चय किया है कि उसके सभी विद्यालयोमें छात्रोको बिना किसी प्रतिबधके दाखिला मिलना चाहिए। उन्होने कहा लेकिन यह तो बहुत-से अन्य नियमोकी तरह एक नियम ही है। उनकी सलाह बोर्डको यह है कि वह यह भी देखे कि इस नियमका पालन होता है या नहीं, क्योकि यह बात सभी जानते है कि अकसर नियमोमें एक बात होती है, और जो-कुछ किया जाता है, वह उससे बिलकुल भिन्न होता है। उन्होने बताया कि उन्होने कुओपर ऐसे साइनबोड देखे है जिनमें यह लिखा होता है कि इन कुओका हरिजन भी उपयोग कर सकते है, पर यदि कोई हरिजन उनका उपयोग करता है तो तथाकथित सवर्ण हिन्दू उसे पीटते है।

हमे यह महसूस करना चाहिए कि हरिजन भी मनुष्य है, पशु नही है। हमारे सभी धमशास्त्र यह कहते है कि जो कोई प्यासेको पानी पिलाता है उसे उसका कई गुना पुण्य मिलता हे।

जिला-बोर्डके बालिका विद्यालयोमें कताईकी शिक्षा की व्यवस्थाका जिक्र करते हुए गाधीजी ने कहा कि खादीमें उनका विश्वास सदा की तरह अडिग है। हरिजन-कार्यसे उसका गहरा सम्बन्ध है, क्योकि खादीके द्वारा आप सैकडो हरिजन-स्त्रियो और बुनकरोकी सेवा करते है। जो धन्धे ये लोग चुन सकते है, वे बेहद थोडे है। इसलिए यदि कताई या बुनाईका काम नहीं मिलेगा तो वे भूखो मर जायेंगे। इस तरह, वस्तुत इनसे मुस्लिम औरतो और मर्दोकी भी सेवा होती है। वे औरतें पर्दा करती है, इसलिए यदि उन्हे कताईका काम न दिया जायेगा तो बेचारी प्रतिदिन कुछ पैसे नहीं कमा सकेंगी। भारतके लाखो अधभूखे लोगोमें जो हजारो कताई करनेवाले है, उन्हे भी शामिल करना चाहिए। खादी इस तरह मनुष्यका सम्मान करती है, इसलिए दरिद्रनारायणका कोई भी प्रेमी खादीकी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो एक गज भी खादी खरीदता है, वह निश्चय ही यह मान सकता है कि वह हरिजन हिन्दू, मुस्लिम या सवर्ण हिन्दू किसी-न-किसी गरीबकी ठोस सहायता कर रहा है।[1]

अन्तमें उन्होने दोनो बोर्डोको उनके अभिनन्दन-पत्रके लिए धन्यवाद ।

[अग्रेजीसे]
लीडर, २६-७-१९३४, हरिजन, १०-८-१९३४ भी

१ यह अनुच्छेद **हरिजन**से लिया गया है।

२५१ भाषण : सार्वजनिक सभा, कानपुरमें[1]

२२ जुलाई, १९३४

आपने मुझे जो यह ११,००० रु०की थैली दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि आपके कानपुर शहरको मैं एक उदार नगरके रूपमें जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हरिजन-कार्य हमारे सामने है उसकी महत्ताको अगर आपने महसूस किया होता, तो इससे कई गुना अधिक धन आप मुझे देते।

मुझे मालूम है कि कानपुरमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी हरिजन-प्रवृत्तिको पुण्य-कार्य नहीं, बल्कि पाप-कार्य समझते हैं। उनकी तरफसे जनतामें बहुत भारी संख्यामें पर्चे बाँटे गये हैं। मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि वे पर्चे सरासर असत्य, हानिकारक, अर्धसत्य, अत्युक्ति और तोड़-मरोड़कर बनाई हुई बातोंसे भरे हुए हैं। उन्होंने मेरे बारेमें समझकर ऐसा नहीं लिखा, यह मैं मान लेता हूँ। उदाहरणके लिए यह कहा जाता है कि एक जगह निर्दयतापूर्वक सनातनियोंको कत्ल कर दिया गया। मगर मैं इस विषयमें कुछ भी नहीं जानता। अगर मुझे इसका पता होता, तो यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मैं इसके विरुद्ध जरूर कड़ी कारवाई करता। यह कितने अफसोसकी बात है कि ऐसी-ऐसी मिथ्या बातोंका प्रचार सनातनधर्मके नामपर किया जाता है। मैं सनातनियोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस मिथ्या प्रचारकी हीन प्रवृत्तिको रोकें।

अगर आपने इस हरिजन-आन्दोलनका दूरगामी महत्त्व समझा होता तो आपने मुझे हजारोंकी जगह लाखों रुपये दिये होते। पर कोष-संग्रह तो अस्पृश्यताका अन्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। यह तो तभी हो सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओंके हृदय परिवर्तित हो जायें। यदि दान हृदय-परिवर्तनका परिचायक होता है तो उसका महत्त्व सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। यह तो आत्मशुद्धिकी प्रवृत्ति है। संख्यासे इस प्रवृत्तिका कोई मतलब नहीं। हरिजन-आन्दोलन मुसलमानोंके खिलाफ लड़नेके लिए नहीं खड़ा किया गया है। हमें हरिजनोंमें से गुंडोंको तैयार नहीं करना है। हमें तो उन्हें योग्य नागरिक बनाना है। अगर हमें कामयाबी मिली तो इससे हमें और सारी दुनियाको लाभ पहुँचेगा। धर्मके नामपर अपने पाँच करोड़ भाइयोंके प्रति हम जो अत्याचार कर रहे हैं, उसके लिए अगर दुनिया हमसे और हमारे धर्मसे घृणा करे तो यह उचित ही है।

काली झण्डियाँ दिखलानेवालोंके प्रति मेरा उतना ही आदर-भाव है, जितना कि सुधारकोंके प्रति। और अगर सम्भव होता तो मैं उनकी बात मान लेता, और

१. साधन-सूत्रके अनुसार यह "गांधीजी के भाषणका सार" है। यह "कानपुर भाषण" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

जैसा व चाहते है, खुशीसे करता। पर सत्यकी मुझे जैसी प्रतीति होती हे, उसके अनुकूल आचरण करना ही मे अपना धम समझता हूँ। असख्य काली झण्डिया या बम या रिवाल्वर मुझे सत्यके पथपर अपने कत्तव्य पालनसे नही डिगा सकते। मै भी तो आखिर एक अपूण मनुष्य ही हूँ। मै कोई तपस्वी नही हूँ कि एक ही फक हिमालयपर बैठकर मार द तो अस्पृश्यता उड जाये। जो लोग मेरी बात सुनना चाहते है, मै तो सिफ उन्हे ही सुना सकता हूँ। और इसी कारण मै जगह-जगह घूम रहा था, और अब इस लगातार लम्बी यात्राकी थकान दूर करनेके लिए मै कही बैठकर आराम करना चाहता हूँ।

जो सनातनी धमका इजारा लेकर बैठ गये है, उनसे मै यह कह देना चाहता हूँ कि जिन शास्त्रोको वे मानते है, मै भी उन्हीको मानता हूँ। पर हमारा मतभेद तो शास्त्रोकी व्याख्यापर हे। शास्त्र कहते है कि जब अथका विरोध हो, तो अपने विवेकको प्रमाण मानो। और मै ठीक यही कर रहा हूँ। अगर वे मुझे यह समझा दे कि मै गलती कर रहा हूँ तो मै उनका गुलाम बन जाऊँगा। परन्तु, जबतक ऐसा नही होता, तबतक तो मै आखिरी दमतक यही कहता रहूँगा कि यदि हमने अस्पृश्यताके कलकको न धो डाला, तो हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्मका दुनियासे लोप हो जायेगा।

अब, हरिजन-आन्दोलनके सम्बन्धमे मुझे कुछ बाते स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऊँच-नीचके भावतक ही यह आन्दोलन सीमित है, रोटी-बेटी सम्ब धसे इसका कोई वास्ता नही। मै मुसलमानो और भगियोके साथ खाता हू, पर यह तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मै तो अपनेको भगी मानता हूँ, यह मेरे लिए कोई शमकी बात नही हे। बल्कि मै समझता हूँ कि मेरा यह काम शास्त्रसगत ही ह। लेकिन इस बातका आन्दोलनसे कोई सम्ब ध नही है। रोटी-बेटीकी बात व्यक्तिगत मामला है, रोटी-बेटी सम्ब धके सयमका प्रचार करनेकी न तो आवश्यकता है और न इसके लिए मेरे पास समय हे। मै तो सिफ धमका तत्त्व ही लोगोके सामने उनके ग्रहण करनेकी दृष्टिसे रख रहा हूँ। इस आन्दोलनका तो यही उद्देश्य है कि जो सामाजिक, नागरिक और धार्मिक हक दूसरे सवण हिन्दुओको प्राप्त है, वे सब हरिजनोको भी मिलने चाहिए।

मन्दिर-प्रवेशके विषयमे यह बात है कि जबतक किसी मन्दिरमे पूजा करनेवाले सवण हिन्दुओकी पूण सहमति नही होती, तबतक वह मन्दिर हरिजनोके लिए नही खोला जाता है। मन्दिर तो हमारे प्रायश्चित्तस्वरूप ही खुलने चाहिए। एक पाई भी इस हरिजन-कोषसे मन्दिरोके बनानेमे खर्च नही की जाती है। हमारा सतत प्रयत्न तो यह है कि इस कोषका पैसा जिस तरह हो सके, अधिकसे-अधिक हरिजनोकी ही जेबमे जाये।

चूकि मेरी यह हरिजन-यात्रा है, इसलिए खादीके विषयमे मै अकसर चर्चा नही किया करता, फिर भी उसमे मेरा विश्वास तो उतना ही है। आपको यह नही भूल जाना चाहिए कि खादीसे हजारो हरिजन कतैयो और बुनकरोको काम मिलता हे। इसलिए खादीको तो आप कभी भी गौण वस्तु न समझे।

इतनी शान्तिपूर्वक आप लोगोंने मेरी बात सुनी है, इसके लिए मैं आप लोगोंको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बातको मैं नजरन्दाज नहीं कर सकता और वह यह कि यहाँ हम काफी पुलिसकी छत्रछायामें इकट्ठे हुए हैं जैसाकि हम देख ही रहे हैं। मैं बहुत चाहता हूँ कि पुलिस यहाँ न रहे, पर उसे भी तो अपना फर्ज अदा करना है। सुधारकों और सनातनियोंको तो इसपर शर्म आनी चाहिए कि मेरी रक्षा अथवा आपके बीच मेरी उपस्थितिके दौरान शान्ति कायम रखनेके लिए पुलिसकी जरूरत पड़ती है। सुधारकों और सनातनियोंको अपनेपर स्वयं लगाये जानेवाले अनुशासनके महत्त्वको महसूस करना चाहिए, ताकि पुलिस द्वारा संरक्षण बिलकुल अनावश्यक हो जाये। खैर, पुलिसकी उपस्थित चाहे मुझे अच्छी न लगे, पर मैं यह जरूर कहूँगा कि पुलिसने मेरी इस कठिन यात्रामें प्रशंसनीय व्यवहार किया है। इसी तरह रेलके अधिकारियोंने समय समयपर मुझे जो सुविधाएँ दी हैं, उनके लिए मैं उनकी भी सराहना करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३-८-१९३४

२५२ पत्र ना० र० मलकानीको

२३ जुलाई, १९३४

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा सुझाव पढ़ा। उसपर बनारसमें बातचीत होगी। तुमने मुझे अपना मताधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं भेजा है, हालांकि अपने पत्रमें उसका उल्लेख किया है।

कुछ दिन पहले जमनालालजीने लिखा था, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वे संघका पूरा संविधान दोहरा रहे हैं और उनका खयाल है कि तुम्हें संघमें नहीं लिया जा सकता। अधिक बनारसमें मिलनेपर।

तुम्हारा,
बापू

प्रोफेसर मलकानी
बिड़ला मिल्स
दिल्ली।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०८) से।

२५३ पत्र : सुलोचना ए० शाहको

२३ जुलाई, १९३४

चि० सुलोचना,

तेरा पत्र मिला। अच्छा है। उत्तर देनेमे थोडी ढील हुई, लेकिन आज भी लिख पा रहा हूँ, इसे बडी बात समझना। तूने जेलमे अपना स्वास्थ्य बनाये रखा, वजन कायम रखा, इस बातकी तारीफ करनी पडेगी। अध्ययन भी, कहना चाहिए, ठीक किया। क्या पढा, क्या सोचा-विचारा, यह सब आगेके पत्रमे लिखना।

अब तुझे क्या करना चाहिए, यह तू खुद क्यो नही सोचती? न सोच सके तो जैसा नारणदास कहे, वैसा कर। वे तुझे ज्यादा जानते है।

प्रेमाबहन अभीतक तो वर्धा नही गई। ऐसा नही लगता कि उसने कोई निश्चय कर लिया है। लीलावती और सिद्धिमती राजकोटमे है।

कुसुमकी इच्छा विवाह करनेकी हो तो उसे कर ही लेना चाहिए। न हो, तो किसी सेवा-कार्यमे जुट जाना चाहिए। उसे समझ लेना चाहिए कि यदि मनमे विकार उत्पन्न होते ही रहते हो, तो उन्हे छिपाना पाप है। उन्हे रोक सके तो अच्छा है, किन्तु यदि रोकनेमे असमर्थ हो तो फिर चाहे जितना कष्ट भोगना पडे, विवाह कर लेना चाहिए।

गुलाबसे तो अब थोडे दिनोमे मिलूँगा, तब पत्र लिखनेको कहूँगा। वह पत्र नही लिखती, यह आश्चर्यकी बात है।

तेरे हस्ताक्षरोमे अभी सुधारकी गुंजाइश है। अक्षर थोडे बडे लिखे, तो अच्छा रहेगा।

बा मेरे साथ है। महादेवभाई, प्यारेलाल, वालजीभाई और चन्द्रशंकर भी है। बाकी दूसरोको तू शायद पहचानती नही। इसे तो लम्बा पत्र मानेगी न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १७५१) से।

२५४ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

२३ जुलाई, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

आपका पत्र मिला। तार भी मिला था। लगता है, अमलाबहनने आपको बडा कष्ट दिया। उसे फिर आपके पास नही भेजगा। वह कल यहा पहुँच गई है। अध-विक्षिप्त-सी लगती है। वह क्या करना चाहती है, खुद नही जानती। मेरे पास ही रहेगी, बस इसी बातपर अडी हुई है।

आपको चोट लगनेसे जो दर्द था, उसका क्या हाल है?

उस आदमीको बरखास्त करने या तनज्जुल करनेकी जो खबर थी, वह सच निकली या झूठ? बडौदा राज्यने कुछ किया या नही?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०२३) से।

२५५ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

२३ जुलाई, १९३४

चि० मणिलाल व सुशीला,

तुम दोनोके पत्र मिले। वेस्टवाली बात समझ गया। अगर वह नही लिखता है, तो किस्सा खत्म हुआ। दूसरा कोई तेरा चार्ज न सँभाले, तबतक तेरा वही रहना उचित होगा। जबतक अपना खर्च चला सकते हो, तबतक वही रहो, इसमे मुझे कोई हर्ज नही दिखाई देता।

फुटबॉलमे भी झगडा होने लगा? ठीक है। जो उचित समझो, सो अवश्य करते रहना। यहासे तेरा मार्गदर्शन करनेकी मेरी जरा भी इच्छा नही है, और न मै तेरे व्यवहारकी आलोचना करना चाहता हूँ। तू बिलकुल स्वतन्त्र हो जाये, यही मेरी इच्छा है। रोज सवेरे उठकर 'बापू क्या सोचेगे' ऐसा सोचना पडे, यह तो गलत है। तुझे जो अच्छा और सच्चा लगे, वही तू करे, तो मुझे ठीक लगेगा। इसीमे तुम दोनोकी उन्नति निहित है। मै नही रहूगा, तब तुम्हारा मार्गदर्शन कौन करेगा? सच्चा मार्गदर्शक तो ईश्वर ही है, अत रोज उसकी आराधना करनी चाहिए। रोज उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा हो जाये। ऐसा

करनेसे हृदयमे स्थित हमारा स्वामी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेगा ही, ऐसा विश्वास रखकर कर्म करना चाहिए।

सुशीलाके प्रश्नका उत्तर इसमे आ जाता है, सोराबजीके प्रति शिष्टताका व्यवहार बनाये रखना ही काफी होगा। इससे अधिक करने जाओ तो सम्भव है तुम्हे अपनी स्थितिसे नीचे उतरना पडे।

रामदास और डॉ० शर्माके पासपोर्टके बारेमे कुछ किया होगा।

मामा[1] को तुम लोग हर महीने पाच या दस रुपया दोगे क्या? मैने उन्हे जमनालालजीसे ५०० रुपये दिलाये है। इसमे तुम, देवदास और लक्ष्मी भी थोडा जोड दो तो मुझे अच्छा लगे। अगर दो तो जमनालालजी की मार्फत नियमपूर्वक देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३४) से।

२५६ पत्र शान्तिलाल जे० मेहताको

२३ जुलाई, १९३४

चि० शान्ति,

मेरी इच्छा है कि तू ठीक तरहसे व्यवस्थित हो जाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२३) से।

२५७ पत्र: कान्ति गाधीको

२३ जुलाई, १९३४

चि० कांति,

तेरा पत्र मिला।

तेरा विश्लेषण ठीक है। जब लोग अपेक्षाके अनुरूप नही निकलते तो मै निराश नही होता, क्योकि उसमे किसीका दोष नही होता। मेरा भी नही होता। मुझे अच्छा लगा, वह मैने दिया, और तुम सबको जो अच्छा लगा, वह तुमने लिया। जहाँ सब अपूर्ण है, वहाँ ऐसा ही होता है। बीसेक वर्षकी उम्रमे मैने पढा था "लाखो निराशाओमे अमर आशा छिपी रहती है", याद कर लिया था और गाया था। उस गजलने[2] मुझे बहुत आश्वासन दिया था। अब तो उसके सहारेकी भी जरूरत नही पडती। निराशाएँ गिननेका समय कहाँ है?

१ माधवदास कापडिया, कस्तूरबा गाधीके भाई।

२ कवि मणिभाई नभुभाई द्विवेदीकी गजल।

रजत सीप महँ भास जिमि, यथा भानुकर बारि।
जदपि मृषा तिहुँकाल मँह, भ्रम न सके कोऊ टारि ।।[१]

हम तुम बालको भूल करता देखे, इससे बाल बिचारेको क्या?

इसका अर्थ समझता है न? न समझे, तो देवदाससे पूछना। दोहा तुलसीदासका है। मुझपर इस दोहेका बहुत प्रभाव हुआ है। भ्रम भी जबतक सत्य लगता है, तबतक मनुष्यको उससे चिपटे ही रहना पड़ता है। इसीलिए संसारको भ्रम-जाल, माया आदि विशेषण दिये गये हैं। तू जितना तुझसे बने, उतना करे, तो मुझे सन्तोष होगा। मैंने मिस्टर कजिसको नहीं लिखा, क्योंकि समय नहीं निकाल पाया। किन्तु अब जब राजाजी निश्चयपूर्वक लिख रहे हैं तो बनारसमें उनसे भेंट होनेतक राह देखता हूँ।

वर्धा आनेकी तेरी उत्कट इच्छा हो तो आ जाना, नहीं तो कौटुम्बिक मिलन-यात्रा समाप्त कर लेनेके बाद दक्षिण चले जाना।

हरिलालका त्याग मैंने नहीं किया, न उसकी आशा ही छोड़ी है। रियायत न करनेमें ही उसका हित है। ढील देना, यानी जो उसकी इच्छा हो, वही करना। जो मार्ग इस समय अपनाया गया है, उसके बारेमें मुझे सोलह आने सन्देह है। वह बहादुर था, किन्तु मित्रोंने उसे पुरुषार्थहीन बना दिया है। अब उसका ध्यान पेटेंट दवाओंके धन्धेकी ओर गया है। किन्तु तुम सबको यदि यही उपाय ठीक लगा हो तो मुझे उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जिसे जो ठीक लगे, वही उसका कर्त्तव्य है। मुझे लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८७) से, सौजन्य कान्ति गांधी।

२५८. पत्र: नरहरि द्वा० परीखको

२३ जुलाई, १९३४

चि० नरहरि,

तुम्हें अब लिखूँ-अब लिखूँ ही करता रहा, लेकिन लिख नहीं सका। वैसे यह बात भी सच है कि महादेव छूट गये हैं, इसलिए मैंने सोचा यदि अब न लिखूँ, तो भी कोई हर्ज नहीं। तुम वर्धा नहीं जा सकने, यह सुनकर यदि मैंने निराशा व्यक्त की थी तो क्यों की थी, अब याद नहीं है। वैसे वहाँ जाना तुम्हें पसन्द नहीं होगा, यह डर मुझे था। यह डर मैंने जमनालालजी को बताया भी था। तुम जो कारण बता रहे हो, वे सब ठीक हैं। विद्यापीठवाला कारण ठीक नहीं है। हो भी, तो

१ रामचरित मानस, बालकाण्ड, ११७ "सीप चाँदी जैसी लगती है। सूर्यकी किरण पानी जैसी लगती है। यद्यपि यह बात तीनों कालोंमें झूठ है, भ्रम है। फिर भी इस भ्रमको कोई मिटा नहीं सकता।"

उसपर काबू पाया जा सकता है। किन्तु स्वभाव-सम्बन्धी सब कारण इतने ठोस है कि अन्य कारणोकी जरूरत ही नही है। वर्धा सँभालना कोई मामूली बात नही है। उसे सँभालनेके लिए कोई परिपक्व स्त्री चाहिए। प्रेमा शायद ऐसी स्त्री है। गगाबहनकी उस बातमे रुचि नही है। प्रेमा इस समय कहाँ है, मालम नही। जानेसे पहले मुझसे मिल गई थी, बस इतना मालूम है। उसे छोडकर और कोई स्त्री अपने मण्डलमे मेरी नजरमे तो नही है। तुम्हारे ध्यानमे कोई है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६२) से।

२५९ पत्र : मणिबहन पटेलको

कानपुर
२३ जुलाई, १९३४

चि० मणि,

तू बिलकुल नियमपूवक लिखती रहती है। इसी तरह लिखती रहना। मेरे पत्रोकी आशा न रखना। महादेव यहाँ है, इसलिए मै कुछ पत्र लिखनेसे बच जाता हूँ। अब सरकारको भी लिखनेकी जरूरत नही रहती। तेरी तरह मै भी मानता हूँ कि तेरे लिए वहाँ रहना ही सबसे अच्छी औषधि है।

शायद अब तो जल्दी ही मिलेगे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च][1]

साथका पत्र तेरे ही नाम भेज रहा हूँ, उसे बापूको तुरन्त पहुँचा देना। तूने भास्करवाली बात कहकर बापूको काफी भडका दिया। ऐसे तो मैने कई लोगोके साथ बाते की थी। परन्तु मै अकेला कहाँ हूँ? मेरे साथ और कोई नही तो बेला-बहन और दो लडकियाँ तो है ही। इसलिए हमारी समस्या इतनी आसान नही है। वर्धामे सब-कुछ निश्चित होगा, ऐसी आशा रखे।

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४. मणिबहन पटेलने, पृ० ११७

१ मूल गुजरातीमें आदरवाचक बहुवचनके प्रयोगसे ऐसा लगता है कि 'पुनश्च' महादेव देसाई द्वारा लिखा गया है।

२६०. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२३ जुलाई, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारे दोनो खत मिले है।

मेरे शरीरके निकट जो नहि रहते है अथवा मेरे शरीरकी सेवा नहि करते है वे सब साथी पापी है ऐसा क्यो मानते है। विनोबा हमेशा दूर रहे है उसने क्या पाप किया होगा? इस मोहको निकालो।

दूसरे खतमे जो तीनो मोह बताये है सो ठीक है। ये तीनो मोह मीटाना होगा यदि आश्रमको सुशोभित करना है तो [और] मेरी शुद्ध सेवा करनी है तो।

तुमने सब कुछ छोडा है तो व्यक्तिगत सेवाके लिये भाईओ से लेना अनुचित मानो। तुमारे खानेके लिये जो कुछ मिले उसमे से जो बचे वह सब आश्रममे दे सकते हैं निजी मित्रोसे अथवा सबधीओसे कभी नहि। दामोदरदासको कुछ भी देना मित्र द्रोह है। उसकी मर्छा टटेगी नहि। उसका कर्तव्य नम्र बन कर मजदूरी करने का है। ऐसा न करे तो अपनी इच्छापूवक जीवन व्यतीत करे और पेट भरे। तुमारी आर्थिक मददसे वह गिरता जाता है आगे नहि बढता है यह मेरा निदान है।

अब यह स्पष्ट हुआ? नहि तो दुबारा पूछो।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

खानगी पत्र लिखनेकी क्या आवश्यकता? यहा कौन है जिसके तुमारे पत्र देखनेसे तुमारा अथवा किसीका अनिष्ट हो सकता है?

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४१५) से।

२६१. पत्र : छगनलाल जोशीको

कानपुर
२४ जुलाई, १९३४

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। रमाके वहाँ जानेकी खबर मुझे मिल गई थी। वह मेरा समय बचानेके विचारसे पत्र नही लिखती, यह तो बहाना ही है। पत्र लिखनेमें लापरवाहीकी उसकी आदत बहुत पुरानी है। इसलिए तुम आसानीसे इसे ठीक मत मान लेना। कुछ आदतें स्वभाव बन जाती हैं। रमाकी यह आदत ऐसी ही कुछ है। देवदासके बारेमें भी यही बात है। अलबत्ता देवदास बहाने नही बनाता। वह जानता है कि ऐसे बहाने मेरे सामने नही चलते। रमाको इसका उतना भान नही है। तुम काममें जुटे ही रहना। उपवासके बारेमें कुछ भी मत सोचना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत छगनलाल जोशी
श्री दक्षिणामूर्ति भवन
भावनगर
काठियावाड

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५२०) से।

२६२. भाषण : तिलक हॉल, कानपुरके उद्घाटन-समारोहमें[1]

२४ जुलाई, १९३४

आज प्रात आपने मुझे इस पवित्र समारोहको सम्पन्न करनेके लिए बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज बहुत सवेरे जब मैंने सुना कि मुझे यहाँ आना है, तो मुझे २० साल पहलेका वह दिन याद आ गया जब मैं पहले-पहल एक अजनबीकी तरह कानपुर आया था। स्वर्गीय बाबू गणेशशंकर विद्यार्थीने तब मुझे अपने प्रेसमें, जो उनका घर भी था, ठहराया था। उस समय और किसी व्यक्तिकी इतनी हिम्मत नही थी कि वह मुझे अपने घरपर ठहराता। वे उन दिनो

१ गांधीजी कानपुरमें निर्मित तिलक हॉलका उद्घाटन करने गये थे। यह भाषण उसी समय दिया गया था, जो "गांधीजी के भाषणका अधिकृत अनुवाद" के रूपमें प्रकाशित हुआ था।

नौजवान थे और मेरा उनसे कोई परिचय नही था। देशके अधिकाश लोगोके लिए मै तब एक अजनबी था। मेरे बारेमे थोडी-बहुत जो जानकारी थी, वह दक्षिण आफ्रिकाकी मेरी सेवाओको लेकर थी। न तो लोगोको और न सरकारको ही यह मालूम था कि मुझे यहाँ क्या करना है। मै खुद नही जानता था कि मेरे भाग्यमे क्या है या राष्ट्रीय मामलोमे मुझे क्या भमिका अदा करनी है। सौभाग्यसे तिलक महाराज भी उसी दिन इस नगरमे पधारे और उनका बडे उत्साहसे स्वागत किया गया। इस नगरके साथ मेरे मनमे गणेशशकरजी की स्मति जुडी हुई है। बादमे मै उन्हे और भी निकटसे जान पाया और मैने देखा कि वे एक सरल, निर्भीक, सच्चे और नि स्वार्थ देशसेवक थे। उन्होने देशकी, और विशेष रूपसे इस नगरकी, विभिन्न क्षेत्रोमे जो सेवा की, उसके बारेमे आप मुझसे कही अधिक जानते है। वे हिन्दीके प्रेमी थे। उनका स्थापित किया पत्र 'प्रताप' उनके उस प्रेमका सजीव स्मारक है। जैसाकि हम सबको विदित है, उनके उस सेवारत जीवनका अन्त उनके बलिदानसे हुआ। उनकी मन्युके बाद इस नगरकी अपनी इस पहली यात्रामे उनका अभाव मुझे कितना खटक रहा है, यह मै बता नही सकता।

अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता, महान त्याग और आजीवन सेवाके कारण, तिलकका लोगोके हृदयमे एक अद्वितीय स्थान बन गया है। उन्होने ही स्वराज्यके मन्त्रसे इम राष्ट्रमे जीवन फूंका और उसकी प्राप्तिके लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। परन्तु जिस चीजकी ओर आज मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है धर्मके मामलेमे उनका उदार दृष्टिकोण। वे एक जीवन्त सनातनी थे। शास्त्रोका उन्हे जितना ज्ञान था उससे अधिक या गहन ज्ञानका न तो उनके जीवन-कालमे कोई दावा कर सकता था और न आज ही कर सकता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति — 'गीता रहस्य' एक अद्वितीय ग्रन्थ है, जो दीर्घकालतक अद्वितीय रहेगा। 'गीता' और वेदोसे उत्पन्न प्रश्नोकी उनसे अधिक विस्तृत शोध आजतक किसीने नही की है। गहन अध्ययन और शोधके बाद ही उन्होने यह घोषणा की थी कि अस्पृश्यता जिस रूपमे आज प्रचलित है, उसके लिए शास्त्रोमे कोई विधान नही है। मै यह बात प्रामाणिक तौरपर कह सकता हूँ कि उन्होने अपने जीवनमे ऊँच-नीचका भेद बिलकुल मिटा दिया था। जन्मपर आधारित अस्पृश्यतामें उनका कतई विश्वास नही था और तथाकथित अस्पृश्योके साथ मुक्त भावसे मिलने-जुलनेमे उन्हे कभी कोई सकोच नही होता था। आज की तरह, उन दिनो भी मै अस्पृश्यता-निवारणका कार्य करता था। मुझे याद है, इस विषयपर मेरी उनसे बहुत बार बातचीत हुई थी और मै यह बात प्रामाणिक तौरपर कह सकता हूँ कि वे सम्पूर्ण हृदयसे मेरे साथ थे और हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यताको मिटानेकी उत्कट इच्छा रखते थे। उनकी रायका उल्लेख आज सगत होगा, क्योकि कुछ क्षेत्रोमे इन दिनो यह कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता-निवारक आन्दोलन धर्मके लिए विनाशकारी है।

जीवनके अन्य क्षेत्रोमे भी उनका दृष्टिकोण उदार था और मै आपको उसके अनेक सस्मरण सुना सकता हूँ। जनताके राजनैतिक जीवनके विकासमे उनकी जो देन है,

वह अनुपम है। परन्तु मेरा ऐसा विश्वास है कि 'गीता रहस्य' उनका कही अधिक स्थायी स्मारक सिद्ध होगा। स्वराज्यकी लडाईके सफलतापूर्वक समाप्त हो जानेके बाद भी वह जीवित रहेगा। अपने निर्मल पवित्र जीवन और 'गीता' की अपनी महान टीकाके कारण, उनकी याद सदा ताजा रहेगी। अपने इस श्रद्धेय महान नेताकी स्मृतिके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि स्वराज्यकी जिस इमारतकी नीव उन्होने रखी है, उसे पूरा करनेके लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील रहे। यह हॉल उस कार्यको यथाशक्ति पूरा करनेकी हमारी उत्कट इच्छाका एक बाह्य प्रतीक बनना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

लीडर, २९-७-१९३४

२६३ बातचीत: सनातनियोके साथ[1]

कानपुर

[२४ जुलाई, १९३४][2]

प्रश्न आपके इस मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनसे हरिजनोको क्या आर्थिक लाभ पहुँचेगा? क्या आपको विश्वास है, हरिजन मन्दिरोमें जाना चाहते है?

गाधीजी यहाँ हरिजनोके आर्थिक लाभकी बात नही है। यह तो उन सवर्ण हिन्दुओके आध्यात्मिक लाभके लिए है जो हरिजनोके कर्जदार है और जिन्हे अपनी आत्मशुद्धि करनी है। अगर अस्पृश्यता पाप है और हरिजन वैसे ही हिन्दू है जैसे कि हम सब लोग, तो उनका भी शेष हिन्दुओकी तरह मन्दिरोमें जानेका वैसा ही अधिकार है। यह तो एक अलग ही सवाल है कि हरिजनोको मन्दिर-प्रवेशसे कोई लाभ पहुँचेगा या नही अथवा उससे उनकी मुक्ति हो जायेगी या वे खुद मन्दिरोमे जानेके इच्छुक है या नही। प्रश्न तो यह है कि जो मन्दिरमे जाना चाहता है, बशर्ते कि उन सब नियमोका वह पालन करता है जिनका कि तमाम दूसरे हिन्दू करते है, तो उसका मन्दिरमे जानेका हक होना चाहिए, फिर भले ही वह पतित या पापी हो। हम सब लोग मन्दिरोमे अपने पाप धोनेके लिए ही तो जाते है। पुण्यात्माको मन्दिरमे जानेकी आवश्यकता ही क्या? सनातनियोको तो इतना ही देखना चाहिए कि मन्दिरमे जानेवाला हिन्दू बाह्य शौचके सब नियमोका पालन कर रहा है या नही।

१ महादेव देसाईके "कुछ भ्रान्तियाँ" से उद्धृत, जिसमें वे कहते है "स्वागत-आयोजकोंने खास तौरपर सनातनियोंके लिए कुछ समय निश्चत किया था उसमें कोई विपक्षी पडित नही था। लेकिन एक नवयुवकने (बादमें मुझे पता चला कि वह तेल विक्रेता था) प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी जो स्वभावत किसी बड़े विद्वानने लिख दिये थे और उन भ्रान्तियोंको व्यक्त करते थे जो अब भी सनातनियोंके मनमें हैं।"

२ **लीडर**के अनुसार।

पर हमारे शास्त्र तो अस्पृश्योके मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध है। तो आप साफ-साफ यह क्यो नही कह देते कि आप अपना एक नया ही धर्मशास्त्र रचना चाहते है?

नही, यह बात तो नही है। मै उन्ही शास्त्रोको मानता हूँ जिनको कि आप सब मानते है। शास्त्र तो वही है, पर अर्थ मै भिन्न करता हूँ। मै स्वय कोई शास्त्री तो नही हूँ, किन्तु यदि पडितो और शास्त्रियोका कोई ऐसा वर्ग है जो अस्पृश्यताको शास्त्रविहित मानता है, तो ठीक वैसा ही उनका एक दूसरा प्रबल वर्ग भी है जिसकी निश्चय ही यह मान्यता है कि वर्तमान अस्पृश्यताके लिए हमारे शास्त्रोमे कोई प्रमाण नही है।

पर यदि आप अस्पृश्यताको नष्ट कर देंगे, तो अस्पृश्य लोग हमारे धन्धोको हथिया लेगे। उदाहरणार्थ, वे मिठाई इत्यादिकी दूकानें रखने लगेंगे। फिर तो हमारी खान-पान-सम्बन्धी सारी मर्यादा नष्ट ही समझिए।

आप यहा भूलते है। हरिजन-आन्दोलनका तो खान-पानके प्रश्नसे कोई सम्बन्ध ही नही है। वह तो केवल वर्तमान अस्पृश्यताको नष्ट करना चाहता है। आज गैर-हिन्दुओ और अब्राह्मणोकी सैंकडो दूकाने मौजूद है। हिन्दुओ और ब्राह्मणोको कौन मजबूर करता है कि वे उन दूकानोसे सौदा खरीदे ही? ऐसे कितने ही कट्टर ब्राह्मण है जो किसीके भी हाथका बना भोजन छूतेतक नही। उनकी उस मर्यादामे कौन हाथ लगाना चाहेगा?

पर आप यह क्यो बार-बार कहते है कि अस्पृश्यता पाप है, जबकि हमारी सगी माताओ, बहनो और पुत्रियोके भी साथ, मासमें चार दिन, अस्पृश्योकी तरह बरताव किया जाता है?

आपको यह जानना चाहिए कि किसी-न-किसी प्रकारकी अस्पृश्यताको न केवल हम हिन्दू ही, बल्कि पारसी, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्म-मजहबोके लोग मानते है। पर क्या हम अपनी माताओ और बहनोको सदा ही अस्पश्य समझते रहते है —मासके शेष २६ दिनोमे भी क्या? और उनके मासिक-धर्मके समय भी, क्या हम उनका अस्पृश्योका-सा तिरस्कार करते है? क्या उनके आगे अपनी बची-खुची जूठन दूरसे डाल दिया करते है? क्या उन दिनो हम उन्हे घरसे बाहर रखते है? ईश्वरके लिए यह न भूल जाइए कि आप जिन्हे अछूत कहते है उनके साथ आप ऐसा अपमानजनक और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते है जैसाकि आप किसी दूसरेके साथ करनेका कभी साहस न करेगे।

हमें उन अपमानो और अत्याचारोका पता नहीं। वे सब बातें हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा हो कि आप उन्हीं प्रान्तोका दौरा करें जहाँ अछूतोके साथ ऐसे अत्याचारपूर्ण व्यवहार किये जाते हो।

तो क्या आप मेरा साथ देगे?

हम क्यो साथ देने चले। हमारे लिए यह काफी है कि हम दोषी नहीं है। हम लोग बराबर अछूतोको अपने जाति-भोजोमें न्योतते है।

हाँ, दूरसे उनके आगे अपनी जूठन फेकनेके लिए — क्या यह बात गलत है?

लेकिन आप सुधारक लोग तो अपनी जूठन भी उन्हे नहीं देते। अपने सुधारके जोशमें आकर आप उन बेचारोको भूखो मार रहे हैं। हम उन्हे भूखो तो नहीं मारते। अस्पृश्यता हम अवश्य मानते है, पर इतनी सहानुभूति तो हमारी उनके साथ है ही। यह आप हमेशा कहते हैं कि हरिजन-आन्दोलनका रोटी-बेटीके प्रश्नसे कोई सम्बन्ध नहीं है। पर जरा यह तो बतलाइए कि आपने अपने बेटे देवदासका विवाह एक ब्राह्मण कन्याके साथ क्यो किया?

भाई यह प्रश्न तो अलग ही है। हरिजन-आन्दोलनके साथ इस प्रश्नका कुछ भी वास्ता नही है, तथापि मै जवाब दूगा। देवदास-लक्ष्मीके विवाहको तो मैंने हरिजन-आन्दोलनके नेताकी हैसियनसे नही, बल्कि एक हिदू सुधारककी हैसियतसे होने दिया। मुझे तो वर्णाश्रम धर्मको उसकी प्राचीन उन्नत अवस्थापर पहुँचाना है। वर्णाश्रम धममे मनुष्यकी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तिके अनुसार विभिन्न वर्णोंके कर्त्तव्य बताये गये हैं। इस व्यवस्थाका खान-पान या व्याह-शादीके प्रश्नसे कुछ भी सम्बध नही है। मेरे पुत्रके विवाहका प्रश्न इस प्रसगमे आता ही नही। पर आप पूछते हैं, तो इस विषयमे मेरे जो विचार है बतला देता हूँ। ऐसे विवाहोमे इन दो तीन बातोका मै विचार करता हूँ। (१) वर्णाश्रम धमका लोप हो गया है, इसलिए जो वर्णोंमे विश्वास करते हो, उनका यह कर्त्तव्य है कि वे अपना व्यवहार शुद्ध और सयमपूर्ण रखकर वर्णोंको पुन स्थापित करे। जब उन दोनोने एक-दूसरेके प्रति अपने आकर्षणकी बात मुझे बतला दी, तो मैंने उन दोनोपर पाँच वर्षकी कैद लगा दी और उनसे कहा कि पॉच वर्षकी मर्यादा पालो। इस अवधिमे तुम दोनो एक-दूसरेसे मिलने, बातचीत करने और चिट्ठी-पत्र लिखनेतकका भी सम्बन्ध न रखो। और इस प्रकार अपने लगावका खरापन सिद्ध करो। इस कैदको दोनोने खुशीसे स्वीकार कर लिया, और मर्यादाकी अवधि समाप्त हो जानेके बाद उन्होने मेरी सम्मति माँगी। बिना हमारा आशीर्वाद पाये वे विवाह करनेको तैयार नही थे। (२) यह मान लिया जाये कि वर्ण आज भी मौजद है तो भी महाभारतादि ग्रन्थोमें अतर्वर्ण विवाहके काफी दृष्टान्त मिलते है। (३) विवाहादिके जो नियम बनाये गये, वे उस समयकी आवश्यकताको देखते हुए उसी कालके लिए बनाये गये थे। मुख्य नियम तो आत्म-सयमका है।

फिर यह भी ध्यानमे रखना चाहिए कि हमारी स्मृतियोमे आज जो परस्पर विरोधी सैंकडो वाक्य मिलते है, वे सभी प्रमाणरूप नही माने जा सकते। हमे उनको सत्य और अहिंसाकी कसौटीपर कसना होगा। उदाहरणके लिए, मनुस्मतिमे ऐसी बाते हैं जो सत्य और अहिसामे विश्वास रखनेवाला कभी नही लिख सकता था, और वे बाते उस महान ग्रन्थकी उन अच्छी बातोके साथ हैं जो किसी भी जातिके आध्यात्मिक ज्ञानके लिए गौरवमयी हैं। मै उन बातोको क्षेपक मानकर निकाल दूगा, जैसेकि तुलसीकृत रामायणमे कितने ही क्षेपक लोगोने जोड दिये है। मनुस्मृति-जैसे प्राचीन ग्रन्थोमे ऐसा घोटाला हुआ हो तो इसमे अचरज ही क्या? मुझे मनु महाराजकी

सनातनधमकी यह व्याख्या यथाय जान पडती है और इसी कसौटीपर हमे उन सब वचनोको कसना चाहिए

विद्वद्भि सेवित सद्भि नित्यमद्वेषरागिभि ।
हृदयेनाभ्यनुज्ञात एष धर्म सनातन ।।

वह धर्म सनातन है जिसका रागद्वेषसे मुक्त विद्वान सत सदैव पालन करते है और जो हृदयको ठीक लगता है, न्याय-बुद्धिको ठीक लगता ह।

खान-पानमे मैं जिस आचारका पालन करता हूँ, वह किसीसे छिपा नही हे। मै शुद्ध भोजन चाहे जिस मनुष्यके हाथका ग्रहण कर लेता हूँ। किन्तु यह सारा प्रश्न तो व्यक्तिगत हे, सामाजिक नही। मै इस विषयमे सुधार करने नही चला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह तो स्वय निपट जायेगा। इसलिए मै सार्वजनिक रूपसे अपने विचार हवामे नही उछालता। मेरी अपनी बहन हरिजनोके हाथका ही नही, अन्य हिन्दुओके हाथका भी नही खाती है। पर मैं उनके साथ किसी प्रकारका आग्रह नही करता। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वे अस्पृश्यताको नही माननी और किसी मनुष्यको जन्मसे अस्पृश्य नही मानती।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २४-८-१९३४

२६४. भाषण: सयुक्त प्रान्तके हरिजन-सेवकोके समक्ष, कानपुरमें[1]

[२४ जुलाई, १९३४][2]

नगरपालिकाएँ आमतौरसे लापरवाही दिखा रही हैं, इस शिकायतके सम्बन्धमें गाधीजी ने कहा कि इस अवस्थामें आप लोगोको चाहिए कि अपने सदस्योसे सीधा सम्पर्क करके उन्हे गहरी नीदसे जगायें, और मतदाताओके बीच ऐसी जागृति पैदा कर दें, कि वे खुद अपने चुने हुए सदस्योको कर्त्तव्यशील रख सकें। यह जानकर मुझे खुशी हुई है कि कानपुर नगरपालिकाके गैर-हिन्दू सदस्योने हरिजन मुलाजिमोके उद्धार कार्यमें हिन्दुओको दिलसे सहयोग दिया है। मुझे विश्वास है कि दूसरी नगरपालिकाओके मुसलमान सदस्य भी इसी तरह हरिजन-कार्यके प्रति सहानुभूति दिखायेंगे। नगरपालिकाके सदस्य किसी एक ही जातिके सरक्षक तो है नहीं, वे तो सारी जनताके सरक्षक हैं और हमारा यह आन्दोलन विशुद्ध मानवोद्धारका आन्दोलन है। राजनीतिसे हमारा कोई वास्ता नहीं। हरिजन हिन्दुओकी जैसी

१ यह 'हरिजन-सेवक निर्देशिका', शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।
२ वालजी गो० देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से।

सेवा करते हैं, वैसी ही गैर-हिन्दुओकी भी। फिर एक और बात है। हरिजन-बस्तियोकी यह गन्दगी समूचे शहरके लिए खतरनाक हो सकती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि पानी, रोशनी, पाखाना आदिकी जो सुविधाएँ अन्य नागरिकोके लिए नगरपालिकाने दे रखी है, उनसे बेचारे हरिजन वचित रहते है।

नगरपालिकाएँ क्या करती है और क्या नहीं करतीं-इसे जाने दें, हरिजन-सेवक सघका यह फर्ज है कि हरिजनोकी बस्तियोको साफ-सुथरी रखनेका वह सदा प्रयत्न करता रहे। और यह आसानीसे हो सकता है, इसमें कुछ ऐसे बहुत खर्चेकी भी जरूरत नहीं है। प्रथम तो यह देखना चाहिए कि बस्तीकी नालियाँ ठीक है या नहीं और बस्तीमे सफाई कैसी है और सडके अच्छी है या नही। घरोमें जरा-सा भी सुधार कर दिया जाये तो कम-से-कम रोशनी और हवा तो आने लगे। हरिजन-बस्तियोके सुधारकी कोई आसान योजना अगर आप नगरपालिकाओके आगे रखेंगे तो वे आपके सघको थोडी-बहुत सहायता तो दे ही देंगी। इस तरह सघ और नगरपालिका मिलकर कुछ-न-कुछ सुधार तो कर ही सकते है। नगरपालिकाओके पास शायद कार्य करनेवाले आदमी न हो, और हो भी, तो इस तरहके काममें वे शायद पूरी दिलचस्पी न लेते हो।

दूसरी बात यह है कि हरिजनोके लिए पानीका खूब अच्छा प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिए। नगरवासियोकी अपेक्षा बेचारे गाँवके हरिजनोको पानीका बहुत अधिक कष्ट है। उन गरीबोमें इतना कहनेकी भी हिम्मत नहीं है कि उन्हे भी सार्वजनिक कुओसे पानी भरनेका सबके समान अधिकार है। अदालतकी मददसे या दूसरी तरह सावजनिक कुओपर पानी भरनेका हक उन्हे जताना है। इस बीच सघको चाहिए कि वहाँ ऐसे सुन्दर कुएँ बनवा दें कि सवर्ण हिन्दुओका भी मन उनसे पानी भरनेको लालायित हो जाये। पर जबतक कुएँ नहीं बन जाते, तबतक सुधारकोको चाहिए कि वे खुद पानी खीच-खीचकर हरिजन भाइयोके घडोमें डाल दिया करे।

तीसरी बात यह है कि हरिजन बच्चोके लिए हमारा सघ अच्छी प्रारम्भिक पाठशालाएँ स्थापित करे। इन पाठशालाओके अध्यापक सिफ अक्षर और अक सिखाने के फेरमें ही न पडे रहे, बल्कि अपने विद्यार्थियोको शरीर और वस्त्र साफ रखनेकी भी शिक्षा दिया करे, ताकि छ ही महीनेमें वे हरिजन बच्चे भी अपने समवयस्क सवर्ण बच्चोके साथ बैठ सकें। हरिजन शिक्षकमें उतनी विद्वत्ताकी जरूरत नही है, जितनी कि सहृदयताकी। अच्छा हो कि सघ हरिजन प्राइमरी पाठशालाओके अध्यापकोके लिए एक 'गाइड' बनाकर छपवा दे, जिसमें यह सब रहे कि उन्हे अपने विद्यार्थियोको वह सास्कृतिक शिक्षा किस तरह देनी चाहिए जो कि सवर्ण बालकोको अपने घरोमें मिलती रहती है।

चौथी बात 'आश्रम' के सम्बन्धकी है। मै देखता हूँ कि 'आश्रम' इतना ऊँचा शब्द है कि उसका प्रयोग करते हुए हमें सकोच होना चाहिए। मै तो इन सस्थाओको

'छात्रालय' या 'उद्योगालय' कहना ही पसन्द करूँगा। मै स्वय नहीं चाहता कि साबरमतीके आश्रमको 'हरिजन-आश्रम' कहा जाये। छात्रालयके बच्चोको पाठशालामे जो शिक्षा दी जाती है, उसमे हम इतना और जोड दें तो बहुत अच्छा हो कि उन्हे वहाँ एकाध धन्धा सिखाया जाये और धर्मकी भी कुछ शिक्षा दी जाये। धर्मकी शिक्षा पोथियोके द्वारा नहीं, किन्तु अपने सच्चे सदाचारके द्वारा दी जानी चाहिए। यह देखते रहना छात्रालयके अधीक्षकका कर्त्तव्य है कि उसके छात्र अपने हाथ-पैरोसे काम लेते है या नहीं, उनका सत्य केवल किताबी सत्य तो नहीं है, उनके जीवनमें भी सत्यको सच्चा स्थान मिल रहा है या नहीं। सच पूछा जाये तो छात्रोके प्रति उसका वही बरताव होना चाहिए जो कि पिताका अपनी सन्तानके प्रति हुआ करता है। वह छात्रोका धर्मपिता है। हर प्रान्त में ऐसी यदि दो भी सस्थाएँ हो तो सस्कृतिका उनके द्वारा बहुत बडा प्रसार-प्रचार हो जाये।

'मद्य-निषेध' के विषयमें गाधीजी ने कहा कि आपकी बातोका असर शराबियो पर तो तभी पड सकता है जब आप उनके जीवनका गहरा अध्ययन करे और उनके साथ अपना घनिष्ठ सम्पर्क कायम करे। सिर्फ प्रतिज्ञा-पत्रपर उनका हस्ताक्षर-भर करा लेना कोई अथ नही रखता। आपको कारणोकी तहतक जाना चाहिए कि ये लोग शराब आखिर पीते क्यो हैं। शराबके बदले आपको उन्हे दूध या चाय देनेका शुरू-शुरूमें प्रबन्ध करना होगा। खेल-कूद या कथा-व्याख्यान आदिमें भी उनका मन लगाये रहना होगा।

अन्तमें, गाधीजी ने बडे जोरदार शब्दोमें हरिजन-सेवकोसे कहा कि जबतक आप लोग गाँवोमें जाकर डेरा न डालेगे, तबतक आपके इस अस्पृश्यता-निवारण कार्यका श्रीगणेश भी हुआ नही कहा जा सकता। गाँव ही तो असलमें अस्पृश्यताके मजबूत गढ है। गाँवोमें जब उसपर तीव्र प्रहार होगा, तभी वह समाप्त होगी।

[अग्रेजीमे]
हरिजन, १०-८-१९३८

२६५. भाषण छात्रो और हरिजनोके समक्ष, कानपुरमे[1]

२४ जुलाई, १९३४

महात्मा गाधीने अभिनन्दनका उत्तर देते हुए छात्रोको थैलीके लिए धन्यवाद दिया, परन्तु कहा कि कानपुरके छात्रोके लिए यह रकम बहुत ही थोडी है। जब वे पहले यहाँ आये थे तो उन्होने १५०० रुपये दिये थे। फिर भी उन्होने उसका स्वागत किया, क्योकि वह प्रेमसे दी गई थी। उन्हे यह जानकर खुशी हुई कि विद्यार्थी उन्हे सच्चे सनातनधर्म का उपासक मानते है। हरिजन-सेवाकी उनकी इच्छाको उन्होने एक शुभ लक्षण बताया।

हरिजन कार्यकर्त्ताओकी सभामे[2] यह कहा गया था कि हरिजन कार्यकर्त्ता काफी नहीं है, पर यहाँ आप लोग तो है। मै आपसे यह अपेक्षा नही करता कि आप अपनी पढाई-लिखाई छोड दे और अपना सारा समय इसी कार्यमे लगाये। पर मै यह अपेक्षा अवश्य करता हूँ कि पढाई-लिखाईके साथ-साथ आप अपना समय इस कार्यमे भी लगायें, जैसेकि आप अपने माँ-बाप के बीमार पडने पर उनकी सेवा-शुश्रूषा करते है। मै चाहता हूँ कि आपमे त्यागकी भावनाएँ पैदा हो। ज्ञानका अर्थ मात्र पुस्तके पढना नहीं है। इस तरहकी सेवा भी उसके अन्तगत आती है। म चाहता हूँ कि मै आपको यह महसूस करा सकू कि गरीब हरिजन बहुत कष्ट भोग रहे है और आप यदि उनके सारे नहीं तो बहुत-से कष्ट दूर कर सकते है, और यह सब नियमित पढाई-लिखाई जारी रखते हुए किया जा सकता है।

अन्तमें, महात्मा गाधीने छात्रो, लडके-लडकियो, दोनो से अपील की कि यदि वे हरिजन-कार्यमे ज्यादा समय नहीं दे सके तो कम-से-कम खादी तो अवश्य पहनें। खादी पहननेपर हम जो-कुछ खर्च करते है, उसका बहुत ज्यादा भाग हरिजनोको जाता है।[3]

हरिजनोके अभिनन्दनका उत्तर देते हुए, गाधीजी ने कहा कि सफाईका काम एक पवित्र धन्धा है और भगियोका तिरस्कार करना उतना ही अनुचित है जितना कि किसी नर्स, सर्जन या माताका तिरस्कार करना, क्योकि उन सबको भी मैलेको हाथ लगाना पडता है। परन्तु सफाईके नियमोका पालन करना चाहिए और मरे

१ क्वीन्स पार्कमें, सनातन धर्म कॉलिजके छात्रोंने उन्हें अभिनन्दन पत्र भेंट किया था।

२ देखिए पिछला शीर्षक।

३ गाधीजी को तब हरिजन भगियोकी ओरसे अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया, जिसे लल्लूराम भंगीने पढ़ा।

हुए पशुओंका मांस, शराब और जुएकी आदत छोड़ देनी चाहिए। जूठन लेनेसे इनकार कर देना चाहिए और यह माँग करनी चाहिए कि सेवाओंके बदलेमें पैसे या कम-से-कम कच्चा अनाज, दालें आदि दी जायें। हड़तालोंके बारेमें गांधीजी ने कहा कि मैं स्वयं दक्षिण आफ्रिकामें और अपनी मातृभूमिमें कई सफल हड़तालोंका नेतृत्व कर चुका हूँ, और इस विद्याके एक विशेषज्ञ के नाते मैं आपको यह सलाह दूँगा कि काम बन्द करनेसे पहले झगड़ा निपटानेके अन्य सभी उपाय काममें लाने चाहिए।[1]

[अंग्रेजीसे]
लीडर, २७-७-१९३४, **हरिजन**, १९-८-१९३४ भी

२६६. भेंट : राष्ट्रीय भाषा शिष्टमण्डलको[2]

कानपुर
२४ जुलाई, १९३४

उन्होंने उनसे जोरदार प्रचार-कार्य करनेको कहा और कहा कि हिन्दी पत्र-पत्रिकाओंके अंकोंमें तत्सम्बन्धी साहित्य और पत्रक लिखे जाने चाहिए, शब्दकोश तैयार होने चाहिए और पश्चिममें अपनाये गये तरीकोंसे हिन्दीमें किताबें लिखी जानी चाहिए। उन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्यको उन्नत तथा लोकप्रिय बनानेके कई अन्य सुझाव दिये।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-७-१९३४

२६७. पत्र : मीराबहनको

रेलमें जाते हुए
२५ जुलाई, १९३४

चि० मीरा,

यह सिर्फ इतना ही बतानेके लिए है कि तुम सदा मेरे पास हो।

सस्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]
बापूज लेटर्स टु मीरा, पृ० २६७

१ यह अनुच्छेद वालजी गो० देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से लिया गया है।

२ शिष्टमण्डलमें हीरालाल खन्ना, प्रिंसिपल विश्वम्भरनाथ सनातन धर्म इण्टरमीजिएट कालेज, ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, बालकृष्ण शर्मा, छैलबिहारी कटक और अन्य लोग थे। शिष्टमण्डलका नेतृत्व बाबा राघवदास कर रहे थे।

२६८. टिप्पणी दर्शक-पुस्तिकामें[1]

२५ जुलाई, १९३४

जो लोग खादी नहीं पहनते, वे दरिद्रनारायणकी सेवा कैसे कर सकते हैं?

[अंग्रेजीसे]
पायनियर, २७-७-१९३४

२६९ भाषण सार्वजनिक सभा, लखनऊमें[2]

२५ जुलाई, १९३४

अभिनन्दन-पत्रोंका उत्तर देते हुए, महात्मा गांधीने सनातनियों, हरिजनों और लखनऊके अन्य नागरिकोंको उनके स्वागत-सत्कारके लिए धन्यवाद दिया। पर, साथ ही उन्होंने इस बातपर अपना असन्तोष भी साफ-साफ व्यक्त किया कि लखनऊसे हरिजन-कोषको थोड़ी रकम मिली है। वे यह माननेको तैयार नहीं थे कि परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं कि इतनी मामूली रकम इकट्ठी हो सकी। लखनऊको उनके आनेकी सूचना काफी पहले मिल गई थी, इसलिए हरिजन-ध्येयके लिए इकट्ठी की गई रकम इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। कुछ साल पहले जब वे लखनऊ आये थे, तो संयुक्त प्रान्तके इस मुख्य नगरने उन्हें इससे बहुत बड़ी थैली भेंट की थी, पर इस बार उसने उन्हें निराश किया।

लखनऊकी महिलाओंने उन्हें जब १,५०० रुपयेकी थैली और ५०० रुपयेके आभूषण भेंट किये थे[3] तो उन्होंने यह आशा की थी कि अन्य नागरिक हरिजन-कोषमें इतनी रकम देंगे जो इस नगरकी प्रतिष्ठाके अनुरूप होगी। पर उनकी सभी आशाएँ विफल रहीं। फिर भी वे लखनऊको अपनी मान-रक्षाका एक और अवसर देनेको तैयार थे और उन्होंने आशा प्रकट की कि यहाँके नागरिक उन्हें प्रान्तका दौरा समाप्त करनेसे पहले एक अच्छी रकम भेजेंगे।

१ सुबह गांधीजी ने लखनऊमें अमीनुद्दौला पार्कके पास स्थित चरखा संघके खादी भंडारका निरीक्षण किया था।

२ अमीनुद्दौला पार्कमें।

३ जनाना पार्कमें, प्रातःकाल, गांधीजी के लखनऊ पहुँचते ही।

हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें महात्मा गांधीने लोगोंसे कहा कि वे खुद जायें और देखें कि भारतमें हरिजनोंकी दशा कितनी खराब है। उन्हें बहिष्कृत माना जाता है और, धर्मके नामपर, मनुष्योंके मूल अधिकारोंतक से वंचित रखा जाता है। जो अस्पृश्यताका समर्थन करते हैं वे एक गम्भीर सामाजिक पापके भागी हैं। धर्मके नाम पर ६ करोड़ लोगोंको समाजसे बाहर रखना एक अक्षम्य अपराध है, जो किसी भी तरह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

दक्षिण आफ्रिका और अमेरिकामें गोरे लोग काली नस्लोंके लोगोंके प्रति वैसी ही विरुचि और असहनशीलता दिखाते हैं जैसीकि भारतमें सवर्ण लोग दलित वर्गके लोगोंके प्रति दिखाते हैं। परन्तु उन देशोंमें गोरे लोगोंने यह रुख, अपनी खुदकी उन्नतिके लिए, राजनैतिक अस्त्रके रूपमें अपनाया है। अपने कार्यको उचित ठहरानेके लिए उन्होंने धर्मका सहारा नहीं लिया है, जैसाकि भारतमें सवर्ण हिन्दू कर रहे हैं।

इस असह्य रुखके ही कारण, जिसमें कोई औचित्य नहीं है, डॉ० अम्बेडकर जैसे लोगोंको हिन्दू-समाजमें अस्पृश्य माना जाता है। हरिजन-प्रश्नपर यद्यपि उनका मुझसे मतभेद है, पर उनकी बुद्धिमत्ता, लगन और अन्य खूबियोंका मैं बहुत ही आदर करता हूँ। दलित वर्ग दलित पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि सवर्ण हिन्दुओंने सदियोंसे उन्हें दलित रखा है।

सवर्ण हिन्दुओं द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धान्तमें कि दलित वर्गोंने पिछले जन्मोंके अपने पापोंके कारण ही अस्पृश्यके रूपमें जन्म लिया है, कोई औचित्य नहीं है। दलित वर्गोंके लोगोंको मानव अधिकारोंसे वंचित रखना सरासर अन्याय और पाप है।

सभी धर्मोंके अनुसार, ईश्वर-सेवाका सबसे सुनिश्चित मार्ग गरीबोंकी सेवा है। खादीका उपयोग कर लोग आसानीसे वह सेवा कर सकते हैं। यदि खादीका चलन और ज्यादा बढ़ जाये तो भारतके लाखों लोगोंको, जो आज भूखों मरते हैं, कम-से-कम एक जून तो भोजन मिलने ही लगे। जो व्यक्ति एक रुपयेकी भी खादी खरीदता है, वह यह यकीन कर सकता है कि उसमें से पन्द्रह आने गरीबोंके पास जायेंगे और उन्हें भूखों मरनेसे बचायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

लीडर २७-७-१९३४

२७०. भाषण : आर्यसमाज-सभामें

कानपुर
२५ जलाई, १९३४

गाधीजी ने अभिनन्दन-पत्र[1] ग्रहण करनेके आमन्त्रणके लिए सभाका आभार प्रकट किया। महात्माजी सभाके सदस्योकी इस बातसे सहमत थे, कि स्वामी दयानन्दने पीडित वर्गोंकी सेवाका प्रयत्न किया है और अस्पृश्यता-निवारणमें एक बडी भूमिका अदा की है। महात्मा गांधीने बताया कि आर्यसमाजसे उनका सम्बन्ध नया नहीं है, बल्कि जब वे दक्षिण आफ्रिकामें थे तबसे है। उन्होने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह सम्बन्ध बराबर गहरा और मजबूत हो रहा है। अन्तमें महात्मा गाधीने यह कामना प्रकट की कि आर्यसमाजके साथ उनका सम्बन्ध भविष्यमें और भी गहरा हो और वे आर्यसमाज, ईश्वर और अपने देशकी मिलकर सेवा कर सकें।

[अग्रेजीसे]
लीडर, २९-७-१९३४

२७१. उत्तर : जमींदारोको[2]

२५ जुलाई, १९३४

प्रश्न. कराची काग्रेसमें जनताके मूल अधिकारोंपर एक प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें निजी सम्पत्तिको स्वीकार किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय जमींदारोने काग्रेसका समर्थन किया। परन्तु काग्रेसका नया समाजवादी दल निजी सम्पत्तिको खत्म करनेकी धमकी दे रहा है। काग्रेसकी नीतिपर इसका क्या असर पडेगा? आपके खयालमें क्या इससे वर्ग-सघर्षको बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या आप उसे रोकेंगे?

उत्तर कराची प्रस्ताव केवल अगली काग्रेसके खुले अधिवेशनमे ही बदला जा सकता है। पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सम्पत्तिवान वर्गोंको, बिना किसी न्यायोचित कारणके, उनकी निजी सम्पत्तिसे वचित करनेके पक्षमें नही हूँ।

१ साधन-सूत्रके अनुसार यू० पी० आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा यह शामके ५ बजे भेंट किया गया था। इसमें आर्यसमाज द्वारा किये गये कार्य, विशेषत अस्पृश्यता निवारण-आन्दोलनके सिलसिलेमें किये गये कार्यका विवरण था।

२ साधन-सूत्रके अनुसार यह "महादेव देसाई द्वारा लिखा गया" और "गाधीजी द्वारा ठीक किया गया" टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था। गाधीजी ने "जमींदारों द्वारा पढ़कर सुनाये गये" प्रश्नोंका उत्तर दिया था।

मेरा लक्ष्य तो आपके दिलोतक पहुँचना और आपको बदलना है, जिससे कि आप अपनी सारी सम्पत्तिको रैयतकी अमानत माने और उसका उपयोग मुख्यतया उसकी भलाईके लिए करे।

मै यह बात तो मानता हूँ कि काग्रेसी कायकर्त्ताओमें 'समाजवादी' दल नामके एक नये दलका जन्म हुआ है, किन्तु यह दल यदि काग्रेसको अपने साथ ले जानेमे सफल हो गया, तो क्या होगा सो मै नही कह सकता। फिर भी मुझे पक्का यकीन है कि यदि हमारे करोडो लोगोका पूरी तरह निप्पक्ष असन्दिग्ध मत लिया जाये तो वे सम्पत्तिवान वर्गोकी सारी सम्पत्ति छीननेके पक्षमे मत नही देगे। मै तो पूँजी व श्रम और जमीदारो व रैयतके सहयोग और तालमेलके लिए प्रयत्नशील हूँ। आप काग्रेसमे उसी तरह शामिल हो सकते है जैसेकि गरीब-से-गरीब लोग चार आना चन्दा देकर और काग्रेसके सिद्धान्तोमे विश्वास प्रकट करके उसमे शामिल हो सकते है।

फिर भी मै आपको एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ। मिल-मालिकोसे मैने कहा है कि वे अकेले ही मिलोके मालिक नही है। मजदूरोका भी मिल्कियतमे बराबरका हिस्सा है। इसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि जमीनके जितने मालिक आप हैं उतनी ही रैयत भी है और आपको अपनी आमदनी विलासिता या फिजूलखर्चीमे नही उडानी चाहिए, बल्कि रैयतकी भलाईके लिए काममे लानी चाहिए। अपनी रैयतको यदि आप एक बार यह महसूस करा दे कि आपके साथ उसका पारिवारिक नाता है और उसमे सुरक्षाकी यह भावना पैदा हो जाये कि परिवारके सदस्य होनेके नाते उसके हितोको आपके हाथो कोई क्षति नही पहुँचेगी, तो आप यह यकीन कर सकते है कि आपमे और उनमे कोई वर्ग-सघर्ष नही हो सकता।

वर्ग-सघर्ष भारतकी मूल प्रकृतिके लिए विजातीय तत्त्व है और वह, सबके लिए मूल अधिकार और सबके लिए समान न्यायके व्यापक आधारपर, एक प्रकारका साम्यवाद विकसित कर सकती है। मेरी कल्पनाका रामराज्य राजा और रकको एक से अधिकार देता है।

आप यह यकीन कर सकते हैं कि मै अपनी पूरी शक्ति और सारा प्रभाव वर्ग-सघर्षको रोकनेमे लगाऊँगा। स्वय अपनेपर मैने जो प्रतिबन्ध लगा रखा है, तीन अगस्तको जब वह समाप्त हो जायेगा तो मै क्या करूँगा, यह अभी मुझे पता नही है। पर मै अपनी ओरसे पुन जेल न जानेकी पूरी कोशिश करूँगा। जिस स्थितिकी अभी मुझे जानकारी नही है, उसके बारेमे निश्चयके साथ पहलेसे कुछ कहना कठिन है। पर, मान लीजिए, आपको अनुचित रूपसे आपकी सम्पत्तिसे वचित करनेकी कोशिश की जाती है तो आप मुझे अपने पक्षमे लडता हुए पायेगे।

विधानसभाके अगले चुनावोमें हम काग्रेसी उम्मीदवारोका समर्थन करना चाहते है। पर वे लोग विधानसभामें क्या नीति अपनायेंगे, इसके बारेमें हमें आशका है। क्या आप ससदीय बोर्डको हमारी आशकाएँ दूर करनेके लिए राजी कर सकते है?

इस विषयपर मै आपको ससदीय बोर्डके साथ विचार-विमर्श करनेको आमन्त्रित करता हूँ। परन्तु मै यह जानता हूँ कि कोई भी सदस्य निजी सम्पत्तिको जब्त करने

या खत्म करनेकी बात नही करेगा। रैयतके साथ आपके जो सम्बन्ध है, उनमे मौलिक सुधार करनेपर वे जरूर जोर देगे। पर वह आपके लिए कोई नई चीज नही होनी चाहिए। सर मैल्कम हेली[1] और लॉर्ड इर्विन तक ने आपसे यह अपील की है कि आप युगकी भावनाको समझे और अपना जीवन उसके अनुरूप बनाये। आप यदि केवल इतना करे तो यह निश्चित है कि हम एक विशुद्ध समाजवाद विकसित कर सकेगे।

पश्चिमका समाजवाद और साम्यवाद कुछ ऐसी धारणाओपर आधारित है जो हमारी धारणाओसे मूलत भिन्न है। इस तरहकी एक धारणा उनका यह विश्वास है कि मनुष्यकी प्रकृति मूलत स्वार्थी है। मै इसमे विश्वास नही करता, क्योकि मै यह जानता हूँ कि मनुष्य और पशुमे मूल भेद यह है कि पहला अपनी अन्तरात्माकी पुकारके अनुरूप काय कर सकता है और उसमे पशुके-से जो आवेग है, उनसे वह ऊपर उठ सकता है। इसीलिए वह स्वाथ और हिसासे, जिनका सम्बन्ध पाशविक प्रकृतिसे है मनुष्यकी नित्य आत्मासे नही, ऊपर उठ सकता है।

यह हिन्दू-धर्मकी मूल धारणा है और इस सत्यकी खोजके पीछे वर्षोका तप और सयम रहा है। इसीलिए जहाँ हमारे यहाँ ऐसे सत हुए है जिन्होने आत्माके रहस्योको खोजनेके लिए अपने शरीर स्वाहा कर दिये और प्राण त्याग दिये, वही पश्चिमकी तरह हमारे यहाँ ऐसा कोई नही हुआ जिसने पृथ्वीके दूरतम या उच्चतम प्रदेशोकी खोजके लिए अपने प्राण त्यागे हो। हमारा समाजवाद या साम्यवाद इसीलिए अहिसापर तथा श्रम व पूजी और जमीदार व रैयतके सामजस्यपूण सहयोगपर आधारित होना चाहिए।

अत काग्रेसके सिद्धान्त या नीतिमे ऐसा कुछ नही है जिससे आपको आतकित होनेकी जरूरत हो। यदि आप अनुमति दे तो मै कहूँगा कि मनमे भय और आशकाएँ आपके स्वय दोषी होनेके ही कारण है। जाने-अनजाने आप जिन अन्यायोके दोषी रहे है, उन्हे खत्म कर दीजिए और काग्रेस व काग्रेसियोसे आपको जो भय है उसे दूर भगाइये।

जमीदार और रैयतके सम्बन्धोको यदि आप एक बार नया मोड दे दे, तो आप देखेगे कि हम आपके साथ होगे और आपके निजी अधिकारो और सम्पत्तिकी बडी सजगतासे रक्षा करेगे। जब मैं 'हम' कहता हूँ, तो मेरे दिमागमें पण्डित जवाहरलाल भी होते हैं, क्योकि मुझे यकीन है कि अहिंसाके इस मल सिद्धान्तपर हममें कोई मतभेद नही है। बेशक, वे सम्पत्तिके राष्ट्रीयकरणकी बात करते हैं, पर उससे आपको आतकित होनेकी जरूरत नही है।

राष्ट्र सम्पत्तिको व्यक्तियोको सुपुर्द किये बिना उसपर अपना स्वामित्व रख ही नही सकता। वह केवल उसके न्यायोचित और पक्षपात-रहित उपयोगकी गारटी करता है और उन सभी दुरुपयोगोको रोकता है जो सभाव्य है। अपनी सम्पत्तिको रैयतकी भलाईके लिए अपने पास रखनेमे आपको कोई आपत्ति हो सकती है, मै

१ सयुक्त प्रान्तके गवर्नर।

ऐसा नही सोचता। रैयत केवल शान्ति और स्वतत्रनासे रहना चाहती है, और इससे बडी उसकी कोई महत्वाकाक्षा नही है। यदि आप सम्पत्तिका उसके लिए उपयोग करते है तो उसपर आपके अधिकारसे उसे कोई ईर्ष्या नही होगी।

आप हमसे और गाँवोसे प्राय कन्नी काटते आये हैं। आप अपने उम्मीदवार देहाती वर्गोंसे क्यो नहीं लेते?

आप विश्वास रखे कि हम गाँवोमे प्रवेश करनेवाले है और आपके साथ स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करेगे।

[अग्रेजीमे]
पायनियर, ३-८-१९३४

२७२. पत्र : मीराबहनको

२६ जुलाई, १९३४

चि० मीरा,

यह पत्र ऐसे समय लिखा जा रहा है जब एक हाथमे सब्जी और दूसरेमे कलम है। डाकका समय निकट है। इसलिए तुम्हे केवल प्रेम ही भेज सकता हूँ।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९३) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७५९ से भी।

२७३. पत्र · सरिताको

२६ जुलाई, १९३४

चि० सरिता,

तुम्हारा पत्र मिला। मै उसकी राह देख ही रहा था। तुमने सुख-दुःख दोनो देखे ही है। वहाँ जो बहने है, उनके साथ हिल-मिल जाना। मेरे लिए बम्बईमें और कोई घर नही है। इस कुटुम्बके साथ मेरे सम्बन्ध अनेक वर्षोंके है। निर्मलाके यहाँ भी घर तो है ही। उसके यहाँ हमेशा [आने-जानेवालोके कारण] जगहकी तगी रहती है। तथापि जगहकी तगी हो या न हो, यह कुटुम्ब ऐसा तो है ही कि सबका समावेश कर सके। तो भी यदि वहाँ रहा जा सकता हो तो रहना। मैने दोनो बहनोको लिख दिया है।

आशीर्वाद

मूल गुजराती (जी० एन० ११५२९) से।

२७४. बातचीत: काग्रेस, हरिजन और खादी-कार्यकर्त्ताओके साथ

कानपुर
२६ जुलाई, १९३४

महात्मा गाधीका यह दिन भी बहुत व्यस्त बीता। काग्रेस, हरिजन और खादी-कार्यकर्त्ताओके साथ विचार-विमर्शसे बातोपर काफी प्रकाश पडा। बहुत-से मामलोमें कार्यकर्त्ताओको उन्होने ठोस सलाहे दीं और कहा कि उनमें अनुशासनका बहुत तीव्र एहसास होना चाहिए। इसके बिना वास्तविक प्रगति असम्भव है। उन्होने कहा कि और लोगोकी तरह स्वयसेवकोमें भी कमियाँ है, पर उनपर काबू पाना कठिन या असम्भव नहीं है। जिन उच्च आदर्शोने उन्हे अपने भाइयोकी सेवाके लिए प्रेरित किया, वे उन्हे अपने सम्मुख रखने चाहिए। उन्हे यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि वे जन-साधारणके सेवक हैं और इसलिए उन्हे यथासम्भव सभी तरहसे उनकी सहायता करनेको सदा तैयार रहना चाहिए। देशके कार्यके लिए कष्ट सहनेको उन्हे सदा तैयार रहना चाहिए और सौंपे गये कार्य उन्हे ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रमसे पूरे करने चाहिए। उन्होने कहा कि स्वयसेवकोपर भारी दायित्व है। अपने कर्त्तव्योके बारेमें बातें करनेकी अपेक्षा उन दायित्वोको पूरा करना कहीं कठिन काम है।

खादी-कार्यकर्त्ताओसे उन्होने अपील की कि वे अपना काम बराबर जारी रखें। खादीकी बिक्रीका काम, किसी भी कारण, उन्हे रोकना नहीं चाहिए, क्योकि खादीका उपयोग ही ईश्वर-सेवाका सबसे सच्चा मार्ग है, गरीबोकी सेवा ही ईश्वर-सेवा है। खादीके इस्तेमालसे लाखो भूखे लोगोको रोटी मिलेगी। महात्मा गाधीने काग्रेसियोंसे कहा कि उन्हे गैर-काग्रेसी कार्यकर्त्ताओका सहयोग प्राप्त करना चाहिए, उन्हे पदाधिकारी बनाकर उनके नीचे काम करना चाहिए। काग्रेसियो और गैर-काग्रेसियोमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योकि हरिजन-कार्यमें सभीकी समान रुचि है। उन्होंने कहा कि मेरे विचारसे हरिजन-कार्यमें काग्रेसियो और गैर-काग्रेसियोका स्वस्थ सहयोग हरिजनोंके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। उन्होने अपील की कि आप लोग गैर-काग्रेसियोसे जो भी सहायता प्राप्त की जा सकती हो, प्राप्त करनेकी कोशिश करें।[१]

काग्रेसी कार्यकर्त्ताओने वर्ग-सघर्षपर उनके विचार पूछे और यह जानना चाहा कि क्या वह अहिंसात्मक हो सकता है। उन्होने जवाब दिया कि जिस रूपमें आज

१. इससे आगेका अश **हिन्दुस्तान टाइम्स**, २७-७-१९३४ से लिया गया है।

उसकी चर्चा होती है उस रूपमें वह अहिंसात्मक नहीं हो सकता। जहाँ-कहीं किसी व्यक्तिको कुचलनेका सवाल उठता हो, वहाँ हिंसा होगी ही।

यह पूछनेपर कि काग्रेस-समाजवादी दलकी वर्तमान नीतिसे क्या काग्रेसके ध्येयको क्षति पहुँचेगी, उन्होने कहा कि वह नीति बम्बईसे जारी किये गये घोषणापत्रमें घोषित नीति-जैसी ही हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या समाजवाद काग्रेसकी नीतिके विरुद्ध है, यह पूछनेपर महात्माजी ने कहा कि समाजवाद एक अच्छी चीज है। मै स्वय समाजवादी हूँ। परन्तु मेरी व्याख्या सदा अहिंसात्मक रही है और वस्तुत जो मेरा आशय है, वह कराची-प्रस्तावमें व्यक्त किया गया है। मै अभी भी उसपर कायम हूँ और उससे आगे जानेको तैयार नहीं हूँ।

जमींदारोके प्रति काग्रेसियोका रूख क्या होना चाहिए, यह पूछनेपर उन्होने कहा कि उनके प्रति भाइयोका-सा स्नेह होना चाहिए और हमारा लक्ष्य अन्याय को मिटाना और समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। हमें हृदय-परिवर्तन करना है। उन्होने कहा कि जमींदारोमे यह आशका पैदा कर दी गई है कि स्वराज्य मिल जानेपर जमींदारोसे सब-कुछ छीन लिया जायेगा। यदि सरकारने किसी आदमीको खुश होकर १८५७ में कुछ जमीन इनाममें दी थी, तो उसके पोतोसे आज वह सम्पत्ति छीनना कैसे उचित हो सकता है? यदि उनकी जमीन ली जाती है, तो राज्यको उन्हे समुचित मुआवजा देना चाहिए। इसी तरह जिस आदमीने आज जमीन खरीदी है और बाकायदा उसकी कीमत दी है, उसे उससे वचित नहीं किया जा सकता।

पण्डित बालकृष्ण शर्माने पूछा कि क्या जमींदारोके रहते हुए काश्तकारोकी दशा सुधारी जा सकती है। सयुक्त प्रान्तके किसानोसे १९ करोड रुपये वसूल किये जाते हैं, जिनमें से केवल ७ करोड रुपये सरकारी खजानेमें जाते हैं। शेष १२ करोड रुपये जमींदार ले लेते हैं।

गाधीजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सच है कि जबतक वे किसानोकी इतने ही मूल्यकी सेवा न करे, ये १२ करोड रुपये उनके पास नहीं जाने चाहिए। ऐसा भी समय रहा है जब उन्होने १२ करोड रुपये लिये और २९ करोड रुपये मूल्यकी उनकी सेवा की। पर आज तो किसानोको बदलेमें १२ रुपये मूल्यकी भी सेवा नहीं मिलती।

उन्हे खत्म करना इसका कोई हल नहीं होगा और उससे हिंसाको प्रवेश मिलेगा। हमें जमींदारोकी एक अलग और अस्पृश्य श्रेणी नहीं बनानी चाहिए। हमें ऐसे काश्तकारी अधिनियम पास करवाने चाहिए जो मौजूदा अधिनियमोसे अलग ढगके हो। गुजरातमें जमींदार नहीं हैं, फिर भी वहाँ काश्तकारोकी दशा वैसी ही है।

यह पूछनेपर कि काश्तकारोमें किस तरहका काम किया जाना चाहिए, महात्माजी ने कहा कि उनके ज्यादातर कष्ट अज्ञानका परिणाम हैं, इसलिए उसे मिटाना चाहिए। सालमें छ महीने वे बेकार रहते हैं, अत उनके लिए कुछ कुटीर उद्योगोकी

व्यवस्था की जा सकती है। शिक्षाके अलावा, उन्होने सफाई और स्वास्थ्यके नियमोके प्रशिक्षणपर भी जोर दिया।

यह पूछनेपर कि जहाँ सत्याग्रहके दौरान जमीनें जब्त कर ली गई है और जमींदार उन्हे लौटानेसे इनकार करते है, वहाँ कार्यकर्त्ताओको क्या करना चाहिए। महात्माजी ने कहा कि उनके सामने एक ही रास्ता है कि वे जमींदारोके पास जायें और उनकी न्यायबुद्धिको जगायें। मुझे आशा है कि जमींदारोको राजी किया जा सकेगा, पर यदि वे ऐसा न कर सके तो अदालतोकी शरण लेकर इन्साफका दावा करना चाहिए।

सत्याग्रहका जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि वह किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योकि १९२० से अबतक बराबर जन-साधारणके मनमें प्रवेश करनेकी कोशिश करते रहनेके बाद, मैंने यह जाना है कि उनमें अनुशासनकी भावना विकसित नहीं हो सकती।

अन्तमें, उनसे यह पूछा गया कि जब यह देख लिया है कि आदतन खादी पहननेवालोका अल्पसख्यामें भी मिलना व्यावहारिक नहीं है, तो मताधिकारके लिए आदतन खादी पहननेकी शर्त्त हटा क्यो नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि यही सवाल इसी शहरमें श्री पराजपेने भी उठाया था। मेरा जवाब तब यह था कि यदि वे सचमुच जन-साधारणके साथ रहना चाहते है, तो उन्हे मताधिकारके नियमोमें यह शर्त्त अवश्य रखनी होगी, परन्तु यदि वे इसे हटाना चाहते है, तो मै इस प्रश्न पर मतदानके समय मतदानके अपने अधिकारका उपयोग न करनेको तैयार हूँ। खादी न पहननेवाले एक करोड कांग्रेसियोके बजाय, यदि केवल सौ भी खादी पहननेवाले कांग्रेसी हो तो मुझे पूर्ण सन्तोष होगा।

[अंग्रेजीसे]
लीडर, ३०-७-१९३४, हिन्दुस्तान टाइम्स, २७-७-१९३४ भी

२७५. भाषण : महिला सभा, कानपुरमें

२६ जुलाई, १९३४

गाधीजी ने उत्तर देते हुए कहा कि कानपुरकी महिलाओकी ओरसे ५०१ रुपयेकी रकम बहुत ही थोडी है। वे धनी है, यदि चाहतीं तो अधिक दे सकती थीं। फिर भी वे उनके कृतज्ञ है और यह महसूस करते है कि वे और धन देंगी। फिर उन्होने इसपर जोर दिया कि महिलाओको हरिजन-उद्धार आन्दोलनमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्होने उनसे अपील की कि वे हरिजन-उद्धारके कार्यको अपने हाथमें ले और हरिजनोकी, जो मानव-समाजकी उतनी ही महत्त्वपूर्ण इकाई है जितने कि सवर्ण हिन्दू — सामाजिक और आर्थिक दशाको सुधारनेके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें। उन्होने कहा कि महिलाएँ पुरुषोसे काफी ज्यादा काम कर सकती है, इसलिए उन्हे घरोसे बाहर आना चाहिए और इस कामको पूरी तत्परता, सचाई और लगनके साथ, जो महिलाओका गुण है, अपने हाथमें लेना चाहिए। उन्होने उनसे खादीका उपयोग करनेकी पुरजोर अपील की और कहा कि लाखो सघर्षरत और भूखे लोगोकी मुक्ति उसीमें निहित है। खादीका उपयोगकर वे उन्हे रोटी और रोजगार दे सकती है। उन्होने कहा, चरखा सभी रोगोके लिए रामबाण है। चरखा अद्भुत वस्तु है और महिलाएँ चरखेके उपयोगसे देशका आर्थिक उद्धार कर सकती है। स्त्री-शिक्षापर उन्होने बहुत जोर दिया। उन्होने कहा कि स्त्रियोको शिक्षित किये बिना कोई भी सामाजिक उन्नति सम्भव नहीं है। शिक्षित महिला केवल अपने परिवारके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देशके लिए एक सम्पदा है।

उन्होने फिर उनसे पर्दा छोडने, घरोसे बाहर आने और उन दायित्वोंको अपने हाथमें लेनेकी अपील की जो उन्हे पूरे करने है। पर्दा उनकी स्वतन्त्रताका हनन कर रहा है, उनके उत्साह और जीवनतकको उनसे छीन रहा है, और महिलाएँ जितनी जल्दी उसे छोडेंगी उतना ही अधिक सबका भला होगा।

[अग्रेजीसे]
लीडर, ३०-७-१९३४

२७६. पत्र : एम० एस० अणेको

[२७ जुलाई, १९३४ से पूर्व][1]

एक तो मेरा लेख पहले ही खराब है दूसरे, चलनी गाडीमे लिखनेके कारण यह और भी खराब हो रहा है।

न तो मालवीयजी ने और न आपने ही अपनी कठिनाइयाँ दूर करनेके सुझाव मेरे पास भेजे हैं। मैं समाधानके लिए अपना दिमाग लगा रहा हूँ। जितना ज्यादा मैं इसके बारेमे सोचता हूँ उतना ही ज्यादा मेरे मनमे यह बात साफ होती जाती है कि काय-समितिका प्रस्ताव निर्दोष है। कांग्रेस यही स्थिति अपना सकती है कि वह अपने-आपको वचनबद्ध न करे। साम्प्रदायिक फोडेको हमे बिलकुल नही छेडना चाहिए। हम इसे जितना ज्यादा छेडेंगे यह उतना ही ज्यादा खराब होगा। मेरी रायमे श्वेत-पत्रपर से अपना ध्यान हटा लेना गम्भीर गलती होगी। यदि शासन-सुधार समाप्त न कर दिये गये तो आन्दोलनके बावजूद साम्प्रदायिक आधारपर चुनावका निर्णय बरकरार रहेगा। ये शासन-सुधार लगातार प्रयत्नोसे समाप्त किये जा सकते हैं। परन्तु मैंने तो आपको यह कहते सुना है कि [साम्प्रदायिक आधारपर चुनावका] निर्णय शासन-सुधारोसे भी बदतर है।

[अंग्रेजीसे]

रिमिनिसेंसज ऑफ गांधीजी, पृ० २११

२७७. बातचीत : समाजवादियोंके शिष्टमण्डलके साथ[2]

बनारस

२७ जुलाई, १९३४

पता चला है कि शिष्टमण्डलके सदस्योने, जिन्हे गांधीजी ने मुक्त और खुले विचार-विमर्शके लिए बुलाया था, उन्हे बताया कि कांग्रेसका इस समय जो कार्यक्रम है, वह समाजवादियोकी माँगको देखते हुए बहुत अपर्याप्त है और उन्हे, कांग्रेस कार्य-कारी समितिपर अपने असरको काममें लाते हुए, समाजवादी सम्मेलनके पटना-प्रस्ताव में रखा गया समाजवादी कार्यक्रम पास करवाना चाहिए।

१ साधन-सूत्रमें चन्द्रशंकर शुक्लने स्पष्ट किया है कि यह पत्र बनारसमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकसे पहले लिखा गया था।

२ उनके नेता थे, आचार्य नरेन्द्रदेव।

ऐसा समझा जाता है कि गांधीजी ने कांग्रेस कार्यकारी समिति और उसके कार्यक्रमपर समाजवादियोके आये दिनके अयुक्तियुक्त आक्षेपोकी निन्दा की और समाजवादियोसे साफ-साफ यह कह दिया कि वे कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओमें अनावश्यक फूट डालनेकी कोशिश किये बिना या तो कांग्रेसके फैसलेके पाबन्द रहे या फिर कार्यकारी समिति सहित कांग्रेसकी पूरी मशीनका भार अपने ऊपर ले ले। यदि वे चाहे तो वे स्वयं और कार्यकारी समितिके अन्य सदस्य उन्हे नियन्त्रण सौंपने और उनके लिए जगह छोडनेको तैयार है।

समाजवादी, जाहिर था, इससे हैरान रह गये और वे मुख्यतया निराश ही लौटे। पर उन्हे गांधीजी के इस आश्वासनसे थोडी-बहुत शान्ति मिली कि वे उनके सुझावोको कार्यकारी समितिके आगे रखेंगे और पूरी तरह सलाह-मशविरा करके उससे एक ऐसा प्रस्ताव पास करवायेंगे जिसमें समाजवाद, सम्पत्तिकी जब्ती, आदिके बारेमें कांग्रेसका रुख स्पष्ट किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-७-१९३४

२७८. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

२८ जुलाई, १९३४

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

आपने जितना कांग्रेसके लिए खर्च किया है, उतना क्या आप जनतासे नही उगाह सकते? लेकिन अगर आपको पैसा देना ही पडे, तो बेहतर यह है कि जितनी जल्दी बने, दे डालिए जिससे ब्याज बचे। इसलिए जितना ध्यान आप अपनी प्रैक्टिसकी ओर अभी दे रहे है, उससे अब अधिक दीजिए।

मेरा बिलकुल स्पष्ट मत है कि आपको कांग्रेससे और चुनावोसे दूर रहना चाहिए।

डॉ० किचलूका उपवास मुझे बिलकुल नही जँचा। आशा करता हूँ, इस पत्रके आपके पास पहुँचनेतक वह उपवास समाप्त हो गया होगा।

खादीपर आपके पत्रकी प्रतीक्षा करूँगा।

अपने निवासके समय मैंने आपको जो कष्टप्रद तकलीफ दी, उसके लिए मै शर्मिन्दा हूँ।

हृदयसे आपका
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२७९. कांग्रेस संसदीय बोर्डका घोषणा-पत्र[1]

बनारस
२९ जुलाई, १९३४

अखिल भारतीय कांग्रेस समितिने १९ मईको पटनाकी बैठकमें जो संसदीय बोर्ड नियुक्त किया था, वह विधानसभाके मतदाताओंसे यह अपील करता है कि वे आगामी चुनावोंमें अपना मत कांग्रेसी उम्मीदवारोंके पक्षमें दें।

कांग्रेसकी नीति घोषित कर दी गई है, और कार्यकारी समितिने १८ जूनको बम्बईमें निम्नलिखित प्रस्ताव[2] पास कर बोर्डको उसके लिए आदेश दे दिया है।

यद्यपि प्रस्तावके तथाकथित साम्प्रदायिक समझौतेसे सम्बन्धित अंशके पक्ष और विपक्षमें बहुत-कुछ लिखा गया है, फिर भी जहाँतक कांग्रेसी उम्मीदवारोंका सवाल है, उनके लिए दिशा बिलकुल साफ है। इस बातपर सब सहमत हैं कि वह [समझौता] आन्तरिक रूपमें बुरा है। वह राष्ट्र-विरोधी है। परन्तु लगता है, मुसलमान आमतौर पर उस समझौतेको चाहते हैं। कांग्रेस उनके रुखपर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकती। साथ ही कांग्रेस उसे स्वीकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि हिन्दुओं और सिखोंको वह स्वीकार नहीं है। कांग्रेस सदा शान्ति और एकताके पक्षमें रही है और उसकी सभी गतिविधियाँ इस दृढ़ विश्वासपर आधारित रही हैं कि भारतके विभिन्न सम्प्रदाय एक-दूसरेके प्रति न्यायोचित और सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे। अतः प्रस्तावमें स्पष्ट की गई नीतिके सिवा कोई भी अन्य नीति कांग्रेसके उद्देश्य और इतिहाससे संगत नहीं बैठती। कांग्रेसी उम्मीदवार और कांग्रेस, इसलिए, केवल एक ही काम कर सकते हैं कि एक सर्वसम्मत समाधानकी उपलब्धिको उत्तेजन दें और उसमें सहायक हों। यह कहना काफी है कि इस तरहका समाधान हम तीसरे पक्ष या शक्तिको अपनी सहायताके लिए आमन्त्रित करके कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर, जिन्हें यह विश्वास है कि श्वेत-पत्रके सुझावोंका विरोध सफल रहेगा, उन्हें समझौतेके बारेमें चिन्तित होनेकी जरूरत ही नहीं है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यदि श्वेत-पत्र खत्म होता है तो वह समझौता भी, जो श्वेत-पत्रके लिए गढ़ा गया था, अपने-आप खत्म हो जाता है। समझौता खराब है, तो श्वेत-पत्र उससे भी ज्यादा खराब है। संसदीय बोर्डको, इसलिए, मतदाताओंका ध्यान श्वेत-पत्रको अस्वीकार करने और एक संविधान सभा स्वीकार कराने और बुलानेपर केन्द्रित करना है, जो उसका एकमात्र विकल्प है।

१ साधन-सूत्रमें बताया गया है कि इसका मसौदा गांधीजी ने तैयार किया था। यह प्रात बोर्डकी बैठकमें पास होनेके बाद समाचारपत्रोंको दिया गया था। देखिए अगला शीर्षक।

२ देखिए परिशिष्ट १।

श्वेत-पत्रका उद्देश्य किसी भी रूपमे पूर्ण स्वाधीनता या आंशिक स्वाधीनतातक देना नही है। उस दिशामे यह राष्ट्रकी प्रगतिको आसानीसे रोक सकता है। यह भारतमें प्रतिनिधि सस्थाओके एक खर्चीले आडम्बरका सुझाव रखता है, जबकि वास्तविक नियन्त्रण सदा विदेशमे रहेगा। यह जिन रक्षोपायोसे भरा है, वे भारतके हितोकी रक्षाके लिए नही सोचे गये है। इसके विपरीत, यह आसानीसे सिद्ध किया जा सकता है कि वे उसकी आर्थिक प्रगतिको रोकने, जन-साधारणकी गरीबीको और बढाने और भारतमे ब्रिटेनके शोषण और आधिपत्यको कायम रखनेके लिए है। यदि श्वेत-पत्रके सुझाव अमलमें लाये गये, तो सेना या वैदेशिक मामलोपर राष्ट्रका कोई नियंत्रण नही रह जायेगा, फौजी खर्चेका बोझ जैसा अबतक है वैसा ही बना रहेगा, और वस्तुत वित्त तथा भारतकी वित्तीय और आर्थिक नीतिपर विदेशी नियंत्रण कायम रहेगा। यदि कोई यह कहे कि ये सुझाव कम-से-कम प्रातोको पूर्ण स्वायत्त शासन देना तो चाहते है, तो यह स्वायत्त शासन भी ऐसे प्रतिबन्धोसे घिरा है जो उसे एक ढोग और छलना बना देते है। इसीलिए यह कोई आश्चर्यकी बात नही है कि लगभग सभी दलोने श्वेत-पत्रकी योजनाकी कमोबेश निन्दा की है।

फिर विकल्प क्या है? यद्यपि काग्रेस पूरे राष्ट्रकी प्रतिनिधि होनेका दावा करती है, पर सरकारकी रायमे, वह एक बहुत शक्तिशाली दल होते हुए भी राजनैतिक दलोमे से केवल एक है। काग्रेसकी देशमे क्या स्थिति है, यह समय ही बतायेगा। आगामी चुनावोमें मतदाता भी थोडा-बहुत यह बता सकते है। पर यह चीज साफ है कि जिसे सरकार आखिर रद कर ही देगी, वैसा कोई सविधान काग्रेसको बनाना नही चाहिए। इसीलिए कार्यकारी समितिने, जैसाकि ऊपर कहा गया है, सविधान सभाका एक अचूक विकल्प सुझाया है, जो बालिग मताधिकार या यथासम्भव उसीसे मिलने-जुलते किसी आधारपर चुनी जायेगी। हम यह जानते है कि इस तरहकी सभा, जबतक कि वह एक सफल क्रांतिके बाद आयोजित न की गई हो, केवल शासक शक्तियो और जनताकी सहमतिसे ही आयोजित की जा सकती है। इसीके बारेमे हम सोच रहे है। यदि मतदाता आगामी चुनावोमे अपने प्रतिनिधियोका चुनाव इस स्पष्ट आदेशके साथ करते है कि श्वेत-पत्रका एकमात्र विकल्प सविधान सभा ही है, तो उसकी स्वीकृतिके बारेमे हमारे मनमे कोई निराशा नही है। यह सही है कि वर्तमान मताधिकार सकुचित है और इसलिए सही मानोमे जन-साधारणका प्रतिनिधित्व नही करता। इसके अतिरिक्त, विधानसभाका गठन ऐसा है कि लोगो द्वारा निर्वाचित सदस्य उसमे कोई कारगर भूमिका अदा नही कर सकते। फिर भी निर्वाचकोका निर्णय यदि असदिग्ध हो तो उसकी अवज्ञा नही की जा सकती।

यदि मतदाता श्वेत-पत्रको रद कर देते है और सविधान सभापर जोर देते है, तो ब्रिटिश नौकरशाही फिर यह नही कहेगी कि लोग ब्रिटिश सरकारके तरीको और कार्योसे और वह उनके लिए जो भी योजना बनाती है, उससे सन्तुष्ट है। इस भ्रमको दूर कर देनेसे कोई छोटा लाभ नही होगा। काग्रेसी उम्मीदवारको दिया गया प्रत्येक वोट, जो श्वेत-पत्रकी जगह सविधान सभाका वोट होगा, वातावरणको साफ

करनेमे सहायक होगा। हमे आशा है कि सभी सम्प्रदाय इस सीधे-सादे प्रश्नपर एक होगे।

काग्रेसी प्रतिनिधि केवल श्वेत-पत्रको रद कराने और सविधान सभाको स्वीकार करानेके लिए ही कोशिश नही करेगे। पिछले कुछ सालोमे जो प्रतिक्रियावादी कानून पास हुए है और जो दुर्भाग्यसे प्राय निर्वाचित सदस्योकी रायसे पास हुए है, वे उनपर विचार किये बिना नही रह सकते। आजादीके अहिंसात्मक सघषका मुकाबला जिस तरह अत्यधिक कठोर अध्यादेशोसे किया गया है और हजारो काग्रेसजनोने, जिनमे महिलाओकी भी बडी सख्या रही है, जेल जाकर, अनेक कष्ट झेलकर, लाठियाँ खाकर, भारी जुर्मानो और सम्पत्तिकी जब्तीका शिकार होकर जो महान बलिदान किये है, वे उनपर भी विचार किये बिना नही रह सकते। निर्वाचित काग्रसी उम्मीदवारोका यह कत्तव्य होगा कि वे, जहाँतक सम्भव हो, उनकी वापसीके लिए और दमनकारी कानूनो और अध्यादेशोको, जो अब विधान-मडलके अधिनियम कहलाते है, रद करानेके लिए दबाव डाले। सीमाप्रान्तमे काग्रेसी सगठनोके प्रति जो बेहद उग्र तरीके अपनाये गये है, उनपर उन्हे खास ध्यान देना होगा। उनका यह भी कत्तव्य होगा कि आतकवादका मुकाबला करनेके लिए सरकारने विधानसभामे जो तरीके अपनाये है, वे उनकी निष्पक्ष जाँचकी माँग करे और उनके बारेमे जो लोकमत है उसे अमलमे लानेके लिए कदम उठाये।

काग्रेस ससदीय दल किसी भी ऐसी छोटी या बडी राष्ट्रीय सेवा करनेमे जो विधान-मण्डलो द्वारा सम्भव है, पीछे नही रहेगा। हम यह भली-भाँति जानते है कि राष्ट्रको पूर्ण स्वाधीनताके अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए जो प्रयत्न करने होगे, उनके लिए प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान-मडलोके अधिकार बहुत ही थोडे है। काग्रेसका रचनात्मक कार्यक्रम, जिसे सफलताके साथ पूरा करके ही हम अपनी माँगको अनिवार्य बना सकते है, विधान-मडलोके बाहर ही सबसे ज्यादा कारगर ढगसे चलाया जा सकता है। पर कुछ मामले ऐसे है जिनसे केवल विधान-मडलो द्वारा ही निबटा जा सकता है। काग्रेस दल उनपर ध्यान देगा।

जन-साधारणके शोषणको समाप्त करनेके लिए, राजनैतिक स्वतन्त्रतामें लाखो भूखे लोगोकी सच्ची आर्थिक स्वतन्त्रता भी शामिल होनी चाहिए। दलकी आर्थिक नीति, इसलिए, अखिल भारतीय काग्रेस समितिके कराची-प्रस्तावमे उल्लिखित मूल अधिकारो और आर्थिक कार्यक्रमके अनुरूप होगी।

इसलिए, बोर्ड मतदाताओसे यह अपील करता है कि वे असदिग्ध रूपसे यह दिखा दे कि वे काग्रेसके तरीको और उद्देश्यके पक्षमे है और नौकरशाहीके मौजूदा शासन और तरीकोकी भर्त्सना करते है।

[अग्रेजीसे]

लीडर, १-८-१९३४

२८० भाषण: कांग्रेस संसदीय बोर्डके घोषणा-पत्रके सम्बन्धमें

२९ जुलाई, १९३४

मालूम हुआ है कि कार्यकारी समिति और संसदीय बोर्डकी संयुक्त बैठक[1] में, संसदीय बोर्डके घोषणा-पत्र पर बहसके दौरान, महात्मा गांधीने घोषणा-पत्रके समर्थनमें एक बहुत ही प्रभावशाली और मार्मिक भाषण दिया। कांग्रेस संसदीय बोर्डके बारेमें वे एक गलतफहमी दूर कर देना चाहते थे। वे इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि संसदीय मनोवृत्तिने कांग्रेसमें स्थायी जगह बना ली है। यह अब केवल पुरानी स्वराज्य पार्टीकी 'अड़गा नीति' नहीं रही है। संसदीय बोर्डका विचार था कि विधानसभाओंमें जानेके लिए चुनाव लड़े जायें और श्वेत-पत्रको रद करने, एक संविधान सभा बुलाने, दमनकारी कानूनोंको खत्म करने और, जहाँतक अवसर मिले वहाँतक, रचनात्मक कार्यक्रम और कांग्रेसकी अन्य राष्ट्रीय गतिविधियोंको अमलमें लानेके लिए विधानसभाओंमें रहा जाये।

पुरानी स्वराज्य पार्टीके कार्यका जिक्र करते हुए, महात्मा गांधीने यह कहा बताते हैं कि उसने विधानसभाओंमें अच्छा काम किया है और वे उसपर सन्तोष का अनुभव करते हैं। स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरूका एक भी भाषण ऐसा नहीं है जिसपर राष्ट्रको लज्जित होना पड़े। उनका अच्छा नैतिक प्रभाव पड़ा है।

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कि क्या कांग्रेसियोंके वहाँ अल्पमतमें चुने जानेकी सम्भावना नहीं है, महात्मा गांधीने कहा कि बहुमतकी आशा रखते हुए भी वे यह माननेको तैयार हैं कि हम अल्पमतमें भी हो सकते हैं, पर सब-कुछ इसपर निर्भर करता है कि अल्पमतमें कौन लोग हैं।

श्री सत्यमूर्त्तिका जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि वे अकेले भी अल्पमतमें हों तो मुझे विश्वास है कि वे अच्छा काम करेंगे। सरकारकी तरह, कांग्रेस भी अनुभवसे सीख रही है। यदि कांग्रेसी विधानसभाओंमें होते, तो सविनय अवज्ञा और अन्य मामलोंके बारेमें कई चीजें जिस तरहकी हुई, वैसी नहीं होतीं। निस्सन्देह, उन्हें यह यकीन था कि यदि कांग्रेस कार्यकारी-समितिने कांग्रेसियोंसे विधानसभाओंसे बाहर आ जानेको कहा तो कांग्रेसजन वैसा ही करेंगे। परन्तु जबतक यह बहुत ही जरूरी न हो जाये और विधानसभाओंके कांग्रेसी स्वेच्छासे उस तरीकेपर सहमत न हों, तबतक मैं उन्हें बाहर बुलानेके पक्षमें नहीं हूँ। सविनय अवज्ञा फिरसे शुरू होनेपर भी, यह

१ यह बैठक बनारसमें हुई थी।

हो सकता है कि हम विधानसभाओंके कांग्रेसी सदस्योंसे बाहर आनेको न कहें, क्योंकि यदि एक करोड़ भारतीय भी सविनय अवज्ञा करते हैं तो कोई एक हजार कांग्रेसियोंको विधानसभाओंमें कार्य करनेके लिए आसानीसे छोड़ा जा सकता है। आजकल सरकार एकके बाद दूसरा दमनकारी कानून बना रही है, जैसेकि विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित बंगाल अधिनियम, और दुनियाके आगे यह दावा कर रही है कि इस कार्यमें उसे विधानसभाके निर्वाचित सदस्योंका समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस सरकारको इस बहानेसे वंचित कर सकेगी।

अन्तमें, महात्माजी ने कहा कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड विधानसभाओंके समस्त कार्यके बारेमें एक घोषणा-पत्र जारी करेगा, पर नीतिसे सम्बन्धित मामलोंपर जो समय-समयपर निर्धारित की जानी है, कांग्रेसका नियन्त्रण रहेगा।

[अंग्रेजीसे]
लीडर, १-८-१९३४

२८१. भाषण: हरिजन सेवक संघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठक, बनारसमें[1]

२९ जुलाई, १९३४

दो प्रश्न हैं जिनके सम्बन्धमें मुझे आप लोगोंसे कुछ कहना है। एक तो यह कि संघका संगठन किस प्रकारका किया जाये, और दूसरा है एक ऐसी शिक्षण-संस्था स्थापित करनेके सम्बन्धमें जिसमें नियतकालिक अथवा आजीवन सदस्य हरिजन-सेवाकी शिक्षा पा सकें। पहले प्रश्नको लेते हुए मैं जानता हूँ कि आप लोगोंकी आमतौर पर यह इच्छा है कि जनतंत्र अर्थात् वोट, चुनाव इत्यादिका रूप हमारे संघमें लाया जाय। पहले मैं कुछ दुविधामें पड़ गया था, पर यह नौ महीनेकी यात्रा करनेके बाद मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि चुनाव या जनतंत्र जैसी किसी चीजके लिए हमारे इस संघमें कोई स्थान नहीं है। हमारी संस्था तो एक भिन्न ही प्रकारकी है। वह मामूली तरहकी कोई लोक-संस्था नहीं है। हम तो एक प्रकारके स्वयं-नियुक्त न्यासी हैं, पैसा महज न्यासीके रूपमें हम अपने पास रखते हैं, और केवल हरिजनोंके हितार्थ उसका उपयोग करते हैं, और इस ढंगसे कि वह सीधा हरिजनोंकी ही जेबमें जाये। हमारे संघका संगठन इस विचारको सामने रखकर हुआ है कि जिन भाइयोंको हमने सदियोंसे तुच्छ मान रखा है, उनके प्रति अब अपना कर्त्तव्य पालन करें। यह तो आप जानते ही हैं कि बम्बईमें मालवीयजी महाराजकी अध्यक्षतामें हिन्दू-प्रतिनिधियोंकी जो विशाल

१ "प्रवचन कार्यकर्त्ताओंके समक्ष" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित, यह काशी विद्यापीठमें २८, २९ जुलाईकी बैठकके अन्तमें दिये गये "गांधीजी के भाषणका सार-संक्षेप" के रूपमें छपा था।

सभा हुई थी उसमे हरिजनोके प्रति कर्त्तव्य-पालनकी प्रतिज्ञा की गई थी।[१] उस प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए ही हमारे इस सघका निर्माण हुआ है। हम मानते है कि हरिजन-कोषमे लोग प्रायश्चित्तकी भावनासे दान देते है। तब हमारा यही एक-मात्र कर्त्तव्य है कि इस कोषका उपयोग हम हरिजनोके ही हितार्थ करे। जनतन्त्रा-त्मक सस्थाके चलानेमे पैसा भी खच होगा और काममे देरी भी होगी। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हम कम-से-कम खर्च और कम-से-कम समयमे इस कोषको हरिजन-हितकारी कार्योंमे लगा दे। हम हरिजनो और अपने बीच हस्तक्षेप करनेवाला कोई मध्यस्थ नही चाहते। हम महज न्यासी है और न्यासकी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। कुछ लोग कहते है कि प्रबन्ध-कार्यमे पैसा देनेवालोकी भी आवाज होनी चाहिए। मेरी रायमे वे भूल करते है। मेरी दृष्टिमे तो एक पाई देनेवाला और उससे लेकर पचास हजार रुपयेतक देनेवाला, जैसे घनश्यामदास बिडला, दोनो ही एक समान दाता है। शायद घनश्यामदासके दस हजार रुपयोसे भी उस एक पाईकी कीमत अधिक हो। उडीसामे मैने खुद अपनी आँखो देखा है कि वहाँके गरीब आदमी किस प्रकार अपने फटे-पुराने चीथडोकी गाँठमे बडे जतनसे बँधे हुए पैसे-पाईको प्रेमसे हमारी झोलीमे डालते थे। हजारो रुपयोकी अपेक्षा, चाहे वे कितनी ही राजी-खुशीसे लोगोने दिये हो, मुझे तो गरीबकी गाँठकी वह कौडी ही पाकर अधिक आशा और प्रसन्नता हुई है। आत्मशुद्धिके इस यज्ञमे गरीबकी कौडीके बिना हजारोकी थैलियाँ किसी अर्थ की नही। लेकिन आपके उस जनतन्त्रमें उन हजारो गरीबोको तो कभी मत मिलेगा नही। हम उनके नामतक तो जानते नही। फिर भी हमारी उनके प्रति उतनी ही या उससे भी अधिक जवाबदेही है जितनी कि हजारोकी थैलियाँ भेट करनेवाले बडे-बडे दानियोके प्रति। हमारी यह सस्था तो एक दातव्य सस्था है और इसका अस्तित्व प्रामाणिक और योग्य प्रबन्धके ही ऊपर निर्भर करता है। यदि हम अपने प्रबन्ध-कार्यमे अधिक-से-अधिक कुशलता चाहते है, तो हमे अच्छे-से-अच्छे और बहुत ईमान-दार कार्यकर्त्ता चुनने होगे।

बस, मुझे जो कहना था, कह चुका, अब आपको जो ठीक जँचे वह करे। इस आन्दोलनको मै विशुद्ध धार्मिक या नैतिक या मानवतावादी आन्दोलन मानता हूँ। मेरे लिए तो यह खालिस सेवा और प्रायश्चित्तका ही आन्दोलन है। मै नही जानता कि हरिजन-कोषमे पैसा देनेवाले लाखो लोग मेरे इस कामको प्रायश्चित्तका काम माननेकी बातसे कहाँतक सहमत होगे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अस्पृश्यताको आश्रय देकर वर्षोसे हम जो पाप करते चले आ रहे है, उसका प्रायश्चित्त करनेके विचारको छोडकर मेरे मनमे कोई दूसरी बात नही है। इसलिए मेरे विचारसे इस आन्दोलनमें कोई राजनीतिक हेतु नही है। यह बात नही कि इसके राजनीतिक परिणाम नही होगे, किन्तु उनके विषयमे हम सोचे ही क्यो? हमारे कार्यका क्या फल होगा, इसपर विचार करनेकी आवश्यकता

१ देखिए खण्ड ५१, पृ० १४६।

नहो। अगर हमने इस आन्दोलनका विशाल उद्देश्य सामने रखा, तो निश्चय ही इसका यह फल होगा कि मुसलमानो, ईसाइयो तथा अन्य मम्प्रदायोके साथ हमारा प्रेम-सम्ब ध अत्यन्त शुद्ध हो जायेगा। मै चाहता हू कि इस विचारको तो दिलसे निकाल ही देना चाहिए कि हमारा उद्देश्य छ करोड गुण्डोकी एक फौज तैयार करनेका है। इस प्रकार हिन्दू-धमकी रक्षा हरगिज नही होगी। मेरा विश्वास है कि यदि अस्पृश्यताके अभिशापसे हिन्दू-धम मुक्त हो गया तो सारा ससार भी उसका कुछ नही विगाड सकता। यह आ दोलन कोई छोटा-मोटा सकुचित दायरेका आ दोलन नही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस युगका यह सबमे विशाल और व्यापक आन्दोलन है।

दूसरा प्रश्न इससे सरल ह। वास्तवमे यह उसीके बादका प्रश्न है जो-कुछ मैने कहा है। आजीवन सेवा-कार्यमे मेरा विश्वास है। मै तो लगनवाले ऐसे सेवकोकी टोहमे हू जिनकी यही एकमात्र अभिलाषा हो कि हरिजन सेवामें ही हम अपना तन, मन और अपनी आत्मा लगा देंगे। अगर ऐसे कायकर्त्ता हमे दस हजार मिल जाये — मै तो यहाँतक कहूगा कि एक ही हजार मिल जायें — तो हमारे इस सेवा-कार्यके आश्चयकारी परिणाम होगे। ऐसे कायकर्त्ताओके लिए शिक्षण सस्था खोली जाये, यह विचार मुझे अच्छा लगता है। दक्षिण आफ्रिकामे डरबनके पास पाइन-टाउनमें एक 'ट्रेपिस्ट मठ'[१] है। तीस सालसे ऊपर हुआ, जब मैंने वह आश्रम देखा था। मैने वहाँ बडी कठिन साधना देखी। वहाँ मैंने कोई गोपनीय या गोल-मोल बात नही देखी। एक लम्बा सा कमरा था, उसीमें वे सब आश्रमवासी रहते थे। सबेरे चार बजे वे लोग उठते थे। बिलकुल निरामिष भोजन करते और मौनव्रतको बडी दृढतासे पालते थे। सिफ दो-तीन व्यक्ति उनमे बोल सकते थे, जिन्हे हाट-बाजारमे कामसे जाना होता था, या आश्रममे आने-जानेवालोसे बात करनी पडती थी शेष सबको चुपचाप काम करना पडता था। यह आश्रम जूलू लोगोको शिक्षा व दीक्षा देता था। जूलू लोगोके बीच वे काम करते और अपने जीवनके सुन्दरतम साधनोके फल उन्हे देते थे। मठवासी सभी आजीवन सेवक थे। सभी विद्वान सन्यासी थे। ज्ञानके साथ-साथ उद्योगकी भी उन्होने साधना की थी। उनमे बढई थे, लुहार थे, पल्लेदार थे और मोची थे। उन्होने सब प्रकारके प्रयोग किये थे। उनका वह आश्रम सुन्दरता का मानो नमूना था। कितनी सफाई थी। धूलका तो कही नाम भी नही था। आश्रमका बाग भी रमणीय था। चारो ओर सारे वातावरणमें एक मधुर शान्ति छायी हुई थी। आश्रममे बिलकुल अनगढ जूलू युवक भरती होते थे, पर जब निकलते थे तो पक्के कारीगर बनकर। मेरा विचार इसी ढगकी शिक्षण-सस्था स्थापित करनेका है। चीज बनानी ही है तो बहुत अच्छी क्यो न बनाई जाये। पर आज हममे हमारा वह गौरव कहाँ रहा है? पहले इस प्रकारकी कठिन साधनाका हमारे देशमे अनुशासन था। पर अपने आश्रम-जीवनमे हमने तो तनिक-भी उन्नति नही की और वे लोग हमसे बहुत आगे बढ गये है। उन्होने नये-नये शोध किये है और प्रगति-पथपर

१ देखिये खण्ड १ (द्वि० स०), पृ० २३१ ३६।

बहुत आगे निकल गये हैं। अगर हम वैसी कोई चीज बना सके, तब मुझे सतोष हो। ऐसे अगर पाच भी आदमी मिल जाये जो अपने माता-पिता, पुत्र-कलत्र आदि सबको भूल जानेको तयार हो, और जो हरिजन-सेवामे ही अपना शेष जीवन खपा दे तो मेरा काम बन जाये। ऐसे त्यागी और अनुरागी जो सस्था बनायेंगे, वह एक सार की चीज होगी। अगर हमारा इतना ऊँचा लक्ष्य नही हो सकता, तो हमे अभी एकाध उद्योग-गृह, हरिजन छात्रालय या कोई ऐसी ही सस्था बनानी चाहिए। कराचीमे सेठ शिवरतन मोहताकी, उनके भाईकी पुण्यार्थ निधिसे, एक ऐसी उद्योगशाला चल रही है। आगरेके सुप्रसिद्ध 'दयालबाग' के दो शिक्षक वहाँ काम सिखाते है। वहा एक बढिया छात्रावास भी है, जिसमे पाश्चात्य ढगकी साज-सज्जा है। वहाँ छात्रो को बडी अच्छी तरह रखते है। एक जूते बनानेका और एक सिलाई सिखानेका — यह दो विभाग फिलहाल उस उद्योशालामे हैं। वह कोई शिक्षण-सस्था नही, किन्तु एक उद्योग-गृह है। वहाके हरिजनोका यह विश्वास है कि कोई-न-कोई दस्तकारी सीखकर ही वे उद्योगशालासे निकलेंगे, ताकि उन्हे पटके लिए दर-दर न भटकना पडे। ऐसी औद्योगिक सस्थाएँ हम चाहे तो और भी जहा-तहाँ खोल सकते है।

हम हरिजन-सेवकोने खुद अपने प्रति न्याय नही किया है। बहुत-से लोग तो हममे ऐसे है जिन्होने अपना सारा समय हरिजन-कार्यमे नही दिया। इस कार्यको तो वे यो ही शौकिया कर रहे है। मैने अकसर उनसे पूछा कि 'क्या आप 'हरि-जन' पढते है? तो उन्होने इसका 'नही' मे जवाब दिया। तीन हरिजन पत्र चल रहे है — अग्रेजी 'हरिजन', गुजराती 'हरिजन-बन्धु' और हिन्दी 'हरिजन-सेवक'। अग्रेजी और गुजरातीके पत्र तो स्वावलम्बी हो गये है, पर हिन्दीका अब भी नही हुआ है। इन पत्रोको जसा चाहिए था वैसा लोगोने अपनाया नही, हालाकि इनका सम्पादन बडे परिश्रमसे हो रहा है। ग्राहक बनना-बनाना तो दूर रहा, हमारे कार्य-कर्त्ता सूचनाएँ या घटनाओका विवरणतक सम्पादकोके पास ठीक-ठीक नही भेजते। आये दिन जो समस्याएँ उपस्थित होती रहती है, उनतक पर वे विचार-विनिमय नही करते। समस्याएँ तो कार्यकर्त्ताओके सामने आती है, विचारकोके नही। अगर हमारे हरिजन-सेवक सचमुच कार्यरत होते, तो वे इतनी अधिक सामग्री सम्पादकोको भेजते रहते कि उसमे से सकलन करना उन्हे कठिन हो जाता। आज तो सामग्रीका ही अकाल पडा हुआ है। 'हरिजन' कार्यकर्त्ताओका पत्र है, अत इसमे उनके पथ-प्रदर्शनकी सामग्री तथा उनके विचार-विनिमयकी बाते रहनी चाहिए। मैं इन पत्रोमे निबन्ध इत्यादि नही चाहता हूँ। जब हमारे कार्यकर्त्ता मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते है, जिनके उत्तर हरिजन पत्रोमे निकल चुके हैं तो मुझे दुख होता है। अगर वे इन पत्रोको ध्यानसे पढते होते, तो कभी ऐसे सवाल न पूछते। पर बहुत-से तो इन अखबारोको पढते ही नही। अगर आप लोग हरिजन समाचारोका ब्योरा ठीक तरहसे न पढेंगे तो इतने बडे आन्दोलनकी प्रगतिके साथ आप कैसे सगति रख सकेंगे? आपको यह जानना जरूरी है कि दूसरे हरिजन-सघ क्या-क्या काम कर रहे हैं। हमारे पास जगह-जगह घूमनेवाले ऐसे सवाददाता तो है नही जो तमाम सस्थाओके समाचार भेज दिया

करे। और यह साधन खर्चीला भी है। लेकिन हमारे पास 'हरिजन' है, इसमे खबरे रहती तो है, पर और भी यथार्थ खबरे और विविध बाते दी जा सकती है।

कृपाकर यह विचार मनमे लेकर न जाइएगा कि जो-कुछ थोडा-सा काम हुआ है, उसकी मै कद्र नही कर सका। कुछ अच्छे काम हुए है सही, पर यहा उनका बखान करनेकी जरूरत नही। धर्मका फल तो स्वय धर्म ही है। पर मै ठहरा एक इन्स्पेक्टर, इससे मै तो आपको आपकी त्रुटियाँ ही बताऊँगा। आपने जो अच्छे कार्य किये है, उनका बखान करके मै आपको रिझानेकी चेष्टा नही करूँगा।

साबरमतीके हरिजन-आश्रमके बारेमें अब दो शब्द। साबरमती आश्रम एक बहुत बडी चीज है। उसका पूरा-पूरा उपयोग अभी नही हो रहा है। पर इसमे किसीका दोष नही। बेचारा परीक्षितलाल वहाँकी देखरेख करता है, पर इतने बडे आश्रमका चलाना उसके सामर्थ्यके बाहर है। परीक्षितलालको समस्त गुजरातका हरिजन-कार्य भी तो देखना पडता है। इसलिए इतना बडा काम एक आदमीके बूतेका नहीं। इस सस्थाके चलानेका भार तो खास तौरपर नियुक्त न्यासी ही ले सकेगे। रोज अनेको उलझनमे डालनेवाली समस्याएँ उठ खडी होती है। अब आप लोग समझ सकते है कि क्यो हम 'ट्रेपिस्ट'-कोटिके कार्यकर्त्ताओकी आवश्यकता महसूस कर रहे है। हम तभी साबरमतीके वहे हरिजन-आश्रमको पूर्णतया उपयोगी बना सकेंगे।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २४-८-१९३४

२८२ भाषण राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्धमें[1]

२९ जुलाई, १९३४

गाधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा आज जिस तरह चल रही है, इसपर विस्तारसे चर्चा की और कहा कि अभीतक विद्यापीठ केवल शहरो ही में काम करता रहा है। अब वह समय आ गया है जब राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार गाँवोमें भी किया जाना चाहिए। गाधीजी ने इस बातकी जरूरत की ओर लोगोका ध्यान दिलाया।

विद्यापीठने राष्ट्रीय आन्दोलनमें जो भूमिका अदा की है, उसे मै अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उक्त विषयपर कोई भी सलाह देनेको हमेशा तैयार हूँ।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३१-७-१९३४

१ साधन-सूत्रमें बताया गया था कि काशी विद्यापीठके प्रोफेसर और अनेकों राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्री वहाँ उपस्थित थे।

२८३. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

३० जुलाई, १९३४

प्रिय आनन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। इस पत्रमे जो कमी रह गई थी उसे तुम्हारे और विद्या, दोनोके बारेमे खबर देकर जयरामदासने पूरा कर दिया है।

मुझे पता चला है कि तुम्हे जुलाईसे अक्तूबरतक ५० रु० प्रति माह चाहिए और उसके बाद १०० रु० महीनेकी जरूरत पडेगी। मै ऐसा प्रबन्ध कर दूंगा कि यह रकम तुम्हे दे दी जाये। मै चाहता हू कि तुम अपनी जरूरते घटाकर कम-से-कम आश्रमके स्तरपर तो ले ही आओ, लेकिन इस तरह नही कि अपना या विद्या या महादेवका स्वास्थ्य बिगाड लो।

तुम्हे एक योग्य डॉक्टरसे अपनी परीक्षा करवानी चाहिए और अपना शरीर दुरुस्त करना चाहिए।

बाकी सब छोडकर अपने कामपर ध्यान लगाओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हे उससे बडा आनन्द मिलेगा और वह स्वत तुम्हे अपना शारीरिक स्वास्थ्य पुन प्राप्त करनेमे बडी मदद करेगा।

तुम सबको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२८४. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

३० जुलाई, १९३४

अच्छा किया तूने पत्र लिखा। आज ही मिला। कार्य-समितिकी बैठक समाप्त हुई ही थी कि वह मेरे हाथमे आया।

तेरे सुझावमे दोष यह है कि इस समय हम सविनय अवज्ञा नही कर रहे है। अब्दुल गफ्फार खाको नियुक्त करनेमे शिष्टाचारका उल्लंघन होगा। इस समयका कार्यक्रम पिछले कार्यक्रमसे भिन्न है, यह बात कोई समझ नही सका। हमारे कार्यमे, हमारी भाषामे, बेहिसाब उद्दण्डता आ गई है। यह हिंसा की सूचक है। शत्रुके प्रति भी मित्रता, शिष्टता होनी चाहिए, सो तो है ही नही। उल्टे, लगता है, झूठ और औद्धत्य कार्यकर्त्ताओमे कम होनेके बदले न जाने क्यो बढ गये है। इस बातको

अधिक विस्तारसे समझानेकी जरूरत है, किन्तु अभी समय नही है। जब मिलेंगे, तब यदि समय हुआ और तुझे जिज्ञासा हो तो पूछना।

नियुक्त किये गये खजाचियोमें मे तू भी तो एक है।[1] शरीरसे अधिक काम मत लेना। यह उचित नही होगा।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० १४९

२८५ वक्तव्य : उपवासके बारेमें

बनारस
३० जुलाई, १९३४

यह आशा की जानी चाहिए कि ७ से १४ अगस्ततक और उसके बाद मेरे विश्राम-कालमें कोई भी वर्षा नही आयेगा। इन दिनो मुझे पूर्ण आराम और शान्ति की जरूरत होगी। अपनी सहानुभूति दिखलाने और मुझे ताकतवर बनाये रखनेका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हर दोस्त—स्त्री या पुरुष, जैसे भी हो सके हरिजनोको मित्र बनानेका भरसक प्रयत्न करे और विरोधियोको सही व शिष्ट व्यवहार द्वारा अपने पक्षमें कर लें। जिन्होने साहसपूर्वक अपनी गलती स्वीकार कर ली है, वे उपवासमें शरीक होकर नही, बल्कि यह दृढ निश्चय करके योगदान करेंगे कि वे वैसी गलती फिर नही करेंगे जिसके कारण यह उपवास करनेकी जरूरत हुई है।

[अंग्रेजीसे]

लीडर, १-८-१९३४

२८६ बातचीत वल्लभभाई पटेलके साथ[2]

[३० जुलाई, १९३४ या उसके पश्चात्][3]

गाधीजी मेरा यह विचार है कि विद्यापीठके पुस्तकालयको अब नगरपालिकाके ही अधीन रहने देना चाहिए और सम्भव हो तो इसके लिए एक अलग ट्रस्ट[4], बना

१ साधन सूत्रके अनुसार बम्बईमें अक्तूबरमें होनेवाले कांग्रेसके अधिवेशनके लिए स्वागत समितिके चार कोषाध्यक्ष नियुक्त किये गये थे।

२ और ३ साधन सूत्रमें नरहरि परीखने स्पष्ट किया है कि १४ जुलाई, १९३४को वल्लभभाई रिहा हुए थे और यह बातचीत उसके बाद एक मौन दिवसपर लिखित रूपमें हुई थी। गाधीजी से वल्लभभाई पटेलकी मुलाकात बनारसमें १ अगस्त, १९३४को हुई थी। देखिए पृ० २८०।

४ नरहरि परीखने स्पष्ट किया है कि जुलाई, १९३३ में जब साबरमती आश्रम भंग किया गया तो आश्रमका पुस्तकालय अहमदाबाद नगरपालिकाको सौंप दिया गया था। बादमें द० बा० कालेलकरके साथ मशविरा करके गुजरात विद्यापीठके पुस्तकालयके साथ भी यही किया गया। वल्लभभाई पटेल और विद्यापीठके

देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार पुस्तकालयका उचित उपयोग ही होगा। लेकिन अगर दूसरे ट्रस्टियोंको यह विचार न जँचे तो इसे वापस ले लेनेके लिए कहनेमें हमें संकोच बिलकुल नहीं करना चाहिए। यह मान-सम्मानका प्रश्न नहीं है, इसलिए जो उचित है वही करना चाहिए। मुझे विश्वास है, काकासाहेब इसका बुरा नहीं मानेंगे वे महान व्यक्ति हैं। जब आगे मैं इस विषयपर विचार करता हूँ तो निश्चय ही ऐसा मानता हूँ कि अगर काकासाहेबने इस बातको नजरअन्दाज भी कर दिया था तो भी मुझे यह विचार करना चाहिए था कि क्या ऐसा करनेका उन्हें अधिकार प्राप्त था। समयाभावके कारण मैंने बहुत-से काम जल्दबाजीमें किये हैं। यह काम भी उन्हीं कामोंमें से एक है जिनपर मैं पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया हूँ।

वल्लभभाई पटेल काकासाहेबके अनुसार आपने ही यह सुझाव दिया था कि विद्यापीठ-पुस्तकालय नगरपालिकाको सौंप दिया जाये।

गांधीजी यह सुझाव मैंने दिया, यह तो मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर वे कहते हैं तो मैं यह माननेके लिए तैयार हूँ कि मैंने ऐसा किया होगा ।[१]

यह सच है कि ऐसा करनेका अधिकार उन्हें भी नहीं था। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर किसी व्यक्तिने कोई ऐसी वसीयत भी की हो जिसका वह अधिकारी नहीं था तो ऐसी वसीयत भी चाहे जब वापस ली जा सकती है। इसलिए अगर इन पुस्तकोंको नगरपालिकासे वापस ले लेना ठीक माना जा रहा है तो इन्हें वापस ले ही लेना चाहिए। जो भी हो, मैं समझता हूँ कि अगर काकासाहेबने उस वक्त सभीसे यह बात कही होती तो सम्भवतः हर व्यक्ति उनसे सहमत हो गया होता ।[२]

आप कहते हैं कि ट्रस्टियोंको अधिकार नहीं था। बहुत ठीक, अगर ऐसा है तो अवश्य ही आप पुस्तकोंको वापस ले लें।[३]

[अंग्रेजीसे]

सरदार वल्लभभाई पटेल, भाग–२, पृ० १६३

कुछ अन्य ट्रस्टियोंके साथ मशविरा नहीं किया गया जा सका, क्योंकि वे उस समय जेलमें थे। वल्लभभाई पटेलको जेलमें जब इसका पता चला तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। रिहाईके बाद उन्होंने इस विषयमें गांधीजी से मार्ग-दर्शन चाहा था। देखिए "पत्र वल्लभभाई पटेलको", २१-८-१९३४ और "पत्र जी० वी० मावलंकरको", १५-९-१९३४ भी।

१ नरहरि परीखका अनुमान है "सरदारने तब अवश्य ही ट्रस्टियोंके अधिकारोंकी बात की होगी।"

२ नरहरि परीखका अनुमान है "वल्लभभाईने तब अवश्य ही यह कहा होगा कि सरकारके अधीन चल रही किसी संस्थासे ऐसी प्रार्थना करनेका ट्रस्टियोंको कोई अधिकार नहीं है।"

३ बादमें क० मा० मुन्शी और भुलाभाई देसाईसे कानूनी मशविरा लेनेके बाद वल्लभभाईने नगरपालिकासे दरख्वास्त की कि पुस्तकालयको वह विद्यापीठको सौंप दे। नगरपालिकाने अपनी ओरसे एक दूसरे मशहूर वकील बहादुरजीसे मशविरा करके पुस्तकालय विद्यापीठको सौंप दिया।

२८७ भाषण . सार्वजनिक सभा, बनारसमें

३१ जुलाई, १९३४

ईश्वरकी कृपासे मुझे काशीजी मे दूसरी बार आनेका अवसर मिला है — इससे मुझे बडी खुशी हुई है, और यह सोचकर खुशी और बढ जाती है कि इस पवित्र पुरीमे ही मेरा हरिजन दौरा समाप्त होगा। यदि कोई भाई किसी प्रकारका मतभेद रखते हो तो वे कृपया इस मचपर आकर कुछ कहे। मालम नही, वर्णाश्रम स्वराज्य सघके पण्डितजी[1] किस कारणवश नही आ सके। हरिजन उद्धारका काय धार्मिक आदोलन है। इसमे दुराग्रहको स्थान नही है। मै कितना ही यत्न क्यो न करूँ, मुझसे भी गलतिया हो सकती है और हुई भी है। मैंने कभी गलती नही की है, यह दावा न तो मैंने कभी किया है और न करूँगा। जो बात मै आज मान रहा हूँ वह नई नही है। यह बात बचपनसे ही मेरे दिलमे स्वयसिद्ध रही है। जब मै स्वेच्छाचारी बालक था, तभी मै अस्पृश्यताको नही मानता था। मुझे रामनामका मन्त्र सिखाया गया, जिसके प्रतापसे मै सुरक्षित रह सकता था। इस स्वयसिद्ध बातके माननेमे अगर मुझसे भूल हुई होगी तो इस तीर्थक्षेत्रमे उसे स्वीकार करनेमे मुझे तनिक भी सकोच नही होगा। जिस हालतमे अस्पृश्यता इस समय मौजूद है, उसके लिए शास्त्रमे स्थान नही है। अस्पृश्यता हिन्दू धर्मपर कलक है। कितने ही शास्त्री मेरे निमन्त्रणपर और कितने ही स्वेच्छासे यहाँ आये है और उन्होने अस्पृश्यताके आधुनिक स्वरूपको शास्त्रके उद्धरणो द्वारा सही बतानेकी चेष्टा की है, परतु शास्त्रियोकी दलीलोको समझनेकी चेष्टा करते हुए भी मुझपर उनका असर नही हुआ।

यह कहते हुए मुझे बडा दुख होता है कि सरकारी जनगणनाके अनुसार अस्पृश्य कहे जानेवाले भाइयो और बहनोकी सख्या ७ करोडके लगभग बताई जाती है। जनगणना करनेवाले लोग इस बातकी जाँच करनेका प्रयत्न ही नही करते कि मनुस्मृतिके अनुसार वे सचमुच अस्पृश्य है या नही। जनगणना करनेवाले निरीक्षक लोग जो-कुछ लिखा देते हैं, उसे ही लिख लिया जाता है। हर दस वर्ष बाद जनगणना होती है और जनसख्या हर दस वर्षमे घटती बढती रहती है। जलाशयपर एक

१ तात्पर्य देवनायकाचार्यसे है, जो देरसे पहुँचे थे। वालजी गो० देसाईने अपनी "साप्ताहिक चिट्ठी" (**हरिजन**, १७-८-१९३४) में बताया है कि "वर्णाश्रम स्वराज्य सघ तथा भारत धर्म महामण्डलके एक प्रतिनिधिको गाधीजी के भाषणके पूर्व अपने विचार जनताके सामने रखनेके लिए" आमत्रित किया गया था।

कुत्ता भले ही जल पी जाये, पर प्यासा हरिजन बालक वहाँ जल नही पी सकता। यदि वह वहाँ चला भी जाये तो मार खानेसे बच नही सकता। इस समय अस्पश्यता मनुष्यको कुत्तेसे भी हीन मानती है।

एक हरिजनको निमोनिया हो गया। फीस देकर एक सनातनी डॉक्टर बुलाये गये। फीस तो आप ले चुके, पर रोगीको कैसे छूते? एक मुसलमानको बुलाकर उसे घडी देकर कहा कि एक मिनटमें इसकी नाडी कितनी बार चलती है, गिनकर मुझे बताओ। डॉक्टर साहबको नाडीकी गति बताई गई और आप नुस्खा लिखकर चले गये। फिर एक दूसरे डॉक्टर बुलाये गये। उन्होने अच्छी तरह फेफडे और हृदय की परीक्षा करके दवा दी, तब रोगीको आराम पहुँचा। इस प्रकारकी जो अस्पृश्यता मानी जा रही है, उसके लिए शास्त्रमे कोई प्रमाण है, मेरे खयालसे इसे कोई भी शास्त्री माननेको तैयार नही होगा। ऐसी अस्पृश्यताको न मेरी बुद्धि शास्त्रसम्मत मान सकती है, न मेरा हृदय।

बस, मै अब आगे कुछ नही कहूँगा। पण्डितजी[1] को भाषण देनेका मौका देना इस समय मेरा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। सिर्फ एक बात कहूँगा। काशीके पण्डितोकी ओरसे मुझे जो अभिनदन-पत्र दिया गया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसे मै आप लोगोका आशीर्वाद मानता हूँ। मुझे जो धन दिया गया है, उसके लिए मै धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि वह बहुत थोडा है, परन्तु मुझे विश्वास दिलाया गया है कि अभी और सग्रह करनेकी चेष्टा की जायेगी। आप लोग पण्डितजी की बातको ध्यानसे शान्तिपूर्वक सुनें और अस्पश्यता-निवारणके सम्बन्धमे आपकी बुद्धि जो निश्चय करे, उसे माने। आशा है कि आप लोग पण्डितजी का भाषण आदरपूर्वक सुनेंगे।[2]

पण्डित मालवीयजी ने हृदयकी आपको बात सुना दी है, उसके बाद मुझे कुछ कहनेकी आवश्यकता नही। पण्डित देवनायकाचार्यने जो शान्तिके साथ और सक्षेपमें उपदेश दिया है, उसके लिए मैं उन्हे धन्यवाद देता हूँ। और शान्तिपूर्वक सुननेके लिए आप लोगोको भी धन्यवाद देता हूँ। परन्तु देवनायकाचार्यजी को कुछ भी उत्तर न दूँ तो असभ्यता मानी जायेगी। पण्डितजी की मुख्य आपत्ति मन्दिर-प्रवेश बिलके सम्बन्धमें है। जैसाकि मालवीयजी ने कहा है, मेरी और उनकी बातचीत होनेवाली है और आगे कोई ऐसा उपाय निकल आयेगा जिससे मन्दिरमे जानेवालोकी सहमति होनसे हरिजनोके मन्दिर-प्रवेशमे कोई कानूनी बाधा नही आयेगी, तब फिर मुझे कोई एतराज न होगा। और यह तो मै कह ही चुका हूँ कि हिन्दू लोगोकी सहमतिके बिना इस सम्बन्धमें कोई कानून नही बनेगा। इतना कहनेसे सन्तोष हो जाना चाहिए। बिलके सम्बन्धमें तो अपने हरिजन-दौरेमे मैंने कोई आन्दोलन ही नही किया, बिलका नाम भी नही लिया। शास्त्रार्थके विषयमे मुझे यह कहना है कि आज, कल

१ देवनायकाचार्य, जो अभी अभी पहुँचे थे।

२ अपने भाषणमें देवनायकाचार्यने मन्दिर प्रवेश बिलका विरोध किया और कहा कि गाधीजी सनातनधर्मको रसातलमें दबा देनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद पं० मदनमोहन मालवीयने भाषण दिया जिसमें उन्होने सुधारके समर्थनमें जोरदार अपील की

या कभी भी और कही भी शास्त्रार्थ हो सकता है। परन्तु धर्म बुद्धिग्राह्य विषय नही, हृदयग्राह्य विषय है। मन्दिर-प्रवेशको छोडकर और किसी विषयमे तो किसीका विरोध मुझे मालूम नही पडता है। मै किसीके साथ बलप्रयोग तो करना नही चाहता और न झगडा ही करना चाहता हूँ। किसीको भी मुझसे डर नही होना चाहिए। मुझसे सनातनधर्मका अहित, अकल्याण नही हो सकता। जिस सनातनधर्मको आप मानते है उसीको मै भी मानता हू।

हरिजनसेवक, १०-८-१९३४

२८८ पत्र · प्रेमाबहन कटकको

१ अगस्त, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा काफी लम्बा और स्पष्ट पत्र मिला।

माता-पिता बच्चोके स्वास्थ्यका स्मरण या वर्णन नही करते। उनकी व्याधियोका स्मरण-वर्णन करते है। व्याधि केवल शारीरिक ही नही।

तू आश्रमके नियमोका पालन कर रही है, इससे मुझे आश्चर्य नही हुआ। न करती तो जरूर आश्चर्य होता।

तेरे शुभ मनोरथ पूरे हो।

वर्षगाठ तो रोज होती है। हम रोज जन्म लेते है और रोज मरकर फिर जन्म लेते है। परन्तु रूढिके वश होकर हम किसी विशेष दिनको ही जन्म-दिन मानते है। उस दिनके और सदाके मेरे आशीष तेरे पास है ही।

तुझे उत्तर नारणदासकी मारफत लिख रहा हूँ। इस तरह पाँच पैसे बचा रहा हूँ। नारणदास तो तुझे लिखेंगे ही। उन्हे मुझे आज लिखना पड रहा है। इसलिए यह पत्र धुरन्धरकी मार्फत न भेजकर नारणदासकी मार्फत भेज रहा हूँ।

तू लिखती रहना। वहाँका तेरा विवरण अच्छा है। यह पत्र सुबहकी प्रार्थनासे पहले लिखवा रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५७) से। सी० डब्ल्यू० ६७९६ से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक।

२८९ पत्र नारणदास गाधीको

१ अगस्त, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। यह आश्चयकी बात है कि सन्तोक कोई काम नही कर सकती। बाबाका[1] लालन-पालन कैसा हुआ जो वह उसे कुछ करने ही नही देता? गरीबोके बच्चे कैसे पलते होगे?

कुसुम, लीलावती आदि मुझे जब चाहे तब लिखे, फिर भी वे मुझसे पत्रकी आशा न रखे, क्योकि मै लिख नही पाऊँगा।

प्रेमाका लम्बा पत्र मिला है। उसका जवाब[2] इसके साथ है।

अमला बडी मुँहफट है। किन्तु है बिलकुल पगली। मै अगर उसे तुम्हारे पास भेजूँ तो वह तुम्हारा पैसा बरबाद करेगी। उसके लिए अच्छा तो यह है कि जब तक मै एक जगह रह सकू, उसकी जिम्मेदारी उठाऊँ। जब मै अनिकेतन हो जाऊँगा तब देखूगा। तब मै वह जहाँ होगी, उसे वही रखनेकी कोशिश करूँगा।

केशू क्या काम करता है? वह कहा रहता है? यहा रखीसे प्राय मिलता रहता हू। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नही कहा जा सकता।

काम हो या न हो, तुम सप्ताहमे किसी एक निश्चित दिन पत्र लिखते रहना। काम आ पडनेपर चाहे जब लिख सकते हो। एक पोस्टकार्डसे भी काम चल जायेगा।

गोशाला के बारेमे विचार कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) मे। सी० डब्ल्यू० ८४०५से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

१ माधव, रुक्मिणी बजाजका पुत्र।

२ देखिए पिछला शीर्षक।

२९० भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसमें

१ अगस्त, १९३४

हिन्दू विश्वविद्यालय मेरे लिए कोई नया नही है। जब यह आरम्भ हुआ, तभी से मालवीयजी ने इससे मेरा सम्बन्ध स्थापित कर दिया था[1] और वह आजतक वैसा ही बना हुआ है। यदि कोई परिवतन हुआ भी है तो उससे वह सम्बन्ध और घनिष्ठ हुआ है और मेरा आदरभाव इसकी ओर अधिक बढता जा रहा है। विश्वविद्यालयकी उन्नतिके साथ-साथ धमकी भी उन्नति होनी चाहिए पडित मालवीयजी का भाव यही है। मुझे आशा है कि विद्यार्थी यहाँ विद्या प्राप्त करके उसका सद्व्यय करेंगे, सकुचित धर्मको ग्रहण नही करेंगे। उदार धम दूसरे धर्मोको भी अपनाता है। आज लोकमान्य तिलककी पुण्य-तिथिका शुभ अवसर है और इस अवसरपर धर्मके एक अशमे क्या होना चाहिए यह बतानेके लिए मै यहाँ आया हूँ। लोकमान्यकी राजनीतिक शक्तिके सम्बन्धमे म कुछ नही कहूँगा, उसे कहनेके लिए मै अभी स्वतन्त्र भी नही हूँ। तिलक महाराजने धर्मके बारेमे क्या कहा है, यह इस समय कहना है। आपको जानना चाहिए कि लोकमान्यके दिलमे हरिजन भाइयोके प्रति बडी दया थी। मेरा उनसे जो विचार-विनिमय हुआ था, उसमे उन्होने कहा था कि धमशास्त्रोमे अस्पृश्यताके लिए कोई प्रमाण नही है और हो ही नही सकता, क्योकि हिन्दू-धर्ममे सत्यका दर्जा सबसे ऊँचा है। अगर तराजूपर एक और सत्य रखा जाये और दूसरी ओर अन्य सब बाते, तो भी सत्यका ही पलडा भारी रहेगा। कोई भी पण्डित वेद, पुराण, इतिहासमे कही भी धर्मके सिद्धान्तोके विपरीत कोई बात नही बता सकता। अन्य धर्मोमे अस्पृश्यताकी कोई चर्चा नही है। हिन्दू-धर्मने ही तो इजारा नही लिया है। हमारे धममे कई ऐसी बाते बताई गई है जो और कही नही है। हमारे यहा जो वर्णाश्रम धर्म है वह यदि लुप्त हो जाये तो हिन्दू-धमका ही लोप हो जायेगा। वर्णाश्रम धर्मके साथ वर्तमान अस्पृश्यताका कोई सम्बन्ध नही है। इस बातपर मेरा विश्वास दृढ होता जा रहा है, और छ मासके इस दौरेके बाद तो मै यह और भी दृढताके साथ कह सकता हू।[2]

आचाय आनन्दशकर ध्रुवने मुझे काशी विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोसे दो शब्द 'गीता' पर कहनेका आदेश दिया है। उनका यह आदेश मैने थोडी झिझकके साथ ही स्वीकार किया है। उनके-जैसे विद्वानके सामने इस तरहके विषयपर प्रवचन देनेका

१ उस अवसरपर गाधीजी के भाषणके लिए, देखिए खण्ड १३, पृ० २१२ १८।

२ यह अनुच्छेद **हरिजनसेवक**से लिया गया है। इसके बादका अश **हरिजन**से लिया गया है। यह "गीतामाता" शीर्षकसे छपा था।

मुझ-जैसे साधारण आदमीको भला क्या अधिकार है? उनके-जैसा अगाध पाण्डित्य मुझमे कहा है और न पण्डित मालवीयजी की तरह मैंने प्राचीन धर्मशास्त्रोका गहरा अध्ययन ही किया है। सरदार वल्लभभाईने, अपने खास लहजेमे, आज सुबह मुझसे कहा था कि काशी-जैसी पण्डितोकी नगरीमे और मालवीयजी तथा आचार्य ध्रुव-जैसे प्रकाण्ड पण्डितोकी उपस्थितिमे उनके और मेरे जैसे मेहतर, काश्तकार और जुलाहे क्या नक्कारखानेमे तूतीकी तरह नही है? एक तरहसे उनकी बात ठीक थी। पर मैं यहा पाण्डित्य-प्रदर्शनके लिए नही, बल्कि आपको केवल यह बताने आया हूँ कि मेरे और सरदार-जैसे सामान्य जनोपर गीताका क्या प्रभाव पडा है। पता नही आपको इसका कोई आभास भी है या नही कि सरदारपर इसका कारावासके दिनोमे कितना गहरा प्रभाव पडा था। मै यहाँ इस तथ्यका साक्षी हूँ कि यरवदा जेलमे उन्हे इससे माँस और मदिरासे भी कही अधिक शक्ति और पोषण मिलता था। 'गीता' के मूलमें पहुँचनेके लिए वे पण्डित सातवलेकरकी 'संस्कृत स्वयशिक्षक' पुस्तककी सहायतासे संस्कृत सीखने लगे। और एक बार शुरू कर देनेपर वह उनके हाथसे कभी छूटती ही नहीं थी। सुबहसे राततक वे उसीमे जुटे रहते थे। जैसाकि आप शायद सोचें, वह खाली मनकी मनोग्रस्तता नही थी। बल्कि गहरे चिन्तनका परिणाम था। हमारे मनमे यह सवाल था कि ईसाइयोके लिए जैसे 'बाइबिल' है, मुसलमानोके लिए 'कुरान' है, वैसे हिन्दुओके लिए एक पुस्तक क्या हो सकती है? क्या 'वेद'? नही। 'भागवत?' नही। 'देवी पुराण'? नही। अपने बचपनमें ही मुझे एक ऐसे धर्मग्रन्थकी जरूरत महसूस हुई थी जो जीवनकी परीक्षाओ और प्रलोभनोमें मेरा अचूक पथ-प्रदर्शक बन सके। 'वेद' उस जरूरतको पूरा नही कर सकते थे, यदि और किसी कारण नही तो केवल इसी कारण कि उन्हे जाननेके लिए काशी-जैसे किसी स्थान पर १५-१६ वर्ष कडा अध्ययन करना पडता, जिसके लिए मैं तब तयार नही था। परन्तु मैंने कही पढा था कि 'गीता' अपने ७०० श्लोकोमे सभी शास्त्रो और उपनिषदो का सार दे देती है। उससे मैं एक निश्चयपर पहुँच गया। 'गीता' पढ सकनेके लिए मैंने संस्कृत सीखी। आज 'गीता' मेरे लिए केवल 'बाइबिल' या 'क़ुरान' ही नही है, बल्कि उससे भी अधिक है। वह मेरी माता है। जिस पार्थिव माताने मुझे जन्म दिया उसे मै बहुत पहले खो चुका हूँ। परन्तु तबसे इस अविनाशी माताने उसका स्थान पूरी तरह ग्रहण कर लिया है। यह न कभी बदली है और न इसने मुझे कभी निराश किया है। मै जब भी किसी कठिनाई या मुसीबतमें होता हूँ तो इसकी गोदमें ही शरण लेता हूँ। अस्पृश्यताके विरुद्ध अपने संघर्षमें प्राय मेरे सामने आचार्यों द्वारा व्यक्त की गई परस्पर विरोधी सम्मतियाँ आती रही है। उनमे से कुछ मुझे बताते है कि जिस तरहकी अस्पृश्यताका आज चलन है उसके लिए हिन्दू-धर्ममे कोई प्रमाण नही है, और उसे मिटानेके मेरे प्रयत्नोको वे अपना आशीर्वाद देते हैं। परन्तु कुछ अन्य यह कहते हैं कि अस्पृश्यता आरम्भ से ही हिन्दू-धर्मका आवश्यक अंग रही है। ऐसी परिस्थितियोमे मैं किस अधिकारी विद्वानका अनुसरण करूँ? मैं किंकर्त्तव्यविमूढ हो जाता हूँ। वेदो और स्मृतियोसे मुझे कोई सहायता नही मिलती। मै तब अपनी माताके पास पहुँचता हूँ और

कहता हूँ, "माता इन विद्वान पण्डितोने मुझे असमजसमे डाल दिया है। मुझे इस उलझनसे निकालो" और माता मुस्कुराती हुई उत्तर देती है "नौवे अध्याय[1] मे जो आश्वासन दिया है, वह केवल ब्राह्मणोके लिए नही, बल्कि पापी, बहिष्कृत, दलित और अकिचनके लिए भी है।" पर उस आश्वासनका पात्र बननेके लिए यह आवश्यक है कि हम माताकी आज्ञाकारी और भक्त सन्तान हो, भक्तिका मात्र दिखावा करनेवाली, विद्रोही और भक्तिहीन सन्तान नही।

'गीता' के विरुद्ध कुछ लोगोका यह आक्षेप है कि यह साधारण आदमीके लिए बहुत ही गूढ ग्रन्थ है। मै यह कह सकता हूँ कि यह आलोचना निराधार है। स्वर्गीय लोकमान्यने अपने अगाध पाडित्य और अध्ययनके बलपर 'गीता' की एक स्मरणीय टीका लिखी। उनके लिए यह गहन सत्योका भण्डार थी जिनकी खोजमे उन्होने अपनी बुद्धि लगाई। परन्तु उससे सामान्य पाठकको भयभीत होनेकी जरूरत नही है। यदि अठारह अध्यायोका समझना आपको बहुत कठिन लगे, तो केवल पहले तीन अध्यायोका ही खूब ध्यानसे अध्ययन कीजिए। शेष पन्द्रह अध्यायोमे जो-कुछ अधिक विस्तारसे और विभिन्न दृष्टिकोणोमे प्रतिपादित किया गया है वह सब वे आपको सक्षेपमे दे देगे। इन तीन अध्यायोका भी सार इन्ही अध्यायोमें से छाँटे गये कुछ श्लोकोमे देखा जा सकता है। और फिर इस तथ्यको भी ध्यानमे रखिए कि तीन प्रथक स्थलो[2] पर 'गीता' इससे भी आगे बढ जाती है और हमे सभी धर्मोंको छोडकर केवल एक ईश्वरकी शरण लेनेको प्रेरित करती है। इस तरह आप देखेगे कि 'गीता' के सन्देशके बारेमे यह आक्षेप कि वह सामान्य जनोके लिए इतना गूढ और जटिल है कि वे उसे समझ नही सकते, कितना निराधार है। 'गीता' सबकी माता है। वह किसीको भी दुत्कारती नही है। उसका द्वार जो भी उसे खटखटाये उसीके लिए खुला है। 'गीता' का सच्चा अनुयायी यह नही जानता कि निराशा क्या है। वह सदा शाश्वत आनन्द और शान्तिकी स्थितिमे रहता है जो बुद्धिगम्य नही है। परन्तु जो सशयात्मा है या जिसे अपनी बुद्धि और विद्याका अभिमान है, वह उस शान्ति और आनन्दको प्राप्त नही कर सकता। वह तो केवल उसीके लिए है जो विनम्र है और जिसकी उपासनामे निष्ठाकी पूर्णता और मनकी अनन्य एकाग्रता है। आजतक कोई भी मनुष्य, जिसने 'गीता' की इस भावनासे उपासना की हो, निराश नही हुआ है।

हमारे विद्यार्थी छोटी-छोटी बातोसे घबरा जाते है। परीक्षामे फेल हो जाने जैसी तुच्छ चीज उन्हे गहरी निराशामे डुबो देती है। 'गीता' उन्हे यह समझाती है कि असफलता सामने दिखाई देती हो तो भी धीरज रखना कर्त्तव्य है। वह सिखाती है कि हमे केवल कर्मका अधिकार है, फलका नही, और सफलता व असफलता मूलत एक ही चीज है।[3] वह हमसे कहती है कि तन, मन और आत्मासे अपनेको पूर्णतया विशुद्ध कर्तव्यको समर्पित कर दो और आकस्मिक इच्छाओ व

१ भगवद्गीता, अध्याय-९, श्लोक ३२।

२ वही अध्याय ३, श्लोक-३०, अध्याय ८, श्लोक ७, और अध्याय-१८, श्लोक-६६।

३ वही अध्याय २, श्लोक ४७ और ३८।

अनियन्त्रित आवेगोंमें विचलित मत हो और मनसा भोगासक्त मत बनो। एक सत्याग्रही के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि 'गीता' मुझे नित्य नई शिक्षाएँ देती है। यदि कोई यह कहे कि यह मात्र मेरा भ्रम है, तो मेरा उत्तर उसे यह होगा कि इस भ्रमको मैं अपनी सबसे मूल्यवान निधिकी तरह सदा हृदयसे लगाकर रखूँगा।

विद्यार्थियोंको मैं यह सलाह दूँगा कि वे अपनी दिनचर्या ब्राह्म मुहूर्तमें गीता-पाठसे शुरू करें। मैं तुलसीदासका प्रेमी और भक्त हूँ। जिस महान आत्माने दुःखी जगतको रामायणका सजीवन मन्त्र दिया वह मेरे लिए पूजनीय है। पर मैं आज यहाँ आपके आगे तुलसीदासको नहीं रख रहा हूँ, बल्कि आपसे यह कहता हूँ कि आप 'गीता'का छिद्रान्वेषण या आलोचनाकी भावनासे नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धासे अध्ययन करें। आपका रुख जब उसके प्रति इस प्रकारका होगा तो वह आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। मैं मानता हूँ कि अठारह अध्यायोंको कण्ठस्थ करना कोई मजाक नहीं है, पर यह ऐसा प्रयास है जो करने योग्य है। एक बार जब आप इस अमृतका स्वाद चख लेंगे तो उसके साथ आपका लगाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जायेगा। 'गीता' के श्लोकोंके पाठसे कठिन घड़ियोंमें और विपत्तिमें आपको सहायता मिलेगी — काल-कोठरीके अन्धकारतक में सान्त्वना मिलेगी। और यदि आखिरी बुलावा आनेपर प्राण त्यागते समय ये श्लोक आपके होंठोंपर हों, तो आपको ब्रह्म-निर्वाण और अन्तिम मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। परमानन्दकी वह स्थिति क्या है, यह आपके विद्वान आचार्य आपको बता सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हरिजनसेवक, १०-८-१९३४, **हरिजन**, २४-८-१९३४ भी

२९१. भाषण : हरिजनोंकी सभा, बनारसमें[1]

१ अगस्त, १९३४

सभामें भाषण करते हुए गांधीजी ने कहा : हरिजन-आन्दोलनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। भारतकी ही विभिन्न जातियोंकी नहीं, बल्कि संसारकी श्वेत और श्वेतेतर जातियों की एकताके बीज भी इस आन्दोलनमें अन्तर्निहित हैं।

बनारसकी नगरपालिका और नागरिकोंको इस बातपर शर्म आनी चाहिए कि यहाँकी हरिजन-बस्तियाँ सार्वजनिक टट्टियोंसे सटी हुई हैं, और हरिजनोंको ऐसी जगह रहना पड़ता है जो मवेशियोंके रहने लायक भी नहीं है। नगरपालिकाका यह कर्त्तव्य है कि वह उनके लिए खुली खुशनुमा जगहपर मकान बनवाये।

हरिजनोंको गोमांस, मुर्दार मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना और आपसका ऊँच-नीचका झूठा भेदभाव त्यागकर अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए।[2]

१. लीडरमें बताया गया था कि सभा केन्द्रीय हिंदू स्कूलमें हुई थी।
२. आगेका अंश लीडरसे लिया गया है।

महात्मा गांधीने अपने इस मतको फिर दोहराया कि अस्पृश्यता-निवारणका काय शास्त्र-विरोधी नहीं है। उन्होने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुझे यह विश्वास दिला दे कि मेरा आन्दोलन शास्त्र-विरोधी है, तो सबसे पहले मैं ही इसे त्याग दूँगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-८-१९३४, **लीडर**, २-८-१९३४ भी

२९२. पत्र नरेन्द्रदेवको

बनारस
२ अगस्त, १९३४

प्रिय नरेन्द्रदेव,

थोडे दिन आपके साथ रहते हुए और आपके आतिथ्यका सुख भोगते हुए दोबार समाजवादी मित्रोके साथ मेरी हार्दिक भेट हुई, उनके लिए मै आपका बहुत ही आभारी हूँ।

आपके कायक्रमके मसौदेको पढने और उसकी आलोचना करनेका मैंने आपसे वायदा किया था। जितने ध्यानसे मै पढना चाहता था, उतने ध्यानसे उसे नही पढ पाया हूँ। इसलिए इसे किसी भी तरह विस्तृत नही, एक सरसरी आलोचना ही समझना चाहिए।

मेरे खयालसे जबतक आप इस दलको काग्रेस सगठनका अग बनानेकी अनुमति न माँगे, इसे 'काग्रेस समाजवादी दल' कहना गलत है। पर इसे 'काग्रेसजनोका अखिल भारतीय समाजवादी दल' कहना पूणतया उचित होगा। मुझे यकीन है कि इस अन्तरके महत्त्वको आप समझ जायेगे।

काग्रेसका न्यायोचित और शान्तिपूण उपायोसे पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करनेका जो उद्देश्य है, आपके सविधानके मसौदेमे मुझे उसकी स्वीकृति नही मिली।

यदि उसे जान-बूझकर छोड दिया गया है तो मै यह बात समझ सकता हूँ, क्योकि आपका उद्देश्य काग्रेसके उद्देश्यसे बहुत भिन्न है। आपका शायद यह दावा है कि वह काग्रेसके उद्देश्यसे कही प्रगतिशील है। फिर भी, आप अपनेको काग्रेसका एक दल नही कह सकते।

काग्रेसका उद्देश्य स्वाधीन राज्य स्थापित करना है। वह राज्य किस तरहका होगा, इसका हम अभी धुँधला-सा अनुमान ही लगा सकते है। उसकी कुछ विशेषताएँ हम निर्धारित कर चुके है। अनुभव हमे रोज यह सिखा रहा है कि उनमे नई चीजे जोडनी होगी। परन्तु समाजवादी उद्देश्यका आपका जो प्रतिपादन है, वह मुझे भयभीत करता है, तीनो सिद्धान्तोके फलितार्थ इतने व्यापक है कि मेरी समझसे बाहर है। वे कार्यक्रमको नशीला बना देते है, जबकि सभी तरहके नशोसे मुझे डर लगता है।

अब मैं, दृष्टान्तके रूपमे, आपके कार्यक्रमके उन मुद्दोको लेता हूँ जो मुझे आपत्तिजनक लगते है। ७ और ८ मुद्दे कांग्रेसकी वर्तमान नीतिके प्रतिकूल है। यद्यपि जीवन-भर मै अपनेको जन-साधारणके साथ एकाकार करता आया हूँ और निजी सम्पत्तिका मैने त्याग कर दिया है, फिर भी मेरा इरादा नरेशो और जमीदारोको खत्म करनेका नही है और न जमीनको फिरसे किसानोमे बाँटनेका ही है। मेरा लक्ष्य नरेशो और जमीदारोको सुधारना है। जमीनका जबर्दस्ती फिरसे बँटवारा किये बिना मुजारोके लिए ऐसे अधिकार प्राप्त किये जा सकते है जो वस्तुत मिल्कियत-जैसे ही होगे। ११ वाँ मुद्दा, जिसका ७-८ और कुछ अन्य मुद्दे खण्डन करते लगते है, मुझे पसद है। आवश्यकताओके पहले यदि आप 'न्यायोचित' शब्द रख सके, तो मेरी रायमे हरेकको उसकी 'आवश्यकताओके अनुसार एक निर्दोष सूत्र हो सकता है। हमारे करोडो [1] मे जो सबसे असहाय और बेसहारा है, उनके लिए आप जो-कुछ भी चाह सकते है, उस सबका सार अकेले इसी सूत्रमे आ जाता है। आपका पाँचवाँ तरीका, जैसा मै उसे समझा हूँ, अहिंसाका प्रतिवाद है। सवैधानिक प्रश्नपर ब्रिटिश सरकारके साथ किसी भी अवस्थामें बातचीतके लिए तैयार न होनेमें क्या औचित्य है, मैं समझ नही पा रहा हूँ। कांग्रेसने यह नीति उस समय भी नही अपनाई थी। जब असहयोग पूरे जोर पर था। मुझे यकीन है कि यह चीज अधीर होकर ही डाल दी गई है।

आपकी 'मजदूरो और किसानोकी आम हडतालें', जिनपर किसी तरहका कोई प्रतिबन्ध नही है, सयत और अहिंसात्मक कार्यक्रमके लिए बहुत ही खतरनाक हैं।

आपकी तात्कालिक माँगें, केवल कुछ मुद्दोको छोडकर, आकर्षक है। पर आपके तरीकोमे मुझे ऐसा कुछ नही मिला जो यह दिखाए कि आपको तुरन्त उनकी प्राप्ति की कोई आशा है।

कुछ बहुत ही स्पष्ट चीजे छूट गई है, जिनकी ओर मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ

अस्पृश्यता-निवारण।

साम्प्रदायिक एकता।

खद्दर जन-साधारणसे एकात्मताका प्रतीक है और सालमे चार-छ महीने बेकार रहनेवाले लाखो लोग, जबतक उन्हे कोई और बेहतर धन्धा न मिल जाये, इस धन्धेको तुरन्त अपना सकते है।

मद्य और मादक पदार्थोका पूर्ण निषेध।

मै इस बातके पक्षमें हूँ कि समूचे सविधानका कडाईसे सशोधन होना चाहिए। हम दोनोके मार्गमे भारी अडचन यह है कि जवाहरलाल, जिन्होने हमें समाजवादका मन्त्र दिया, हमारे बीचमे नही है। मै यह समझता हूँ कि जब मुझे और अन्य बूढोको विश्रामकी अनुमति मिल जायेगी, जिसके कि हम सर्वथा अधिकारी है, तो कांग्रेस के काँटोके ताजका स्वाभाविक उत्तराधिकारी उन्हे ही होना है। मेरा ऐसा विश्वास

१ साधन सूत्रमें यहाँपर अस्पष्ट है।

है कि यदि वे हमारे बीचमे होते तो गति धीरे-धीरे तेज करते। मेरा सुझाव यह है कि आप वैज्ञानिक समाजवादकी बजाय, जैसाकि आपके कार्यक्रमको नाम दिया गया है, देशको व्यावहारिक समाजवाद दे, जो भारतीय परिस्थितियोके अनुरूप हो। मुझे इस बातकी खुशी है कि जो कार्यक्रम आपने मुझे दिया है वह, इसी उद्देश्यके लिए नियुक्त एक प्रभावशाली समिति द्वारा तैयार किया होनेपर भी, अभी एक मसौदा ही है। इसलिए अपने कायक्रमको अन्तिम रूप देते हुए यदि आप ऐसे लोगोसे सहयोग करे जिनका झुकाव समाजवादकी ओर हो और जिन्हे वास्तविक परिस्थितियोका अनुभव हो, तो वह बुद्धिमत्ता होगी।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]
महात्मा, खण्ड-३, पृ० ३४४-४५ के बीचकी प्रतिकृति।

२९३ पत्र : गोविन्ददासको

बनारस
२ [अगस्त][1], १९३४

भाई गोविन्ददासजी,

आपका पत्र मैंने पढ लिया है। मेरे लेख अथवा कथनका यह मतलब कभी नही था कि देशी रियासतोमे काग्रेस कमेटियाँ नही होनी चाहिए अथवा नही हो सकती। जो कमेटियाँ पहले ही कायम हो चुकी, जैसेकि बघेलखण्ड जिला काग्रेस कमेटी, जिसके सम्बन्धमे आपने मुझे लिखा है, वे तो अवश्य रहनी ही चाहिए। यदि किसी राज्यमे ऐसी कमेटीकी रोक की जाये तो अवश्य बडे खेदकी बात है।

आपका,
मोहनदास गाधी

मध्यप्रदेश और गाधीजी, पृ० १०३

१ साधन सूत्रमें तारीखकी जगह २-३-१९३४ है, पर गांधीजी अगस्त, १९३४ में बनारसमें थे।

२९४. पत्र : मदनमोहन मालवीयको

बनारस
२ अगस्त, १९३४

आपकी माँगके अनुसार प्रबन्ध करनेमे बडी आपत्ति है। उसमे काग्रेसके ऊपर अपने प्रस्तावको बिलकुल रद कर देनेका आक्षप आ जायेगा। काग्रेस ऐसा नही कर सकती। अव्वल तो इसपर पूरा विचार ससदीय बोड ही कर सकता है क्योकि उसीको ठीक-ठीक पता है कि कितने आदमी खडे किये जानेवाले है ओर कोन-कौन किस-किस जगहसे खडे किये जानेवाले है। लेकिन ससदीय बोडके लिये भी ऐसी व्यवस्थाको मान लेनेमे कठिनाई होगी। बहुत-से स्थानोमे उसके उम्मीदवार खडे हो गये है, और काम भी शुरू कर दिया है। उन स्थानोमे काग्रेस उम्मीदवारको हटा कर आपके उम्मीदवारको खडा करनेका प्रभाव बम्बईके प्रस्तावको देखते हुए बहुत ही बुरा होगा। यह भी कहना बहुत मुश्किल है कि जितने उम्मीदवार आप चाहते है उतनी अधिक सख्यामे आपकी ओरसे खडे होनेवाले पक्के काग्रेसजन मिलेगे। हमारा निवेदन तो यही था कि आप स्वय, श्री अणे, तथा थोडे और विशेप व्यक्ति जो पक्के काग्रेसजन होते हुए साम्प्रदायिक निणयको छोडकर और बातोमे ससदीय बोडके उम्मीदवारोका पूरा साथ देनेवाले हो और जिनका आना आप अत्यावश्यक समझते हो, वे ही आये। यही व्यवस्था मुझे तो उचित मालूम होती है। अन्य किसी प्रकारकी व्यवस्थाका फल मै अच्छा नही देखता। मेरी अब भी प्राथना है कि ऐसी व्यवस्थाको आप मान्य रखे और एक नये पक्षकी रचना की झझटमे न पडे। काग्रेसके उम्मीदवारोसे आप मुकाबला न होने दे तो दोनोके लिये शोभाकी बात होगी। आप धर्म समझकर ससदीय बोडसे अलग हुए है। इसी धर्म-भावनाको सामने रखकर हम लोग काम लेगे तो सबका श्रेय होगा और हम दोनोका हेतु पूरा होगा। मुकाबले (मे) बहुत बिगडनेवाला है। मुझे विश्वास है कि साम्प्रदायिक निर्णयके विषयमे विरोध प्रकट करनेके लिए आप अकेले ही काफी है। मै आशा करता हूँ कि मेरी नम्र प्रार्थनाको आप स्वीकार करेगे।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

२९५ भाषण महिला सभा, बनारसमे[1]

[२ अगस्त, १९३४][2]

यह बडे दुःखकी बात है कि धर्मका अर्थ आज हमारे लिए खान-पानके प्रतिबन्धो और ऊँच-नीचकी भावनासे चिपके रहनेके सिवा और कुछ नही रहा है। मै आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बडी मूढता और कोई नही है। जन्म और बाह्य विधियोका पालन किसीके ऊँचा या नीचा होनेके निर्णायक तत्त्व नही हो सकते, केवल चरित्र ही निर्णायक तत्त्व है। ईश्वरने मनुष्योको उनपर उच्च या नीच का ठप्पा लगाकर पैदा नही किया है। जो शास्त्र मानव-प्राणीको उसके जन्मके कारण नीच या अस्पृश्य ठहराता है, उसमे हमारी निष्ठा नही हो सकती। यह ईश्वरको और सत्यको, जो ईश्वर ही है, नकारना है। ईश्वर तो सच्चाई, ईमानदारी और न्यायकी मूर्ति है, वह ऐसे धर्म या चलनका अनुमोदन नही कर सकता जो हमारी विशाल आबादीके पाँचवे भागको अस्पृश्य मानता हो। इसलिए, मै चाहता हूँ कि आप अपनेको इस पैशाचिक धारणासे मुक्त करे। जो अस्पृश्यता गन्दे कामसे जुडी होती है, वह तो ठीक हे, और होनी चाहिए। वह हममे से हरेकपर लागू होती हे। परन्तु जैसे ही हम धूल या गन्दगीको धोकर अपनेको स्वच्छ कर लेने है, हम अस्पृश्य नही रहते। कोई भी काम या व्यवहार किसी पुरुष या स्त्रीको सदाके लिए अस्पृश्य नही बना सकता। हम सभी थोडे-बहुत पापी तो है ही, और हमारे धर्मग्रन्थ — गीता, भागवत और तुलसीकृत रामायण — स्पष्ट शब्दोमे यह घोषणा करते है कि जो ईश्वरकी शरण लेगा, उसका नाम जपेगा, वह पापमे छूट जायेगा। यह प्रतिज्ञा सारी मानव-जातिके लिए है।

एक और सीधी-सादी कसोटी है, जो मेरे खयालसे आपको इस समस्यापर लागू करनी चाहिए। हर प्राणीका, चाहे वह मानव-जातिका हो या उससे निचली किसी अन्य जातिका, कुछ विशिष्ट लक्षण होता हे, जिसके आधारपर मनुष्यका पशुसे, कुत्तेका गायसे और इसी तरह एक जातिका दूसरीसे भेद किया जा सकता है। क्या तथाकथित अस्पृश्योमे ऐसा कोई विशिष्ट लक्षण होता है जो उन्हे अस्पृश्य सिद्ध कर सके? वे वैसे ही मनुष्य है जैसाकि हममे से हरेक है। मनुष्यसे निचले प्राणियो तकको हम अस्पृश्यताके चिह्नसे लाछित नही मानते है। फिर यह पैशाचिक अन्याय किसलिए? यह धर्म नही है, बल्कि अधर्मका सबसे भद्दा रूप है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पापको, यदि यह अभी भी आपमे है तो, खत्म करे।

१ यह "महिलाओंसे खरी खरी बातें" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। सभा हरिश्चन्द्र स्कूलमें हुई थी।

२ वालजी गो० देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी", *हरिजन*, १७-८-१९३४ से।

सदियोसे होते आ रहे इस पापसे छूटनेका एक ही तरीका है कि हरिजनोको मित्र बनाया जाये, उनके घरोमे जाया जाये, उनके बच्चोको अपने ही बच्चोकी तरह गले लगाया जाये, उनकी भलाईमे रुचि ली जाये, यह पता लगाया जाये कि उन्हे पर्याप्त भोजन, पीनेका साफ पानी, ताजी हवा और रोशनी, जिनका आप अपना अधिकार मानकर उपभोग करते है, मिलते है या नही। दूसरा तरीका यह है कि आपमे से हरेक कताई-यज्ञ शुरू करे और खादी पहननेका व्रत ले, जिससे उन लाखो अभावग्रस्त मनुष्योका गुजारा चलता है। कताई-यज्ञसे आपको, कुछ हदतक, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करनेमे सहायता मिलेगी और आपके द्वारा प्रयुक्त प्रत्यक गज खादीसे कुछ पसे हरिजनो और गरीबोकी जेबमे जायेगे। आखिरी बात यह है कि आप यथाशक्ति हरिजन-कोपमे दान दे, जिसका एकमात्र उद्देश्य हरिजनोकी दशा सुधारना है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ३१-८-१९३४

२९६ अस्पृश्यता-विरोधी विधेयक[1]

३ अगस्त, १९३४

विधेयककी इस व्याख्याको विधिवेत्ता सही नही मानते है। जहाँ सवर्ण हिन्दू हरिजनोके प्रवेशके विरूद्ध होगे, वहा उन्हे कारगर ढगसे मन्दिर-प्रवेशसे रोका जा सकेगा, यद्यपि उसका आधार अस्पृश्यता नही होगा। यदि इसमे कोई सन्देह हो, तो विधेयकमे सशोधन किया जा सकता है। परन्तु मेरी यह धारणा है कि सिद्धान्तत यह बहुत ही, मन्दिर-प्रवेश विधेयकसे भी अधिक, आवश्यक है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ३-८-१९३४

१ यह वसन्तकुमार चटर्जीके सम्पादकके नाम पत्रके उत्तरमें प्रकाशित किया गया था। उस पत्रमें कहा गया था "गांधीजी कई बार यह घोषणा कर चुके हैं कि 'जबतक उच्च वर्णोके हिन्दुओंकी बहुसख्या इस सुधारके पक्षमें न हो, मैं हरिजनोके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें नही हूँ।' पर यदि अस्पृश्यता विरोधी विधेयक पास हो गया, तो चाहे उच्च वर्णोके हिन्दुओकी बहुसख्या उनके मन्दिर प्रवेशके विरुद्ध ही क्यों न हो, हरिजनोंको मन्दिरोमें प्रवेश मिल जायेगा। क्या गाधीजी यह बतानेकी कृपा करेंगे कि वे अस्पृश्यता विरोधी विधेयकके विरुद्ध है या नही?"

२९७. पत्र : जे० सी० गुप्ताको

पटना
३ अगस्त, १९३४

प्रियश्री गुप्ता,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे तो यही लगता है कि आपने त्यागपत्र देकर गलती की है। ससदीय बोडका सदस्य होते हुए भी, आप पृथक निर्वाचक-मडलोके विरुद्ध और जिसे आप ठीक समझते हो, ऐसे किसी सम्मत समाधानके लिए आन्दोलन करनेके लिए स्वतन्त्र थे। एक सदस्यकी हैसियतसे, आप शायद ज्यादा कारगर रहते। बहरहाल, यदि आप बगालके लिए एक सम्मत समाधान निकाल सके, तो आपको सभी धन्यवाद देगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

२९८. पत्र · सुरेन्द्रनाथ चटर्जीको

पटना
३ अगस्त, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पिछले महीनेकी १८ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जो प्रश्न उठाया है उसका कोई निर्णायक उत्तर नही दिया जा सकता। धार्मिक मामलोमे बहुमतकी राय अल्पमतको बाध्य नही कर सकती। उसका निश्चित रूपसे यह अर्थ अवश्य है कि अल्पमत अपनेको बहुमतसे अलग कर लेता है। जहाँतक विधानका सवाल है, कानून जब धर्मके विकासको रोकता हो तो विधान आवश्यक हो जाता है। विशुद्ध हिन्दू-युगमे सामयिक आचार ही विधान था।

सुरेन्द्रनाथ चटर्जी
६५, ललित घाट, बनारस

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

२९९. पत्र : मुल्कराजको

पटना
३ अगस्त, १९३४

प्रिय लाला मुल्कराज,

आपका तार मिला है, उसका उत्तर मैंने कल ही भेज दिया था। आपके खर्चके बजटपर पडितजी ने कुछ दिन पहले हस्ताक्षर कर दिये थे, पर कामके दबाव के कारण मै उसे आपके पास भेज नही सका।

पडितजीने वायदा किया है कि जैसे ही आप उन्हे लिखेंगे वे आपको चेक भेज देंगे। यदि उसमे कुछ देरी हो तो आप कृपया मुझे लिखे। इस बीच मै काग्रेस-प्रस्ताव, न्यासपत्र और व्यवस्थापक समितिके नियुक्ति-पत्रकी एक एक नकल चाहूँगा।

पडितजी चाहते है कि काय तुरन्त शुरू कर दिया जाये और उसकी प्रगति और खर्चेकी प्रतिमास एक रिपोट भेजी जाये।

कल सुबह मै यहाँसे वर्धाके लिए चल दूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

लाला मुल्कराज
जलियाँवाला बाग समिति
अमतसर, पजाब

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

३००. पत्र : विधानचन्द्र रायको

पटना
३ अगस्त, १९३८

प्रिय डॉ० विधान,

आपका पत्र मिला। आपके सवालोका मैंने मत्रेश्वरकी जनताको जवाब दे दिया है। मालवीयजी के साथ समझौतेकी मुझे कोई जानकारी नही है और न मुझे इस विषयमे कोई अधिकार ही है। पर मैंने यह सुझाव[1] रखा है कि यदि मालवीयजी द्वारा मनोनीत दो तीन व्यक्तियोके खिलाफ, जो सभी काग्रेसी हो, कोई उम्मीदवार खडा न किया जाये तो उन्हे सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। वे २२मे कम सीटोसे सन्तुष्ट नही होते। मैंने कह दिया है कि यह सम्भव नही है। इस तरहके किसी प्रस्तावसे मै स्वय ही सहमत नही हो सकता। मेरा यह खयाल है कि महा समितियोके सदस्यो के मतभेद व्यक्त करनेपर हम आपत्ति नही कर सकते, पर कार्यकारी समितियाँ या उनके सदस्य ऐसा करे तो उसका हम विरोध कर सकते है। हमे करना भी चाहिए। ये समितियाँ ऐसी कार्यकारिणियाँ है जो प्रान्तीय बहुमतोके कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए वचनबद्ध है।

आपके हमारे पाससे जानेके बादसे यद्यपि मै कुछ दुबल हूँ, पर आपकी तरह मुझे भी यह विश्वास है कि मै इस उपवासको पार कर लूँगा। ससदीय बोर्डकी मीटिंगपर मुझे कोई आपत्ति नही है, पर सरदारका आग्रह मुझे उससे बचाने पर ही रहेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

१ देखिए पृ० २९०।

३०१. पत्र : लीलावती आसरको

३ अगस्त, १९३४

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। तूने ठीक लिखा है। जैसा नारणदासभाई कहे, वैसा करना। अब तो सुशीलाबहन भी है, उनसे भी पूछना। अब मेरी दलीलपर विचार कर। तुझे डिग्री चाहिए कि ज्ञान? ज्ञान देनेवाली शिक्षा प्राप्त करना है, या सच्ची-झूठी डिग्री देनेवाली? डिग्री ज्ञानका माप नही होती, यह तो जाननी है न?[1]

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८७३) से।

३०२ पत्र हीरालाल शर्माको

३ अगस्त, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। सब खतोके उत्तरकी तो आवश्यकता अब नहि है ना? यदि है तो जिनकी चाहिये वह वापिस कर दो?[2]

भाई यदि बिना सकोच शक्ति होनेसे आर्थिक मदद देना चाहे तो उनकी मदद लेनेमे कोई अयोग्यता नहि पाता हू। इसलिए जितनी मदद वे दे सकते है देवे।

तुमको वहा वनवास-सा लगता है यह अच्छी बात नहि है। इसमे सुधारणा नहि होगी तो रामदास[3] पर उसका बुरा प्रभाव पडेगा।

तुमारे काममे हम सबने रुकावट डाली है या कैसे? मैने तो जितना उत्तेजन दे सकता था देनेकी चेष्टा की है। अनजानपणमे कुछ उलटा हुआ है तो तुमारे बताना चाहिये।

१ साधन-सूत्रमें शेष पत्र पढ़ा नहीं जा सका।

२ हीरालाल शर्मा नित्य गाधीजी के पास रिपोर्ट भेजते रहते थे और अपने सुझावोंके साथ गाधीजी उसे उनके पास वापस भेज देते थे। गाधीजी ने कुछ रिपोर्टें अस्वस्थताके कारण अपने सुझावोके बगैर ही वापस कर दी थी।

३ रामदास खुर्जामें हीरालाल शर्माकी चिकित्सामें थे।

देवी[1]को टाइफाइड कैसे? और हूआ है तो उसका इलाज क्या तुमारे पास नहिं है? बच्चोका दिल चाहे ऐसे किया जाये। मै ज्यादा दखल देना नहिं चाहता।

सबको
बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

वीर्यस्रावके लिए शीर्षासन अथवा अर्ध सर्वांगासन अच्छा काम करता है। इसी तरह सिद्धासन और प्राणायाम।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, (१९३२-४८), पृ० ८२-८३ के बीचकी प्रतिकृतिसे।

३०३ पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

३ अगस्त, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा पत्र मिला है। दामोदरदासको जो खत तुमने लिखा है उसका उत्तर आनेके पहले मैं कुछ निर्णय नहिं कर पाता। इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मेरे तरफसे जो कुछ कहा जाये उसको अभिप्राय रूपमे हि समजा जाय यदि वह बुद्धि और हृदय कबूल करे तो उसका पालन किया जाय अन्यथा नही। जब मेरी यही राय है तो जैसे करना है ऐसे करनेकी स्वतत्रता अवश्य है। दामोदरदासके खतकी प्रतीक्षा तो यो करनी है जिसमे मेरे अभिप्रायमे कुछ परिवर्तन होता है या नहि मैं जान सकु तुमको बता सकु।

तुमारी प्रकृति अच्छी होगी। दिल्लीमे समझौता हुआ सो तो अच्छा हूआ लेकिन प्रकृतिको बिगाडकर कुछ भी न किया जाय।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४१६) से।

१. हीरालाल शर्माके पुत्र।

३०४. भाषण : बिहार केन्द्रीय सहायता समितिकी बैठक, पटनामें[1]

३ अगस्त, १९३४

यह ठीक ही है कि हमने प्रस्तावमे विश्वास-भर प्रकट किया है, [समितिकी] लम्बी-चौडी सराहना नही की है। इसके दो कारण है एक यह कि रिपोर्ट अभी सव-साधारणके हाथातक नही पहुची है, और दूसरा यह कि महा समिति यदि अपनी प्रबन्ध समितिकी प्रशसा करती है तो वह अपनी ही प्रशसा करना होगा। परन्तु प्रस्ताव सव-सा[illegible]णको यह बतानेकी दृष्टिसे जरूरी है कि प्रबन्ध समितिपर महा समितिका विश्वास है और वह चाहती है कि समिति अपना काम जारी रखे। यह बात ध्यान देने लायक है कि समितिने अपने पासके कोषका आधेसे थोडा कम भाग ही खच किया है। ऐसा नही है कि वह सारी रकम खर्च नही कर सकती थी, पर उसे अपनी सीमाओका पता था। उदाहरणके लिए वह बालूसे अटे इलाकोको साफ करनेकी कोशिश कर सकती थी और इस तरह सारा कोष बालूको भेट कर दे सकती थी। मै इस रिपोटको पूरा पढ नही पाया हूँ, फिर भी मै प्रस्ताव पेश इसलिए कर सकता हूँ कि समितिके कार्यसे मेरा बराबर सम्पक बना रहा है।

एक शिकायत की गई है कि समितिने मध्यम वर्गोके हितोका ध्यान नही रखा है, उसने मध्यम वर्गोकी सहायताके लिए बाईस हजार रुपये ही खर्च किये है। यह शिकायत वाजिब नही है, क्योकि कुल ५ लाख रुपयेकी राशि निश्चित की गई है। मै यह विश्वास दिलाता हूँ कि शेष राशि मध्यम वर्गोपर ही खर्च की जायेगी। आलोचकोको यह याद रखना चाहिए कि जिन लोगोपर सहायता-राशि वितरित करनेका दायित्व है, वे स्वय मध्यम वर्गोके है और इसलिए उनपर उनकी उपेक्षाका आरोप नही लगाया जा सकता। इसके अलावा, सरकारने उनकी सहायताके लिए २२ लाख रुपये वितरित किये है, कारण यह है कि सरकार इन वर्गोकी दशा ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती है। बिहार केन्द्रीय सहायता समितिको, स्वभावत, अपना ध्यान गरीब वर्गोकी सहायतापर केन्द्रित करना था, क्योकि किसी अन्य सस्थानकी अपेक्षा वह उनकी दशा और शिकायतोको ज्यादा अच्छी तरह जानती है। सरकारी सस्थान और हमारे सस्थानके बीच कार्यका एक स्वाभाविक विभाजन अच्छा

१ साधन-सूत्रमें बताया गया था कि पुनर्गठनके बाद व्हीलर सीनेट हॉलमें आयोजित भूकम्प सहायता समितिकी पहली महा सभाका राजेन्द्र प्रसादने सभापतित्व किया। गाधीजी ने अपने भाषणसे पहले निम्न लिखित प्रस्ताव पेश किया था "बिहार केन्द्रीय सहायता समितिकी यह महा सभा, ३० जूनतकके कामपर प्रबन्ध-समितिकी रिपोर्ट प्राप्त करनेके बाद, प्रबन्ध समितिमें अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

ही रहा। मध्यम वर्गोकी सहायताका काय कुछ समयके लिए इस कारण भी स्थगित रखा जा सकता था कि टिके रहनेकी शक्ति उनमे गरीब वर्गोसे कही ज्यादा होती है। मै आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि न केवल बाकी ४,८०,००० रुपये मध्यम वर्गोकी सहायतापर खच किये जायेगे, बल्कि यदि जरूरत हुई और उपलब्ध हो सकी तो इसमे भी अधिक रकम इसके लिए मजूर की जायेगी। जो ऐसा कर सकते है, उन सभीसे मेरा अनुरोध है कि वह इस रिपोर्टकी एक नकल ले और उसका अध्ययन करे। हर छोटे-से-छोटे चन्देका इसमे उल्लेख किया गया है। मै चाहूँगा कि सभी इस रिपोर्टका बारीकीसे अध्ययन करे और अपनी अपनी आलोचना समितिके पास भेजे।

रेलवे कम्पनियो और टाटा कम्पनीसे समितिको जो रियायते और सहायता मिली है, उसके लिए मै उनका आभारी हूँ। पर मै बाबू राजेन्द्र प्रसादकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि जबतक इन रियायतोको बद करनेके जबर्दस्त कारण न हो, इन्हे जारी रखना चाहिए।

इस काममे हमारी सहायताके लिए हमारे पास स्वयसेवको और कार्यकर्त्ताओका एक दल था। इसके लिए मै ईश्वरको धन्यवाद देता हूँ। मजदूरी देकर जो काम हुआ, उसमे कही ज्यादा कुशलता और ईमानदारीसे स्वयसेवकोने काम किया है। मेरी यही आशा और प्रार्थना है कि वर्तमान विपत्ति हमे सूझ-बूझ और आत्म-सहायताकी शिक्षा दे, जिससे कि भावी सकटोमे हम अपनेको उनका सामना करनेमे असमर्थ न पाये।

मुझे खेद है कि हमारे पास आज पूरी तरह जाँचा हुआ हिसाब तैयार नही है। यह एक ऐसी चीज है जिसकी सार्वजनिक सगठन उपेक्षा नही कर सकते, और हमे प्राप्त रकमोका हिसाब देनेके लिए प्रति दिन और प्रति मिनट तैयार रहना चाहिए। इस मामलेमे जितनी भी सावधानी रखी जाये थोडी है।

अतमे, मै चाहूँगा कि आप यह ध्यान रखे कि समिति, मुख्यतया मेरे कहने पर ही, अभी धनकी और अपील नही कर रही है। हमे और रुपयोकी जरूरत नही है, यह बात नही है। वाइसरायके कोष और बिहार केन्द्रीय सहायता समितिको मिली ८३ लाख रुपयेकी रकम हमारी जरूरतोके लिए काफी नही है। परन्तु जबतक हम अपने पास की सारी रकम खर्च न कर दे, हम और रुपयोकी अपील नही कर सकते। फिर भी, सर्व-साधारणको यह याद रखना चाहिए कि हमे आगे और अपील करनी होगी और जिस तरह उदारतासे उन्होने पहले दान दिया है उसी तरह फिर देनेके लिए तैयार रहना चाहिए। वे यह जानते ही है कि सारा धन अच्छे काम पर खर्च होता है और एक-एक पैसेका हिसाब रखा जाता है।

[अग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ५-८-१९३४

३०५. भेंट: समाचारपत्रोके प्रतिनिधियोको[1]

पटना
३ अगस्त, १९३४

भेंटकर्त्ता क्या आप अब यह बता सकते है कि निकट भविष्यमें आपका कार्यक्रम क्या होगा?

गाधीजी जहाँतक मुझे मालूम है, यह महीना तो उपवास और पुन स्वास्थ्य-लाभ करनेमे बीतेगा। इसलिए सितम्बरमे मेरे भाग्यमे क्या है, इसकी मेरे मनमे अभी कोई कल्पना नही है। पर मै इतना कह सकता हूँ कि जेल जानेकी मुझे कोई जल्दी नही है। इसके विपरीत, अपने सामर्थ्यके अनुसार, मै उससे बचनेकी ही कोशिश करूँगा। यदि कुछ समयतक कारावाससे बचना सम्भव हुआ, तो मुझे आशा है कि मै वह समय हरिजन-कार्य और कार्यकारी समितिके बाकी रचनात्मक कार्यक्रमको जारी रखनेमे ही लगाऊँगा। कारण कि मै उस कार्यक्रमसे प्रतिबद्ध हूँ, और मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि हमे अहिंसात्मक उपायोसे स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, तो कार्यकर्त्ताओको अपनेको इस तरहके रचनात्मक कार्यके योग्य बनाना होगा और पूरे दिलमे उसमे जुटना होगा।

काग्रेस ससदीय बोर्डकी स्थापनाके लिए यद्यपि मुख्यतया मै ही उत्तरदायी हूँ, फिर भी मैने सदा इस चीजपर जोर दिया है कि राष्ट्रीय कार्यक्रममे उसका स्थान सबसे छोटा है। रचनात्मक कार्यक्रमकी मदद बिना यह, स्वराज्यकी दृष्टिसे, बेकार रहेगा। वह कार्यक्रम केवल कागजपर नही, बल्कि ठोस और वास्तविक भारतव्यापी कार्यमे चलना चाहिए। यदि ईश्वरने मुझे ऐसा करनेका मौका दिया तो मै, आशा है, यह दिखा सकूँगा कि कार्यकारी समितिने बनारसमे स्वदेशीपर जो प्रस्ताव[2] पास किया है, वह कितनी जबर्दस्त शक्ति रखता है।

भें० परन्तु पण्डित मालवीय और श्री अणे तथा कार्यकारी समिति और ससदीय बोर्ड के बीच जो फूट है, उसके बारेमें आपको क्या कहना है?

गा० आप इसे फूट कहना चाहे तो कह सकते है। यद्यपि हर पक्षने अलगाव को रोकनेका भागीरथ प्रयत्न किया, पर हमने देखा कि कुछ ऐसे बुनियादी मतभेद हैं जो दूर नही होने है। इसलिए हम मित्रोकी तरह अलग हो गये और यह आशा करते है कि सघर्पकी सम्भावनाके बावजूद हम मित्र बने रहेगे।

१ **हिंदू और हिन्दुस्तान टाइम्सके** प्रतिनिधियोंको सयुक्त रूपसे।

२ देखिए परिशिष्ट ३।

लड़ाई टाली जा सकती है, यह आशा वस्तुत मैंने अभी छोड़ी नहीं है। यह कैसे होगा, यह तो मैं नहीं जानता, पर यह कैसे हो सकता है, यह मैं जानता हूँ। अपना सुझाव[1] मैंने पण्डित मालवीयजी को भेजा है। यदि उसका कुछ परिणाम निकला तो उसे कायकारी समिति और समदीय बोर्डके आगे रखना होगा। कोई समझौता करनेका मुझे तो कोई अधिकार है नहीं।

भें० पर अफवाह यह है कि आप और सरदार वल्लभभाई पटेल उपलब्ध सीटोंमें से आधी पण्डितजी और उनके प्रतिनिधियोंको देनेको सहमत हो गये हैं।

गा० मैं आपके आगे इस अफवाहका तुरन्त खण्डन कर सकता हूँ। इस तरहका विभाजन वस्तुत विश्वासघात होगा। कायकारी समितिका प्रस्ताव आखिर एक बहुत बड़े सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है। कार्यकारी समितिके सदस्योंको यदि अपनी नीतिके सही होनेका विश्वास न होता, तो पण्डित मालवीय और श्री अणे-जैसे लोगोंके सहयोगको खोना गलत होता। कायकारी समिति और ससदीय बोर्डको, इसलिए श्वेत-पत्र और साम्प्रदायिक समझौतेवाले व्यापक प्रस्तावको पूरी तरह अमलमें लाना है और उसके सभी भाग कितने कारगर हैं यह जानना तथा औरोंको भी दिखाना है। यह काम, निश्चय ही, उपलब्ध सीटोंमें से आधी उन लोगोंको सौंपकर कभी नहीं किया जा सकता जो पण्डित मालवीयजी के दृष्टिकोणका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सव-साधारणसे मेरा अनुरोध है कि वे इन सब अफवाहोंपर विश्वास न करें।

पण्डित मालवीय राष्ट्रके एक मँजे हुए सेवक हैं। वे उन थोड़े-से सबसे पुराने कांग्रेसियोंमें से हैं जो निरन्तर शानदार सेवा और त्याग करते आये हैं। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि चाहे वे लड़ें या हमारे लिए किसी सम्मानजनक समझौते पर पहुँचना सम्भव हो जाये, जैसीकि मुझे आशा है कि हो जायेगा, पर वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कांग्रेसके प्रभावको क्षति पहुँचे। पर मेरा पहलेसे कोई अनु-मान लगाना उचित नहीं होगा।

भें० अनुशासनके बारेमें कार्यकारी समितिका प्रस्ताव[2] हमने पढ़ा है। ऐसे भी कांग्रेसी हैं जिनके विचार पण्डित मालवीयजी के विचारोंसे मिलते हैं। ऐसे लोगोंको, यदि वे कांग्रेस समितियोंके सदस्य हों तो, क्या श्री अणेकी तरह अलग हो जाना चाहिए?

गा० मेरा अपना विचार ऐसा नहीं है। इस तरहके मामलोंमें अनुशासनात्मक कार्रवाई केन्द्रीय कायकारी समितिसे मिलती-जुलती समितियोंतक ही पहुँच सकती है। प्रान्तीय कांग्रेस समितियोंमें ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो मालवीयजी के दृष्टिकोणका प्रतिनिधित्व करते हों और समाचारपत्रों या सभाओंमें उसकी वकालत करते हों, पर उन्हें अनुशासनहीनताका दोषी नहीं माना जाता। उसी तरह जैसेकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य कार्यकारी समितिके विचारोंके विरुद्ध विचार व्यक्त करनेपर

१ देखिए पृ० २९०।
२ देखिए परिशिष्ट ४।

अनुशासनहीनताके दोषी नही माने जायेगे। लेकिन प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी, केन्द्रीय कार्यकारी समितिसे मिलती-जुलती, अपनी काय-समिति है या होनी चाहिए। वही वह वास्तविक कार्य-समिति है जिसे पूरे काग्रस कार्यक्रमको ईमानदारीसे और बिना किसी ननु-नचके अमलमे लाना है। यदि उसके किसी सदस्यका कायक्रममे विश्वास नही है, तो उसे कार्य-समितिसे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जबतक वह उसमे है, वह समाचारपत्रो या सभाओमे कायक्रमकी आलोचना नही कर सकता। मेरा सदा यही विचार रहा है। इससे भिन्न कोई रुख किसी भी सगठनको टुकडे-टुकडे कर देगा।

भें० क्या इसकी कोई सम्भावना है कि आप अभी या निकट भविष्यमें कुछ समय निकालकर आतकवादकी समस्यासे निपटनेके लिए विशेष प्रयत्न करेगे? क्रान्तिकारी नौजवानोको नियन्त्रणमे लानेके लिए आप कौन-से विशेष तरीके काममें लाना चाहते है?

गा०, हिसाके पथका मै निस्सन्देह दृढ विरोधी हूँ। कोई भी दिन ऐसा नही जाता जब मै इस प्रश्नके बारेमें, जो मेरे लिए जीवन और मरणका प्रश्न है, कुछ-न-कुछ करता या सोचता न होऊँ। पर मै जो-कुछ अब कर पाता हूँ, उससे बहुत अधिक करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे भारतीयोकी और अग्रेजोकी, सरकारी और गैर-सरकारी, बाहरी मददकी जरूरत है। हिंसाका पथ आसानीसे मरनेवाला नही है। पृथ्वीपर अहिसाके राज्यकी स्थापनाके बारेमे मेरे कोई बहुत लम्बे-चौडे स्वप्न नही है। कायके लिए जिस तरहका वातावरण चाहिए वह यदि मुझे मिल जाये, तो मै अपने-आपको कुछ समयतक बगालमे ही डुबो देना चाहूँगा और यह देखूगा कि हिंसासे लडनेकी वहाँ मेरे लिए कैसी सम्भावनाएँ है। पर मुझमे धैय है। यदि ईश्वरकी यह इच्छा हुई कि मै उस दिशामे और अधिक सक्रियतासे काम करूँ, तो वह मेरे लिए रास्ता खोलेगा।[1]

ईश्वरको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि यह दौरा निर्विघ्न और समय-समय पर निश्चित किये गये कार्यक्रमके अनुसार पूरा हो गया। इससे मेरे मनपर जो छाप पडी है, वह यह है कि अस्पृश्यता अब आखिरी सास ले रही है। सभाओमे लाखो लोगोने भाग लिया है और वे सबके-सब तो ऐसे नही होगे कि जो-कुछ मैने उनसे कहा उसे बिलकुल समझते ही न हो। वे निश्चय ही इस विषयमे उदासीन नही थे। सनातनियोने जो जबर्दस्त प्रचार किया है, उससे कोई अनभिज्ञ या उदासीन रह ही नही सकता। जन-साधारणके मनको इस आन्दोलनके विरुद्ध करनेमे उन्होने कोई कोशिश बाकी नही छोडी है। सरासर झूठी बातोका प्रचार किया गया है। इसलिए, यह कहना कि सभाओमे लोगोकी जो भारी भीड जमा हुई, वह केवल मेरे प्रति सम्मानकी सूचक थी, मेरे सन्देशसे उसका कोई सम्बन्ध नही था, गलत होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उस सन्देशने जन-साधारणके विवेकको प्रभावित किया है।

१ साधन सूत्रके अनुसार, उसके बाद गांधीजी से "हरिजन दौरेके बारेमें उनकी धारणाके विषयमें पूछा गया"।

मैं इस बातसे भी पूरी तरह वाकिफ हूँ कि उनमें से सभी अभी अपने विश्वासोंपर अमल करनेको तैयार नहीं हैं। परन्तु जन-साधारण उस सन्देशकी सचाईमें विश्वास करने लगे हैं — मैं इसीको एक जबर्दस्त उपलब्धि मानता हूँ। इससे कार्यकर्त्ताओंका काम पहलेसे कहीं आसान हो जाता है। जन-साधारणने इस आन्दोलनमें दिलसे भाग लिया है, यह दिखानेके लिए मैं यह कह सकता हूँ कि पिछले नौ महीनोंमें जो आठ लाख रुपया एकत्रित हुआ है वह ज्यादातर बहुत ही गरीब लोगोंसे प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक सभाओं या रेलवे स्टेशनोंपर इकट्ठे हुए पैसों और छोटे सिक्कोंको गिननेमें हिसाब रखनेवालोंको रोज घंटों लग जाते थे। लोग जिस ध्येयको बिलकुल पसन्द न करते हों, उसके लिए चन्दा देनेकी बात तो कभी सुनी नहीं गई। तीसरी बात इस दौरेके बारेमें मैं यह कहना चाहूँगा कि हरिजनोंमें बड़े पैमानेपर जागृति आ गई है और वह साफ दिखाई देती है। उनमें से बहुतोंने अपने-आप मेरे आगे इस तरहके बयान दिये हैं कि स्थिति काफी सुधर गई है और उन्हें विश्वास है कि अस्पृश्यता निकट भविष्यमें ही अतीतकी चीज हो जायेगी। उनकी तरह मेरा भी यही विश्वास है। आन्दोलन जिस तरह अब चल रहा है यदि उसी तरह चलता रहा — और वह उस तरह चलेगा मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है — तो हरिजनोंमें रोज ज्यादा जागृति आयेगी। और जब वे यह पूरी तरह समझ जायेंगे कि वे किस तरह ठोस ढंगसे स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं और बहुत-सी बातोंमें कानून उनके साथ है, तो सवर्ण हिन्दू चाहे या न चाहें, हरिजनोंकी दशा जरूर सुधरेगी। पर, मुझे आशा है कि सवर्ण हिन्दू, अनिवार्य परिस्थितियोंसे बाध्य हुए बिना ही, यह महसूस करने लगेंगे कि अस्पृश्यता जिस रूपमें आज प्रचलित है वह बहुत गर्हित है और वे स्वयं उसे तिलांजलि दे देंगे। जो भी हो, अस्पृश्यता अब बहुत दिनों जीवित नहीं रह सकती।

यद्यपि मैंने इस दौरेके शुरूमें ही इस प्रश्नपर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, फिर भी इस सिलसिलेमें बहुत-ही शरारत-भरा आन्दोलन चलाया गया है। आदतन मन्दिर जानेवाले लोग जहाँ लगभग एकमतसे मन्दिरको हरिजनोंके लिए खोलनेके पक्षमें नहीं हैं, वहाँ मन्दिर खोला नहीं गया है। और यह तो किसीने भी कभी नहीं कहा है कि यदि उपासकोंका लगभग सारा समुदाय भी मन्दिर खोलनेके पक्षमें हो, तो भी उसे नहीं खोलना चाहिए। जहाँतक मन्दिर-प्रवेश विधेयकका सवाल है, मैं उसे एक वैधानिक आवश्यकता मानता हूँ। पर मैं बार-बार यह घोषणा कर चुका हूँ कि मैं इस विधेयकको मिश्रित बहुमतसे असेम्बलीमें पास करवानेका कदापि समर्थन नहीं करूँगा। इसीलिए श्री च० राजगोपालाचारी विधान-मण्डलसे स्वतन्त्र रूपसे हिन्दू-भावनाकी जाँच कर रहे हैं, और यदि हिन्दू-भावना इस विधेयकके विरुद्ध हुई तो, जहाँतक मेरा सवाल है, वह वापस ले लिया जायेगा। इसलिए, इन सब संरक्षणोंको ध्यानमें रखते हुए, इसके विरुद्ध सारा आन्दोलन खत्म हो जाना चाहिए। अलबत्ता, मैं अपने वचनसे ही फिर जाऊँ तो बात दूसरी है। मेरी बड़ी इच्छा है कि हरिजन-सेवक संघने जो सुधारके कदम उठाये हैं, सभी हिन्दू उनपर पूरी एकाग्रतासे ध्यान दें।

अन्तमे, मैं यह और कह देना चाहता हूँ कि इन नौ महीनोमे मन्दिर-प्रवेश आदोलन या विधेयकके लिए कुछ भी खर्च नही किया गया है। हरिजन-कोषसे कोई भी मन्दिर बनवाया नही गया है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३-८-१९३४

३०६ तार हीरालाल शर्माको

मुगलसराय
४ अगस्त, १९३४

डॉ० शर्मा,
खुर्जा

ज्वर नही है। दोनो[१] अच्छी तरह है। आशा है कि रामदासमे ताकत लौट रही होगी।

बापू

[अंग्रेजीसे]

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, (१९३२-४८), पृ०, ८३ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

३०७ पत्र मणिलाल और सुशीला गांधीको

४ अगस्त, १९३४

चि० मणिलाल तथा सुशीला,

उपवास शुरू होनेमें अभी दो दिन बाकी है, तो मैंने सोचा, दो लकीरें लिख दू। इस समय हम लोग रेलगाडीमे है। कल सुबह वर्धा पहुँच जायेंगे। देवदास काशी आया था, इलाहाबादसे अलग हो गया।

इस बार तो मैंने पहले ही उपवास शुरू कर दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। किन्तु इसका श्रेय मुझे कैसे मिलेगा? दौरेके अन्तिम दो दिनोमे तबीयत लस्त हो गई, इसलिए चार दिनसे दूध नही लिया है। दो दिनसे फलोपर हूँ। वे भी कम ही लेता हूँ। शक्ति और वजन फिर भी ठीक रहे है। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीरमें से जहरके सिवाय कुछ नही निकला है। अत चिन्ताका कोई कारण

१. गांधीजी और कस्तूरबा बनारसमें बीमार पड़ गये थे।

नहीं है। यह पत्र पहुँचेगा, तबतक तो सब समाप्त हो गया होगा। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह सब लिखना निरथक है। फिर भी, तुम इस समयकी मेरी दशा जान लो, यह अच्छा है।

लगता है, सुशीला तुम्हे ठीक मदद दे रही है। शरीर मजबूत होता, तो बहुत अधिक करती। फिर भी, जितना कर रही है, सतोषजनक है। अरुणके लिए अच्छा नाम चुनकर भेजा है, मिला होगा।

रामदासकी तबीयतके कारण चिन्ता उत्पन्न हो गई है। बिलकुल सूख गया है। उसके और डॉ० शर्माके लिए पास मिले, तो उन्हे भेजू। लेकिन खुशामद करके पास मत लेना। आसानीसे मिले, तो ठीक है।

मेरे साथ बा, महादेव, प्रभावती, वालजीभाई, काकासाहब, ठ० बापा और प्रथुराज है। बाकी लोग वर्धा पहले चले गये है।

मणिलालने खूब चन्दा उगाहा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२४) से। सी० डब्ल्यू० १२३६ से भी, सौजन्य सुशीला गाधी।

३०८. बातचीत रामनामपर[1]

४ अगस्त, १९३४[2]

मेरे लिए तो रामनाम ही सब-कुछ है। ईश्वरकी जितनी विभूतियाँ है, उतने ही उसके नाम है। भक्तो द्वारा लिये जानेवाले इन नामोकी कल्पना ऋषियोने अपनी आजीवन तपस्याके बलपर इसलिए की है कि नामहीन परमेश्वरके साथ हम आत्मीयताका नाता जोड सके। वैसे तो रामनामके अलावा और भी मत्र है, लेकिन मेरे लिए यही सर्वोत्तम है। यह मेरे जीवनका अग बन गया है। बचपनमे जब कभी मै भय या सकटका अनुभव करता था तो मेरी धाय मुझे रामनाम जपनेको कहा करती थी और ज्यो-ज्यो मुझमे समझ आती गई और मेरी उम्र बढती गई, यह अभ्यास मेरा स्वभाव ही बन गया। मै यह भी कह सकता हूँ कि यह शब्द मेरी जीभपर भले न हो पर चौबीसो घटे मेरे मानस-पटलपर अकित रहता है। यह सदैव मेरा त्राणकर्त्ता रहा है और मैने सदैव इसपर भरोसा किया है। विश्वके आध्यात्मिक साहित्यमे तुलसीदास कृत 'रामायण' का स्थान प्रथम पक्तिमे है। जो

१ और २ यह महादेव देसाई द्वारा लिखित "आत्मशुद्धि सप्ताह" से उद्धृत है। महादेव देसाईने बताया है कि "उपवाससे दो दिन पूर्व" गाधीजीने यह बातचीत अपने एक मित्रके साथ की थी जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे।

मनोरमत्व मुझे इसमे मिला वह 'महाभारत' मे नही मिला और न वाल्मीकि 'रामायण' मे ही मिला।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-८-१९३४

३०९. भेट : जबलपुरमे[1]

४ अगस्त, १९३४

महात्मा गाधी कमजोरीके बावजूद, प्रसन्न नजर आते थे। पूछनेपर उन्होने बताया कि वे इस समय बिलकुल ठीक है और उनका तापमान सामान्य है। उन्होने यह भी बताया कि वे अपना सात दिनका उपवास ७ अगस्तसे शुरू करेगे। उन्होने स्थानीय राजनैतिक वातावरण और दलगत झगडोके बारेमें भी पूछताछ की।

सेठ गोविन्ददासने उसके उत्तरमें उन्हे बताया कि यद्यपि वातावरण दलगत भावनाओके कारण तनावपूर्ण है, पर कार्यकर्त्ताओके विरोधी गुटोमें एक सन्तोषजनक समझौता करानेके प्रयत्न चल रहे है। उन्होने यह भी कहा कि यदि कोई सन्तोष-जनक समझौता नहीं हो पाया तो उन्होने, अपने मित्रो सहित, राजनैतिक क्षेत्रसे अलग हो जाने और धैर्यसे उस दिनकी प्रतीक्षा करनेका निश्चय किया है जब मातृभूमिको उनकी सेवाओकी पुन आवश्यकता होगी।

महात्मा गाधीने सेठ गोविन्ददासके विचारोसे सहमति प्रकट की और कहा कि झगडे और टकरावको टालनेके लिए निष्ठावान काग्रेसियोको उन्होने हमेशा यही सलाह दी है कि वे दलगत भावनाके क्षेत्रसे अलग हो जायें और अपनी शक्तियोको अन्य रचनात्मक और ठोस कार्यक्रममें लगा दें।

महात्मा गाधीने लोगोसे हरिजन-कोषमें चन्दा देनेकी अपील की और कुछ रकम वहीं इकट्ठी की गई।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-८-१९३४

१ वर्धा जाते हुए।

३१० सन्देश : जन्म-दिवसपर[1]

५ अगस्त, १९३४

मै यह बात कभी समझ ही नही सकता कि जिन लोगोके हृदयमे सात लाख गाँवोमे रहनेवाले करोडो अधभूखे लोगोके लिए एक बूँद भी सहानुभूति है, वे कताई या खादीका विरोध कर सकते है।

मो० क० गाधी

गुजरातीकी फोटोनकल (जी० एन० ७७५२) से।

३११ "हरिजन" के लिए

[६ अगस्त, १९३४][2]

अब मेरी हरिजन-यात्रा समाप्त हो गई है, और इसके साथ ही वह पूरा वर्ष भी जिसमे मैने हरिजन-कायके लिए अपना सारा समय देनेकी प्रतिज्ञा की थी समाप्त हो गया है। इसलिए लोग अब मेरी भावी प्रवृत्तिके विषयमे अनेक अटकले लगाने लगे है। हर्षकी बात है कि उपवासके कारण मुझे तय कर लेना है कि इस उपवास-कालके दरम्यान तथा इसके कुछ समय बाद मेरा क्या कायक्रम रहेगा। उपवासको एक तरफ रख दे, तो भी मै यह कह देना चाहता हूँ कि यद्यपि राज-नीतिके विषयमे बोलने और लिखनेकी मुझे स्वतन्त्रता है, पर जहाँतक हो सके मै उससे विरत रहना चाहता हूँ। गत वर्ष जिस सयमके बन्धनमे मैने अपने-आपको बाँध रखा था, उस सयमके आनन्दकी स्मृति अब भी वैसी ही ताजी है और यह सयम-जनित आनन्द सहज ही मुझे राजनीतिक भाषणो और लेखोकी प्रवृत्तिमें बहनेको बढावा नही दे रहा है। हरिजन-कार्य और उससे मिलती-जुलती दूसरी प्रवृत्तियोके सम्बन्धमे मेरा पक्षपात वैसा ही कायम है, और मुझे आशा है कि वह मेरे मरते दमतक कायम रहेगा।

१ **बॉम्बे क्रॉनिकल**, १५-८-१९३४ में यह 'महात्माका जन्म-दिवस' शीर्षकसे छपा था। अनुमान है कि यह सदेश १५ सितम्बरसे ७ अक्तूबर १९३४ तक होनेवाले गाधी जयन्ती उत्सवके सिलसिलेमें दिया गया था।

२ १७-८-१९३४ के **हरिजन**में महादेव देसाईने "शुद्धि सप्ताह" के दौरान गाधीजी के दैनिक क्रिया-कलापका विवरण देते हुए इस तारीखके अन्तर्गत बताया है कि एकदम थके होनेके बावजूद [गाधीजी ने] कुछ पत्र और गत [सप्ताहके] **हरिजन**के लिए दो लेख लिखे। वे लेख यह और अगला शीषक है।

अपनी सामान्य प्रवृत्तिके विषयमे जो मैने ऊपर बतलाया हे, वह 'हरिजन'के विषयमे तो विशेष रूपसे लागू होता है। निस्सन्देह मुझे राजनीतिक कार्य अधिक करने पडेगे। शायद सविनय अवज्ञा भी मुझे करनी पडे, पर 'हरिजन' का उसके आरम्भसे जो रूप रहा है, आगे भी वही कायम रहेगा, राजनीतिसे तो वह निश्चय ही दूर रहेगा। किन्तु मुझे आशा हे कि अब दूसरे रचनात्मक कार्योके लिए, खासकर हरिजनोसे सीधा सम्बन्ध रखनेवाले कार्योके लिए मुझे थोडा समय मिलेगा, तो उनकी चर्चा मै अवश्य 'हरिजन'मे करना चाहूँगा। इसलिए हरिजन-कायके साथ-साथ, समय और प्रसगके अनुसार, साम्प्रदायिक-एकता, खादी और खादीकी सभी प्रक्रियाओ तथा स्वदेशीकी दूसरी शाखाओका काय, मद्यनिषेध-कार्य और उसका रचनात्मक पहलू और अस्पृश्यवत् समझी जानेवाली जरायमपेशा तथा आदिम जातियोकी स्थिति सुधारनेका काय — इन सब विषयोकी चर्चा मै 'हरिजन'मे करता रहूँगा।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १०-८-१९३४

३१२ स्वदेशी

[६ अगस्त, १९३४][१]

गत वष मेरे उपवासके उपरान्त, विश्राम-कालके तुरन्त बाद, या इस वषके शुरूमे 'स्वदेशी'मे दिलचस्पी रखनेवालोकी ओरसे यह आग्रह किया गया था कि मै 'स्वदेशी'की एक ऐसी परिभाषा बना दूँ, जिससे उनके मागमे आनेवाली अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाये। मिलके बने कपडेमे स्वदेशीके जो अनेक पहलू है, उन सबका ध्यान मुझे रखना था। कई परिभाषाएँ जो मुझे सुझाई गई, उन सबको मैने मिलाकर देखा। श्री शिवराव और श्री जालभाई नौरोजी तथा अन्य सज्जनोके साथ मैने लिखा-पढी भी की। मै कोई ऐसी परिभाषा न बना सका जो सभी प्रसगोपर काम दे सके। मुझे मालूम हुआ कि व्यापक व्याख्या बनाना तो असम्भव है। बादको मेरे देशव्यापी दौरेमे मुझे अनेक अनुभव हुए और सस्थाओका काम किस तरह चल रहा है, यह देखनेके भी मुझे अनेक अवसर प्राप्त हुए। इस सबसे मै इस नतीजे पर पहुँचा कि 'स्वदेशी'का काम जिस तरह आज चल रहा है, वह तो एक प्रकारसे जनताको धोखा दिया जा रहा है। यह बात नही कि जान-बूझकर कोई आँखोमे धूल झोक रहा है। यह भी मैने देखा कि हमारे बहुत-से योग्य कार्यकर्ताओकी शक्ति इस व्यथके प्रयत्नमे ही नष्ट हो रही है और वे आत्मवचनामे पडे हुए है। मै यहाँ जो ऐसी

१ देखिए पिछले शीर्षककी पाद टिप्पणी सख्या २।

सख्त भाषाका प्रयोग कर रहा हूँ, उससे यह न समझ लिया जाये कि स्वदेशीके प्रचारका काम करनेवाले बेईमान है, स्वदेशीके सम्बन्धके केवल मेरे मनोगत विचार ही इन कडे शब्दोमे प्रकट हो रहे है। वे बेचारे तो काम करते चले जा रहे थे, उन्हे यह थोडे ही मालूम था कि इस काममे किसी तरहकी कोई धोखाधडी या आत्मप्रवचना भी हो सकती है।

मै अपने अभिप्रायको और अधिक स्पष्ट करूँगा। जिन चीजोके प्रचारके लिए खास सहायता करनेकी जरूरत नही, उन्ही चीजोकी प्रदशनी हम करते फिरते है। इसका यह परिणाम होता है कि उन चीजोकी या तो कीमते बढ जाती है या एक-दूसरेके साथ स्पर्धा करनेवाली उन्नतिशील फर्मोमे अवाछनीय रस्साकशी होने लगती है।

कपडेकी, शक्करकी और चावलकी मिलोको हमारी मददकी दरकार नही है। किन्तु फिर भी यदि हम इन मिलोको बिनमाँगी मदद देते रहेगे, तो चरखा, करघा, खादी, ईख पेरनेका कोल्हू और विटामिनोसे युक्त पोषक तत्त्वोसे भरा हुआ गुड और ओखली-मूसलका कुटा हुआ चावल — गाँवकी इन सब चीजोका हम नाश कर देगे। इसलिए हमारा यह स्पष्ट कत्तव्य है कि गाँवके चरखेको, गाँवके कोल्हूको और गाँवकी ओखलीको किस रीतिसे जिन्दा रखा जा सकता है, इसका हम बराबर शोध करते रहे। चरखे, कोल्हू और ओखलीके ही मालका प्रचार किया जाये। उनके गुणोको बतलाया जाये। उनमे काम करनेवाले लोगोकी स्थितिकी जाँच-पडताल की जाये और कल-कारखानोके कारण बेकार हुए कारीगरोकी गणना करके ग्रामके इन साधनोके ग्राम्य रूपमे ही सुधार करनेके तरीके ढूँढकर इन्हे मिलोकी प्रतिस्पर्धाका मुकाबला करने योग्य बनाया जाये। गाँवके इन उद्योग-धन्धोके सम्बन्धमे हमने कितनी भयकर और अक्षम्य उपेक्षा दिखाई है। इन उद्योगोको जिन्दा रखनेके प्रयासमे कपडे या शक्कर या चावलकी मिलोके साथ कोई झगडा नही है। विदेशी शक्कर या विदेशी कपडा या विदेशी चावलकी अपेक्षा तो हमे अपने देशकी मिलोमे ही बना हुआ कपडा, शक्कर या चावल काममे लाना चाहिए। अगर विदेशी स्पर्धाके मुकाबलेमे खडे रहनेकी उनमे शक्ति न हो, तो उन्हे पूरी मदद भी मिलनी चाहिए। पर आज तो ऐसी किसी मददकी जरूरत नही है। विदेशी मालसे देशी मिलोका माल बराबर टक्कर ले रहा है। आवश्यकता तो आज ग्रामोद्योगोके सरक्षण की है। बचे-खुचे ग्रामोद्योगोमे लगे हुए लोगोकी हमे रक्षा करनी है, और विदेशी या स्वदेशी मिलोके आक्रमणसे उन बेचारोको बचाना है। सम्भव है कि खादी, गुड और ओखलीका कुटा चावल मिलके मालसे घटिया हो, और इसीसे वे उसके मुकाबलेमे न टिक सकते हो। पर असल बात तो यह है कि खादीके उद्योगके बारेमे जितनी खोज-बीन हुई है, उतनी गुड और हथकुटे चावलके धन्धेमे लगे हुए हजारो आदमियोकी स्थितिके सम्बन्धमे नही हुई। इस काममे तो देशभक्तोकी एक भारी सेना खप सकती है। पाठक कहेगे, 'पर यह तो बडा कठिन काम है।' किन्तु यह काम जितने महत्वका

है, उतना ही दिलचस्प है। मेरा तो यह दावा है कि यही काम सच्चा, सफल और सौ फीसदी 'स्वदेशी' है।

पर यह तो मेरी भूमिका मात्र है। मैंने तो ऊपर सिर्फ तीन ही बडे-बडे उद्योगोका उदाहरण देकर बताया है कि स्वदेशीका प्रचार करनेवाले इन्ही असगठित ग्रामोद्योगोके ऊपर अपना समग्र ध्यान एकाग्र करे, जो स्वेच्छासे दी जानेवाली व समझदारीसे सगठित सहायताके बिना मर रहे है।

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे ग्रामीण और नागरिक उद्योग-धन्धे है, जिन्हे जीवित रखनेके लिए सार्वजनिक सहायताकी आवश्यकता है, कारण कि इन उद्योगोकी बदौलत हजारो गरीब कारीगरोको रोटी मिल रही है। इस सम्बन्धमे जितना भी काम किया जाये, थोडा है। यह समझ लेना चाहिए कि इस काममे जितना समय हम देगे, वह योग्य कारीगरोको जीवित रखनेमे खर्च होगा।

मेरा दृढ विश्वास है कि अगर यह काम सलीकेसे किया जाये तो इसे चलानेवाले विभागको पैसा तो इसीमे से मिलता रहेगा। नई प्रतिभाको प्रोत्साहन मिलेगा, अनेक शिक्षित और अशिक्षित लोगोको, बिना दूसरोके मुँहका कौर छीने, अनायास काम मिल जायेगा और हमारा देश जो नित्यप्रति अधिकाधिक दरिद्र होता जा रहा है, उसकी सम्पत्तिमे करोडोकी वृद्धि हो जायेगी।

इसमे सन्देह नही कि इस काममे लाभ काफी है, और मन भी इसमे खूब लगेगा। हमारे यहाँ आज जितने भी स्वदेशी सघ काम कर रहे है, वे सब-के-सब इस काममे लगा दिये जाये, तो भी पूरा न पडेगा। मैंने ऊपर जो लिखा है, वह सब और उससे भी अधिक काग्रेस कार्य-समितिके हालके 'स्वदेशी' सम्बन्धी प्रस्ताव[1] मे है। हमारे मुल्कमे जो रचनात्मक प्रतिभा एव शक्ति है, उसको इससे असीम कार्य मिल सकता है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १०-८-१९३४

१ देखिए परिशिष्ट-३।

३१३ तार : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

वर्धा[1]
६ अगस्त, १९३४

ब्रजकृष्ण
कटरा खुशालराय
दिल्ली

मुझे कोई भी कष्ट नही है। विश्वास बनाये रखो। स्वस्थ रहो। काम करते रहो।[2]

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४१७) से।

३१४ एक पत्र

६ अगस्त, १९३४

प्रिय

जमनालाल और स्वामी आनन्द कहते है कि तुमने विभिन्न व्यक्तियोको भिन्न-भिन्न प्रकारकी बाते बताई है, तुमने स्वामी आनन्दको दिये गये अपने कई वायदे पूरे नही किये है और उनको बहुत ज्यादा शक है, बल्कि लगभग विश्वास है कि तुमने लडकीके बारेमे कहानी गढी है। मुझे यह सब अविश्वसनीय लगता है। तिसपर भी यदि तुम लडकीका नाम मुझे नही बता सकते, तो मुझे भी न चाहते हुए उसी निष्कर्षपर पहुँचना होगा जिसपर ज० या स्वामी शीघ्र पहुँचते जा रहे हैं।

लडकीके बारेमे तुम्हारी चिन्ता निश्चय ही व्यर्थ है। तुम्हे यह जानकर आश्चर्य होगा कि . [4] तथा उनकी पत्नी यह पत्र लिखते समय मेरे पास बैठे है। मुझे

१ अगले शीर्षकोंमें इस जगहका नाम नहीं दिया जा रहा है।

२ चाँदीवाला गाधीजी के सकल्पित उपवासके बारेमें चिन्तित थे और उन्होने उनके पास पहुँचनेकी इच्छा व्यक्त की थी।

३ व ४ नाम छोड दिये गये हैं।

यदि यह पता चला कि तुम एक ऐसे युवक हो जो तरुणाईके दिनोंमें किशोर वयकी लड़कियोंके सम्मानको आघात पहुँचा सकता है, तो मुझे गहरा धक्का लगेगा।

ईश्वर तुम्हारा पथप्रदर्शन करे और तुम्हें मदद दे।

सस्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य : नारायण देसाई।

३१५. पत्र : रणछोड़लाल ए० शोधनको

६ अगस्त, १९३४

चि० रणछोड़लाल,

कल जमनालालजी से तुम्हारी आर्थिक स्थितिकी बात सुनकर मैं तो भौचक्का ही रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास जमा किया गया पैसा कभी जोखिममें भी पड़ सकता है। तुम्हारी साख मेरी नजरमें बैंक ऑफ इंडियासे ज्यादा थी। आज वैसी स्थिति नहीं है। नहीं है, तो क्यों नहीं है? तुमने क्यों मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा? तुम मेरे पुत्रके समान हो, तो तुम्हें अवश्य बताना चाहिए था। जमनालालजी की स्थिति ऐसी हुई होती, तो वे मुझे कभी बिना बताये नहीं रहते।

संक्षेपमें सारा ब्यौरा मुझे बताओ। अब इतना करना, एक कौड़ी भी अपने पास मत रखना। घरबार, जेवर भी लेनदारोंको दे देना। मोतीबहन अथवा रमाके नामसे कहीं कुछ जमा किया गया हो, तो उसे भी उन्हें और तुम्हें लेनदारोंका समझना चाहिए। अच्छे दिनोंमें स्नेहियोंको दिया गया दान बुरे दिनोंमें लेनदारकी अमानत समझा जाना चाहिए। कठिन समय तो सबपर आता है, किन्तु उस समय जो हरिश्चन्द्रके समान पत्नी और पुत्रको बेचकर भी अपनी लाज बचाता है, उसीके बारेमें कहा जाता है कि वह जीना जानता है। हरिश्चन्द्र जैसा और हरिश्चन्द्र जितना पुरुषार्थ करनेमें तुम संकोच नहीं करोगे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है।

मेरे उपवासकी चिन्ता मत करना। अपनी साधुताका विश्वास दिलाकर मुझे सान्त्वना देना।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य : नारायण देसाई।

३१६ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

[६ अगस्त, १९३४]

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा तार मिला था। पत्र भी मिला। तारका उत्तर[1] तारसे दिया है। खेद होता है इतनी अधीराइ बताते हो। इसको मैं कैसे उत्तेजन दू? तुमारे ऐसी बातोमे भी सयम पालन करना चाहिये। क्या सेवा करोगे? आश्रम सेवक और सेविकाओसे भरा है। बहारसे सबको रोक रहा हू। मेहताको भी रोक लिया है विधानको भी। अब तुम को कैसे इजाजत द्? जो हो सके वह काय वहा करो। हरिजन बस्ती साफ करो। कोई साथ आवे तो ले जाओ। म्युनिसिपालिटीने कुछ किया? दामोदरदास का उत्तर अब तक नहि मिला? इसका क्या अर्थ है? मुझे शीघ्र बताओ। उनकी बाते ऐसी है मैं ऐसे नहि रहने दे सकता हू।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४१८) से

३१७ वक्तव्य: उपवासपर[2]

६ अगस्त, १९३४

कल (मगलवार)से मैं सात दिनका उपवास शुरू कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस बातपर फिर जोर देना चाहूँगा कि हरिजन कायकर्त्ताओके लिए यह जरूरी है कि वे अपनेको और ज्यादा शुद्ध करके जो कार्य सम्मुख है उसपर अधिक एकाग्र होकर, इस ध्येयमे हाथ बँटाये। जबतक ऐसे कार्यकर्त्ता, जिनकी इस कार्यमे आस्था है और जो धैयपूर्वक श्रम करते रहकर स्वय शुद्ध और सत्यनिष्ठ हो गये है, निरन्तर अथक प्रयास नही करेंगे, तबतक अस्पृश्यताके इस दानवको नष्ट नही किया जा सकेगा। हर किसीको यह भी समझ लेना चाहिए कि उपवास हर कोई जब चाहे तब नही कर सकता। आस्थाहीन उपवासके परिणाम विनाशकारीतक हो सकते है।

१ देखिए पृ० ३११।

२ इसे महादेव देसाईके "शुद्धिकरण सप्ताह" से उद्धृत किया गया है। महादेव देसाईने बताया है कि इस गाधीजी ने "सध्याकी ओर" शीर्षकसे लिखा था।

अयोग्य व्यक्तियो द्वारा प्रयुक्त होनेपर इस तरहके सभी आध्यात्मिक शस्त्र खतरनाक हो जाते है।

काग्रेसजनो और काग्रेसी कायकर्त्ताओको मै एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगले सात दिनोमे मै उन्हीके बारेमे सोचता रहूँगा, मै पिछले महीने भी उन्हीके बारेमे सोचता रहा हूँ। कुछ स्थानोपर काग्रेसके चुनाव जिस कटुताके साथ लडे गये है और काग्रेसी कार्यकर्त्ताओने वोटोमे चालाकी करके और आदतन खादी पहननेके नियमका स्पष्ट दुरुपयोग करके जो गदे तरीके अपनाये है, उनसे मेरा मन भय और निराशा से भर गया है। सविधान सच्चे और अहिसक तरीकोके लिए कहता है। कुछ प्रान्तोमे, कुछ चुनावोके अन्दर, सत्य और अहिसाका पूण अभाव रहा है। यद्यपि मेरे उपवासको इन गन्दे तरीकोसे कुछ लेना-देना नही है, पर मेरी बडी इच्छा है कि काग्रेसी कायकर्त्ता मेरे इन शब्दोसे मेरी पीडाको समझे और उसे कम करनेके लिए इस शुद्धीकरण-सप्ताहमे अपना अन्तर्निरीक्षण करे और काग्रेसको उसके सिद्धान्तोके अनुरूप सगठन बनानेका सकल्प करे, जिससे कि वह सभी लोगोको, बिना किसी कठिनाईके, अपने सिद्धान्तोकी सजीव मर्त्ति लगे। इसकी शुद्धिके लिए मै निश्चय ही प्राथना करूँगा। इस सबसे बडे राष्ट्रीय सगठनकी विशुद्धतासे हरिजन-आन्दोलनको निश्चय ही सहायता मिलेगी, क्योकि काग्रेस इस अभिशापको मिटानेके लिए वचनबद्ध है।

अन्तमे, मै भारतके और बाहरके, हर धर्म और जातिके, सभी मित्रोसे यह चाहता हूँ कि वे यह प्रार्थना करे कि ईश्वर इस छोटी-सी आगामी तपस्याको सफल करे।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १७-८-१९३४

३१८. पत्र. मीराबहनको

७ अगस्त, १९३४

चि० मीरा,

६ बजे प्रात काल मैने उपवास शुरू किया। अब ७ बजे है। मुझे विश्वास है कि सप्ताहके इन दिनोमे तुम अशान्तिका अनुभव नही करोगी। बेचैनीका कोई कारण नही है। लेकिन मेरे इस सब-कुछ कहनेसे फायदा क्या? इस पत्रके पहुँचनेसे पहले तो उपवास दो बार पूरा हो सकता है।

अपनी चेतावनी दोहराकर तुमने बिलकुल ठीक ही किया है। (इतना लिखनेके बाद मुझे बडी नीद आने लगी, इसलिए मै सो गया था। अब सुबहके साढे सात बजे है) जबतक तुम्हे ऐसा लगता रहे कि चेतावनी देनी चाहिए, तुम देती जाओ, और वह भी जोरदार शब्दोमे। हो सकता है कि किसी दिन इसका पूरा असर

हो। कुछ अशोमे तो असर अब भी है। यह मुझे सतक रखती है। अगर [1] ने मेरा अनुकरण किया तो निश्चय ही उसके मनमे विकृति थी। क्योकि ऐसा सोचनेका तो कोई कारण नही था कि किसी अन्य व्यक्तिपर भी मेरे कामोका वैसा असर पडा था। हॉ, यह हो सकता है कि मुझे गफलतमे रखा गया हो या फिर तुम यह कहना चाहती हो कि आश्रमकी हर गिरावट मेरी आदतके कारण हुई। जहॉ तक [2]का सम्बन्ध है, जमनालालजी और स्वामी आनन्द, जिनसे [3]की लम्बी बातचीत हुई है, लगभग इस नतीजेपर पहुँचे है कि [4]ने नाजायज फायदा उठानेके लिए पूरी कहानी गढी है। वे दोनो ही श्रृखलाकी कडियोको जोडकर पूरा कर चुके है। लेकिन यह सब तो सहज ही लिख दिया है। तुम्हे इस सबसे अशान्त नही होना चाहिए। मै तो नही होता। मै जरूरी कदम उठाता हूँ और उसके बाद उसके बारेमे सब-कुछ भूल जाता हूँ। तुमने इस मामलेपर पूरा अनुच्छेद लिखा है। इसलिए यह जवाब लिख दिया है।

अभी तो मेरे मनमे बडी उथल-पुथल हो रही है। इस समय काग्रेसकी भ्रष्टता जैसा मुझे खाये डाल रही है, ऐसा पहले कभी नही हुआ। मै मित्रोसे सलाह-मशविरा कर रहा हूँ कि मेरा काग्रेस छोडकर और बाहर रहकर उसके आदर्शोको पूरा करने की कोशिश करना कहाँतक ठीक होगा।[5] भ्रष्टाचारसे मेरा बेचैन होना अच्छा है। मै जल्दबाजीमे कोई कदम नही उठाऊँगा, मगर उठाना तो है ही। मै यह सोचता हूँ कि यदि मै वर्धामे बैठ जानेको तैयार नही हूँ या विनोबा अकेले उसकी व्यवस्थाकी जिम्मेदारी नही ले लेते, तो यहॉकी लडकियोकी सस्था बन्द कर देनी चाहिए। उपवासके दिनोमे वे इसपर विचार करेगे। यही दो चीजे मेरे मनमे इस समय मुख्य है।

बाकी समाचार तुम्हे महादेव या प्यारेलालसे मिलेगे। ये दोनो और बाल, बापा, देवराज तथा पृथुराज यहॉ है। मैने जमनालालजी से कानकी तकलीफके लिए बम्बई जानेका आग्रह किया है। बा, प्रभावती और ओम यहाँ है। और वसुमती तथा अमतुस्सलामने यहॉ आनेका आग्रह किया है। अमतुस्सलाम कुछ बेहतर है, लेकिन बिलकुल ठीक नही है।

तुम्हारा वहॉका काम बेशक भारी है। तुम असाधारण शक्ति लगा रही हो। इससे ज्यादा और क्या कर सकती हो? वहाँसे लौटनेकी जल्दी न करना। बीमार न पडना।

कमलानी[6]का दिमाग खराब होना दुखद समाचार है। आशा है कि तुम्हे उसके पास जानेका समय मिला होगा। तुम्हारी उपस्थिति मात्रसे उसे लाभ होगा।

बापू

१, २, ३ और ४ नाम छोड दिये गये है।

५ जो उन्होंने अन्ततोगत्वा १७ सितम्बर, १९३४ को किया, देखिए खण्ड ५९।

६ ए० एस० कमलानी, सचिव, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया लीग, लन्दन

[पुनश्च]

अफसोस, मैं अभीतक मैक्सवेलको नहीं लिख सका हूँ।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९४) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६० से भी।

३१९ पत्र अगाथा हैरिसनको

दुबारा नहीं पढ़ा

७ अगस्त, १९३४

प्रिय अगाथा,

तुम्हारे प्रेम-पत्र बराबर मिलते रहते हैं। और चूंकि तुम मेरे पास (अभी जो) अनेकों साथी हैं, उनमें से किसी-न-किसीसे मेरे हाल बराबर पाती रही हो, इसलिए मैं तुम्हें पत्र नहीं लिखता। यह पत्र तुम्हें मैंने यह सूचित करनेके लिए लिखा है कि आज सुबह ६ बजेसे मैंने अपना छोटा-सा उपवास शुरू किया है। इसकी तुम चिन्ता न करना। लेकिन 'चिन्ता न करना' कहनेसे लाभ ही क्या है, मैं जानता हूँ कि यह पत्र तुम्हें जब मिलेगा तबतक तो उपवासकी एक हल्की-सी याद ही बाकी रह जायेगी।

मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि यह उपवास हरिजन-कार्य सम्बन्धी दौरेका सही समापन है। यह एक महान आध्यात्मिक अस्त्र है। प्रोटेस्टैंट धर्मने उपवास का एक तरहसे बिलकुल बहिष्कार कर रखा है, यह उस संस्थाके लिए स्पष्ट ही हानिकारक बात है। संसार देख रहा है कि उपवास आज एक बड़ी शक्ति है। यों मुझे इसके बारेमें बहस नहीं करनी चाहिए। यदि यह आत्माकी एक अभीष्ट वस्तु है, तो प्रोटेस्टैंट लोगोंमें भी अनेक सत्यान्वेषी ऐसे हैं जो देर-सवेर अपने धर्ममें उपवासके त्यागको कमीके रूपमें महसूस करेंगे ही।

इस महीने मैं वर्धामें आराम करूँगा और अपने विचारोंको सुसम्बद्ध करूँगा। मैं नहीं जानता कि सितम्बरमें मेरे लिए क्या बदा है। लेकिन यह मैं जानता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि सीमान्त प्रान्त या बंगाल या बारी-बारीसे दोनों जगह जाऊँ। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि पहले कहाँ जाना चाहिए। यदि तथाकथित लाल कुर्तियोंवाले लोग हिंसक हैं, तो मुझे वह बात समझ लेनी चाहिए और घोषित कर देनी चाहिए कि वे हमारे नहीं हैं। और यदि वे हिंसक नहीं हैं, तो मुझे उनको उस कलंकसे बचाना चाहिए जो उनपर लगाया गया है। जो झूठ नहीं बोलते और जो निर्णय कर सकनेमें समर्थ हैं, ऐसे लोगोंने उनकी अहिंसाको प्रमाणित किया है। ये लोग हैं, खुर्शेद नौरोजी, एल्विन और देवदास। खुर्शेद काफी देशाटन कर चुकी है और वह निष्कलंक और प्रामाणिक महिला है। एल्विनको तुम जानती हो और देव-

दासको भी तुम जानती हो। ये तीनो ही चश्मदीद गवाह है। और फिर भी ब्रिटिश सरकार उनके हिंसक होनेके बारेमे जो प्रमाण रखती है वह भी उतना ही जोरदार है। यह सभी बाते एक साथ तो नही हो सकती। यह पहेली केवल तभी सुलझ सकती है जब मुझे जानेकी और उनके बीच रहनेकी इजाजत दे दी जाये। यह एक सैद्धान्तिक आवश्यकता है, जो बगाल जानेकी अपेक्षा एक दृष्टिसे ज्यादा आवश्यक है। मै सत्यका पता लगानेके लिए सीमात जाऊँगा और तदनुसार काम करूँगा। मै बगाल किसी सत्यका पता लगाने नही बल्कि आतकवादियोको आतकवादसे अलग हटानेका प्रयत्न करने जाऊँगा। अब्दुल गफ्फार खाँ और जवाहरलालकी कैद एक बेचैन करनेवाली, सवथा अनावश्यक और खीझ उत्पन्न करनेवाली बात है। लेकिन उनका यह कैदमे रहना जहाँ मुझे चिन्तित करता है, वहाँ अभी इसमे मुझे सघष छेडनेका पर्याप्त कारण नही दिखाई देता। अब तुम्हे मेरे मस्तिष्ककी रूपरेखा मिल गई। महीनेके अन्ततक मेरे सोचनेकी ऐसी ही दिशा रहनेवाली है। इस समय मेरा मस्तिष्क इस बातमे लगा है कि काग्रेसकी शुद्धि कैसे की जाये और यहाँ आश्रमको छोटे-मोटे असत्य और ब्रह्मचय-भगके मामलोसे कैसे मुक्त किया जाये। शायद तुम इस तरहकी चीजोमे काफी दिलचस्पी नही रखती हो। इस समय डॉक्टरोकी एक फौजने मेरे लिखनेमे बाधा डाल दी है। उन्होने शारीरिक प्रक्रियाको बिलकुल दुरुस्त कर दिया है और वे कहते है कि उपवासके इस प्रथम दिन भी मुझे लिखनेका काम बिलकुल नही करना चाहिए। इसलिए अब बस और बहुत-बहुत प्यार।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७८) से।

३२०. भाषण: प्रार्थना-सभा, वर्धामे[1]

७ अगस्त, १९३४

मै अपने अनुभवके आधारपर कह सकता हूँ कि उपवास आश्रम-जीवनका एक आवश्यक अग है। लालनाथ पर हमला निश्चय ही उपवासके योग्य अवसर था। लेकिन जैसाकि मैने अपने सार्वजनिक वक्तव्य[2] मे कहा है, इस उपवासका उद्देश्य अनेक लोगोका शुद्धीकरण है। यदि मै उन सब घटनाओ और बातोका ध्यान रखता जिन्होने मुझे यह कदम उठानेके लिए उकसाया है, तो मुझे कही ज्यादा लम्बा उपवास करना चाहिए था। लेकिन मुझे दु:खपूवक यह प्रतीति है कि मेरी अपनी

१ यह महादेव देसाईके "शुद्धीकरण सप्ताह" से उद्धृत है। महादेव देसाईने बताया है "सुबहकी प्राथना और ५.३० बजे अतिम आहार लेनेके बाद उपवास ६ बजे सुबह शुरू हुआ। प्रार्थनाके बाद गाधीजी ने कुछ शब्द कहे ।"

२ देखिए पृ० ३१३ १४।

शारीरिक और आध्यात्मिक सीमाएँ क्या है, इसीलिए मै अधिक लम्बे उपवासकी बात नही सोच सका।

जब मैने उपवास करनेका निर्णय किया, उस समय निश्चय ही हमारा आश्रम मेरे ध्यानमे था। असत्य और अशुद्धि हमारे दो ऐसे शत्रु है जिनसे हमे सावधान रहना ही है। सभी बचनोके पालनके लिए बुद्धिकी शुद्धि अत्यावश्यक है। यदि बुद्धि शुद्ध नही है, तो कितना ही शारीरिक सयम क्यो न हो, कोई लाभ नही होगा। 'गीता' हमे शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति इन्द्रियोका दमन करता है लेकिन साथमे विषयोके पीछ मनको लगा रहने देता है, वह मिथ्याचारी है।[1] हो सकता है कि हम बुद्धिको सयमित करनेमे सफल न हो सके, लेकिन हमे मिथ्याचारी नही बनना चाहिए। यदि हम सफल न हो सके तो हमे वैसा स्वीकार करना चाहिए, बजाय इसके कि असत्य और सयमके अभावके दोहरे पापके भागी बने। क्योकि केवल झूठ बोलना ही असत्य नही है, अपराधयुक्त मौन या अपने अभिभावकसे अपनी सही मन स्थिति छिपाना भी असत्य है। मेरा उपवास आपको और अधिक आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण करनेके लिए प्रेरित करे।

हमे यह भी याद रखना है कि आश्रमके उद्देश्योमे से एक उद्देश्य अस्पृश्यता खत्म करना भी है, यह हमारी ग्यारह प्रतिज्ञाओमे[2] से एक है। इस प्रतिज्ञाका प्रभावशाली ढगसे पालन कर सकना अन्य प्रतिज्ञाओके पालनके बिना असम्भव है, खासकर सत्य और अहिसाके पालनके बिना। वास्तवमे कोई भी कायकत्ता जो अस्पृश्यता-निवारण कायमे लगा है — और हम सभी ऐसे कार्यकर्त्ता है — इस काम के लिए तबतक उपयुक्त नही जबतक वह मनसा-वाचा-कर्मणा सत्य और अहिसा का पालन करनेको वचनबद्ध नही है। एक शब्दमे कहे तो आत्मशुद्धिके बिना कोई सेवा-कार्य नही हो सकता। इसलिए यदि इस उपवासके परिणामस्वरूप हम अधिकाधिक आत्मशुद्धिकी बात सोचे तो सही वातावरण बना सकेगे। मै इस सप्ताह-भर बराबर आपके बारेमे सोचता रहूँगा। मै चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सहयोग करे। मै आशा करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस अग्नि-परीक्षासे बाहर निकालेगा। मुझे विश्वास है कि आप सबकी प्राथनासे मुझे मदद मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-८-१९३४

१ **भगवद्गीता,** अध्याय ३, श्लोक ६।

२ देखिए खण्ड ३६, पृ० ४१९-२३।

३२१ टिप्पणी : मौन-दिवसपर

[१३ अगस्त, १९३४]

जानकीबहनसे कहना कि व्यर्थ हठ न करे। बहुत करके ऑपरेशनके[१] वक्त मै वहाँ पहुँच जाऊँगा। दो-चार दिनोमे मेरी शक्ति लौट आयेगी। मेरा आना न भी हो, तो भी कोई हर्ज नही। किन्तु ऑपरेशनमे देर करनेकी जोखिम नही लेनी चाहिए। मेरी इच्छा तो आज ही तार[२] भेजनेकी है। ईश्वरकी कृपा हुई तो हम दोनो ही वहाँ हाजिर होगे। किन्तु इसके लिए ऑपरेशन न रोका जाये।

[गुजरातीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १२६

३२२ तार : जमनालाल बजाजको

१३ अगस्त, १९३४

जमनालालजी,
पोलीक्लिनिक, क्वीन्सरोड, बम्बई-८

मैं बिलकुल ठीक हूँ। पत्र सुना और उसपर ध्यान दिया। मेरा निश्चित मत है कि हर हालतमे डॉक्टर द्वारा निर्धारित तारीख पर ऑपरेशन होना ही चाहिए। निश्चित तारीखकी सूचना तारसे दो।

बापू

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १२६

१ जमनालाल बजाजके कानके रोगसे सम्बद्ध।

२ देखिए अगला शीर्षक।

३२३ तार नारणदास गांधीको[1]

१४ अगस्त, १९३४

नारणदास गाधी
मिडिल स्कूलके सामने
राजकोट

ईश्वरको धन्यवाद। उपवास तोड दिया। ठीक हूँ।

बापू

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४०७ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

३२४ पत्र जवाहरलाल नेहरूको

१४ अगस्त, १९३४

प्रिय जवाहरलाल,

यद्यपि परिस्थिति ऐसी सकटपूण नही है, फिर भी तुम्हारी रिहाईसे[2] मेरे मन का बडा बोझ उतर गया है, क्योकि कमलाकी तीन-चौथाई बीमारीकी दवा तो इसीसे हो जायेगी। मैंने जितने भी महत्वपूर्ण कदम उठाये, उन सबमे तुम्हारी अनुपस्थिति बहुत महसूस की। लेकिन उनके बारेमे मिलनेपर बात होगी।

मै ठीक हूँ, हालाँकि अन्तिम दिन सब दिनोसे ज्यादा कष्टप्रद साबित हुआ और उसने मुझे पूरी तरह तोड दिया। लेकिन मुझे कोई सन्देह नही कि मैं जल्दी ही फिर ताकत हासिल कर लूँगा।

खैर, यह पत्र तुम्हे यह सुझाव देनेके विचारसे लिख रहा हूँ कि कोई सावजनिक राजनीतिक घोषणा तुम्हे नही करनी चाहिए। मैंने महसूस किया है कि घरमे कोई बीमारी या दुख आ पडनेपर सरकारने शिष्ट ढगका बर्ताव किया है। इस-लिए मुझे यह जरूरी लगता है कि हम इस तरहकी प्राप्त आजादीका किसी अन्य ऐसे

१ एक बिलकुल ऐसा ही तार (सी० डब्ल्यू० ७९६८) घनश्यामदास बिड़लाको भी इसी दिन बिड़ला मिल्स, दिल्लीके पतेपर भेजा गया था।

२ जवाहरलालजी ने तार द्वारा गाधीजी को सूचित किया था "मुझे कमलाके साथ रहनेकी इजाजत दे दी गई है। स्थिति साफ नही है। आशा है कि आप ठीक हैं।"

उद्देश्यके लिए उपयोग न करे जो सरकारकी नीतिसे सगति न रखता हो। हम सरकारके शिष्ट बर्त्तावको इसी तरह स्वीकार करे। मुझे लगता है कि यह सरकार के प्रति और स्वय अपने प्रति हमारी देनदारी है, खासकर उस समय जब सत्याग्रह मुल्तवी है। यदि मेरी दलील तुम्हारी विवेक-बुद्धिको जॅचती है, तो तुम अपने आत्मसयमको सही ढगसे प्रकट करोगे। मै आशा करता हूँ कि तुम कमलाका हाल बेहतर हो जानेपर यहाँ आओगे। मै महीनेके अन्ततक वर्धा रहूँगा, सिवाय इसके कि शायद मुझे जमनालालजी के नाजुक ऑपरेशनमे महीनेके बीचमे ही बम्बई जाना पडे।

आशा है कि मा और कृष्णा ठीक चल रही है। मुझे लिखना कि इस बार तुम जेलमे कैसे रहे।

सस्नेह।

बापू

[अग्रेजीसे]

गाधी-नेहरू कागजात, १९३४, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय।

३२५ पत्र : हीरालाल शर्माको

१४ अगस्त, १९३४

दुबारा नहीं पढा

चि० शर्मा,

शरनामे[1] मे मेरी गलती हो गई। इसका दु:ख है। होनी नहिं चाहिये थी। रामदासके हाल तुमारी दृष्टिसे लिखो।

अमतुल सलामको तुमने पैसे भेजे सो तो अच्छा नहिं था। तुमारे पास अब दान करनेके पैसे कहा है? अमतुल सलामकी ऐसी हालत भी नहिं जिस लिये किसी न किसी तरह उसे मदद पहोचाना आवश्यक था। मैंने उससे बताया है उसका धर्म इस तरह पैसे नहिं लेनेका था। वह समझ गई है। मित्रताका यह कभी अर्थ नहिं है कि हम एक दूसरोके दौबल्यको पोषे। उसका हेतु है एक दूसरोकी उन्नति करना। इसे मैं नैसर्गिक उपचारकके अभ्यासका विषय मानता हू। नैसर्गिक उपचारक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक व्याधिको पहचानता है, उसका इलाज करता है और वह ज्यादातर आतरिक शक्तियोके विकाससे। उसमे पृथ्वी, पाणी, आकाश, तेज और वायुकी मदद ली जाती है। नैसर्गिक उपचारकसे आत्माकी अधोगति अशक्य होनी चाहिए। इस दृष्टिसे अमतुल सलामका केइस लो। उसे हृदय दौबल्य है। यह एक व्याधि है। पैसा उडाना उसकी दुर्बलता है। फिर भी अपने घरसे पैसे लेनेसे

१ पत्रमें गलतीसे गाधीजी ने पता खुर्जाकी जगह खुर्दा लिख दिया था।

हिचकचाती है। उसको पैसे भेजना अधोगति-वधक है। न भेजना उन्नति-वर्धक है। नैसर्गिक उपचारक पैसे नहिं भेजेगा।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, (१९३२-४८), पृ० ८६-८७के बीचकी प्रतिकृति।

३२६ बातचीत : गुजरात विद्यापीठके शिक्षकोंके साथ[1]

[१४ अगस्त, १९३४के पश्चात्][2]

विद्यापीठका असली काम तो गाँवोमे है। मै विद्यापीठके जन्मसे ही इस बात पर जोर देता आ रहा हूँ। लेकिन दो साल पहलेतक, जबतक कि विद्यापीठ एक गैर-कानूनी सस्था घोषित नही कर दी गई और हमारे अधिकाश शिक्षक व बालक कैद नही कर लिये गये, हम इस भ्रममे पडे रहे कि हमारा काम केवल गुजरातकी राजधानीमे स्थित केन्द्रीय प्रतिष्ठानके जरिये ही चलाया जा सकता है। लेकिन बदले हुए हालातमे, अब हमे थोडा-सा दम लेनेका वक्त मिल गया है और हम आपसमे मिलकर शान्तिसे विचार कर सकते है। इसलिए यदि हम अपनी मूल धारणापर फिरसे गौर करके अपने भावी कायक्रमपर विचार करे तो अच्छा होगा। एक जीवित सस्थाके प्रत्येक सदस्यको जहा-कही भी वह जाये, सस्थाके आदर्शोकी सजीव मूर्ति होना चाहिए। और यदि ऐसी हालत हो जाये, तो फिर चाहे सस्थाका कोई विशेष स्थान अथवा सघबद्ध अस्तित्व हो या न हो, अन्तर नही पडेगा।

इसलिए मैं आपमे से हर व्यक्तिसे, जिसने विद्यापीठके आदर्शोको दिलसे अपनाया है और जो विद्यापीठकी सेवा करनेको वचनबद्ध है, आशा करता हूँ कि वह सीधा गाँवोमे जायेगा और वहाँ उन आदर्शोके अनुसार रहना शुरू कर देगा। इस तरह आपमे से हर व्यक्ति ऐसा जगम विद्यापीठ होगा जो अपने व्यक्तिगत उदाहरणसे उसके आदर्शोंकी शिक्षा देता रहेगा। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि कुछ कार्यकर्त्ताओका समूह विद्यापीठके आदर्शोके अनुसार गाँवोमे जीवन बितानेके बाद किसी गाँवमे फिरसे केन्द्रीय सस्थानकी स्थापना करे। लेकिन अभी हम उस स्थितिमे नही है। हमे अभी वह सारा अनुभव हासिल करना है, जिसके आधारपर ही आप नया विद्यापीठ बना सकते है।

१ गांधीजी की बातचीतका यह साराश "गाँवोका काम क्या है" शीर्षकसे महादेव देसाईकी निम्नलिखित परिचयात्मक टिप्पणीके साथ छपा था "उपवासके बाद अपने विश्राम कालमें गांधीजी प्रतिदिन थोड़ा समय शकाएँ व कठिनाइयाँ लेकर आनेवाले कार्यकर्त्ताओंको देते रहे है। इनमें से कुछ गुजरात विद्यापीठके शिक्षक थे।

२ गांधीजी ने १४ अगस्त, १९३४ को अपना उपवास तोड़ा था।

इस गॉवके कार्यकर्त्ताके जीवनका केन्द्रबिन्दु चरखा होगा। मुझे खेद है कि मै अभीतक किसीको भी चरखेका सन्देश सम्पूर्ण निहितार्था सहित समझा नही सका हूँ। कारण यह है कि मेरा जीवन खुद उस सन्देशकी सच्ची अनुगूँज नही है। भारतमे अपने नौ महीनेके परिभ्रमण-कालमे बार-बार यह बात मेरी समझमे आई है। हमने अभीतक यह चीज काफी महसूस नही की है कि हाथ-कताई भारत मे सर्वत्र उपयोगमे लाया जा सकनेवाला एक पूरक उद्योग है और उसका काफी विस्तार हो सकता हे। गाँवका बुनकर चरखेके बिना टिक ही नही सकता। इसमे सन्देह नही कि आज उसे मिलोसे सूत मिलता है, लेकिन यदि उसे हमेशाके लिए मिलोपर निभर रहना पडा तो उसका विनाश अवश्यम्भावी है। आज हमारे आर्थिक जीवनमे चरखेका स्थान केवल उस हदतक बन पाया है कि वह खादी-बुनकरोके उस नये वगके लिए, जो पिछले दशकमे तैयार हुआ है, कपडोकी जरूरत पूरी करे। लेकिन चरखा-सघ जैसी बडी सस्था इस सीमित कामके लिए ही अपने अस्तित्वका औचित्य नही सिद्ध कर सकती। खादीके पीछे यह भावना है कि यह खेतीबाडी के कामका एक पूरक उद्योग है और उसके साथ पनपकर उन लाखो हरिजन बुनकरो के जीवनका सहारा बन सकता है जो खादी बेचकर अपना गुजारा करते है। पर जबतक हम अपने गाँवोसे आलस्य नही मिटा देते और गाँवके हर घरको पूरा काम नही दे पाते तबतक यह नही कहा जा सकता कि चरखा हमारे जीवनमे अपने उचित स्थानपर आसीन हो चुका है। लाखो लागोकी बेरोजगारी और आलस्यके परिणामस्वरूप हिंसक सघष होना अवश्यम्भावी है। इसका एकमात्र विकल्प खादी है, तथाकथित समाजवाद नही जो कि उद्योगवादको मानकर ही चलता है। भारत जिस समाजवादको अपना सकता है, वह चरखेका समाजवाद है। इसलिए गावके कार्यकर्त्ताको अपनी गतिविधियोका केन्द्रबिन्दु चरखेको बनाना चाहिए।

कार्यकर्त्ता न केवल नियमित रूपसे कताई करेगा, बल्कि वह अपनी रोटी कमाने के लिए बसूले, फावडे चलाना या अन्य ऐसे ही किसी कामको अपनायेगा। सोनेके और आराम करनेके आठ घटोके अलावा उसका सारा समय पूरी तरहसे किसी न किसी काममे लगेगा। उसके पास नष्ट करनेको समय होगा ही नही। वह न खुद आलस्य करेगा और न अन्य लोगोको आलस्य करने देगा। उसका जीवन सदा अपने पडोसियो के लिए निरन्तर और आनन्दप्रद उद्योगका सबक होगा। शरीरकी शक्तिके लिए शारीरिक श्रम और मस्तिष्कके सस्कारके लिए बौद्धिक श्रम जरूरी है। श्रमका विभाजन तो होगा, लेकिन विभाजन विभिन्न प्रकारके शारीरिक श्रमोमे होगा, न कि ऐसा कि बौद्धिक श्रम एक वगमे सीमित हो जाये और शारीरिक श्रम दूसरे वर्गमे। हमारे बीच व्याप्त अनिवार्य या स्वैच्छिक आलस्य हमे समाप्त करना ही होगा। यदि ऐसा नही होता, तो किसी भी रामबाण औषधिसे कोई लाभ नही होगा और अर्ध-भुख-मरी आज की तरह शाश्वत समस्या बनी रहेगी। जो व्यक्ति दो दाने खाता है, उसे चार पैदा करने चाहिए। जबतक यह नियम सब लोग स्वीकार नही कर लेते, तबतक जनसख्याको कितना ही कम क्यो न कर लिया जाये, समस्या हल नही

होगी। यदि यह नियम स्वीकार कर लिया जाता है और उसका पालन किया जाता है, तो हमारे पास भविष्यमे लाखो और लोगोके लिए भी गुजाइश बनी रहेगी।

इस प्रकार गावका कायकर्त्ता उद्योगकी जीती-जागती प्रतिमा होगा। वह खादी के लिए कपास उगाने और कताई करनेसे लेकर बुनाईतक की सभी प्रक्रियाओमे सिद्धहस्त बनेगा और एकाग्र होकर इनमे पूरी कुशलता प्राप्त करनेका प्रयत्न करेगा। वह इसे यदि विज्ञानकी तरह मानेगा, तो इसकी महान सम्भावनाओको अधिकाधिक समझता जायेगा और ऊबेगा नही, बल्कि उसे प्रतिदिन इससे आनन्द प्राप्त होगा। वह गाँवमे जितना सिखानेकी दृष्टिसे जायेगा, उतना ही सीखनेकी दृष्टिसे भी। वह शीघ्र समझ लेगा कि सीधे-सादे ग्रामीणोसे उसे काफी-कुछ सीखना है। वह ग्रामीण जीवनकी हर छोटीसे-छोटी बातको समझेगा, ग्रामीण उद्योग-धन्धोका पता लगायेगा और उनके विकास तथा उनमे सुधारकी सम्भावनाओकी जाँच करेगा। हो सकता है कि वह ग्रामीणोको खादीके सन्देशके प्रति सवथा उदासीन पाये, लेकिन वह अपने सेवामय जीवन द्वारा खादीमे उनकी रुचि पैदा करेगा, खादीकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करेगा। निश्चय ही वह अपनी सीमाएँ नही भूलेगा और खेतीबाडी सम्बन्धी कजकी समस्या सुलझानेमे, जो उसके लिए व्यथका काम है, नही लगेगा।

सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमोकी ओर उसे काफी ध्यान देना होगा। उसका घर और चारो ओरका इलाका तो सफाईका नमूना होगा ही, वह झाडू और बाल्टी उठाकर सारे गाँवमे भी सफाईके कामको आगे बढायेगा।

वह गॉवमे दवाखाना बनानेका या गॉवका डॉक्टर बननेका प्रयत्न नही करेगा। ये ऐसे जाल है जिनसे बचना चाहिए। अपने हरिजन-काय सम्बन्धी दौरेमे मै एक ऐसे गॉवमे पहुँचा जहॉ हमारे एक कायकर्त्ताने एक आलीशान इमारत बनाकर उसमे दवाखाना खोल रखा था और आसपासके गॉवोको मुफ्त दवा बाट रहा था। यह नादानी है। यहॉतक कि स्वयसेवक घर-घर जाकर दवाएँ देते थे। मुझे बताया गया कि दवाखानेके रजिस्टरमे महीने-भर मे १२०० मरीजोके नाम आ जाते है। स्वाभाविक रूपसे मुझे इसकी कडी आलोचना करनी पडी। मैने उससे कहा कि गावमे काम करनेका यह तरीका नही है। बजाय इसके कि वह बीमारियोको दूर करनेकी कोशिश करे, उसका कत्तव्य तो गॉवके लोगोको स्वास्थ्यके नियम और सफाईकी आदत सिखाकर उन्हे बीमारीसे बचनेका तरीका बताना है। मैने उससे महल-जैसी इमारत छोड देनेको और उसे स्थानीय बोर्डको किरायेपर दे देनेको कहा और उसे एक घास-फूसकी झोपडीमे रहनेको कहा। दवाओमे सिफ कुनैन, अरडीका तेल और आयोडीन-जैसी चीजे ही रखनेकी जरूरत है। कायकर्त्ताओको इस बातपर अधिक ध्यान देना चाहिए कि वे लोगोको यह महसूस करायें कि हर हालतमे निजी तथा गॉवकी सफाई बनाये रखनेका कितना महत्व है।

इसके साथ कायकर्त्ता गाँवके हरिजनोके कल्याणमे दिलचस्पी लेगा। उसका घर उनके लिए खुला रहेगा। वास्तवमे वे अपनी परेशानियो और कठिनाइयोमे उसके पास

आयेगे। यदि गाँवके लोग अपने-बीच स्थित उसके घरमे हरिजन मित्रोका आना बर्दाश्त न करे, तो उसे अपना आवास हरिजन-बस्तीके बीच बनाना होगा।

कुछ शब्द अक्षरज्ञानके बारेमे कहूँगा। इसका अपना महत्व है, लेकिन इसपर जरूरतसे ज्यादा जोर देनेके विरुद्ध मै आपको चेतावनी देना चाहूँगा। यह मानकर मत चलिए कि बच्चो या बालिगोको पढना-लिखना सिखाए बगैर आप ग्रामीणोके प्रशिक्षण कायमे आगे नही बढ सकते। अक्षरज्ञानके बिना भी मौजूदा हालातकी और इतिहास, भूगोल तथा प्राथमिक हिसाब-किताबकी काफी उपयोगी जानकारी मौखिक रूपसे दी जा सकती है। शिक्षाके क्षेत्रमे आख, कान और जीभका स्थान हाथसे पहले आता है। लिखनेसे पहले पढनेका और वणमालाके अक्षरोका रूप खीचनेसे पहले चित्र खीचनेका स्थान है। यदि यह स्वाभाविक तरीका अपनाया जाये, तो बच्चोकी बुद्धिको विकासका ज्यादा अच्छा अवसर मिलेगा। बच्चोका प्रशिक्षण वणमालासे शुरू करके उनकी बुद्धिपर जोर डालनेसे यह अविक अच्छा है।

कायकर्त्ताका जीवन गावके निवासियोके जीवन जैसा होगा। वह ऐसा नही जाहिर करेगा कि वह अपनी पुस्तकोमे डूबा हुआ कोई ऐसा साहित्यिक है जिसे जीवनके शोरगुलकी बाते सुननेसे नफरत है। इसके विपरीत, जब कभी लोग उससे मिलेगे, वे उसे अपने औजारो अर्थात् चरखा, करघा, बसूला-फावडा आदिमे व्यस्त पायेगे और वह उनकी छोटी-से-छोटी बातका सही जवाब देगा। वह हमेशा अपनी रोजीके लिए काम करनेका आग्रह रखेगा। परमेश्वरने हर व्यक्तिको अपनी रोजकी जरूरतसे ज्यादा कमानेकी ताकत दी है और यदि वह अपनी सूझ-बूझ इस्तेमाल करेगा तो अपने कौशलके अनुकूल धन्धेकी उसे कभी नही होगी, फिर यह कौशल कितना ही कम क्यो न हो। बल्कि इस बातकी ज्यादा सम्भावना है कि खुद लोग खुशीसे उसका भरण-पोषण करे, लेकिन यह भी असम्भव नही कि कुछ जगहोमे वे उसके प्रति उदासीनता बरते। फिर भी वह तो अपने रास्तेपर बढता ही रहे। हो सकता है कि कुछ गाँवोमे अपनी हरिजन-समर्थक गतिविधियोके कारण उसका बहिष्कार किया जाये। उस दशामे उसे हरिजनोके पास जाना चाहिए और उनसे भोजन प्राप्त करनेकी अपेक्षा करनी चाहिए। मजदूर हमेशा अपनी मजदूरी पानेका हकदार है। यदि वह ईमानदारीसे उनकी सेवा करता है, तो उसे हरिजनोसे भोजन स्वीकार करनेमे सकोच नही करना चाहिए। अलबत्ता वह उनसे जितना लेता हो उससे ज्यादा उसे उनकी सेवा करते रहना चाहिए। बिलकुल शुरूमे किसी केन्द्रीय कोषमे से वह बहुत थोडा-सा भत्ता लेगा, सो भी जहाँ ऐसा सम्भव हो।

गायका प्रश्न मैने जान-बूझकर छोड दिया है। गाँवके कार्यकर्त्ताके लिए इस मसलेको हल करनेमे कठिनाई होगी। वह इसका प्रयत्न न करे। वह लोगोको इस सवालके सिद्धान्त भर बताये। हम अभीतक मरे हुए ढोरके चमडेको पकाने और रगनेका सबसे अच्छा तरीका नही खोज पाये है और न ही गोरक्षाका सर्वोत्तम उपाय हमारे हाथ लगा है। गुजरातमे भैसोकी समस्यासे स्थिति और भी जटिल है। हमे

लोगोको यह महसूस करवाना है कि भैंसोको तरजीह देनेका अर्थ गायको मरने देना है। लेकिन इस विषयमें और अधिक फिर किसी समय कहूँगा।

याद रखें कि हमारे साधन आध्यात्मिक है। यह ऐसी ताकत है जो यद्यपि अनदेखे काम करती है लेकिन इसका काम अमोघरूपसे प्रभावकारी होता है। इसकी प्रगति गणित-जैसी नही ज्यामिति-जैसी है। जबतक इसके पीछे इसे संचालित करने-वाली कोई शक्ति है, तबतक यह कभी नही चुकती। इसलिए आपकी समस्त गति-विधियोकी आधारभूमि आध्यात्मिक होनी चाहिए। और इसीलिए आचरण तथा चरित्र पूरी तरह शुद्ध रखनेकी जरूरत है।

आप मुझसे यह न कहे कि यह एक असम्भव कार्यक्रम है और हममे इसके लिए योग्य गुण नही है। आपने अबतक यह कार्यक्रम पूरा नही किया है, यह बात भी आपके रास्तेमे रुकावट नही बननी चाहिए। यदि यह आपके विवेक और हृदयको ठीक जँचता है, तो आपको इसे करनेमे झिझकना नही चाहिए। प्रयोग करनेमे शर्म महसूस मत कीजिए। प्रयोग स्वतः अधिकाधिक प्रयत्नको गति प्रदान करेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३१-८-१९३४

३२७. "ईश्वर धन्य है"

[१५ अगस्त, १९३४][1]

यह खुशी की बात है कि मेरे इस उपवासके औचित्य के बारेमे किसीने शंका नही उठाई। इसके विपरीत जिन्होने इस उपवासके विषयमे लिखा है, उन्होने यह कबूल किया है कि उपवास करना आवश्यक था। उपवासका आध्यात्मिक मूल्य मेरी दृष्टिमे इतना अधिक रहा है कि मै उसे आँक नही सकता। मै नही जानता कि ऐसा क्यो है, पर इसमे कोई सन्देह नही कि जब मनुष्यपर संकट आता है, तो वह उसी तरह सर्वतोभावेन भगवानसे चिपट जाता है जिस तरह कि कष्टमे अबोध बच्चा अपनी माँसे चिपट जाता है। मेरा चित्त प्रसन्न तो रहा, पर यह बात नही कि और उपवासोकी तरह इस उपवासमे शारीरिक कष्ट न हुआ हो। हाँ, अस्वस्थता के कारण किये गये उपवासकी बात दूसरी है।

सैकडो सार्वजनिक सभाओमे मैने चीख-चीखकर यह कहा है कि जबतक हरिजन-सेवकोका चरित्र कुन्दन-सा शुद्ध नही हो जाता, तबतक अस्पृश्यता दूर होने की नही। अपने इस कथनमे अन्तर्निहित भावोको इन सात दिनोमे मै और भी अधिक स्पष्टतासे समझ सका हूँ। इसलिए मै आशा करता हूँ कि इस उपवासने मेरी आत्मशुद्धिका मतलब तो पूरा कर दिया। उपवास-कालमे जिस आदर्शकी मैने झाँकी देखी है, बहुत सम्भव है कि उसतक पहुँचनेमे मुझे सफलता न मिले। किन्तु किसी

१ देखिए "भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोको", पृ० ३३३-३४।

भी उपवाससे इस बातकी गारटी नही हो जाती कि मनुष्यसे आगे कोई भूल होगी ही नही। आखिर हम लोग ठोकरे खाकर ही तो सफलता प्राप्त कर सकते है।

इस उपवासका उद्देश्य, कहनेके लिए तो, अजमेरमे हरिजन-आन्दोलनके समथको द्वारा स्वामी लालनाथ और उनके साथियोको जो चोट पहुँचाई गई थी, उसके लिए प्रायश्चित्त करना था। पर असलमे इसका उद्देश्य आन्दोलनसे सहानुभूति रखनेवालोसे तथा कार्यकर्त्ताओसे यह अनुरोध करना था कि वे अपने विरोधियोके साथ सही और शिष्ट व्यवहार करे। विरोधियोके प्रति अधिकसे-अधिक सौजन्य दिखाना आन्दोलनके हकमे सबसे सुन्दर प्रचार-कार्य होगा। कार्यकर्त्ताओको इस सत्यका ज्ञान करानेके लिए यह उपवास किया गया था कि हम अपने विरोधियोको प्रेमके बलसे ही जीत सकते है, घृणासे कभी नही। घृणा हिसाका ही एक सूक्ष्म रूप है। घृणाका भाव मनमे रखते हुए हम पूण अहिसात्मक नही बन सकते। यह तो मोटीसे-मोटी बुद्धिवाला भी समझ सकता है कि हिसाके द्वारा करोडो सवण हिन्दुओके दिलसे अस्पृश्यताकी बुरी भावनाको, जिसे 'धर्म समझना' उन्हे सिखाया गया है, दूर करना असम्भव है।

अबतक प्राप्त प्रमाणोसे तो यही प्रकट होता है कि मेरे इस उपवासने अनेक कायकर्त्ताओकी अन्तरात्माको सचेत कर दिया है। उपवासका कितना और कैसा प्रभाव पडा है, इसे तो सिर्फ समय ही बतला सकेगा। उपवासके असरका हिसाब लगाना मेरा काम नही है। मेरे लिए तो नम्रतापूवक अपने स्पष्ट धर्मका आचरण करना ही काफी था। ईश्वर धन्य है कि उसकी कृपासे मै यह उपवास सकुशल पूरा कर सका। पाठक भी मेरे साथ यह प्रार्थना करे कि जो काम ईश्वरने मुझे सौप रखा है, उसे पूरा कर सकनेकी पवित्रता और शक्ति वह मुझे और भी अधिक दे।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १७-८-१९३४

३२८. पत्र : जमनालाल बजाजको

१५ अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

उपवासके बाद यह पहला पत्र लिख रहा हूँ। मजेमे हूँ। आज दूध लिया है। रक्तचाप अच्छा है। इसलिए मेरी चिन्ता न करो। जानकीबहन जबतक वहाँ रहना चाहे तबतक उन्हे रहने दो। ओमको ज्यादा दिनतक वहाँ रखने की शायद जरूरत न हो। अच्छा है कि महादेव और मदनमोहन वहाँ आ रहे है। उनका जाना मुझे आवश्यक मालूम हुआ। भले ही लौट सके तो वह कल वापस लौट आये। यहाँ कोई उलझन नही होगी। अत हृदयमे रामको अकित करते हुए

क्लोरोफार्म लेना। यहा सब कुशल है। ईश्वरको तो तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। बहुत-कुछ अर्पण कराना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३७) से।

३२९ तार . मोहनलाल सक्सेनाको[1]

[१६ अगस्त, १९३४ या उससे पूर्व]

आशा है कि सभी काग्रेसी काग्रेसके फरमानका आदर करेगे।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-८-१९३४

३३० पत्र मीराबहनको

१६ अगस्त, १९३४

दुबारा नहीं पढा

चि० मीरा,

मैंने तुम्हे उपवास शुरू करनेके बाद मगलवार ७ तारीख[3]को पत्र लिखा था। आज गुरुवार और उपवास तोडनेके बाद तीसरा दिन है। अन्तिम दिन शारीरिक कष्टमे बीता। शायद कल्याण इसीमे हो। मुझे शारीरिक यातना न हो तो प्रायश्चित्त का मूल्य ही क्या? कष्ट अनुभव न हो, तो 'कष्ट भोगनेका आनन्द' इस वचनके कोई मानी ही नही। 'कष्ट भोगनेका आनन्द' इन शब्दोका अथ मुझे पहलेकी अपेक्षा सोमवारको ज्यादा पूरी तरह मालूम हुआ। इस खजानेको पाकर मै इतना सम्पन्न हो गया कि उसे मै किसी राज्यके बदले भी जाने न देता।

यह तो हुआ। जिस समय मै यह पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि शक्ति धीरे-धीरे आ रही है। यह पत्र मैं वसुमतीके सहारेसे छतपर थोडा टहलनेके बाद लिखने बैठा हूँ। वह, अमतुलसलाम और अमला बराबर मेरे साथ रहे हैं। प्रभावती तो है ही। इन दिनो उसने बहुत परिश्रम किया। समझमे नही आता

१ और २ साधन सूत्रमें बताया गया है कि यह तार गाधीजी द्वारा सयुक्त प्रान्त ससदीय बोर्डका चुनाव अभियान प्रारम्भ होनेके समय भेजा गया था। यह "कानपुर, १६ अगस्त" की तिथि पंक्तिके अन्तर्गत छपा था।

३ देखिए पृ० ३१४-१५।

उसमे इतनी सारी ताकत आती कहाँसे है। कभी थकी हुई नही दीखती। अमला हमेशा-जैसी पगली है। लेकिन मेरे साथ वह दूसरी जगहोसे ज्यादा अच्छी तरह रहती है।

तुम्हे इस बातपर खेद या क्रोध नही होना चाहिए कि मैने अभीतक कैदियोके बारेमे श्री मैक्सवेलको नही लिखा है। बात हमेशा मेरे ध्यानमे रही, लेकिन समयकी कमीके कारण लिख नही पाया।

तुम्हे उस हरे कैन्वसके थैलेकी याद है जिसमे मेरी गीता, भजनावली और ऐसी ही अन्य चीजे थी। वह तथा हरी खादीवाला थैला मुझे कही दिखाई नही दे रहा है। मैने सोचा था कि तुमने उन्हे वर्धामे अन्य चीजोके साथ रख दिया होगा। लेडी ठाकरसीके यहाँ जो खादीका बण्डल तुमने रखा था, वह भी गुम है।

यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम वहाँ तन्दुरुस्त नही रही। आशा है, तुमने ताजे फल और सलाद लेना छोड नही दिया होगा। परिश्रम करनेकी स्थितिमे बने रहनेके लिए वहाँ ये चीजे जरूरी है।

अपने ऑक्सफोर्डवाले चाचा[1] के यहा जानेका तुम्हारा वणन दिलचस्प है। किसी-न-किसी कारण वह अण्डाकार इटालियन चेहरा[2] मुझे बहुत आकर्षित करता है। इसलिए शिशुके तुम्हारे सुन्दर वणन पर मुझे आश्चर्य नही हुआ।

आज बम्बईमे कानकी तकलीफके लिए जमनालालजी का ऑपरेशन होगा। जानकीबहन, ओम और महादेव इस कामके लिए बम्बई गये है। शायद इस पत्रमे ऑपरेशनका परिणाम लिखा होगा।[3]

सस्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९५) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६१ से भी।

१ मूलमें गांधीजी ने 'कज़िन' लिखा था, जिसे मीराबहनने पेन्सिलसे गोलघेरेमें करके "चाचा" लिखा था।

२ यहाँ 'अडाकार इटालियन चेहरे' से मतलब मीराबहनकी चाचीसे है। मीराबहनने लिखा है कि वे हैं तो अंग्रेज मगर उनका चेहरा ऐसा ही है।

३ गांधीजी ने उम्मीद की थी कि वे इस पत्रमें ही ऑपरेशनके बारेमें लिख सकेंगे, देखिए अगले चार शीर्षक भी।

३३१. तार : जमनालाल बजाजको

१६ अगस्त, १९३४

जमनालालजी
श्री, बम्बई

परमेश्वरको धन्यवाद। आशा है आरामसे होगे। सबकी ओरसे प्यार।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १२९

३३२. पत्र : जमनालाल बजाजको

१६ अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

ऑपरेशनका तार अभी-अभी मिला। जानकीमैयाके सिरसे चिन्ताका पहाड उतर गया। मेरी चिन्ता न करना। मुझे आराम है। खाना खाया जाता है। मै वहाँ दौड आनेकी उतावली नही करूँगा। यो पूरी ताकत आये बिना न कही अन्यत्र जाऊँगा। इसलिए निश्चिन्त रहकर स्वास्थ्य लाभ करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३८) से।

३३३ पत्र : नारणदास गांधीको

[१६ अगस्त, १९३४][1]

चि० नारणदास,

आज उपवास छोडनेके बादका तीसरा दिन है। हालत ठीक है। कलसे ही दूध लेना शुरू किया। काफी शक्ति आ गई है। अखबारोमे छपा विवरण तो तुमने देखा ही होगा।

फिलहाल कुछ दिनो तो यहाँ पडा हूँ। शक्ति आते-आते कुछ दिन तो लगेंगे ही। देखे, इस महीनेके अन्ततक क्या होता है।

मैं तुम्हारी ओरसे नियमित पत्रोकी आशा रखूँगा।

जमनादास कैसा है? सन्तोकने कोई काम हाथमे ले लिया हो तो अच्छा।

अभी तार मिला कि जमनालालके कानका सफल ऑपरेशन हो गया है, इसमे कुछ चिन्ताका कारण था। घाव भरनेमे कोई छ हफ्ते लग जायेंगे। उन्हे पत्र लिखना। महादेव वहाँ गया है। दो दिनोमे लौट आयेगा।

आज अधिक नही लिखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

माताजी और पिताजी को मेरे प्रणाम। जमना चुप क्यो हो गई?

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४०८ से भी, सौजन्य : नारणदास गांधी।

१ उपवास और जमनालाल बजाजके सन्दर्भसे।

३३४ पत्र : एफ० मेरी बारको

१६ अगस्त, १९३४

चि० मेरी,

तुम्हारा छोटा-सा पत्र मिला। ईश्वरको धन्यवाद कि उपवास ठीकसे पूरा हो गया, हालाकि अन्तिम दिन काफी तकलीफ हुई। मै ठीकसे प्रगति कर रहा हूँ। जमनालालजी बम्बईमे है। आज उनके कानका ऑपरेशन काफी सफलतापूवक हुआ। मै कुछ दिनोके लिए यहाँ हूँ। मीरा इग्लैडमे काम कर रही है। पत्र जरूर नियमित रूपसे लिखती रहना।

सस्नेह।

बापू

श्री मेरी बार
खेडी, बैतूलके समीप, मध्यप्रदेश

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०२५) से। सी० डब्ल्यू० ३३५४ से भी, सौजन्य एफ० मेरी बार

३३५. पत्र · रमाबहन जोशीको

१६ अगस्त, १९३४

चि० रमा,

तुम्हारी दो लकीरोके लिए भी धन्यवाद। अब तो तुम्हारा मन शान्त है न? समयका उपयोग कैसे करती हो? बाकी समाचार दूसरे पत्रोमे पढो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ५३६६) से।

३३६ पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१६ अगस्त, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला। मुझे अच्छा है। बाकी तो सब अखबारोसे देखा होगा। जमनालालजीके कानका आपरेशन आज मुबईमे सफलतापूवक हो गया।

दामोदरदासके बारेमे मै तुमारी सम्मति बगैर केशु इ०को कभी नहि लिखुगा। उनकी दलीलमे कुछ वजूद नहि हे। उसमे न मै मित्रधम पाता हू न और कुछ। मेरा अविश्वास दामोदरदासके प्रति बढता है और ऐसे ही केशु इ० प्रत्ये (के प्रति) पैदा होता है। इसलिये जहातक मै निश्चयपूर्वक सत्य न जान सकु मेरी तटस्थता टूट जाती है इससे केशु कुटुबकी सेवा करनेकी मेरी शक्ति क्षीण होती। दामोदरदास यदि इस स्पष्ट धमको न समजे सके तो दु खकी बात है। लेकिन वे समजे अथवा न समजे तुमारे तो यह स्पष्ट धम समजना चाहीये। तुमारा एक और धम भी है। तुमारे पास इस जगतमे मेरेसे कोई छीपी बात नहि हो सकती है इसलिये तुमारे साथ बात करनेवालोको जानना चाहीये कि वे जो कुछ कहेगे वह मेरी पास आ जायगा। उसका क्या उपयोग करना वह मेरे पर निभर रहता है। अगर यह स्पष्ट है तो तुमारे मुझे सम्मति दे देना चाहीये। यह खत दामोदरदासको बता सकते हो। और क्या लिखु? इतना अभयदान दू। बगैर तुमारी सम्मतिके मै केशु इ०को इस बारेमे कुछ नहि लिखुगा।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४१९) से।

३३७. भेंट पत्र-प्रतिनिधियोको

१६ अगस्त, १९३४

म बिलकुल ठीक हूँ।

मेरे अभिवादन और कुशलक्षेमके प्रश्नका महात्मा गाधीने मनमोहक मुस्कानके साथ जवाब दिया। वे जी० डी० एच० कोलकी लिखी "व्हाट मार्क्स रियली मेन्ट" पढ़ रहे थे। गाधीजी ने कहा कि मै इसे अपने उपवासके दौरान पढता रहा हूँ और अभीतक खत्म नहीं कर पाया हूँ। जब उनसे भावी कार्यक्रम के बारेमें पूछा गया तो गाधीजी ने धीमे स्वरमें कहना शुरू किया

मेरी कोई योजना तैयार नही है। इस समय सबसे पहले तो मेरा ध्यान (शारीरिक) ताकत हासिल करनेकी ओर है।

उन्होने यह भी कहा कि मै सन्तोषजनक प्रगति कर रहा हूँ। आठ दिनोके बाद कल मैंने पहली बार करीब आधा घटा चरखा चलाया है। इस सप्ताहके 'हरिजन' के लिए कल एक लेख[1] भी लिखा और थोडा टहला भी। आशा है कि शीघ्र ही अपनी शक्ति और स्फूर्त्ति पुन हासिल कर लूँगा। उन्होने कहा कि यदि किसी खास जरूरी कामसे बाहर न जाना पडा तो पुन स्वास्थ्य लाभ करते समय वर्धा ही रहूँगा।

यदि आप मुझसे यह पूछे कि इन सात दिनोमे मैंने क्या काग्रेसके बारेमे भी कुछ सोचा, तो जैसाकि मैने 'हरिजन' के स्तम्भोमे कहा है, मै कह सकता हूँ कि मै बराबर काग्रेसी लोगोके बारेमे सोचता रहा हूँ। उनके बारेमे मै राजनीतिकी दष्टिसे नही सोचता रहा और इसलिए मैंने यह विचार नही किया कि स्वतन्त्रतासे काग्रेसको क्या प्राप्त होता है। मै तो आन्तरिक शुद्धि हासिल करनेकी महान आवश्यकताकी बात सोचता रहा।

मेरे पास काग्रेसियोके पत्र आते रहे है। काग्रेसके चुनावो आदिके मामलेमे जो भ्रष्ट तरीके काग्रेसी लोगोके बीच आ घुसे है, ये पत्र उनके बारेमे मेरी आशकाओकी पुष्टि करते रहे है। सात दिनोतक मै अपने बिस्तरपर लेटा रहा। उन दिनो रोज मै यही सोचता रहा कि क्या ही अच्छा होता यदि काग्रेसकी हर महिला व पुरुष यह महसूस करता कि वह कोई पद या यश पानेके लिए नही बल्कि देशकी मूक सेवा करनेके लिए काग्रेसमे है। एक-दूसरेपर कीचड उछालना और वाक्-हिसा करना मेरी समझमे नही आता।

सविनय अवज्ञा निश्चय ही उन लोगोके लिए नही है जिन्होने कानूनका, चाहे वह तकलीफदेह हो, स्वेच्छासे पालन करनेकी कला नही सीखी है। लगता है कि इस प्राथमिक सिद्धान्तका कोई ख्याल ही नही किया गया। अन्यथा अनुशासनहीनताकी और उन कानूनो व नियमोका, जिन्हे हमने स्वय बनाया है और जिनके अनुसार चलनेकी हमने स्वेच्छासे शपथ ली है, पालन न करनेकी यह भावना देखनेमे न आती।

इसलिए मेरे निकट, आन्तरिक शुद्धि हासिल करनेकी मख्य आवश्यकताके आगे हर अन्य चीज महत्वहीन हो गई है, क्योकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार हरिजन-सेवकोकी शुद्धिके बिना अस्पृश्यता-निवारण नही हो सकता, उसी प्रकार यदि काग्रेसको उन लोगोकी, जिनसे मिलकर काग्रेस-सस्था बनी है, आतरिक शुद्धि द्वारा पोषण नही मिलता, तो एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सस्थाके रूपमे वह समाप्त हो जायेगी। अभी इस समय मुझे कोई अन्य सन्देश नही देना है, क्योकि मेरा मन अभीतक इस सर्वोपरि विचारमे ही व्यस्त है।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, १६-८-१९३४

१ देखिए पृ० ३२६ २७।

३३८ पत्र : न० चि० केलकरको[1]

[१७ अगस्त, १९३४ या उससे पूर्व][2]

काग्रेस जहाँ-जहाँ चुनाव लडना चाहती है, वहाँ हर क्षेत्रके लिए काग्रेस उम्मीदवारका चयन ससदीय बोर्ड करेगा। यदि विधानसभामे स्थान चाहनेवाला काग्रेसी काग्रेस कार्य-समितिके साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड) सम्बन्धी प्रस्ताव[3] के प्रति अन्तरात्मासे दुविधा रखता है, तो वह बोर्डके नाम अपने पत्र या अर्जीमे अपनी आपत्ति लिखेगा और यदि बोर्ड उसका नामाकनपत्र अन्यथा वाछनीय मानता है, तो वह उसकी दुविधाका आदर करेगा और उसे उम्मीदवार नामजद करेगा। अर्जी स्वीकृत या अस्वीकृत करनेका निर्णय पूरी तरहसे बोर्डके अधिकारकी बात होगी। श्री अणे इस स्थितिको जानते हैं।[4]

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १८-८-१९३४

१ और २ साधन सूत्रमें बताया गया है कि यह "श्री केलकरके उस तारके जवाबमें था जिसमें गांधीजी से आग्रह किया गया था कि वे काग्रेस तथा राष्ट्रवादियोंके बीच एक समझौता करायें और साम्प्रदायिक निर्णय [कम्यूनल एवार्ड] के बारेमें मतदान करते समय कॉंग्रेसी सदस्योंको अन्तरात्माकी आवाज माननेकी स्वतन्त्रता प्रदान करें।" यह "नागपुर, १७ अगस्त" तिथिके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

३ देखिए परिशिष्ट १।

४ **दि हिस्ट्री ऑफ दि इडियन नेशनल काग्रेस,** खण्ड १, पृ० ५७६-७७ में पट्टाभि सीतारमैयाने बताया है कि श्री एम० एस० अणे और म० मो० मालवीयने समझौतेको स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप उन्होने कांग्रेस ससदीय बोर्डसे इस्तीफा दे दिया और काग्रेसी तथा अन्य लोगोंकी एक सभा कलकत्तामें १८ और १९ अगस्तको मालवीयजीकी अध्यक्षतामें बुलाई और उसने राष्ट्रवादी दलके गठनकी घोषणा की जिसका उद्देश्य विधानसभाओंमें और उनके बाहर साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड) तथा श्वेत पत्रके खिलाफ आन्दोलन चलाना और इस उद्देश्यको आगे बढ़ानेके लिए विधानसभाओंके लिए उम्मीदवार खड़े करना माना गया।

३३९ पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

१७ अगस्त, १९३४

दुबारा नहीं पढा

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा भावपूण और मर्मस्पर्शी पत्र मिला।[१] उसका उत्तर मेरी सामथ्यसे कही अधिक लम्बा होना चाहिए।

मुझे सरकारसे अधिक शराफतकी आशा थी। किन्तु तुम्हारे मौजूद रहनेने कमला के लिए ओर साथ ही मामाके लिए जो काम किया वह किसी दवा या डॉक्टरसे नही हो सकता था। मुझे आशा है कि जितने थोडे दिनोकी अपेक्षा है तुम वहाँ उससे अधिक ठहरने दिये जाओगे।

तुम्हारे गहरे दु खको मै समझता हूँ। अपनी भावनाओको पूरी तरह और आजादीके साथ प्रकट करके तुमने बिलकुल ठीक किया है। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मैंने हमारे सामान्य दृष्टिकोणसे लिखी है उसे अधिक बारीकीसे पढनेपर तुम्हे पता चल जायेगा कि तुमने जो इतने दु ख और निराशाका अनुभव किया है, उसके लिए काफी कारण नही है। मै तुम्हे विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने मेरा साथ नही खोया है। मै तुम्हारा वैसा ही सहयोगी हूँ जैसा तुम मुझे १९१७ मे और उसके बादसे जानते हो। मुझमे वही लगन है जो कि सामान्य लक्ष्यके लिए तुमने मुझमे पाई थी। मुझे देशके लिए पूरे अथमे सम्पूर्ण स्वाधीनता चाहिए और वे सारे प्रस्ताव, जिनसे तुम्हे पीडा हुई है, उसी लक्ष्यको ध्यानमे रखकर तैयार किये गये है। उन प्रस्तावो और उनकी सारी कल्पनाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है।

मेरी समझमे मुझमे समयकी नाडीको पहचान लेनेका माद्दा सधा है। ये प्रस्ताव उसीके परिणाम है। अलबत्ता तरीके या साधनपर हमारे जोर देनेमे अन्तर है। मेरे लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना लक्ष्य, बल्कि एक तरहसे साधन अधिक महत्वपूण है, क्योकि उनपर तो हम कुछ नियन्त्रण रख सकते है। अगर साधनो पर हमारा काबू न रहे तो लक्ष्यपर वह बिलकुल ही नही रह जायेगा।

'विचारहीन बातो' के बारेमे प्रस्तावको निर्विकार होकर जरूर पढो। समाजवादके विषयमे उसमे एक भी शब्द नही है। समाजवादियोका अधिकसे-अधिक लिहाज रखा गया है, क्योकि उनमे से कुछके साथ मेरा घनिष्ठ परिचय है। क्या मै उनके त्यागको नही जानता? मगर मैंने देखा है कि वे सबके-सब अधीर है। क्यो न हो? बात इतनी ही है कि यदि मै उनकी तरह तेज नही चल सकता तो मुझे उनसे कहना

१ १३ अगस्तका, देखिए परिशिष्ट-५।

पडता है कि ठहरो और मुझे अपने साथ ले चलो। अक्षरश मेरा यही रवैया है। मैंने शब्दकोशमे समाजवादका अथ देखा है। परिभाषा पढनेसे पहले जहाँ मै था, पढनेके बाद उससे आगे नही पहुँच सका। तुम बताओ, पूरा अथ जाननेके लिए मुझे क्या पढना चाहिए? मैंने मसानी[1] की दी हुई पुस्तकोमे से एक पुस्नक पढी है और अब मै अपना सारा फाजिल समय नरेन्द्रदेवकी सिफारिश की हुई पुस्तक पढनेमे लगा रहा हूँ।

तुम काय-समितिके सदस्योके प्रति कठोरता दिखा रहे हो। वे जैसे भी है, हमारे साथी है। आखिर हमारी सस्था एक स्वतन्त्र सस्था है। यदि वे विश्वासपात्र नही है तो उन्हे हटा देना चाहिए। परन्तु जो कष्ट कुछ दूसरे लोग सह चुके है, उन्हे वे न सह सके तो इसके लिए उन्हे दोष देना अनुचित है।

विस्फोटके बाद हम रचना चाहते है। कदाचित् हमारा मिलना न हो, इसलिए अब मुझे ठीक-ठीक बता दो कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो और तुम्हारे खयालसे तुम्हारे विचारोका सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन होगा।

न्यास[2] के विषयमे बात यह है कि मै तो उपस्थित नही था। वल्लभभाई थे। तुम्हारे रुखसे क्रोध प्रकट होता है। तुम्हे ट्रस्टियोपर विश्वास रखना चाहिए कि वे अपना फज अदा करेगे। मै नही समझता कि कोई बेजा बात हुई। मै इतना व्यस्त था कि उसपर पूरा ध्यान नही दे सका। अब मै कागजात और हर चीजका अध्ययन करूँगा। बेशक तुम्हारी भावनाओका आदर दूसरे न्यासी पूरी तरह करेगे। यह आश्वासन देनेके बाद मै तुमसे कहूँगा कि इस मामलेको इस प्रकार व्यक्तिगत न समझो जैसा तुमने समझा है। यह तुम्हारे उदार स्वभावके अधिक योग्य होगा कि पिताजी की स्मृतिके लिए जितना लिहाज तुमको है, उतना ही अपने साथी ट्रस्टियोको होनेका श्रेय दे सको। पिताजी की स्मतिका सरक्षक राष्ट्रको बना दो और तुम राष्ट्रके एक अग बन जाओ।

आशा है, इन्दु अच्छी तरह होगी और उसे अपना नया जीवन पसन्द आ रहा होगा। कृष्णाका क्या हाल है?

सस्नेह।

बापू

[अग्रेजीसे]

गाधी-नेहरू कागजात, १९३४, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय। **ए बच ऑफ ओल्ड लेटस,** पृ० ११७-१९ भी।

१ एम० आर० मसानी, तात्पर्य शायद **व्हाट मार्क्स रियली मेन्ट** से है, देखिए पृ० ३३३।

२ आनन्द भवनका न्यास।

३४०. तार: जमनालाल बजाजको

१८ अगस्त, १९३४

जमनालालजी
श्री, बम्बई

महादेवने तुम्हारे बारेमे अच्छी खबर दी। बातचीत करनेकी इजाजत नही है। ससदीय बोर्डकी बैठक मुल्तवी कर दी। ताकत लौट रही है।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १३०

३४१. तार: हीरालाल शर्माको

१८ अगस्त, १९३४

डॉ० शर्मा,
खुर्जा

रामदास[1] के विषयमे तुम जो उचित समझो, करो।

बापू

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, (१९३२-४८), पृ० ८८ के सामनेकी अंग्रेजीकी प्रतिकृति से।

१ हीरालाल शर्माने बताया कि रामदासके स्वास्थ्यमें काफी सुधार हुआ था। वह वर्धा जानेको आतुर था। लेकिन हीरालाल शर्मा इस बातके पक्षमें नहीं थे। उन्हें आशका थी कि वहाँ रामदासका स्वास्थ्य कहीं फिर न गिर जाये। शर्माजी चाहते थे कि उसे विदेश भेज दिया जाये और किसी दूसरे ढगके काममें लगाया जाये। इसलिए उन्होंने गांधीजी को लिखा था कि रामदासको ऐसी ही सलाह दें।

३४२ पत्र डॉ० शेरवुड एड्डीको

१८ अगस्त, १९३४

प्रिय डॉ० एड्डी,

आशा करता हूँ, यह पत्र आपको उचित समयके भीतर मिल जायेगा। अगर आपको बिना हमारी भेंट हुए ही चले जाना पड़ा, तो मुझे सचमुच ही बहुत दु ख होगा। हालके उपवासके बाद स्वास्थ्य-लाभकी स्थितिमे मेरे डॉक्टर मित्र इतनी जल्दी मेरे वर्धा छोडनेकी बात सुनना भी नही चाहते, और मुझे भी नही लगता कि मै उनकी सलाहकी उपेक्षा करूँ। अत यदि हम न मिल सके तो आप जो मुझसे कहना चाहते है, उसे अधिक-से-अधिक जितना सम्भव हो सके, कृपया एक कागजपर लिख दे। मै जानता हूँ कि परस्पर हार्दिक वार्तालापका वह बडा घटिया विकल्प होगा, परन्तु फिर भी मेरे लिए आपके पत्रका अपने-आपमे एक महत्व होगा।

आशा करता हूँ, आपकी समुद्री यात्रा मजेमे हुई होगी, और शेष यात्रामे भी वैसी ही खुशकिस्मती आपका साथ देगी।

हृदयसे आपका,

डॉ० शेरवुड एड्डी
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३४३ पत्र : एच० ए० पॉपलेको

१८ अगस्त, १९३४

प्रिय रेवरेड पॉपले,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। काश कि सिर्फ डॉ० एड्डीसे मिलनेके लिए ही मेरा बम्बई जा सकना सम्भव होता। लेकिन डॉक्टर दोस्त ऐसी किसी भी यात्राकी मनाही करते है, और मेरा मन नही करता कि उनकी सलाहकी उपेक्षा करूँ। दिन प्रतिदिन आ रही शक्तिमेसे जितनी बने उतनी बचाकर मै यथासम्भव शीघ्र ही खोई हुई शक्ति पुन प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

यह उपवास मेरे लिए बड़ा मूल्यवान अनुभव सिद्ध हुआ। 'हरिजन' के चालू अंकमें उसपर मेरे विचार[1] आपने शायद देखे हों।

रेव० एच० ए० पॉपले
ईरोड (दक्षिण भारत)

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

३४४. पत्र : भास्कर मुखर्जीको

१८ अगस्त, १९३४

प्रिय भास्कर,

पिछली १५ को महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। मैं सोचनेको बाध्य हूँ कि भंगियोंके स्कूल बन्द कर देनेमें तुमने जरा ज्यादा ही उतावलीसे काम लिया। जिस धारा ९१ को तुमने उद्धृत किया है, मैं उसका वह अर्थ नहीं लगाता जो तुम लगाते हो। वह धारा निगमको भंगी बालकों और बालिकाओंकी शिक्षापर एक लाख रुपयेके किसी अंशको भी खर्च करनेकी मनाही नहीं करती। बल्कि, इसके विपरीत, मैं तो उस धाराका यह अर्थ लगाता हूँ कि वह निगमको बाध्य करती है कि वह उस राशिका कुछ अंश भंगियोंपर खर्च करे। अगर वह धारा किसी भी कामकी हो, तो उसका यही अर्थ हो सकता है कि निगम सबसे पहले सबसे गरीब लोगों पर पैसा खर्च करे, न कि कलकत्ताके फैशनेबल उपनगरोंपर। क्या निगमने उक्त धाराकी व्याख्याके सम्बन्धमें कानूनी सलाह ली है? अतः यदि इस मामलेमें निगमके अपना कदम वापस लेनेकी कुछ भी सम्भावना हो, तो मैं इसपर पुनर्विचारकी माँग करता हूँ।

तुम्हारे पत्रके अन्तिमसे पहले अनुच्छेदके सम्बन्धमें मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्यौरेवार बताओ कि हरिजनोंके लिए निगमने क्या काम किया है, इस समय क्या कर रहा है और पिछले बारह महीनोंमें उसने उनके लिए कितनी रकम खर्च की है।

यह पत्र मैं लिखा रहा हूँ, इससे ही स्पष्ट है कि मैं शक्तिलाभ कर रहा हूँ।

जवाहरलालके जेलसे छूटनेसे बेचारी कमलाको शान्ति मिली, और कमलाकी बीमारीके कारण जवाहरलालके अनेक दोस्तोंपर चिन्ताका जो बोझ था वह भी हल्का हुआ।

बेबी और बच्चोंको प्यार। आशा है, तुम सब प्रकारसे मजेमें होगे।

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१ देखिए "ईश्वर धन्य है", पृ० ३२६।

३४५ पत्र · हीरालाल शर्माको

१८ अगस्त, १९३४

चि० शर्मा,

जमनालालजी को तो ओपरेशन हुआ है। मुबईमे हस्पतालमे है। रामदासके बारेमे तार[1] दिया है। उचित किया जाय। देवीको ऐसे छोडकर आनेका धम मै नहि समझता हू। लेकिन इस बारेमे मेरा कोई आग्रह नहि हो सकता है। पिता धम प्रत्येक पिता अपने लिये बना लेता है। और तो अब क्या लिखु? मिलनेसे अथवा खतोसे बाते करेगे।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२–४८, पृ० ८९ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

३४६ पत्र जमनालाल बजाजको

१९ अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारी गाडी ठीक चलती जान पडती है। घाव भरनेके सम्बन्धमे अधीर न होना। समयपर अपने-आप भर जायेगा। काम करनेकी चिन्तामे कतई न पडना। बातचीत भी मत करना। कुछ खास कहना हो तो लिखकर बताओ। इस नियमका पालन करनेसे बहुत फायदा होनेकी सम्भावना है।

यहाँकी चिन्ता बिलकुल न करना। मुझे कोई तकलीफ नही देता। अधिक काम नही करता हूँ। वजन ९६ हो गया है। तुम्हे आश्रमकी चिन्ता कतई नही करनी है। मदनमोहन वही रहे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

यह तो सबेरे ४ बजेसे पहले लिखा गया था। उसके बाद कमलनयन आया। यदि डॉक्टर कहते है कि घाववाली तरफ करवट न लो तो तुम्हे अच्छा लगे या न लगे फिर भी उचित होगा कि तुम एक ही करवट या चित्त सोये रहो।

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १३०

१ देखिए पृ० ३३८।

३४७ पत्र : उमादेवी बजाजको

१९ अगस्त, १९३४

चि० ओम,

तेरे पत्र मिले है। तू आलस न करना। रोज पत्र लिखनेका एक समय निश्चित रखना और तभी लिखना। इसलिए उस वक्त और कोई काम हो ही नही सकेगा। धीरज रखकर सुन्दर अक्षरोमे लिखना। जमनालालजी क्या खाते है, क्या पीते है, कितनी नीद आती है, कष्ट कितना होता है, घाव कैसे भर रहा है, कौन-कौन मिलने आते है, यह सब विस्तारसे लिखना। बाते मत करना, न दूसरोको करने देना। ऐसे नियमोका पालन करनेसे घाव जल्दी भरेगा।

अपने समयका हिसाब देना। तुम सब सोते कहाँ हो? अस्पतालका वणन करना। वहाँ और कौन मरीज है?

गोपी अभी यही है। बीमार-जैसी ही रहती है। उसे पत्र लिखना। मदालसा रोज सेवामे समय लगाती है। तुम्हारा पत्र उसे देता हूँ।

अब सबेरे चार बजे का समय होने आया है। दातुन करके यह लिखने बैठा हूँ।

जानकीमैयाका पत्र पढकर प्रसन्न हुआ। अब तो खुश होगी।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३३६

३४८. पत्र · कलकत्ताके काग्रेसियोको

१९ अगस्त, १९३४

मुझे कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावके औचित्यमे विश्वास है। ऐसी कोई बात मुझे नही दिखी जिससे मेरा यह विश्वास विचलित हो सके। अत मेरा खयाल है आपकी आशावादिताकी कोई ठीक वजह नही है। बनारसमे जिसे स्वीकृति प्रदान की गई थी अधिक-से-अधिक उस सीमातक सामजस्य बैठाया जा सकता है, वह सीमा अभी तो अक्षुण्ण है।

समझौता किसीने पसन्द नही किया है, न कोई उससे सन्तुष्ट ही है। सभी लोग इसे गलत मानते है। लेकिन कोई भी काग्रेसी, काग्रेसी होनेके नाते ही उसे न स्वीकार कर सकता है और न अस्वीकार। क्योकि अगर वह कोई एक पक्ष लेता है तो उसे पक्षधर माना जायेगा और तब वह पूरे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व नही कर

सकता। आपकी आशावादिताका जवाब मै आसानीसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर यह इस विश्वासपर आधारित है कि मै किसी तरह प्रस्तावपर फिरसे विचार करनेके लिए कायकारिणी समितिपर जोर डालूगा तो मुझे यह बात आपकी आशावादिताकी ठीक वजह दिखाई नही देती।

[अग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २४-८-१९३४

३४९ पत्र · च० राजगोपालाचारीको

१९ अगस्त, १९३४

चुनावोसे सम्बद्ध सनातनियोके पत्रका जो उत्तर तुमने प्रेसको भेजा है, उसकी नकल सहित तुम्हारा पत्र मिला। मै समझता हूँ, तुम्हारा उत्तर सोलहो आने ठीक है। लेकिन मै नही समझता कि सनातनियोपर उसका कोई असर पडेगा, क्योकि वे कभी बात ठीक समझना ही नही चाहते। लेकिन हॉ, ढुलमुलयकीन लोगोको वह जरूर स्थिरता प्रदान करेगा।

मै समझता हूँ, तुमने सुन लिया है कि ससदीय बोर्डकी बैठक यहा नही हो रही। वह अनिश्चित कालके लिए स्थगित कर दी गई है।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
मद्रास

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३५०. पत्र · पी० जी० दाते तथा अन्य लोगोको

१९ अगस्त, १९३४

प्रिय मित्रो,

तुम्हारा १२ अगस्तका पत्र मैने कल ही देखा। जिस चुनावकी चर्चा तुमने की है, उसमे यदि तुम्हारे मत पजीकृत नही हुए तो यह सचमुच बडे खेदकी बात है। लेकिन तुम्हारे लिए उचित उपाय यह हे कि तुम बम्बई प्रातीय काग्रेस कमेटीके सचिवको अपनी शिकायत भेजो और यदि तब भी तुम्हे समाधान प्राप्त न हो तो काय-समितिको अपील करो।

हृदयसे तुम्हारा

श्रीयुत पी० जी० दाते तथा अन्य लोग
मारफत—दि बॉम्बे स्टुडेट्स ब्रदरहुड
फ्रेच ब्रिज, चौपाटी
बम्बई

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात्, सौजन्य प्यारेलाल।

३५१ पत्र मोतीलाल रायको

१९ अगस्त, १९३४

प्रिय मोतीबाबू,

तुम्हारे पत्रके लिए धन्यवाद। मै क्रमश खोई हुई शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मै चाहता हूँ कि पहले तुम मुझे अपनी कायवाहियोका ब्यौरेवार विवरण भेजो। तब, मै यदि कुछ सुझाव दे सका तो अवश्य दूगा।

सस्नेह।

मो० क० गांधी

श्री मोतीलाल राय
प्रवतक सघ
चन्द्रनगर

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३५२ पत्र एन० आर० नाडिगको

१९ अगस्त, १९३४

प्रिय मित्र,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी कोई भी मदद करना मेरी शक्तिके बाहर है। न मै कोई सुझाव ही दे सकता हूँ कि तुम्हे अपना काम किस ढगसे करना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा
मो० क० गाधी

श्रीयुत एन० आर० नाडिग
डब्ल्यू० टी० सेनेटोरियम
मीरज

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३५३ पत्र : छगनलाल जोशीको

१९ अगस्त, १९३४

चि० छगनलाल,

अब तुम मुझे पत्र लिखना प्रारम्भ कर सकते हो। मै रोजाना थोडा-थोडा काम बढाता चला जा रहा हूँ। काफी चिट्ठियाँ लिख देता हूँ। ठक्कर बापा तुम्हारे पत्र पढकर सुना देते थे। लगता है, तुम्हे जैसी चाहिए वैसी सफलता मिल रही है। तुम ठिकानेपर पहुँच गये हो। रमाका मन शान्त है? धीरू वहाँ आ गया, यह बात मुझे तो ठीक लगी। क्या अब वह बातोको समझने लगा है? विमु कैसी है? जो लिखना चाहो, लिखना।

और बाते तो मगनभाई लिखते ही होगे। इसलिए मै नही लिखता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५२४)से।

३५४ पत्र नारणदास गाधीको

१९ अगस्त, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। सिद्धिमतीके बारेमे समझ गया। उसे इस तरह नही जाना चाहिए था। मेरी राय है कि अब उसे आसानीसे पुन प्रवेश नही दिया जाना चाहिए।

क्या जमनादास नौकरीकी तलाशमे कही निकल गया? मैने चाहा था कि यहाँ उतरे, किन्तु नही उतरा। लगता है उसका क्रोध अभी तक शान्त नही हुआ। क्या तुम्हारी भेजी हुई गश्ती चिट्ठी उसने और दूसरे लोगोने नही पढी थी?

यह सन्तोषकी बात है कि लीलावतीका काम ठीक चल रहा है। यदि कुसुमको ज्वर आ रहा हो तो क्या उसका राणावाब चले जाना ठीक नही होगा? वह वहाँ अच्छी हो जाती है। चिमनलालका मामला भी करुणाजनक है। उसका स्वास्थ्य सुधरता ही नही है। अमलाके पत्रपर बहुत भरोसा मत कर लेना। वह यहाँ बहुत प्रसन्न रहती है। कुछ रास्तेसे भी लग रही है। जबतक मै यहाँ बना हुआ हूँ, तब तक तो उसे यहासे और कही भेजना ठीक नही होगा। जब मै यहाँसे कही और चला जाऊँगा तब यदि उसकी हालत वहाँ आने जैसी लगी तो उसका बोझ तुमपर डालूँगा। अगर वह कही ठीक रह सकती है तो तुम्हारे ही पास, मै तो ऐसा ही मानता हूँ।

यदि केशुको चरखेके प्रयोगमे सफलता मिल जाये तो एक बडी बात कही जायेगी। वह अपना प्रयोग जारी रखे। अवधि तो नही बढाई जा सकती। किन्तु इनामके लायक चरखा बना डाले तो सबको बडी खुशी होगी। इसलिए वह निश्चिंत रहे। अभीतक तो इनामके योग्य चरखा हाथ नही लगा है।

गोशालाके बारेमे मै कुछ निश्चय नही कर सका हूँ। जमनालालजी अस्पतालमे है, उनके साथ भी सलाह-मशविरा करना है। तुम्हारे बारेमे मै यह समझा हूँ कि तुम यह प्रयोग स्वतन्त्र रूपसे चलाते रहना पसन्द करते हो। और चाहते हो कि गोशाला हरिजन आश्रमको न सौपी जाये। क्या मुझे तुम्हारी बात ठीकसे याद है?

क्या हरिलालकी चालढालमे कोई परिवर्तन हुआ? वहाँ सयमित रहता है या जैसा का तैसा ही है?

यहाँ तो सर्दी गर्मीका आलम है। बडी वर्षा हुई। जहाँतक बनेगा कन्याश्रमके लिए तुम्हे वहाँसे हटाना नही चाहूँगा। तुम वहाँ बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हो। वहाँ सब-कुछ बिलकुल ठीक-ठाक करके ही वह जगह छोडनी चाहिए। बिलकुल ही आवश्यक हो जाये तो अलग बात है—तब तो तुम हो ही। विनोबा

पूरी जिम्मेदारी लेनेके लिए तैयार हो गये है। मै कुछ निश्चय करूँ, इसके पहले ऐसा लगता है कि तुम्हे एक बार यहाँ बुलाना पडेगा। समय रहते सूचित कर सकूगा, इसकी आशा है।

मेरी ताकत ठीक लौट रही है, गति तो धीमी है, परन्तु मै सन्तुष्ट हूँ।

यहाँ इस समय नरहरि, किशोरलाल, मगनभाई, सोमण और काकासाहेब है। ग्राम-सगठनके विषयमे बातचीत[1] चल रही है।

'हरिजन' ध्यानपूर्वक पढ रहे होगे। तुम्हे मालूम होगा कि कृष्णमाचारी और सुलोचना यही है। अमतुलसलाम और वसुमती मेरे साथ है। प्रभा तो है ही। शायद रामदास भी दो-चार दिनोमे वापिस आ जायेगा।

खुर्जामे हैजा फैला हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४०९ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

३५५ पत्र मनु गाधीको

१९ अगस्त, १९३४

चि० मनुडी,

तू अपनी बडी माको भूल गई, मुझे भी भूल गई, क्या यह ठीक है? तू क्या अध्ययन कर रही है, कहाँ कर रही है, मुझे लिखना। भाई[2] इस समय वहाँ है। तू घबराती तो नही है न? मौसीकी तबीयत कैसी रहती है? इस समय वहाँ कौन-कौन है?

सब समाचार लिखना। विद्या अभी यही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३१) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला।

१ देखिए पृ० ३२२ २६।

२ हरिलाल गांधी, मनु गाधीके पिता।

३५६ पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१९ अगस्त, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

आपके सन्देश मिले। स्वास्थ्य अच्छा हो जानेके बाद ही यहाँ आये तो अच्छा होगा। २५ तारीखको एन्ड्र्यूज आयेंगे। ऐसा लगता हे कि तब आप यहाँ हो तो अच्छा रहेगा। मुझे जितने आरामकी जरूरत है वह तो यहाँ मिल ही रहा है। कोई परेशान नही करता। पहरेदार भी जमनालालजी की आज्ञाका अच्छा पालन कर रहे है। आपको भी यहाँ वहासे ज्यादा शान्ति मिलेगी। परन्तु यह तभी जब आपका बुखार बिलकुल उतर जाये और चैन पडे। आपके आनेसे मणिको तो फायदा होगा ही।

मै समझता हूँ नाकका तो अभी कुछ इलाज नही हो सकता। अगर वहाँ रहनेसे इलाज हो सके तो, मेरे विचारमे, करा लेना उचित होगा। उसका परिणाम तो देख ले। अभी इसमे खतरा तो कुछ है ही नही। कुछ समय पडे रहनेकी ही बात है, सो भले पडे रहे।

कल जयप्रकाशका लम्बा पत्र आया था। वह दुखी है। उसने बहुत अध्ययन किया है, परन्तु यह नही कहा जा सकता कि सब पचाया भी है। अनुभव तो बिलकुल नही है। परन्तु अपना अध्ययन वाणीमे व्यक्त कर सकता है, इसलिए पढे-लिखे लोग चौंधिया जाते है। इससे उत्साहका नशा चढता हे और वह घरबार छोडता है, शरीरकी परवाह नही करता और धूमधाम मचाता हे। वह यहाँ आनेको लिख तो रहा है। पर आ सके तब न!

काग्रेससे मेरा निकलना तुरन्त तो होगा नही। मगर मै अपने मनकी व्याकुलता आपको बताता रहता हूँ। आप सब जाने नही देगे तबतक कैसे जाऊँगा? परन्तु मुझे तो महसूस होता ही रहता है कि मेरे सामने इसके सिवा दूसरा कोई माग नही है। मालूम होता है मै काग्रेसकी प्रगतिको रोक रहा हूँ। साधनसे चिपटे रहना लेकिन उसमे विश्वास न रखना, विश्वास रखनेवालेका उसपर अमल न करना — यह स्थिति कितनी दयनीय, कितनी भयकर है। इससे काग्रेसको मुक्त करना क्या आपका धम नही है? सडन मिटानेका माग सूझे, वहाँतक तो कोई हज नही। परन्तु निकल जानेके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही न हो तो क्या किया जाये? मेरे निकल जानेसे काग्रेससे पाखण्ड चला जायेगा। सच-झूठ, हिंसा-अहिंसा, खादी, केलिको, जगन्नाथी, मलमल सब चल सकता है — अगर साधारण काग्रेसीकी यह दृष्टि हो तो उसका अनुसरण करना ही उसके लिए ठीक है। परन्तु मेरे निकले

बिना यह होगा नही। मेरी सहमतिसे ये मर्यादाएँ नही हटाई जा सकती। मै यह चाहूँगा भी नही। मेरे विरोधके बावजूद काग्रेस ये प्रतिबन्ध हटा दे, तो वह मुझे ही निकालनेके बराबर हुआ न? नौबत यहातक आने देना क्या ठीक होगा? मैं चाहता हूँ कि आप राजाजी वगैरहसे इन विषयोपर विचार करे। यहा आ सके तो धैयसे चर्चा कर लेगे।

सितम्बरमे, या पूरी ताकत आजानेके बाद क्या करना है, इसपर भी हमे सोचना है। यह चर्चा तो करनी ही पडेगी। अवसर भी नजदीक आ गया है। जवाहरलालके क्रोधकी आग जितनी चमकती है, उतनी भयानक नही हे। उन्हे अपने दिलका गुबार निकालनेका अधिकार था, सो निकाल लिया।[1] मेरे विचारमे अब वे शान्त हो गये है।

गुजरातके दुखी किसानोके लिए आपका सोचा हुआ ही करना है, मगर इस विषयमे मेरे कुछ निश्चित विचार है।

ससदीय बोड का जो आप चाहते थे वही हुआ, यद्यपि मुल्तवी रहनेका कारण तो आर ही था।

बस, अब लगता है कि आज बहुत लिख लिया।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० ११५-१६

३५७ पत्र . वल्लभभाई पटेलको

२० अगस्त, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आपकी एक बातका जवाब देना रह गया। [2] के पत्रका उत्तर मै तुरन्त दे सकता हूँ, परन्तु [3]वगैरहका विचार हमे करना चाहिए। फिर इस विषयमे मेरे जो विचार है, वे क्या पूरे आपके गले उतरते है? मुझे तो वे ही सही मालूम होते है। चोरकी माँ कोठरीमे मुँह छुपाए, इसमे भी कोई लाभ[4] है? इसलिए वगैरह अगर हमारी तरफसे मौन चाहे, तो रखा जा सकता है, या हम जिसे काग्रेस की वतमान नीति मानते है उसके अनुसार वक्तव्य प्रकाशित करे। या मै अपनी

१ देखिए परिशिष्ट–५।
२ और ३ ये नाम साधन सूत्रमें छूटे हुए हैं।
४ एक गुजराती कहावत जिसका अर्थ है "अपने कष्टोको चुपचाप सहना।"

जिम्मेदारीपर अपनी स्वतन्त्र राय जाहिर करूँ। को बुलाकर आप कुछ तय कीजिये और मुझे लिखिये। फिर मैं मसविदा तैयार करके भेजूँगा[1]। इस बीच को लिखता हूँ कि आपके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ, बादमे विस्तृत उत्तर मिलेगा। वह व्यथ जल्दी मचा रहा है। मेरी रायमे उतावलीकी कोई जरूरत नही है।

महादेवको प्रयागजी भेजनेकी बात समझ ली। सोच रहा हूँ। अपने पत्रके जवाबकी प्रतीक्षा करूँ?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० ११७

३५८ पत्र जमनालाल बजाजको

२० अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

कल विनोबाके रवाना होनेके बाद डॉ० जीवराजका बहुत अच्छा तार मिला। उससे मालूम हुआ कि फिर खून जानेकी शिकायत नही हुई और दर्द भी कम हुआ। फिर भी ठीक हुआ जो विनोबा वहाँ कुछ दिनोके लिए चले गये। उनके जानेका कारण कमलनयन है, यह तो मालूम होगा। कमलनयन खुद तुम्हारी शनिवारके दिनकी तकलीफ देखकर घबरा गया, इसलिए यहाँ पहुँचते ही उसने मुझे महादेवके हाथ सन्देश भेजा। मैंने सुझावका स्वागत किया और विनोबाको खबर भेजी और वे तुरन्त तैयार हो गये। मदालसाकी भी इच्छा हुई, परन्तु वह तो भक्त है न? इसलिए विनोबाकी मशा देखकर रुक गई। उसका सयम उसे फलेगा। रह गई सो ठीक हुआ। अब यदि दर्द मिटा हो और चित्त शान्त हुआ हो तो विनोबाको जल्दी छुट्टी दे देना। परन्तु जरूरत हो तबतक वे भले ही वहाँ रहे। यहाँके प्रबन्धकी व्यवस्था हो रही है, जिसमे विनोबा रात-दिन व्यस्त रहते है।

विद्याभ्यास-सम्बन्धी तुम्हारी प्रतिज्ञाका पालन अवश्य होगा। तुमको आश्वासन देनेके लिए इतना लिख दिया है। इसकी चर्चा विनोबाके साथ करनेकी जरूरत नही। इस समय तुमको केवल अपना स्वास्थ्य जल्दी ठीक करनेकी साधना करनी है। यहाँकी अथवा दूसरी और कोई भी चिन्ता ढोनेकी जरूरत नही। मेरी चिन्ता तो बिलकुल ही न करना, क्योकि गाडी अच्छी तरह चल रही है। राधाकिशन और शिवाजी बहुत अच्छी तरह पहरा दे रहे है। तुम बहुत नही बोलते होगे। डॉक्टर जो छूट दे उसका उपयोग कँजूसीसे करनेमे ही हित है। डॉ० जो स्वय कहे वह अगर धर्म-विरुद्ध न

१ देखिए, "पत्र वल्लभभाई पटेलको", ५ सितम्बर, १९३४ से पूर्व।

हो तो करना चाहिए, परन्तु हमारी इच्छाके वश होकर कोई छूट दे तो उसकी बात और है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

जाजूजी मिलने आये थे और सब खबर दे गये। मदनमोहनको भेजनेमे कोई जल्दबाजी न करना। विश्वास रखो कि यहाँ किसीको किसी प्रकारकी झझट नही है।

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १३१

३५९ पत्र उमादेवी बजाजको

२० अगस्त, १९३४

चि० ओम

केवल वचनका पालन करनेकी खातिर चाहे जैसे अक्षर बनाकर बेगार टालनेको तुम पत्र लिखती हो, तो मुझे तुम्हारे पत्र नही चाहिए। वचनका पालन करो तो मन और कमसे। मनसे वचन पालन करनेसे तो जी चुराओ और कर्मसे पालन करनेका पुण्य प्राप्त करो, यह असम्भव बात है। मुझे यह जरा भी पसन्द नही। क्या मैंने यह नही सिखाया कि जो करो, वह ठीकसे करो और सुघडतासे करो? छोटे या बडे किसी भी काममे बेगार न टालो।

एक पल भी व्यर्थ न जाने दो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३३६

३६०. पत्र . मीराबहनको

२१ अगस्त, १९३४

चि० मीरा,

अब यह बताने की जरूरत नही है कि मै किस तरह प्रगति कर रहा हूँ। उस के प्रमाणके लिए यह पत्र काफी है। खुराक तकरीबन सामान्य हो गई है।

तुम्हारा पत्र पर्दाफाश करता है, लेकिन मै अपनी क्रियाविधिमे फेर-बदल नही करना चाहता। ध्येयको अहित हम स्वय ही पहुँच सकते है, और कोई नही। कमोबेश जो कुछ वे करते है करने दो। उनकी नीयत नेक है। बस, हमारे लिए इतना ही काफी है। जैसाकि तुम जानती हो, वहाँ जो कुछ काम हुआ है मैंने

उसे बहुत महत्त्व नही दिया है। यद्यपि जो-कुछ तुमने कहा है, उसके आधारपर म कोई कार्रवाई करना नही चाहता, लेकिन मै चाहूँगा कि तुम अगाथा और म्यूरियल दोनोसे साफ-साफ और विस्तारसे बाते करो और वे जो-कुछ कहे उसे सुनो। जहाँ तक बडे लोगोकी बात है, मै तुम्हारी इस बातसे पूणतया सहमत हूँ कि तुम्हे स्वय सीधे उनसे भेट करनी चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि वे सभी तुमसे मिलेगे। अगर न मिल तो तुम्हे चिन्ता करनेकी जरूरत नही है।

दारा का सवाल भिन्न और कठिन है। किस तरह सहायता की जाये किसीको पता नही है। मेरे सामने वह हमेशा एक रहस्य ही रहा है। ब्रॉकवे[1] नेता माना जाता है। लेकिन मुझे वह नेता नही लगता। दाराके मामलेमे उसका रुख क्षमायाचकका था और उत्साही तो वह किसी भी मानेमे नही था। मुझे डर है हम शायद ही उसके लिए कुछ कर पाये। हाँ, उसके साथ पत्र-व्यवहार जारी रखनेमे कोई दिक्कत नही है। मित्रो या 'फैलोशिप ग्रुप' के लिए हम ज्यादा कुछ नही कर रहे है। हम उन्हे कुछ दे भी नही रहे है। अगाथाको ही बस देते है। अच्छा हो यदि हम शेक्सपियरकी यह सलाह माने "सबकी सुनो, किसीसे कुछ कहो नही"। सभी खबरे अपने पास रखना और जब मिलेगे तो बाते होगी, अगर मिल पाये तो। 'अगर' शब्द मात्र सतकर्ताके लिए है, उसका कोई महत्त्व नही है। इस समय स्वास्थ्य-लाभके अलावा मेरे पास कोई योजना नही है। २५ तारीखको एन्ड्रयूज बम्बई पहुँच रहे है। २६ को उन्हे मेरे साथ होना चाहिए।

जवाहरलाल तथा औरोके बारेमे तुम्हे महादेव और प्यारेलालमे से जो भी पत्र-व्यवहार करता होगा, उससे जानकारी हासिल होगी।

उपवास तोडे आज ठीक एक सप्ताह हो गया।

सस्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९६) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६२ से भी।

1. फेनर ब्रॉकवे।

३६१ पत्र सिस्टर अमताको

२१ अगस्त, १९३४

प्रिय अमता,

तुम्हारा मूल्यवान पत्र मुझे ठीक उपवासकी समाप्तिके बाद मिला। भगवान तुम सब लाक[1] बहनोको प्रसन्न रखे। मुझे अभी भी बहुत पत्र लिखनेका प्रयास नही करना चाहिए, यद्यपि तुम यह जानकर प्रसन्न होगी कि मै धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे खोई हुई शक्ति पुन प्राप्त कर रहा हूँ। बस, मुझे अभी भी सावधानी बरतनेकी जरूरत है।

तुम सबको स्नेह।

बापू

सिस्टर अमता
एरेमो, फ्रेन्सेस्केनो
ट्रेवी (अम्ब्रिया)

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३६२ पत्र . जी० आर० सहगलको

२१ अगस्त, १९३४

प्रिय मित्र,

तुम्हारे उदार प्रस्तावके लिए धन्यवाद। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हे क्या मिलता है, तुम कौन-कौनसे विषय पढा सकते हो और कितने वेतनकी आशा करोगे? क्या तुम विवाहित हो? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारे कोई आश्रित है क्या, अगर है तो वे कौन है? तुम्हारे पिता क्या कर रहे है?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री जी० आर० सहगल
मारफत गुरुकुल
सूपा, बरास्ता नवसारी

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ सन्त फ्रान्सिसके इतालवी कान्वेन्टकी बहनें, देखिए खड ५२, पृ० ६०।

३६३ पत्र : एस० गणेशनको

२१ अगस्त, १९३४

प्रिय गणेशन,

मुझे खुशी है कि तुम्हारी योजना नियमित रूपसे प्रगति कर रही है। उतावली मत करना, बल्कि मजबूत आधारपर तैयार करना।

अगर उक्त लडकेका केवल नाममात्रको धर्म-परिवर्तन हुआ था और अगर वह ईसाई-धर्मके बारेमे अथवा किसी भी धर्मके बारेमे कुछ नही जानता तो, मेरी रायमे, वह अपने जन्मगत धर्मसे कभी विच्छिन्न हुआ ही नही। और तब उसके पुन धर्म-परिवर्तनका प्रश्न ही नही उठता। लेकिन अगर उसका प्रामाणिक रीतिसे धर्म-परिवर्तन हुआ है, तो तुम्हे क्या पडी है कि उससे पुन धर्म-परिवर्तन कराओ। उसका धर्म उसके लिए अपनी निजी चीज होना चाहिए और जो-कुछ वह है, उसके लिए उसे भगवानके प्रति उत्तरदायी होना है। मै समझता हूँ, बात बिलकुल साफ हो गई होगी।

तुम्हारे ईसाई लडको को भर्ती करनेपर कोई आपत्ति नही हो सकती, लेकिन वे लडके साधारण-से हरिजन-कोष पर भार नही बन सकते। उनके लिए छात्रवृत्ति तुम्हे अपने निजी मित्रोसे जुटानी पडेगी। यदि छात्र और प्रकारसे योग्य है तो यह दु खकी बात होगी कि धनके अभावमे उन्हे निकाल देना पडा। लेकिन फिर भी यह गलत होगा कि उनके खर्चका भुगतान उस कोषसे हो जो केवल हिन्दुओके लिए उद्दिष्ट है।

तुम्हारा,
बापू

श्री एस० गणेशन
८ पाईक्राफट्स रोड
ट्रिप्लिकेन, मद्रास

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३६४. पत्र : प्रेमाबहन कटकको

२१ अगस्त, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। तेरी उदारताका पार नही है। मै न लिखू तो भी तेरा काम चलेगा। परन्तु इस उदारताका उपयोग करनेकी अभी मेरी इच्छा नही है। फिर भी बधाई तो देनी ही चाहिए। जमनालालजी से मिल आई, यह ठीक किया। उनके साथ प्राथना की, यह भी अच्छा हुआ। उन्होने खुद आगे होकर खच उठानेको कहा, यह तो सुन्दर ही कहा जायेगा। जैसा सुन्दर तेरा आरम्भ है, वैसा ही आगेका समय भी रहे। अन्त तो होगा ही कैसे ?

हम रोज जन्म लेते है, ऐसा कहनेमे[1] मेरा अभिप्राय तेरा बचकानापन प्रकट करना नही था। मैने सपनेमे भी ऐसा कुछ नही सोचा था। तूने आशीर्वाद माँगे, मै तो उसकी प्रशसा ही कर रहा था। इसलिए हर वषगाठ पर आशीर्वादके लिए लिखती ही रहना।

आश्रमकी कोई निन्दा करे तो उसका मुझे बिलकुल दुख नही होता। परन्तु आश्रमको क्यो समाप्त किया, इसका जो कारण मैने बताया, उसपर कोई विश्वास न करे तो इससे दुख जरूर होता है। जिसे मै पवित्र न मानू, उसका बलिदान कैसा ? यह बात तुमने अच्छी तरह समझा दी होगी। परन्तु हमे तो जो हो उसे प्रसन्न चित्तसे सहन करना चाहिए।

पिताजीसे भेट हुई और उनका रोष उतर गया, यह अच्छी बात है। अब यह मेल बना रहेगा, इसमे कोई सन्देह नही।

मेरी गाडी चल रही है। शक्ति आती जा रही है।

पत्र लिखती रहना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५८)से। सी० डब्ल्यू० ६७९७ से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक।

१ देखिए पृ० २८१।

३६५. पत्र : जमनालाल बजाजको

२१ अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

कल तुम्हारे बारेमे अच्छी खबरे मिलती ही रही। शामको डॉ० जीवराज और डॉ० रजबअलीका सम्मिलित तार मिला। अब अगर इसी तरह प्रगति जारी रहे तो बहुत जल्द आराम हो जाना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी नही करनी है। जैसा हो वैसा भले ही चले। काममे जुटनेकी जल्दी न करना। ओमसे कहना कि आज वहाँसे डाक बिलकुल नही आई। शायद आज तार आये।

डॉ० रजबअलीको मेरा वन्देमातरम् वगैरह कहना। वे जितना ध्यान दे रहे है, उसके लिए क्या कहूँ? डॉ० जीवराजके लिए एक पुर्जी साथ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९३९) से।

३६६ पत्र : लीलावती मुन्शीको

२१ अगस्त, १९३४

चि० लीलावती,

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया था। मै तुम्हारे एक सुझावपर अमल करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ, यानी कुमारप्पाको इसमे लानेका। मेरा 'स्वदेशी' के लिए लिखना मुश्किल होगा? मै एक ही वक्तमे दो घोडोपर सवारी नही कर सकता। 'हरिजन' को अधिक व्यापक बनानेके मेरे निश्चयके बारेमे पढा होगा। अत मेरे मनमे जो विचार उठेगे, वे तो उसमे जायेगे। मेरे विचारोका भडार सीमित होता है, अत एक ही वस्तु अनेक पत्रोको नही दे सकता। अभी फिलहाल तो मै 'हरिजन' मे जो-कुछ लिखूँ उसीसे तुम सन्तुष्ट रहना। हाँ, 'स्वदेशी' मुझे भेजती रहना। क्या वहाँ नई नीति स्वीकृत हो गई? लल्लूकाका तो कहते थे, पहले जैसी ही है। क्या तुम्हे नया रूप पूरी तरह समझमे आ गया? उसमे रस ले पाती हो? उस ढगसे सोच पाती हो?

क्या जगदीश पूरी तरह तैयार हो गया है? तुम दोनो शरीरसे बिलकुल ठीक हो गये हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५१)से, सौजन्य लीलावती मुन्शी।

३६७ पत्र : क० मा० मुन्शीको

२१ अगस्त, १९३४

भाई मुन्शी,

मेरी तबीयत अब दिनपर-दिन सुधरती जा रही है और मै रोज अधिकाधिक काम कर पा रहा हूँ। शकरलालको आपने जो टिप्पणी दी थी, उसपर सरसरी नजर डाल गया था। उसका सावजनिक उपयोग तो अभी नही करना है। काग्रेसके चुनावके बारेमे आपका सुझाव मुझे पसन्द आया हे। किन्तु वह अधूरा है। जो-जो सुधार आपको आवश्यक लगे, उन्हे लेखबद्ध कर लीजिए। उपनियम भी लिख डालिए। कितने ही सुझावोपर अमल करनेके लिए सविधानमे परिवतन करने पडेगे। इनके बारेमे भी सुझाव देनेमे सकोच मत कीजिए। इसके लिए आपको समय निकालना पडेगा। बने, तो निकालिए।

पत्र-पत्रिकाओमे आप जो लिख रहे है, उसकी कतरने भेजे तो समय निकाल कर पढनेका प्रयत्न करूँगा। महादेव अथवा प्यारेलाल पढकर उनका सार मुझे सुना सके, इसके लिए भी कोई समय निश्चित नही है। कोई भी ऐसा नही है जिसे अपने कामसे सिर उठानेका समय मिलता हो। अगर कोई सिरतक उठानेका समय पा भी जाये तो मुझे फुसतमे नही पायेगा।

बम्बईकी काग्रेसका काम सचमुच कठिन है। आपने जो चित्र खीचा है, बिलकुल सही है। ऐसी स्थितिमे काग्रेसकी शोभा बनाये रखना सरल काम नही है। आपसे जो बने, करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५२) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी।

३६८ पत्र : नारणदास गाधीको

२१ अगस्त, १९३४

चि० नारणदास,

[1]का दुखसे भरा हुआ पत्र मिला है। मुझे लगा कि इसे तुम्हारे पास भेजना ठीक रहेगा, भेज रहा हूँ। इसका सार लिखकर भेजना ठीक नही होगा। उसका घाव भरनेकी कोशिश करना। कही कुछ गलतफहमी हो गई है। वह बहुत तुनकमिजाज हो गई है। उसे इस बीच काफी आघात लगे है। शायद और भी आघात लगे। कह नही सकते कि समस्या कब सुलझेगी? इस बीच उसको सान्त्वना देनेकी कोशिश करना।

मेरा पिछला पत्र[2] मिला होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१० से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

३६९ पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२१ अगस्त, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आपका पत्र मिला। वहा आपकी उपस्थितिकी आवश्यकता समझ सकता हूँ। तुलना तो आप ही कर सकते हैं। यहा या वहाँ, दोनो ही जगह हमे एक ही किस्मका काम करना है। जहाँ ज्यादा जरूरत हो वही बसना है। इसलिए जो उचित जँचे वही कीजिए। बम्बईके काग्रेस-कायके बारेमे मेरी राय है कि जिन्होने उसका जिम्मा लिया है, वे अपने ढँगसे उसे पूरा करे या उसपर अधिकार छोड दे। छिपानेसे कबतक काम चलेगा?

काग्रेसकी शुद्धिका सवाल बडा है। इसकी विस्तत चर्चा तो जब मिलेगे तभी हो सकती है। [3]के बारेमे आप जो लिख रहे है वही मै भी मानता हूँ। काग्रेसको अपनी नीति तय करनी ही पडेगी। [4]को बुलाकर बात की जाये, तो निपटारा हो सकता है। [5]का पत्र आया था। उसे मैने लिखा है कि

१ साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

२ देखिए पृ० ३४६-७।

३, ४ और ५ साधन सूत्रमें नाम छोड़ दिये गये हैं।

सितम्बरके पहले सप्ताहमे आये और तारीख आपसे तय करा ले। अगर आपका आना असम्भव हो जाये, तो मै उससे जो माथापच्ची करनी होगी कर लूगा। आपको दिखाये बिना कुछ भी लिखकर नही दूगा।

गुजरातके बारेमे आपकी बेचैनीको पूरी तरह समझता हूँ। जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। हमे जो समझना है वह भविष्यको दृष्टिमे रखकर समझना है।

एन्ड्रचूज आये तब जी भरकर बाते कर लीजिये। यहाँ जो होगा वह लिखता-लिखाता रहूँगा।

महादेव आज प्रयाग जायेंगे। शनिवारतक लौट आयेंगे।

शक्तिसे अधिक काम करके फिर तबीयत न बिगाडे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

काकाकी बात तो रह ही गयी। काकाने मेरी सम्मतिसे निणय[1] किया। मुझे वह पसन्द आया। इसमे उनको कोई दु ख नही था, केवल कर्त्तव्य-परायणभाव था। आपको लिखनेका तो मैंने ही सुझाया था। आपको अधिकार है या नही, यह तो मैंने सोचा भी नही।[2] ट्रस्टियोसे न पूछनेके बावजूद पूछा है ऐसा लिखने[3]के कारण काकाको भारी आघात लगा है। वह ठीक ही था।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० ११८-९।

३७० पत्र अन्नपूर्णाको

२१ अगस्त, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,[4]

तुमारा खत बहूत दिन पे मिला। रोज सूत कितना कातती है? सबकी गति क्या है, न० क्या है।

सबकी प्रकृति अच्छी होगी।

देहातके रास्ते पक्के बनानेकी कोशीश की जाय। देहाती उसमे मदद देवे तो बहत कम खचसे ग्राम सुधार हो सकता है।

१ सभी पासोसे इस्तीफा देनेका।

२ तात्पर्य वल्लभभाईकी सलाहके बिना विद्यापीठ पुस्तकालयको, जिसके वे भी एक ट्रस्टी थे, अहमदाबाद-नगरपालिकाको सौपनेसे है, देखिए पृ० २७७-८।

३ कलक्टर, अहमदाबादको, देखिए खण्ड ५५, अवशिष्टाश पृ० ४८१।

४ गोपबन्धु चौधरीकी पुत्री।

पिताजी के पत्रका उत्तर ठक्कर बापाने दिया होगा। अब तो मैंने थोडा-थोडा लिखना शुरू कर दिया है। मुझे लिखा करो।

बापुके आशीर्वाद

श्री अन्नपूर्णा कुमारी[१]
बारी[२], कटक[३]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८६) से।

३७१ तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

सर प्रभाशंकर पट्टणी
भावनगर

२२ अगस्त, १९३४

तलाजा[४] के हरिजनोके साथ हुए दुर्व्यवहारके आरोपके बारेमे आशा है आप आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३४) से। सी० डब्ल्यू० ३२५० से भी, सौजन्य महेश प्र० पट्टणी।

३७२ पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

२२ अगस्त, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

आपका तार मिला था। भगवान जबतक इस शरीरसे कुछ भी सेवा लेना चाहेंगे, तबतक इसे बनाये रखेंगे। जब इसकी जरूरत नही होगी, तब तो एक जम्हाई भी प्राण लेनेको काफी होगी न? मेरी शक्ति लौट रही है। अब धीरे-धीरे कामकाज हाथमे लेता जा रहा हूँ।

साथका पत्र पढिये। यदि इसमे लिखा विवरण सच हो, तो आप अपने किसी मित्रकी ऐसी दुर्गति होनेपर जो उपाय करते, वह कीजियेगा।

आपका,
मोहनदास

१, २ और ३ रोमन लिपिमें है।
४ देखिए "असह्य दुर्व्यवहार" २-९-१९३४ भी।

[पुनश्च]

यह पत्र लिख चुकनेके बाद भावनगरसे अधिक विवरण सहित तार आया। इसलिए मैंने तार[1] किया, और अब यह पत्र भेज रहा हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३५) से। सी० डब्ल्यू० ३२५१ से भी, सौजन्य महेश प्र० पट्टणी।

३७३ पत्र अगाथा हैरिसनको

२२ अगस्त, १९३४

प्रिय अगाथा,

धीरे-धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है, तुम्हे यही सूचित करनेके लिए पत्र लिखा है। सात दिनोके इस आरामकी कीमत मुझे सात-आठ पौड वजन के रूपमे देनी पडी। तुम्हारे पत्र और तारसे तुम्हारी चिन्ताका एहसास हुआ। उपवास तो मुझे करना ही था। मेरे दोस्तोको मेरे इस स्वभावको बर्दाश्त करना ही है, क्योकि मेरा यह पिछला उपवास कदाचित अन्तिम उपवास न हो। ससारकी नजरोसे गिरकर तो मै जी भी सकता हूँ, पर अपनी नजरसे गिरकर कदापि नही जी सकता।

ताजा गतिविधियोकी जानकारी महादेव और प्यारेलालसे तथा चन्द्रशकर जो कतरने भेज रहा हो, उससे मिलेगी। इन पत्रोमे जो-कुछ लिखा गया है, मीराको भी वह सब नही लिखा गया होगा। इसलिए तुम जरूरी समझो तो मीराको पत्र दिखाती रहना। वह व्यावहारिक बुद्धिसे काम लेती जान पड रही है। अपनी प्रतिक्रिया जैसी भी हो, उसे जरूर बताना।

बेचारा कमलानी![2] उसके बारेमे तुम और पोलक जो-कुछ जानते हो, लिखना।

सी० एफ० एन्ड्रयूज २५ तारीखको बम्बई पहुँच रहे है। २६को कदाचित वे यहा रहे। तबतक तुम, क्या होने जा रहा है, इसे लेकर चिन्ता मत करना। मेरा कोई बिलकुल ही निश्चित कार्यक्रम नही है। बगाल और सीमाप्रात तो मुख्य है ही। लेकिन कायकी ठीक-ठीक रूपरेखा अभी मेरी नजरमे नही है। मै जल्दबाजी मे कोई बडा खतरा पैदा नही करना चाहता। पर मेरे लिए स्थिति किसी भी क्षण दुष्कर बन सकती है? मुझे घूमने-फिरनेकी गुजाइश मिलनी ही चाहिए। काल-कोठरीमे कोई भी ऊब जायेगा — मेरे-जैसा खुली हवाका प्राणी तो और भी अधिक। इस दुखी देशमे यह अस्वाभाविक स्थिति ही अब स्वाभाविक होती जा रही है। मैंने अपने मनकी स्थिति बतानेके खयालसे ही तुम्हे यह लिखा है, न कि इस खयालसे कि तुम और ज्यादा काम करो। अगर हम यहाँ कुछ नही कर पा रहे है तो तुम

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ देखिए पृ० ३१९।

इने-गिने लोग वहाँ क्या कर सकते हो? और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हम कुछ नही कर रहे है या जो कर रहे है वह काफी नही है। स्वास्थ्य-लाभकी अवधि समाप्त होनेपर मुझे ऐसे एक माहौलमे काम करना पडेगा। तुम भयभीत मत हो जाना। मैंने जो-कुछ कहा है, उसमे नया कुछ नही है। तुम्हे सब-कुछ पता है। यहाँ इनका जिक्र यह बतानेके आशयसे मैंने किया है कि तुम्हारे भारत छोडनेसे पूर्व जो स्थिति थी तकरीबन आज भी वही है। सविनय अवज्ञा के सारे सामान्य कैदी तक रिहा नही किये गये। और जवाहरलालके साथ तो असाधारण बर्ताव हुआ है। किसी भी दिन उन्हे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल वे मुक्त है। कोई अशोभन काय किये बिना वे जेल नही जा सकते और सरकार की किसी भी क्षण उन्हे गिरफ्तारीकी सूचना मिल सकती है। बेचारी कमलाको, जिसकी देखभालके लिए उन्हे रिहा किया गया है, इससे कोई राहत नही मिल पाई है। यह निहायत ही कठोर क्रूरता है। प्रतिज्ञा-पत्र देनेके बावजूद बहुत-से कैदियोको बिना किसी कारण अभीतक रोक रखा गया है। जमीन अभीतक जुर्मानेके बदले कुक की जा रही है। मेरी अहिंसाकी परीक्षा हो रही है। लेकिन मेरी अपनी इच्छा कोई कदम उठानेकी नही है। जबतक ईश्वर मुझसे काम कराना चाहता है, मैं सह रहा हूँ। मेरी नही बल्कि उसकी इच्छा पूरी होगी।

मीरा और म्यूरियलको भी इसे जरूर पढा देना, तथा पोलक और जिसको तुम चाहो।

तुम्हे और तुम्हारी बहनको, जिसके छोटे-से पत्रका जवाब मैं न दे सका, स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७९) से।

३७४ पत्र म्यूरियल लेस्टरको

२२ अगस्त, १९३४

प्रिय म्यूरियल,

अगाथाको लम्बी चिट्ठी[1] लिखनेके बाद यह पत्र हाथमे ले रहा हूँ। इसलिए अब मुझे सक्षेप करना चाहिए। सात दिनके उपवासके बाद मेरा स्वास्थ्य जितना ठीक हो सकता है, उतना ही है।

अगर समय निकाल सको, तो मेरी इच्छा है कि रूसके अपने अनुभव मुझे बताओ।

राजकुमारी अमृतकौरके लिए अहिसापर अपने विचार लेखबद्ध करनेका जो काम तुमने मुझे सौपा था, वह मैं कभी भूला नही। लेकिन वह काम करनेके

१. देखिए पिछला शीर्षक।

लिए मेरे पास कभी समय नही बचा, और क्या मालूम कभी बचेगा भी या नही। मै केवल यही वचन दे सकता हूँ कि उस कामकी बात याद रखूँगा।

तुम्हे याद है, तुम उस साक्षात्कार[1] का रहस्योद्घाटन करने खास तौरपर रोम जानेवाली थी। उस पत्रके सम्पादकसे मिलकर तुम्हे यह जानना था कि उसने सचमुच क्या कहा था और तुमसे उसे क्या कहना है? बाह्य ससारके लिए चाहे इस बातका कोई मूल्य न हो, किन्तु तुम्हारे लिए था, और उसके लिए था जो केवल सत्यकी सेवा करना चाहता है, सत्यके सिवाय और किसीकी नही।

तुम्हारी रायमे मीरा कैसी है?

तुम्हे, डोरिस[2] को तथा बढते हुए परिवारके शेष सदस्योको मेरा प्यार।

बापू

कुमारी म्यूरियल लेस्टर
बो, लन्दन

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३७५ पत्र स० ना० गागुलीको

२२ अगस्त, १९३४

प्रिय मित्र,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा यह कहना बिलकुल सही है कि शारीरिक ब्रह्मचर्यके लिए मै कोई उत्कृष्ट मार्ग नही खोज पाया हूँ। मै केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हे अध्यवसायके साथ मेरी सुझाई लीकोपर चलना चाहिए। शुद्ध आहार, स्वच्छ वायु और हल्का व्यायाम, इनसे इच्छित फल प्राप्त होता है। प्राणायाम और आसनोके बारेमे भी कहा जाता है कि उनका परिणाम अच्छा होता है। कटि-स्नान भी उपयोगी होते है। सरसोका तेल ऐसा मसाला है जिसका त्याग करना चाहिए। वैसे मै तो तुम्हे सभी तेलोका त्याग करनेकी सलाह दूगा। भाजियाँ उबाली जानी चाहिए। स्टार्च (श्वेतसार) वाली भाजियाँ नही खाना चाहिए, न दाले ही। दूधके बारेमे तुम्हे चिन्ताकी जरूरत नही है। शहद दूधकी जगह नही ले सकता। काफी मात्रामे रोज लेना चाहिए। और सबसे बडी बात यह है कि तुम्हे लगनके

१ गाधीजीके साथ एक मनगढ़न्त साक्षात्कार, जो इटलीके एक पत्रमें प्रकाशित हुआ था और **टाइम्स**के रोम स्थित सवाददाताने जिसकी रिपोर्ट भेजी थी। देखिए खण्ड ५७, पृ० २७१-३ और ३०३४।
२ कुमारी लेस्टरकी बहन।

साथ नित्य प्राथना करनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारी प्राथनाका उत्तर मिलेगा।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सत्येन्द्रनाथ गागुली
अठाराबाडी
जिला मैमनसिंह

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३७६. पत्र: वल्लभभाई पटेलको

२२ अगस्त, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

एक प्रश्न आपको हल करना है। काकाकी इच्छा दक्षिणमे जाकर काम करनेकी है। उनके ट्रस्टीपद[1] से इस्तीफा देनेका इसके साथ कोई सम्बन्ध नही है। मै यहाँ आये हुए शिक्षको[2] से कह रहा हूँ कि उन्हे देहातमे बसना चाहिए और वहाँ रहकर रचनात्मक काम करके जो सगठन हो सके, करना चाहिए और जो शिक्षा दी जा सके देनी चाहिए। शिक्षकोको यह बात पसन्द आई है, और जिन्हे छुट्टी मिल सके वे ऐसा करनेको तैयार हो गये है। उनमे काका भी शामिल है। विद्यापीठके मकानोका उपयोग शहरकी जरूरतके अनुसार हमे करना ही है ।[3]

महादेव कल शामको गया। आज रातको वहाॅ पहुँचेगा।

एन्ड्रूयूजको लेने मथुरादास शनिवारको जायेगे ही। और भी जो कोई जा सके, उन्हे भेज दे। हो सके तो एन्ड्रयूजको अपने पास ही ठहराइये और वे चाहे तो उसी दिन इधर भेज दीजिए।

यह लिखनेके बाद आपका पत्र मिला।

[4]से मिलना हो गया यह ठीक हुआ। कैदियोके बारेमे वे और 'क्रॉनिकल', 'फ्री प्रेस' वगैरह ऊहापोह जरूर करे। छोटी बातोपर चुप रहे, पर बडी बातपर कैसे चुप रहे? डाह्याभाई नटराजन[5] से भी आनेको कहे। घनश्यामदासके तारके मुताबिक तो वे यहाॅ आनेके लिए सोमवारको रवाना हो जायेगे।

मै मानता हूॅ कि एन्ड्रयूज दो-चार दिन तो रहेगे ही। कदाचित् तुरन्त शान्तिनिकेतन जाना चाहे। आप ही उनसे निश्चित जान ले।

१ देखिए पृ० ३५९।
२ देखिए पृ० ३२२६।
३ और ४ साधन सूत्रमें ये छूटे है।
४ इडियन सोशल रिफार्मरके सम्पादक।

अब आज अधिक नही लिख सकता।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० ११९-२० ।

३७७ पत्र ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

दुबारा नहीं पढा

२२ अगस्त, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला है। दामोदरदासको तुमारे पास बुलाना है तो अवश्य बुलाओ। ऐसे बातोमे मुझको पूछना अनावश्यक है। मै रुकावट भी कैसे डाल सकता हूँ? तुमारी स्वतत्रता किसी तरह मै छीनना नहि चाहता हूँ। मै तो दामोदरदासने जो बाते , [1]के बारेमे कही है उस बारेमे उन लोगोको न्याय मिलनेके कारण उस बातके उपयोगकी इजाजत अगर मिल सकती है तो अवश्य चाहता हूँ। यह चीज मुझे झहरकी मानिद खाती है क्योकि अब , [2]और [3]को खत लिखनेके समय बडा सकोच पाता हूँ। एक बात उनके विरोधकी मैने सुनी उसका असर पडता है तो भी उनसे मै बता न सकूँ ऐसा मौका मेरी जिदगी भरमे शायद पहेला होगा। इस बधनसे मुझे मुक्ति मिल सके तो मेरे लिये पर्याप्त होगा।

दिल्ली काग्रेसके झगडेमे कभी नहि पडगा। ऐसी बाते मेरी शक्तिके बाहर हो गई है।

तुमारी इजाजत है इसलिये तुमारा खत सरदारको भेजता हूँ उसमे दामोदर-दासका उल्लेख तो है ही।

प्रभावतीसे जो विवाह सबधी लिखा उस बारेमे अब समज पडी होगी। विवाहकी बात ही न करना ऐसा कुछ नहि था। लेकिन विवाहकी बात प्रभावतीके मार्फत कभी होनी नहि चाहिये थी। यह उसका क्षेत्र कभी नही बन सकता। या न कभी बन सकता है। जबतक प्रभावती ऐसी बातोमे स्वतत्र नहि बनी है। आश्रमकी किसी लडकीके बारेमे किसीसे बात हो सकती है तो जमनालालजी, विनोबा और मेरे साथ ही हो सकती है। और विनोबा और मै ऐसी बातोमे जमनालालजीको ही प्रधान पद देते है इसलिये जमनालालजीमे बात करना सर्वथा उचित था फिर प्रभावतीसे क्यो।

तुमारे स्वास्थ्यके लिये अवश्य मसुरी जाओ। मसुरीके बाद देखा जायगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२०) से।

१, २ और ३ नाम नही दिये गये है

३७८ वक्तव्य एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको[1]

[२३ अगस्त, १९३४ या उससे पूर्व][2]

भाषण और साम्प्रदायिक परिनिर्णयके बारेमें कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावपर लिए हृदयसे आपत्ति हो ऐसे उम्मीदवारकोंके पक्षमें मत देनेकी और भाषण देनेकी स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी। पंडितजीको इससे सन्तोष नहीं हुआ। वह सबके लिए कार्य करनेकी पूरी स्वतन्त्रता चाहते थे। इससे कार्यकारिणीका प्रस्ताव प्रभावहीन बन जाता था, इसलिए कार्यकारिणी इसे स्वीकार न कर सकी। यह मानना गलत है कि समितिके प्रस्तावका अर्थ लगभग परिनिर्णयको स्वीकार कर लेना ही था। समितिने परिनिर्णयको न तो स्वीकार किया था और न अस्वीकार। और इससे उसकी निष्पक्षता और राष्ट्रीयताका प्रमाण मिलता था। सर्वसम्मत हल मात्र इसी तरीकेसे निकल सकता था और अगर हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य लोग वफादारी और गम्भीरताके साथ प्रस्तावके अनुकूल काम करते तो हल निकल सकता था।

इसके बाद महात्मा गांधीसे पूछा गया कि क्या पंडित मदनमोहन मालवीयकी नई संस्था कांग्रेसके नामसे चुनाव लड़ सकती है? उन्होंने बताया कि केवल संसदीय बोर्ड ही एक ऐसी संस्था है जो कांग्रेसके नामसे कोई काम कर सकती है।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, २४-८-१९३४

१ साधन सूत्रमें बताया गया है "चूँकि कार्यकारिणीके साम्प्रदायिक परिनिर्णय-सम्बन्धी प्रस्तावके सम्बन्धमें समझौता करनेके गांधीजी के प्रस्तावसे कुछ भ्रान्तियाँ उठ खड़ी हुई थीं, इसलिए उनसे स्थिति साफ करनेके लिए कहा गया था।"

२ यह "वर्धा, २३ अगस्त" तिथि पंक्तिके अन्तर्गत छपा था। देखिए "पत्र वल्लभभाई पटेलको", पृ० ३७२-३।

३७९ तार आनन्द तो० हिंगोरानीको

२३ अगस्त, १९३४

आनन्द हिंगोरानी
सहितीपुर
कराची

आशा है कि दाद ठीक हो गया होगा। शल्यचिकित्सककी सलाहसे बवासीरका ऑपरेशन तुरत करवा लो।[1]

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३८० पत्र आनन्द तो० हिंगोरानीको

२३ अगस्त, १९३४

प्रिय आनन्द,

तुमने अपनी तकलीफोंकी दर्दनाक कहानी मुझे लिखी है। मामूली दाद बढ़कर इतना भयानक हो जाये, यह बात समझमें नहीं आती। आम तौरपर वह सामान्य इलाजसे दो या तीन दिनके भीतर ही ठीक हो जाता है। क्या तुम किसी योग्य डाक्टरसे इलाज नहीं करा रहे हो? और तुम्हें अपनी बवासीरकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उसका ऑपरेशन बहुत ही आसान है और यदि कोई योग्य शल्यचिकित्सक यह सलाह देता है कि तुम्हें तुरन्त ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो तुम्हें बिना आगा-पीछा किये वैसा करना चाहिए।

मैं देखता हूँ कि तुम्हारा पत्र १६ तारीखका है। वह कल ही मिला है। जाहिर है कि पत्रके कराची पहुँचनेमें काफी समय लगता है और इसलिए मैं निम्नलिखित तार भेज रहा हूँ

> "आशा है कि दाद ठीक हो गया होगा। शल्यचिकित्सककी सलाहसे बवासीरका ऑपरेशन तुरन्त करवा लो।"

मेरा ईश्वरविषयक संदेश तुम प्रकाशित कर सकते हो। चाहो तो उसका पूरा पाठ 'यंग इंडिया' से उतार सकते हो। जैसाकि तुम जानते हो, 'यंग इंडिया' से

१ देखिए अगला शीर्षक भी।

चुने हुए लेख पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किये गये हैं। यह सन्देश उन चुने हुए लेखोंमें है।

मैं विद्याको अलगसे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन उसे लिखना चाहिए। आशा है कि वह और महादेव बिलकुल ठीक होंगे।

यदि तुम्हें जल्दी न हो तो मैं पैसा भेजना तबतक रोक रखना चाहता हूँ जबतक कि जमनालालजी अस्पतालसे बाहर नहीं आ जाते या अपना कामकाज सम्हालने योग्य नहीं हो जाते।

तुम दोनोंको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा आनन्द तो० हिंगोरानी

३८१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२३ अगस्त, १९३४

प्रिय चार्ली,

इतना केवल तुम्हारे स्वागतके लिए है।[1] आशा है, तुम्हारी समुद्र-यात्रा अच्छी रही होगी। सम्भव हो तो पहली गाड़ीसे चले आओ।

सस्नेह।

मोहन

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९६८३) से, सौजन्य विश्वभारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन

३८२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२३ अगस्त, १९३४

तू मुझे न लिखे और मैं तुझे न लिखूँ, यह अच्छा सौदा है। अब मैंने तुझे लिखा है, तो तू लिखना। मिस्टर एन्ड्र्यूजका पत्र उनको दे देना।[2]

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० १५१

१ एन्ड्र्यूजको २५ अगस्तको इंग्लैंडसे बम्बई पहुँचना था, देखिए पृ० ३६१।

२ देखिए पिछला शीर्षक। मथुरादास त्रिकमजीको एन्ड्र्यूजकी अगवानी करनी थी, देखिए पृ० ३६४।

३८३ पत्र : ना० र० मलकानीको

२३ अगस्त, १९३४

प्रिय मलकानी,

मुझे वह पत्र याद है जो मैंने तुम्हारे कहनेपर एक सिन्धी मित्रको भेजा था। जब मुझे ड्राफ्ट मिलेगा, तब मैं तुम्हारे सुझाये अनुसार रसीदें भेज दूंगा।

हैम्प्टन इन्स्टीट्यूट सम्बन्धी पुस्तिकाओंके बारेमें मुझे कुछ ऐसा याद है कि पढ़नेके बाद मैंने उन्हें ठक्करबापाके पास भेज दिया था। लेकिन ऐसे मामलोंमें मेरी याददाश्त बिलकुल विश्वसनीय नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया और तुम्हारे बताये अनुसार ही उनका निबटारा किया होगा। फिर भी मैंने देवराजसे उनकी खोज करनेको कहा है, और यदि पुस्तिकाएँ मिल गईं, तो तुम्हें भेज दी जायेंगी।

आशा करता हूँ कि कल्याण-केन्द्रके लिए तुम्हें कोई सुभीतेका भूखण्ड मिल जायेगा। ब्रजकिशोरने मुझे उसके बारेमें लिखा था।

मैं खोई हुई शक्ति धीरे-धीरे पुनः प्राप्त कर रहा हूँ।

क्या तुम्हें आगराके उस मित्रकी याद है जिसने चमशोधनपर एक टिप्पणी तैयार की थी? मैंने वह टिप्पणी विस्तृत व्याख्याके लिए वापस भेजी थी। मुझे ठीक याद नहीं आ रहा कि वह मैंने तुम्हें भेजी थी या ठक्करबापाको या घनश्याम दासको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खोजकर पता लगाओ कि वह व्याख्याके लिए लेखकके पास भेजी गई या नहीं। अगर भेजी गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लेखकको याद दिलाओ कि आवश्यक संशोधनोंके साथ भी इस टिप्पणीकी मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आशा है, सिन्धमें तुम्हारा समय मजेमें बीता होगा।

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३८४ पत्र एच० ए० ललवानीको

२३ अगस्त, १९३४

प्रिय ललवानी,

तुम्हारा पत्र मिला। यह भूल तुम मेरे ध्यानमे तत्काल क्यो नही लाये? इस प्रकारके मामलोमे पैसा लौटानेकी कठिनाई तुम समझ सकते हो। निश्चय ही यह भूल तुम्हारे ध्यानमे फौरन आ गई होगी। अब मेरी सलाह है कि तुम उस सौ रुपयेके नोटको बिलकुल भूल जाओ। हरिजन-सेवक सघ जैसा विशाल सगठन ऐसी भूले सुधारनेके फेरमे नही पड सकता। लेकिन अगर तुम्हे मेरी सलाहसे सन्तोष न हो तो अच्छा यह है कि तुम जयरामदासको लिखो, और अगर जयरामदास माने कि इस मामलेमे पैसा लौटाया जाना चाहिए तो मै उन्हे सलाह दूगा कि वे तुम्हारी ओरसे ठक्करबापाको लिखे। अगर तुम्हारा इरादा जयरामदाससे मिलनेका हो तो यह पत्र तुम उन्हे दिखा देना।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री एच० ए० ललवानी
हैदराबाद

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३८५. पत्र . जमनालाल बजाजको

२३ अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला और ओम, जानकीमैया तथा मदनमोहनके भी। विनोबासे समाचार सुने और अभी-अभी डॉ० शाहका तार भी मिला। इससे अब तो ऐसा ही मानना चाहिए कि थोडे दिनमे ही जख्म भर जायेगा। परन्तु तुम हवाई किले न बाँधना। वहाँका सब काम धीरजके साथ पूरा करना। किसी तरहकी जल्दी या चिन्ताकी आवश्यकता नही है। यहाँ राधाकिसन[1] सब बातका ठीक इन्तजाम कर लेता है। और मेरी रखवाली तो वह तथा और दूसरे कितने ही लोग कर रहे है।

१. जमनालाल बजाजका भतीजा।

जिस वाक्यके बाद 'विनोद' मे लिखना पडे उसे क्या विनोद कहेगे? जानकी-मैया चीख-पुकार मचा दे यह अच्छा, या तुम मनमे सब-कुछ दबाकर सपने देखते रहो, यह अच्छा है? जानकीमैया शोर मचा देती है तो हम समझ जाते है कि उसे बडा दु ख है, और तुम बात मनमे ही रख लेते हो तो हम लोग धोखेमे पड जाते है। कहो, अब कौन बढकर है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १३२।

३८६ पत्र . उमादेवी बजाजको

२३ अगस्त, १९३४

चि० ओम उर्फ सोती सुन्दरी,[१]

अब कह सकते है, तुमने ठीक पत्र भेजा। अक्षर अभी और अच्छे होने चाहिए। तुम सोनेसे सीनेकी ओर जा रही हो, इसलिए बेचारे दर्जी अब क्या करेगे? पर उन्हे डरका कारण नही रहेगा, क्योकि थोडे ही दिनोमे तुम सिलाईकी मशीनपर ही सोती नजर आओगी।

तुम्हारे बदले अभी भी मदालसा रोज सेवामे समय लगाती है। और दूसरा धन्धा तो है नही, इसलिए मक्खियाँ उडाती है।[२]

पत्र बराबर लिखा करना। उन्हे[३] अभी बाते अधिक न करने देना। जो आये, उससे जानकीबहन बाते करे। उनका बाते किये बिना काम तो चल ही नही सकता और उसमे तू सहज ही शामिल हो सकती है — फिर लोगोको काकाजी के साथ बातें करनेकी क्या जरूरत?

मेरा वजन आज राधाकिसनने लिया — ९८ पौड हुआ। ऐसे बढता रहेगा, तो कहाँतक पहुँचेगा, कौन जाने?

तू रामायणका सुरसे पाठ करती है क्या? सुमित्रा-लक्ष्मणका सवाद सचमुच हृदयद्रावक है। पर ऐसे सवाद तो रामायणमे खूब भरे है।

तू कितने बजे उठती है?

१ १९३३ में गाधीजी के हरिजन दौरेके समय ओम उनके साथ थी। उस समय उसकी उम्र १३ वर्ष थी। यात्रामें जब कभी समय मिल जाता तो वह झटसे सो जाती। इसीलिए गाधीजी ने उसका नाम 'सोती सुन्दरी' रख दिया था।

२ गुजराती कहावत, जिसका अर्थ है "समय बिताना"।

३ जमनालाल बजाजको।

गोपी आज बलेव-दिवस[1] के लिए जबलपुर गई। उसने जल्दी आ जानेको कहा तो है। गजाननके पत्र भी आते रहते हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३३७

३८७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२३ अगस्त, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

इसके साथ ब्रजकृष्णका दिल्लीके झगडोंके सम्बन्धमें पत्र है। उसे पढकर फाड डालिये। मैंने साफ लिख[2] दिया है कि वे यदि कहेंगे भी तो भी मैं इस झगडेमें नहीं पडूँगा। रोज ऐसी ही खबरें आती रहती हैं। सबको अपनी-अपनी पडी है, देशकी किसीको नहीं पडी। ऐसी हालतमें कैसे पार लगेंगे, यह समझमें नहीं आता।

बंगालसे मेरे पास भी अणेके विरुद्ध तार आये हैं। मैंने साफ लिख दिया है कि उनकी निष्पक्षताके बारेमें किसीको शंका नहीं करनी चाहिए। उनपर पूरा भरोसा रखना चाहिए।

मालवीयजी ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को अवार्डके बारेमें नीति बदलनेका हुक्म जारी किया है। इसलिए घनश्यामदासने त्यागपत्र भेज दिया है। त्यागपत्रमें जो कारण दिये हैं उनसे इन दोनोंका मतभेद प्रकट होता है। देखना है, अब क्या होता है। पता नहीं दोनोंको क्या सूझी है।

राजेन्द्रबाबूके तारके आधारपर एसोसिएटेड प्रेसको एक वक्तव्य[3] भिजवाया है, जो आप अखबारोंमें देखेंगे। नकल होगी तो भेज दूँगे। ऐसी-ऐसी चीजें आप भी बम्बईसे निकाला करें तो ठीक रहे। मौलानाने तारसे पूछा है कि यह कांग्रेस नेशलिस्ट पार्टी क्या है? मैंने उन्हें तार दिया है कि इसका उत्तर तो प्रेसिडेंटको देना चाहिए, मैं भी वल्लभभाईको लिखूँगा, मगर आप भी उन्हें तार भेजिये। अब तार आये तो आप देख लें।

आज राजाजी का एक पत्र आया है, जो आपके देखने योग्य है। पढकर फाड दीजिए। कुछ लिखना हो तो लिख भेजिए। मद्रास जाने लायक शक्ति हो और समय मिले तो जाइये। 'स्टेट्समैन' की कतरन मैंने नहीं देखी। यदि मिल गई तो

१ एक हिन्दू पर्व जब लोग अपने जनेऊ बदलते हैं। देशके कुछ भागोंमें इसे रक्षाबन्धनके रूपमें भी मनाते हैं।

२ देखिए पृ० ३६५।

३ देखिए पृ० ३६६।

वह भी भेजूगा। वे जो चाहे लिखे, परन्तु हम सत्यको कैसे छिपा सकते है? प्रफुल्ल घोष आये है। वे बगालकी जो सडी-गली बाते सुनाते है, उनसे बडा दुःख होता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १२०-२१

३८८ भेट : खादी-कार्यकर्त्ताओको[१]

[२४ अगस्त, १९३४ या उससे पूर्व][२]

खादी, एक तरहसे, विशुद्ध आर्थिक योजना है। खादीके किसी भी सगठनको सबसे पहले व्यावसायिक सस्थान होना चाहिए। इसलिए लोकतान्त्रिक सिद्धान्त उसपर लागू नही हो सकता। अनिवार्य रूपसे, लोकतन्त्रका अर्थ, सकल्प और विचारोका टकराव होता है, इसमे कभी-कभी उन विचारोके बीच घोर शत्रुतातक रहती है। पर एक व्यावसायिक सगठनमे इस तरहके सघर्षके लिए कोई स्थान हो ही नही सकता। किसी व्यावसायिक सस्थानमे दलो, गुटो आदिकी कल्पना कीजिये। वह उनके बोझसे टुकडे-टुकडे हो जाता है। परन्तु खादी-सगठन केवल व्यावसायिक सस्थान नही, उससे कुछ अधिक है। यह जनता-जनार्दनकी सेवाके लिए बनाया गया एक लोकहितकारी सस्थान है। इस तरहका सस्थान लोगोकी आम सनकसे शासित नही हो सकता। इसमे व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाके लिए कोई जगह नही है।

खादीके उत्पादनका पुनर्गठन करते समय आपको यह नही भूलना चाहिए कि कुछ बातोमे खादीका शास्त्र साधारण व्यवसायसे बिलकुल उल्टे ढगपर चलता है। आप जानते है कि एडम स्मिथने अपने 'वैल्थ ऑफ नेशन्स' ग्रन्थमे पहले तो कुछ ऐसे सिद्धान्त बताये है जिनके अनुसार आर्थिक घटनाक्रम चलता है, और उसके बाद कुछ ऐसी बाते बताई है जो 'गडबड पैदा करनेवाले तत्त्व' है और जिनके कारण आर्थिक नियमोको पूरी तरह अपना काम करनेका मौका नही मिलता। इनमे मुख्य है 'मानव तत्त्व।' इसी 'मानव तत्त्व' पर खादीका समूचा अर्थशास्त्र टिका है, और मानवकी स्वार्थपरायणता, जिसे एडम स्मिथ 'शुद्ध आर्थिक हेतु' कहते है, 'गडबड पैदा करनेवाला तत्त्व' है जिसपर हमे काबू पाना होगा। इसलिए जो बात मिलके

१ यह "खादी — एक नई दिशा" शीर्षकसे और पट्टाभि सीतारमैया, सीताराम शास्त्री और नारायण राजू जैसे आन्ध्रके प्रमुख खादी कार्यकर्त्ताओके सम्मुख व्यक्त किये गये "गाधीजी के विचारोका सार" के रूपमें प्रकाशित हुआ था। विचार विमर्श दो दिन चलता रहा था।

२ **बॉम्बे क्रॉनिकल**, २६-७-१९३४ से, जिसमें यह रिपोर्ट थी कि पट्टाभि सीतारमैया २४ अगस्त, १९३४ को वर्धासे मद्रासके लिए रवाना हो गये थे।

कपडेके उत्पादनपर लागू होती है, वह खादीपर लागू नही होती। व्यावसायिक उत्पादनमे घटिया माल बनाना, मिलावट करना, मानवकी हीन रुचियोको सन्तुष्ट करना, वगैरह आम बाते है। खादीमे इनके लिए कोई स्थान नही है, और न खादीमे अधिक-से अधिक मुनाफा और कम-से-कम मजदूरीके सिद्धान्तकी गुजाइश है। इसके विपरीत, खादीमे खालिस लाभ जैसी कोई वस्तु नही है और घाटा तो होना ही नही चाहिए। घाटा होता है इसलिए कि कार्यकर्त्ता अभीतक अयोग्य और नौसिखिये है। खादीके जो दाम वसूल किये जाते है, वे मूल उत्पादको अर्थात कत्तिनोको वापस मिल जाते है, और दूसरे लोगोको अपनी मजदूरीसे अधिक कुछ नही मिलता।

अब स्तर कायम रखनेका सवाल ले। खादीमे उसे लागू नही किया जा सकता। जैसा राजगोपालाचारीने एक बार कहा था, एक गरीब कत्तिन हमेशा एक ही तरह का सूत नही कात सकती। वह कोई मशीन नही है। आज उसकी तबीयत अच्छी न हो, कल उसका बच्चा बीमार पड जाये, तो उसका मन उद्विग्न हो सकता है। अगर आपमे गरीब कत्तिन या उसके बच्चेके प्रति प्रेम हो तो आप यह आग्रह नही करेगे कि उसका धागा हमेशा चिकना और एक-सा हो, बल्कि वह जो भी कातकर दे देगी आप उसीसे सन्तोष कर लेगे। शर्त यही है कि अपनी स्थितिके अनुसार वह यथाशक्ति अच्छा सूत काते। उसके हाथका पवित्र स्पर्श खादीको वह जीवन और इतिहास देता है जो यन्त्रसे निकला सूत कभी नही दे सकता। यन्त्रके बने पदार्थमे जो कला है वह सिर्फ आँखको भाती है। खादीकी कला पहले हृदयको और बादमे आँखको भाती है। इसलिए मै रासायनिक प्रक्रियासे खादीकी धुलाई नापसन्द करता हूँ। उससे उत्पादनका खर्च बढता है, कपडेके टिकाऊपनमे फर्क आता है, और धोखेबाजीका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। हमे लोकरुचिको अनुचित सन्तोष नही देना चाहिए, बल्कि नई रुचि विकसित करनेका प्रयत्न करना चाहिए। साधारण ढगकी कुछ धुलाइयोसे खादी बिलकुल सफेद निकल आयेगी और उसमे वह मुलायमत आ जायेगी जो रासायनिक प्रक्रियाकी धुलाईसे नष्ट हो जाती है। हम सबको अनावश्यक खर्च कम करनेके लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए।

इसलिए खादीको हम अगर व्यवसायकी वस्तु नही बल्कि करोडो अधभूखोके गुजारेके लिए जरूरी चीज मानते हो, तो हमे कत्तिनोके घरोमे जाकर उन्हे अपने ही सूतकी बनी खादी पहननेको राजी करना चाहिए। इससे उत्पादनका खर्च एकदम घट जायेगा और बँटवारा अपने-आप होने लगेगा। अबतक हमने सिर्फ शहरी लोगोके लिए खादी तैयार करनेकी कोशिश की है। तुच्छ प्रारम्भसे खादीका उत्पादन अब कई लाख गज वार्षिकतक बढ गया है। हमने उसकी किस्मे भी बढाई है। परन्तु मुझे उससे सन्तोष नही होता। खादीकी कल्पना इससे बहुत अधिक महत्वाकाक्षी हेतुसे की गई थी। वह हेतु यह था कि हमारे देहातमे कभी भुखमरी न आने पाये। यह तभी सम्भव है जब हमारे देहाती खुद खादी पहनने लगें और शहरोको सिर्फ फाजिल खादी ही भेजे। खादीका विशेष रहस्य यही है कि वह अपने उत्पादनके स्थानमे बेची जा सकती है और उसे तैयार करनेवाले खुद उसे काममे ले सकते है।

मेरी दृष्टिसे हमारा मौजूदा व्यवस्था-खर्च बहुत ज्यादा है। अगर हम अपना ध्यान खादीके मुख्य हेतुपर केन्द्रित करे, तो यह खर्च बहुत कम हो जायेगा। खादीके भाव कम करनेके नियम, पूरी तरह नही तो अशत, उन नियमोसे भिन्न है जो मुख्यत लाभके लिए तैयार किये जानेवाले निरे व्यावसायिक पदार्थोंपर लागू होते है। खादीमे औजारोके सुधारकी एक सीमा है। परन्तु मनुष्यकी बुद्धि और ईमानदारीमे सुधारकी कोई सीमा नही है। अगर हम इन दो मे सफलताकी आशा छोड दे, तो हमे खादीकी ही आशा छोड देनी चाहिए। इसलिए खादीमे हम, जहाँतक सगठनके व्यवस्थित सचालनमे रुकावट न हो वहाँतक, बीचके लोगोको हटाकर ही उसकी लागत घटाते है। और जब खादी स्वावलम्बी और अपने-आप काम करनेवाली बन जायेगी, तब तो सगठनकी भी जरूरत नही रहेगी।

खादी-शास्त्र अभीतक शैशवावस्थामे है। उसका विकास हो रहा है। उसमें मै जो भी नई खोज करता हूँ उससे मुझे इस बातका और भी ज्यादा अनुभव होता है कि इस शास्त्रका मुझे कितना थोडा ज्ञान है। शायद एक चीनको छोडकर, दुनिया मे ऐसा कोई देश नही है जो भारतकी तरह अपार और अप्रयुक्त जन-शक्ति और समृद्धिकी अपरिमित क्षमता रखता हो। इस शक्तिको काममे लाइये तो गरीबी इस देशसे तुरन्त गायब हो जायेगी। हाथ-कताई वह साधन है जिससे ऐसा किया जा सकता है। खादीके क्षेत्रमे हमने अबतक जो-कुछ किया है, वह जरूरी था। उसके बिना इस मजिलतक नही पहुँच सकते थे। परन्तु इस समस्याको हमने अभी केवल छुआ ही है। हमे अब अगला कदम उठानेकी जरूरत है। इसलिए यदि आप आन्ध्रमे खादीके मामलेमे स्वायत्तता चाहते है तो वह आपको तुरन्त मिल सकती है और आप अपने दायित्व बिना किसी झझटके पूरे कर सकते है। जो दिशा मैने सुझाई है, उसमे काम करनेसे कोई भी चीज आपको नही रोकेगी]।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २१-९-१९३४

३८९. टिप्पणियाँ

शरीरपर उपवासका असर

गत उपवासका मेरे शरीरपर क्या असर पडा, इस विषयमे दो शब्द कह दूँ तो असगत न होगा। मनुष्य चाहे जितनी आध्यात्मिक वृत्तिका हो, तो भी उसके जिस कामका सम्बन्ध शरीरके साथ होता है, उसका असर शरीरपर पडे बिना रह ही नही सकता। आध्यात्मिक प्रयत्नसे उस असरपर नियन्त्रण तो रखा जा सकता है, पर वह पूरी तरहसे हटाया नही जा सकता। चूंकि स्वास्थ्य सुधारनेके लिए यानी कि शारीरिक असरके लिए मैने अक्सर उपवास किये है, अत आध्यात्मिक हेतुसे किये गये तमाम उपवासोका अध्ययन उनकी दृष्टिसे करनेसे मै चूका नही। हरिजन-कायके सम्बन्धमे इधर मैने कुल मिलाकर चार उपवास किये है। उनमे एक खास बात यह देखी कि पानी पीनेमे मुझे अरुचि ही रही है, फिर चाहे वह सोडा या नमकके

साथ हो या बिना सोडा नमकके या गरम या ठंडा। सोडावाटर मैं बस बर्दाश्त ही कर सका हूँ। पानी पीनेकी यह असमर्थता मेरे इन उपवासोंमें सबसे बड़ी त्रुटि रही है। मैं यह अवश्य कहूँगा कि मैं अधिकतर फलाहारी ही रहा हूँ और सिवा नमकके गत चालीस वर्षसे मैंने कोई मसाला नहीं खाया। इसलिए आम तौरपर भी मैं पानी तो शायद ही कभी पीता हूँ। शरीरको तरल तत्वकी जितनी जरूरत पड़ती है, वह सब मुझे ताजे रसदार फलोंसे, हरी तरकारियोंसे और शहद व गरम पानीसे मिल जाता है। मैं ऐसे अनेक मित्रोंको जानता हूँ जिन्होंने एकसे-एक लम्बे उपवास किये हैं, किन्तु यह मैं नहीं जानता कि उनमें से किसीको उपवास-कालमें मेरी तरह पानी पीनेकी अरुचि रही हो। मेरे जिन डॉक्टर मित्रोंने कृपा करके मेरे उपवासोंमें मेरी सार-सँभाल की है, वे ऐसा कोई उपाय नहीं सुझा सके जिससे उपवासकी मर्यादाके अन्दर रहकर मैं यथेच्छ पानी पी सकूँ। काफी पानी न पी सकनेसे शरीर पर जो बुरा असर पड़ता है, उसे कम करनेका इलाज उन्होंने बताया और किया भी है। पर मेरे लिखनेका उद्देश्य यहाँ यह है कि जिन्हें उपवासका कुछ ज्ञान हो, उनके अनुभवके साथ मैं अपनी इस बातकी तुलना करूँ और पानीकी अरुचि दूर करनेका कोई उपाय ढूँढ़ निकालूँ। यद्यपि मैं उन्हें जानता नहीं, तो भी अवश्य ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें मेरी ही तरह उपवासके समय पानी अरुचिकर लगता होगा। इस प्रश्नपर अगर कुछ प्रकाश पड़ सके, तो उससे मेरे जैसे अनेक उपवासियोंको सहायता मिलेगी। मैं चाहता तो बहुत हूँ कि अब उपवास न करना पड़े, पर मैं अपने मनको यह विश्वास नहीं करा सकता कि यह उपवास मेरे जीवनमें अन्तिम उपवास था। यह बात मेरे बसकी थोड़े ही है।

अजमेरकी दुर्घटना

यद्यपि श्री रामनारायण चौधरी और अजमेरके स्वयंसेवकोंके नायक श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी अजमेरवाली घटनाके सम्बन्धमें अपने ऊपर किये जानेवाले लापरवाही या असावधानीके दोषारोपसे मुक्त होनेकी इच्छा नहीं रखते, तथापि वे इस बातके लिए बहुत उत्कण्ठित हैं कि स्वयंसेवक, जो अखबारोंमें दोषी ठहराये गये हैं और जिन्हें वे बिलकुल निर्दोष समझते हैं, दोष-रहित करार दिये जायें। उन्होंने सावधानीके साथ जाँच की है और वे इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि स्वामी लालनाथ या उनके दलको चोट पहुँचानेमें एक भी स्वयंसेवक शामिल नहीं था। जाँच-सम्बन्धी कागज-पत्र मेरे पास भेज दिये गये हैं। स्वयंसेवकोंके अपराधी होनेके पक्षमें जो एकमात्र मुख्य प्रमाण था, वह बिलकुल झूठा सिद्ध हो चुका है। जान पड़ता है, अपराधी मनुष्यका कोई पता नहीं लग सका। जिस समाचारपत्रने अपराध-स्वीकृतिवाला बयान छापा था, वह लेखकका नाम प्राप्त करनेमें असफल हुआ है और सम्पादकने यह बात अपने पत्रमें स्वीकार की है तथा एक अप्रामाणिक पत्र छापनेके लिए खेद भी प्रकट किया है। इसलिए अभीतक मेरे सामने जितने भी प्रमाण आये हैं, उनसे यही मालूम होता है कि इस घटनामें कोई स्वयंसेवक शामिल नहीं था। मेरे बयानमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह आशय निकाला जा सके कि स्वयंसेवकोंने सचमुच

स्वामी लालनाथ या उनके किसी व्यक्तिपर वार किया। मेरा कहना तो केवल इतना था कि स्वामी लालनाथने मुझसे कहा था कि स्वयसेवक इसमे शामिल थे। किन्तु जाहिर है कि इस विश्वासमे वे गलतीपर थे। उनके बताये स्वयसेवकका जरा भी पता न चला। चूकि अजमेरके स्वयसेवकोकी काफी सावजनिक आलोचना हुई है, इसलिए इस विषयमे मुझे अपनी सम्मति देना जरूरी लगा। पर इस बातसे कि मेरी सम्मतिमे किसी स्वयसेवक द्वारा यह अपराध हुआ नही जान पडता, यह अथ नही निकलता कि उपवास किसी प्रकार आवश्यक नही था। वार किया गया, इससे इनकार नही किया जा सकता, और न इसी बातसे इनकार किया जा सकता है कि जो लोग इसमे शामिल थे, वे सुधारक दलके थे। फिर यह बात भी तो है ही कि श्री रामनारायण चोधरी आवश्यक सूचनाएँ देना और दुघटना न हो, इसके लिए समुचित प्रबन्ध करना भूल गये। इसलिए उपवास स्पष्टत आवश्यक था और मै प्रभुका आभारी हूँ कि उसने मुझे इसे पार करनेकी शक्ति दी। जो लोग पवित्रताके आन्दोलन चलाते है उनकी जागरूकताकी कोई सीमा नही हो सकती। कानूनी उक्ति है 'कानून, अर्थात् ईश्वर जाग्रतकी सहायता करता है, निद्रालुकी नही।'

एक अग्रेज मित्रकी चेतावनी

एक अग्रेज मित्रने यह सन्देश भेजा है

> **हम अग्रेज लोग आपके इन उपवासोका कोई अथ नहीं समझ सकते। आपके पिछले उपवासोको हम मुश्किलसे ही बरदाश्त कर सके है। अगर आपने फिर कभी उपवास किया तो आप बदनाम हो जायेंगे।**

मै जानता हूँ कि मेरी बदनामी न हो इसीलिए यह चेतावनी दी गई है। मै यह भी जानता हूँ कि ईसाइयोका प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय उपवासको पसन्द नही करता। किन्तु मेरे अग्रेज मित्र मुझे अच्छा कहे इसकी इच्छा रखते हुए भी मै इस विषयमे सचमुच लाचार हूँ। इन उपवासोके लिए मै उत्तरदायी नही हूँ। मै दिल बहलावके लिए उपवास नही किया करता। प्रसिद्धिके लिए मै अपने शरीरको कष्ट नही देता, हालाँकि उपवासके समय भूखकी ज्वाला और दूसरे कष्टोको मै प्रसन्नतापूवक सह लेता हूँ। कोई यह न समझे कि उपवासमे मुझे क्लेश नही होता। मै तो इन उपवासोको सिफ इसलिए निबाह ले जाता हूँ कि इनका सकल्प मेरे मनमे परमात्माकी प्रेरणासे उठता है, और परमात्मा द्वारा ही मुझे कष्ट-सहनका बल भी प्राप्त होता है। उस परमशक्ति परमात्मासे ही मै यह अनुरोध कर सकता हूँ कि अब वह मुझे ऐसी कठिन परीक्षामे न डाले। पर अगर उसके दरबारमे मेरी सुनवाई न हो और फिर दूसरे उपवासका अवसर आ जाये तो उपवास करना ही पडेगा, चाहे उससे दुनिया मे मेरे सनकी कहलाये जानेका ही खतरा क्यो न हो। यदि किसीको अखिल विश्वका आधिपत्य प्राप्त हो जाये, पर उसे धर्मच्युत होना पडे, तो वह आधिपत्य किस कामका ?

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २४-८-१९३४

३९०. पत्र : एफ० मेरी बारको

२४ अगस्त, १९३४

चि० मेरी,

अपने पोस्टकार्डके[1] जवाबमे इतनी जल्दी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। जमनालालजी के स्वास्थ्यमे बहुत अच्छी तरहसे प्रगति हो रही है। ऑपरेशन लम्बा काम था, कानके हड्डियोवाले हिस्सेसे उसका सम्बन्ध था और कुछ मजबूत हड्डियोको तराशना-काटना था। लेकिन पुन स्वास्थ्य-लाभ असाधारण ढगसे सरल रहा। कल उन्हे चलने-फिरनेकी इजाजत मिल गई और उनकी खुराक लगभग सामान्य हो गई है। टाँके भी काट दिये गये। निश्चय ही इसका यह अथ नही कि हड्डियोमे जहाँ काट-छाँट की गई थी वहाँके जख्म भर गये है। इसमे तो कुछ समय लगेगा ही, लेकिन उतना नही जितना कि डॉक्टर सोच रहे थे। कहते है कि ऑपरेशन सफल हुआ और बहुत सफाईसे किया गया।

मीराकी अन्तरात्मामे अचानक आवाज उठी। एक दिन सुबह वह मेरे पास आई और उसने कहा कि मुझे इग्लैंड जानेकी अदम्य पुकार सुनाई दे रही है। मैने पूछा, "कब जाओगी"। उसने कहा, "जल्दी-से-जल्दी मै तत्काल सामान बाँधकर जा सकती हूँ।" मैने उसे नही रोका। बल्कि उसे प्रोत्साहित किया क्योकि मुझे लगा कि इससे उसे लाभ होगा और यह एक अच्छा अनुभव होगा, भले ही वह कर कुछ न पाये। मुझे विश्वास है कि वह अनाप-शनाप बाते करके कोई भारी गलती नही करेगी। वह इतनी सन्तुलित तो है ही कि उससे ऐसा कुछ नही हो सकता। वह चार महीनेसे ज्यादा वहाँ रहनेकी आशा नही करती, लेकिन मैने उसे लिखा है कि वापस लौटनेमे जल्दबाजी न करे और यदि जरूरी हो तो उसे वहाँ और अधिक ठहर जाना चाहिए। उसने कायत्रम बहुत लम्बा बनाया है। वह लगभग हर मित्रके घर जायेगी और स्काटलैंड भी जानेवाली है। वह लम्बे पत्र भेजती रही है और जिस तरह उसका स्वागत किया जा रहा है, उससे काफी सन्तुष्ट है। मेरा खयाल है कि वह अक्तूबरमे लौटेगी। क्या यह अजीब बात नही है कि उसे इग्लैंडकी जलवायु भी माफिक नही पड रही है और भारतकी भी? उसने मुझे लिखा है कि मै वेल्समे ठिठुर रही हूँ। यदि तुम उसके लम्बे लेकिन दिलचस्प पत्रोका नमूना देखना चाहती हो, तो मै कोई एक नमूना खुशीसे भेज दूगा।

१ देखिए पृ० ३३२

आशा है कि अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई होगी। क्या तुम्हे इकनके पत्र मिलते है?

सस्नेह ।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०२६) से। सी० डब्ल्यू० ३३५५ से भी, सौजन्य एफ० मेरी बार।

३९१ पत्र : टी० एम० जरीफको

२४ अगस्त, १९३४

प्रिय तैयबभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे कोई पक्की राय देना मेरे लिए कठिन है। मै ऐसी परिस्थितिकी कल्पना कर सकता हूँ जिसमे किसी काग्रेसीका अवैतनिक मजिस्ट्रेटका पद स्वीकार करना उचित हो। प्रत्येक मामलेकी जाँच उसके निजी गुण-दोषके आधार पर की जानी चाहिए। लेकिन सामान्यत मै कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलोमे प्रत्येक काग्रेसीको अपने विवेकके अनुसार कार्य करना चाहिए। इससे भी अधिक सामान्य नियम यह होगा कि यदि वह सरकारसे प्राप्त सम्मानको स्वीकार करनेसे बच सके, तो अच्छा होगा। बिलकुल निरापद मागको छोडकर (अन्य मागसे) चलनेकी बातको न्यायोचित सिद्ध करना, किसी भी व्यक्तिके लिए कठिन होगा।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री तैयबभाई एम० जरीफ
१४ सूकियास लेन
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३९२. पत्र : क्षितीशचन्द्र दासगुप्तको

२४ अगस्त, १९३४

प्रिय क्षितीशबाबू[१],

मुझे मालूम हुआ है कि साम्प्रदायिक निर्णय-सम्बन्धी कार्य-समितिके प्रस्तावसे[२] सहमत होना, और इसी प्रकार संसदीय बोर्डके सम्बन्धमें मैंने जो रुख[३] अख्तियार किया है उससे सहमत होना, तुम्हारे लिए कठिन हो रहा है। जब तुम्हारा मत मेरे मतसे न मिले, तब तुम्हें मुझसे तर्क-वितर्क करनेका अधिकार है। मेरे स्वास्थ्यके कारण तुम्हें मुझे माफ करनेकी बात नहीं सोचनी चाहिए। हो सकता है, मैं एकदम सीधे तुम्हारे पत्रोंका उत्तर न दे सकूँ। लेकिन मुझे यह सोचकर दुःख होगा कि मैंने जो भी कदम उठाया है, उसके बारेमें बिना मुझसे तर्क किये ही तुमने कोई प्रतिकूल मत बना लिया है। तुम जानते हो, तुम्हारी मौन देश-सेवाकी और उसी प्रकार तुम्हारे मौन सहयोगकी मैंने कितनी कद्र की है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम-जैसे मूल्यवान सहयोगियोंका विश्वास खो दूँ।[४]

श्री क्षितीशचन्द्र दासगुप्त
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे : प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३९३. पत्र : वीरेन्द्रनाथ गुहाको

२४ अगस्त, १९३४

प्रिय वीरेन्द्र,

नीति-घोषणापत्रकी नकलके साथ तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्न हुआ। तुम्हें ऐसी सब सूचनाएँ, जिनकी मुझे जानकारी होना जरूरी समझो, मेरे पास भेजते रहना

१. सतीशचन्द्र दासगुप्तके भाई।
२. देखिए परिशिष्ट १।
३. देखिए पृ० २७०-७१।
४. देखिए अगला शीर्षक भी।

चाहिए। मुझे इसमे सन्देह नही कि क्षितीश बाबू भी अन्तमे वह सत्य[1] देख पायेगे जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है।

श्री बीरेन्द्रनाथ गुहा
विद्याश्रम
बी–७६, कॉलेज स्ट्रीट मार्किट
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

३९४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२४ अगस्त, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

काकाने विद्यापीठके ट्रस्टी-पदका अधिकार छोड दिया। इस सिलसिलेमे हम सबकी यह राय है कि मण्डलके अध्यक्ष आप हो। हमने तो आपको बना भी दिया है। विद्यापीठमे मेरा अपना स्थान नियमानुसार क्या था, इसका मुझे कुछ भी ध्यान नही था। इसलिए पूछनेपर मालूम हुआ कि नियमानुसार तो मेरा स्थान कुछ भी नही है। परन्तु नैतिक दृष्टिसे मुझे कुलपति माना गया है। और सब अध्यापकोने निणय द्वारा मुझे अधिकार दिया हे कि जब मै उचित समझूँ, हस्तक्षेप बीचमे कर सकूँ। परन्तु इससे कोई सस्था थोडे ही चल सकती है? इसके उचित अध्यक्ष तो आप ही हो सकते है। मुझे तो नैतिक स्थानसे ही सन्तोष है। उससे ज्यादा बोझ उठानेकी न मेरी इच्छा है, न शक्ति।

मेरी सलाहसे, बशर्ते आपकी मजूरी हो, दूसरा निर्णय हमने यह किया है कि हरिजन आश्रमकी व्यवस्था नरहरि अपने हाथोमे ले ले, और उनकी आवश्यकतानुसार विद्यापीठके शिक्षक उनके साथ रख दिये जाये। नरहरिका और विद्यापीठ की तरफसे दूसरे जो शिक्षक वहाँ रखे जाये, उनका खर्च, जबतक विद्यापीठके पास रुपया हो तबतक उसमे से दिया जाये। मेरी रायमे इस वक्त हरिजन-सेवक सघ पर यह बोझ न डालना ही उचित होगा, क्योकि इस सघकी यह नीति रखी गई है कि सवर्ण हिन्दुओको उसमे से कम-से-कम पैसा दिया जाये। आदर्श यह है कि उसकी ९५ फीसदी आय सीधी हरिजनोकी जेबमे जानी चाहिए। उस आदशतक पहुँचना हो तो इस प्रकारका उदाहरण हमे अपने लोगोसे ही पेश करना चाहिए। तीसरा निर्णय यह किया है — वह भी आपकी सहमतिकी शतपर — कि दूसरे जो शिक्षक बाकी रह जाते हैं, उन सबको, अगर वे मानें तो, ग्रामसुधार और ग्रामसेवाके लिए देहातोमे फैल जाना

१ देखिए पिछला शीर्षक भी।

चाहिए। वे मेरी सुझाई हुई योजना अथवा कल्पनाके अनुसार काम करे। यह योजना आपको नरहरि समझायेगे। उसकी कोई बात आपको पसन्द न आये तो उसे निसकोच रद कर दे। इस निणयके समय काकासाहब, किशोरलालभाई, मगनभाई सोमण और नरहरि मौजूद थे और वे इससे सहमत है। नरहरिके बारेमे ठक्करबापासे भी बात कर चुका हूँ। हरिजन आश्रम वैसे ही किसी व्यक्तिके बिना चमक नही सकता। मुझे पूण विश्वास है कि इस तरह आश्रमको उन्नत करके ही हम हरिजन-सुधारको खूब आगे बढा सकेगे। ऐसा होनेपर ही आश्रमके दानकी साथकता सिद्ध मानी जायेगी। इसलिए यद्यपि मै जानता हूँ कि नरहरिसे और कई सेवाएँ ली जा सकती है, फिर भी इस समय उनका उत्तम उपयोग यही है और उन्हे खुद भी इस काममे दिलचस्पी और पूण आत्म विश्वास है। इसलिए नरहरिको तो हरिजन-आश्रमकी सेवामे अर्पित कर दीजिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १२२-२३

३९५ पत्र वल्लभभाई पटेलको

२४ अगस्त, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

आपका पत्र और तार मिला। तारका जवाब तारसे नही दे रहा हूँ, क्योकि इसी विषयपर कल लिख चुका हूँ।[1] अगर उसके आधारपर आप कुछ कह न चुके हो तो यो कहिये

पण्डित मालवीयजी और श्री अणके बनाये हुए नये दलकी कार्रवाई मैने पढी है। कुछ बाते स्पष्ट करनेकी मॉगवाले तार और पत्र भी मैने पढे है। मेरी राय यह है कि काग्रेसकी अनुमतिके बिना काग्रेसका नाम इस्तेमाल करना उचित नही है। अगर इस दलमे केवल काग्रेसियोके ही शरीक होनेका कडा नियम हो, तो इसे काग्रेसियोका राष्ट्रीय दल जरूर कहा जा सकता है। परन्तु इसके लिए काग्रेसकी बाजाप्ता मजूरी लिये बिना इसे काग्रेस राष्ट्रीय दल कहना उचित नही, खास तौरपर इसलिए कि यह दल जान-बूझकर काग्रेसकी अधिकृत नीतिसे पूर्ण विरोधी नीतिका प्रचार करनेके लिए बनाया गया है। इस दलके साथ काग्रेसका नाम इस्तेमाल करनेसे जनताके मनमे भ्रम हुए बिना नही रह सकता। इसलिए मै पण्डितजी से आदरपूर्वक विनती करता हूँ कि वे

१, देखिए पृ० ३७२।

स्थितिपर पुर्नविचार करे और जो दल वे काग्रेसियो और दूसरे लोगोकी शिक्षा के लिए बनाना चाहते है—और जिसका उन्हे पूण अधिकार है—उसका दूसरा नाम रख ले। एक दूसरी बात भी मै आग्रहपूवक बताना चाहता हूँ कि काग्रेस के नामपर चुनावोका सचालन करनेका काम काग्रेसके ससदीय बोडके सिवा और कोई नही कर सकता। अन्तमे, जबकि एक तरफ पण्डित मालवीयजी और श्री अणे तथा दूसरी तरफ काग्रेसकी काय-समितिके बीच मतभेद है, मै आशा रखता हूँ कि सभी काग्रेसी साम्प्रदायिक निर्णयके मामलेमे काय-समितिने अपने प्रस्तावम जो नीति प्रतिपादित की है, उसका वफादारीके साथ समथन करेगे।[1]

इसमे जो फेरबदल करने हो, कर लीजिए।

राजेन्द्रबाबूका पत्र विचित्र है। उसका जवाब एक ही हो सकता है। काग्रेस पैसे-सम्बन्धी जिम्मेदारी हरगिज नही ले सकती और हम व्यक्तिगत प्रयासोसे रुपया नही जमा कर सकते। यह काम भूलाभाई वगैरहका है। आप इस बारेमे भूलाभाईसे बात कीजिए।

अ० भा० का० क० के बारेमे भूलाभाईको लिखूगा।

वे काय-समितिकी बैठक चाहते है, इसलिए बैठक बुलाना ठीक ही होगा। बम्बईमे करना हो तो वहा कीजिये और वर्धामे करना हो तो वर्धामे। वे सितम्बरके आरम्भमे चाहते है।

राजाजी परसो या रविवारको यहाँ पहुँचेगे।

पट्टाभि वगैरह यही है। [2] वगैरह आये है। आज जायेगे।

काकाके बारेमे समझ गया। जवाहरलाल पकडे गये। महादेवका तार आया है। महादेव उनसे मिल सके थे और कल आ रहे है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो—२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १२४-२६

१ साधन सूत्रमें यह पूरा अनुच्छेद अंग्रेजीमें है।

२ साधन-सूत्रमें नाम छूटा है।

३९६ पत्र . भूलाभाई जे० देसाईको

२४ अगस्त, १९३४

आपकी इच्छा यदि अ० भा० का० कमेटीमे चुने जानेकी हो रही हो, तो मेरी सलाह है कि इस समय उसे नियन्त्रित कीजिए। जब सभी एक स्वरसे आपकी माग करे, तब आइएगा, और तभी आपका आना शोभा देगा। फिलहाल आप उसमे नही है, तब भी होने-जैसे ही है। और इस समय और इस वातावरणमे इतना ही काफी है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

३९७ पत्र भगवानजी पु० पण्डयाको

२४ अगस्त, १९३४

चि० भगवानजी,

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। उस औरतके बारेमे तुम्हारा शक मुझे बिलकुल ठीक लगता है। मेरे सामने ही वह बहुत-से लोगोके बीच कातती थी। पजाबमे ऐसा पर्दा है ही नही। तुमने जमनाप्रसादको सचेत कर दिया, यह ठीक किया। शकरलालको लिखना। मै मानता हूँ कि वह भी सावधान है।

बलरामको लिखा है। मै बिलकुल ठीक-ठाक हूँ। सुरेन्द्रसे कहना कि पत्र लिखे।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३७२)से, सौजन्य भगवानजी पु० पण्डया।

३९८ तार राजेन्द्रप्रसादको[1]

[२५ अगस्त, १९३४ या उससे पूव]

बाढकी खबरसे बहुत दुख पहुँचा। भ्चालके लिए एकत्र धनसे इसमे सहायता करे। आशा है बाढ उतर चुकी होगी।

[अग्रेजीसे]
सर्चलाइट, २९-८-१९३४

३९९. पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको

२५ अगस्त, १९३४

प्रिय डॉ० विधान,

हाँ, मै उपवासके प्रभावसे उबर आया हूँ, इस अथमे कि उसका कोई दुष्परिणाम नही हुआ। मै निरन्तर लेकिन धीरे-धीरे पुन शक्ति-लाभ कर रहा हूँ।

मेरी कोई इच्छा नही है कि काय-समितिकी बैठक हो। लेकिन अगर ससदीय बोर्डको उसकी जरूरत हो, तो मै समझता हूँ कि सरदार वल्लभभाई बैठक अवश्य बुलायेगे। लेकिन क्या तुम्हे उसकी जरूरत है? मुझे मौलाना साहब और सरदार शार्दूल सिंहका तार मिला है। साफ है कि वे ससदीय बोडकी बैठकके समय ही कार्य-समिति की बैठक चाहते है। अगर तुम्हारा भी यही भाव है, तो स्वाभाविक है कि कार्य-समितिकी बैठक अवश्य होनी चाहिए। मेरी इस समय बम्बई घसीटे जानेकी इच्छा नही है। जमनालालजी अपनी रोग-शय्यासे मुझे चेतावनी देते रहे है कि जबतक वजन ११० पौड न हो जाये, वर्धा न छोडूँ। मै अभी ९८ पौड हूँ, और मेरा वजन प्रतिदिन आधा पौडसे कमके हिसाबसे बढ रहा है। मान लो, यह रफ्तार कायम रही, तो मै २० सितम्बरसे पहले वर्धा नही छोड सकूँगा। लेकिन यह तो ठीक ही है कि जमनालाल जी जरा सख्त है और इसलिए उनकी बात तब ही अमान्य की जा सकती है जब कि दोनो बैठके बम्बईमे ही होनी हो, और वह भी सितम्बरके प्रारम्भमे और यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो। ये सब बाते तय करना और तदनुसार सरदार वल्लभभाईको प्रेरित करना, आदि मै तुमपर छोडता हूँ।

१ "पटना, २५ अगस्त", १९३४ की तिथि पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित राजेन्द्रबाबूके तारके उत्तरमें। तार इस तरह था "गंगा और सोनमें एकसाथ बाढ आ जानेकी वजहसे छपरा और आराके बीच पानी ही पानी हो गया है मनुष्य और जानवर बड़ी सख्यामें हताहत हुए है सहायता पहुँचानेकी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भीषण बाढ़के सामने अपनेको असहाय पाता हूँ।"

निस्सदेह, पण्डितजी की पार्टीका 'काग्रेस' नाम हथिया लेना बुरी बात है। बिना वैध अधिकारके कोई भी काग्रेसके नामपर काय नही कर सकता। मै समझता हूँ, सरदार वल्लभभाई इस सम्बन्धमे अपना वक्तव्य[1] जारी करेगे। मैने जो सक्षिप्त वक्तव्य[2] निकाला है, आपने देखा होगा।

आशा करता हूँ कि आप नही चाहते कि वतमान परिस्थितिमे कार्य-समिति वह काय-पद्धति निर्धारित करे जिसका अनुसरण काग्रेसके सदस्योको विधानसभामे करना है। जिस प्रकारके सशोधनकी आप बात कर रहे हैं, यदि उस प्रकारका कोई सशोधन इस समय बैठकमे लाया जाय तो मै समझता हूँ, बेहतर होगा कि उसपर कुछ न कहा जाये। पर आवश्यक क्या है, इस बातका सर्वोत्तम निर्णायक ससदीय बोड है। लेकिन अगर सशोधन प्रस्तावित हुआ, तो काग्रेसके स्पष्ट कत्तव्यके बारेमे मेरा मत आपने सही समझा हे। उन्हे साम्प्रदायिक निणयको स्वीकार करनेवाले प्रस्ताव या सशोधनके विरुद्ध मत देना चाहिए। और चकि वे उसकी नामजूरीके पक्षमे मत नही दे सकते, अत यह स्वाभाविक है कि वे निणयको अस्वीकार करनेवाले प्रस्ताव या सशोधनपर मतदान न करे।

मै इस बातसे प्रसन्न हूँ कि अनेक जिलोमे निर्विरोध चुनाव हुआ हे। मै चाहता हूँ, बहुसख्यक जिलोने जो सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है, बाकी जिले भी उसका अनुसरण करे। लेकिन यदि सघष अनिवाय ही हो जाये तो, मै समझता हूँ, श्री अणेके निर्णयोका निष्ठाके साथ अनुसरण होना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

डॉ० विधानचन्द्र राय
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए "पत्र वल्लभभाई पटेलको", पृ० ३८२-८३।
२ देखिए पृ० ३६६।

४००. पत्र मघाराम सन्तदासको

२५ अगस्त, १९३४

प्रिय सन्तदास,

विल हेजके पत्रकी पुश्तपर जयरामदासको लिखी तुम्हारी सक्षिप्त टिप्पणी मैने पढी। यद्यपि मै तुम्हे लिख नही पाया हूँ, तथापि कमलानीकी विक्षिप्तता जो रुख अख्तियार कर रही है, उसकी खोज-खबर मै ध्यानपूवक रखता आया हूँ[१]। मुझे इस बातमे कोई सन्देह नही है कि वह फिर अपने-आपेमे आ जायेगा, और जब वह पुन अपना सन्तुलन प्राप्त कर लेगा, तब यदि तुम्हारी स्वीकृति होगी तो मै उससे पूछूगा कि क्या वह फिरसे काम शुरू करनेसे पहले कुछ समयके लिए हिन्दुस्तान आना चाहता है। इग्लैडका जीवन कमलानी-जैसे कोमल अन्त करणके व्यक्तिके लिए बहुत कठिन समस्या है। आशा करता हूँ, तुम चिन्तित नही हो। आखिर, क्या कमलानी और क्या हम लोग, सभी भगवानके हाथमे है। हम तो बस काम कर सकते है और भगवानसे प्राथना कर सकते है।

श्री म० सन्तदास
हैदराबाद

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४०१ पत्र · नरहरि द्वा० परीखको

२५ अगस्त, १९३४

चि० नरहरि,

काकासाहबने विद्यापीठ मण्डलके ट्रस्टसे त्यागपत्र दे दिया हे, इसलिए अब यह सवाल पैदा होता है कि श्री नगीनदास अमुलखरायकी ग्रामसुधार योजनाके सम्बन्धमें क्या किया जाये। नगीनदासकी इच्छानुसार मैंने एक समिति नियुक्त की थी। विचार करनेसे आज ऐसा समझमे आता है कि विद्यापीठसे इस समितिको बिलकुल स्वतन्त्र कर दिया जाये और सरदार वल्लभभाईको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाये। इसमे मत्रीका काम रावजीभाई नाथाभाई करे तथा उनकी नियुक्ति एक बरसके लिए की जाये।

१ देखिए "पत्र मीराबहनको", पृ० ३१५ ।

नगीनदास ट्रस्टका पैसा काकासाहबने जमनालालजी के पास जमा किया है, यह उचित है। जमनालालजी के तन्दुरुस्त हो जानेपर कोई दूसरा प्रबन्ध करनेकी जरूरत हुई तो कर लेंगे। मेरे अधीन एक कोष और भी है। इसकी रकम भी काकासाहबने जमनालालजी के पास जमा की है। हिसाबके सुभीतेके लिए और अन्य विचारोंसे भी मुझे उचित लगता है कि इस रकमको नगीनदास ट्रस्टके पैसेमें मिला दिया जाये।

स्वर्गीय पूजाभाईने एक खास रकम देकर मेरी सलाहसे एक समिति द्वारा जैन-साहित्यके प्रकाशनकी जिम्मेदारी विद्यापीठको सौंपी थी। इसलिए इस विषयमें भी मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है। मेरा सुझाव है कि परिस्थितिको देखते हुए यह काम भी विद्यापीठके नियन्त्रणसे स्वतन्त्र चले। इस स्वतन्त्र मण्डलके ट्रस्टियोंके लिए मैं नीचे लिखे नाम सुझाता हूँ

१ नरहरि परीख
२ वालजी देसाई
३ रमणीकलाल मोदी
४ मगनभाई देसाई
५ नीलकंठ मशरूवाला
६ गोपालदास पटेल

इसके अलावा यदि एक विद्वान् तथा धर्मनिष्ठ जैनका नाम हमें मिल सके, तो उन्हें ट्रस्टीके नाते निमन्त्रित किया जाये, यह भी मुझे उचित लगता है। ऐसा नाम खोजना पड़ेगा। कोई नाम तुम्हारे ध्यानमें आये, तो मुझे बताना।

इस कार्यक्रमके अन्तर्गत आजतक जैन-आगमोंके मूल ग्रन्थोंको उनके अनुवाद सहित प्रकाशित करनेपर महत्व दिया गया है। इसके बदले अब यदि हम — जैसाकि वालजीभाईका सुझाव है — इस विशाल साहित्य-क्षेत्रसे ऐसे अंशोंका चयन करें अथवा करायें जो जनताके लिए उपयोगी हों और उन्हें प्रकाशित करें, साथ ही अन्य धर्मोंमें से अहिंसाके पोषक साहित्यको प्रकाशित करें, तो मेरा खयाल है कि स्व० पूजाभाईका उद्देश्य अधिक सही ढंगसे मूर्तिमान् होगा।

स्व० पूजाभाईकी सदा यह इच्छा रही कि श्री राजचन्द्रकी जयन्ती उचित ढंगसे मनाई जानी चाहिए। इसे मनानेका भार हम अपने ऊपर ले लें, यह आवश्यक है। किन्तु पूजाभाईके समयमें जयन्तीके दिन सभाएँ करके सन्तोष कर लिया जाता था। इसके बदले यदि प्रत्येक जयन्तीके अवसरपर कोई रचनात्मक कार्य किया जा सके तो वह समितिको अधिक शोभा देगा और श्री राजचन्द्रकी आत्माको भी अधिक शान्ति मिलेगी — ऐसी मेरी मान्यता है। यह कार्य कुछ साहित्य तैयार करके या किसी विद्वानका व्याख्यान कराके अथवा और किसी रीतिसे किया जाये, यह समितिको सोच लेना चाहिए। आगामी जयन्ती कार्तिक-पूर्णिमाके दिन है, अतः यह पूर्णिमा किस ढंगसे मनाई जाये, इसका विचार समय रहते कर लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६३)से।

४०२ पत्र वल्लभभाई पटेलको

२५ अगस्त, १९३४

भाई वल्लभभाई,

मेरा कलका पत्र[1] मिल गया होगा। आज मथुराबाबू[2] आपका पत्र लाये। वे आये, यह ठीक हुआ। मैंने साफ-साफ कहलवा दिया है कि यदि ससदीय बोड खच दे तो वे चुनाव लडे, अन्यथा रहने दे। आपकी या मेरी तरफसे कोई आशा न रखे। हॉ, यदि बिना खचके लडनेकी हिम्मत हो तो जरूर लडे। लेकिन यह सम्भव न हो तो पूरा विचार करके ही लडे। यदि रुपयेके बिना केवल प्रतिष्ठाके बलपर ही चुनाव लडना कही सम्भव है, तो वह बिहारमे ही सभव है। पर इसमे मेरा दखल नही है। यह सारा काम किस तरहसे होता है, इसकी भी मुझे कल्पना नही है। वैसे बिना खच या नाम-मात्रके खर्चेपर यदि काग्रेसके नामसे चुनाव लडा जा सके, तो एसी शोभाकी बात और क्या हो सकती है?

तार आया है कि आज ३-४ के बीच भुलाभाई आ रहे हैं। महादेव शामको पहुँचेगा।

यह तो मै लिख चुका हूँ न कि काय-समितिके बारेमे मेरे पास तीन तार आये थे? मैंने तारसे इतना ही जवाब दिया है कि इस बारेमे आपसे पूछा जाये।

आपके लिए आना यदि असम्भव हो तो कोई बात नही। पत्रो द्वारा सम्पकसे सन्तोष कर लूगा। मेरी जानकारीमे जो-कुछ नया आयेगा, वह बताता रहूँगा।

मीराबहन बहुत काम करती मालूम होती है। फल तो शायद अभी कुछ भी न निकले, फिर भी उसका (विलायतका) चक्कर बेकार नही माना जा सकता। आपको इस सिलसिलेमे पत्र न मिलते हो, तो महादेवके आनेपर भेजनेकी व्यवस्था करूँगा। म्यूरियल लॉयड जाजसे मिली। घटो बाते की। इस प्रकार ये कुछ साथी अपनी शक्तिके अनुसार काम करते रहते हैं। मीराबाई और अगाथा कुछ झगड पडी। मीराबाईकी कुछ तो जल्दबाजी और कुछ वहमी प्रकृति इसका कारण है। यह सब विस्तारपूवक महादेव या प्यारेलाल लिखेगे।

लगता है, आपमे अभी भी पूरी शक्ति नही आई। भुलाभाई आ गये है। बम्बईमे सभा कर लीजिये। मुझे वहाँ घसीट लेगे। अ० भा० का० कमेटीकी गाडी खीच सकेगे।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल,
८९, वाडन रोड, बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १२७-२८

१ देखिए पृ० ३८२-८३।

२ मथुराप्रसाद, बिहारके एक कार्यकर्ता और राजेन्द्रबाबूके साथी।

४०३ पत्र : उमादेवी बजाजको

२५ अगस्त, १९३४

चि० ओम,

तेरे पत्र मिलते रहते हैं। लिखावट जैसी मुझे चाहिए वैसी तो नही है, किन्तु ठीक है। किसन आकर तुझसे मिल जाती है न?

रोज लिखनेके लिए काफा सामग्री मिल सकती है। इसके विषयमे क्या मैने तुझसे कुछ नही कहा? कौन-कौन आता है? खानेमे क्या दिया जाता है? नीद कितनी लेती है? यदि कम हो तो तू अपनी शक्ति-भर काम कर पाती है या नही? ये सब बाते तो लिख ही सकती है। यदि प्रतिदिन 'रामायण' पढती है, यह भी लिख सकती है कि क्या पढा?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३३७-३८

४०४. पत्र : जमनालाल बजाजको

२५ अगस्त, १९३४

चि० जमनालाल,

मै देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम पूरे अश्ववेगसे चल रहा है। बीमार लोग तो बादशाही ही भोगते है न? बीमारीका यही आनन्द है। पर जब बेचारे दरिद्रनारायणके भाग्यमे बीमारी आती है तो उसके भागमे तीमारदारीका यह सुख नही आता।

इसके साथ डॉ० शाहका पत्र है। ओमका तो है ही।

यहाँ सब ठीक चल रहा लगता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १३२

४०५ पत्र मणिबहन पटेलको

२५ अगस्त, १९३४

चि० मणि,

तेरी लिखी दो पक्तियाँ पढी। तू आजकल नही लिखती, यह बिलकुल ठीक है। स्वास्थ्यकी लापरवाही न करके उसे अच्छी तरह सुधार लेना। लिखने योग्य हो जाओ तो अच्छी तरह लिखना। इस समय मेरे प्रति दयाभाव रखनेकी आवश्यकता नही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–४ मणिबहन पटेलने, पृ० ११७

४०६ पत्र जी० आर० सहगलको

२६ अगस्त, १९३४

प्रिय सहगल,

सिफ एकको छोडकर सभी वाछित सूचनाओ सहित तुम्हारा तत्काल पत्रोत्तर पाकर खुशी हुई। मेरी समझमे नही आता कि इतनी अधिक योग्यता होते हुए भी तुम्हारे लिए — जिसके पत्नी है बच्चे है — क्या यह उचित होगा कि १५० रुपयोके लिए किसी हरिजन-सस्थाको अपनी सेवाएँ दो। प्रश्न तुम्हारे स्वल्प निर्वाह-व्ययका, जिसकी कि तुम्हे आवश्यकता है, उतना नही है जितना इस तथ्यका है कि शायद अभी कुछ बरसोतक तुम्हारी योग्यताके लिए जो क्षेत्र चाहिए, वह मै तुम्हे नही दे सकूगा। कोई विशाल हरिजन-सस्था खडी करनेका विचार मेरे मनमे नही है। वह सस्था एक छोटी चीज होगी, जिसकी कुछ सुदूर भविष्यमे बडी सम्भावना होगी। तो क्या तुम्हे अपनी योग्यताको बेकार रहने देनेमे सन्तोष होगा? तुम्हे मुझे केवल यह बताना है कि वह कौन-सी बात है जो तुम्हे प्रेरित कर रही है। और क्या ७५० रुपये प्रतिमाससे १५० रुपये प्रतिमासपर उतर आनेमे तुम्हारी पत्नीका तुम्हारे साथ हार्दिक सहयोग है? क्योकि मै समझता हूँ कि तुम अगर ७५० रुपये प्रतिमास नही, तो उसके लगभग कुछ अभी भी प्राप्त कर सकते हो।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री जी० आर० सहगल
मारफत गुरुकुल
सूपा बरास्ता नवसारी

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४०७ पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२६/२७ अगस्त, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आपके पत्रका जवाब महादेवने दिया होगा। आज राजाजी मानो घोडेपर सवार होकर आये हैं। उनके साथ बहुत समय बिताया, इसलिए डाक पिछड गई। अणे भी आये थे। उनके बारेमें इतना ही कहा जा सकता है कि वे मालवीयजी का मीठा सन्देश लाये थे, और मुझसे बोले कि मुझे कुछ कहना हो तो कहूँ। मैंने कहा कि शिष्ट व्यवहार रखना हो तो हर जगह सलाह-मशविरा करके उम्मीदवार खडे कीजिये, केवल टक्कर लेनेकी खातिर कहीं नहीं। उन्हें नागपुरकी रेल पकडनी थी, इसलिए वापस आनेकी कहकर गये हैं। इस पार्टीने काम उलझाया ही है, बाकी कुछ विशेष कर सकेंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता।

भुलाभाई आ गये। मौलानाका मेरे नाम तार आया है। भले ही कमेटीकी बैठक वर्धामें हो। यहाँ जगह तो है। होटलके बिना ही काम चल जायेगा। दो दिनसे ज्यादा तो लोग ठहरेंगे नहीं। मुझे तो सचमुच वर्धा अधिक अनुकूल होगा। राधाकिसन पर जरा भार जरूर पडेगा, मगर उसने तो सारी तैयारी कर ही रखी है। अभी-अभी जमनालालजी ने नये मकान बनवाये हैं। इसलिए जगह तो काफी है। राधाकिसन कहता है कि पूरी व्यवस्था है। इन सबके पीछे जमनालालजी के व्यक्तित्वका प्रभाव जो है।

भुलाभाई आपसे मिलकर सब-कुछ तय करायेंगे। आगे जैसा अनुकूल हो वैसा कीजिये। यहाँ तय करेंगे तो इतना तो है कि सब मिलेंगे।

कांग्रेससे निकल जानेकी बात मैं राजाजी के साथ कर रहा हूँ। इसीलिए वे आये हुए हैं। हो सके तो मंगलवारको भाग जाना चाहते हैं।

रामदास मंगलवारको खुर्जासे वापस आ रहा है। खुर्जामें हैजा है इसलिए। आनेपर और पता चलेगा।

आपमें शक्ति आ रही होगी।

जवाहरलालके विषयमें महादेवने आपको सब-कुछ लिख दिया है। उसका जाना कितना अच्छा रहा! उन्हें बडा आश्वासन मिला। उनकी माता और कमला तो खुश हुई ही।

शामकी प्रार्थनाके बाद मौन लेकर इतना तो घसीट डाला है। बाकी कुछ होगा तो कल लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

प्रात काल, २७ अगस्त, १९३४

एक बात याद आ गई है। नगरपालिकाके कामके बारेमे अब मुझे बल्लूभाई[1] या और किसीको लिखना नही होगा। आपको ही लिखा जायेगा। विद्यापीठकी पुस्तके ही वापस लेनेका तय करे तो भी आश्रमकी तीससे पचास हजार मूल्यतककी पुस्तके होगी। शायद कुछ कम या ज्यादा की हो। इनका अभी कोई उपयोग नही होता। अगर एक लाइब्रेरियन रखे तो शास्त्रीय पद्धतिसे पुस्तक-सूची बने, पढनेके लिए देनेके नियम बनाये जाये और तदनुसार उनका कुछ उपयोग हो। कुछ किया जा सके तो अच्छा हो।[2]

एन्ड्रयूज और जोन्स[3] आ गये है। आपका पत्र मिला। कल आपसे भुलाभाईकी भेट होनी चाहिए। खुशीसे बैठक वर्धामे रखिये। महादेवसे तो आप आये, तभी मिल सकेगे। एन्ड्रचज और राजा यही है।

बापू

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १२८ ३०

४०८ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

२७ अगस्त, १९३४

भाई बापा,

अमलाबहन सम्बन्धी आपका पत्र मिला। यह पैसा सघको नही खच करना चाहिए था। किन्तु यह बात मै छिद्रान्वेषणके भावसे नही कह रहा हूँ। दया अद्भुत चीज है। ट्रस्ट एक ओर है और दया दूसरी ओर। इस द्वन्द्वमे से कौन बचकर निकल सकता है? किन्तु यह पैसा सघके पैसेमे से तो नही ही जाना चाहिए। इसलिए इस बिलकी और परीक्षितलालके खर्चे हुए दस रुपयोकी जिम्मेदारी मै लिये लेता हूँ। अन्य किसी उपयुक्त कोषसे इसे दे दूगा। आप इस बिलको भूल जाइए। मै यहाँसे हुडी या मनीआर्डर परीक्षितलालको एक-दो दिनमे भेज दूँगा।

बाकी तो पृथुराजसे बहुत-कुछ लिखनेके लिए कहा है। किसीने एक हुडी मेरी इच्छानुसार खर्च करनेके लिए मुझे दी है। मेरे बताये ढगसे आपके हाथो खच होनेके लिए वह भी पृथुराज भेज रहा है।

बापूके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४०) से। एस० एन० २२७५५ से भी।

१ बलवन्तराय ठाकुर, अहमदाबाद नगरपालिकाके अध्यक्ष।

२ देखिए पृ० २७७ भी।

३ स्टेनली जोन्स।

४०९ पत्र चन्दूलाल मोदीको

२७ अगस्त, १९३४

भाई चन्दूलाल,

आपका पत्र मिला। रमणीकलालसे कहिए कि मै उनसे मिलनेके लिए अधीर हो रहा हूँ। कहिए कि जल्दी मिले। किन्तु न भी मिल सके, तो क्या कर सकते है? हम जो-कुछ चाहते है, ससारमे वही-सब नही होता। आपकी खबर ताराके जरिए मिलती रहती है। आप खुश रहते है, यह अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए। मेरा शरीर फिर सुधरता जा रहा हे। उपवासके एकदम बाद वजन ९४ था, आज १०० हो गया है। चौदह दिनमे इतना हा जाना कुछ बुरा नही है।

उपवासमे मै गरम पानी ठडा करके पीता था। मुझे उबाले या बिना उबाले पानीसे कोई फर्क नही पडता। पानी ही सहन नही होता। आप क्या उपवासमे सन्तरे खाते है? बाकी और भी जो लक्षण दिखाई दे, मुझे बताइए।[१]

रमणीकलालसे मिलनेके बाद तुरन्त मुझे खबर दीजिए। बहुत करके तो वे अब जल्दी ही छूटेगे। प्रयत्न तो हो रहा है। किन्तु वह तो ऐसा ही हो सकता है जो हम लोगोको शोभा दे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१८१) से। सी० डब्ल्यू० १६८० से भी, सौजन्य रमणीकलाल मोदी।

४१० पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

२७ अगस्त, १९३४

चि० सुशीला और मणिलाल,

मुझे पत्र मणिलालने नही सुशीलाने लिखा है, इसलिए क्या पहले उसीका नाम रखना उचित नही है?

रामदासके लिए एक अनुमति पत्रके बारेमे मै तुम्हारे जवाबका इन्तजार कर रहा हूँ।[२] मेढने अभीतक मामा के पास कुछ नही भेजा है। यदि वह भेजना ही चाहता है, तो सीधे मामाके पास या मेरे पास क्यो नही भेजता?

१ देखिए "टिप्पणियाँ", पृ० ३७५-७६ भी।

२ देखिए पृ० २०६-७।

३ माधवदास कापडिया, कस्तूरबाके भाई।

मेरा खयाल है कि मैंने तुम्हे पहले ही मामाके लिए कम-से-कम पाँच रुपया बचाकर मेरे पास भेजनेके लिए लिख दिया है। यह तो मैंने जो मामाको दिया जा चुका है, उसीमे से मागा है। यह पैसा भी दानके रूपमे न दिया जाये तो अच्छा। वह वापस कर सकेगा, यह मै नही मानता। यदि तुम दोनो और देवदास हर महीने इतना देते रहो, तो तुम्हे बोझ नही महसूस होगा और जो पैसा मैंने जमनालालजी से उधार लिया है, वापस लौटाया जा सकेगा। तुम्हे कोशिश करके इतना करना चाहिए।

एन्ड्रयूज वापस लौट आये है। खासकर तुम्हारे ही बारेमे काफी बाते हुई। वे बहुत निराश हो गये है और शिकायत करते है कि मणिलाल एजेटके बारेमे लेख लिखता रहा है, जो क्रोध व घृणासे भरे है। वे यह नही कहते कि एजेटकी कोई आलोचना नही होनी चाहिए, बल्कि उनका कहना है कि आलोचना उपयुक्त सीमाके अन्दर होनी चाहिए। मै इन दिनो खुद तो 'इडियन ओपिनियन' नही पढ सकता। मै शायद ही कोई समाचारपत्र पढ पाता हूँ, इसलिए मै जान नही पाता। फिर भी यदि तुम क्रोध या घृणामे कुछ लिखते रहे हो, तो इस त्रुटिको सुधार लेना। तुम्हे महसूस करना चाहिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी बडी भारी है। चूँकि मैंने कुछ पढा नही है, इसलिए आलोचनाके तौरपर यह सब नही लिख रहा हूँ। मै केवल तुम्हे यह जानकारी दे रहा हूँ कि एन्ड्रयूजके मनपर क्या प्रभाव पडा है।

बगालका कौन-सा स्वामी है जो मणिलालका काफी समय ले लेता है?

खुरजामे हैजा है, इसलिए रामदास कल यहाँ आ रहा है।

किशोरीलाल और गोमती इन दिनो यही हैं। किशोरीलालकी तन्दुरुस्ती बहुत अच्छी नही कही जा सकती।

देवदास एक तरहसे बिलकुल ठीक है। लक्ष्मी तो नाजुक है ही। उसकी बेटी मजेमे है। एन्ड्रयूज गोविन्द उर्फ अरुणकी बडी प्रशसा कर रहे थे।

फिरसे मेरी काफी शक्ति लौट आई है। लेकिन मुझे अब भी थोडा-बहुत आराम करना ही पडता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२५) से। सी० डब्ल्यू० १२३७ से भी, सौजन्य सुशीला गाधी।

४११ ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२७ अगस्त, १९३४

चि० ब्रजकिसन,

तुमारे दो खत मिले है।

तुमारी कठिनाई समझ सकता हूँ। धीरजसे सब कुशल ही होगा। मेरे से हो सके तबतक मै अवश्य तुमारा कर्त्तव्य बताता रहुगा। लेकिन मेरी मानसिक वत्ति आज ऐसी बन गई है कि किसीको आज्ञाके रूपसे नहि कहना, जब पूछे तब सम्मतिके रूपमे कहना।

यदि तुमने इजाजत दे दी है मै दामोदरदासको मिलूगा और बादमे केशुको लिखुगा। दामोदरदासको यहा बुलाउगा।

मेरा यहासे आजकल तो जाना है ही नही।

मसूरीमे जहातक रहना पडे रहना और शरीर और मन दोनो दुरस्त करके नीचे उतरना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२१) से।

४१२ एक पत्रका अश[1]

[२८ अगस्त, १९३४ से पूव]

काग्रेसकी स्वागत-समितिने पूछा था कि गाधीजी आगामी काग्रेस-अधिवेशनके दौरान कहाँ ठहरना चाहेगे। इस प्रश्नके जवाबमें उन्होंने जो पत्र लिखा, उससे यह सकेत मिलता है कि वे, कमसे-कम जबतक बम्बई काग्रेस-अधिवेशन समाप्त नहीं हो जाता, जेल नहीं जायेंगे। महात्मा गाधीने अपने जवाबमें लिखा है कि वे काग्रेस नगरमें भावी व निवर्त्तमान अध्यक्षोके साथ ठहरना चाहेगे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २९-८-१९३४

१ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके इस सवादको "बम्बई, २८ अगस्त १९३४", की तिथि पंक्तिके अतर्गत प्रकाशित किया गया था।

४१३. पत्र . बलीबहन एम० अडालजाको

२९ अगस्त, १९३४

चि० बली,

तेरा पत्र मिला। प्रसन्न हुआ। हरिलालके बारेमे जैसा तू सोचती है, वैसा ही मै भी सोचता हूँ। पोरबन्दरसे उसका पत्र मेरे पास आया है। लगभग एक वर्षके बाद यह पत्र आया। मैंने उसे सतक तो कर ही दिया है। मनुका डर निकल गया, यह अच्छा हुआ। किन्तु उसकी खीझका क्या इलाज हो सकता है?

लगता है, तेरी तबीयत काफी लस्त हो गई है। कुमीकी भी उम्दा तो नही ही कही जा सकती। किन्तु तुम दोनो बहन सेवाका मन्त्र जानती हो, इसलिए सेवासे नही चूकती।

यहाँ सब मजेमे है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० १५३१) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला।

४१४. पत्र उमादेवी बजाजको

२९ अगस्त, १९३४

चि० ओम,

तू जबदस्त है। मालूम होता है कि मारवाडी तो अच्छी लिख लेती है। मारवाडीमे और गुजरातीमे बहुत फक नही है। कोई तो कहते है कि गुजराती मारवाडी मे से ही निकली है और अब तो वह मारवाडीको भी मात दे जाती है। इसी कारण तूने मुझे दत्तक बाप बनाया है न? यहा मदालसा खडी-खडी तेरी टीका कर रही है कि तूने मारवाडी शुद्ध नही लिखी। लेकिन परीक्षक अपनी योग्यतानुसार ही जाचेगा न? और मदालसी[1] कहाँसे मारवाडीकी शिक्षिका या परीक्षिका बन गई? इस कारण तुम मारवाडीमे पास हो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३३८

१ साधन सूत्रके अनुसार।

४१५ पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको

३० अगस्त, १९३४

प्रिय डा० विधान,

मुझे मालूम हुआ है कि बगालके काग्रेसी उम्मीदवारोको विवेकगत सशयके आधारपर साम्प्रदायिक निर्णय सम्बन्धी काय-समितिके प्रस्तावका अनुसरण करने या न करनेकी छूट दी जा रही है। क्या यह सम्भव है? यदि है तो, मै समझता हूँ, हमे ऐसी छूट देनेका अधिकार ही नही है। इस सम्बन्धमे प्रेसको दिया गया मेरा वक्तव्य[1] आपने देखा होगा। मैने उसमे कहा है कि ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था और अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन अगर मालवीयजी उसे स्वीकार करनेके पक्षमे है, तो काय-समिति शायद फिर उसका प्रस्ताव रखेगी। लेकिन जबतक यह छूट काय-समितिके किसी प्रस्तावका अग नही बन जाती, तबतक छूट देनेका अधिकार किसीको नही है। और कार्य-समिति भी तबतक यह छूट नही दे सकती जबतक कि नेशनलिस्ट पार्टीका अस्तित्व कायम है। अत जिन्हे छूट चाहिए, उनके लिए नेशनलिस्ट पार्टीके सदस्य हो जानेके सिवाय और कोई चारा नही है।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधानचन्द्र राय
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४१६. पत्र : हरिभाऊ फाटकको

३० अगस्त, १९३४

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। गायके विषयमे मेरा मत यह नही है कि गाय दूध देनेमे भैससे बढकर है। यदि गोरक्षा हिन्दू-धमका अग है, तो हमे भैसका दूध अवश्य ही त्याग देना चाहिए, चाहे वह गायके दूधसे बेहतर ही क्यो न हो। धमकी ऐसी ही अवधारणा है। तुम इस बारेमे मात्र उपयोगिताका नियम लागू नही कर सकते। यदि हम भैसका दूध ज्यादा पसन्द करेगे, तो धीरे-धीरे भैस पूजाका विषय बन जायेगी और गायका अस्तित्व मिट जायेगा, वैसे भी वह तेजी-से मिट रही है।

१ देखिए पृ० ३६६।

इतना कहनेके बाद, मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे पास जितनी जानकारी है, उससे यही जाहिर होता है कि सभी बातोंको देखते हुए गायका दूध भैंसके दूधसे अच्छा है। लेकिन यह ऐसा सवाल है जिसमें मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि गायका दूध भैंसके दूधसे बेहतर है या भैंसका दूध गायके दूधसे, दोनोंके पक्षमें डॉक्टरी प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस तरहके मामलोंमें विशेषज्ञकी रायसे साफ बचना चाहिए। यदि हम गायकी पूजा करते हैं तो हमें विभिन्न जानवरोंके दूधके गुणोंका खयाल किये बिना, उसे हर तरहसे पहला स्थान देना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

श्री हरिभाऊ फाटक
सदाशिव पेठ, पूना

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३७२) से।

४१७ पत्र नारणदास गांधीको

३० अगस्त, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जो चिकित्साका धन्धा अपनाता है, उसे रोज़ ही बीमारियोंकी बात कहनी-सुननी पड़ती है। यह अच्छा ही हुआ कि मैंने [1] का पूरा पत्र ही भेज दिया था। तुम्हारे पत्रसे तो इस बातका दूसरा पहलू ही सामने आता है। ऐसी हालतमें तुम मुझे परिस्थितिसे अवगत बनाये रखना और दूसरे, तुम्हें जो योग्य लगे वही करना। मैं जो कहता हूँ, तदनुसार तो तभी करना चाहिए जब तुम्हारी बुद्धि उसे स्वीकार करे। अथवा जब यह कहूँ कि बुद्धि कबूल न करे तब भी करना। मैंने के एकतरफा पत्रके आधारपर कुछ लिख दिया था। उसपर अमल तो तभी किया जा सकता है जब बात तुम्हारे गले उतरे। तुमने तो जवाबमें उसकी सारी शिकायतोंका खण्डन किया है। ऐसी हालतमें मैंने जो कहा है उसपर अमल नहीं करना है। पहले तो तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम के पत्रका विश्लेषण करके उसे उसकी शिकायतोंका अनौचित्य समझा दो। और उसके बाद उसी तरह पैसेके विषयमें भी दृढता-पूर्वक कह दो। तुम्हारा पत्र पानेके बाद यदि तुम चाहो तो मैं उसे लिखकर इसका अनौचित्य बतानेके लिए भी तैयार हूँ। किन्तु मेरे लिखनेसे अनर्थ हो सकता है, इसलिए नहीं लिखता।

१ साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

गोशालाके बारेमें समझ गया। ट्रस्टियोंमें किनके नाम रखनेका सुझाव देते हो। कुछ नाम तो मैंने सुझाये थे, पर मैं भूल गया हूँ। इसलिए तुम लिख भेजना। रामदास और डॉ० शर्मा यहाँ वापस आ गये हैं। उनके खुर्जा वापस जानेकी बात नहीं रही, क्योंकि जो मकान वहाँ अपने पास था, उसे खाली करना पड़ा है और दूसरे, खुर्जामें कोई विशेषता तो है नहीं।

इन दिनों यहाँ काफी लोग हैं। एन्ड्रयूज और घनश्यामदास तो हैं ही। सरदार और जयरामदास आज आ रहे हैं। अन्य लोग आते ही रहते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४११ से भी, सौजन्य नारणदास गांधी।

४१८ पत्र : विमला जोशीको

३० अगस्त, १९३४

चि० विमू,

तू पेंसिलसे क्यों लिखती है? स्याहीसे लिखना चाहिए और अक्षर ऐसे बनाने चाहिए मानो सुन्दर चित्र खींच दिये हों। क्या तुझे जल्दीसे पत्र लिख डालनेकी जरूरत लगती है? तुम सब फिलहाल तो वहाँ जम गये हो, यह अच्छा हुआ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ७ श्री छगनलाल जोशीने, पृ० ३०२

४१९ पत्र : मनु गांधीको

३० अगस्त, १९३४

चि० मनुडी,

तेरा पत्र मिला था। क्या अब तू सुशीला बहनके स्कूलमें नहीं जाती? जो पढ़ा जा सकता है, वह तू पढ़ती है, इससे मुझे सन्तोष है। भाईसे डरना छोड़ दिया, यह तो बहुत ही ठीक किया। अपना शरीर सँभालना, क्रोधका त्याग करना। मौसीकी सेवा करना और सुखी रहना। रामदास अब यहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३३) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला।

४२० एक पत्र

३० अगस्त, १९३४

चि०

मगनभाईने तेरा सन्देशा मुझे दिया है। यदि तेरे मनमें ऐसा विचार बराबर उठता रहा है, तो मनमें आते ही बतानेकी तेरी प्रतिज्ञा भग हुई है। दूसरी रीतिसे भी शायद [2]के साथ तेरा सम्बन्ध दूषित माना जायेगा। ऐसा होते हुए भी, यदि तुम दोनो अभी भी राजी हो, और बड़े-बूढोके आशीर्वाद तुम दोनोको मिले तो मेरे तो मिलेगे ही। किंतु पाच वषतक ठहरनेका अपना हठ तू छोड दे। वैसे मुझे तो वह पसन्द है। किन्तु सगाई होनेके बाद विकारपूर्ण विचार तो तुम दोनोके मनमे आते ही रहेगे। यह अत्यन्त भद्दी बात होगी। अत सम्बन्ध निश्चित करना ही है, तो अभी कर लिया जाये, अर्थात् के (जेलसे) छूटते ही तुरन्त विवाह कर लिया जाये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०७०) से। सी० डब्ल्यू० २१से भी, सौजन्य शान्ताबहन पटेल।

४२१ पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

३० अगस्त, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

दामोदरदासका यह खत आया है। इसमे तो दूसरी ही बात है। अब मुझे ठीक लिखो। तुमसे दामोदरदासने क्या कहा था। मैंने उनको लिखा है यदि आ सकते हैं तो वर्धा आ जावे। मुबईका तो मेरा बिलकुल अनिश्चित है। सप्टेम्बरमे तो जाना नहिं होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२२) से।

१ और २ नाम छोड दिये गये है।

४२२. वह अभागा बिल

वह अभागा मन्दिर-प्रवेश बिल अपने प्रस्तावकके हाथो ही दफना दिया गया है। अगर ऐसा ही करना था तो उसे उससे अधिक अच्छी रीतिसे दफनाया जाना चाहिए था। वह ऐसा बिल नही था जिसे किसी व्यक्ति विशेषने अपने निजी सन्तोषके लिए पेश किया हो। वह तो सुधारकोकी ओरसे तैयार हुआ था और पेश किया गया था। इसलिए प्रस्तावकको सुधारकोसे सलाह ले लेनी चाहिए थी और उनके निर्देशोके अनुसार ही कारवाई करनी चाहिए थी। बिलके प्रस्तावक श्री रगा अय्यर काग्रेसियोके प्रति जिस आवेशमे आ गये और उन्होने जो रोष प्रकट किया, जहाँतक मै जानता हूँ, उसके लिए भी कोई कारण नही था। १९३२ मे २५ सितम्बरको प० मालवीयजी की अध्यक्षतामे हिन्दू प्रतिनिधियोकी जो सभा हुई थी, उसमे खुले तौरपर अस्पृश्यता दूर करनेकी पवित्र शपथ ली गई थी।[1] जिन्हे उत्सुकता हो, वे सज्जन उक्त घोषणा 'हरिजन' के मुखपृष्ठपर प्राय हर सप्ताह पढ सकते है। मन्दिर-प्रवेश बिल उस प्रतिज्ञा या घोषणाके फलस्वरूप ही पेश किया गया था, और उसका सम्बन्ध धम से था। इसलिए उस बिलमे हरएक हिन्दू — सवण अथवा हरिजन — की दिलचस्पी थी। मन्दिर-प्रवेश बिल कोई ऐसा बिल तो था नही कि जिसमे काग्रेसी हिन्दू, अन्य हिन्दुओकी अपेक्षा अधिक दिलचस्पी रखते हो। इसलिए यह बडे दुर्भाग्यकी बात हुई कि इस प्रसगमे काग्रेसका नाम घसीटा गया। बिलके साथ इससे अधिक सौम्य व्यवहार किया जाना चाहिए था।

मुझे तो अग-अग को ढीला कर देनेवाले, भागा-दौडीके इस दौरेमे दम मारनेकी भी फुरसत थी नही। इसलिए मैने सावजनिक सभाओमे और निजी तौरपर तथा 'हरिजन' के द्वारा सनातनी मित्रोको जो वचन दिया था, उसके अनुसार श्री राजगोपालाचारीसे कह दिया कि वे एसेम्बलीके हिन्दू मेम्बरोकी रायका अनौपचारिक तौर पर (क्योकि केवल अनौपचारिक रूपसे ही ऐसा हो सकता था) निश्चित पता लगा ले और अगर यह मालूम हो जाये कि उनका बहुमन बिलके खिलाफ है, तो बिलको वापस ले लेना चाहिए। यह एक सीधा-सादा प्रश्न था जिसके आधारपर या तो बिलका अन्त कर दिया जा सकता था या उसे आगे बढाया जा सकता था। सनातनी और सुधारक, दोनो इस वस्तुस्थितिको समझ सकते थे। इस बिलका भाग्य-निर्णय इस तरह किसी गौण मामलेको ध्यानमे रखकर नही किया जाना चाहिए था। श्री राजगोपालाचारीने या मैने अगर कोई गलती की थी, तो उसका फल हम भोग लेते। मगर बिल तो व्यक्तियोसे ऊपर था। सही हो या गलत, उसने एक

१ देखिए खण्ड ५१, पृ० १४८४९।

महान सिद्धान्त सामने रखा था, इसलिए उसके साथ तो अधिक शिष्ट व्यवहार होना चाहिए था।

अब रही सरकारके सम्बन्धकी बात, सो इस पत्रकी नीति ऐसी है कि जहाँ तक हो, सरकारकी टीका-टिप्पणीसे इसे अलग ही रखा जाये। पर इतना तो मैं कहूँगा कि सरकारके सामने जो सामग्री थी उसपर उसने वही किया जो उस परिस्थितिमे वह कर सकती थी। किन्तु जनताको यह जान लेना चाहिए कि सुधारकोकी तरफसे न केवल लोकमत प्राप्त करनेका प्रयत्न नही हुआ, बल्कि साफ तौरपर यह तय कर दिया गया था कि बिलके पक्षमे साधारण जनताके हस्ताक्षर प्राप्त करनेकी कोई चेष्टा न की जाये, हा, अगर विशेषज्ञ चाहे तो भले अपने आवेदनपत्र भेज दे। 'हरिजन'मे यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। मेरे साथी और मै इस नतीजेपर पहुँचे कि यह बिल, जो लोकमत जाननेके लिए प्रचारित किया गया है, उसके अतगत इतने अधिक कानूनी प्रश्न है कि साधारण जनता उनका निणय नही कर सकती। इसलिए सवाल यह नही था कि सावजनिक हिन्दू मन्दिरोमे हरिजन ठीक उन्ही शर्त्तों पर जाये या नही जिन शर्त्तोंपर अन्य हिन्दू जाते है। सवाल तो असलमे यह था कि इस सम्बन्धमे कोई कानून होना चाहिए या नही — और अगर कोई कानून हो, तो इस मन्दिर-प्रवेश बिलमे क्या गुण-दोष है। मेरी रायमे ये दोनो ही प्रश्न इतने अधिक कानूनी और जटिल थे कि सर्वसाधारणके आगे उनका रखना ही गलत था। निश्चय ही ऐसे अवसरोकी कल्पना करनी असम्भव नही है जब कानूनी सहायता या दस्तन्दाजी धार्मिक मामलोतकमे अत्यावश्यक हो जाती है। ऐसे कानूनी हस्तक्षेपके अनेक उदाहरण मौजूद है। पर इस बिलपर साधारण जनताका यथेष्ट युक्तिसगत मत प्राप्त करना कोई आसान काम नही था। फिर जनताको यह समझाना भी उतना ही कठिन काम था कि मन्दिर-प्रवेश बिलमे रत्तीभर भी जोर-जबदस्ती नही है और मन्दिरमे जानेवाले लोगोके बहुमतकी मर्जीके विरुद्ध एक भी मन्दिर खोला नही जा सकता। अनुकूल परिस्थितियोमे लोकमतकी ऐसी जागृति कोई असम्भव चीज नही है, किन्तु जब दलीय भावनाका पूरा बोलबाला हो और सत्यकी अवहेलना की जाती हो, तब तो यह बात असम्भव-सी ही है।

मन्दिर-प्रवेशकी लडाई तो जारी रखनी ही है। हरिजनोको दिया हुआ वचन तो पूरा करना ही है, और उनके लिए मन्दिरोको अवश्य खुलवाना है। कानूनी स्वीकृतिके बिना ही अगर मन्दिर खुल सके, तो सबसे अधिक प्रसन्नता सुधारकोको ही होगी। यह बात नही है कि जहाँ मन्दिरोमे जानेवाले सवण हिन्दुओका बहुमत हरिजनोके मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध हो, वहाँ भी सुधारक मन्दिर खुलवाना चाहते है। कानूनी सहायताकी जरूरत तो इसलिए आ पडी है कि कानून-विशारदोकी रायमे मौजूदा कानून मन्दिरोके इस तरह खुलनेमे बाधक हो रहा है — वहा भी जहाँ मन्दिरमे जानेवाले लोगोका बहुत बडा बहुमत मन्दिरको खोल देनेके पक्षमे है। अगर ऐसी बात है, तो कानूनका बनना जरूरी है। कानूनकृत स्थितिको कानून ही रद कर सकता है, फिर उस स्थितिको चाहे न्यायाधीशने जन्म दिया हो, चाहे व्यवस्था-

पिका सभाने या किसी रूढिने। पर इस कानूनके पास होनेमे कोई बाधा न हो, ऐसी स्थितिके आनेतक सुधारकोको राह देखनी चाहिए। किन्तु प्रतीक्षासे लाभ तो जाग्रत व्यक्ति ही उठा सकते है। उतावलीमे बिलको वापस ले लेना खुद हमे सबक सिखाता है। निराश होनेका कोई कारण नही। अब दूने प्रयत्नकी जरूरत है। हरिजन मन्दिर-प्रवेश चाहते है या नही, इसे जानने या साबित करनेकी कोई आवश्यकता नही। पापका यह निवारण उन सवर्ण हिन्दुओके आत्मसन्तोषके लिए आवश्यक है जिन्होने यह अनुभव कर लिया है कि अस्पृश्यतारूपी घुन हिन्दू-धमको भीतर-ही-भीतर खोखला कर रहा है, और अगर समय रहते उसे दूर न किया, तो निश्चय ही वह हिन्दू-धमका अन्त करके रहेगा।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ३१-८-१९३४

४२३ पत्र : पी० एन० राजभोजको

३१ अगस्त, १९३४

प्रिय राजभोज,

आपके २५ अगस्तके पत्रने मुझे चकित कर दिया, क्योकि हरिजन-सेवक सघके कायके बारेमे आपने अब जो रुख अपनाया है वह उससे, जो आपने कुछ समय पहले मेरे साथ हुए पत्र-व्यवहार और बातचीतमे अपनाया था, विपरीत है। शायद अनुभवसे आपके विचार बदल गये। यदि ऐसा है, तो मुझे कुछ नही कहना है सिवाय इसके कि आपने आलोचना अपर्याप्त हवालेके आधारपर की है।

आप जानते है कि मैंने बार-बार अपनी यह राय जाहिर की हे कि हरिजन-सेवक सघ पश्चात्तापी अपराधियोकी सस्था है। इसलिए इसमे हरिजन अधिक अशमे नही हो सकते। इसमे पश्चात्ताप करनेवाले जो सवण है, वे जिस ढगको सबसे ज्यादा उपयुक्त समझे, इस सस्थाको उस ढगसे पश्चाताप करना है। यदि यह बात हरिजनोको नही जचती तो निस्सन्देह यह एक दुर्भाग्यपूण बात होगी। तब पश्चात्तापी लोगोको पुन प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन उन्हे कटु अनुभवसे गुजरकर पश्चात्ताप करनेकी कला सीखनी होगी।

जैसाकि मैंने खुद आपसे बहुधा कहा है और आप जिसपर कुछ सहमत भी दिखाई दिये थे, हरिजन-सेवक सघोकी नीतिपर असर डालनेका बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली तरीका यह होगा कि स्थानीय हरिजन स्थानीय सघोकी गतिविधियोका सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करनेके लिए अपना प्रतिनिधित्व करनेवाले सलाहकार मडल बना ले और फिर स्थानीय सघोको सलाह दे, उनकी आलोचना करे और ठोस सुझाव दे। अगर ऐसे सलाहकार मडल हर जगह बना लिये जाते है, तो हरिजन

बोर्डो द्वारा किया जा रहा काम जैसा आज हो रहा है, स्वाभाविक रुपसे उससे कही ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन जैसा वह अभी हो रहा है उसके लिए भी बोर्डोको शर्मिन्दा होनेकी जरूरत नही है। यदि आप हर सप्ताह 'हरिजन' के स्तम्भ पढेगे, तो आपको निश्चय ही यह जानकर अचम्भा होगा कि भारतमे हर जगह किस तरह से हरिजनोमे पैसा बॉटा जा रहा है। रिकार्डोसे यह दिखाया जा सकता है कि हरिजनो द्वारा चलाई जा रही अनेको सस्थाए हरिजन बोर्डो द्वारा इक्ट्ठे किये गये कोषोसे ठोस मदद पा रही है। यदि आप ऑकडोका अध्ययन करे तो आप यह भी देखेगे कि सीधे हरिजनोमे और हरिजन-सस्थाओमे धनका वितरण बराबर बढ रहा है। कोषका निष्पक्ष वितरण हो, इसके लिए असाधारण सतर्कता बरती जा रही है।

आपका यह सोचना बिलकुल गलत है कि धन वितरणका हिसाब-किताब प्रकाशित नही किया जाता। प्रान्तीय शाखाओ द्वारा समय-समयपर रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है। जनताके देख सकनेके लिए वे उपलब्ध है और मेरा यह कहना बिलकुल सही है या नही, इसकी जॉच करनेके लिए आप 'हरिजन' के स्तम्भ पलटकर देख सकते है या फिर स्थानीय कार्यालयोको उन रिपोर्टोकी नकलके लिए अर्जी देकर जाच कर सकते है। 'हरिजन'मे देनेके लिए मै ठक्करबापासे पूरा हिसाब मॉग रहा हूँ। आप स्वय सारे भारतमे हरिजन-सस्थाओ और विद्यार्थियोपर खच की गई धनराशियोको देखकर चकित हो जायेगे।

मन्दिर-प्रवेशके बारेमे आप देखेगे कि उनके खुलवानेपर या नये मन्दिरोके बनवानेपर एक तरहसे कुछ खर्च नही किया है, और नौ महीनोके दौरेमे बराबर 'हरिजन' के स्तम्भोमे छपी मेरे भाषणोकी रिपोर्टोसे आपको यह पता चलेगा कि मन्दिर-प्रवेशके सवालपर उनमे सबसे कम बोला गया है। आपने जिन चीजोका उल्लेख किया है, उनमे से कुछपर हरिजन-सेवक सघोने ध्यान दिया है। यदि उन्होने सभी चीजोपर काम नही किया है, तो उसका कारण करनेकी इच्छाका अभाव नही है। एकसाथ सभी चीजे कर पानेकी क्षमताका अभाव है।

महाराष्ट्र हरिजन बोडपर आपने जो चोट की है, वह अशोभनीय है। हरिजन-कल्याणके पक्के हिमायती श्री देवधर प्रान्तीय बोडके अध्यक्ष है। उन्होने यह काम हरिजन बोड बननेके बहुत पहले, शायद हममे से बहुत लोगोके जन्मसे भी पहले, शुरू किया था। जहॉतक मैं जानता हूँ, इस सुधारमे कम उत्साहका दोष उनपर आजतक किसीने नही लगाया। यदि स्थानीय बोर्डके खिलाफ आपको कोई खास शिकायते है, तो क्या आप ऐसा नही समझते कि वे शिकायते स्थानीय बोडके पास लिख भेजना और यदि वहॉसे आपको राहत या सन्तोष न हो तो केन्द्रीय बोडके पास अपील करना आपका प्रथम कर्त्तव्य है? इस सबके बाद भी यदि आप पाये कि आपकी शिकायतपर कोई ध्यान नही दिया गया, तो सम्बन्धित बोर्डोकी कलई जनता के सामने खोलना उचित होगा। वैसे भी, महाराष्ट्र बोडके खिलाफ आपके पास कुछ

खास नहीं, केवल एक अस्पष्ट आरोप है। मेरी रायमें उससे और अच्छी तरह निबटना उचित होता।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री पी० एन० राजभोज
२०७ घोरपडे पेठ, पूना-२

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७८६) से। **हरिजन**, ७-९-१९३४ से भी।

४२४ पत्र सीताराम शास्त्रीको

३१ अगस्त, १९३४

प्रिय सीताराम शास्त्री,

तुम्हारा पत्र मिला। यद्यपि जिस बातका तुम उल्लेख कर रहे हो, वह तुम्हारे ध्यानमें नहीं आई, फिर भी उसमें नया कुछ नहीं है। हमने वह बड़ी रकम आन्ध्र पर इसलिए खर्च होने दी कि खादीके दौरेके समय आन्ध्रने अपना उचित अंश दिया था। लेकिन इससे आन्ध्रको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह उस रकमको अपनी इच्छानुसार उपयोगमें लानेके लिए हथिया ले। वह रकम अखिल भारतीय चरखा संघको दी गई थी, वैसे ही जैसे हरिजन-कोष हरिजन-सेवक संघको दिया गया था। उस कोषका उपयोग अधिकतर उसी प्रान्तमें किया जाना चाहिए जहाँ वह इकट्ठा किया गया हो। लेकिन उसका उपयोग किया जाता है केन्द्रीय संगठनके निर्देशोंके अनुसार। इसलिए जहाँतक जमानतका सवाल है, वह दोनों कोषोंके लिए स्पष्टत समान होनी चाहिए। और प्रस्तावित स्वायत्त-शासनके अधीन तुम दोनों कोषोंकी समान राशि खादी तथा फर्नीचरके रूपमें रखोगे। अगर तुम ऋणपत्र जारी करो और उन्हें जमानतके रूपमें दो, तो वह बिलकुल अलग बात है। यदि इस प्रकारकी जमानत संघको रुचे तो स्वाभाविक है कि वह स्वीकार की जायेगी। मैंने ऋणपत्रोंपर इतना विचार नहीं किया है कि उनकी योग्यतापर अपनी राय दे सकूँ। आशा करता हूँ, मेरी बात ठीक समझ गये होगे।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सीताराम शास्त्री
विनय आश्रम
चंडोल (जिला गुंटूर)

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल कागजात-सौजन्य प्यारेलाल।

४२५. पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

३१ अगस्त, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

रामदास कमजोर हो गया है, यह तो आप जानते ही है। उसे सुरेन्द्रका साथ अच्छा लगता है। वह उपचार डॉक्टर शर्माका कराना चाहता है। वे प्राकृतिक चिकित्सा करते है। रामदासकी ऐसी कमजोरीकी हालतमे बा उसके साथ रहना चाहती है। इसलिए रामदास, बा और डॉक्टर शर्मा एकसाथ रवाना होकर वहाँ पहुँचेगे। उन्हे साबरमतीसे किसी वाहनमे ले जाइये और जो मकान खाली हो उसमे रखिए। भाडेकी दर जो तय हुई हो, उस हिसाबसे भाडा लिया जाये। उनकी और कोई देखभाल नही करनी पडेगी। वहा चारपाई तो क्या होगी? रामदासके लिए बुधाभाईसे भीख माँग लीजिए। किरानेकी दुकान तो वहाँ होगी। खच तो यही से पूरा किया जायेगा। अगर रामदास कुछ समय वहाँ रहे, तो डॉक्टरकी पत्नी और उनके दो बच्चे वहा आयेगे। कोई अडचन आ पडे तो बताइयेगा। बा रसोई करके खिलायेगी। उन्हे एक नौकरकी जरूरत पडेगी। नौकर खोजा जा सके तो खोज दीजियेगा। यह पत्र भाई नरहरिको दिखा दीजिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४३) से।

४२६ भयानक अत्याचार

तलाजाके आसपास हरिजनोपर जो अत्याचार हुआ बताया जाता है, उसके विवरण मेरे पास चारो तरफसे आते रहे है। उनमे अतिशयोक्ति है ऐसा मान ले तो अतिशयोक्तिको घटाकर भी जो बच रहता है, वह भी इतना भयानक है कि उससे हृदय काँप जाता है। ऐसी निर्दयताका व्यवहार मनुष्य कैसे कर सकता है, यह सोच पाना भी कठिन है।

और दु ख तो इस बातका है कि हरिजन बिलकुल निर्दोष है। ढोरोमे महामारी फैली और ढोर मरे, लोगोने मान लिया, यह हरिजनोका काम है। और इसलिए उनपर अत्याचार किये गये, उन्हे इतना पीटा गया कि अनेक अधमरे हो गये, कुछ मर भी गये, और अन्तमे त्रस्त होकर वे लोग घरबार छोडकर तलाजा चले गये।

अधिक दु ख यह देखकर होता है कि भावनगर जैसे आदश राज्यमे भी यह सब हो सकता है। मेरा यह कहनेका अभिप्राय राज्यका दोष निकालना नही है। मेरे

पास जो पत्र तथा तार आये है, उनसे समझमे आता है कि राज्यके अधिकारी सावधान है। मुझे आशा है कि इस हत्याकाण्डकी पूरी जॉच की जायेगी, निर्दोष हरिजनोको न्याय मिलेगा, वे फिरसे अपने घरबारमे बसाये जायेगे, जो आहत हुए है तथा जिन्हे जान-मालका नुकसान भोगना पडा है, उन्हे आततायियोकी ओरसे उचित हर्जाना दिलाया जायेगा, तथा आगे फिर कभी ऐसा न हो, इसका प्रबन्ध किया जायेगा।

दरअसल यह सब दुखडा मै यह देखकर रोया कि एक प्रगतिशील राज्यमे भी लोगोके हृदय हरिजनोके प्रति कितने कठोर है। हरिजनोको पशुओसे भी हीन माना जाता है, उन्हे अधमरा कर देने अथवा मार डालनेमे भी लोगोको सकोच नही होता, न ही उन्हे कडी सजा या फासीका डर लगता है। अनेक लोग ऐसा मानते लगते है कि यदि कुत्ते या बिल्लीको अधमरा करने या मार डालनेमे राज्य या ईश्वरका डर लगे तो हरिजनको मारने या मार डालनेमे भी डर लगेगा। और उनका यह तर्क बिलकुल असगत भी नही होता।

इस सम्बन्धमे राज्य जो सहायता प्रदान कर सकता है, वह पर्याप्त नही होगी। घटना हो जानेके बाद राज्य न्याय कर सकता है तथा अपराधी गावसे क्षतिपूर्ति करा सकता है। किन्तु जहा इस सम्बन्धमे सशक्त लोकमतका निर्माण न किया गया हो, वहॉ राज्य कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न नही कर सकता। तलाजाके हत्याकाण्डकी जडमे घोर अज्ञान तथा अन्धविश्वास है। इस अन्धकारको दूर करनेका काम हरिजन-सेवकोका है। लोगोको बताना चाहिए कि ढोरोमे महामारी तो जब-तब सारी दुनियामे फैलती देखी जाती है। ऐसी महामारी फैलनेपर हिन्दुस्तानके बाहर किसी को किसीपर सन्देह नही होता। वहॉ लोग मान लेते है कि यह तो एक नैसर्गिक उपद्रव है। वे उसे समाप्त करनेके सही उपायोका प्रबन्ध करते है और ढोरोका इलाज करते है। अज्ञानके अन्धकारमे पडे हुए गावोमे ऐसा प्रचार बडे वेगके साथ निरन्तर होते रहना चाहिए।

इस सम्बन्धमे एक हरिजन भाईका बडा हृदयद्रावक पत्र आया है, जो प्रत्येक सवर्ण हिन्दूके पढने योग्य है। उसका महत्वपूर्ण अश नीचे दे रहा हूँ।[१]

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २-९-१९३४

१ पत्रका अनुवाद यहाँ नही दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने सौराष्ट्रके हरिजनोकी दयनीय दुर्दशाका वर्णन करते हुए गांधीजी से रक्षाकी प्रार्थना की थी।

४२७ नम्र प्रायश्चित्त

इस पत्र[1] के लेखकने अपना नाम-ठिकाना दिया है। मैंने यह सोचकर कि उसे देनेसे मूक सेवाका मल्य कम न हो जाये, वह नही दिया है। जहाँ तहाँ इस तरह की सेवा हो रही है, यह जानकर तलाजाके दु खद समाचारका[2] थोडा-बहुत निवारण होता है। इसी प्रकारकी सेवासे अस्पृश्यता दूर हो सकती हे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २-९-१९३४

४२८ पत्र . साहेबजी महाराजको

२ सितम्बर, १९३४

प्रिय साहेबजी महाराज,

आपका पत्र पाकर मुझे वास्तवमे आश्चय और सुख हुआ। लेकिन मै आपकी बधाइयाँ स्वीकार नही कर सकता। भारतके विभिन्न प्रान्तोमे और दयालबाग[3] बना सकनेकी योग्यता मुझमे नही है। मेरा सकेत तो उन बहुत अच्छे लोगोकी ओर था जिन्हे आपने मेरी मागपर कराची भेजा है और जो बडे ही व्यवस्थित ढगसे मोहट्टा ब्रदर्स द्वारा शुरू किया गया औद्योगिक सस्थान चला रहे है। आपका काम तो बहुत ही बडा है। मै अपनी सीमाएँ जानता हूँ। हो सकता है कि कुछ दिशाओमे मेरा अनुभव ज्यादा हो, लेकिन जिस दिशामे चलकर आपने दयालबाग बनाया है, उसमे मै बहुत ही कम अनुभवका दावा करता हूँ। वैसे मेरे साधन भी सीमित है। समय आनेपर मै हरिजनोके लिए उद्योग-गृह स्थापित करनेमे मदद देनेके लिए आपसे प्रशिक्षित आदमियोके लिए कहूँगा। इसके लिए यह जरूरी है कि वे महत्वाकाक्षा-रहित व्यक्ति हो।

मुझे खुशी हुई कि आपने एक चर्मालय स्थापित किया है। क्या आपके विशेषज्ञ मुझे एक ऐसा सक्षिप्त लेख देगे जिसमे चमडा पकानेके तरीकाका विवरण इस तरह हो

१ यहाँ नही दिया जा रहा है। पत्र लेखकने लिखा था कि वह सवर्णों द्वारा हरिजनोपर किये जानेवाले क्रूर व्यवहारके प्रायश्चितस्वरूप, जिस प्रकारसे भी हो सकता है, हरिजनोंकी सेवामें सलग्न है।

२ देखिए पिछला शीर्षक।

३ राधास्वामी सम्प्रदायकी बस्ती जो एक शताब्दी पूर्व आगराके निकट ५०० एकड़से ज्यादा भूमिमें बनाई गई थी। यह बस्ती साहेबजी महाराजकी निजी देखरेखमें थी। महाराजजी सम्प्रदायके पाँचवें प्रधान थे। देखिए खण्ड ४१, पृ० ४७१ ७२ भी।

कि कोई होशियार आदमी उसे पढकर चर्म-शोधनके काममे अपने-आप प्रयोग कर सके? क्या आपके यहाँ मृत ढोरोकी सार-सँभाल, उनकी खाल निकालना, खालको हड्डियो व माससे अलग करना आदि काम भी शामिल है। यदि ऐसा है, तो उन हड्डियो, खून, मास और अन्य चीजोका क्या उपयोग किया जाता है? मेरे लिए तो ढोरोके सरक्षणका चर्मशोधनसे बडा ही महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। सरक्षणसे मेरा अर्थ गायकी पवित्रतामें हिन्दू-आस्थासे सगत विचारसे है। आप क्या बाहरसे भी चमडा खरीदते है या अपना काम मारे हुए पशुके चमडेसे नही, बल्कि अपने-आप मरे ढोरके चमडेतक ही सीमित रखते है?

क्या मै आपके कृपापत्रसे यह अर्थ निकाल सकता हूँ कि दयालबागको हरिजन-बस्तियोकी सूचीमे शामिल किया जा सकता है और हरिजन-सेवक सघ हरिजन बच्चो को वहाँ विभिन्न विभागोमे प्रशिक्षणके लिए भेज सकता है। यदि सघ वहाँ बच्चोको भेजे तो किन शर्तोंपर?

मीराबहन भी मेरी तरह यह जानकर खुश होगी कि आप इरीडियम धातुकी नोकवाली ऐसी सुनहरी निब बनानेमे सफल हुए है जो ११–१२ अशतक स्वदेशी है। इस खुशखबरीकी सूचना मै मीराबहनको दूँगा।

मेरे स्वास्थ्यके विषयमे आपने कृपापूर्वक जो पूछताछ की है, उसके लिए धन्य-वाद। उपवासके बाद जितनी अच्छी प्रगतिकी आशा की जा सकती है, उतनी मै कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

साहेबजी महाराज
श्री आनन्द सरूप, दयालबाग, आगरा

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१५९) से।

४२९. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२ सितम्बर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

मुझे हरिजी ने अभी-अभी याद दिलाई[१] है कि छेवकीमे — जहाँ वे हमे मिले थे — मैंने उनके इस सुझावका अनुमोदन किया था कि सयुक्तप्रान्तमे सग्रह की गई राशिका २५ प्रतिशत भी सयुक्तप्रान्त बोर्डको भेजा जाये। मतलब यह कि सग्रहकी समूची राशि सयुक्तप्रान्त बोर्ड द्वारा खर्च की जाये — स्वभावत शर्त यह होगी कि बोर्ड जो योजना अथवा योजनाएँ विचारार्थ प्रस्तुत करे, वे स्वीकृत हो जाये।

श्रीयुत ए० वि० ठक्कर
दिल्ली

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४३०. पत्र : हृ० ना० कुँजरूको

२ सितम्बर, १९३४

प्रिय हरिजी,

अपनी छेवकीकी बातचीत मुझे खूब याद है, और यह भी याद है कि मैंने तुम्हारे सुझावका पूरा-पूरा अनुमोदन किया था। लेकिन वह बात बिलकुल विस्मृत हो गई थी, और अगर तुमने याद न दिलाई होती, तो मै ठक्कर बापाको न लिखता। अब मै उन्हे लिख[२] रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

प० हृदयनाथ कुँजरू
इलाहाबाद

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए अगला शीर्षक।
२ देखिए पिछला शीर्षक।

४३१ पत्र . बीरेन्द्रनाथ गुहाको

२ सितम्बर, १९३४

प्रिय बीरेन,

मै यह जानकर खुश हूँ कि क्षितीश बाबू थोडे नरम पडे है। मालूम नही मेरा पत्र[1] उन्हे मिला या नही।

मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि डॉ० इन्द्र नारायण सेन अपने हाथसे निकल गये। लेकिन हमे आशा करनी चाहिए कि वे भावी कुछ समयके लिए ही हाथसे निकले है।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४३२ पत्र . उमादेवी बजाजको

२ सितम्बर, १९३४

चि० पण्डिता ओम

इस बारके पत्रमे तो तुमने अच्छा उपदेश दिया है। पर अपने उपदेशके अनुसार तुम खुद चलती भी हो? अगर मै आराम न करता, प्रयत्न न करता, तो हर रोज आधे पौडके हिसाबसे कैसे बढता? तुमने मुझे जिस तरह काम करते देखा है, उससे आजकी तुलना करोगी तो तुम मुझे आलसी और सोते रहनेवाला आदमी मानोगी। अच्छा ही है कि तुम वहाँ हैंगिग गाडनमे चक्कर काटती हो और गप्पे मारती हो, बदलेमे काकाजी की थोडी सेवा कर लेती हो। हैंगिंग गार्डनकी कथा तुम जानती हो? मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे-जैसे गरीबोके घूमने लायक वह जगह नही है। वह तो छैल-छबीलोके घूमनेकी जगह है। अगर अब तुम जाओ तो देखना और मुझे लिखना कि कितने गरीब लोगोको तुमने वहाँ देखा। मै तो वहाँ एक-दो बार जाकर अघा गया था।

भले मेरे पास तुमने ज्ञान उँडेला। दत्तक बापका ऐसा ही हाल होता है। पर काकाजी को तो नही भडकाया न?

१ देखिए पृ० ३८०।

तुम्हारे लिखनेमे भूल है। काकाजी का वजन १०४ बताती हो। उसको तो शायद मै चार दिनमे ही लाँघ जाऊँगा। तुम्हारा मतलब २०४ से तो नही है? क्या तुम नियमित रूपसे 'रामायण' पढती हो?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३३८-३९

४३३ पत्र द्रौपदी शर्माको

२ सितम्बर, १९३४

चि० द्रौपदी,

तुमारे मेरा डर तो छोड ही देना चाहिये। डरानेकी तो मैंने कोई बात नहि कही थी। मैंने तो केवल मात-पिताका अपने बच्चोके प्रति क्या धर्म है, वह बताया। लेकिन कुछ भी हो अब उसे भूल जाना। मुझको निडर होकर लिखो।

अब बात यहाँकी–आज शर्मा, रामदास, कनु और बा साबरमती गये। अच्छा ही हुआ। हिसाब जैसे मुझे दिया गया कायम रखा है। रामदासके चित्तको तुमने हर लिया है यह क्या चीज है। अमतुलसलाम तो चोर लिया ही। बताओ यह क्या चीज है?

तुमको साबरमती बुलानेका यदि होगा तो दस अथवा चौबीस[1] दिनके बाद होगा। यदि रामदासका द० अफरीका जाना हुआ तो बुलानेकी बात छुट जाती है। अगर रामदास नहि जायगा तो तुमारे साबरमती जाना है ही। दस दिन या २४ का मतलब यह है कि द० अफरीकासे जहाज हर चौदा दिन [बाद] आती है। एक शनीचरको आवेगी। उसमें अगर कोई पता न चला तो चौदा दिनके बाद तो मिलना ही चाहिये। तब तक भी न मिला तो रामदास नहि जायगा। बच्चे सब अच्छे होगे।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२-४८, पृ० ९०-९१ के बीचकी प्रतिकृतिसे।

१ साधन सूत्रमें यहाँ पच्चीस लिखा है।

४३४ पत्र : प्रेमाबहन कटकको

सुबहके तीन बजे
३ सितम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र वर्णनसे भरपूर है। मालूम होता है, तेरा काम अच्छा चल रहा है। इसी तरह कामका विवरण भेजती रहना।

गाँवमे काम करनेके बारेमे 'हरिजन' मे जो लिखा है[1] उसे देख लेना। सब जगह एक ही तरीका काम नही देता। इस क्षेत्रमे अभी कुछ काम नही हुआ है। इसलिए काममे काफी विविधता होना सम्भव ही है। मेरे पास जो योजना है और जिसे मैंने 'हरिजन' मे प्रस्तुत किया है, वह तो एक ही प्रकार की है। परन्तु उसका घूट किसके गले उतारूँ? तेरे ही गले न? अब यह देखूगा कि उसे तू कितनोके गले उतारती है।

तेरी परेशानीसे मुझे आश्चय नही होता। मेरी सलाह है कि तुझे काग्रेसका नामतक नही लेना चाहिए। सविनय-अवज्ञाका नाम तो ले ही क्यो? अभी तो जो-जो काम तू कर रही है उनके गुण-दोष तुझे ग्रामवासियोके सामने रखने चाहिए। काग्रेसके कामके बिना उसका नाम मिथ्या है। काम हो तो नाम अनावश्यक है। जो लोग कृष्ण-कृष्ण कहते है वे उसके पुजारी नही है। जो उसका काम करते हैं वे ही उसके पुजारी है। रोटी-रोटी कहनेसे पेट नही भरता। रोटी खानेसे ही भरता है।

तेरा कहना ठीक ही है। अगर गाँव छोडनेका हुक्म मिले तो उसका खुशीसे पालन करना चाहिए। जो अरुचिकर कानूनोका भी इच्छापूवक पालन करते है, उन्हीको कभी कानून-भग करनेका अधिकार मिलता है। यह लोग कदाचित ही याद रखते है।

यह न मान लिया जाये कि मै काग्रेसमे पहुँचूगा ही। मनमे बहुत-सी बाते पक रही हैं। उन सबको लिखनेका समय नही मिल पाता। जो हो देखती रहना। तेरा कार्य निश्चित हो गया, इतना काफी है।

किसन कभी-कभी लिखती रहती है। अमतुलसलामके नाम तेरा पत्र अच्छा है।

रामदास बीमार है, यह तो तू जानती ही है। शर्माको लेकर वह साबरमती गया है। बा उसकी देखभालके लिए उसके साथ गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५९) से। सी० डब्ल्यू० ६७९८ से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक।

१ देखिए पृ० ३२२ २६।

४३५ पत्र . एस० ए० ब्रेल्वीको

३ सितम्बर, १९३४

प्रिय ब्रेल्वी,

महादेवने शाह-सम्बन्धी तुम्हारा पत्र मुझे दिखाया। मै चाहता हूँ कि वह चुना जाये। वह मूल्यवान प्रतिनिधि सिद्ध होगा। लेकिन किसी समाजवादीके, एक जाने-माने पजीवादी गुटकी ओरसे खडे होनेके औचित्यमे मुझे सन्देह है। मुझे यह ठीक नही लगता कि इस प्रश्नपर चेम्बरको ऐसे समय विभाजित किया जाये जबकि वह अपनी स्थितिको सिद्ध करनेके लिए सघष कर रहा है। साथ ही, मुझे यह भी ठीक नही लगता कि अगर मथुरादास खडा हो रहा है, तो उसका विरोध किया जाये। अगर शाह इस बार जनताके किसी निर्वाचन-क्षेत्रसे खडा नही हो सकता तो उसे ठहरना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी और उसकी राय इससे भिन्न हो, तो यह स्वाभाविक है कि तुम मामला ससदीय बोर्डके सामने पेश करोगे। आखिर निणय तो उसीके हाथमे रहेगा। और मै न तो तुम्हारी बैठकोमे उपस्थित होता हूँ, न ऐसे मामलोमे उसके निणयोको प्रभावित करनेका प्रयत्न ही करता हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत एस० ए० ब्रेल्वी
बम्बई

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४३६ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

३ सितम्बर, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

आपका पत्र मिला। लखतर[1] के मामलेको अभी अखबारोमे नही देना है। ठाकुर साहबके किसी परिचितके जरिए जो हो सके, सो कराना चाहिए। अगर कुछ न हो सका, तो अन्तमे अखबारमे तो देना ही पडेगा। कोई ऐसा व्यक्ति खोजूँगा। रामदासके ससुरके पिता उस गाँवके थे। उनका दरबारके साथ अच्छा सम्बन्ध था। उनका तो स्वर्गवास हो गया। अब वहाँ कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, मालूम नही। रामदाससे पूछिए। वह किसीको जानता हो तो लिखे। रामदासकी पत्नीसे भी पूछूगा। यो आज तो मौन (दिवस) है।

रामदासके कारण असुविधा हो तो मुझे बतानेमे सकोच मत कीजियेगा। सुरेन्द्रके सत्सगके लिए रामदास वहाँ गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४४) से।

४३७. पत्र · प्रभाशकर पट्टणीको

३ सितम्बर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र आज ही मिला।

तलाजाके सम्बन्धमे जितने उपाय किये जा सके, कम समझियेगा। अतिशयोक्ति को घटाकर जो बच रहता हे, वह भी भयानक है, इसमे सन्देह नही। ऐसा कुछ कीजिए कि आपके राज्यमे ऐसा फिर कभी न हो। आपके अधिकारी तो अपना काम कर रहे है,[2] ऐसा मुझे नानाभाई और छगनलाल जोशीने लिखा है।

कुमार साहब बीमार है, इसका मुझे दुख है। यदि मेरे आशीर्वाद कुछ कर सके, तो उनपर तो आपका इजारा है ही। किन्तु सच्चे आशीर्वाद तो हरिजनोके ही हो सकते है। गरीबोका अन्त करण राजाको दुआ दे तो वह अवश्य फलीभूत होती है।

१ जहाँपर हरिजनोको आम जलाशयोंसे पानी लेनेकी मनाही थी, देखिए खण्ड ५९, "पत्र छगनलाल जोशीको, २१-९-१९३४" भी।

२ देखिए पृ० ४०७-८।

दुखियाकी दुआ ही राजा-प्रजा सबको लगती है। मुझ-जैसे सुखियाकी दुआपर आप जैसे भले ही विश्वास करे, लेकिन उसकी कीमत एक कौडी की ही समझिए।

कुमार साहब अच्छे हो जाये, तो खबर दीजिएगा।

मोहनदास

[पुनश्च]

मेरे बम्बई आनेकी कोई बात नही है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३६) से। सी० डब्ल्यू० ३२५२ से भी, सौजन्य महेश प्र० पट्टणी।

४३८. पत्र : प्रागजी के० देसाईको

३ सितम्बर, १९३४

चि० प्रागजी,

बन्द तो कुछ भी नही किया गया। तुम जो चाहते हो, वही हुआ है। एक सत्याग्रही व्यक्ति बरकरार है, और एक ही काफी है। इसमे हारके लिए स्थान ही नही है। निराशाके लिए भी नही। मेरा वक्तव्य फिरसे पढो, तो उसमे यह सब मिलेगा। तुम्हारी तकलीफोकी बात समझा, लेकिन ये तो शरीरके साथ लगी ही रहती है। तुम सबको,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५०३९) से।

४३९. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

३ सितम्बर, १९३४

प्यारी बहन,

रामदास बीमार है। बा उसे लेकर साबरमती हरिजन आश्रममे गई है। उसके वहाँ अच्छे हो जानेकी आशा है। मेरे लिए आपने शहदका सग्रह किया है। अभी एक भाई बडे आग्रहपूर्वक कलकत्तासे शहद भेज देते है, इसलिए आपको कष्ट नही दिया। किन्तु अब आप शहद रामदासके लिए हरिजन आश्रम, साबरमतीके पतेपर भेज दीजिए। वहाँकी सभी बालिकाओको आशीर्वाद। उनकी सेवाकी याद भुलाई नही जा सकती।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मुझमें शक्ति आती जा रही है।

बापूके आशीर्वाद

श्री प्रेमलीलाबहन ठाकरसी
पर्णकुटी
यरवदा, बरास्ता पूना,

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८३४) से, सौजन्य प्रेमलीला ठाकरसी।

४४०. पत्र : महेन्द्र वा० देसाईको

३ सितम्बर, १९३४

चि० मनु,

तूने अक्षर सुधारनेका प्रयत्न तो अच्छा किया है, किन्तु अभी भी उनमें सुधार की गुंजाइश है। काका[1] का लेख स्वीकृत हो गया है, अतः अब वे उसका दूसरा भाग भेजें। आँख क्यों आ गई थी? अबतक तो अच्छी हो गई होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४६७) से, सौजन्य महेन्द्र वा० देसाई।

४४१. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

३ सितम्बर, १९३४

चि० शान्तिकुमार,

ब्रह्मदेशके श्री मग दो दिन पहले आकर मुझसे मिल गये। उनका कहना है कि हाजीके कहनेसे वे ब्रह्मदेशके आन्दोलनमें पड़े और इतना जोरदार आन्दोलन किया कि अपनी तबीयततक बिगाड़ ली। वे कहते हैं कि उनका २००० रुपया खर्च हुआ है। कुछ हो नहीं सका, इसलिए अब कोई नहीं सुनता। उनके साथ किसी प्रकारका कोई समझौता हुआ था, इस बातसे इनकार करते हैं। तुमसे मिलनेकी बात भी वे कह रहे थे। मैंने तो उनसे कह दिया कि ऐसे कामोंमें तो सब अपनी इच्छासे अथवा अपने देशके लोगोंके कल्याण हेतु पड़ते हैं। इसमें कोई अपने वचनका पालन न करे तो अपनी ही मूर्खता समझनी चाहिए। फिर भी मैंने उनसे कहा है

१. महेन्द्र वा० देसाईके पिता।

कि तुम्हे लिखकर देखे। यदि किसी प्रकारकी नैतिक जिम्मेदारी हाजीने ली हो तो श्री मगको उनका खर्च दिलाना चाहिए, यह मेरा मन्तव्य है। इसमे सत्य क्या है, मुझे बताना।

तुम्हारी गाडी ठीक चल रही होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७२३) से, सौजन्य शान्तिकुमार मोरारजी।

४४२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

३ सितम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आज तो लिखनेमे मैने हद कर दी है। कमर और पीठ अब जवाब दे रही है। परन्तु इस निषेधाज्ञाको तुरन्त नही माना जा सकता। नरहरिका पत्र मै आज ही पढ पाया। मुझे लगता है, उनके साथ थोडा अन्याय हुआ। इसमे उनपर नाराज होनेका मै कोई कारण नही देखता। वे बम्बईमे अपना पक्ष आपके सामने पेश नही कर सके, इसलिए उन्होने बहुत नम्रतापूर्वक पत्रमे पेश किया है। उसमे काकासे रुकनेका आग्रह करनेकी और जिनका उनके साथ मेल नही बैठता, उनसे मेल करा देनेकी आपसे जो आशा रखी गई है, वह अवश्य निस्सन्देह अधिक है। परन्तु यह तो आपके सामने प्रार्थनाके रूपमे रखी गई है। इससे मालूम होता है कि उन्हे आपके स्वभावका पूरा ज्ञान नही है। उन्हे चाहिए था कि आपने मुझे जो पत्र लिखा, उसे ही आपका अन्तिम निणय समझते। वह मत स्पष्ट और पर्याप्त है। मैने नरहरिको लिखा है कि काकाको कोई गुजरातमे रख ले तो उन्हे रखनेकी आपकी तरफसे छूट और आशीर्वाद है। किशोरलाल मुझे कहते थे कि आपने नरहरिको कडा पत्र लिखा था। अगर मेरी दलील ठीक मालूम हो तो नरहरिको एक मीठा-सा पत्र लिखिए। उनका पत्र आपको दुबारा पढनेकी शायद जरूरत महसूस हो, इसलिए उसे वापस भेज रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३१

४४३. पुर्जा : जयरामदास दौलतरामको

[३][1] सितम्बर, १९३४ [या उसके बाद]

उसके पास कागज-पत्र तथा जो हो रहा है, उसका सक्षिप्त ब्यौरा भेज दो। आनन्दको कितना पैसा भेजा जाना है, यह मै भूल गया हूँ। मैंने उसे बतलाया था कि जमनालालकी बीमारी[2] के कारण कुछ देर हो जायेगी। लेकिन यदि तुम्हे रकम याद हो तो मुझे बताओ।

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्म से, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिगोरानी।

४४४. पत्र : अब्बास तैयबजीको

४ सितम्बर, १९३४

चि० अब्बास,

जूठा हिरानीसे लिखकर पूछना चाहिए कि मेरे हरिजन आश्रममे न जानेसे उसकी आत्मशुद्धिका क्या सम्बन्ध है। और यदि उपवास-मात्रसे निश्चित आत्मशुद्धि हो जाती तो आत्मशुद्धि साग-पातके समान सस्ती चीज होती।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६३०९) से।

४४५ पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

४ सितम्बर, १९३४

तेरा पत्र मिला। तूने कर्मयोगपर लेख लिखा है, यह तो मैंने कल अनायास ही देखा। जब समय मिलेगा तब उसे पढ़ूँगा।

यह सगीत और सिनेमाकी बात कैसी? क्या काग्रेसके अधिवेशनको फैलिक्स सर्कस या बर्नम शो बनाना है? लेकिन मै इस सम्बन्धमे क्या कह सकता हूँ? मुझे सगीत प्रिय है, किन्तु सब-कुछ अपनी जगह शोभा देता है। तीन-चार दिन काग्रेसका

१ गाधीजी ने यह पुर्जा मौनवारके दिन लिखा था और महीनेका पहला सोमवार इसी तारीखको था।

२ देखिए "पत्र आनन्द तो० हिंगोरानी" को, पृ० २७६ और ३६७।

अधिवेशन होता है, उसमे यह सब हो तो उसका गाम्भीर्य नष्ट हो जायेगा। ऐसा कुछ करना हो तो उसका ठेका किसीको दिया जा सकता है। किन्तु मेरा आशय यह है कि जहाँ देशकी ससद बैठे, वहाँ ऐसा कुछ नही होना चाहिए। लेकिन लोगोने काग्रेसको तो तमाशा बना डाला है। हिन्दुस्तानके सच्चे सगीतके लिए स्वदेशी प्रदर्शनीमे स्थान होना उचित है, किन्तु उसमे भी वाद्ययत्र पुराने होने चाहिए। बैंडके लिए तो मै उसमे कोई स्थान नही देखता। यह तू सरदारको पढनेको दे सकता है। बाकी 'सबसे बडी चुप' का आश्रय लेना हो तो लेना। मै जो कदम उठाना चाहता हूँ, उसके बारेमे तो तूने सरदारसे सुन ही लिया होगा। इसलिए यहाँ लिखकर अपने क्षणोका अपव्यय नही करता।

मेरी तबीयतका क्या पूछना है? कल उसकी परीक्षा हो गई। सारा दिन कलम चली, फिर भी कोई तकलीफ नही हुई।

बाकी कौन जाने, यहाँसे कोई तुझे कुछ और लिख देता होगा।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० १५२

४४६ बातचीत . डॉडके साथ[1]

४ सितम्बर, १९३४

डॉ० डॉड मै १०,००० मीलसे भारत आया हूँ[2] ताकि ताजको जो भूतकालका स्मृतिचिह्न है और महात्मा गाधीको जो भविष्यके प्रतीक है, देख सकूँ।

गाधीजी लेकिन मृत ताजके बजाय जीवन्त ताज क्यो न बने? और भविष्यके बजाय वतमानका ही प्रतीक क्यो नही?

क्या अमेरिका आनेका आपका कोई इरादा है? क्या हम आपका अपहरण कर अमेरिका ले जा सकते है? आप तो जानते ही है कि आजकल अपहरणकी बहुत घटनाएँ हो रही है।

गाधी नही, भाई! मेरे अमेरिका जानेसे कोई लाभ नही होगा। अगर मै वहाँ जाऊँ, तो वहाँ अहिंसाका रहस्य, सुन्दरता और शक्ति समझानेके लिए ही जाऊँगा। मुझे नही लगता कि मै आज ऐसा कर सकूँगा। मै अपने ही देशको अभी अहिंसाकी सजीवनी बूटी पूरी तरहसे नही पिला सका।

आपका मुख्य ध्येय क्या है?

जिस ध्येयकी खातिर मै काम कर रहा हूँ, वह तो स्पष्ट ही है। हिन्दुस्तानके इने-गिने अमीरो और पढे-लिखे लोगोके ही लिए नही, किन्तु करोडो मूक निरक्षरोके लिए मै पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहता हूँ।

१, यह **हरिजनबन्धु**में "बातचीत एक अमेरिकन मित्रके साथ" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। प्रथम दो अनुच्छेद महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे उद्धृत किये गये है।

२ डॉड अमेरिकाके एक महिला महाविद्यालयके प्रधान थे।

मैं जानता हूँ। अकसर मैंने आपके लेखोंमें इस बातकी अभिव्यक्ति पाई है। लेकिन इसके लिए आप किन साधनोंका प्रयोग कर रहे हैं?

साधनोंका नहीं, एक ही साधन, शुद्ध सत्य और अहिंसाका। पर आप पूछेंगे कि सत्य और अहिंसाको कैसे साकार स्वरूप दिया जाये और कैसे प्रयोगमें लाया जाये? तो उसी क्षण मैं यह जवाब दूँगा कि मेरे साधन-क्रमका मध्यबिन्दु चरखा है। मैं जानता हूँ कि अमेरिकी लोग चरखेकी मेरी यह बात सुनकर एकदम भड़क जाते हैं। वे पूछते हैं कि इस मामूली-सी चीजसे इतने चिपके रहनेका क्या अर्थ है?

नहीं, सभी अमेरिकी ऐसे नहीं हैं। हमारे यहाँके एक दैनिक पत्रमें आपके चरखे के कार्यक्रमकी बड़ी कड़ी टीका की गई थी और उसी पत्रमें अन्यत्र एक ऐसा लेख था जिसमें कुदाली-फावड़ेसे काम करनेवाले ४० आदमियोंका वर्णन किया गया था। ये आदमी बिलकुल बेकार थे, इसलिए जो काम मशीनसे हो सकता है, उसके लिए उन्हें वहाँ लगा दिया था। इसी तरह आपने अपने देशकी भयंकर बेकारी दूर करनेके लिए यह चरखा ढूँढ़ निकाला है। पर आप तो इसे एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रतीक भी मान रहे हैं। इसका क्या अर्थ है?

हाँ, चरखेको मैं सत्य और अहिंसाका प्रतीक मानता हूँ। राष्ट्रके रूपमें जब हमने चरखेको ग्रहण किया है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसके द्वारा हम अपने यहाँकी बेकारीके प्रश्नको हल कर लेंगे, बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि हमारा किसी राष्ट्रके शोषणका कतई इरादा नहीं है, और देशके शक्तिशाली लोग गरीब कमजोरोंका जो शोषण कर रहे हैं, उस लूट-खसोटका भी हम अन्त कर देंगे। यह तो एक आध्यात्मिक शक्ति है। पहले तो इसका बहुत ही कम प्रभाव दिखाई देता है, पर जनताके जीवनमें इसका पूरा संचार होते ही यह शक्ति 'वायु-वेग'से काम करने लगती है। अर्थात् जब मैं यह कहता हूँ कि मैं करोड़ोंके लिए पूर्ण स्वराज्य चाहता हूँ, तब इसका यह अर्थ होता है कि उन्हें खाने-पीने और पहननेका साधन मिले, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें दूसरोंके मुँहकी तरफ ताकना भी न पड़े, अर्थात् न उनका देशके लोग शोषणकर सकें, न विदेशके। हिन्दुस्तानको हम तबतक यन्त्र-प्रधान देश नहीं बना सकते, जबतक उसकी ३५ करोड़की आबादीके बदले साढ़े तीन करोड़की आबादी नहीं कर दी जाती, या जबतक हमें अपने बाजारोंसे भी बड़े और पूर्णतया हमपर निर्भर और बाजार नहीं मिल जाते। जहाँ करोड़ों आदमी बेकार पड़े हों, वहाँ बड़े पैमानेपर चलनेवाले यन्त्रों या कल-कारखानोंके लिए जगह ही नहीं है। हमारे यहाँका एक अर्थशास्त्री कहता था कि प्रत्येक अमेरिकीके पास ३६ गुलाम होते हैं, अर्थात् प्रत्येक यन्त्र ३६ गुलामोंका काम करता है। अमेरिकाको भले ही इन गुलामोंकी जरूरत हो, पर हमारे हिन्दुस्तानको तो निश्चय ही नहीं है। मानव-समूहको हमारा हिन्दुस्तान हरगिज गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता।

इसके बाद हमें अस्पृश्यताके खिलाफ जूझना है। एक प्रकारकी आवश्यक अस्पृश्यता तो संसारमें सर्वत्र ही है। आपके यहाँ कोयलेकी खानमें काम करनेवाला आदमी खानसे सीधा आता हुआ रास्तेमें आपको मिले, तो वह आपसे हाथ नहीं मिलायेगा। वह कहेगा कि मैं नहा-धोकर पहले स्वच्छ बन जाऊँ, तब हाथ मिलाऊँगा। अस्वच्छ

शरीरको धो-धाकर फिर वह अस्पृश्य नही रह जाता। पर हमने तो अपनी जनसख्याके एक हिस्सेको हमेशा ही अस्पृश्य माना है।[1] हम इसी अस्पृश्यताको दूर करनेकी कोशिश कर रहे है। वे केवल अस्पश्य ही नही, बेरोजगार भी है, जैसेकि दूसरे असख्य लोग है। आपके यहॉ जो बेकारी है, उसे तो आपने खुद पैदा किया है। पर हिन्दुस्तानकी बेकारीके लिए हम ही अकेले जवाबदेह नही है। चाहे जो जवाबदेह हो, मेरा उपाय यदि सारे देशमे अपना लिया जाये, तो हमारे यहॉ आज जितनी जनसख्या है, केवल उसकी ही बेकारी दूर नही हो जायेगी, बल्कि यदि जनसख्या और भी बढ जाये, तब भी मुझे बेकारोकी कोई चिन्ता न रहेगी। हमारे यहॉ बढती हुई जनसख्या का प्रश्न ही, मेरे हिसाबसे, नही उठता। सवाल तो सिर्फ यह है कि जिनके पास कोई काम नही है, उन्हे कुछ-न-कुछ काम मिलना चाहिए, और जहॉ एक आनेकी आमदनी है वहॉ दो आने मिलने चाहिए। अगर मै हरएक हिन्दुस्तानीकी आमदनी एक पैसेसे दो पैसे कर सका, तो मेरे लिए यह काफी है। इने-गिने थोडे-से लोगोकी नही, किन्तु करोडोकी रोजकी आमदनी जिससे दूनी हो सके, ऐसा कोई दूसरा साधन आप ढूँढ दे तो मै चरखा छोड देनेको तैयार हूँ।

मै समझ गया। हमारे यहॉ आजकल कामके घटे कम करानेका आन्दोलन चल रहा है। मगर यह हममें से कोई नहीं सोचता कि इस तरह कामके घटे कम हो गये तो अवकाशके घटोमें लोग क्या करेगे?

अब एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। मुझे प्राय अनेक युवक-युवतियोसे मिलनेका अवसर मिलता है। आपके जीवनसे वे क्या मुख्य चीज सीखें, यह मुझे उन्हे बतलाना है। बडी-से-बडी, अथवा बडी-से-बडी न कहूँ तो अधिक-से-अधिक, सन्तोषप्रद सफलता या सिद्धि आपको कौन-सी मिली? जिसमें युवक-युवतियाँ अपने जीवनको लगा दें, आपकी ऐसी कौन-सी चीज मै उनके आगे रखूँ?

यह प्रश्न आपने विकट पूछा। मै नही जानता कि एक वाक्यमे मै क्या कहूँ। मै तो इतना ही कह सकता हूँ—आप इसे सफलता या सिद्धि कहे या न कहे—कि इस ऊपरसे दीखनेवाली भारी निष्फलता और पूरी पराजयके होते हुए भी, इस ऑधी-तूफानसे आक्रान्त जीवनमे भी, मै अपनी आन्तरिक शान्ति कायम रख सका हूँ, क्योकि सत्य अथवा ईश्वरके विषयमे मेरी श्रद्धा कभी विचलित नही हुई। परमात्माकी अनेक कोटि व्याख्याएँ क्या न हो, पर मेरे लिए तो उसकी इतनी ही व्याख्या बहुत है कि 'सत्य ही ईश्वर है।'

ठीक है, ठीक है। आपने इस अशान्त और तूफानी दुनियामें जो शान्ति प्राप्त की है, यही आपकी सबसे बडी सिद्धि है।

पर बहुत-से अमेरिकी कहते है कि 'तुम ईसा मसीहको न मानोगे, तो तुम्हे शान्ति मिलनेकी नही।' मै उनसे कह देता हूँ कि मै ईसा मसीहको यद्यपि ईश्वरके एकमात्र पुत्रके रूपमे नही मानता तो भी मुझे शान्ति प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नही आती।

१ यह वाक्य महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे लिया गया है।

जब आपने यह विषय छेड ही दिया, तो मै आपसे पूछता हूँ कि ईसाके सम्बन्धमें आपके क्या विचार है?

मै मानता हूँ कि वे मानव-जातिके एक महान शिक्षक थे और शिक्षकके रूपमे ही मै उन्हे पूजता हूँ। मैने उनके वचनोको भी एक ईसाई-जैसी श्रद्धा और भक्तिसे पढा है, क्योकि मै तो जहाँ-तहाँसे सत्यका शोध करनेवाला मनुष्य ठहरा। ससारके अन्य शिक्षकोकी शिक्षाके विषयमे भी मेरी यही मनोवृत्ति रही है।

इस सिलसिलेमें मिशनरियोके भारतमें किये गये कार्यके सम्बन्धमें आपके विचार जानना चाहूँगा। क्या उन्होने आपके देशका कुछ अपकार किया है?

यह मै नही कहता कि उन्होने जान-बूझकर कोई नुकसान किया है। निश्चय ही वे यहा आलोचकके रूपमे आते है। वे हमारे समाजके दूषण बढा-चढाकर दिखाते है। वे हमारे धर्मकी कटु आलोचना करते है। लेकिन इससे क्या? उनकी सारी आलोचनासे हमे अपने दोषोका तीव्र भान हुआ है और अपने कर्त्तव्योके विषयमे हम जाग्रत हो गये है।

मै समझता हूँ कि आप यह मिशनरी लोगोके बारेमें कहते है, मिशनरी सस्थाओके बारेमें नहीं?

मै इन दोनोमे भेद नही करना चाहता। मिशनरी सस्थाएँ हमारे समाजके बारेमे पहलेसे ही कोई-न-कोई खयाल बाँध लेती है और उनके सदस्य उसीका प्रचार करते है। ३५ वर्षसे ऊपर हुआ कि मै जजीबारसे गुजर रहा था। वहाँ बाइबिल खरीदने मै बाईबिल-सोसाइटीकी दूकानपर गया और बाइबिलके साथ मुझे मिशनके कार्यका एक विवरण भी मिला। इस विवरणमे मिशनरियोके कामका हिसाब करनेका एक विचित्र ढग देखकर मुझे बडा आश्चय हुआ। एक व्यक्तिको धममे मिलानेसे इतने शिलिंग मिलेगे, जैसे एक रगरूट भर्ती करानेसे इतनी रकम मिलेगी? इतने मनुष्य धर्ममे आनेसे धम इतना बढ गया, यह हिसाब मुझे तो बडा भूल-भरा लगता है।

आपके अपने जीवनमें भारी-से-भारी निराशा क्या रही है?

मुझे निराशा-जैसी वस्तुका तो पता ही नही। हाँ, कभी-कभी मै अपने ही प्रति अधीर अवश्य हो जाता हूँ, और मुझे अकुलाहट भी होती है कि मनमे उठते हुए सकल्प-विकल्पोपर मै यथेष्ट अकुश क्यो नही रख सकता।

आपके आदर्शोंका स्रोत क्या है?[१]

स्रोत है सत्य अथवा सभी जीवोसे परम तादात्म्य। ईश्वरको पहचानना ही सत्य है।

एक आखिरी बात और। मै अभी जर्मनीमें हो रही बैप्टिस्ट ईसाइयोकी एक परिषदसे आ रहा हूँ। वहाँ युद्ध और जाति-विद्वेषके विरुद्ध एक जोरदार प्रस्ताव पास हुआ। मै भी वहाँ 'गॉस्पेल ऑफ दि डे' और 'ऑन स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी ऐंड इनटेग्रीटी इन दि बिजनेस ऑफ अवर लाइफ' तथा 'वार एज दि मोस्ट इनसेन ऐंड अनक्रिश्चियन थिंग

१ यह प्रश्न तथा गाधीजी का इसका उत्तर महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे उद्धृत है।

ऑन अर्थ' पर बोला था। मैंने अपने भाषणमें कहा कि हरएक ईसाईको यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जब उसकी सरकार दूसरे राष्ट्रके विरुद्ध युद्ध छेड दे, तब वह खुद अपने ईसाई भाइयोकी जान लेनेके लिए हथियार उठानेसे साफ इनकार कर दे। आपका विचार भी करीब-करीब ऐसा ही है न?

हॉ, लगभग ऐसा ही है। अन्तर केवल इतना है कि मै 'ईसाई भाई' इस पदमे से 'ईसाई' शब्द निकाल दूगा। सिफ ईसाइयोके ही विषयमे क्यो, दूसरोके लिए क्यो नही?

नही, सभीके लिए। चूँकि मै ईसाई-समाजके आगे बोल रहा था, इसीसे मैंने 'ईसाई भाइयो' इस पदका वहॉ प्रयोग किया।

तब ठीक है। मुझे आपको इसलिए सचेत करना पडा कि अनेक ईसाइयोकी यह धारणा है कि असभ्य कही जानेवाली प्रजाका सहार करनेमे कोई दोष नही।

नहीं, नहीं।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १४-९-१९३४। महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी भी, सौजन्य नारायण देसाई।

४४७. पत्र वल्लभभाई पटेलको

[५] सितम्बर, १९३४ [से पूव][1]

प्रिय वल्लभभाई,

जो मित्र हाल ही मे वर्धा आये उनके साथ काफी विचार-विमश और बात-चीतके बाद मै इस निष्कषपर पहुँचा हूँ कि काग्रेससे अपने सभी तरहके पद सम्बन्ध और शारीरिक, यहॉतक कि मूल सदस्यताके सम्बन्ध भी सर्वथा तोड देनेसे काग्रेस और राष्ट्रका सबसे अधिक हित होगा। इसका यह अथ नही कि मै उस सस्थामे दिलचस्पी लेना छोड रहा हूँ जिसके साथ १९२० से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और जिसे मै अपने यौवनकालसे आदर देता रहा हूँ। सस्थामे जो भ्रष्टाचार प्रविष्ट हो गया है, उसके बारेमे मैंने हालमे जो-कुछ कहा है, उस सबके बावजूद मेरी रायमे वह अब भी देशकी सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक प्रतिनिधि राष्ट्रीय सस्था है। अपने जन्मसे लेकर अबतक बराबर अखण्ड सेवा एव त्यागका उसका इतिहास है। उसकी प्रगति निरन्तर होती रही है। उसने जिस तरह तूफान झेले हैं, उस तरह देशमे किसी अन्य सस्थाने नही झेले। इसने सबसे अधिक त्याग किये है जिनपर

१ गाधीजी काग्रेसके सक्रिय नेतृत्वसे हटनेके बारेमें बातचीत करते रहे थे, देखिए अगला शीषक। वल्लभभाईके नाम अपने २० अगस्तके पत्रमें गांधीजी ने लिखा था कि मैं एक मसविदा तैयार करूँगा और तुम्हें भेजूँगा। ऐसा लगता है कि यह पत्र १७-९-१९३४को जारी किये गये "वक्तव्य समाचारपत्रोको," का मसविदा है, देखिए खण्ड ५९।

किसी भी देशको गर्व हो सकता है। आज अनिन्दनीय चरित्रवाले आत्म-बलिदानी पुरुष व महिलाएँ इसमे सबसे अधिक सख्यामे है।

ऐसा नही है कि मै बडे हल्के मनसे इस महान सस्थाको छोड रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे इसमे बने रहनेसे लाभकी अपेक्षा हानि अधिक है। जवाहरलाल निकट भविष्यमे सस्थाके न्यायसम्मत सेनापति अवश्य ही बनेगे। इस समय वे यहाँ नही है और मुझे उनकी सलाह न ले पानेकी बात खटक रही है। इसलिए मै उनकी उदार भावनाका भरोसा किये हूँ। और मुझे लगता है कि यद्यपि उनके मनमे मेरे प्रति तीव्र स्नेहकी भावना हे, जिसके कारण वे मुझे काग्रेसमे रखना चाहेगे, लेकिन उनकी विवेकबुद्धि मेरे उठाये कदमका अनुमोदन करेगी। एक महान सस्था भावनाओसे नही बल्कि शान्त विवेकबुद्धिसे ही चलाई जा सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि मै एक ऐसे क्षेत्रसे हट जाऊँ जहाँ मेरी उपस्थितिके परिणामस्वरूप विवेकका पूरा प्रयोग निर्बाध रूपसे नही हो पाता। अत यह सस्था छोडते हुए मुझे लगता है कि मै किसी भी अथमे इसे नही त्याग रहा हूँ, यह एक साथीसे कही ज्यादा है और कितना भी बडा राजनीतिक मतभेद इसे मुझसे अलग नही कर सकता।

इस नाजुक स्थितिमे अलग हटकर मै राजेन्द्रप्रसादके प्रति भी कम सच्चा नही हो जाता जो सम्भवत आगामी काग्रेसके अध्यक्ष होगे और जो मेरे अधिकाश सिद्धान्तोको मानते है जबकि जवाहरलाल ऐसा नही करते, राजेन्द्रबाबूका राष्ट्रके लिए त्याग — चाहे वह मात्राकी दृष्टिसे देखा जाये अथवा प्रकारकी दृष्टिसे — ऐसा है जिससे बढकर त्याग नही किया जा सकता।

फिर काग्रेस ससदीय बोर्ड है, जो शायद बनता ही नही यदि मैने पूरे मनसे उसके गठनमे प्रोत्साहन न दिया होता। बोड उस जरूरतको पूरी करता है जो अनेको कट्टर और सच्चे काग्रेसी लोगोने महसूस कर रहे थे। इसलिए उसका गठन जरूरी था। मै बोर्डकी जो भी सेवाएँ कर सकता हूँ अब भी उसी तरह करूँगा जैसे कि किसी भी काग्रेसीकी करूँगा। बोर्डको उन सभी काग्रेसी जनोका पूरा सहयोग मिलना चाहिए जिन्हे वर्तमान विधानसभाओमे काग्रेसी जनोके प्रवेशके बारेमे कोई अकाट्य आपत्ति नही है। यदि मेरे हटनेसे बोर्ड एक भी मत खोता है तो मुझे खेद होगा।

कुछ मित्रोको मेरे हटनेसे कतिपय परिणामोका भय है। मेरे मनमे उनमे से एककी भी आशका नही है, क्योकि मै अपना आधार जानता हू। एक पके फलके गिरनेसे पेडको कोई क्षति नही होती। इसी प्रकार मेरे बाहर चले जानेसे काग्रेसको कोई क्षति नही पहुँचेगी। वस्तुत फल तो व्यथका बोझ होगा अगर वह पूरी तरह पक चुकनेके बाद भी पेडसे न गिरे। मेरी यही दशा है। मुझे लगता है कि मै अब काग्रेसके लिए व्यथका बोझ हूँ।

मेरे और कई काग्रेसी जनोके बीच दृष्टिकोणका महत्वपूर्ण मतभेद है। मेरी उपस्थितिसे बुद्धिजीवी वर्ग काग्रेससे अधिकाधिक विरत होता है। मुझे लगता है कि मेरी नीतियाँ उनकी विवेकबुद्धिको सही नही जँचती, हालाँकि हो सकता है

यह बात कुछ अजीब लगे, पर मै कोई भी काम ऐसा नही करता जो स्वय मेरी विवेकबुद्धिको सही नही लगता हो। लेकिन मेरी विवेकबुद्धि उस दिशासे ठीक विपरीत दिशाकी ओर मुझे ले जाती है जिधर कि अधिकाश बुद्धिमान काग्रेसी, अगर मेरे प्रति अद्भुत वफादारीके कारण उनकी गतिमे बाधा न पडे तो सहर्ष और सोत्साह जाना चाहेगे। मुझे बुद्धिमान काग्रेसी जनोसे, जबकि उन्होने काग्रेसके सामने पेश की गई मेरी नीतियोका विरोध किया है और अपनी असहमति व्यक्त की है, जितनी वफादारी और भक्ति प्राप्त हुई है, उससे अधिक कोई भी नेता आशा नही कर सकता। मुझे लगता है कि इस वफादारी और भक्तिसे और कुछ उगाहना उन लोगोपर अनुचित दबाव डालना होगा। अच्छा होता कि जो लोग दृढतापूर्वक मेरे तरीकेको गलत मानते है, वे मत द्वारा मुझे पराजित करते और मेरी निवृत्ति बरबस कराते। मैने इस स्थितिपर पहुँचनेकी कोशिश की है लेकिन उसमे मै असफल रहा। वे अततक मुझसे लिपटे रहेगे। ऐसी वफादारीको मै एक-मात्र इसी तरीकेसे तुष्ट कर सकता हूँ कि स्वेच्छापूर्वक निवृत्त हो जाऊँ। जब काग्रेसके बुद्धिजीवी वर्ग और मेरे बीच कुछ सैद्धान्तिक मतभेद है, तो मै विरोधमे काम नही कर सकता। सार्वजनिक जीवनमे प्रवेश करनेके समयमे लेकर अबतक मैने कभी इस तरीकेसे काम नही किया है। [१]

फिर समाजवादियोका गुट बढ रहा है। जवाहरलाल उन लोगोके निर्विवाद नेता है। मै अच्छी तरह जानता हूँ कि वह क्या चाहता है और उसका उद्देश्य क्या है। वह हर चीजको वैज्ञानिक दृष्टिसे परखनेका दावा रखता है। वह मूर्तिमान साहस है। उसके सामने सेवाके अनेक वर्ष है। उसे अपने उद्देश्यमे अदम्य विश्वास है। समाजवादी गुट न्यूनाधिक जवाहरलालके ही विचाराका प्रतिनिधित्व करता है, हालाकि उन विचारोको अमलमे लानेका तरीका ठीक उनके तरीके जैसा नही है। उस गुटका प्रभाव और महत्व अवश्य बढेगा। मैने उस गुटका स्वागत किया है। उसमे से अनेक आदरणीय और आत्म-बलिदानी सहयोगी है। इस सबके बावजूद, उनके अधिकृत इश्तिहारोमे जो कार्यक्रम प्रकाशित है, उसपर मेरा उनसे सैद्धान्तिक मतभेद है। लेकिन जो नैतिक जोर मै काममे ला सकूँगा, उसके द्वारा मै उनके साहित्यमें प्रस्तुत विचारोके प्रसारको नही दबाऊँगा। काग्रेसमे मेरे बने रहनेका अर्थ ऐसा दबाव डालना ही होगा। मै उन विचारोकी खुली अभिव्यक्तिमे बाधा नही डालूगा, भले ही उनमे से कुछ मेरे लिए कितने ही अरुचिकर क्यो न हो। [२]

इन सैद्धान्तिक मतभेदोके बावजूद काग्रेसपर छाये रहना मेरे लिये एक तरहकी हिसा है, जिससे मुझे अवश्य बचना है। हर मूल्यपर उनकी विवेकबुद्धिको स्वतन्त्र बनाना होगा। इस निर्विवाद तथ्यको समझ लेनेके बाद भी अपनी सारी ख्याति नष्ट होनेकी जोखिम उठाकर भी, मै काग्रेसको नही छोडता, तो मै काग्रेसके प्रति सच्चा नही होऊँगा।

१ और २ साधन सूत्रमें इन स्थलोपर कुछ छूट गया है।

लेकिन यदि मै मनसा-वाचा-कमणा बेहतर ढगसे काग्रेसकी सेवा करनेके लिए ही काग्रेसको छोडता हूँ तो मेरी ख्यातिको या काग्रेसकी ख्यातिको कोई खतरा नही है। मै क्रोध, उद्वेग, या निराशामे काग्रेसको नही छोड रहा हूँ। मुझमे कोई नैराश्यभाव नही है। मै अपने सामने देशका उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। यदि हम अपने प्रति सच्चे है, तो सब ठीक चलेगा। सिवाय काग्रेसके उस कायक्रमके जो देश के सामने है, मेरे सामने कोई अन्य कार्यक्रम नही है। [१]

इस तरह तथा अन्य कई तरीकोसे मै अपने नम्र ढगसे काग्रेसकी सेवा करना चाहूँगा। इस प्रकार पूण असम्पृक्त रहते हुए मै आशा करता हूँ कि मै काग्रेसके अधिक निकट आ जाऊँगा। तब काग्रेसी लोग बिना परेशान हुए, बिना दबे मेरी सेवाएँ स्वीकार करेगे।

कुछ शब्द उन लोगोके प्रति जिन्होने समान लक्ष्यकी प्राप्तिके रास्तेमे मुझे पूरे दिलसे मनसा-वाचा-कर्मणा अपनी भक्ति दी है। काग्रेससे मेरा शारीरिक रूपमे हटनेका यह अथ नही लगाया जाना चाहिए कि यह उन्हे भी हट जानेका निमन्त्रण है। काग्रेसको जबतक उनकी जरूरत है, वे काग्रेसके बीच रहेगे और उन समान आदर्शोको अमलमे लायेगे जिन्हे उन्होने आत्मसात् किया है।

तुम्हारा,
बापू

[अग्रेजीसे]
महात्मा, खण्ड ३, पृ० ३८६-८८

४४८ वक्तव्य समाचारपत्रोको

५ सितम्बर, १९३४

मुझे आश्चर्य है कि 'हिन्दू' जैसे एक जिम्मेदार पत्रका, मुझसे पूछे बिना, मेरे द्वारा लिये गये एक कथित गम्भीर निणयके बारेमे अनधिकृत समाचार छाप देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। निश्चय ही वर्धाका सवाददाता समाचारकी पुष्टि अथवा खण्डन करा सकता था।[२] गोपनीय बातचीतके बारेमे अधूरी और अनधिकृत रिपोर्ट प्रकाशित करना गलत हुआ।

मै कह सकता हूँ कि इस विषयमे साथियोके साथ बातचीत हुई है, लेकिन कोई अन्तिम निर्णय नही लिया गया है। अपनी प्रकृतिके अनुसार मै उन मित्रोसे जो वर्धा आते है, अपने उन विचारोपर चर्चा करता हूँ जो मेरे मनमे सर्वाधिक

१ साधन सूत्रमें यहाँपर कुछ छूट गया है।

२ ५-४-१९३४ के **हिन्दुस्तान टाइम्सके** अनुसार, सवाददाताने रिपोट दी थी "महात्मा गांधीने काग्रेसके सक्रिय नेतृत्वसे हटनेका निश्चय किया है। समझा जाता है कि यह निर्णय पण्डित मालवीय तथा अन्य लोगोंके साथ मतभेदके कारण लिया गया है।" देखिए पृ० ३४८ ४९ भी।

प्रबल होते है। कोई निश्चित विचार बनाते समय किये गये विचारोके आदान-प्रदान यदि प्रकाशित किये जाते है, खासकर इस रूपमे मानो वे निणय हो, तो सार्वजनिक जीवन कठिन हो जायेगा।

निणय चाहे जो भी लिया जाये, उसका मालवीयजी और श्री अणेसे न तो कोई सम्बन्ध है, न होगा।

यद्यपि मतभेदोको दूर करनेके और मालवीयजी द्वारा गठित नये दलसे सघर्ष बचाकर चुनाव-आन्दोलन चलानेके सभी प्रयत्न किये जायेगे, फिर भी मेरे मनमे अथवा कार्य-समितिके सदस्योके मनमे इसे लेकर कोई सन्देह नही है कि काग्रेस ससदीय बोडको काय-समितिके पूरे सहयोगसे चुनाव आन्दोलन चलाना चाहिए और ऐसा करते समय साम्प्रदायिक निणय सम्बन्धी काय-समितिके प्रस्तावपर, जिसमे वह पूरा विश्वास रखती है और जिसको वह सम्बद्ध सम्प्रदायोके बीच एक सम्मत हल निकालनेका एकमात्र प्रभावी तरीका मानती है, पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, ५-९-१९३४

४४९ पत्र : एस० गणेशनको

५ सितम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

तुम्हारा पत्र मिला। मै समझता हूँ कि इस प्रश्नपर किसी भी उम्मीदवारसे भिडना बुद्धिमानी नही होगी। और इसका सीधा कारण यह है कि काग्रेसके सब सदस्य उन सब निर्देशोका पालन करनेके लिए बाध्य है जो काग्रेस समय-समयपर प्रसारित करती है। और मन्दिर-प्रवेश विधेयक अपने-आपमे इतना प्राविधिक है कि विरोधी अवश्य ही उसका अनुचित लाभ उठायेगे। और तब, जो एकमात्र मसला उलझन पैदा करेगा, वह मन्दिरोको खोलनेका नही होगा, वह होगा तथाकथित कानूनी हस्तक्षेप-का।

श्री एस० गणेशन
ट्रिप्लिकेन
मद्रास

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४५०. पत्र : स० न० बोसको

५ सितम्बर, १९३४

प्रिय सत्यानन्द बाबू,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने मेरे सामने अनेक प्रश्न रखे हैं, जिन्हे मै आगामी बैठकमे अवश्य ध्यानमे रखूगा। यह ठीक है कि मालवीयजी और बापूजी अणेके अलग हो जानेसे[1] स्थिति उलझ गई है। लेकिन ये तो राजनैतिक जीवनके उतार-चढाव हैं।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री सत्यानन्द बोस
४ नन्दी स्ट्रीट
बालीगज, कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४५१. पत्र : डॉ० एन० आर० धर्मवीरको

५ सितम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० धर्मवीर[2],

तुम्हारे पत्रके लिए धन्यवाद। यदि मै अपने आपको नीबूका रस लेनेकी छूट दे सकता, तो मै जानता हूँ कि नीबूका रस मिलाकर काफी परिमाणमे पानी पीनेमें कोई कठिनाई नही होगी। लेकिन मेरे उपवास नीबूका रस मिलानेकी छूट नही देते, क्योकि चाहे कितनी ही कम हो, नीबूके रसमे पानी और नमकके अलावा, आहारकी एक मात्रा होती है। अत मेरे सामने समस्या थोडी कठिन है—और वह यह है

१ काग्रेस ससदीय बोर्डसे।

२ गुलाबदेवी हॉस्पिटल ट्रस्ट, लाहौरके अध्यक्ष। १७ जुलाईको गाधीजी ने उक्त अस्पतालका उद्घाटन किया था।

कि सोडा और नमकके सिवाय और कुछ भी मिलाये बिना, पानीकी अरुचिकरतासे पेश पाया जाये।

हृदयसे तुम्हारा,

डॉ० एन० आर० धर्मवीर
पाडिहाम ग्रोव
डेविस रोड, लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४५२ पत्र . मघाराम सन्तदासको

५ सितम्बर, १९३४

प्रिय सन्तदास,

तुम्हारा पत्र मिला। तो आत्माकी ओरसे तुम्हे अच्छी खबर मिली है। डॉक्टर की रिपोर्टसे मैं बिलकुल विचलित नही हूँ। हाँ, यह ठीक है कि उसे सावधान रहना चाहिए। और उसने एक शब्द प्रयोग किया है, जिससे हमे डर जानेकी जरूरत नही है। पोलकसे मेरा पत्र-व्यवहार शुरू हो गया है। मेरी ओरसे भेजा गया कोई भी पत्र उसे उत्तेजित कर सकता है। इसलिए, फिलहाल मैं अपना पत्र-लेखन पोलकतक ही सीमित रख रहा हूँ। मैं भूल रहा हूँ किसको[1], लेकिन मैं या तो मीराबहनको या अगाथा हैरीसनको लिख चुका हूँ कि आत्माको हिन्दुस्तान लौटनेके लिए प्रेरित किया जाये। जब उचित समय आयेगा, तब मैं आत्माको सीधे पत्र लिखनेसे और लौटनेका आग्रह करनेसे चूकूगा नही, क्योकि मेरे मनमे यह बात बिलकुल साफ है कि अगर वह यहाँ आ गया, तो बिलकुल अच्छा हो जायेगा। और अगर वह यहाँ दुखी रहता है, तो बादमे वापस जा सकता है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री मघाराम सन्तदास
हैदराबाद (सिन्ध)

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ गाधीजी ने आत्मा कमलानीके बारेमें मीराबहनको ही लिखा था, देखिए "पत्र मीराबहनको", ७-८१९३४।

४५३ पत्र : जी० आर० सहगलको

५ सितम्बर, १९३४

प्रिय सहगल,

इससे पहले मै तुम्हारे पत्रका उत्तर नही दे पाया। मै तुम्हे निश्चयपूर्वक बता नहीं सकता कि मै तुम्हारा क्या उपयोग[1] कर सकता हूँ। वैसे मै चाहता जरूर हूँ कि हरिजनोके हितके लिए तुम्हारी योग्यताओका उपयोग करूँ। तो क्या तुम इतना करनेको राजी हो कि हरिजन आश्रम, साबरमती जाओ, कुछ दिन या अधिक वहाँ रहो, और वहाँके कार्यकर्त्ताओके सम्पर्कमे आओ। तब मैनेजर मुझे रिपोर्ट भेजेगा, और तुम भी मुझे बताओगे कि तुम्हे वहाँ कैसा लगता है और यदि तुम्हे वहाँका काय-भार सौप दिया जाये, तो तुम इसका क्या उपयोग करोगे। मुझे डर है कि अगर तुमने मेरा विश्वास कर लिया, तो बादमे तुम्हारे मनमे प्रतिक्रिया हो सकती है और तुम पूर्णत निराश हो सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम वह आदमी न सिद्ध हो जो मै तुम्हे समझता हूँ, और तब मेरा या सहकर्मियोका श्रम भग हो सकता है। मै नही चाहता कि इन दोमे से कोई भी दु खद स्थिति उत्पन्न हो। और फिर मै तो तुम्हे लूगा नही। अन्तिम निणय तो हरिजन-सेवक सघको करना पडेगा। हाँ, यह ठीक है कि वे बहुत अशमे मुझसे मागदशन प्राप्त करेगे, क्योकि तुम उन तक मेरे माध्यमसे पहुँचोगे। तो अगर खोज-बीन या जाँच-पडतालके उद्देश्यसे तुम साबरमती जाना चाहो, तो मुझे बताना। मै तुम्हे आवश्यक अनुमति प्राप्त करा दगा। लेकिन अगर समय बचाना चाहो, तो तुम इस पत्रका उल्लेख करके सीधे वहाँके मैनेजर, श्रीयुत परीक्षितलालसे पत्र-व्यवहार कर सकते हो, और मुझे इस बातमे सन्देह नही है कि वे तुम्हे आने देगे। और तब, इससे पहले कि मै अन्तिम निर्णय पर पहुँच सकू, शायद यह आवश्यक होगा कि तुम वर्धामे मुझसे मिलो। अगर तुम साबरमती जाओ या वर्धा आओ तो यह स्वाभाविक ही है कि अपना मार्ग-व्यय तुम्ही दोगे।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए पृ० ३५३ और ३९१ भी।

४५४ पत्र : रेहाना तैयबजीको

५ सितम्बर, १९३४

प्यारी बेटी रेहाना,

कैसा पत्र है! लेकिन जवाब अग्रेजीमे ही देना होगा।[१]

तुम बडी चालाक हो — एक विचित्र रहस्यमयी दुनियामे रहती हो और अभिभावकोके प्रेमपूर्ण पूर्वग्रहोके ऊपर नही उठ सकती। तुम्हारी बात मुझे काफी सही लगती है। लेकिन तुम इतने ही से सन्तुष्ट क्यो नही हो कि तुम सही रास्तेपर हो? क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे पडोसी भी तुम्हारे अभिभावक बने और तुम्हारे इस दावेको कि तुम सही रास्तेपर हो, सही माने? तुम्हारा इतना जानना कि तुम सही रास्तेपर हो, अपने-आपमे सन्तोषका कारण क्यो नही होना चाहिए? तुम्हे निराशाओसे पराजित क्यो होना चाहिए? या फिर तुम्हे अपना यह दावा वापस ले लेना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि आध्यात्मिक दिशामे चलती है और तुम कोई रहस्यवादिनी हो। रहस्यवादी अधिक कठोर धातुके बने होते है — वे कष्ट या व्यथा या अपमानसे उद्वेलित नही होते और न खुशी या आनन्दसे या प्रशसासे प्रफुल्लित ही होते है।

यदि तुम कहो कि अभिभावक तुम्हारे काममे दखल देते है, तो यह सही नही माना जायेगा। वे तुम्हे दो घटे या अधिक समयतक प्रार्थना या ध्यानमे डूब जानेके विरोधमे कोई शारीरिक बाधा तो उत्पन्न नही करते। मै समझता हूँ कि यदि तुम बिना खीझ या गुस्सेके या बातपर बिना कोई जोर दिये उन्हे दृढतापूवक और साथ ही सौम्यतासे मुस्कुराते हुए बताओ कि जो-कुछ तुम कर रही हो, वह तुम्हारे अस्तित्वकी मूलभूत आवश्यकता है, तो तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी।

मै यह सब कह रहा हूँ, और फिर भी तुम्हे मालूम होना चाहिए कि मै पूरे दिलसे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हे सोचने-बोलने और कार्य करनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। तुम्हारे साथ मित्र जैसा बरताव किया जाना चाहिए, बच्चे जैसा नही। मुझे लगता है कि तुमने अपने क्रोधमे दरियादिली और सहनशीलताके उस वातावरणका, जो तैयब-परिवारकी विशेषता है, अल्प-सा अनुमान ही लगाया है, यदि तुम इस दुर्लभ गुणको पूरा महत्व दो, तो तुम्हे उन लोगोके व्यवहारमे जो बात सरक्षण जैसी दीखती है, उसे तुम नजरदाज कर दोगी। याद रखो कि उन लोगोने तुम्हे जो प्रशिक्षण दिया है और स्नेहका जो घेरा तुम सबके आसपास डाल रखा है, यदि वह न होता तो तुम तुम नही होती। क्या तुम रहस्यवादी तुलसीदासका दोहा जानती हो?

१ साधन-सूत्रमें यह वाक्य तथा सम्बोधन उर्दूमें लिखा हुआ है।

"जड चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार।
सत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार॥"

मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने इस साथी रहस्यवादीकी सलाह मानो।

पत्रके जवाबमें मुझे लिखो कि तुम अपना सब कष्ट दूर फेंक चुकी हो और तुम अल्लाहका, परवर दिगारका गुणगान कर रही हो।

तुमको और सरोजको प्यार। क्या हरिजनोंके लिए १५ रुपये भेजनेके बदले तुम्हें धन्यवाद दूँ?

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६५३) से। महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे भी, सौजन्य: नारायण देसाई।

४५५ पत्र: एफ० मेरी बारको

५ सितम्बर, १९३४

चि० मेरी,

तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। उपनिषदोंके संकलन 'गीता' से पहलेके हैं और इसलिए वे यदि और अधिक पहले नहीं, तो ई० पू० दसवीं और पन्द्रहवीं शताब्दीके बीच लिखे गये थे। कुछ अन्य हैं जो अपेक्षाकृत आधुनिक हैं, लेकिन संस्कृतके संकलन बहुत कम हैं।

कुमारी लिनफाथकी क्षतिके लिए मुझे खेद है। यदि वह चाहती है कि मैं उस क्षतिको पूरा करूँ तो मैं खुशीसे वैसा करूँगा। लेकिन मुझे पूरा पाठ मिलना चाहिए।[1]

आशा है कि तुम पूरी तरह पुनः स्वस्थ हो गई होगी। मैं बिलकुल ठीक चल रहा हूँ। मेरा वजन आठ पौंड बढ़ गया है। मैं मजेमें टहलता हूँ, हालाँकि टहलता हूँ छतपर ही, और काफी काम भी कर लेता हूँ।

हरिजनोंको कातनेके लिए प्रेरित करना कठिन काम है। कुछ जगहोंपर ऐसा करनेमें हमें सफलता मिली है।

मैं अलग डाकसे मीराबहनका एक पत्र तुम्हारे पढ़नेके लिए भेज रहा हूँ। कृपया उसे पढ़कर लौटा देना। लौटानेमें जल्दीकी कोई बात नहीं है।

मैं तुम्हें 'हरिजन'का नवीनतम अंक भी भेज रहा हूँ।

सस्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०२७) से। सी० डब्ल्यू० ३३५६ से भी, सौजन्य: एफ० मेरी बार।

1. देखिए "एक प्रार्थना", पृ० ४६०।

४५६. पत्र · अमृतलाल वि० ठक्करको

५ सितम्बर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

सूरजबहनके बारेमे आपने पूनामे ही मुझसे कहा होता तो कितना अच्छा होता? मुझे मालूम ही नही था कि आपने और देवधरने उसे प्रसूति-गृहको चलानेके लिए प्रोत्साहित किया है। प्रसूति-गृह चलानेकी योग्यता और इच्छा अनेक बहनोमे होती है। जो काम अनेक बहने कर सकती है और करनेकी इच्छा रखती है, ऐसे किसी काममे सूरजबहनको लगानेका मेरा तो मन नही होता। साथ ही, किशोरलालके कहनेके अनुसार हमारे उद्देश्योमे इसका समावेश होता हो, ऐसा भी नही लगता। मेरा बस चले, अर्थात् ट्रस्टके नियमोके अधीन मै कुछ कर सकूं, तो आपने और देवधरने जो किया है, मै उसीको मान्य करूँगा। किन्तु यदि सब-कुछ देखभाल करके निणय करना हो, तो मेरे विचारसे तो सूरजबहनका मकान खाली कर देना ही उचित होगा।

किशोरलालको मैने जो पत्र लिखा है, उसे पढिए। स्वामीके बारेमे भी मुझे आश्चय हुआ। कोई स्त्री या पुरुष जेल न जाये, तो उसका अनादर करना, सत्याग्रही होनेका दावा करनेवालेको शोभा नही देता। इसीलिए इस विषयको मैने इतना समय दिया है। अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए।

घनश्यामदासके साथ बाते हुई है। पूरी तो नही हुई, लेकिन काम लायक हो गई है। आश्रमके सम्बन्धकी बात भी कर ली है। मसौदा आजकलमे भेजा जायेगा।

बाकीके पत्रोका उत्तर फिर कभी।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४१)से।

४५७ पत्र : एस्थर मेननको

६ सितम्बर, १९३४

रानी बिटिया,

मैने इतने दिनोतक तुम्हारे पत्रका जवाब इस आशासे नही दिया था कि मै खुद जवाब लिख सकूँगा। लेकिन यदि मुझे बकाया पत्राचार पूरा करना है तो जरूरी है कि स्वय लिखनेके सुखसे अपने-आपको वचित रखू और पत्र बोलकर लिखवाऊँ।

यदि प्रमाणोकी जरूरत हो तो प्रतिदिन परमेश्वर मेरे प्रति अपनी उदारता और भलाईके प्रमाण दे रहा है। वह गीत याद करो "गिनो भला वरदान मिले जो (काउट योर मेनी ब्लेसिंग्स)।" मेरा खयाल है कि यह गीत मूडे और सैंकेकी गीतोकी

पुस्तकमे है। मै तो वरदान गिन भी नही सकता, क्योकि वे इतने ज्यादा है कि गिने नही जा सकते। जो तथाकथित दु ख-दर्द भी वह देता है, सो भी वरदानके रूपमे ही तो आते है। यदि हम उसका स्नेह समझते हो, तो हमे समझना चाहिए कि उसके प्राणिमात्रके लिए वरदानके सिवा कुछ नही है, शाप तो कदापि नही है।

आशा हे, टागाईपर कोई बन्धन नही होगा और दोनो बच्चे खूब अच्छी तरह बढ रहे होगे। तुम्हे अबतक चरखा अवश्य मिल गया होगा। आशा है कि मेनन ठीकसे जम गया होगा।

मै ठीक हो रहा हूँ। मेरा वजन ९४ पौडसे बढकर १०१ हो गया है। मै काफी काम करता रहता हूँ और नियमित रूपसे व्यायाम कर रहा हूँ।

मीरा लन्दनमे अच्छा काम कर रही है। वह अक्तूबरमे लौट आनेकी उम्मीद करती है। एन्ड्रचूज यहाँ एक सप्ताहसे ऊपर रहे और अब शिमला चले गये है। वे शायद ६ अक्तूबरको लन्दनके लिए जहाजमे बैठेगे। उससे पहले एक बार फिर वर्धा आयेगे। वे काफी स्वस्थ दिख रहे थे। दक्षिण आफ्रिकासे वे एक वेल्स प्रदेशका लुहार अपने साथ लाये है। उसका नाम है श्री जोन्स। वह हाल मे ही आक्सफोर्ड आन्दोलनमे शरीक हुआ था और अपने-आपको एक बदला हुआ व्यक्ति मानता है। हम सबको वह बहुत ही अच्छा लगा। जब एन्ड्रचूज इग्लैड जायेंगे, वह वापस दक्षिण आफ्रिका चला जायेगा।

प्यारेलाल और महादेव यहाँ है। बा रामदासके साथ साबरमती चली गई है। वहाँ रामदास आराम करते हुए अपने रोगका इलाज करवायेगा। देवदास कुछ दिनोके लिए यहाँ था। वह कल बम्बईके लिए रवाना हो गया है। ८ तारीखको काय-समिति की बैठकके लिए उसके वापस आनेकी सम्भावना है। तुम स्वीकार करोगी कि मैने सारे पारिवारिक समाचारोका खासा हिसाब दे दिया। तुम अबतक जिस तरह पत्र लिखती रही हो, उससे और अधिक नियमित रूपसे लिखता चाहिए। उम्मीद है कि मै अभी और कुछ दिन वर्धासे बाहर नही जाऊँगा।

तुम सबको प्यार।

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
तजोर

अग्रेजीकी फोटो-नकल (स० २०१३०)से, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। **माई डियर चाइल्ड,** पृ० १०६-७ से भी।

४५८. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

६ सितम्बर, १९३४

प्रिय सुरेश,

तुम्हारा पत्र मिला। इससे पहले मैं उसका जवाब नही दे पाया। बिडलाजीसे मेरी बातचीत हुई। वे इस बातपर राजी है कि तुम जमीन और इमारतोपर २,००० से ३,००० तक रुपया खर्च करो, बशर्ते कि वे उनकी ही सम्पत्ति बनी रहे। लेकिन तुम्हे बिना किराये या अन्य किसी व्ययके उसमे रहनेका अधिकार होगा, जबतक स्वास्थ्यकी दष्टिसे तुम्हारा उसमे रहना आवश्यक हो। ऐसी सम्पत्तिको अपने निजी काममे लानेका इरादा उनका नही है। वे उसे किसी परोपकारके कायके लिए दे देगे, बहुत अधिक उम्मीद है कि शायद हरिजन छात्रावासके लिए। लेकिन वह एक ऐसी बात है जिससे न तुम्हे कोई वास्ता है न मुझे। तब — मै समझता हूँ — तुम्हे २०० रुपयेकी जरूरत नही होगी, बल्कि केवल ६० रुपये प्रतिमास की होगी। यह भी ध्यान रहे कि अक्तूबरसे दिसम्बरतक तुम्हे २०० रुपयेकी नही, बल्कि १२५ से १५० रुपयेतककी जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी, यह तुम मुझे समयपर बताओगे। साथ ही, मुझे आशा है कि तुम्हारी स्थितिमे नियमित सुधार होगा ? तुम्हे इस विचारको बढावा नही देना चाहिए कि रोग असाध्य है और तुम एक-दो सालके भीतर जानेवाले हो।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सुरेशचन्द्र बनर्जी
११/१, दिलकुशा स्ट्रीट
पार्क सकस, कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४५९ पत्र: बी० जे० मराठेको

६ सितम्बर, १९३४

प्रिय मराठे,[1]

राजभोजके[2] अभियोगके सम्बन्धमे एक चीज मैंने तुम्हे भेजी है। मै तुम्हारे उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मै तुम्हे डॉ० मुलेका पत्र भेज रहा हूँ। कृपया इसे वापस करना।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री बी० जे० मराठे
पूना

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४६० पत्र: भास्कर मुखर्जीको

६ सितम्बर, १९३४

प्रिय भास्कर,

तुम्हारे पत्रके लिए और निगम द्वारा किये गये कार्यके सम्पूर्ण विवरणके लिए धन्यवाद। अब साफ-साफ मेरी समझमे आ गया कि जब तुमने कहा था कि निगमको कोई अधिकार नही है, तब तुम्हारा क्या मतलब था। विवरणसे यह नही मालूम होता कि निगमने कोई दिलेरीका काम किया है। जो हो, हम आशा करे कि इस वष कलकत्ताके सबसे उपेक्षित तथापि सबसे योग्य नागरिकोके प्रति व्यवहारमे विशिष्ट सुधार होगा[3]।

तुम्हे, 'बेबी' और बच्चोको प्यार।

श्री भास्कर मुखर्जी
सेन्ट्रल म्यूनिसिपल आफिस
कारपोरेशन ऑफ कलकत्ता
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ हरिजन सेवक सघ, महाराष्ट्र बोर्डके सचिव।

२ देखिए पृ० ४०४६ ।

३ देखिए पृ० ३४० भी।

४६१. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

६ सितम्बर, १९३४

प्रिय शकरलाल,

मौलानाने खादी-प्रचारके लिए जिस हसनअलीकी सिफारिश की है, उसके सम्बन्धमे सतीश बाबूके तुम्हे लिखे पत्रकी नकल मेरे पास है। जो डर सतीश बाबूको है, वह मुझे भी है। लेकिन मै समझता हूँ, हसनअलीको तीन महीनेतक जाँचनेके लिए ले लिया जाये। लेकिन अन्तिम निर्णय मुझे तुमपर और सतीश बाबू पर छोडना चाहिए।

श्री शकरलाल बैकर
अहमदाबाद

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४६२ गाँवोमे चमडा कमानेका धन्धा और उसकी सम्भावनाएँ

७ सितम्बर, १९३४

हमारे गाँवोमे चमडेका धन्धा उतना ही प्राचीन है जितना स्वय भारतवर्ष। यह कोई नही बतला सकता कि चमडा कमानेका यह धन्धा कब हीन धन्धा माना जाने लगा। यह प्राचीन कालमे तो नही हुआ होगा। फिर भी हम जानते है कि आज हमारे यहाँके इस अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक उद्योगने करीब दस लाख आदमियो को पुश्तैनी अछूत बना दिया है। वह कोई कुदिन ही था जिस दिनसे इस अभागे देशमे लोग परिश्रमको घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे और उसकी इस प्रकार अवज्ञा प्रारम्भ हुई। लाखो-करोडो मनुष्य जो इस धरतीके रत्न थे और जिनके उद्योगपर यह देश जी रहा था, वे तो नीच समझे जाने लगे, और ऊपरसे बडे दीखनेवाले थोडे-से अहदी आदमियोको प्रतिष्ठित वर्ग समझा जाने लगा। इसका दु खद परिणाम यह हुआ कि भारतको नैतिक और आर्थिक दोनो ही प्रकारकी भारी क्षति पहुँची। यह हिसाव लगाना असम्भव नही, तो कठिन जरूर है कि इन दोमे से कौन-सी हानि बडी थी। किन्तु किसानो और कारीगरोके प्रति की गई इस अपराधपूर्ण लापरवाहीने हमे दरिद्र, मूढ और काहिल बनाकर ही छोडा। भारतके पास क्या साधन नही है? उसकी सुन्दर जलवायु, उसके गगनचुम्बी पर्वत, उसकी विशाल नदिया और उसका

विस्तृत समुद्र, ये सब ऐसे असीम साधन हैं कि अगर इन सबका पूरा-पूरा उपयोग गाँवोमे किया जाये, तो इस देशमे दारिद्रय और रोग आये ही क्यो ? पर जबसे हमने शारीरिक श्रमसे बुद्धिका सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया, तबसे हमारी कौमका सब तरहसे पतन हो गया। दुनियामे आज हम सबसे अल्पजीवी, निपट साधनहीन और अत्यन्त शोषित माने जाते है। चमडेके देशी धन्धेकी आज जो हालत है, शायद वह मेरे इस कथनका सबसे अच्छा सबूत है। यह तो स्व० मधुसूदनदासने मेरी आँखे खोली, नही तो मै क्या जानता था कि मनुष्योके एक हिस्सेके साथ कितना बडा जुर्म किया गया है। मधुसूदनदासजी ने राष्ट्रके इस महान पापका प्रायश्चित्त एक ऐसा चर्मालय खोलकर किया, जिसमे चमडा कमानेका हुनर सिखाया जाता है। उनका उद्योग उनकी आशानुकूल तो नही हुआ, पर कटकमे सैकडो जूते बनानेवालोको वे जीविका तो दे ही गये।

हिसाब लगाकर देखा गया है कि नौ करोड रुपयेका कच्चा चमडा हर साल हिन्दुस्तानसे बाहर जाता है और वह सबका-सब बनी-बनाई चीजोके रूपमे फिर यहाँ वापस आ जाता है। यह देशका सिफ आर्थिक ही नही, बौद्धिक शोषण भी है। चमडा कमाने और अपने नित्यके उपयोगमे आनेवाली उसकी अनगिनत चीजे बनाने की शिक्षा जो हमे मिलनी चाहिए, आज कहाँ मिल रही है ?

इस हुनरमे काफी वैज्ञानिक दिमाग चाहिए। हजारो रसायन-विशारद चाहे तो इस महान उद्योगमे अपनी आविष्कारिणी शक्तिका काफी उपयोग कर सकते हैं। उसे विकसित करनेके दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि जो हरिजन गाँवोमे रहते हैं और गाँवकी खास बस्तीसे दूर, समाजके ससगसे अलग, टूटे-फूटे गन्दे झोपडोमे पडे सड रहे हैं और बडी मुश्किलसे बेचारे किसी तरह पेट पाल रहे है, उनकी मदद करके उन्हे ऊँचा उठाया जाये। यह रास्ता अपनानेका यह भी अथ है कि गाँवोका पुनर्गठन किया जाये, अर्थात् कला, शिक्षा, स्वच्छता, समृद्धि और प्रतिष्ठाकी वहाँ पुन स्थापना की जाये। गाँवोके उत्थान-कार्यमे हमारे रसायन-विशारदोकी बुद्धिका उपयोग हो। रसायनशास्त्रियोको चाहिए कि वे चमडा कमानेकी अच्छीसे-अच्छी वैज्ञानिक क्रियाएँ ढूँढ निकाले। गाँवके रसायनशास्त्रीको नम्रतापूवक इस कलापर अधिकार करना है। चमडा कमानेकी अनघड कला गाँवोमे अभी जीवित है, पर वह प्रोत्साहन न मिलनेसे ही नही, बल्कि उपेक्षाके कारण भी बडी तेजीसे लुप्त होती जा रही है। उस कलाको इन रसायनशास्त्रियोको सीखना और समझना चाहिए। उस अनघड तरीकेको यकायक नही छोड देना चाहिए। पहले कमसे-कम उसकी अच्छी तरह परीक्षा तो होनी ही चाहिए। उस पद्धतिसे सदियोतक बडी अच्छी तरह काम चला है। अगर उसमे कोई गुण न होता, तो उससे यह काम न चलता। जहाँतक मै जानता हूँ, हमारे देशमे शान्तिनिकेतनमे ही इस विषयकी कुछ खोजबीन हो रही है। उसके बाद साबरमती आश्रममे इस कामका आरम्भ किया गया। शान्तिनिकेतनका प्रयोग कितनी उन्नति कर पाया है, इसका पता मै नही लगा सका। साबरमती आश्रम के स्थानपर अब जो हरिजन आश्रम है, उसमे इस कामको फिरसे आरम्भ करनेकी

पूरी सम्भावना है। यह शोध-कार्य तो समुद्रके समान है, उसमें हमारे इन प्रयोगोको तो आप बिन्दुमात्र ही समझे।

गोरक्षा हिन्दू-धर्मका एक अविभाज्य अग है। कोई भी असल हरिजन खानेके लिए गाय-भैसको नही मारेगा। किन्तु अस्पृश्य बनकर उसने मुर्दार मास खानेकी बुरी आदत सीख ली है। वह गायकी हत्या तो नही करेगा, पर मरी हुई गायका मास बडे ही स्वादसे खायेगा। शारीरिक दृष्टिसे यह मास शायद हानिकारक न हो, पर मानसिक दष्टिसे तो मुर्दार मास खाने-जैसी घृणा पैदा करनेवाली दूसरी चीज है ही नही। तो भी चमारके घरमे जब मरी हुई गाय आती है, तब उसका सारा कुटुम्ब आनन्दोत्सवमे फूला नही समाता। बालक तो लाशके चारो ओर नाचने लगते है और जब उसकी खाल उधेडी जाती है, तब हड्डियाँ और मासके लोथडोको एक-दूसरे पर फेकते है। अपना घरबार त्यागकर हरिजन आश्रममे जो एक चमार रहता है, उसने खुद अपने घरका खाका खीचते हुए मुझसे कहा कि मुर्दार जानवरको देखते ही चमारका सारा कुटुम्ब आनन्दविभोर हो जाता है। मै ही जानता हूँ कि हरिजनोके बीच काम करते हुए उनसे मुर्दार मास खानेकी यह आत्मघातिनी कुटेव छुडवानेमे मुझे कितनी कठिनाई पडी है। पर चमडा कमानेकी रीतिमे सुधार हो जाये तो मुर्दार मास खानेका यह रिवाज आप ही नष्ट हो जाये।

इस कायमे बुद्धि और चीर-फाडकी कला जाननेकी जरूरत है। गोरक्षा की दिशामे भी इस कामके सहारे हम काफी आगे बढ सकते है। अगर हमने गायकी दूध देनेकी शक्ति बढ़ानेकी कला न सीखी, उसकी सन्ततिमे हमने सुधार न किया और उसके बछडेको खेती और गाडी खीचनेके कामके लिए अधिक उपयोगी न बनाया, गायके गोबर व मूत्रका खादमे उपयोग न किया, और गाय और उसके बछडोके मरने पर उनकी खाल, हड्डियो, मास, अन्तडियो आदिका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करनेको अगर हम तैयार न हुए, तो गायको कसाईके हाथो तो मरना ही है।

अभी तो मै सिफ मरे ढोरोकी ही बात कर रहा हूँ। यहाँ हमे इतना भलीभाँति स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वरकी कृपासे गाँवोमे चमारको मारे गये ढोरोकी नही, किन्तु केवल अपनी मौतसे मरे हुए ढोरोकी ही खाल उधेडनी पडती है। उसके पास मरे हुए ढोरको अच्छी तरह उठा ले जानेका कोई साधन नही है। वह उसे उठाकर घसीटता हुआ ले जाता है, और इससे खाल खराब हो जाती है। उतार लेने पर इस तरहके कटे-फटे चमडेके दाम भी कम मिलते है। चमार जो अनमोल और सुन्दर समाज-सेवा करता है, उसका अगर गाँववालो और जनताको भान हो, तो वे लाश उठा ले जानेका कोई ऐसा आसान और सादा तरीका ढूँढ निकालेगे जिससे चमडेको जरा भी नुकसान न पहुँचने पायेगा।

इसके बाद ढोरकी खाल उतारनेकी क्रिया है। इसमे बडी कुशलताकी जरूरत है। मैनें सुना है कि गाँवका चमार अपनी गाँवकी बनी छुरीसे इस चीर-फाड को जिस कुशलतासे और जितनी जल्दी करता है, उस कुशलतासे और उतनी जल्दी कोई भी, डॉक्टर भी, नही कर सकता। इस विषयका जिन्हे ज्ञान होना चाहिए,

उनसे मैंने इस सम्बन्धमे जब पूछताछ की, तो गाँवके चमारके चीर-फाडके ढगसे बेहतर तरीका वे मुझे नही बता सके। पर इसका यह अथ नही कि इससे बढकर तरीका कोई दूसरा है ही नही। मै तो पाठकोको अपने अत्यन्त सीमित अनुभवका लाभ-भर पहुँचा रहा हूँ। गाँवका चमार हड्डियोका कुछ भी उपयोग नही कर सकता। हड्डियोको तो वह फेक देता है। खाल उधडते वक्त लाशके इद-गिर्द जो कुत्ते घूमते रहते है, वे भी कुछ हड्डियोको तो उठा ही ले जाते है। कुत्तोकी छीना-झपटीसे जो बच रहती है, वे विदेशको भेज दी जाती है और वहाँसे मूठ, बटन वगैरहके रूपमे वे यही फिर वापस आ जाती है। इन हड्डियोका अगर अच्छा चूरा बना लिया जाये, तो उसकी बहुत बढिया खाद हो सकती है।

दूसरा रास्ता इस जबर्दस्त उद्योगको शहरोमे ले आनेका है। हिन्दुस्तानमे चमडे के कई कारखाने आज यह काम कर रहे है। उन सबकी परीक्षा करना इस लेखका उद्देश्य नही है। शहरोमे इस उद्योगके ले आनेसे हरिजनोको कोई फायदा नही हो सकेगा, गाँवोको तो कुछ भी लाभ नही पहुँचेगा। इससे तो गाँवोकी दूनी बरबादी ही होगी। भारतमे उद्योग-धन्धोको शहरमे ले आने और बडे-बडे कारखानोके द्वारा उन्हे चलानेका अर्थ है गाँवो और गाँवोकी जनताको धीरे-धीरे, पर अचूक रीतिसे मौतके मुँहमे डाल देना। शहरके उद्योग भारतके सात लाख गाँवोमे बसनेवाली उसकी ९० फीसदी जनसख्याको कभी सहारा नही दे सकते। गाँवोसे चमडेके धन्धेको तथा ऐसे ही दूसरे उद्योगोको हटा देनेका तो यही अर्थ होगा कि वहाँ हाथ और बुद्धिके कौशलको काममे लानेका जो थोडा-सा अवसर अभी किसी तरह बच रहा है, वह भी उनसे छीन लिया जाये। और जब गाँवके उद्योग-धन्धे नष्ट हो जायेगे, तब ढोरोको लेकर खेतमे मजदूरी करना और बरसातके छ या चार महीने आलसमे बैठे-बैठे बिताना, बस इतना ही ग्रामवासियोके नसीबमे रह जायेगा। ऐसा हुआ, तो स्व० मधुसूदनदासके शब्दोमे यही कहना चाहिए कि गाँवके मनुष्य जानवरो-जैसे ही हो जायेगे। न तो उन्हे कहीसे मानसिक पोषण मिलेगा, न शारीरिक, और इससे उनकी आशा और आनन्द भी नष्ट ही समझिए।

यहाँ स्वदेशी-प्रेमीके लिए शत-प्रतिशत काम पडा हुआ है। साथ ही एक बहुत बडे सवालके हल करनेमे जिस वैज्ञानिक ज्ञानकी आवश्यकता है, उसे काममे लानेका क्षेत्र भी मौजद है। इस एक कामसे तीन अथ सधते है। एक तो इससे हरिजनोकी सेवा होती है, दूसरे ग्रामवासियोकी सेवा होती है, और तीसरे मध्यम वर्गके जो बुद्धिमान लोग रोजगार-धन्धेकी खोजमे बेकार फिरते है, उन्हे जीविकाका एक प्रतिष्ठित साधन मिल जाता है। और यह लाभ तो जुदा ही है कि उन्हे गाँवकी जनताके सीधे ससर्गमे आनेका भी सुन्दर अवसर मिलता है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ७-९-१९३४

४६३ पत्र मीराबहनको

७ सितम्बर, १९३४

दुबारा नहीं पढा

चि० मीरा,

मै इस सप्ताह तुम्हे पत्र लिखनेका प्रयत्न नही करूँगा। मेरे पास तुरन्त करनेके बहुत-से काम है, इसलिए मै तुम्हे लम्बा पत्र नही लिख सकता। महादेवने तो लिखा ही होगा। यह तुम्हे केवल इतना बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक सुधर रहा है और मै लगभग अपनी पूरी रफ्तारसे काम कर रहा हूँ। मेरे लिए चिन्ता करनेकी कोई बात नही है।

आशा है कि अगाथा और म्यूरियलके बारेमे जो बवडर उठा था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया होगा और उनके व तुम्हारे सम्बन्ध पहलेसे भी मधुर होगे।

मेरे सामने ससदीय बोर्ड तथा काय-समितिकी बैठकका काम है। यह पत्र मिलनेसे पूव तुम कोई आश्चर्यजनक घोषणा[1] सुनोगी। तुम्हे उसके बारेमे वहाँ कतई चिन्ता नही करनी चाहिए।

बा रामदासकी देखभालके लिए साबरमती हरिजन आश्रम गई है। रामदास वहाँ डॉ० शर्मासे इलाज करानेवाला है। रामदासका स्वास्थ्य बिलकुल खराब हो गया है, यो किसी विशेष अगमे कोई खराबी नही है। लेकिन बा उसके लिए चिन्तित थी और रामदासके साथ जानेका सुझाव रखा। मै भी खुश हुआ। देवदास यहाँ था और हमारे साथ उसने कुछ दिन गुजारे। खान-बन्धु यहाँ है और उनके साथ मेरा समय बडा अच्छा गुजर रहा है। उनके साथ अधिक रहनेका मतलब है कि मै उन्हे और अधिक प्यार करने लगा हूँ। वे इतने अच्छे है, इतने सीधे-सादे है और फिर भी उनमे इतन ज्यादा लोगोके दिलोमे समा जानेकी शक्ति है। वे घुमा-फिराकर बात नही करते।

सस्नेह।

बापू

श्रीमती मीराबहन
लन्दन

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्य० ६२९७)से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६३ से भी।

१ सकेत काग्रेसके सक्रिय नेतृत्वसे अलग हटनेके निर्णयकी घोषणाकी ओर है। देखिए खण्ड ५९, "वक्तव्य समाचारपत्रोंको", १७ ९ १९३४ ।

४६४ पत्र : नरगिसबहन कैप्टेनको

७ सितम्बर, १९३४

मै तुम्हारे और खुर्शीदके पत्रोके उत्तर नही देता रहा हूँ, क्योकि तुम्हे तो पत्रोत्तरकी अपेक्षा नही थी और मै अपना समय और शक्ति बचाना चाहता था। लेकिन तुम्हारा अन्तिम पत्र जवाब मॉगता है। और उत्तर मुझे जबतक मै खुद उत्तर लिखने लायक न हो जाऊँ तबतक नही रोक रखना चाहिए।

जबतक हम कशीदेके कामके लायक हाथका कता सूत बना नही सकते, तबतक कढाईके लिए तुम्हारे स्वदेशी सूतका उपयोग करनेमे मै कोई दोष नही देखता। इस छूटके लिए मेरा न्यायोचित तक यह है कशीदाकारी मौलिक खादीका अग नही है, कशीदाकारी तो ऊपर से जोडी जाती है, वैसे ही जैसे हम सिलाईका धागा कपडे सीनेमे लगाते है या विदेशी रग भी काममे लाते है, ताकि खादी बिक्रीके अधिक योग्य हो जाये।

मुझे खुशी है कि खुर्शीद अब अच्छी दिख रही है। तुम्हारा क्या इरादा है, तुम कब अच्छी दिखोगी? खान-बन्धु (इस समय) यहॉ है और उनके साथ मेरा समय बडे आनन्दमे बीत रहा है। हर रोज दो बार लगभग दो घटे मेरी उनसे शान्त चर्चा होती है। दोनो मुक्त मनके है और सूझबूझवाले भी।

जल्दी ही तुम मेरा एक और चोका देनेवाला ऐलान सुनोगी। चिन्ता मत करना, न कुतूहलमे पडना। बेहतर है कि प्रस्तावित निर्णयका ढिंढोरा न पीटो, ताकि मै सकुशल ऐलान कर सकूँ। ऐसी कोई बात नही है जो मै तुम्हे न बताना चाहूँ, लेकिन मै उसके बारेमे कुछ लिखना नही चाहता।

तुम सबको प्यार। मै समझता हूँ, जमनाबहनसे मुझे पत्रकी कोई आशा नही करनी चाहिए।

श्री नरगिस बहन कैप्टेन
७८ नेपियन रोड, बम्बई

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४६५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

७ सितम्बर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

तुम्हारे कई पत्र मिले, स्याहीकी बोतल भी मिली। स्याहीके बारेमे अपनी राय मै अभी नही दे सकता, बादमे दूगा। यह स्याही तुमने खास तौरपर मेरे लिए बनाई है या बाजारमे आम बिक्रीके लिए ?

सुखाये गये दूध-सम्बन्धी क्षितीश बाबूके प्रयोगका क्या हुआ ? मालूम नही, तुम्हारे जरिए भेजा गया मेरा पत्र[1] उन्हे मिला या नही ? जहाँतक मुझे मालूम है, वे चुप्पी ही साधे हुए है।

क्या अभी भी तुम्हे हरिजन-कार्यालयका पद-भार मिला ? तुमने मुझसे बगालके हरिजनोकी कल्याण-योजनाके सम्बन्धमे सुझाव माँगे है। मुझे तो कोई विशेष बात सूझती नही। अत मैने जो-कुछ भी कहा था, उसके लिए तुम्हे 'हरिजन' के अक देखने चाहिए और, आवश्यक परिवर्तनोके साथ, जो-कुछ भी वहाँके उपयुक्त हो, सो अपनाना चाहिए। वैसे यह तो ठीक ही है कि तुम्हारी समस्या और जगहोकी समस्यासे कुछ भिन्न है। चर्म-शोधनपर जो लेख[2] मैने 'हरिजन' को भेजा है, उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना।

साधारण रोगो तथा दुर्घटनाओके उपचार-सम्बन्धी तुम्हारी पुस्तक, "गाँवके कार्यकर्त्ताओका मार्गदर्शन" कोई प्रगति कर रही है या नही ?

'ऑनवर्ड' मे मैने कुबेर बोर्ड लिमिटेड, मिल डिपार्टमेंट, ८४ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा निर्मित स्ट्राबोर्ड्स (गत्ते) का विज्ञापन देखा है। विज्ञापन कहता है कि ये हिन्दुस्तानी पूजी, हिन्दुस्तानी श्रम और हिन्दुस्तानी सामग्रीसे बनाये गये है। ये गत्ते क्या होते है ? क्या यरवदा-चक्रके लिए किसी कामके होगे ?

सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
कलकत्ता

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए पृ० ३८०।
२ देखिए पृ० ४३९४२।

४६६. पत्र : पुरातन जे० बुचको

७ सितम्बर, १९३४

चि० पुरातन,

तुम्हारा पत्र मिला। सौ रुपये देकर तुम ठगे नही गये तो और क्या हुआ? अगर तुम ठगे नही गये हो तो तुमने किस बातकी गलती मानी? मै तो तुम्हे ठगा गया ही मानता हूँ। क्या कोई गरीब आदमी सहज ही सौ रुपये निकालकर दे देता है। मुझे तो पूरी आशका है कि न तो तुमको सौ रुपये मिलेगे और न बिलका पैसा। फिरसे ऐसा न हो, तो रुपये जानेको एक मामूली-सा प्रायश्चित समझ सकते है। परीक्षितलालके भोजनपर जो खर्च हुआ, क्या वह चर्खा सघके नाममे लिखा जायेगा? वह हरिजन-कोषसे तो नही ही लिया जा सकता। तुमने उनके रहनेका किराया तो ठीक लगाया है न? किरायेकी दर क्या रखी है?

परीक्षितलालसे कहना कि मैने लखतरके एक दरबारी सज्जनको पत्र लिखा है। देखे क्या नतीजा निकलता है?

क्या तुम्हारा शरीर ठीक रहता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४६)से। सी० डब्ल्यू० १६० से भी, सौजन्य परीक्षितलाल एल० मजमूदार।

४६७ पत्र : भगवानजी ए० मेहताको

७ सितम्बर, १९३४

भाई भगवानजी,

आपके दोनो पत्र मिले। अपनी शक्ति तथा रुचिके अनुसार मै देशी राज्योका काम करता रहता हूँ। मनुष्यमात्रमे सुधरनेकी शक्ति है, इस धारणाके आधारपर अहिंसाकी इमारत है। इस विश्वासको मै छोड नही सकता, इसलिए हमारे बीच थोडा मतभेद तो बना ही रहेगा।

प्रभाशकरवाली बात समझा। वे आगामी हफ्तेमे मिलेगे, तब इस विषयकी बात भी करूँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५८२४) से। सी० डब्ल्यू० ३०४७ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

४६८. पत्र . नरहरि द्वा० परीखको

७ सितम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा पत्र भी तुम्हे मिल गया होगा।

रामदासको मैंने जान-बूझकर खूब सोच-विचार करके (आश्रममे) भेजा है। नतीजा तो भगवानके हाथमे है। सुरेन्द्र वहा अपने कर्त्तव्य-पालनमे लगा हुआ है। उसे वहाँसे कैसे अलग किया जा सकता है? रामदासका रोग शारीरिककी अपेक्षा मानसिक अधिक है। उसे वहाँ सत्सग मिलेगा, और वही बडी औषधि है। वह चाहे जिसके साथ नही घुलमिल पाता।

तुम अनायास जो मदद कर सको करना। मैंने तुम्हारे लिए यह कोई नया सिरदर्द पैदा नही किया है।

तुम जब बिलकुल निवृत्त हो जाओ, तब आश्रम जाना। तुम्हे जो पत्र चाहिए, सो भेजनेका प्रबन्ध कर रहा हूँ। ठक्कर बापासे क्या डरना? कुछ नुक्स तो सबमे होते है, उन्हे परस्पर बर्दाश्त करना चाहिए। मै समझता हूँ, तुम पेश पा लोगे। और फिर मै तो यहाँ बैठा ही हूँ न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०६४) से

४६९ पत्र . हीरालाल शर्माको

[७ सितम्बर, १९३४][1]

चि० शर्मा,

तुम न मिल सके इसका मैंने बुरा नहिं माना, अच्छा माना। मेरा समय बचानेके लिये नहिं आये ऐसा समझ लिया।[2]

डाकतरकी ऐसी जरूरत मे महसुस नहिं करता। मूत्र-मल परीक्षा तुमारे जानना चाहिये। लेकिन एक पत्र मै भेजता हूँ। इस्तेमाल करना है तो अवश्य करो।

बा को मै लिखुगा कि जो कहना है कहा करे। ऐसे तो मैंने उसको कह दिया है। बा मुझको कुछ भी लिखेगी मै फौरन तुमको लिखुगा।

१ हीरालाल शर्माके बतानेके अनुसार।

२ गाधीजी से बिना मिले हीरालाल शर्मा साबरमती चले गये थे और इसके लिए उन्होंने गाधीजी से क्षमा माँगी थी।

जामनगरमें क्या है, उसका पता लगाकर[1] मुझे लिखो। ज्यादा बादमें मैं जान लूंगा और लिखूंगा। तुमने अपनी रसोई पकानेका इरादा कर लिया है सो अच्छा तो लगता है लेकिन हठ न किया जाय। क्या पका लेते हो?

फीनिक्ससे जो खबर आ जायगी शीघ्र भेज दूंगा। तय हो जानेसे द्रौपदीको बुलवा सकते हो। मैंने उसे खत लिख भेजा था।[2] यदि वहां कुछ तजरबा मिल गया है और अच्छा चल रहा है और रामदासको द० आ० जानेकी आवश्यकता ही नहिं है तो द्रौपदीको शीघ्र बुला सकते हो। सोमवारको कुछ न कुछ पता चल जायगा।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मोघेजीसे मिल लिया अच्छा हुआ। रु० १५२ आश्रममें उसी रोज दे दिये गये। सामानके बारेमें मैंने पूछा है। उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

बापु

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२-४८, पृ० ९२-९३ के बीचकी प्रतिकृतिसे।

४७०. पत्र: मोतीलाल दीवडाको

७ सितम्बर, १९३४

भाई मोतीलाल दीवडा[3],

आपका तार मिल गया था। पत्र भी मिल गया है। समयाभावके कारण उत्तर शीघ्र नहीं भेज सका। क्षमा कीजिये। तारका उत्तर तारसे दे नहीं सकता था।

[4]की दूसरी शादीकी बात चल रही है। अंतमें क्या होगा, उनको मेरे ओर उनके वडीलोके (बडोंका) आशीर्वाद मिलेगा या नहीं सो तो भविष्यमें ही कहा जा सकता है। मौजूदा पत्नी बिमारीके कारण २० से अधिक वयकी होते हुए १२ जैसी देखनेमें आती है। प्रजोत्पत्तिके लिए योग्य नहीं है। उनकी पूर्णतया इच्छा है कि दूसरी शादी करे। वह तो बरसोंतक पत्नी-धर्मका पालन नहीं कर सकती है, इसलिए सेवा-धर्ममें पडना चाहती है। उनके लिए के और उनके पिताके तरफसे संतोषजनक आर्थिक प्रबंधकी बात है, यदि दूसरी शादी हुई तो। को पत्नी-सुखकी आवश्यकता महसूस होती है। यदि मर्यादामें रहकर उसको योग्य स्त्री

१ जामनगरके राजाने अपने व्यक्तिगत इस्तेमालके लिए एक सूर्य-चिकित्सालय बनवाया था।

२ देखिए पृ० ४१३।

३ मारवाडी-सभाके अध्यक्ष।

४ नाम नहीं दिया जा रहा है।

मिले तो उसको शादी करने देनेमे धर्म सग्रह है, ऐसा मेरा विश्वास है और सब धार्मिक वृत्तिके लोगोके तरफसे आशीर्वाद मिलने चाहिए, लेकिन यह सब बात की शुद्धि और उनके सयम-पालनपर निर्भर है। कोई काय जल्दि से होनेवाला नही है। सब सम्बन्धी जनकी तीव्र इच्छा केवल धम पालनकी ही है। यदि पूर्णतया सयम-पालन कर सके और अपने विकारोको रोक सके तो सबसे उत्तम बात होगी। ऐसा तो लाखोमे से कोई ही युवक कर सकता है। हम सब प्रार्थना करे कि को भगवान ऐसी ही शक्ति देवे।

मेरा विनय है कि और उनके हितके कारण इस पत्रको प्रकट न किया जाय न इस बातकी कोई जाहिर चर्चा की जाय। मुझको जो कुछ कहना है, तो अवश्य कहा जाय।[1]

आपका,
मोहनदास गाधी

पत्रकी नकल (सी० डब्ल्यू० १०२२०) से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला।

४७१. पत्र : जमनालाल बजाजको[2]

८ सितम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारे पत्र आते रहते है और खबर मिलती रहती है। ईश्वरका पूरा अनुग्रह मालूम होता है कि जरम डॉक्टरोकी धारणासे भी जल्दी भर रहा है। उतावली बिलकुल न करना। जरम पूरा भर जानेपर ही वहाँसे निकलना है। सिंहगढका विचार मुझे पसन्द है। मेहताकी मदद भी मिलती रहेगी। सिंहगढकी हवा उत्तम है, पानी खूब हल्का है, इससे पूरा लाभ मिलेगा। उसे दूर भी नही कह सकते।

बातचीत ज्यादा न करना। करनी भी पडे तो मुक्त स्वरसे नही, बल्कि बहुत धीमी आवाजमे। बोलनेका असर कानपर पडे बिना नही रहता।

दाल-भात छोडनेसे जरूर लाभ होगा। दूधकी मात्रा अधिक रखना। दही खट्टा बिलकुल नही होना चाहिए। जैसे-जैसे इजाजत मिलती जाये, कसरत बढाते चले जायें। चिन्ता तो बिलकुल मत करना। ऐसा करनेसे कानके फायदेके साथ दिमाग भी तरोताजा हो जायेगा।

१ गांधीजी के कहनेपर प्रभावतीने इस पत्रकी नकल घनश्यादास बिड़लाको भेज दी थी।

२ यह ३-३० बजे भोरसे पहले लिखा गया था, देखिए अगला शीर्षक।

मालवीयजी आज आ गये। राधाकान्त भी साथ है। आसफअली और खलीक आ गये है। और लोग कल आयेगे।

खानभाई खुश रहते है। रोज सुबह घूमते है और शामको ४ से ५ बजेका समय देता हूँ। धीरे-धीरे बाते हो रही है।

मेरे सम्बन्धमे पगलीकी बात तो सुनी होगी। उसमे मै तुमको नही डालना चाहता। बादमे जब बिलकुल अच्छे हो जाओ तब जो टीका करनी हो, सो करना। मुझे तो लगता है कि तुमको यह सब अच्छा लगेगा।

ओम मेरे पास ही रहती है। आवश्यक मदद करती है। सच पूछो तो एक या दो लडकियोका काम चार या पाँच लडकियोमे बँट गया है। इससे सबके हिस्से मे थोडा-थोडा आता है। और प्रभावती कहाँ ऐसी है जो दूसरोको बहुत करने दे। और मदालसा भी तो अपना हिस्सा बँटाने आती ही है।

राधाकिसन तुम्हारे सुझावोके कारण इतना चिन्तित रहता है कि मुझपर ठीक-ठीक पहरा रखते हुए भी घबराता रहता है। मै जल्दी उठ ही जाता हूँ। अधिक सोनेकी जरूरत नही रहती और मेरा काम निपट जाता है तो मन हल्का रहता है। वजन अब धीर-धीरे ही बढेगा। खुराकमे वृद्धि करनेकी गुजाइश नही। जो है उससे धीरे-धीरे बढेगा। वही ठीक है। ताकत बढती रहती है। दिनमे सो लेता हूँ। रातको ८ बजकर ४५ मिनटपर और ज्यादासे-ज्यादा ९ बजे चारपाईपर चला ही जाता हूँ। इस तरह मैने अपनी तबीयतके बारेमे उलाहना मिलने जैसी बात नही रखी। तुम्हारे आनेतक और उसके बाद भी यही रहूँगा। बिना कारण यहाँसे खिसकना नही है।

एन्ड्रयूज फिर रविवारको आ रहे है। कुमारप्पा २० दिनकी छुट्टी लेकर आये है। उनको तुरन्त वापस भेज दूंगा। यहाँ मगलवारको आयेगे।

कन्याओका काम ठीक चल रहा दीखता है। विनोबा ही सब-कुछ देखा करते है। इसलिए मुझे किसी चीजमे हाथ डालनेकी जरूरत नही रहती।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

असमके बारेमे लिखना रह गया। वहाँ काग्रेसके लोगोको जानते हो तो उन्हे असमके रुपये भेज देना। यदि न जानते हो तो ज्वालाप्रसादको भेज देना। मारवाडी रिलीफ सोसायटी वहाँ काम करती है। उसमे यह रकम मिलाई जाये। तुमको जैसा उचित लगे वैसा करना।

[गुजरातीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १३४-३५

४७२ पत्र : नारणदास गांधीको

८ सितम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा छ तारीखका पत्र मिला।

मैंने नरहरिसे कह दिया है कि वह गोशालाके बारेमे जानकारी करके अपनी राय मुझे बताये। मै यह बात ध्यानमे रखूँगा।

मेरा आराम तो ऐसा ही रह गया है। ढाई बजे उठना शुरू कर दिया है। लगता है कि खुद खाट ही मुझे उठाकर फेंक देती है। इस समय साढे तीन बजे है। जमनालालजी का पत्र पूरा करनेके बाद यह शुरू किया है।

समझमे नही आता कि चिमनलाल और शारदाके बारेमे क्या करे। यह जरूर लगता है कि चिमनलालके साथ रहनेमे उसके हितकी हानि हो सकती है। यदि पितृभक्ति उसके मनमे गहरी हो तो वह चाहे तो स्वय बीमार रहते हुए चिमनलालकी सेवामे अपने शरीरको और कमजोर बना ले। यूरोपमे ऐसे बहुत-से उदाहरण देखनेमे आते है। हमारे समाजमे मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नही पडता। यह तो ठीक ही है कि हम जो शिक्षण दे रहे है, उसमे ऐसी लडकियाँ तैयार करने ही बात है। भावना तभी टिकती है जब वह अपने मनसे उपजी हो। यदि शारदामे यह भावना न हो तो केवल अपने स्वास्थ्यकी दृष्टिसे ही उसे चिमनलालके पाससे कही और चले जाना चाहिए। वह यहाँ आकर रह सकती है। यहाँ उसकी आयुकी बहुत-सी लडकियाँ है। दस-एक तो गुजराती लडकियाँ ही है। वाली भी उनमे से एक है। यहाँ की आबहवा भी अच्छी है, और फिलहाल मै भी यहाँ हूँ। यह मेरा अड्डा तो बना ही रहेगा। पढाई-लिखाई भी ठीक हो रही है। बीमार व्यक्ति बीमारकी सेवा न करे, ऐसी इच्छा करना उचित है। शकरीबहन चिमनलालकी सेवामे लग जाये। चिमनलालको चाहिए कि वह आहारमे दूध और फलके सिवा और कुछ न ले। केवल दूधके आहार का भी अच्छा परिणाम देखा गया है, किन्तु यह प्रयोग है बहुत सख्त। दूध और फल का प्रयोग करना उत्तम है। इससे जो कमजोरी आये उसे बरदाश्त करके आग्रह-पूवक इसी खुराकपर रहा जाये, ऐसी मेरी सलाह है। शर्मा इन दिनो साबरमती है। वह रामदासके पीछे घरबार छोड बैठा है, इसीलिए वह वहाँ रामदासको लेकर गया हुआ है। रामदासकी सार-सँभालके लिए बा भी गई है। चाहो तो शर्मासे पूछ देखना। उसकी भलमनसाहतका अनुभव कर रहा हूँ। चिकित्सककी हैसियतसे उसकी योग्यताके विषयमे कुछ नही कह सकता। फिर भी उससे पूछ लेनेमे कोई बुराई नही है। दूध और फल, खुराक भी है और औषधि भी। यदि वह इससे भी अच्छा न हो तो दूसरे किसी उपायसे अच्छे होनेकी सम्भावना कम ही समझो। जल और

सूय-उपचार तो चल ही रहा है। मेरी सलाहका महत्त्व, मैंने जो-कुछ शारदाके विषयमे लिखा है, उसीमे है। इस विषयमे तुम दोनो सोच लेना।

प्रभावती, अमतुलसलाम, वसुमती और ओम मेरी सेवामे रहती है। अमला भी कुछ करती है। मुझे बडी आशका है कि वह कही पागल ही न हो जाये। जरा भी ठिकानेपर नही आती। सूखती चली जा रही है। अब शादीके बारेमे उतावली कर रही है। देखता हूँ, उसके मनमे विकार आते रहते है। विकारोको दबानेके प्रयत्नमे वे इस तरह उत्कट होकर फूट निकले है। उसके मनमे बारह बच्चोकी माँ होनेका शौक है। इस समय उसकी उम्र सैंतीस वषकी है। देखे, क्या करती है। इस समय तुम्हारे पास या कही और भेजनेकी हिम्मत नही पडती। वह किसी कॉलेजमे नौकरी खोज रही है। अगर अपनी कोशिशसे वह इसमे सफल हो जाये, तो इसमे कोई हर्ज नही। मै अवश्य ही किसीसे उसकी सिफारिश नही करूँगा। मै चिन्ता नही करता, किन्तु जवाबदारी बहुत बढ गई है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

केशुके विवाहका क्या हुआ?

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८४१२ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

४७३ पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको

८ सितम्बर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

तुमने बडा मनहूस चित्र खीचा हे। लेकिन मै उससे विचलित नही हूँ। शीघ्र ही वातावरण अवश्य स्वच्छ हो जायेगा। काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके बारेमे मेरा प्रत्यावेदन[1] तुमने देखा होगा। चर्चा हो रही है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मै अत्यन्त व्यग्र हूँ कि काग्रेस छोड दूँ और बाहर रहकर उसकी सेवा करूँ। मैंने अपने वक्तव्य का मसौदा तैयार कर लिया है। मेरा विचार है कि काय-समितिसे उसकी चर्चा करूँ। नतीजा तुम्हे समय आनेपर मालूम हो जायेगा। जो बात भ्रष्टाचारसे भी गहरी है, वह यह है कि अनेक काग्रेसियोके और मेरे बीच मौलिक मतभेद है। लेकिन मुझे भविष्यकी बात नही कहनी चाहिए। रचनात्मक कार्य करनेवाले अपने काममे लगे रहे।

रचनात्मक कार्य करनेवालोको पत्रकारिता-सम्बन्धी किसी उद्योगमे हाथ नही लगाना चाहिए, और इस समय तो कतई नही। मै तुम्हारे इस मतसे भी

१. देखिए पृ० ४२८-२९।

सहमत नही हूँ कि इस समय सन्तुलित विचारोके एक पत्रकी आवश्यकता है। मौजूदा प्रेस-कानूनोके रहते किसी स्पष्टवादी पत्रका टिकना असम्भव है, जबतक कि वह राजनीतिसे बिलकुल अछूता न रहे। लेकिन यह तो तुम्हारा उद्देश्य नही है। तुम कोई ऐसी चीज चाहते हो, जो (फैलते) जहरोका प्रतिकार कर सके।

कितनी स्याही बनाई है तुमने? अगर यह विज्ञापनके लिए नही है, तो चीजे मुफ्त बाटनेसे फायदा?

आशा है, हेमप्रभा मजेमे होगी।

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४७४ पत्र : नारायणस्वामीको

८ सितम्बर, १९३४

प्रिय नारायणस्वामी,

तुम्हारा पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। भस्मका लिफाफा भी मिला। उचित समयपर यह गगामे विसर्जित कर दी जायेगी।

आशा करता हूँ, तुम्हारी पत्नी भली स्त्री है और तुम सुखी हो। यदि वे शिक्षित हो और लिख सकती हो, तो उनसे पत्र लिखनेको कहना।

मुझे मालूम हुआ है कि तुम आर्थिक सकटमे हो। मै तुम्हे एक ही सलाह दे सकता हूँ "उधार मत लेना"। ईमानदारी और परिश्रमसे जो मिल जाये, वही लेना और अपने पिताकी कीर्ति बनाये रखना। स्वस्थ शरीर, सच्चरित्रता और अथक परिश्रम — नौजवानोको जो सच्ची पूँजी चाहिए, वह यही है।

मै पार्थसारथी और सीसेमके पत्रोकी राह देखूँगा। तुम्हे मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री नारायणस्वामी
१७४, प्रेसिडेन्ट स्ट्रीट
जोहानिसबर्ग

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४७५ पत्र : रामचन्द्रनको

८ सितम्बर, १९३४

प्रिय रामचन्द्रन,

तुम्हारे प्रश्नोका उत्तर मै पहले नही दे पाया। गाधी सेवा-सघ का इस समय पूरा कायापलट हो रहा है, और वह कुछ आमूल परिवर्तन अगीकार करनेवाला है। अबतक जो भत्ते दिये जाते थे, उदार पैमानेपर दिये जाते थे। अब उनमे आमूल परिवतन किये जा रहे है। और फिर, यदि ये परिवतन कार्यान्वित होने वाले है, तो जमनालालजी इस सबमे कोई भाग नही ले रहे है। वे अभी भी बम्बईमे इलाज करा रहे है, और शायद अभी कुछ महीनोतक नियमित कामकाज नही कर सकेगे। सामान्य कामकाज पुन सँभालनेसे पहले, उन्हे किसी शान्त स्थानमे आराम करना है। इस बीच तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी निजी आवश्यकताएँ क्या है।

श्री रामचन्द्रन
बगलोर

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४७६ पत्र : बी० जे० मराठेको

८ सितम्बर, १९३४

प्रिय मराठे,

मुझे खुशी है कि तुमने मेरे प्रश्नो[१]का सुविस्तृत उत्तर भेजा है, और वह भी तत्काल ही। अब मै इसका उपयोग करूँगा।[२]

श्री बी० जे० मराठे
सेक्रेटरी, एच० एस० एस०
महाराष्ट्र बोर्ड
पूना

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए पृ० ४३८।

२ यह २८-९-१९३४के *हरिजन*में प्रकाशित हुआ था, देखिए खण्ड ५९, "महाराष्ट्र हरिजन-सेवक सघ", २८-९-१९३४। और देखिए "पत्र डॉ० बी० वी० मुजेको", १२-९-१९३४।

४७७. पत्र : गुलजारीलाल नन्दाको

८ सितम्बर, १९३४

प्रिय गुलजारीलाल,

मुझे खुशी है कि वहाँ जो हो रहा है, उसकी खबर तुम मुझे देते आ रहे हो। यह बहुत अच्छी बात है कि सारी कायवाही पूणत व्यवस्थित ढगसे चलाई जा रही है। इसे कहते है असली ठोस काम।

मेरी तबीयत बिलकुल ठीक है।

श्री गुलजारीलाल नन्दा
४५ चौपाटी
बम्बई

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४७८ पत्र : लीलावती आसरको

८ सितम्बर, १९३४

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। सिद्धिमतीका पत्र आये तो मुझे उसके समाचार देना।

तुम सब एकसाथ भोजन करती हो या अलग-अलग? एकसाथ कितनी बहने भोजन करती है। वहाँ कोई फल मिलता है? दूध अच्छा मिलता है?

तू पुस्तके कौन-कौनसी पढती है? अपने अक्षर अभी और सुधारे तो अच्छा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३२९) से। सी० डब्ल्यू० ६६०४से भी, सौजन्य लीलावती आसर।

४७९. पत्र · अन्नपूर्णाको

८ सितम्बर, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला। गतिमें पिताजी सबसे आगे है। उनको मेरे तरफसे धन्य-वाद। तुमारी टिप्पणीमें सूतकी मजबूती और समानताके अक नहिं दिये हैं। यह भी निकालनी चाहिये। कैसे निकलती है सो तो मालुम होगा। ग्रामोके लिये बहुत सादा तरीका है। बासके चर्खेसे जो सूत निकले उसका ख्याल भी मुझे देना। उसके चक्रका घेराव कितना है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७९२) से।

४८० पत्र : निरुपमाको

८ सितम्बर, १९३४

चि० निरूपमा,

तुमारा खत मिला। अच्छा किया। अब तो बिलकुल अच्छा हो गया है। मुझे लिखा करो।

बापूके आशीर्वाद

कुमारी निरुपमा,[१]
सुदामा कुटीर, उदीपी[२] कर्नाटक[३]

पत्रकी फोटो-नकल(जी० एन० ९२२५) से।

१, २ और ३ रोमन लिपिमें हैं।

४८१. पत्र : श्रीपाद दामोदर सातवलेकरको

९ सितम्बर, १९३४

भाई सातवलेकर,

आपका पत्र मिला। विवाहके पूव स्त्री-पुरुषका विषय-भोग नीतिका और शरीर का नाश करता हे।

जो अखबार इस नीतिका प्रचार करते हैं वे ज्ञानपूवक अथवा अज्ञानपूर्वक समाजके शत्रु बनते हैं। युवक और युवतीओको मेरा तो यह विनय है, इस स्वच्छदसे अपनेको और देशको बडी हानि करेंगे।

क्या दा० केलकर यहा है नही तो कहा है क्या करते हैं।

आपका,
मो० क० गाधी

पण्डित श्री सातवलेकर
स्वाध्याय मण्डल
औध[1]
सतारा डिस्ट्रिक्ट[2]

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७७५)से, सौजन्य श्री० दा० सातवलेकर।

४८२ पत्र : नारणदास गाधीको

११ सितम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला।

मै जानता था कि मैंने तुम्हे जो महत्वपूण[3] पत्र लिखा था, वह तुम्हे कठिनाई मे डालेगा। मै इसे अनुचित लोभ करना मानता हूँ। मैंने जो चाहा था, वह स्पष्ट ही हिंसा थी। किन्तु उतने बडे पत्रका साराश भी कैसे करता। इसलिए वह मेरा आलस्य था और इसलिए उस कृत्यकी हिंसा भी बढ गई। यो तो रोज ऐसी कितनी हिंसा होती होगी। निवृत्ति-मार्ग ऐसे ही दोषोसे बचनेके लिए खोजा गया था, किन्तु उसपर तो करोडोमे एक चल पाता है। शरीरसे निश्चेष्ट रहकर मनसे अबाध प्रवृत्तियोमे लगे रहना अहिंसक थोडे ही कहा जा सकता है। इसलिए हम तो

१ और २ रोमन लिपिमें हैं।

३ देखिए पृ० ४५१ ५२।

त्रुटियाँ करते-करते प्रवृत्तियोंमें से ही निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोषोंको कम करनेका भी हमारे पास यही उपाय है। मैं इस बातका प्रयत्न करूँगा कि मैंने तुम्हें जो पत्र लिखा, वह इस क्षेत्रमें मेरा अन्तिम दोष सिद्ध हो।

कनुका समय व्यर्थ न बीते, इसलिए उसे आज तार किया है कि चाहे तो आ जायें। लगता है, तुम्हारे पास पत्र पहुँचनेमें चार दिन लग जाते हैं।

धूलियाके सुपरिंटेंडेंट्का जो पत्र आया है, सो तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वह बुकपोस्टसे भेजा जायेगा। अभी विनोबाको देखनेके लिए दिया है।

मथुरादासका उत्तर अभीतक नहीं मिला। लीलावती छुट्टी होनेपर खुशीसे यहाँ आ सकती है। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसके अनिश्चयका पारावार नहीं है।

बहनें शिक्षिकाओंका काम ठीक कर रही हैं। यदि इनमें से आधी भी टिकी रह गईं तो बाल-मन्दिर ठीक चल सकेगा।

[1] साबरमतीसे ही विषयसेवन करता रहा है। झूठ बोलनेमें उसने कोई कसर नहीं की। अब बालकृष्णके पास पश्चात्तापपूर्ण पत्र आया है। पूछा है कि पश्चात्तापके रूपमें क्या करे।

अमलाकी कहानी एक दूसरे ही प्रकारकी चीज है। उसे शान्तिनिकेतनमें फ्रैंच पढ़ानेका काम मिल गया है, इसलिए खुश है। कुछ दिनोंमें चली जायेगी। वहाँ से पक्का पत्र आनेका रास्ता देख रही है।

साबरमतीकी गोशालाके विषयमें नरहरिके वहाँ जानेके बाद ही तय किया जा सकेगा।

सुमित्राकी आँख खराब हो रही है, इसलिए आज बा उसके साथ इलाजके लिए बम्बई जा रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८४१३ से भी, सौजन्य नारणदास गांधी।

१ साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

४८३ पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

११ सितम्बर, १९३४

"तूने ४० बरस पूरे किये, तो यह भी तो कहा जा सकता है कि १००मे से ४० कम हो गये। इस तरह हिसाब लगाये, तो यह भी कहा जा सकता है कि ज्यो-ज्यो दिन बीतते है, हम छोटे होते जाते है। जैसे ४० पूरे किये, वैसे ही बाकी के ६० भी पूरे करना, और आजतक की कमाईमे इजाफा करना।

[1]तूने तो कमयोगपर पुस्तक मुझे नही भेजी, किन्तु वह अनायास ही मेरी नजरमे आ गई और अब मै उसे हर रोज वाचनालयमे पढता हूँ। कुछ दिनमे पूरी हो जायेगी। रचना मुझे अच्छी लगी है। थोडे पृष्ठोमे बहुत-कुछ भरनेका प्रयत्न किया गया है। अनजान आदमीको समझनेमे मुश्किल होगी। जिल्द अच्छी नही बँधी है। बिक्री कैसी हो रही है? 'विचार सृष्टि' बिक भी रही है या नही?

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृ० १५३

४८४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

११ सितम्बर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला है। दामोदरदासके खत जो पीछले दो आये है तुमको भेजे गये है। उसमे तो दूसरी ही बात पाता हूँ। वह कहते है तुमारी कुछ गैरसमझ हुई है। मेरी तो नहि है? तुमने मुझे क्या कहा था सो तुम ही दामोदरदासको लिखो और मुझे भी लिखो। अब तो केशु सतोक और राधाके दोषकी बात बिलकुल उड जाती है। तुमने जो दामोदरदासके खतका फिकरा भेजा था सो भी उड जाता है। स्मरणमे है न? मै गभराहटमे पडा हूँ। मेरे स्वभावसे प्रतिकुल मै चल रहा हूँ। सतोकादिके प्रति कुछ भी वहम रखकर मै कैसे शात बैठ सकता हूँ। तुमारे तरफसे सुनी हुई मै न मानु तो क्या करू? मेरा मुबई जाना कब होगा मुझे कोई पता नहि है। शायद अक्तूबरमे जाऊ काग्रेसके समय। उस वखत दामोदरदासके साथ बात करनेका मौका मिल ही नहि सकेगा।

१ साधन-सूत्रमें छूटा हुआ है।

तुमको वहा ठीक रहता होगा। बुखार फिर नही आया होगा।

राधाको भेजनेका तुमारे पास पैसे है तो मुझे क्यो भेजा न जाय। एक तरफ से भाई सब करजदार रहते है, मकान भी बच सके या नहिं इसका विश्वास नहि दूसरी तरफसे राधाके खर्चका बोज उठानेको शक्ति है। तुमको मालुम है न की राधा के खर्चका प्रबध है ही। उसमे आजतक कोई दिक्कत पैदा नहिं हुई है। तुमारे मुझको मदद देना है तो अवश्य दे दो। राधाको जो मिलता है, तदुपरात भेजनेकी सम्मति मागते हो? यदि हा तो क्यो?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२३) से।

४८५. एक प्रार्थना[1]

[१२ सितम्बर, १९३४ या उससे पूव][2]

हे नम्रताके सागर, दीन भगीकी हीन कुटियाके निवासी। गगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना के जलोसे सिंचित इस सुन्दर देशमे तुझे खोजनेमे हमे मदद कर। हमे ग्रहणशीलता दे, निश्छल हृदय दे, अपनी नम्रता दे, भारतकी जनतासे एकरूप होनेकी शक्ति और तत्परता दे।

हे भगवन्, तू तभी मददके लिए आता है जब मनुष्य बिलकुल नम्र बनकर तेरी शरण लेता है। हमे वर दे कि सेवक और मित्र बनकर जिस जनताकी हम सेवा करना चाहते है, उससे अलग न पड जाये। हमे आत्म-त्याग और सद्‌गुणोके भाजन बना। हमे नम्रताकी साक्षात् मूर्ति बना ताकि इस देशको हम ज्यादा समझे और ज्यादा प्रेम करे।

[अग्रेजीसे]

बापू — कन्वर्सेशन्स ऐंड कॉरेस्पोडेन्स, पृ० ८८-८९

१ और २ यह प्रार्थना "पत्र एफ० मेरी बारको", पृ० ४६२ के साथ सलग्न थी। अपनी पुस्तकमें इसके विषयमें मेरी बार लिखती हैं "कुमारी लिनफोर्थ एक अग्रेज महिला थी जो उस समय हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसियोंकी एक अन्तर्जातीय समिति द्वारा चलाये जा रहे हैदराबाद समाज-कल्याण केन्द्रमें काम कर रही थीं। उन्होंने मुझे गाधीजीसे उनके लिए एक सन्देश लेनेको कहा था। अत गाधीजी ने यह छोटी सी प्रार्थना, जिसे उसने शीशेमें जड़वाकर अपने केन्द्रमें टाँग दिया था, मेरे नाम अपने पत्रके साथ भेजी थी।"

४८६. तार : हीरालाल शर्माको

१२ सितम्बर, १९३४

शर्मा
साबरमती
आश्रम

घर जानेकी जल्दी नही है।[१] मुझे तुमको तुम्हारे बचनपर कायम रखना है। वहा सन्तोषपूण प्रमाणपत्र हासिल करो। कल पत्र लिख रहा हूँ।[२] रामदासकी प्रतिदिनकी उन्नति तार द्वारा बताओ।

बापू

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२-४८, पृ० ९५ के सामनेकी अग्रेजीकी प्रतिकृतिसे।

४८७. पत्र : अब्बास तैयबजीको

१२ सितम्बर, १९३४

प्यारे भाई,

सुबहके ठीक ३ बजे है। मुँह धोनेके बाद यह पहला पत्र लिख रहा हूँ। मै मनसे पूरी तरह आप सबके पास हूँ। आपके नाजुक और घरेलू मामलोपर फैसला करनेवाला मै कौन होता हूँ? आपने अपनी गुप्त बाते जान पानेका अनोखा सौभाग्य मुझे दिया है। मै उनका दुरुपयोग नही कर सकता। वास्तवमे घटनाएँ जिस रूपमे होती है, उनके फलिताथ मै नही जानता। लेकिन अगर आप और रैहानाको शान्तिसे रहना है, तो यह मूक-युद्ध समाप्त ही होना चाहिए। यदि मै आपकी जगह होता तो या तो मै बिना किसी शिकायतके खुशीसे उसे अपने रास्तेपर चलने देता या उसे एक अलग घर और गुजारा दे देता और अपने मनके मुताबिक रहने देता। वह इतनी बीमार है कि अपने खुदके साधनके सहारे नही छोडी जा सकती। मै हमीदा के बारेमे चिन्ता नही करता, वह रैहानाकी तरह दुबल नही है। रैहानाके भाग्यमे विवाह नही लिखा है। जहाँतक मै जानता हूँ, वह विषय-वासनासे बिलकुल अनजान है। अच्छा होता कि मै आपको एक प्रफुल्ल करनेवाला पत्र लिख पाता, लेकिन मै

१ हीरालालजीने अपने बीमार पुत्रकी देखभालके लिए गाधीजी से खुर्जा जानेकी अनुमति चाही थी।

२ देखिए पृ० ४६७ ६८।

वैसा पत्र नही लिख सकता। यह पत्र पढकर खुदा जो रास्ता दिखाये, आप वही करे। आप सबको प्यार।

आपका,
मो० क० गा०

अब्बास तैयबजी
बडौदा

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

४८८ पत्र एफ० मेरी बारको

१२ सितम्बर, १९३४

चि० मेरी,

तुम्हारा पत्र मिला जिसमे तुम्हारी गतिविधियोकी पूरी सूचना थी। इसके साथ मिस लिनफोर्थके लिए एक पुर्जा[1] भेज रहा हूँ। यह हाथके बने कागजपर लिखा गया है, ऐसे कुछ कागज इस समय मेरे पास है।

मीराका पत्र तुम निश्चय ही अपनी बहनको भेज सकती हो। जब तुम उसे लिखो तो कृपया उसे मेरा प्यार भी लिख देना। जहाँतक मुझे याद आता है, उस पर मेरे एक पत्रका उत्तर बाकी है।

अपने कायके लिए हिन्दी सीखते हुए तुम्हे, मेरे खयालसे, अपनेको पुस्तकोमे बेकार गक नही करना चाहिए।

तुम्हारे कपासके बीज कैसे निकले, इसकी तुम्हे पूरी रिपोट देनी है।

मृत गायके मासका सदुपयोग उससे गो-वसा निकालनेके लिए किया जा सकता है, जो कई तरह काममे आ सकती है। उसकी हड्डिया खादके रूपमे काम आ सकती है।[3]

तुम्हारा पत्र मै जमनालालजी को भेज रहा हूँ।

सस्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०२८)से। सी० डब्ल्यू० ३३५७ से भी, सौजन्य एफ० मेरी बार।

१ देखिए "एक प्रार्थना", पृ० ४६०।

२ **बापू – कन्वर्सेशन्स ऐंड कॉरेस्पोंडेन्स**, पृ० ८९ पर मेरी बारने इसका यह स्पष्टीकरण दिया है "कपासके बीजोंका यह उल्लेख उन परीक्षणोंके सिलसिलेमें है जो मैं इस जिलेमें एक खास किस्मकी कपास उगानेके लिए कर रही थी। वैसी कपास यहाँ पहले कभी नही उगाई गई थी।"

३ "मृत गायके उपयोगकी यह सलाह किसी ग्रामवासीके लिए ही होगी, क्योंकि मेरे पास तो जीवित या मृत कोई गाय थी नही।" (वही)

४८९ पत्र: डॉ० बी० वी० मुलेको

१२ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

यह पत्र शोलापुर औषधालय-सम्बन्धी तुम्हारी शिकायतके उत्तरमे लिखे गये मेरे पत्रके सिलसिलेमे है। अब मुझे हरिजन-सेवक सघ, महाराष्ट्र बोडके सचिवका पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे मालूम होता है कि उक्त अनुदान ठक्करबापाके प्रत्येक वस्तुका निरीक्षण करने और उससे सन्तुष्ट हो जानेके बाद ही पास किया और दिया जा रहा था। इस स्थितिमे मै तुमसे यही कह सकता हूँ कि यदि तुम इस सिफारिशसे सन्तुष्ट नही हो, तो तुम्हे दिल्ली केन्द्रीय बोडके अध्यक्षको लिखना चाहिए। शायद तुम्हे मालूम हो, सघमे मेरी आधिकारिक हैसियत कुछ नही है। अत मेरा सम्बन्ध शुद्ध नैतिक सम्बन्ध है। बिरले मौकोपर ही मै बोडको अपनी सलाह देता हूँ। लेकिन इस प्रसगमे मुझे नही लगता कि मैने जो-कुछ कर दिया है, उसके आगे भी कुछ किया जाये।

हृदयसे तुम्हारा,

डॉ० बी० वी० मुले, एम० एस०
शोलापुर

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४९० पत्र· बी० जे० मराठेको

१२ सितम्बर, १९३४

प्रिय मराठे,

दिनाक ६ के मेरे पत्र[1] के उत्तरमे तुम्हारा तुरन्त पत्र मिला। अब मैने डॉ० मुलेको उपयुक्त पत्र[2] लिखा है।

अग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१ देखिए पृ० ४३८।
२ देखिए पिछला शीर्षक।

४९१ पत्र : सौदामिनी मेहताको

१२ सितम्बर, १९३४

चि० सौदामिनी,

तुम्हारा पत्र मिला।

तुम्हारा यह लिखना ठीक है कि मैं [1]के विषयमे जितना जानता हूँ, उतना ही यदि [2]के विषयमे जानूँ, तो मेरा मन्तव्य कदाचित् कुछ नरम पड जाये। मैंने जो-कुछ कहा था, [3]का अपने बचावमे वक्तव्य तथा [4]का विलाप पढनेपर कहा था। फिर भी, ऐसा हो सकता है कि सब पात्रोके निकट सम्पर्कमे आनेसे उनके दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट हो जाये। तात्पर्य यह हुआ कि किसीके कार्यकी आलोचना करना हो, तो बहुत गहरे उतरना पडता है। यह करना सरल नही है, इसलिए किसीकी आलोचना ही न करना स्वर्णिम मार्ग है। मैं यह मार्ग जानता हूँ। किसीकी आलोचना क्वचित् ही करता हूँ। यह ठीक है कि जिनके साथ कुछ सम्बन्ध होता है, उनके बारेमे उतावलीमे कुछ कह बैठता हूँ। अभी मुझमे इतना राग है। ऐसे सूक्ष्म राग इच्छा करने मात्रसे नही निकलते। प्रयत्न करनेसे ही धीरे-धीरे कम होते है।

[5]के विषयमे तुम्हे थोडा और लिखूँ। आज भी [6]के सिवाय अन्य बडे-बूढे उसके दूसरे विवाहके विरुद्ध है। मै यदि इसमे प्रोत्साहन न देता तो इस विवाहकी बात दब ही जाती। मेरा परिचय पहले [7]से हुआ। उसे देखते ही मुझे लगा कि यह लडकी घरबार चला ही नही सकती। [8]की विषय-वासना तृप्त करनेकी उसमे शक्ति ही नही है। मैंने उसके जीवनमे प्रवेश किया, उससे पहले वह [9]को देखकर काँपने लगती थी, किसी-से बात नही करती थी, उदास रहती थी। अब तो वह सबके साथ हिम्मतसे बात करती है, मजाक भी कर सकती है और अपने विचार खुलकर बताती है। [10]को लिखे उसके पत्र और [11]को लिखे [12]के पत्र वे दोनो मुझे पढनेको देते है। [13]की चिन्ताका विषय ही [14]का दूसरा विवाह न होना है। जबतक दूसरा विवाह नही होता, तब तक [15]अपनेको बडे-बूढो तथा [16]की ओरसे सुरक्षित नही मानती। सगे-सम्बन्धी उसे ताना देते है कि तू क्यो [17]को सन्तुष्ट नही कर सकती। दूसरी ओर स्नेहमयी होनेके कारण अपने-आपसे यह प्रश्न करके वह दुखी होती है कि मै क्यो [18]को तृप्त नही कर सकती?" तुम्हारी जानकारीमे ऐसा उदाहरण दूसरा नही होगा। तुम स्त्री-जातिकी हो, इसलिए स्त्रीके हृदयको मेरी अपेक्षा अधिक

१ से १८ नाम छोड दिये गये हैं।

जाननेका दावा अवश्य कर सकती हो। पर इसके विरुद्ध मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक वर्षोका अपना अनुभव रख सकता हूँ। पुरुष होते हुए भी निर्विकार होकर और निर्विकार बने रहकर, स्त्रीके हृदयमे प्रवेश करनेका मेरा प्रयास अनेक वर्षोसे चला आ रहा है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ग, धर्म और देशकी सैकडो स्त्रियोके जीवनसे मेरा गाढा परिचय है। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद है जिनमे पत्नीने अपने पतिसे दूसरा विवाह करनेका आग्रह किया हे। यह विशेषता केवल हिन्दू स्त्रीकी ही नही है। तुम्हे शायद आश्चय होगा कि ऐसे उदाहरण इग्लैडमे भी मिल जाते है।

कामका इतना वोझ होनेपर भी इतने विस्तारसे यह पत्र लिखनेमे हेतु है। तुमने इस काममे रुचि ली है, यह मुझे अच्छा लगा। [१] मेरे पीछे पडी ही थी। उसने भी अपना दु ख प्रकट किया था। मैंने उसे वचन दिया है कि वह चाहे तो मेरे पास स्त्रियोका शिष्टमण्डल लेकर आ सकती है। उसके सामने मैं यह मामला रखनेको तैयार हूँ। मेरे लिए यह धम की बात है, सत्यके प्रयोगोमे से एक है। मै जो-कुछ कर रहा हूँ, उसकी मुझे शम नही है। मै मित्रताके कारण विवश होकर इस मामलेमे नही पडा। स्त्री-जातिकी सेवाका यह एक अश है। [२]को मै गरीब गाय मानता हू। उसकी जितनी रक्षा हो सके, करनेकी इच्छा है। इसमे मुझे तुम बहनोकी मदद चाहिए। मतलब यह है कि यदि मै धमके बहाने अथवा किसी भी प्रकारके मोहमे पडकर अधमकी ओर जा रहा होऊँ, तो मुझे सावधान करके उससे बचा लो। इसलिए यदि तुम इस सम्बन्धमे अपनी यह रुचि बनाये रख सको, तो [३]से मिलकर और बात करके तुम दो चार बहने मेरे पास आ सकती हो। मै अपनी बात तुम्हारे सामने रखूगा। तुम्हारा जो-कुछ कहना होगा, सुनूगा। [४] और [५]को तो जो होना है, हो। ऐसी परिस्थितियाँ तो आती ही रहेगी। हिन्दुस्तानमे अनमेल जोडोकी कहाँ कमी है? मैंने [६]से कहा है कि जब उसका शरीर अवस्थाके अनुरूप विकसित होकर ठीक हो जायेगा और उसमे विषय-भोगकी लालसा उत्पन्न होगी, तब यदि वह दूसरा विवाह करना चाहेगी, तो मै चाहे जितने कष्ट उठाकर भी उसकी सहायता करनेको तैयार रहूँगा। [७] यदि दूसरा विवाह कर ले, और तब भी यदि [८] ही उसके साथ सम्बन्ध बनाये रखना चाहे और [९] भी राजी हो जाये, तब तो मै लाचार हो जाऊँगा। [१०] के पिताकी तो यही इच्छा है, कि [११] के दूसरा विवाह कर लेनेके बाद भी [१२] उसकी सगिनी बनी रहे। मेरा प्रयत्न इस परिस्थितिमे से दोनोका उद्धार करनेका है। इस मामलेमे बडी गुत्थियाँ है। इसका समाधान मिल जानेसे मेरी अनेक समस्याओका

१ से १२ नाम छोड दिये गये है।

समाधान हो जायेगा। इसलिए इस मामलेमे अपना समय लगानेमे मुझे सकोच नही होता।

हो सकता है, इस पत्रके द्वारा मै तुम्हारा बोझ बढा रहा हूँ। यदि तुम इस मामलेमे गहरे उतरना न चाहती हो तो इस पत्रका उत्तर देनेकी आवश्यकता नही है। ऐसा समझना कि यह पत्र तुम्हारे सन्तोषकी अपेक्षा मेरे सन्तोषके लिए अधिक लिखा गया है। लगता तो है कि मै धमको समझता हूँ, किन्तु मेरी समझमे भी भूल की गुँजाइश हो ही सकती है। इसीलिए जो कोई मेरी भूल मुझे बताता है, उसीसे चिपट जाता हूँ। ऐसा करके अनेक भूलोसे बच सका हूँ।

सौदामिनी गगनविहारी मेहता
कलकत्ता

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

४९२. पत्र . रामदास गाधीको

१२ सितम्बर, १९३४

[1] ईश्वर कल्याण करेगा। तुझे जिसका दास माना गया है, अर्थात् जिसे अपण करनेकी इच्छासे मैने तेरा यह नाम रखा है, उसके नामको जपता रह। यह अच्छी तरह समझ ले कि रामनाम ही रामबाण औषधि है। हृदयकी शान्ति उत्तमसे-उत्तम दवा है। जन्म, मृत्यु और व्याधिने किसे छोडा है? ये अवस्थाएँ शरीरके साथ लगी ही है। किन्तु जो समता धारण कर सकता है, उसे ये सभी अलग होते हुए भी समान ही लगेगी। [2]

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

१ और २ साधन-सूत्रमें स्थान खाली है।

४९३ रघुवीर नारायण सिंहको

१२ सितम्बर, १९३४

भाई चौधरीजी,

आपका पत्र मिला था। वरकिंग कमिटीके मिलनेतक उत्तर नही दिया। मेरा अभिप्राय तो यह हे कि किसी हालतमे हम रिहाईकी अरजी नही कर सकते है। लेकिन मै सुनता हुँ कि अरजी सिफ फारमले होगी। रिहाई दे देंगे। यदि बात सही हे ओर आपका दिल माने तो अरजी देना। यदि अरजी मजुर होनेके बारेमे कुछ सदेह हो तो किसी हालतमे अरजी न भेजी जाय। अभिप्राय यह भी है किसीकी अरजी नामजुर होगी तो सब अपनी अरजी खीच लेगे। पी० बी०के तरफसे ऐलानकी प्रतिक्षा की जाय।

चौधरी रघुवीर नारायण सिंह
हापुर

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

४९४ पत्र. हीरालाल शर्माको

१२ सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा पत्र मिला। चाबीओके बारेमे प्रभावती परका पत्र देखा।

बुखारका मुझे डर था ही। जो हुआ सो हुआ। मेरा ख्याल है इससे अच्छा ही होगा। दाक्तरोसे उसकी[1] दवाई करना योग्य ही था। धीरजसे काम लेना। दाक्तर लोग कहे वही किया जाय। तुम्हारे नस बनकर वे लोग जैसा कहे वही करना है। इसमे सब शुभ है। परिणामका स्वामी एक ईश्वर है। मुझे नित्य पत्र तुमारे तरफसे आना चाहिये।

इस वखत तो दक्षिण आफ्रिकाकी बात भी क्या करू। मै रास्ता साफ करनेकी कोशीश करता रहूँगा। आगे क्या होगा सो देखेंगे।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२-४८, पृ० ९३ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

१ रामदास गाधी, देखिए अगला शीर्षक भी।

४९५ पत्र . हीरालाल शर्माको

१३ सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

' दतून करके तुम्हारा पत्र पढ गया। कल पूरा नहि पढ सका था। ऐसे आजकल मेरे हाल हो गये है। कलके तारका तो उत्तर दे दिया है।[1] आज भी यही उत्तर है। धीरजसे काम करो। वहाँ से हट जाओगे तो रामदासका शरीर और बिगडेगा। यह तो यहाँ बैठे हुए मेरा अभिप्राय। सुरेन्द्र वहा है। वह जैसा कहे ऐसे किया जाय। मेरा अभिप्राय यह है तुमारे मूक नर्स बन जाना। दाक्तरोका अपमान भी सहन करे रामदास जहा तक खुश रहता है उसको साथ देना। जो बनता रहे मुझे बताते रहो। बा को सहन करो। जो वहा बन रहा है उस बारेमे मैने चेतावनी दी थी। कानुको अभी भी यहा भेज दिया जाये तो अच्छा है ही। लेकिन इन सब बातोमे सुरेन्द्रकी सुनो। मै यहाँ बैठे हुए कर्त्तव्य-मूढ हूँ।

मेरे कारण लोग भयभीत हो जाते है, यह मै जानता हू। क्या करू। इसी कारण मै काग्रेस छोडना चाहता हूँ। इसी कारण सबसे अलग रहना पसद करता हूँ। लेकिन यह सब बलात्कारसे नहि होगा। जैसे ईश्वर चाहता है ऐसे ही होगा। तुम्हारा अतिम बचन सवथा योग्य है। हिन्दुस्तानका अथवा एक मनुष्यके किस्मतका ठेका लेने वाला मैं कौन ?

ऐसा होते हुए भी रागादिके कारण मै अनजानपनमे भी भ्रममे पडता हूँगा।

सब कुछ देखते हुए यदि रामदासको छोडना ही पडे तो यहा होकर जाना। द्रौपदी और बच्चोका ख्याल यहाँ कर लेगे। मुझे भी उनकी चिता है ही। लेकिन किसी बातमे जल्दबाजी नही करेगें। भविष्यकी बात भी कर लेगे।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वर्ष, १९३२-४८, पृ० ९६-९७ के बीचकी प्रतिकृतिसे।

१ देखिए पृ० ४६१।

४९६ स्वदेशीपर कुछ और

१० अगस्तके 'हरिजन' मे 'स्वदेशी' पर मैने जो लिखा[1] था, उसी सिलसिलेमे कुछ और लिखना चाहता हूँ। हरिजनोके ही खास-खास धन्धे लीजिये। हरिजनोकी जो दो हजारसे ऊपर जातियाँ आज मौजद है, उनका कुछ मतलब जरूर है। बहुत-सी जातियोसे उनके अपने-अपने धन्धोका पता चल जाता है, जैसे टोकरी बनाना, झाडू बनाना, रस्सी भाँजना, दरी बुनना वगैरह। अगर एक पूरी फेहरिस्त बनाई जाये तो कामकी एक खासी लिस्ट तैयार हो जायेगी। ये सब धन्धे अगर फायदेके हो तो उन्हे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और फायदेके न हो तो उन्हे जान-बूझकर नष्ट कर देना चाहिए। पर इसका निणय कौन करे कि वे फायदेके है या नही, उपयोगी है या अनुपयोगी ? अगर एक सच्चा स्वदेशी सघ हो, तो वह इन तमाम अनगिनत दस्त-कारियोकी ठीक-ठीक जाच करे और इन कारीगरोमे दिलचस्पी ले। यह स्याही, जिससे मै लिखता हूँ, तेनाली (मद्रास) की बनी हुई है। इससे १२ आदमियोकी जीविका चल रही है। बडी कठिनाईसे किसी तरह वे इस कामको चलाये जा रहे है। मुख्तलिफ स्याही बनानेवालोने तीन और नमूने मेरे पास भेजे थे। इन सबका भी तेनालीवालोका-सा ही बुरा हाल है। मुझे उनका काम अच्छा लगा। मैने उनसे पत्र-व्यवहार किया। पर इससे अधिक मै उनके लिए और कुछ नही कर सका। स्वदेशी सघ हो तो वह वैज्ञानिक ढगपर इन स्याहियोकी जाँच-पडताल करे और जो सबसे अच्छी हो, उन्हे प्रोत्साहन दे। स्याहीका यह उद्योग है तो अच्छा और तरक्की भी कर रहा है, पर इसे अच्छे रासायनिक साधनोकी आवश्यकता है।

कानपुरमे उस दिन एक सज्जनने ऐसे कागजके कुछ नमूने मेरे पास भेजे थे जो उनके एक मित्र पास ही गाँवमे तैयार करते है। पूछताछ करनेपर मालूम हुआ कि इस कामसे करीब नौ आदमियोकी रोजी चल रही है। कागज था तो मजबूत और घुटा हुआ, पर लिखनेमे बहुत अच्छा नही था। इस काममे जो आदमी लगे हुए है, उनकी रोजी-भर बडी मुश्किलसे चल रही है। मौतके किनारे बैठा एक बूढा आदमी अपने हुनरसे उस गाँवमे यह काम चला रहा है। ठीक तरहसे अगर मदद न मिली, तो उस बूढेके साथ ही यह सारा काम समाप्त समझिये। मुझे बतलाया गया कि अगर काफी माँग हो तो कागज उसी भावपर दिया जा सकता है जिस भावपर मिलका बना कागज बिक रहा है। मै जानता हूँ कि हाथका बना देशी कागज नित्यप्रति बढती हुई कागजकी माँगको कभी पूरा नही कर सकता। पर सात लाख गाँवो और वहाँकी दस्तकारियोके भक्त, अगर आसानीसे मिल सके तो, हाथके बने कागजपर ही लिखना पसन्द करेगे। जो लोग हाथके

१ देखिए पृ० ३०८।११।

बने कागजको काममे लाते है, उन्हे यह मालूम है कि उसमे अपनी एक खास मनोहरता होती है। प्रसिद्ध अहमदाबादी कागजको कौन नही जानता? मिलका कागज अहमदाबादी कागजके टिकाऊपन और चिकनाहटका क्या मुकाबला करेगा!

पुराने ढगके सब बही-खाते अब भी उसी कागजके बनते है। पर दूसरी बहुत-सी ऐसी दस्तकारियोकी तरह सम्भवत यह उद्योग भी अब आखिरी साँस गिन रहा है। थोडा ही प्रोत्साहन मिलनेसे यह उद्योग मृत्यु-मुखमे जानेसे बच सकता है। अगर ठीक तरहसे देखभाल की जाये, तो बनानेकी रीतियोमे सुधार हो जाये और हाथके बने कागजमे जो दोष आज दिखाई देते है, वे आसानीसे दूर हो जाये। इन अप्रसिद्ध उद्योग-धन्धोमे जो बहुत-से आदमी लगे हुए है, उनकी आर्थिक अवस्थाकी भलीभाँति जाँच-पडताल न की जाये? इस काममे रस लेनेवाले लोग अगर उन्हे ठीक-ठीक राह दिखाये और कामकी सलाह दे, तो वे निश्चय ही उनकी बात मानेगे और उनके कृतज्ञ होगे।

आशा है, यह दिखानेके लिए मैने काफी उदाहरण दे दिए है कि सच्चे स्वदेशी का यह क्षेत्र कितना विशाल और अछूता पडा हुआ है। यह क्षेत्र बेहद विस्तृत किया जा सकता है, और इसमे ऐसी किसी खास लागत की भी जरूरत नही है। इससे देशकी सम्पत्ति बढेगी, और आज जो लोग बेकारीकी हालतमे भूखो मर रहे है, उन्हे एक प्रतिष्ठित रोजगार भी मिल जायेगा।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १४-९-१९३४

४९७ 'हरिजन' क्यो नहीं?

सेवामें

सम्पादक, 'हरिजन'

महोदय,

'हरिजन' (१० अगस्त, १९३४, पृष्ठ २०६, स्तम्भ २) में श्री महादेव देसाईने लिखा है कि "कुछ सज्जन, जो हरिजनोके अथवा 'दलितवर्ग'के प्रतिनिधि होनेका दावा कर रहे थे[1], गाधीजी से उस दिन मिलने आये थे।" यह देखकर मुझे कुछ दु:ख-सा हुआ कि श्री महादेव देसाईकी तीक्ष्ण बुद्धि उन लोगोके कहनेके वास्तविक अभिप्रायतक पहुँच नहीं सकी। 'दलित वर्ग' शब्दमें जो 'घृणित दुर्गन्ध' भरी हुई है, उसकी बदौलत उस वर्गमें जब जागृति पैदा होगी, तभी यह भेद-भाव समूल नष्ट होगा, और इसके परिणाम-स्वरूप समस्त हिन्दू-जातिका सामान्य एकीकरण और सगठन हो जायेगा। हम सब यह जानते है कि गाधीजी के इस महान और अद्वितीय प्रयासमें उनका

१ देखिए पृ० २२२-२३।

यही उद्देश्य है। किन्तु 'हरिजन' नामकी यह मिठास, सम्भव है, उनके और सवण हिन्दुओके बीचकी खाईको और भी विस्तृत कर दे, जो गाधीजी का निश्चय ही इरादा नहीं है। यह असली अभिप्राय श्री महादेव देसाईके ध्यानमें आ जाना चाहिए था। उन्होने इस सम्बन्धमें जो 'विचित्र' (क्यूरियस) विशेषणका प्रयोग किया है, वह ध्यान देने योग्य तो है ही, साथ ही खेदजनक भी है, क्योकि गाधीजी के एक अत्यन्त निकटके साथीकी लेखनीसे यह विशेषण लिखा गया है।

इस विषयमें मै इसलिए दिलचस्पी ले रहा हूँ कि मै खुद इस बृहत् वर्गका एक व्यक्ति हूँ। दूसरे लोग किस नाम या विशेषणका प्रयोग करते है, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। चिन्ता तो मुझे सिर्फ इतनी ही है कि हमारे विशाल हिन्दू-समाजमें इस बृहत् वर्गकी भावी स्थितिपर उसका कहाँतक प्रभाव पडेगा।

क्या आप कृपाकर यह पत्र श्री महादेव देसाईको दिखा देंगे?

आपका,
एच० के० मलिक

महादेवने यह पत्र मुझे दे दिया है। श्री मलिकको मै जानता हूँ। थोडे ही दिन पहले जब मै कलकत्ता गया था, तो वे मुझसे वहाँ मिले थे। उनकी इस हार्दिक भावनामे, और जबतक अस्पृश्यताका यह कलक कायम है तबतक इस दुर्गन्धयुक्त 'दलित' नामको कायम रखनेकी उनकी इच्छामे मै हिस्सेदार हो सकता हूँ। लेकिन मै श्री मलिकसे उन सुधारकोकी भावनाको महसूस करनेके लिए कहूँगा जिनके दिलमे अस्पृश्यता अब रही ही नही है और जिन्हे अब उन प्रिय जनोके लिए, जिनकी कि वे यथाशक्ति सेवा करना चाहते है, किसी हीन नामका प्रयोग करते भय लगता है। मै चाहता हूँ कि श्री मलिक उनकी भावनाको महसूस करे। फिर हजारो अस्पृश्योको 'अछूत', 'अस्पृश्य' आदि नाम पसन्द नही है, किन्तु यह 'हरिजन' नाम पसन्द है, इस बातको भी तो ध्यानमे रखना है। हम सबका ध्येय एक ही है और वह यह कि अस्पृश्यताको जडमूलसे नष्ट कर देना है। जब वह मगलमय दिन आयेगा, तब या तो 'हरिजन' शब्दका लोप हो जायेगा या फिर हम सभी 'हरिजन' अर्थात् हरिके भक्त कहलानेका गर्व अनुभव करेगे, और ऊँच-नीच भावका जहर हृदयसे निकालकर इस सुन्दर नामके योग्य अपने को बना लेगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-९-१९३४

४९८ तर्क नही, अनुभव

मेरी दृष्टिमे तो मेरी प्रत्येक प्रवृत्तिके लिए सत्यकी तरह अहिसा भी मेरा शाश्वत धम है। मनुष्येतर जीव-सृष्टिके प्रति अपने व्यवहारमे अनेक बार इस धमका जो मै पूण आचरण नही कर पाता, वह मेरी निर्बलता ही सिद्ध करता है, इससे अहिसा धमकी सत्यता अथवा मेरी तद्विषयक श्रद्धामे कमी नही आती, न आ सकती है। मै तो केवल एक दुबल साधक हूँ। सदा ठोकरपर ठोकर खाता रहता हूँ, तो भी निरन्तर ऊपर चढनेका यत्न करता रहता हू। मेरी निष्फलताएँ मुझे पहलेसे भी अधिक जाग्रत बनाती है और मेरी श्रद्धामे और भी अधिक शक्तिका सचार करती है। श्रद्धाकी दृष्टिसे मै यह देख सकता हूँ कि सत्य और अहिसाके द्विविध धमके पालनमे अमोघ शक्ति है और हमे उसकी बहुत ही स्वल्प-सी कल्पना है।

अगर हमे अपने जीवनके समस्त कायकलाप इन दोनो तत्वोसे व्याप्त करने है, तो अस्पृश्यताके विरुद्ध हमने जो शुद्ध धार्मिक युद्ध छेडा है, उसमे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। अतएव अमेरिकाके एक मित्रके लिखे पत्रका निम्नलिखित उद्धरण पाठकोके आगे रखते हुए मुझे हष होता है। इस पत्रमे मेरे अमेरिकी मित्रने इस बातका वणन करके कि उनकी मनोवत्तियाँ किस तरह काम कर रही है, अपने हृदयका भाव प्रकट किया है। उन्होने घोर मन्थनपूर्वक शोध करनेके उपरान्त अहिसाके विषयमे जो श्रद्धा — अभी स्यात् वह सम्पूर्ण नही कही जा सकती — प्राप्त की है उसे व्यक्त किया है।

> **आपके साथ अभी पिछली बार मेरी जो बातचीत हुई थी, उससे आपने यह समझा होगा कि अहिंसाके बारेमें मेरी जो आस्था थी उसे अब मैं गँवाता जा रहा हूँ। इस सिद्धान्तके सम्बन्धमें मुझे अनेक शकाओने परेशान कर रखा था और इसीसे मुझे आपके साथ बात करनेका इतना अधिक मन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी भारी नादानी थी, क्योकि मुझे यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए था कि महान नैतिक तथा आध्यात्मिक सत्य तर्कके द्वारा सिद्ध हो ही नहीं सकते। इन सत्योको तो अनुभवकी कसौटीपर कसना चाहिए। मैंने अपने जीवनको अभी ऐसी कठिन कसौटीपर कहाँ कसा है? मुझे ऐसा लगता है कि अहिंसाको अपने अनुभवसे शाश्वत धर्म सिद्ध करनेके लिए जितनी तपस्या मैंने आजतक की है, उससे कई गुनी अधिक अभी करनी चाहिए।**
>
> **किन्तु दूसरोके जीवनमें इसका जो परिपाक हुआ है, उसे मै देखता हूँ, और इसका जो फल हुआ है उसे भी मै देख सकता हूँ और उससे मैं इसे अपनी धर्म-श्रद्धाके एक महान अगके रूपमें अगीकार भी कर सकता हूँ। राजेन्द्र बाबू-जैसे पुरुषोके निकट ससर्गमें आना एक ऐसा सौभाग्य है जिसके लिए**

मनुष्यको भगवानका आभारी होना चाहिए। मैंने देखा है कि राजेन्द्र बाबू और दूसरे कुछ व्यक्ति, जिनका नाम मै बतला सकता हूँ और जिन्होने अपने जीवनकी पतवार अहिंसाके ही सहारे चलाई है, लोभ, मोह, स्वार्थ, द्वेष, भय आदिको दूर करके ही शुद्ध हो सके है। अनेक लोग दूरवर्ती प्रकाशमय भविष्यकी झीनी झाँकी तो कुछ-कुछ ले सकते है, पर अन्तरमें डेरा डाले हुए ये षड्रिपु उन्हे ऐसा सताते है कि वे बाह्य शत्रुओके सामने युद्धमें विजय-लाभ नहीं कर सकते। आपके विरोधियोपर अहिंसाका जो प्रभाव पडा है उसपर मै इतना अधिक मुग्ध नहीं हूँ, किन्तु आप और दूसरे मुट्ठी-भर मनुष्योपर, जिन्होने अहिसा-धर्मको अपने अन्तरमें उतारा है, इसका जो प्रभाव पडा है मेरा मन तो उसीपर मन्त्रमुग्ध है। मै मानता हूँ कि यह विश्व नीति-नियन्त्रित है। अत जिस प्रकार दिनके बाद रात आती है, उसी प्रकार यह भी स्पष्टत स्वयसिद्ध है कि चारित्र्यका ऐसा सुन्दर विकास असत्यके प्रयोगोसे हो ही नहीं सकता। और इसी तरह मै यह भी मानता हूँ कि ईसामसीहका यह वचन अन्तत सत्य ही है कि 'जो लोग तलवार उठायेंगे उनकी मौत तलवारसे ही होगी।'

[1] मेरा विश्वास है कि आपको अपने युद्धकी अन्तिम विजयके लिए एक ही गुणका उपयोग करनेकी जरूरत है, और वह गुण है धीरज।

[2] हिन्दुस्तानका आज आप जो नेतृत्व कर रहे है, उसके बारेमें तो मै इतना ही कहूँगा कि आपने नेतृत्वका यह गुण एक दिनमें विकसित नहीं किया, और न यह गुण आपका जन्मजात ही है। मै मानता हूँ कि आप सत्य-परायणताका दीर्घकालिक तप करके, लम्बे और कठिन अनुभवके परिणामस्वरूप ही अपने जीवनको इतना ऊँचा उठा सके है। भले ही यूरोपके लोगोको अहिंसा-पालनकी शिक्षा न मिली हो, पर मै यह नहीं मानता कि यूरोपमें मनुष्य-स्वभाव हिन्दुस्तानसे बिलकुल ही भिन्न होता है। इसलिए वे लोग भी आचरण द्वारा ही अहिंसा-धर्ममें निष्णात हो सकते है। इसमें अनेक बार निष्फलता होगी, अनेक बार हिम्मत टूटेगी, अनेक बार पराजय होगी। आपके भी जीवनमें यह सब हुआ है और अब भी हो रहा है। लेकिन अगर यह सत्य है, तो इस शाश्वत धर्मका त्याग तो किसी भी समय नहीं किया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-९-१९३४

१ और २ साधन सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।

४९९ प्राय: हरिजन-जैसा ही

एक आन्ध्र-निवासी ग्रेज्युएट, जिसने एक देवदासीके साथ ब्याह किया है, लिखता है

आपको पत्र लिखनेकी इच्छा तो बहुत दिनोसे थी, पर लिखते हुए मुझे अत्यन्त लज्जा लगती थी। ईश्वरका धन्यवाद कि आखिरकार आज मैंने अपना बोझ आपके आगे हल्का कर ही दिया।

मैं 'देवदासी-समाज' का हूँ, बस यही मेरा परिचय है। मेरा जीवन सामाजिक दृष्टिसे अत्यन्त वेदनापूर्ण है। महात्माजी! क्या आपके खयालमें नर्तकियोके पेशेसे भी बदतर पेशा दुनियामें कोई है? भारतवर्षके लिए क्या यह एक कलंककी बात नहीं है कि एक समूची ही जातिपर वेश्यावृत्तिकी छाप लगी रहे?

मेरे खयालमे हमारा आन्ध्र देश तो इस पापका जैसे गढ है। यहाँका हिन्दू-समाज, खासकर ब्याह-शादी और देवोत्सवके अवसरपर, देवताके सामने अश्लील गीत गवाने और गन्दे हावभाव दिखानेके लिए नर्तकियोको बुलाता है और इस तरह वह नव-विवाहित दम्पत्तिके आगे एक बहुत बुरा उदाहरण रखता है।

वेश्यावृत्तिका जीवन बितानेवाली इस देवदासी-जातिके दुःखोका कुछ पार नही। यहाँके नवयुवक इस पापको जडमूलसे उखाड फेंकनेका भरसक प्रयत्न कर तो रहे हैं, पर उन बेचारोका न कोई सहायक है, न पथ-प्रदर्शक। कृपाकर आप क्यो न इस आन्दोलनको हाथमे ले ले, जबकि यह हरिजन-आन्दोलनके जैसा ही है और उतना ही आवश्यक है? कृपया इस चीजको भी अपने दिलके एक कोनेमें हमेशा जगह दिये रहे और समय-समयपर इसे प्रकाशमें लाते रहे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सारा लोकमत आपके पीछे है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जो काम 'ब्राथल्स बिल' या भारतीय दण्ड-विधानके जरिए नहीं हो सकता, वह आपके एक शब्दसे ही हो जायेगा।

मैंने अपनी ही जातिकी एक देवदासीसे विवाह किया है, और हमारा यह विवाह कानून तथा धर्म दोनो ही दृष्टिसे जायज है। मेरी दो लडकियाँ भी है। मेरी पत्नी मेरी आँखोमें उतनी ही पवित्र है जितनी कि कोई हिन्दू स्त्री हो सकती है। फिर भी समाज तो हमें नीच ही समझता है। हमारे पुरखोके पाप हमसे बुरी तरह बदला ले रहे है। वेश्यावृत्तिका धब्बा तो हमारे ऊपर लगा ही है, यद्यपि हम-दोनो इस पापसे कोसो दूर है।

हरिजन और देवदासी, यही ऐसी दो जातियाँ है जो करीब-करीब एक समान नीच समझी जाती है। इसमें सन्देह नही कि अपनी नैतिक उन्नति उन्हे खुद ही करनी होगी। तो भी आप-जैसा गुरु उन्हे और उनके समाजको जितनी जल्दी सदाचारी बना सकेगा, उतनी जल्दी वे अपने-आप नहीं बन सकते। ये दोनो एक-से ही आन्दोलन है। हरिजनोके उत्थानके जोशमे कृपया इस गरीब देवदासी-जातिको न भूल जाइएगा।

क्या अच्छा होता कि ऐसी योग्यता मुझमे होती जैसीकि पत्र-लेखक बता रहा है। मुझे दु ख हे कि मुझमे वैसी योग्यता या क्षमता नही है, मुझे अपनी परिमित शक्तिका पता है। पत्र-लेखकको शायद यह पता नही हे कि जब मै 'यग इडिया'का सम्पादन करता था, मै बराबर देवदासी-प्रथा और वेश्यावृत्तिकी कुछ-न-कुछ चर्चा करता रहता था।[1] भले ही इससे कुछ व्यक्तियोका कष्ट दूर हुआ हो, पर मेरा प्रयत्न समाजके इस पापको निर्मूल नही कर सका। 'हरिजन'मे इस प्रश्नको अगर आज मै उठा रहा हूँ, तो इसका यह कारण नही कि 'यग इन्डिया'के दिनोकी अपेक्षा इस दिशामे मुझे अब कोई अधिक आशा हो गई है। मगर इस नये प्रयत्नसे कुछ व्यक्तियोका कष्ट अगर दूर हो गया तो प्रसन्नता तो मुझे होगी ही।

देवदासियोकी हरिजनोके साथ लेखकने जो समानता दिखलाई है, वह बिलकुल ठीक है। तो भी इन दोनोके बीच जो अन्तर है उसे तो उसने देखा ही होगा। पर उनके दुर्भाग्यमे कितना-क्या अन्तर है, इसे बतलानेमे क्यो समय नष्ट किया जाये। अगर हिन्दू-धमकी शुद्धि करनी है, तो अस्पश्यताकी तरह इस पापपूण देवदासी-प्रथा को भी नष्ट करना ही होगा। समाजको इस पापसे मुक्त करनेके सत्कार्यमे जो लोग लगे हुए है, उन्हे एक करीनेसे, सही ढगमे काम करना चाहिए, और अगर अपने प्रयत्नमे उन्हे तत्काल सफलता न मिले तो इससे उन्हे हताश नही होना चाहिए। तात्कालिक कत्तव्य तो उनका यह होना चाहिए कि पहले अपने निकटकी बुराईको ही दूर करनेका एकाग्र होकर प्रयत्न करे। काम करनेके दो तरीके है। एक तो उनके बीचमे काम होना चाहिए जो अपनी नीच वासना पूरी करनेके लिए देवदासियोको ब्याह-शादियो और देवोत्सवोपर बुलाते है, और दूसरा रास्ता यह है कि खुद देवदासी-समाजके अन्दर काम किया जाये। अगर देवदासियाँ समाजके इस पापमे भाग लेना बन्द कर दे तो इस पाप-प्रथाका उसी क्षण अन्त हो जाये। पर यह बात ऐसी सरल है नही। 'बुभुक्षित किन्न करोति पापम?' भूख पापका खयाल नही रखती। गुरु द्रोण और भीष्म पितामहकी तरह ये देवदासियाँ भी पाप-कृत्यके समर्थनमे उदरपोषणकी ही दलील देगी। उनकी प्रकृति ही अब ऐसी बन गई है कि उन्हे अपने पेशेमे कोई पाप दिखाई नही देता। इसलिए वेश्यावृत्तिकी जगह उनके लिए आजीविकाका कोई अन्य शुद्ध साधन ढूँढना होगा। फिर समाजके अन्दर जाकर काम करना है। देवोत्सवो तथा ब्याह-शादियोके व्यवस्थापकोको दलीले दे-देकर समझाना होगा। आदेश देनेके ढगसे तो समाजमे सुधार कभी होनेका नही। सुधारकोको तो

१ देखिए खण्ड २१, पृ० १०८१०, खण्ड २६, पृ० ५०८१०, और खण्ड ४१, पृ० ३८१-८२।

समाजकी बुद्धि और हृदयका स्पश करना होगा। एक तरीकेसे, सभी सुधार एक प्रकारके शिक्षण है, और सामान्य शिक्षाकी तरह ये सुधार भी उतने ही आवश्यक है। इसलिए सुधार स्वय एक शास्त्र है, और वह तभी सफल होता है जब नियमपूर्वक दत्तचित होकर उसका उपयोग किया जाता है।

एक देवदासीका पाणिग्रहण करके लेखकने जो साहसका काम किया है, इसके लिए वह बधाईका पात्र है। अपनी अन्तरात्माकी स्वीकृतिपर उसे सन्तोष करना चाहिए, और उसके तथा उसकी पत्नीके प्रति लोगोकी जो तिरस्कारपूर्ण भावना है उसको उसे पी जाना चाहिए।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १४-९-१९३४

५०० तार मीराबहनको

१४ सितम्बर, १९३४

मीराबहन
द्वारा कैलॉफ[1]
लन्दन

यदि कमलानी आना चाहे तो उसे अपने साथ लेती आओ। यदि हो सके तो एन्ड्रयूजके आनेतक, यानी बीस अक्तूबर तक ठहरो। सस्नेह।

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९८) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६४ से भी।

५०१ पत्र नारणदास गाधीको

१४ सितम्बर, १९३४

यह ठीक है न?[2]

किन्तु मै धूलियासे इस रकमका थोडा-बहुत भाग पानेकी उम्मीद रखता हूँ। यदि मिला तो उसे गोसेवा सघके हिसाबमे जमा करा दूगा। फिर भी पारनेरकरका बोझ तो गोसेवा सघको ही उठाना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। मेरा यह खयाल ठीक है या नही, इसके विषयमे लिखना।

मै सेठ मथुरादासको लिख रहा हूँ।

१ वर्ण विपर्यय द्वारा पोलकका यह दूसरा नाम बनाया गया है।
२ इस पत्रके आरम्भकी लगभग दस पक्तियाँ हरी स्याहीसे लिखी गई थी, जो बिल्कुल उड गई है।

लीलावतीके नाम मेरा पत्र पढ लेना और उसे दे देना। चिमनलालके विषयमे मै लिख ही चुका हूँ। मै उसी रायपर दृढ हूँ।

रामदासको साबरमतीमे मलेरिया हो गया था, अब अच्छा है।

कनुके अन्तिम पत्रसे मैने जाना कि उसे वहाँ पूर्ण सन्तोष है। यदि वह मेरे पास आना चाहे तो यह पत्र मिलते ही उसे रवाना कर सकते हो। किन्तु वह मेरे पास आकर क्या पायेगा? पढाईमे पिछड जायेगा। यहाँ तो पसीना टपकाना ही हे, कोई कामसे सिर उठा पाये, इतना समय भी नही है। यदि इसीको पढाई मानकर सन्तुष्ट रहे तो अवश्य आये। स्वय अनुभव करके ही देख लेना चाहता हो कि यहाँ क्या हालत है, तो इसमे मै कोई हर्ज नही मानता। बाल थक गया। कान्ति सोच-समझकर आया ही नही। पृथुराज जानेकी तैयारी कर रहा है। इन सबके आधारपर मैने यह अनुमान लगाया है कि कोई ऐसा ही आदमी मेरे साथ निभ सकता है जो पढ-लिखकर तृप्त हो गया हो। कनुके विषयमे अन्यथा सिद्ध हो तो मुझे अच्छा लगेगा। जवान लोग मुझे छोडकर भाग जाते है, इसे मै अपनी ही कमी मानता हूँ। फिर भी मै ठीक नही समझ पाया हूँ कि वे ऐसा क्यो करते है।

जन्मदिनके अवसरपर मेरे अनेक आशीर्वाद लो। इसमे सरदारके भी है, वे मेरे पास बैठे है।

[1] बिलकुल निरथक व्यक्ति सिद्ध हुआ। विषयसेवन करता रहा और झूठ भी बोलता रहा। मैने जिसके विषयमे इतनी ऊँची राय बनायी थी, वह उसका मात्र पाखण्ड था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१४ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी।

५०२. पत्र : जमनाबहन गांधीको

१४ सितम्बर, १९३४

चि० जमना,

तेरा पत्र मिला। समत्व सिखानेसे कोई नही सीखता। वह तो सावधान रहकर आचरणसे प्राप्त होता है। तू जैसे-तैसे काम करती रहे, इसके बजाय थोडा पैसा खर्च करके एक ऐसा नौकर रख लेना अच्छा है जिसे कुटुम्बी माना जा सके। देवभाई पर कोई बोझ नही डालना चाहिए। सन्तोकको लेकर कुछ असन्तोष दिखाई देता है। यह उसपर जाहिर कर देना चाहिए और फिर स्वय सहना चाहिए। यह भी

१ साधन सूत्रमें नाम छोड दिया गया है।

नौकर रखकर किया जा सकता है। 'गीता' का वचन है कि जो अपरिहार्य है, उसे बर्दाश्त करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

५०३. पत्र : आत्मारामको

१४ सितम्बर, १९३४

भाई आत्माराम,

आपके पत्रका उत्तर इस प्रकार है। मै जैसे-जैसे गहराईसे देखता हूँ, मुझे बलवन्तराय अधिक निर्दोष दिखाई देते है। मुझे यह ठीक नही लगता कि आप अपने मित्रके विषयमे शका करे। आपको अभीतक शका बनी हो तो आपका भाई बलवन्तरायसे मिल लेना अच्छा होगा। मै तो अब उन्हे अधिक लिखकर चोट नही पहुँचाऊँगा। मैने यह देखा है कि आपके स्वभावमे अतिशयोक्ति और सन्देहशीलता है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

५०४ पत्र : . को[1]

१४ सितम्बर, १९३४

चि०

तुमारा खत मिला है। तुमारे नासीपास[2] नही होना। इतना निश्चय कर लो कि जबतक योग्य लडकी नही मिलेगी तबतक तुमारे सयमका ही पालन करना है। हारना नही।

कलकत्ता

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई।

१ नाम नही दिया जा रहा है।

२ निराश।

५०५ पत्र जी० वी० मावलकरको

१५ सितम्बर, १९३४

भाई श्री मावलकर,

आपका पत्र मिला।

विद्यापीठके पुस्तकालयका काकासाहबके गुजरात छोडनेके साथ कोई सम्बन्ध नही है। विद्यापीठका पुस्तकालय दे देनेका अधिकार यदि मोलिक ट्रस्टियोको नही था, तब यदि सारे सवसम्मतिसे उसका दान कर दे, तब भी वह गैर-कानूनी ही रहेगा। किन्तु यदि आपका यह मन्तव्य हो कि ट्रस्टियोको दान करनेका अधिकार था, तो, मै समझता हूँ, काकाने जो दूसरी भूल की हे, उसके सम्बन्धमे सरदार कुछ नही करना चाहेगे। वे स्वय एक ट्रस्टी है, इसलिए अपना कत्तव्य-मात्र समझ लेना चाहते है। इस विषयमे मुझे कुछ कहने-जैसा नही लगता। किन्तु इस वायदेसे यदि काका अनभिज्ञ रहे हो, तो मै तो काकाको दोष नही दूगा।

काकासे बडी भूल तो, फिर चाहे वह बिलकुल अनजानेमे हुई हो, यह हुई कि उन्होने ट्रस्टियोकी मजूरी लिये बिना ही कलेक्टरको लिखे पत्र[1] मे यह वाक्य रहने दिया कि मजूरी ले ली गई है। इस असावधानीके लिए काकाने सब ट्रस्टोसे अलग हो जाना ठीक समझा। सरदारको इसमे कुछ लेना नही था।

किन्तु काकाने जो इस्तीफा दे दिया, उससे उनकी नैतिक समस्या ही हल हुई। उसका उनके गुजरातमे रहने अथवा न रहनेके साथ कोई भी सम्बन्ध नही है। गुजरातसे जानेकी उनकी इच्छा बहुत समयसे है। यहाँ उसके कारणकी गहराईमे जानेकी जरूरत नही है। किन्तु काका गुजरात छोडे या न छोडे, इसका निणय तो अन्तत मुझे करना है। उसके साथ सरदारका कोई सम्बन्ध नही है। मै काकाको भागने नही दूगा। मै लाचार हो जाऊँगा, तभी वे जायेगे। किन्तु आप और अन्य साथी निश्चिन्त तथा निभय रहे।

आप वकील होनेके नाते केवल अपना कानूनी फैसला दीजिए।

बापूके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२३९) से। एस० एन० २२८५५ से भी।

१ इसका मसौदा गाधीजीने तैयार किया था, देखिए खण्ड ५५, अवशिष्टाश, पृ० ४८२। देखिए पृ० २७७-७८ और ३५८५९ भी।

अवशिष्टांश

१. पत्र : सरिताको

३१ मई, १९३४

चि० सरिता,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे लिखा, यह बहुत अच्छा किया। डॉ० [हीरालाल] शर्माका उपचार करा रही हो, यह बात मुझे अच्छी लगती है। कराती रहना। नीमूके साथ रहनेमें कोई दोष माननेका कारण नहीं है। हम लोगोको यह अन्धविश्वास पालनेकी आवश्यकता नहीं। जो माँ-बाप लालची होनेके कारण अपनी लडकीको गढेमे हर कही धकेल देते थे, उनके लिए अपनी लडकीके यहाँ पानी भी न पीनेका रिवाज ठीक था। किन्तु वे लोग भी अपना धन्धा तो छोडते नही थे।[1] इसके सिवा तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध आजका नहीं है। अमृतलालके समयसे चला आ रहा है। इसलिए रामदासके साथ रहनेमें लेशमात्र भी सकोच न करना।

तथापि, यदि डॉ० शर्माके साथ रहनेसे तुम्हारा उपचार ज्यादा व्यवस्थित ढगसे हो सकता हो, तो अवश्य उसके साथ रहने लगना।

पत्र लिखना शुरू किया है तो अब लिखती रहना।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ११५२८) से।

२ पत्र . काशीप्रसाद दीक्षितको

२५ जून, १९३४

भाई काशीप्रसाद,

तुमारा खत मिला है। बगैर दूसरे पक्षकी बात सुने हुए मै क्या कह सकता हू? टडनजी जानबुझकर किसीको अन्याय करे ऐसा मैंने कभी नहिं पाया है।

मो० क० गाधीके आशीर्वाद

मूल सी० डब्ल्यू० ३०७० से, सौजन्य काशीप्रसाद दीक्षित, जी० एन० ५८७४ से भी।

१ वाक्यका अर्थ मूलमें अस्पष्ट है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट – १

श्वेत-पत्र एव साम्प्रदायिक परिनिर्णय-सम्बन्धी प्रस्ताव[1]

श्वेत-पत्रके सुझावो तथा साम्प्रदायिक परिनिर्णयके बारेमे काग्रेसकी नीतिपर कार्य-समितिका जो प्रस्ताव है, उसकी अधिकृत रिपोर्ट निम्नलिखित है

काग्रेस ससदीय बोडने कार्य-समितिसे श्वेत-पत्रके सुझावो तथा साम्प्रदायिक परि-निर्णयके बारेमे काग्रेसकी नीति घोषित करनेके लिए कहा है, इसलिए काय-समिति घोषित करती है कि इन विषयोपर काग्रेसकी नीति निम्न है

> श्वेत-पत्र किसी भी तरह भारतकी जनताकी इच्छा व्यक्त नही करता, प्राय सभी भारतीय राजनैतिक दलोने, कमोबेश, इसकी निन्दा की है, और अगर यह काग्रेसके लक्ष्यकी ओर बढनेमे बाधक नही तो उससे बहुत कम तो है ही। श्वेत-पत्रका एकमात्र सन्तोषप्रद विकल्प है, सविधान सभा द्वारा तैयार किया गया सविधान। उस सविधान सभाका चुनाव बालिग मता-धिकारके आधारपर अथवा उससे यथासम्भव मिलते-जुलते आधारपर हो और यदि आवश्यक हो तो प्रमुख अल्पसख्यक वर्गोके प्रतिनिधि केवल उन वर्गोके मतदाताओ द्वारा ही चुने जाये।
>
> श्वेत-पत्रके समाप्त होनेपर, साम्प्रदायिक परिनिर्णय निश्चित रूपसे स्वयमेव समाप्त हो जाना चाहिए। अन्य बातोके अलावा, सविधान सभाका यह भी दायित्व होगा कि वह प्रमुख अल्पसख्यक वर्गोके प्रतिनिधित्वकी पद्धति निश्चित करे और, अन्य प्रकारसे भी, उनके हितोकी रक्षा की व्यवस्था करे।
>
> परन्तु चूकि देशके विभिन्न सम्प्रदायोमे साम्प्रदायिक परिनिणयके प्रश्नपर तीव्र मतभेद है, इसलिए उसके बारेमे काग्रेसके दृष्टिकोणको स्पष्ट करना आवश्यक है। काग्रेस दावा करती है कि वह भारत राष्ट्रके सभी सम्प्रदायोका समान रूपसे प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए, विचार-विभेदको देखते हुए, साम्प्रदायिक परिनिर्णय को विचार-विभेद बने रहनेतक न तो स्वीकार ही कर सकती है, न अस्वीकार ही। साथ ही साम्प्रदायिक प्रश्नपर काग्रेसकी नीति पुन घोषित करना आवश्यक है।
>
> काग्रेस कोई भी ऐसा समाधान जो पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, प्रस्तुत नही कर सकती। लेकिन काग्रेस ऐसे किसी भी समाधानको, जो राष्ट्रीय समाधानसे

१ देखिए, पृ० ८४, २६७९ और ३३५।

कम होते हुए भी सभी सम्बन्धित पक्षोको स्वीकार हो, स्वीकार करनेके लिए वचनबद्ध है और इसके विपरीत, वह ऐसे किसी भी समाधानको, जो कथित पक्षोमे से एकको भी स्वीकार न हो, अस्वीकार करनेके लिए वचनबद्ध है।

अन्य आधारोपर गम्भीर आपत्तियाँ होनेके अलावा, साम्प्रदायिक परिनिर्णय राष्ट्रीय मानदण्डपर परखनेपर भी सर्वथा असन्तोषप्रद है।

फिर भी, यह तो स्पष्ट ही हे कि इस साम्प्रदायिक परिनिणयके दुष्परिणामोको रोकनेका एकमात्र माग, एक सर्वसम्मत समाधानके लिए रास्ता और उपाय ढूढना है, इस मूलत घरेलू प्रश्नपर ब्रिटिश सरकार या किसी और बाह्य शक्तिसे अपील नही करनी है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-६-१९३४

परिशिष्ट – २

एन० सी० केलकरका पत्र[1]

'केसरी' कार्यालय,
पूना – २
२२ जून, १९३४

प्रिय महात्माजी,

भारतीय रियासतोकी जनता कुछ ऐसे विषयोपर, जिनसे वह स्वय प्रभावित होती है, आपके व्यक्तिगत विचार जानना चाहती है, ताकि हम काग्रेससे यह कह सके कि वह, आपके विचारके प्रकाशमे, कुछ मसलोपर अपनी नीति और भी स्पष्ट रूपमे निर्धारित करने तथा कुछपर उसे थोडा बदलनेकी वाछनीयतापर विचार करे।

इस सिलसिलेमे पहला प्रश्न, जिसकी ओर हम अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेगे, यह है कि यह जरूरी हे कि काग्रेस रियासतोसे सम्बन्धित समस्याओको सुलझानेका काम अपने हाथमे ले। रियासतोसे "अपनेको बेदाग रखने" की अपनी परम्परागत नीति काग्रेसने अब छोड दी है। वह रियासतोसे अपने सदस्य भर्ती करती है और उन्हे अपनी जिला और प्रान्तीय समितियोके नियन्त्रणमे लाती है। इस तरह रियासतोसे जो शक्ति उसे मिली है, वह किसी भी तरह नगण्य नही है, और न ही ये सदस्य काग्रेसकी गतिविधियोके सुप्त हिस्सेदार है, हालाकि ये गतिविधियाँ मुख्यतया केवल ब्रिटिश भारतसे ही सम्बन्धित रही है। सविनय अवज्ञा-जैसे आन्दोलनोतक मे ये सदस्य अच्छे सहकर्मी साबित हुए है और इन्होने अपनी जिम्मेदारी हँसी-खुशीसे निभाई है, क्योकि इन्होने यह समझ लिया है कि ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत वस्तुत एक और अविभाज्य है तथा जो समस्याएँ एककी है, वे दूसरेकी भी है।

1. देखिए पृ० १३९-४०।

हम समझते हैं कि अब वह समय आ गया है जब काग्रेसको, रियासतोकी जनता द्वारा प्रदर्शित सुसहयोगकी भावनाका उत्तर देते हुए, अपनी सारी शक्ति और प्रतिष्ठा उसके आत्मोद्धारके प्रयत्नोके पीछे लगा देनी चाहिए। निस्सन्देह, मद्रास (१९२७) और कलकत्ता (१९२८) के अधिवेशनोमे काग्रेसने भारतीय रियासतोमे लोकतान्त्रिक स्वराज्यकी स्थापनाके लिए वकालत की थी और वहाँके निवासियोंके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई थी। कलकत्ताके प्रस्तावको यहाँपर विस्तारपूर्वक उद्धृत करना उपयोगी होगा

> काग्रेस भारतीय रियासतोके शासक नरेशोसे अनुरोध करती है कि वे रियासतोमे प्रतिनिधि सस्थाओके आधारपर उत्तरदायी सरकार स्थापित करे, और सगठनके अधिकार, भाषणकी स्वतन्त्रता, समाचारपत्रोकी स्वतन्त्रता और जान और मालकी सुरक्षा-जैसे प्राथमिक और मौलिक नागरिक अधिकारोकी व्यवस्था शीघ्र ही अध्यादेश जारी करके या कानून बनाकर करे।
>
> भारतीय रियासतोकी जनताको काग्रेस यह भी आश्वासन देती है कि रियासतोमे उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए उसका जो वैध और शान्ति-पूण सघर्ष है, वह उससे सहानुभूति रखती है और उसका समर्थन करती है।

हमे इसमे कोई सन्देह नही है कि आगे भी जो अधिवेशन होगे, उनमे इसी प्रकारके प्रस्ताव दोहराये जायेगे। लेकिन क्या हम ऐसी आशा नही कर सकते कि जिस प्रकार भारतीय रियासतोके काग्रेसियोने ब्रिटिश भारतके लोगोको उनके लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नोमे कुछ सहायता दी है, उसी प्रकार ब्रिटिश भारतके काग्रेसी भारतीय रियासतोकी जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रताकी प्राप्तिमे सक्रिय सहायता देगे? ब्रिटिश भारतके लोग बहुत अधिक प्रगति कर चुके है, लेकिन वास्तवमे ब्रिटिश भारतके लोगोने रियासतोकी जनताको जितनी सहायता दी है, उससे बहुत अधिक सहायता रियासतोकी जनताने ब्रिटिश भारतके लोगोको दी है। क्या आप काग्रेसके नामपर ब्रिटिश भारतके लोगोको यह सुझाव देना उचित नही समझते कि वे भारतीय रिया-सतोमे उनके शासकोके सरक्षणमे लोकप्रिय सरकार स्थापित करनेके लिए चल रहे सभी वैध आन्दोलनोको अपनी सक्रिय सहायता दे और, यदि जरूरत पडे तो उसके लिए कष्टतक सहे? हमे लगता है कि किसी औपचारिक सघकी अपेक्षा दोनो पक्षोके ऐसा सहयोग दिखानेसे दोनो भारतमे कही अधिक दृढ एकता स्थापित होगी।

एक और भी अधिक आवश्यक प्रश्न, जिसपर काग्रेसको अपनी नीति निश्चित रूपसे निर्धारित करनी है, यह है कि श्वेत-पत्र योजनाके उन अशोके बारेमे, जो भारतीय रियासतोसे सम्बन्धित हैं, उसका रुख क्या हो। काग्रेसके अधिकारियोने घोषणा की है कि चूकि योजना भारतीय जनताकी आकाक्षाओको पूरा नही करती, अत वह अस्वीकार्य है। क्या हम यह कह सकते है कि रियासतोसे सम्बन्धित व्यवस्थाएँ तो रियासतोकी जनताको और भी अधिक अस्वीकार्य है, और क्या हम आशा करे कि उन व्यवस्थाओकी वस्तुत स्वीकृति या अस्वीकृति जनताकी इच्छाओके आधारपर की जायेगी? काग्रेसके इरादेके अनुसार, भारतका भावी सविधान, जो श्वेत-पत्रके

सविधानकी जगह लेगा, आत्म-निणयके सिद्धान्तपर आधारित होगा, जिसे एक सविधान-सभा कार्यान्वित करेगी। क्या इसका अथ यह हे कि इस सभा द्वारा सघकी जो योजना तैयार की जायेगी, वह ब्रिटिश भारतकी जनता और भारतीय रियासतोकी जनताके आपसी समझौतेका परिणाम होगी?

इस विषयकी चर्चा करते हुए यह उचित होगा कि गोलमेज सम्मेलनमे दिये गये आपके भाषणोके कुछ अशोसे भारतीय रियासतोकी जनताके मनमे जो आशकाएँ पैदा हो गई है, उनका भी जिक्र किया जाये। इस सम्मेलनमे आपने भारतीय रियासतोके शासकोके समक्ष गम्भीरतापूर्वक यह प्रतिपादित किया था कि वे सघीय विधानसभाके लिए, रियासतोके प्रतिनिधियोका चयन मतदान द्वारा होने दे तथा रियासतोकी जनताके मौलिक अधिकारोको सघीय सविधानमे लिखे जाने और उन्हे सघीय न्यायालयकी सुरक्षामे रखने दे। लेकिन उस अवसरपर आपके प्रतिपादनसे ऐसी धारणा बनी है कि यदि नरेश उससे सहमत नही हुए, जैसाकि वे न हुए और न है, तो आप एक ऐसा सविधान भी स्वीकार कर लेगे जिसमे आपकी सुझाई हुई व्यवस्थाओके लिए कोई स्थान न हो। यदि यह धारणा सही है तो हम यह कहे बिना, और साफ-साफ कहे बिना, नही रह सकते कि आपने रियासतोकी जनताके साथ भारी बेइन्साफी की है। उदाहरणके लिए, यदि आप सोचते है कि वतमान परिस्थितियोमे, यदि अवश्यक हो तो, नरेशो द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियोको अवश्य ही स्वीकार कर लिया जाये, तो हम आपसे यही प्रार्थना करेगे कि इस सम्बन्धमे रियासतोकी जनताकी क्या इच्छा है, यह जाननेके लिए इस विषयको आप उसीके आगे रखे। भारतीय रियासतोकी जनताका आत्म-निर्णयका अधिकार ब्रिटिश भारतके लोगोके आत्म-निर्णयके अधिकारसे कम पवित्र नही है।

लेकिन हमे बताया गया है कि रियासतोके प्रतिनिधियोके चुनाव तथा रियासतोकी जनताके मौलिक अधिकारोकी सुरक्षाके पक्षमे आपने अपने विचार जिस प्रकार व्यक्त किये, उससे आप रियासतोके शासकोको यह बताना चाहते थे कि यदि वे आपके अनुरोधसे सहमत नही हुए तो आप उन्हे सघमे सम्मिलित नही करेगे। आपने इन्हे सघकी आवश्यक शत माना था, परन्तु आपने ऐसा साफ-साफ नही कहा था, क्योकि उस समयतक सघ अनिश्चितताके गर्तमे था। यदि आपके कहनेका अथ यही है तो हम आपसे निवेदन करते है कि आप इसे इस तरह स्पष्ट करे कि किसी सन्देहकी कोई गुँजाइश ही न रहे, क्योकि रियासतोके शासक, आपने जो-कुछ कहा था, उसकी दूसरी ही व्याख्या कर रहे है। उदाहरणार्थ, उनका कहना हे कि आप नरेशो द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियोको अनिश्चित अवधितक सहन करनेको तैयार है। आपके अभिप्रायको स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योकि राँचीमे हुए स्वराज्यवादियोके सम्मेलनमे यह बताया गया है कि उनकी पार्टी (जो अब काग्रेसकी एक शाखा मात्र है) भावी सविधानके निर्माणमे आपके भाषणोका अनुसरण करेगी। काग्रेसकी नीतिको अन्तिम रूपसे निश्चित करनेमे आपके व्यक्तिगत विचार बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करते है। इसलिए हम यह जाननेको उत्सुक है कि आपके विचारमें रियासतोके लोगो

का चुनाव तथा उनके हितार्थ की गई अधिकारोकी घोषणा सघकी महज वाछनीय विशेषताएँ है या उसकी आवश्यक शर्तें। सघीय सविधानसे सम्बन्धित और कितनी ही बाते है जिनपर काग्रेसको सावधानीसे विचार करनेकी आवश्यकता है। लेकिन अभी हम उनको लेकर आपको परेशान करना नही चाहते। हमारी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि इस पत्रमे उठाये गये विषयोपर आप अपने विचार हमे साफ-साफ बताये।

हृदयसे आपका,
(ह०) एन० सी० केलकर एव अन्य लोग

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-७-१९३४

परिशिष्ट – ३

स्वदेशी विषयक प्रस्ताव[1]

स्वदेशी-सम्बन्धी काग्रेस-नीतिके बारेमे सन्देह पैदा हो जानेसे, इस विषयपर काग्रेस-नीतिकी स्पष्ट शब्दोमे अभिपुष्टि आवश्यक हो गयी है।

सत्याग्रह-सघषके दिनोमे जो भी कुछ किया गया, उसके बावजूद, काग्रेस-मच पर और काग्रेस प्रदर्शनियोमे मिलके बने कपडे और हाथसे कती व हाथसे बुनी खादीके बीच प्रतिस्पर्धाकी अनुमति नही है। काग्रेसियोसे आशा की जाती है कि वे दूसरे कपडोको छोडकर हाथसे कती व हाथसे बुनी खादीका उपयोग करे तथा उसके उपयोगको बढावा दे।

कपडेके अलावा अन्य वस्तुओके सम्बन्धमे कार्य-समिति काग्रेसकी सभी सस्थाओके पथ-प्रदर्शनार्थ निम्न नियम स्वीकार करती है

काय-समितिकी यह राय है कि काग्रेस-सस्थाओकी स्वदेशी-सम्बन्धी गतिविधियाँ उन उपयोगी वस्तुओतक ही सीमित रहेगी जिनका निर्माण भारतमे कुटीर और अन्य लघु उद्योगो द्वारा होता है, जिनके प्रोत्साहनके लिए लोगोको शिक्षित करना आवश्यक है और जो मूल्योके निर्धारण एव अपने अधीन मजदूरोकी मजदूरी एव कल्याणके मामलोमे काग्रेस-सस्थाओका पथ-प्रदशन स्वीकार करेगे।

इस नियमका अथ यह हरगिज नही लगाना चाहिए कि देशमे स्वदेशीकी भावनाको बढाने और केवल स्वदेशी वस्तुओके ही उपयोगको बढावा देनेकी काग्रेसकी अटूट नीतिमे कोई परिवर्तन किया गया है। यह नियम तो इस तथ्यकी स्वीकारोक्ति है कि बडे और सगठित उद्योगोको, जो सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है या कर रहे है, काग्रेस-सस्थाओकी सेवा अथवा काग्रेसके किसी प्रयासकी कोई आवश्यकता नही है।

[अग्रेजीसे]
दि हिस्ट्री ऑफ दि इडियन नेशनल काग्रेस, भाग १, पृष्ठ ५७६-७७

१ देखिए, पृ० ३०० १ तथा ३०८ १०।

परिशिष्ट – ४

अनुशासनपर प्रस्ताव[1]

सभी कांग्रेसियोसे, चाहे वे कांग्रेसके कार्यक्रम और नीतियोमे विश्वास रखते हो या नही, यह आशा की जाती है और पदाधिकारी एव कार्य-समितिके सदस्य तो अपने पदकी प्रतिष्ठाके अनुसार इस बातके लिए बाध्य ही है कि वे उनको कार्यान्वित करे। और जो पदाधिकारी और कार्यकारिणीके सदस्य कांग्रेसके कार्यक्रम और नीतियोके विरुद्ध प्रचार या कोई काम करते है वे, सविधानकी धारा ३१ के अन्तर्गत २४ मई, १९२९ को अ० भा० का० क० द्वारा निर्धारित नियमोके अनुसार, स्पष्ट रूपसे अनुशासन-भगके दोषी है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

[अंग्रेजीसे]

दि हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाग १, पृष्ठ ५७७

परिशिष्ट – ५

जवाहरलाल नेहरूका पत्र[2]

आनन्द भवन,
इलाहाबाद
१३ अगस्त, १९३४

प्रिय बापू,

मात्र छ महीनेके पूर्ण एकान्त और निष्क्रियताके बाद, मै गत २७ घटोकी चिन्ता, उत्तेजना और हलचलमे अपनेको खोया-खोया-सा महसूस कर रहा हूँ। मै बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। यह पत्र मै आपको आधी रातको लिख रहा हूँ। दिन-भर लोगोकी भीड आती रही है। अगर मौका मिला तो मै पुन आपको पत्र लिखूँगा, लेकिन कुछ महीनोतक मै शायद ही ऐसा कर पाऊँ। अत मै आपको सक्षेप मे यह बताने जा रहा हूँ कि गत पाच-एक महीनोके कांग्रेसके विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयोपर मेरी क्या प्रतिक्रिया रही है। मेरे सूचनाके स्रोत स्वभावत सीमित रहे

१ देखिए, पृ० ३०१।
२ देखिए पृ० ३३६-३७ तथा ३४८-४९।

है, फिर भी मै समझता हूँ कि वे इस लायक थे कि मै घटनाओके सामान्य रुखके बारेमे काफी ठीक धारणा बना सकता था।

जब मैने यह सुना कि आपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया है तो मुझे दुख हुआ। पहले मुझे सक्षिप्त घोषणा ही मिली। बहुत बादमे मैने आपका वक्तव्य पढा और उससे मेरे मनको इतना गहरा धक्का लगा जितना कि पहले कभी नही लगा था। स० अ० की समाप्तिको सह लेनेको मै तैयार था। परन्तु उसके लिए आपने जो कारण बताये तथा भावी कार्यके लिए जो सुझाव दिये, उनसे मै आश्चर्यचकित रह गया। अचानक बडी तीव्रतासे मुझे लगा कि मेरे भीतर कुछ टूट गया है—वह सम्बन्ध जिसे मैने बहुमूल्य समझा था, टूट गया है। इस विराट ससारमे मैने अपने-आपको भयावह रूपसे अकेला पाया। करीब-करीब बचपनसे ही मै कुछ-कुछ अकेलापन महसूस करता आया हूँ। लेकिन कुछेक सम्बन्धोने मुझे शक्ति दी, कुछ मजबूत सहारोने मुझे खडा रखा। वह अकेलापन कभी गया तो नही, परन्तु उसमे कमी आ गई। लेकिन अब मै अपनेको एक निर्जन द्वीपपर बिलकुल अकेला, परित्यक्त और घटना-प्रवाहसे विच्छिन्न पा रहा हूँ।

मनुष्यमे अपनेको परिस्थितियोके अनुरूप ढालनेकी असीम शक्ति होती है, और इसलिए मैने भी अपनेको कुछ हदतक नयी परिस्थितियोके अनुरूप ढाला। इस विषयमें मेरी अनुभूतिकी तीव्रता, जो करीब-करीब शारीरिक दर्द-सी थी, गुजर गई, उसकी धार कुण्ठित हो गई। परन्तु एकके-बाद-दूसरे धक्के तथा घटनाओके ताँते ने उस धारको फिर पैना कर दिया, तथा मेरे दिल और दिमागको शान्ति या राहत न मिलने दी। अपने पाससे गुजर जानेवाली भीडसे ही नही, अपितु जिन्हे मै प्रिय और घनिष्ठ मित्र मानता था, उनसे भी समन्वय स्थापित न कर सकने और बिलकुल अजनबी रहनेकी आत्मिक अलगावकी वह अनुभूति मुझे फिर महसूस हुई। इस बारका कारावास मेरे धैर्यकी पहलेके किसी भी कारावाससे कही कठिन परीक्षा थी। मेरी तो प्राय यह इच्छा होती थी कि सभी समाचारपत्रोको मुझसे दूर रखा जाये, ताकि मै बार-बारके धक्कोसे बच सकूँ।

शारीरिक रूपसे मै काफी ठीक रहा। जेलमे मै हमेशा ठीक रहता हूँ। मेरा शरीर अच्छी तरह काम करता रहा है और काफी हदतक दुर्व्यवहार और तनाव सह सकता है। और चूँकि मुझमे यह दम्भ है कि मेरा भाग्य जिस देशसे बधा है, मै उसके लिए अभी भी कुछ कारगर काम कर सकता हूँ, इसलिए मैने अपने शरीर की अच्छी देखभाल भी की है।

लेकिन मैने प्राय यह सोचा है कि कही मै गोल छेदमे चौकोर खूँटा या समुद्र द्वारा तिरस्कृत और उसकी सतहपर इधर-उधर फेका जानेवाला अहकारका बुलबुला तो नही हूँ। लेकिन दम्भ और आत्माभिमानकी विजय हुई तथा मेरे अन्दर काम करनेवाले बौद्धिक तत्रने हार नही मानी। वे आदर्श जिन्होने मुझे काम करनेके लिए प्रेरित किया और तूफानी मौसमम मुझे उल्लसित रखा, यदि उचित है—और मुझमे यह विश्वास हमेशा बढता गया है कि वे उचित है—तो उनकी जीत होगी ही, भले ही हमारी पीढी उस जीतको देखनेके लिए जिन्दा न रहे।

लेकिन इस सालके लम्बे और थकाऊ महीनोमे, जब मै अपनी निस्सहायतापर खीझता हुआ मूक एव दूर का दर्शक बना था, उन आदर्शोका क्या हुआ? रुकावटे और क्षणिक पराजय तो प्राय हर बडी लडाईमे मिलती है। उनसे दु ख होता है, परन्तु मनुष्य प्राय शीघ्र ही फिर ठीक हो जाता है। यदि आदर्शोंकी ज्योति मद्धिम न होने दी जाये और सिद्धान्तोका लगर अडिग रहे तो वह शीघ्र ठीक हो जाता है। लेकिन जो-कुछ मैंने देखा, वह ऐसी रूकावट और पराजय नही थी, वह तो आत्मिक पराजय थी जो सबसे भयावह है। यह न सोचे कि मै कौसिल-प्रवेशकी बात कर रहा हूँ। मै उसे बहुत महत्त्वपूर्ण नही मानता। कुछ परिस्थितियोमे तो मै खुद विधान-मण्डलमे प्रवेश करनेकी कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन चाहे मै विधान-मण्डलमे काम करूँ या उसके बाहर, मै एक क्रातिकारीकी तरह काम करता हूँ, जिसका अर्थ है मूलभूत और क्रातिकारी राजनैतिक एव सामाजिक परिवर्तनोके लिए काम करना, क्योकि मेरा विश्वास है कि कोई और परिवर्तन भारत और ससारको शान्ति या सन्तोष नही दे सकता।

मैंने तो ऐसा ही सोचा था। लेकिन, जाहिर है कि बाहर काम करनेवाले नेताओने ऐसा नही सोचा। वे लोग उस युगकी भाषा बोलने लगे जो असहयोग आन्दोलन और सविनय अवज्ञा आन्दोलनका उन्माद सिरपर चढनेसे पहले ही बीत चुका था। कभी-कभी वे वैसे ही शब्दो एव वाक्योका प्रयोग करते थे, परन्तु वे शब्द मृत थे, उनमे जीवन या वास्तविक अर्थ नही था। एकाएक काग्रेसके अग्रणी नेता वे लोग बन गये जिन्होने हमारी राहमे रोडे अटकाये थे, हमारी टागे खीची थी, जो सघर्षसे दूर रहे थे और जिन्होने मुसीबतकी घडीमे विरोधी पक्षका साथ तक दिया था। वे हमारे स्वतन्त्रता-मन्दिरके महापुजारी बन गये और बहुत-से बहादुर सैनिकोको, जिनके कन्धोपर लडाईकी गहमागहमीमे भारी बोझ रहा, मन्दिरके प्रागणमे भी नही घुसने दिया गया। वे लोग अछूत और न मिलने लायक माने गये। यदि उन्होने अपनी आवाज उठाई और इन नये महापुजारियोकी आलोचना की, तो शोर मचाकर उनकी आवाज दबा दी गई और कहा गया कि वे उद्देश्यके विरुद्ध द्रोह कर रहे है, क्योकि उन्होने पवित्र स्थानकी सुव्यवस्था बिगाडी है।

और इस प्रकार बडी धूमधाम और समारोहके साथ भारतीय स्वतन्त्रताकी पताका उन्हे सौप दी गई, जिन्होने हमारे राष्ट्रीय सघर्षकी चरमावस्थामे दुश्मनके इशारेपर, वस्तुत उसे नीचे झुकाया था, जिन्होने आसमान सरपर उठाकर घोषणा की थी कि उन्होने राजनीति छोड दी है — क्योकि तब राजनीति खतरेसे खाली नही थी, लेकिन ज्योही राजनीति खतरेसे खाली हुई वे छलाग लगाकर अगली पक्तिमें आ धमके।

और काग्रेस तथा देशकी ओरसे बोलते हुए उन्होने अपने सामने उद्देश्य क्या रखे? असली मसलोसे बचना, जहाँतक हिम्मत की जा सकती थी वहाँतक काग्रेस के राजनैतिक लक्ष्यतक को हल्का करना, प्रत्येक निहित स्वार्थके प्रति सदय उत्कठा दिखाना; स्वतन्त्रताके घोषित शत्रुओंके सामने नतमस्तक होना, परन्तु प्रगतिशील

और सघषशील काग्रेसियोका बडी उग्रता और हिम्मतके साथ विरोध करना—यही सब घृणित कृत्य। क्या गत कुछ वर्षोंसे काग्रेस बडी तेजीसे सिमटकर लज्जास्पद कलकत्ता कॉरपोरेशनका महज एक परिवर्धित सस्करण नही बनती जा रही है? क्या बगाल काग्रेसके प्रमुख धडेको आज "श्री नलिनीरजन सरकार विकास समिति" का नाम नही दिया जा रहा है? ये वही सज्जन है जिन्हे उस समय, जबकि हममे से ज्यादातर जेलमे थे और सविनय अवज्ञा जोरोपर मानी जाती थी, सरकारी अधिकारियो, होम मेम्बरो तथा ऐसे ही अन्य लोगोका स्वागत करनेमे आनन्द मिलता था। और क्या दूसरा धडा भी शायद ऐसे ही प्रशसनीय उद्देश्यवाली इसी तरहकी समिति नही है? लेकिन यह दोष केवल बगालमे ही नही है। प्राय सब जगह ऐसी ही प्रवृत्ति है। काग्रेस आज सिरसे पैरतक एक ऐसा दल है जिसमे अवसरवादका बोलबाला है।

इस स्थितिके लिए कार्य-समिति प्रत्यक्ष रूपसे जिम्मेदार नही है। तथापि कार्य-समितिको जिम्मेदारी स्वीकार करनी ही चाहिए। नेता और उनकी नीति ही अनुयायिओकी गतिविधियाँ निर्धारित करते हैं। अनुयायियोपर दोषोरोपण करना न तो उचित है और न न्यायसगत ही। 'नाच न जाने आगन टेढा' वाली कहावत प्रत्येक भाषामे किसी-न-किसी रूपमे मिलती है। समितिने हमारे आदर्शों और उद्देश्योमे अस्पष्टताको जान-बूझकर बढावा दिया है, जिसके फलस्वरूप न केवल भ्रान्ति फैलेगी, अपितु प्रतिक्रियाके दौरमे उत्साह-भग भी होगा और अवसरवादी प्रतिक्रियावादी लोग उभरेगे।

मै विशेष रूपसे राजनैतिक उद्देश्योकी बात कर रहा हूँ, जो काग्रेसका खास कार्यक्षेत्र है। मै समझता हूँ कि काग्रेसके लिए वह समय कभी का आ चुका है जब उसे सामाजिक और आर्थिक मसलोपर स्पष्ट रूपसे विचार करना चाहिए। लेकिन मै मानता हूँ कि इन मसलोपर शिक्षा देनेमे समय लगता है और काग्रेस समग्र रूपसे अभी वहाँतक नही जा सकती जहाँतक कि मै चाहता हूँ। परन्तु ऐसा लगता है कि कार्य-समिति इस विषयके सम्बन्धमे चाहे कुछ जानती है या नही, पर जिन्होने इस विषयका विशेष अध्ययन किया है और जो इसपर निश्चित विचार रखते है, उनकी भर्त्सना करने और उनका बहिष्कार करनेको वह एकदम इच्छुक है। जिन विचारोके बारेमे ऐसा विख्यात है कि ससारके योग्यतम और सर्वाधिक त्यागी लोगोका उनपर विश्वास है, उन्हे समझनेकी कोई कोशिश नही की गई है। वे विचार चाहे ठीक हो या गलत, उनकी भर्त्सना करनेसे पहले कार्य-समितिको उन्हे कुछ हदतक समझनेकी चेष्टा तो करनी ही चाहिए। एक तर्कयुक्त दलीलका जवाब भावुक अपीलो अथवा इस सस्ती टिप्पणीसे देना कि भारतकी परिस्थितियाँ भिन्न है तथा जो आर्थिक नियम दूसरी जगह लागू होते है वे भारतमे काम नही करते, शायद ही उचित है। इस विषयपर कार्य-समितिके प्रस्तावमे समाजवादके मूल तत्त्वोके सम्बन्धमे ऐसी आश्चर्यजनक अज्ञानता झलकती थी कि उसे पढकर और यह सोचकर कि उन्हे भारतके बाहर भी पढा जा सकता है, काफी कष्ट होता था। ऐसा जान पडा कि समितिकी

प्रबल इच्छा विभिन्न निहित स्वार्थोको आश्वासन देना था, भले ही उसके लिए मूर्खता की भी बात क्यो न कहनी पड़े।

समाजवादके विषयपर विचार करनेका एक विचित्र तरीका यह है कि इस शब्दको, जिसका अग्रेजी भाषामे एक निश्चित अर्थ हे, बिलकुल दूसरे अर्थमे प्रयुक्त किया जाता है। शब्दोका प्रयोग अपने व्यक्तिगत अर्थोमे करना विचार-विनिमयमे सहायक नही होता। किसी व्यक्तिका पहले यह कहना कि वह इजन-चालक है और फिर बादमे यह बात जोडना कि उसका इजन काठका है और उसे बैल खीचते है, इजन-चालक शब्दका दुरुपयोग ही है।

यह पत्र आशासे अधिक लम्बा हो गया है और रात काफी बीत चुकी है। दिमाग थका होनेके कारण शायद यह उलझे और असम्बद्ध तरीकेसे लिखा गया है। फिर भी मेरे मनकी कुछ झलक तो इसमे दिखाई देगी ही। पिछले कुछ महीने मेरे लिए, और मै समझता हूँ बहुत-से दूसरे लोगोके लिए भी, बहुत कष्टकर रहे है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक ससारमे, और शायद प्राचीन ससारमे भी, दूसरोकी जेबसे कुछ लेनेकी बजाय कुछ लोगोके दिलोको तोडना ही प्राय पसन्द किया जाता है। जेब वास्तवमे दिल, दिमाग, शरीर और मानवीय न्याय व गरिमासे अधिक कीमती और प्यारी है।

एक और विषय है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। वह है, स्वराज भवन ट्रस्ट। मैं समझता हूँ कि कार्य-समितिने हालमे ही स्वराज भवनकी सार-सम्भालके सवालपर विचार किया था और वह इस नतीजेपर पहुँची थी कि वह इसके लिए जिम्मेदार नही है। लेकिन क्योकि करीब तीन साल पहले उसने एक अनुदानकी घोषणा की थी जो अभीतक दिया नही गया है, हालाँकि उसकी आशापर पैसा खर्च कर दिया गया है, इसलिए एक नये अनुदानकी स्वीकृति दी गई। शायद यह कुछ महीनोके लिए पर्याप्त होगा। जहाँतक भविष्यका सवाल है, जाहिर है कि कार्य-समिति मकान और उसकी खाली जमीनकी देखभाल का बोझ उठानेके लिए उत्सुक नही थी। यह बोझ, टैक्स आदि मिलाकर, १०० रुपये प्रति मासका है। मै समझता हूँ कि ट्रस्टी भी इस बोझसे कुछ डरे हुए थे और उन्होने यह सुझाव दिया कि मकानकी देखभालके खर्चके लिए उसके कुछ हिस्से, जैसाकि आम तरीका है, किराये पर चढा दिये जाये। दूसरा सुझाव था कि इसके लिए खाली जमीनके एक हिस्सेको बेच दिया जाये। मुझे इन सुझावोको जानकर आश्चर्य हुआ, क्योकि मुझे इनमे से कुछ तो ट्रस्टनामे से अक्षरश और सब-के-सब उसकी भावनासे विपरीत लगे। एक ट्रस्टीकी हैसियतसे इस विषयमे मेरा सिर्फ एक मत है। लेकिन मै यह कहना चाहूँगा कि ट्रस्टकी सम्पत्तिके ऐसे किसी भी दुरुपयोगपर मुझे इतनी जबरदस्त आपत्ति है जितनी कि हो सकती है। मेरे पिताकी इच्छाओका इस तरहसे निरादर हो, इस बातकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य है। ट्रस्ट केवल उनकी इच्छाओका प्रतीक ही नही बल्कि कुछ अश तक उनका स्मारक भी है, और उनकी इच्छाएँ और उनका स्मारक मेरे लिए एक सौ रुपये माहवारसे कही अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए मै कार्य-समिति और ट्रस्टियोको

आश्वासन देना चाहूँगा कि उन्हे इस सम्पत्तिकी देखभालके लिए आवश्यक पैसेकी चिन्ता करनेकी जरूरत नही है। कार्य-समितिने कुछ महीनोके लिए जो अनुदान दिया है, उसके खत्म होते ही देखभालकी जिम्मेदारी मै स्वय व्यक्तिगत रूपसे ले लूगा, कार्य-समितिको और अनुदान देनेकी कोई आवश्यकता नही रहेगी। मै ट्रस्टियोसे यह भी प्रार्थना करूँगा कि वे इस विषयमे मेरी भावनाओकी कद्र करे और इस सम्पत्तिका क्षय न होने दे तथा इसे किरायेपर चढानेके लिए किरायेपर न ले। जबतक स्वराज भवन सम्पत्तिका सदुपयोग होता रहेगा, मै इसकी देखभाल करते रहनेका प्रयास करूँगा।

मेरे पास आँकडे तो नही हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि स्वराज भवन वैसे भी अभीतक कार्य-समितिके लिए किसी भी अर्थमे आर्थिक बोझ नही रहा है। जो अनुदान इसे दिये गये है, वे उस स्थानके यथोचित किरायेसे जिसमे अ० भा० का० क०का कार्यालय है, शायद बहुत अधिक नही हैं। इस किरायेको छोटा और सस्ता स्थान लेकर घटाया जा सकता था। पर अ० भा० का० क० पहले केवल मद्रासमे ही एक ऊपरी मजिलके लिए १५० रुपये प्रतिमास किराया दे चुकी है।

शायद इस पत्रके कुछ अश आपके लिए कष्टकर हो। परन्तु आप यह भी नही चाहेगे कि मैं आपसे अपने हृदयकी बात छिपाऊँ।

सस्नेह,
जवाहर

[पुनश्च]

अलीपुर जेलमे मुझे आपकी सक्षिप्त टिप्पणी मिली थी और मैंने उसका जवाब भी भेज दिया था। लेकिन सुपरिंटेडेटने उसे दबा लिया।

[अंग्रेजीसे]
ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० ११२-१७

सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी साहित्य और गांधीजीसे सम्बन्धित कागज-पत्रोंका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृ० ३५९ (प्रथम संस्करण १५ अगस्त, १९५८) तथा पृ० ३५५ (द्वितीय संशोधित संस्करण जून, १९७०)।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा संग्रहालय, जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं, देखिए खण्ड १, पृ० ३६० (प्रथम संस्करण १५ अगस्त, १९५८) तथा पृ० ३५५ (द्वितीय संशोधित संस्करण जून, १९७०)।

'अमृतबाजार पत्रिका' : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'खादी जगत' : वर्धासे प्रकाशित हिन्दी मासिक। कृष्णदास गांधी द्वारा सम्पादित। सर्वप्रथम अगस्त, १९४१ में प्रकाशित।

'ट्रिब्यून' : अम्बालासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'पायनियर' : लखनऊसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल' : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'लीडर' : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'सर्चलाइट' : पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'स्टेट्समैन' : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हरिजन' : गांधीजीकी देखरेखमें आर० वी० शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा पूनासे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। सर्वप्रथम ११ फरवरी, १९३३ को प्रकाशित।

'हरिजन सेवक' : वियोगी हरि द्वारा सम्पादित हिन्दी साप्ताहिक। सर्वप्रथम दिल्लीसे २३ फरवरी, १९३३ को प्रकाशित।

'हरिजनबन्धु' : चन्द्रशंकर शुक्ल द्वारा सम्पादित गुजराती साप्ताहिक। सर्वप्रथम पूनासे १२ मार्च, १९३३ को प्रकाशित।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' : नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू' : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स' (अंग्रेजी) : सम्पादक जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५८।

'टु दि स्टुडेन्ट्स' (अंग्रेजी) : सं० — भारतन कुमारप्पा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४९।

'पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद' स० –काका कालेलकर, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९५३।

'पिलग्रिमेज टु फ्रीडम (१९०२-१९५०) – इंडियन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमैंट्स' भाग – १ (अंग्रेजी) स० –क० मा० मुंशी, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, १९६७।

'बापू – कन्वर्सेशन्स एण्ड कोरेसपोंडेंस (अंग्रेजी) स० – एफ० मेरी बार, इन्टरनेशनल बुक हाउस लि०, बम्बई, १९४९।

'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष' (१९३२-४८) स० –हीरालाल शर्मा, ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद, १९५७।

'बापूज़ लेटर्स टु मीरा' (अंग्रेजी) स० –मीराबहन, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

'बापुना पत्रो – ७ श्री छगनलाल गांधीने' (गुजराती) स० – छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६२।

'बापुना पत्रो – ४ मणिबहन पटेलने' (गुजराती) स० – मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती) स० –मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) स० –मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

'मध्य प्रदेश और गांधीजी' सूचना और प्रकाशन निदेशालय, मध्य प्रदेश द्वारा गांधी शताब्दी समारोह समितिके लिए प्रकाशित, १९६९।

'महात्मा' भाग – ३ (अंग्रेजी) डी० जी० तेंदुलकर, प्रकाशक विट्ठलभाई के० झवेरी तथा डी० जी० तेंदुलकर, ६४ वालकेश्वर रोड, बम्बई–७, अक्टूबर, १९५२।

'महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी' स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित।

'माई डियर चाइल्ड' (अंग्रेजी) स० – एलिस एम० बॉर्न्ज, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६।

'रेमिनिसैन्सिज ऑफ गांधीजी' (अंग्रेजी) स० – चन्द्रशंकर शुक्ल, वोरा एंड कम्पनी लि०, बम्बई, १९५१।

'सरदार वल्लभभाई पटेल – २' (मूल गुजरातीमें) नरहरि द्वा० परीख, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, दिसम्बर, १९५६।

'(दि) हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस,' भाग १ (अंग्रेजी) डॉ० पट्टाभि सीतारमैया, पद्मा पब्लिकेशन्स, बम्बई, १९४६।

'बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रेक्टस' बम्बई सरकारके सरकारी कागजात।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१८ मई, १९३४ से १५ सितम्बर, १९३४ तक)

१८ मई पटनामे अ० भा० का० क० की बैठकमे भाषण।

१९ मई अ० भा० का० क० मे कौसिल-प्रवेश सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करनेके बाद भाषण।

२० मई पटनासे चल दिये। 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको भेट।

२१ मई प्रात काल बेरी पहुँचे और वहाँसे गाधी सेवा आश्रम, चम्पापुरहाट पैदल गये, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिको भेट।

२२ मई चम्पापुरहाटके अपने भाषणमे कहा कि रोगोको दूर रखनेके लिए दवाएँ बाँटनेकी बजाय लोगोको स्वास्थ्य-विज्ञान व सफाईकी शिक्षा देना जरूरी है।

२३ मई। गोपीनाथपुरमे भाषण।

२५ मई एम० आर० मसानी और ना० र० मलकानीसे बातचीत, पातपुर निश्चिन्त कोइलीमे भाषण।

२६ मई ककतिया, सलारमे भाषण।

२७ मई। केन्द्रपाडामे भाषण।

२९ मई मसानीको लिखे पत्रमे समाजवादी कार्यक्रमपर विचार व्यक्त किये, केन्द्र-पाडामे भाषण, 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको भेट।

३० मई उत्कलके कार्यकर्त्ताओको भेट।

३१ मई बेरी, निओला और सहसपुरमे भाषण।

१ जून पुरुषोत्तमपुर, बुद्धघाटमे भाषण, वर्षाके कारण एक टूटी-फूटी झोपडीमे ठहरे।

२ जून जाजपुरकी सार्वजनिक सभामे भाषण।

३ जून भण्डारीपोखरी, जोडागमे भाषण।

५ जून गरदपुर आश्रम, भद्रक पहुँचे।

७ जून भद्रकके गरदपुर आश्रममे हरिजन कार्यकर्त्ताओके सम्मुख भाषण।

८ जून वर्षाके कारण पद-यात्रा रद्द की। खड्गपुर रेलवे स्टेशनपर दिये गये अपने भाषणमे कलकत्ता महापौर चुनाव-सम्बन्धी विवादको कलकत्ता कॉरपोरेशनके काग्रेस-समर्थकोकी 'अशोभनीय लडाई' बताया।
बालासोरमे 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको भेट, अस्पृश्यता-निवारणपर भाषण।

९ जून नागपुर रेलवे स्टेशनपर, कपडा-कर्मचारियोके समक्ष भाषण, शामको वर्धा पहुँचे, आश्रम पैदल गये।

१२ जून वर्धामे ढाई साल बाद भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी काय-समितिकी बैठक हुई।

१३ जून बम्बईके लिए रवाना हुए।

१४ जून बम्बईमे हरिजन सेवक सघ ओर गाधी सेवा सेनाके सदस्योको भेट।

१५ जून महिलाओकी सभामे भाषण।

१६ जून भीमराव अम्बेडकरको भेट, काग्रेस ससदीय बोर्डकी बैठकमे भाषण, आजाद मैदानकी सार्वजनिक सभामे भाषण।

१७ जून अ० भा० स्वदेशी लीगके सदस्योको भेंट।

१९ जून पूनामे इडियन स्टेट्स पीपुल्स मूवमेटके कायकर्त्ताओको भेट, उसका नेतृत्व एन० सी० केलकर कर रहे थे।

२० जून काग्रेसके रचनात्मक कार्यकर्त्ताओको भेट।

२१ जून महिला आश्रममे भाषण, छात्रोके समक्ष भाषण।

२२ जून क्राइस्ट सेवा सघ देखने गये, राष्ट्रीय शिक्षा-कार्यकर्त्ताओको भेट।

२३ जून महाराष्ट्र मण्डल नामके एक व्यायाम सस्थानमे भाषण देते हुए व्यायामके साथ-साथ नैतिक व आध्यात्मिक विकासकी आवश्यकतापर बल दिया, खादी भण्डार और ताराचन्द आयुर्वेदिक अस्पताल देखने गये, बारह वफातके जलसेमे भाषण।

२४ जून जिला बोर्ड द्वारा भेट किये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमे भाषण, हरिजनोसे भेट, एक सावजनिक सभामे भाषण।

२५ जून गाधी जीकी हत्याकी कोशिश की गई, परन्तु वे बच गये। उन्होने बमकाण्ड पर एक वक्तव्य दिया, सेवा सदन देखने गये, बम्बईके लिए रवाना हुए।

२६ जून बम्बईमे, 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको भेट, अहमदाबादके लिए रवाना हुए, बडौदा रेलवे स्टेशनपर भाषण दिया।

२७ जून अहमदाबादमे गुजरात हरिजन सेवकोसे बातचीत, महिलाओकी सभामे भाषण, 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' को दिये एक सन्देशमे उन बेशुमार लोगोके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिन्होने पूनामे उनके बाल-बाल बचनेपर तार भेजे थे।

२८ जून अहमदाबादमे २५ मीलमे फैली हरिजन बस्ती देखने गये, गुजराती स्वदेशी सघके कार्यकर्त्ताओको भेट।

२९ जून मिल कर्मचारियोकी सभामे भाषण; ज्योति सघ और एक सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

३० जून समाजवादी काग्रेसियोकी सभामे भाषण।

१ जुलाई भावनगरके सनातन धर्म हाई स्कूलमे हुए स्वागत-समारोहमे भाग लिया, काठियावाडी युवकोसे बातचीत की, हरिजनोके समक्ष भाषण दिया, एक सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

२ जुलाई काठियावाड हरिजन सेवक सघ और काठियावाड राजकीय परिषद हरिजन समितिके सयुक्त अधिवेशनमे दोनो सस्थाओके सदस्योको अ० भा० केन्द्रीय लीग, दिल्लीमे शामिल होनेकी सलाह दी।

३ जुलाई ठक्कर हरिजन आश्रम और खादी भवन देखने गये, हरिजनोको भेट, सार्वजनिक सभामे भाषण, राज्य गोशालामे भाषण; रेलसे अजमेरके लिए रवाना हुए।

४ जुलाई अजमेर जाते हुए रास्तेमे मेहसाना और पालनपुरमे भाषण।

५ जुलाई अजमेरमे महिलाओकी सभामे भाषण दिया, हरिजन-सेवकोसे मिले, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

६ जुलाई बहुत सवेरे मोटरसे ब्यावर गये, हरिजन बस्ती देखने गये, जैन साधुओसे अभिनन्दन-पत्र ग्रहण किया। रेलसे कराचीके लिए रवाना हुए।

७ जुलाई कराची जाते हुए रास्तेमे हैदराबादमे भाषण दिया, कराचीमे नगरपालिका द्वारा भेट किये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमे भाषण दिया।

८ जुलाई काग्रेस-कार्यकर्त्ताओके समक्ष भाषण, सिन्धके हरिजन-सेवकोके समक्ष भाषण, कराची इन्डियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशनके भवनका शिलान्यास करनेके बाद व्यापारियोके समक्ष भाषण, हरिजन बस्ती देखने गये, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

१० जुलाई उपवासके बारेमे एक वक्तव्य जारी किया, हरिजन नेताओको भेट, द० जे० सिन्ध कालेजमे भाषण दिया।

११ जुलाई सिधके पत्रकारोको भेट, प्रान्तीय हरिजन सेवक सघके सदस्योको प्रत्येक वर्षका चन्दा स्वतन्त्र रूपसे एकत्रित करनेकी राय दी और कहा कि जो चन्दा इस यात्राके दौरान एकत्र हो उसका उपयोग चालू खचके लिए न किया जाये बल्कि उसे पिछडे क्षेत्रोके लिए सुरक्षित रखा जाये, हरिजन हस्तशिल्प सस्थान देखने गये, पारसियोकी सभामे भाषण दिया, रेलसे लाहौरके लिए रवाना हुए।

१२ जुलाई रेलमे 'ट्रिब्यून'के प्रतिनिधिको भेट।

१३ जुलाई प्रान्तीय काग्रेसके नेताओको भेट, हरिजन-शिष्टमण्डलको भेट, छात्रोकी सभामे भाषण।

१४ जुलाई छात्राओकी सभामे भाषण, महिलाओकी सभामे भाषण।

१५ जुलाई अकाली और खालसा दरबार शिष्टमण्डलको भेट, पजाबके हिन्दुओ और सिखोके शिष्टमण्डलको भेट, सार्वजनिक सभामे भाषण।

१७ जुलाई प्राथना-सभामे भाषण, स्वयसेवकोको भेट, सीमाप्रान्तके नेताओको भेट, पजाबके राष्ट्रवादी कार्यकर्त्ताओ और खादी कार्यकर्त्ताओके समक्ष भाषण, पत्र-कारोको भेट, गुलाबदेवी तपेदिक अस्पताल ओर मॉडल टाउनमे भाषण। 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको भेट, कलकत्ताके लिए रवाना हुए।

१८ जुलाई कलकत्ता जाते हुए रास्तेमे नई दिल्लीमे 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको भेट।

१९ जुलाई कलकत्तामे समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया, डॉ० नीलरतन सरकार और बी० सी० रायने गाधीजीकी डाक्टरी जॉच की, एल्बर्ट हॉलमे महिलाओकी सभामे शामिल हुए, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मिलने आये।

२० जुलाई डॉ० सरकार व डॉ रायने गाधी जीकी डाक्टरी जॉच की।

२१ जुलाई चित्तरजन सेवा सदनमे भाषण दिया और उसके बाल-कक्षका शिलायास किया, विद्यार्थियोको भेट, टाउन हॉलमे भाषण, सावजनिक सभामे भाषण, कानपुरके लिए रवाना हुए, गाडीमे 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको भेट।

२२ जुलाई कानपुरमे नगरपालिका और जिला बोर्डके अभिनन्दन-पत्रोका उत्तर देते हुए भाषण दिया, सावजनिक सभामे भाषण दिया।

२४ जुलाई तिलक हॉलके उद्घाटन-समारोहमे भाषण, सनातनियो और सयुक्त प्रान्तके हरिजन कार्यकर्त्ताओको भेट, विद्यार्थियो व हरिजनोके समक्ष भाषण, राष्ट्रभाषा शिष्टमण्डलको भेट।

२५ जुलाई दो घटेके लिए लखनऊ गये और वहॉ जनाना पाकमे महिलाओके समक्ष भाषण दिया, चरखा सघ खादी भण्डार देखने गये, सावजनिक सभामे भाषण दिया, कानपुर लौटे, हरिजनो और विद्यार्थियोके अभिनन्दन-पत्रोके उत्तरमे भाषण दिया, आयसमाजमे भाषण दिया, जमींदारोको भेट।

२६ जुलाई काग्रेसी, हरिजन और खादी कार्यकर्त्ताओको भेट, महिलाओकी सभामे भाषण, हरिजन बस्ती देखने गये, बनारसके लिए रवाना हुए।

२७ जुलाई बनारसमे समाजवादियोको भेट।

२९ जुलाई हरिजन सेवक सघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठकमे भाषण दिया, काग्रेस ससदीय बोर्डका घोषणा-पत्र तैयार किया, काग्रेस ससदीय बोर्डके घोषणा-पत्र और राष्ट्रीय-शिक्षापर भाषण दिया।

३० जुलाई उपवासपर एक वक्तव्य जारी किया।

३१ जुलाई लालनाथ द्वारा भेजे गये आदेशपत्रको, जिसमे कोतवालके समक्ष उपस्थित होनेकी आज्ञा थी, माननेसे इनकार कर दिया, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

१ अगस्त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें भाषण, हरिजनोंकी सभामें भाषण।

२ अगस्त महिलाओंकी सभामें भाषण, पटनाके लिए रवाना हुए।

३ अगस्त पटनामें समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको भेंट, बिहार केन्द्रीय सहायता समिति की बैठकमें भाषण दिया और यह प्रस्ताव पेश किया कि समिति प्रबन्ध-समितिमें अपना विश्वास प्रकट करती है।

४ अगस्त सुबह पटनासे वर्धाके लिए रवाना हुए, जबलपुरमें लोगोंसे बातचीत की।

५ अगस्त वर्धामें जमनालाल बजाजके साथ प्रत्येक संस्थाको शुद्ध करनेके प्रश्नपर विचार-विमर्श किया, उनको ऑपरेशनके लिए बम्बई जानेकी सलाह दी और आश्रममें शुद्धि-सप्ताहका निरीक्षण करनेका आश्वासन दिया।

६ अगस्त उपवासपर एक वक्तव्य जारी किया।

७ अगस्त प्रातःकालीन प्रार्थना समाप्त कर और ५.३० बजे आखिरी नाश्ता लेकर सुबह ६ बजेसे उपवास शुरू कर दिया, उपवासके महत्त्वपर बोले।

१४ अगस्त सुबह ६ बजे एक गिलास गर्म पानी और शहद लेकर उपवास समाप्त किया।

१४ अगस्तके पश्चात् गुजरात विद्यापीठके शिक्षकोंके साथ बातचीत की और उनको गाँवोंमें जाने तथा वहाँ जंगम विद्यापीठके रूपमें कार्य करनेके लिए कहा।

१५ अगस्त डाक्टरोंने गांधीजीकी जाँच की।

१६ अगस्त समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको भेंट।

२३ अगस्त या उससे पूर्व कांग्रेस कार्य-समितिके साम्प्रदायिक परिनिर्णय सम्बन्धी प्रस्तावपर समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया।

२४ अगस्त या उससे पूर्व खादी-कार्यकर्त्ताओंको भेंट।

२६/२७ अगस्त वल्लभभाई पटेलको एक पत्रमें राजगोपालाचारीके साथ अपने कांग्रेस-छोड़नेके इरादेपर बातचीत की सूचना दी।

५ सितम्बर समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया जिसमें इस अफवाहका खण्डन किया गया था कि वे कांग्रेसके नेतृत्वका त्याग कर रहे हैं।

शीर्षक-सांकेतिका

उत्तर, –कानपुरके नागरिक अभिनन्दनाका, २३४-३५, –जमीदारोको, २५७-६०

टिप्पणी, २६, ६३-६४, –दशक-पुस्तिकामे, २५५, –मौन-दिवसपर, ३१९, –[णियाँ], ७९-८०, ३७५-७७

तार, –आनन्द तो० हिंगोरानीको, ६५, ३६७, –घनश्यामदास बिडलाको, १५९, १६६, १९१, –जमनालाल बजाजको, ३१९, ३३०, ३३८, –जेल महानिरीक्षकको, २३, –नटराजनको, १६६, –नारणदास गाधीको, ३२०, –पुरुषोत्तमदास टण्डनको, ८७, –प्रभाशकर पट्टणीको, ३६०, –ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ३११, –मथुरादास त्रिकमजीको, १६७, –मीराबहनको, ४७६, –मोहनलाल सक्सेनाको, ३२८, –रवीन्द्रनाथ ठाकुरको, १८५, –राजेन्द्रप्रसादको, ५७, ३८५, –वल्लभभाई पटेलको, १९०, –वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, ८८, –हीरालाल शर्माको, ९४, ३०४, ३३८, ४६१

निवेदन, –कायकर्त्ताओसे, १–२

(एक) पत्र, ५१, ३११-१२, ४०१

पत्र, –अगाथा हैरिसनको, ३१६-१७, ३६१-६२, –अन्नपूर्णाको, ३५९-६०, ४५६, –अब्बास तैयबजीको, ४२०, ४६१-६२, –सिस्टर अमताको, ३५३, –अमतुस्सलामको ८, ३६, ४५, ५७, ८८, १५४, –राजकुमारी अमृतकौरको, २०५, –अमृतलाल चटर्जीको, १९, –अमृतलाल वि० ठक्करको ३३, ३९३, ४११, ४३५, –आत्मारामको, ४७८, –आनन्द तो० हिंगोरानीको, २७६, ३६७-६८, –उत्तमचन्द शाहको, १८६, –उमादेवी बजाजको, ३४२, ३५१, ३७१-७२, ३९०, ३९७, ४१२-१३, –ए० एस० एम० मोफाखेरको, १४१, –एच० ए० पॉपलेको, ३३९-४०, –एच० ए० ललवानीको, ३७०, –डॉ० एन० आर० धमवीरको, ४३०-३१, –एन० आर० नाडिगको, ३४५, –एफ० मेरी बारको, ३३२, ३७८-७९, ४३४, ४६२, –एम० आर० मसानीको, ३९, ७५-७६, –एम० एस० अणेको, ९१, २६५, –एस० अम्बुजम्मालको, २२२, –एस० ए० ब्रेल्वीको, ४१५, –एस० गणेशनको, ३५४, ८२९, –एस० डी० सकलातवालाको, १३१, –एस्थर मेननको, १२९, ४३५-३६, –क० मा० मुशीको, २१, २५, ७२, १७६, ३५७, –कलकत्ताके काग्रेसियोको, ३४२-४३, –कलकत्ताके बिशपको, २०१, –कान्ति गाधीको, ५९, १६२-६३, २४१-४२, –कृष्णदास जाजुको, १०१-२, –केशवजी

रावचन्द और कानजी मूलजी सिक्काको, ६०, –कोतवालको, ५२, –क्षितीशचन्द्र दासगुप्तका, ३८०, –क्षीरोदचन्द्र मैतीको, ३२, –गुलजारीलाल नन्दाको, ४५५, –गुलाबचन्द जैनको, ११८, –गोपबन्धु चौधरीको, २०५, –डॉ० गोपीचन्द भार्गवको, २६६, –गोविन्ददासको, २८९, –घनश्यामदास बिडला को, २५-२६, ३५-३६, १९३, –च० राजगोपालाचारीको, ३४३, –चन्दूलाल मोदीको, ३९४, –चारुप्रभा सेनगुप्तको, २५, ४१, १००, –छगनलाल जोशीको, २४५, ३४५, –जमनाबहन गांधीको, ९२, ४७७-७८, जमनालाल बजाजको, १६, ३३-३४, ४४, २०६, ३२७-२८, ३३०, ३४१, ३५०-५१, ३५६, ३७०-७१, ३९०, ४४९-५०, –जवाहरलाल नेहरूको, ३२०-२१, ३३६-३७, –जी० आर० सहगलको, ३५३, ३९१, ४३२, –जी० जी० जोगको, १५०-५१, –जी० बी० सुब्बारावको, २४, –जी० वी० मावलकरको, ४७९, –जे० सी० कुमारप्पा को, ६६-६७, –जे० सी० गुप्ताको, २९३, –टी० एम० जरीफको, ३७९, –डाह्याभाई पटेलको, १७५, –डाह्याभाई म० पटेलको, २०४-५, –डी० के० कर्वेको, २३-२४, –डी० वी० गोखले को, १४१, –तारा जसवानीको, ४९, ६९, –दिलीपकुमार रायको, २०१-२, –द्रौपदी शर्माको, ४१३, –द्वारकानाथ को, ५९, –नरगिसबहन कैप्टनको, ४४४, –न० चि० केलकरको, १३९-४०, ३३५, –नरहरि द्वा० परीखको, २४२-४३, ३८७-८८, ४४७, –नरेन्द्रदेवको, २८७-८९, –नानाभाई आई० मशरूवालाको, १०८, –नारणदास गाधीको, ५८, ७४-७५, ९३, १०१, २१७-१८, २८२, ३३१, ३४६-४७, ३५८, ३९९-४००, ४५१-५२, ४५७-५८, ४७६-७७, –ना० र० मलकानीको, १५१, १६०, २३८, ३६९, –नारायण स्वामीको, ४५३, –निरुपमाको, २२, ४५६, –पद्माको, २०४, –परीक्षितलाल एल० मजमूदारको, ७३, १९२, २४०, ४०७, ४१६, –पी० एन० राजभोजको, ४०४-६, –पी० जी० दाते तथा अन्य लोगोको, ३४४, –पुरातन जे० बुचको, १६१, ४४६, –प्रभाशकर पट्टणीको, २१, ७६, ४१६-१७, ३६०-६१, –प्रागजी के० देसाईको, ४१७, –प्रेमलीला ठाकरसीको, ४१७-१८, –प्रेमाबहन कटकको, २१८, २८१, ३५५, ४१४, –प्रेमी जयरामदासको, १०८, –फूलचन्द क० शाहको, १६२, –बलवन्तसिहको, ५५, –बलीबहन एम० अडालजाको, ३९७, –बालूकाका कानिटकरको, १५४, –बी० जे० मराठे को, ४३८, ४५४, ४६३, –डॉ० बी० बी० मुलेको, ४६३, –बेचरदास जे० दोषीको, १०१, –ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ५६, ७३-७४, ९५, २४४, २९७, ३१३, ३३३, ३६५, ३९६, ४०१, ४५९-६०, –भगवानजी ए०

मेहताको, ४४६, —भगवानजी पु० पण्डयाको, ३८४, —भास्कर मुखर्जीको, ३४०, ४३८, —भूलाभाई जे० देसाईको, ३८४, —मघाराम सन्तदासको, ३८७, ४३१, —मणिबहन पटेलको, २४३, ३९१, —मणिलाल और सुशीला गाधीको १०७, २०६-७, २४०-४१, ३०४-५, ३९४-९५, —मथुरादास त्रिकमजीको, ५४, ५५, ६१, १६८, २७६-७७, ३६८, ४२०-२१, ४५९, —मथुरादास सेठको, ३२, —मदनमोहन मालवीयको, ९१, २९०, —मनु गाधीको, ३४७, ४००, —महादेव देसाईको, १५२, —महेन्द्र वा० देसाईको, ४१८, —मागरेट स्पीगलको, १९-२०, ५३, १४७, १६०-६१, १९१, २२१, —मीराबहन को, ९४-९५, ९७, ११९, १५०, १६७, १८४, २१६, २५४, २६०, ३१४-१६, ३२८-२९, ३५१-५२, ४४३, —मुल्कराजको, २९४, —मोतीलाल दीवडाको, ४४८-४९, —मोतीलाल रायको, ३४४, —मौलाना अबुल कलाम आजादको, २००, म्युरियल लेस्टरको, ३९२-९३, —यू० राजगोपाल कृष्णैयाको, १४५, —रघुवीर नारायण सिहको, ४६७, —रणछोडलाल ए० शोधनको, ३१२, —रमादेवी चौधरीको, १६३-६४, —रमाबहन जोशीको, १९२, ३३२, —राजेन्द्रप्रसादको, ९७, —रामचन्द्रको, ४५४, —रामदास गाधीको, ४६६, —रामेश्वरदास पोद्दारको, ५६, —रैहाना तैयबजीको, १०९, १६३, ४३३-३४, —लालजी परमारको, १९, —लीलावती आसरको, २१८, २९६, ४५५, —लीलावती मुशीको, ३५६-५७, —वल्लभभाई पटेलको, १७-१८, ४२, ६०-६१, १०५-७, १४२, १७४-७५, २०२-४, ३४८-४९, ३४९-५०, ३५८-५९, ३६४-६५, ३७२-७३, ३८१-८२, ३८२-८३, ३८९, ३९२-९३, ४१९, ४२५-२८, —वसुमती पण्डितको, २२, ३५, १४३, १९३, —विद्या रा० पटेलको, ९३, १९७, —डॉ० विधानचन्द्र रायको, १९६, २९५, ३८५-८६, ३९८, —विमला जोशीको, ४००, —वीरेन्द्रनाथ गुहाको, ३८०-८१, ४१२, —शकरलाल बैंकरको, ४३९, —शान्तिकुमार मोरारजीको, ४१८-१९, —शान्तिलाल जे० मेहताको, २४१, —डॉ० शेरवुड एड्डीको, ३३९, —श्रीपाद दामोदर मातवलेकरको, ४५७, —सतीशचन्द्र दासगुप्तको, ३१-३२, ४४५, ४५२-५३, —स० न० बोसको, ४३०, स० ना० गागुलीको, ३६३-६४, —सनातनियोको, २३४, —सरिताको, २६०, ४८०, —साहेबजी महाराजको, ४०९ १०, —सी० एफ० एन्ड्रयूजको, ३६८, —सीताराम शास्त्रीको, ४०६, —सुरेन्द्र नाथ चटर्जीको, २९३, —सुरेशचन्द्र बनर्जीको, ४३७, —सुलोचना ए० शाहको २३९, —सौदामिनी मेहताको, ४६४ ६६, —हरिभाऊ उपाध्यायको, ४ ३९८-९९, —हीरालाल शर्माको, २ ४५, १४४, २९६, ३२१-२२, ३४

४४७-४८, ४६७, ४६८, –हू० ना० कुजरूको, ४११, – को, ४७८
पत्रका अंश, ४९, ५५, ३९६
पुर्जा, –जयरामदास दौलतरामको, ४२०
प्रस्ताव, –कौंसिल-प्रवेशके बारेमें, ८-९
बातचीत, –एम० आर० मसानी और ना० र० मलकानीसे, २८-३०, –कांग्रेस हरिजन और खादी कार्यकर्त्ताओंके साथ, २६१-६३,' –काठियावाडी युवकोंसे, १३१-३३, –गुजरात विद्यापीठके शिक्षकोंके साथ, ३२२-२६, –गुजरात स्वदेशी सघके कार्यकर्त्ताओंसे, ११८, –डॉडके साथ, ४२१-२५, –पीड़ित वर्गोंके प्रतिनिधियोंके साथ, २२२-२३, –'रामनाम पर,' ३०५-६, –वल्लभभाई पटेलके साथ, २७७-७८, –विद्यार्थियोंके साथ, २२४-२९, –सनातनियोंके साथ, २४७-५०, –समाजवादियोंके शिष्टमण्डलके साथ, २६५-६६, –सीमान्तके नेताओंके साथ, २०९, –स्वयसेवकोंके साथ, २०८, –हरिजन-सेवकोंसे, ११४-१५
भाषण, –अ० भा० का० कमेटीकी बैठक, पटनामें, (१) ३-८, (२) ९-१२, –आजाद मैदान, बम्बईमें, ८५-७, –आर्य समाज-सभामें, २५७, –कपड़ा मिलके मजदूरोंके बीच, नागपुरमें, ६९-७०, –कराची नगरपालिकाके अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें, १५३, –कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओंके समक्ष, कराचीमें, १५५, –कांग्रेस संसदीय बोर्डकी बैठक, बम्बईमें, ८४, –कांग्रेस संसदीय बोर्डके घोषणा-पत्रके सम्बन्धमें, २७०-७१, –कांग्रेस-समाजवादियोंकी सभा, अहमदाबादमें, १२९-३०, –केन्द्र-पाड़ामें, ३४, ३९-४०, -खादी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष, लाहौरमें, २१०-११, –गरदपुर आश्रम, भद्रकमें, ६१-६२, –गुलाबदेवी तपेदिक अस्पताल, लाहौरमें, २१२-१३, -चित्तरंजन सेवासदन, कलकत्तामें, २२३-२४, –छात्रों और हरिजनोंके समक्ष, कानपुरमें, २५३-५४, –छात्राओंकी सभा, लाहौरमें, १९४-९५, –छात्रोंके समक्ष, पूनामें, ९६, –जिला स्थानीय बोर्ड, पूनामें, १०२, –ज्योति सघके सदस्योंके समक्ष, अहमदाबादमें, १२४-२५, –टाउन हॉल, कलकत्तामें, २३०-३१, –तिलक हाल, कानपुरके उद्घाटन-समारोहमें, २४५-४७, –दयाराम जेठामल सिंध कॉलेज, कराचीमें, १६९-७४, –पंजाबके राष्ट्रवादी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष, लाहौरमें, २०९-१०, –पातपुरमें, ३१, –पारसियोंकी सभा, कराचीमें, १८०-८४, –प्रार्थना-सभा, लाहौरमें, २०७-८, –प्रार्थना-सभा, वर्धामें, ३१७-१८, –बड़ौदामें, ११३, –बारह वफातके जलसेमें, ९९-१००, –बालासोरमें, ६८-६९, -बिहार केन्द्रीय सहायता समिति की बैठक, पटनामें, २९८-९९, –भावनगरकी सार्वजनिक सभामें, १३४-३९, –भावनगरकी हरिजन-सभामें, १३२, –महिला आश्रम, पूनामें, ९५-९६, –महिलाओंकी सभा, अजमेरमें, १४७-४८, –महिलाओंकी सभा, अहमदा-

बादमे, ११५-१७, –महिलाओकी सभा, कानपुरमे, २६४, –महिलाओकी सभा, बनारसमे, २९१-९२, –महिलाओकी सभा, लाहौरमे, १९५-९६, –महिलाओ के समक्ष, बम्बईमे, ८२-८३, –मॉडल टाउन, लाहोरमे, २१४, –मिल-मज-दूरोकी सभा, अहमदाबादमे, ११९-२३, –राज्य गोशाला, भावनगरमे, १४६, –राष्ट्रीय शिक्षाके सम्बन्धमे, २७५, –विद्यार्थियोकी सभा, लाहौरमे, १८८-९०, –व्यापारियोके बीच, कराची मे, १५६-५८, –सयुक्त प्रान्तके हरिजन-सेवकोके समक्ष, कानपुरमे, २५०-५२, –सार्वजनिक सभा, अजमेरमे, १४८-५०, –सावजनिक सभा, अहमदाबादमे, १२५-२८, –सावजनिक सभा, कराचीमे, १५८-५९, –सावजनिक सभा, कलकत्ता मे, २३१-३२, –सार्वजनिक सभा, कानपुरमे, २३६-३८, –सार्वजनिक सभा, जाजपुरमे, ४९-५१, –सावजनिक सभा, पूनामे, १०४-५, –सार्वजनिक सभा, बनारसमे, २७९-८१, –साव-जनिक सभा, भावनगरमे, १४६, –सार्वजनिक सभा, लखनऊमे, २५५-५६, –सावजनिक सभा, लाहौरमे, १९९-२००, –सिंधके हरिजन-सेवकोके बीच, कराचीमे, १५५-५६, –हरिजन कायकर्त्ताओके समक्ष, भद्रकमे, ६२-६३, –हरिजन सेवक सघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठक, बनारसमे, २७१-७५, –हरिजनो की सभा, बनारसमे, २८६-८७, –हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसमे, २८३-८६, –हैदराबादमे, १५२-५३

भेट, –अकाली और खालसा दरबार शिष्ट-मण्डलको, १९७-९८, –अ० भा० स्वदेशी लीग, बम्बईके शिष्टमण्डलको, ८८-९०, –उत्कलके कायकर्ताओको ४३, –एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिको, ४०-४१, ६७-६८, १११-१२, २१४-१५, २१५-१६, २३२-३३, –खादी-कायकर्त्ताओको ३७३-७५, –गाधी सेवा सेनाके सदस्योको, ७८-७९, –जबलपुरमे, ३०६, –'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिको, १८५, –पजाबके हिन्दू और सिख शिष्टमण्डलको, १९८-९९, –पत्रकारोको, २११-१२, –पत्र-प्रति-निधियोको, ३३३-३४, –प्रान्तके काग्रेसी नेताओको, १८६ ८७, –डॉ० भीमराव अम्बेडकरको, ८३, –राष्ट्रीय भाषा शिष्टमण्डलको, २५४, –राष्ट्रीय शिक्षा कायकर्ताओको, ९८, –समाचारपत्रो के प्रतिनिधियोको, ३००-४, –सिधके पत्रकारोको, १७७-८०, –हरिजन नेताओको, १६९, –हरिजन शिष्ट-मण्डलको, १८७-८८, –हरिजन सेवक सघके सदस्योको, ७७-७८, –हरिजन-सेवकोको, १०३-४, १४८, –'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिको, १५, –'हिन्दू' के प्रतिनिधि को, १३-१४

वक्तव्य, –उपवासके सम्बन्धमे, १६४-६५, २७७, ३१३-१४, –एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाको, ३६६, –बम दुर्घटना पर, १०९-१०, –समाचारपत्रोको, २१९, ४२८-२९

सन्देश, –अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-प्रतिरोधकोंको ७२, –जन्म-दिवसपर, ३०७, –पंजाब को, ११३

विविध

असममें कुली-समस्या, ४६, अस्पृश्यता जिस रूपमें आज है, ४७-४८, अस्पृश्यता-विरोधी विधेयक, २९२, 'ईश्वर धन्य है', ३२६-२७, एक प्रार्थना, ४६०, एक सावधान कर्तैया, ६४-६५, एम० आर० मसानीके समाजवादी कार्यक्रमपर विचार, ३७-३८, कांग्रेस संसदीय बोर्डका घोषणा-पत्र, ३६७-६९, क्या वे इसे करेंगे?, २७-२८, गाँवोंमें चमड़ा कमानेका धन्धा और उसकी सम्भावनाएँ, ४३९-४२, तर्क नहीं, अनुभव, ४७२-७३, डॉ० दिनशा मेहताके लिए धन-संग्रहकी अपील, ११०-११, नम्र प्रायश्चित्त, ४०९, पद-यात्राकी प्रशंसा, २१९-२०, प्रायः हरिजन-जैसा ही, ४७४-७६, भयानक अत्याचार, ४०७-८, महा गुजरातसे, ७०-७१, मौनवारकी टिप्पणियाँ, ९२, वह अभागा बिल, ४०२-४, स्वदेशी, ३०८-१०, स्वदेशीपर कुछ और, ४६९-७०, 'हरिजन' के लिए, ३०७-८, 'हरिजन' क्यों नहीं?' ४७०-७१, हरिजन बनाम अहरिजन, ८०-८१

साकेतिका

अ

अग्रेज, ३०२

अग्रेजी, ९६, ९९, ४३३

अजुमन-ए फिदा-ए इस्लाम, ९९ पा० टि०

अकाली, –और खालसा दरबार, १९७

अखिल भारतीय काग्रेस, ३, ४, १०, १२, १४, ६६, ७५, ८७, ९१ पा० टि०, ९२, ९८, १३०, १३९, १५१ पा० टि०, १५५, १७८, १९७, १९८, २१५, २२६, २२९, २३२, २५७, २५८, २६६, २६७, २६८, २९०, ३०१, ३३४, ३४८-९, ३५७, ३६५, ३८६, ३८९, ३९२, ३९६, ४२५, ४२६, ४२८, ४५०, ४५२, ४५९, ४६८, ४७४, –और खिलाफत आन्दोलन, २२९, –और भारतीय रियासते, १३९-४०, –और मन्दिर-प्रवेश विधेयक, ४०२, –और राष्ट्रवादी दल, ३३५ पा० टि०, ३७२, ३८२, –और सविधान सभा, १७६ पा० टि०, –और समाजवादी कार्यक्रम, २६५, –और साम्प्रदायिक समझौता, १५५, १९७-९८, –और हरिजन आन्दोलन, १७८, –और हिन्दू महासभा, २१५, –का अधिवेशन, ३९६, ४२०, –का कराची प्रस्ताव, २६२, २६९, –का कार्यक्रम, ७५, २५७, २६५, –का घोषणा-पत्र, २६७-६९, २७०-७१, –का निजी सम्पत्तिपर प्रस्ताव, २५७, –का बारडोली निर्णय ५-६, –का सविधान, १२, –का ससदीय बोर्ड, १०, १६ पा० टि०, ४३, ५४, ७२, ८७ पा० टि०, ९२, १६८, २१५, २५९, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३३७, ३४२, ३४९, ३६६, ३८०, ३८३, ३८५, ३८६, ३८९, ४१४, ४२६, ४२९, ४४२, –का साम्प्रदायिक परिनिणय, ९१ पा० टि०, ११२, १५९, २६५, २६७, २९०, ३३५, ३४२, ३६६, ३८०, ३८३, ४२९, –का स्वदेशीके बारेमे विचार, ३०९, –की अपनी सेवा और कायके बलबूतेपर प्रतिष्ठा, १८७, –की कार्य-समिति, ६ पा० टि०, ८ पा० टि०, ११, ३३, ८७ पा० टि०, ९२, ९८, १२८, २१६, २६८, २७०, २७६, ३३७, ३४३, ३८२, ३८६, ३८९, ४३६, ४४२, ४५२, –की मात्र प्रतिष्ठाके बलपर बिहारमे चुनाव लडना सम्भव, ३८९, –की बैठक मे गाधीजी का भाषण, ३, ८, ९, –की शुद्धि, ३१६, ३३४, ३४८, ३५८, –के अधिकार, १२, –के लिए वैतनिक कायकर्ता, १८७, –के सदस्योको अन्तरात्माकी आवाज माननेकी स्वतन्त्रता, ३३५, –के साथ गाधीजी का मतभेद ४२५-८, –को सिखोका समर्थन, १९७-९८, –जनताकी प्रतिनिधि, २२५-२६, –द्वारा उम्मीदवारोका चयन, ३३५, –बगालके सगठनमे अवाछनीय तत्व, २३३, -बगालके सगठनमे वोटोकी हेराफेरी, २३२, –मे अवाछित तत्व, ३१४, –मे कोई फूट नही, ११२,

—मे गदे तरीकेसे चुनाव, ३१४, —मे भ्रष्टाचार, २२८, ३१३-१४, ३३४, ४२५, —मे समाजवादी गुट, १५, ३७, २६२, —से गाधीजी का अवकाश, ३४८-४९, ४५२, ४६८, —से म० मो० मालवीय और मा० श्री० अणेका इस्तीफा, ९१, —स्वदेशीके बारेमे, ३००
अखिल भारतीय काग्रेस समाजवादी सम्मेलन, ३९
अखिल भारतीय चरखा सघ, १०, ३१, ८१, १५० पा० टि०, २११, २१८, २५५ पा० टि० ३२३, ४०६, ४४६, —और किसानोकी आर्थिक अवस्था, ८१, —के लिए भरती, ४४६
अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्, १३९ पा० टि०
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, ९८
अखिल भारतीय स्वदेशी लीग, ८७, ८९, ९०, ११८
अग्नि परीक्षा, १७७
अज्ञान, —हिसाका चिह्न, ६८
अछूत, ४७१, देखिए अस्पृश्य भी।
अजमल खाँ, हकीम, ९९
अडालजा, बलीबहन एम० ३९७
अणे, मा० श्री० ९१, ९२ पा० टि०, १७९, २६५, ३००, ३८६, ४३०, —का काग्रेससे इस्तीफा, ९१, ९२ पा० टि०
अधर्म, —अस्पृश्यता ही है, १८९
अधिकार, —और कर्त्तव्य, ७५, —बल द्वारा नही, ४०
अध्यादेश, —को रद्द करना २६९, २७०
अन्तरात्मा, २५९, ३२७, ३३५, —की आवाज माननेकी काग्रेसियोको स्वतन्त्रता, १७९, ३३५, ३९८, —की स्वीकृति, ४७६
अन्तर्जातीय विवाह, —हरिजन-आन्दोलनका अग नही, २३७
अन्सारी, डॉ० मु० अ०, ६, ८, १०, १६, ४२, ४३
अन्नपूर्णा, —खादी है, २१०
अपराधशील कबीले, ८०
अबुल कलाम आजाद, मौलाना, ९१, ९२ पा० टि०, ३७२, ३८५, ३९२, ४३९
अब्दुल गफ्फार खा, १५, १७९, २०९, २१६, ४४३
अभिमान, १९६, —सब पापोका मूल, १४८
अमता, सिस्टर, ३५३
अमतुस्सलाम, ८, २०, ३६, ४५, ५७, ५८, ८८, ९३, १४२, १५४, ३१५, ३२१, ३२८, ३४७, ४१३, ४१४, ४५२
अमलाबहन, देखिए स्पीगल, मार्गरेट
अमुलखराय, नगीनदास, ३८७
अमृतकौर, राजकुमारी, २०५, ३६२
अमृतबाजार पत्रिका, ५१, २२४ पा० टि०, २३३
अमृतलाल रणछोडलाल, २१७
अमेरिका, ४२१, —मे अस्पृश्यता, ११७, २५६
अमेरिकावासी, —और चरखा, ४२२
अम्बुजम्माल, एस०, २२२
अम्बेडकर, डॉ० भीमराव, ८३, १०३, १७२, २५६
अर्थ, —और धर्म, १४५, —परमार्थमे निहित है, १५७
अर्थशास्त्र, —खादीका, ३७३-७५
अर्ध-सर्वांगासन, २९७
अलीबन्धु, ९९
असहयोग, २८८
असहयोगी, १६८
असहिष्णुता, —ही हिसा है, १४९
अस्पृश्य, ४८, ८६, ११७, १२१, १२८, १३६, २४८, २५०, २५६, २७९, ४७१, —[ो] की जनगणना रिपोर्ट २७९-८०

अस्पृश्यता, ७, ११, ४८, ७०, ७६, ७७, ८२, ८६, १०५, ११०, १११, ११३, ११४, ११५, ११७, १२०, १२४, १२५, १२६, १२८, १३३, १३५, १३७, १३९, १४७, १४९, १५०, १५२, १५३, १५५, १८९, १९५, २३४, २३६, २३७, २४६-४७, २४९-५०, २५६, २७२, २७९-८०, २८३-८४, २९१-९२, ३०३, ३१३, ३२७, ४०९, ४२३, ४७१-७२, —अधर्म है, ११७, —अब आखिरी सास ले रही है, ३०२, —आधुनिक, १३५-३६, —एक सामाजिक पाप, २५५-५६, —और पारसी १८३, —और हरिजन कोष, १२५, —का मूल उद्गम धर्ममे नही, ८२, —के कारण हरिजनोको असुविधाएँ, ७७, —के भीतर अस्पृश्यता, ११९, —के रहनेसे हिन्दू धर्मका नाश, १८९, —गन्दे कामसे जुडी होती है, २९१, ४२२-२३, —गाँवोमे, ६४, २५२, —जैसा घोर पाप कोई दूसरा नही, ८६, —दूसरी जातियोमे, १८९, २४८, —निवारण, ५०-५१, ६२, ६९, ७१, ७८, ८०, १०४-५, १०९-१०, ११६, १२०, १२५, १३३, १३४-३५, १३७-३८, १४७, १५३, १८३, १८४, १९५, १९९, २००, २०७, २११, २३६-३७, २४६, २५२, २५७, २८०, २८७, २८८, ३१३, ३१८, ३२६, ३३४, ४०९, ४२२-२३, ४७२, —निवारण कष्ट-सहन द्वारा, १४९, —निवारणके लिए आत्मशुद्धि व प्रायश्चित्त आवश्यक, १५३, —निवारण सत्य और अहिंसाके द्वारा, ३१८, —निवारण स्त्रियोके हृदय-परिवर्तन द्वारा ११४-७, —निवारण हिंसासे नही, १४९, —रूपी घुनसे हिन्दू धर्म भीतर ही भीतर खोखला हो रहा है, ८०४, —सहस्र भुजाओवाली राक्षसी, १३६

अस्पृश्यता —विरोधी विधेयक, २९२ पा० टि०

अस्पृश्यता —विरोधी कार्यकर्त्ता, —[ओ] को निर्देश, १०८

अहिंसा, ६, ७२, १४१, १४८, १६५, २२४, २२५, २२७-२८, २४९, २५९, २८८, ३०२, ३१४, ३१६, ३४८, ३६२, ४२१, ४४६, ४७३, —एक शाश्वत धर्म है, ६, ४७२-७३, —और आतकवादी, १४१, —और कुरान तथा वर्ग-सघर्ष, १२९, २२६-२७, —और सुधारक २६, —का अर्थ, २२७-२८, —का पालन, ४७३, —का सन्देश फैलाना, ४२१, —जन-क्रान्तिमे, २२४-२५, —धर्मकी सत्यता, ४७२, —मनसा-वाचा-कर्मणा, ६, २२८, ३१८, —मे विश्वास हरिजन-सेवाके लिए आवश्यक, १४९, ४७२, —शरीर व मनकी निश्चेष्टता नही, ४५७, —समाजवादकी पृष्ठभूमि, २५९, —सविनय-अवज्ञामे, ५४

आ

ऑक्सफोर्ड, १७१

आगम, ३८८

आगरा कॉलेज, १७२

आत्मज्ञान, १४९

आत्मत्याग, १४९, ४५७, ४६०

आत्म-निरीक्षण, —काग्रेसियोमे, ३१३-१४, ३१८

आत्म-प्रवचना, —स्वदेशी कार्यकर्त्ताओमे, ३०९

आत्मबल, १२५

आत्म-विश्वास, —भारतीयोमे, ३२३

आत्मशुद्धि, १२५, १३८, १५३, १७०, १९९, २१२, २३६, २४७, २७२, ३१८, ३२६, ४२०, —अस्पृश्यता-

निवारण द्वारा, १३८, १९९, २११, –हरिजन-सेवासे, १५३, ३७२
आत्मसयम, १४१, २४९, ३२१
आत्मा, १२५, १२७, १९४, २२०, २५९, २८५, २८६, ३२१, ३८८, –के बधन-मोक्षका कारण मन ही, २२२, –ही आत्माकी बन्धु और शत्रु, १९९-२००
आत्मानुभूति, –मे कमशीलता बाधक नही, २०१
आत्माराम, ४७८
आदिम जाति, –[यो]के लिए कार्य, ३०८
आध्यात्मिकता, –राजनीतिमे, ५
आनन्द-भवन, –का ट्रस्ट, ३३७
ऑनवर्ड, ४४५
आर्यसमाज, २५७
आर्यसमाजी, १३७
आलम, डॉक्टर, २१६
आलोचना, ४६४, –ध्वसात्मक, ८७
आसफअली, ९, ४५०
आसर, आनन्दी, ५८, १०६
आसर, पृथुराज, ९२, ३०५, ३१५, ३९३, ४७७
आसर, बेलाबहन, ५८, १०६, १५२, २४३
आसर, लीलावती, ५८, २१८, २३९, २८२, २९६, ३४६, ४५५, ४५८, ४७७
आस्था, –परमात्मामे, १९९, २००
आहार, –मे दूध और फलका प्रयोग करना उत्तम, ४५१

इ

इडियन ओपिनियन, ३९५
इडियन सोशल रिफार्मर ३६४ पा० टि०
इडिया आफिस, ५२
इन्द्रियदमन, ३१८
इर्विन, लॉर्ड, २५९
इस्लाम, ९९

ई

ईशोपनिषद्, १८९
ईश्वर, ५७, ७१, ८८, ९७, ९९, १०५, १०९, १११, ११६, ११७, १२५, १५६, १५७, १५८, १६५, १७०, १७१, १७६, १७९, १८४, १८९, २०१, २०५, २०८, २२१-२२, २३०, २४०, २४८, २५६, २५७, २७९, २९१, ३००, ३०२, ३०५, ३१८, ३१९, ३२५, ३२६, ३५३, ३६०, ३६२, ३८७, ४३४, ४४१-४२, ४४७, ४४९, ४६६, ४६७, ४७३, –की इच्छा, २१४, २६२, –की इच्छासे उपवास, २००, –की उपस्थितिका साक्षी सूय, २०७, –के सच्चे उपासकके लक्षण, २०७, –को पहचानना ही सत्य है, ४२४, –जाग्रतकी सहायता करता है, निद्रालुकी नही, ३७७, –के हाथमे मनुष्य निमित्तरूप, १७०, –मे आस्था, १९९, –विषयक सन्देश, २६७-६८, –रक्षकके रूपमे, २०५, –के सब पुत्र है, ६८, ११६, –सवव्यापी और चेतनमय शक्ति, १४५, –सवशक्तिमान, १११, –मे प्राथना, ४६०, –सेवाका सबसे सुनिश्चित मार्ग गरीबोकी सेवा, २५६, –ही सच्चा मागदशक २४०, –ही सत्य है, ४२३
ईश्वरलाल, ३३
ईसपकी नीतिकथाएँ १७१
ईसा मसीह, ९९, ४२३, ४७३, –के बारेमे गाधीजी के विचार, ४२४
ईसाई, १०५, १२०, १२८, १३८, १५३, २४८, २७३, २८४, ४२५, ४६० पा० टि०, –[इयो] का प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय, ३७७, –मे अस्पृश्यता, २४४।
ईसाई धर्म, १२०, ३५४, ४२४

उ

उडीसा, –की यात्रापर गाधीजी के अनुभव, ६७-६९

उत्तर-पश्चिम सीमान्त, –के काग्रेसी नेता, २०९ पा० टि०

उद्योग, –का नगरीकरण, ४४१-२, –कागज का, ४६९–७०, –किसानोकी मददके लिए, २६२, –कुटीर, १६४, २१०, –को स्वदेशी सघका योगदान, ८९, ११८-१९, ३०८-१०, –बडे, और स्वदेशी सघ, ८९, ११८-९, ३०८-१०

उपनिषद्, २८४

उपवास, ७४, ११०, १४९ पा० टि०, १५९ पा० टि०, १६७, १६८, १७४, १७७, १७८, १८६, १९१, १९३, २००, २०३, २०६, २१५, २१६, २१८, २२२, २४५, २५३, २६६, २७७, २९५, ३०५ पा० टि०, ३०८, ३११, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३२०, ३२२ पा० टि०, ३२६, ३२७, ३२८, ३३१, ३३२-३३, ३३९-४०, ३५२, ३५३, ३६१, ३६२, ३७५, ३७६-७७, ३८५, ३९४, ४१०, ४२०, ४३०, –आत्मशुद्धिके लिए, ३२५, ४२०, –ईश्वरकी इच्छासे, २००, –एक आध्यात्मिक शस्त्र, ३१४-५, –करना आश्रम जीवनका अभिन्न अग, ३१८, –का नैतिक औचित्य, ६३-४, –का प्रारम्भ, १५९, १६४, ३०४, ३०७, ३१३-१४, ३१६, –की आवश्यकता, १७४, १७७, २००, ३७७, –की समाप्ति, ३२०, ३२२ पा० टि०, –के दौरान और बादमे गाधीजी का स्वास्थ्य, ३२७-२९, ३३१, ३३२, ३३४, ३५२, ३५५, ३८५, ३९४, –द्वारा हजारो लोगोको सन्देश, १७४, १७७, १९३, –पर वक्तव्य, १६४-६५, २७७, २९७-९८, ३१३-१४, (१९३३ का) ११०, –पर विचार, ३२६-२७, –प्रायश्चित्त-स्वरूप, १६४, १७३, १७७-७८, ३२६, –मे नीबू-रसका प्रयोग, ४३०

उपाध्याय, हरिभाऊ, ४४

उपासक, २५३

उपासना, २८५

ऋषि, १०५, १७३

एकता, –साम्प्रदायिक, १५९, २८८, ३०८

एड्डी, डॉ० शेरवुड, ३३९

एन्ड्रयूज, सी० एफ०, १८४, २०३, ३४८, ३५२, ३५९, ३६४, ३६८, ३९३-९४, ४००, ४३६, ४५०

एरिस्टार्ची, एफी, ९४ पा० टि०

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडिया, १६४ पा० टि०, २१४, २१५, २३२, ३६६, ३७२, –को भेट, ६७-६८, १११-१२

ओ

ओम, देखिए बजाज, उमादेवी

क

कटक, छैलबिहारी, २५४ पा० टि०

कटक, प्रेमाबहन, ५८, २१७, २१८, २३९, २४३, २८१, २८२, ३५५, ४१४

कजिस, मिस्टर, २४२

कताई, २७, १२४, १९५, २१०, ३०७, ३७५, –की सम्भावनाएँ, ६४-६५, –के द्वारा हरिजन-सेवा, २०७, २३५, २९३

कनौडिया, भगीरथ, ३१ पा० टि०

कन्धोरा, ५६

कन्या आश्रम, वर्धा, १९२ पा० टि०, ३४६

कपडा, –भारतीय बनाम विदेशी, ३०९

कमलानी, ए० एस०, ३१५, ३६१, ३८७

कराची इडियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, १५७ पा० टि०

कर्जन, लॉर्ड, १७१
कर्मयोग, ४२०
कर्वे, डी० के०, २३-२४
कर्वे, प्रोफेसर, ९५, १०६
कलकत्ता निगम, –का काय, ४३८
कला, –खादीमे, ३७४
काग्रेस, देखिए अ० भा० काग्रेस
काग्रेसी, ८७ पा० टि०, ८९, १७७, २३३, २५८, २६१, २६३, २७०, ३०१, ३०६, ३१४, ३४२, ३७९, ४०२, ४५२
काजूलकर, नारायण, ७७ पा० टि०
कानिटकर, बालूकाका, १५४
कापडिया, माधवदास, २४१, ३९४
कार्यकर्त्ता, १२४, –और कतव्य, ७५, –के अधिकार, ३८, –गाँवोके लिए पथ-प्रदर्शक बनें, ३२२-२६
कालेलकर, द० बा०, २३, १०९ पा० टि०, १७४, २०३, २०७, २७७ पा० टि०, २७८, ३०५, ३५९, ३६४, ३८३, ३८७, ३८८, ४१२, ४१९, ४७९, –का गुजरात विद्यापीठ बोर्डसे इस्तीफा, ३८१, ३८८, –का सभी ट्रस्टोसे इस्तीफा, ३५८-५९, ४७९
कालेलकर, बाल द०, २४२, ३१५, ४७७
काशी विद्यापीठ, २७१ पा० टि०, –के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा, २७५
काश्तकारी 'अधिनियम, २६२
किचलू, डॉ० २६६
कुजरू, हृ० ना०, ४११
कुमारप्पा, जे० सी०, ६६, ३५६, ४५०
कुरान ७, ९९, १००, २८४, –और अहिसा, ७, –के आदेश, १००
कुरैशी, अमीना, ९३
कुरैशी, गुलाम रसूल, ९३
कुली, –एक असगत नाम, ४६
कृषि, –का विकेन्द्रीकरण, २९
कृष्ण, भगवान, ४१४
कृष्णमाचारी, ३४७
कृष्णैया, यू० राजगोपाल, १४५
केन्द्रीय हिंदू स्कूल, २८६ पा० टि०
केलकर, न० चि०, १३९, ३३५
केशवजी रावचन्द, ६०
केसरी, १४०
कैप्टेन, गौसीबहन, ७८
कैप्टेन, नरगिसबहन, ४४४
कोतवाल, ५२
कोर्टशिप, १०२, –मे मानसिक व्यभिचार अनिवार्य, १०१
कोल, जी० डी० एच०, ३३३
कौंसिल-प्रवेश, ८, १३, १७९

ख

खन्ना, हीरालाल, २५४ पा० टि०
खलीक [उज-जमाँ], ४५०
खादी, ८९, १४६, १५०, १७१, १९०, २०८, २१०, २१८, २३७, २५३, २५५ पा० टि०, २५६, २६१, २६३, २६४, २६६, २८८, ३०७-८, ३०९, ३२३, ३२४, ३४८, ३७३, –अन्नपूर्णा है, २१०, –और कत्तिने, ३७४, –और पारसी, १८०-८१, –का अर्थ-शास्त्र, ३७३-७४, –का प्रचार स्वदेशी सघ द्वारा, ८९, ३०८-९, –का विक्रय हुण्डियो द्वारा, १५०, –का समाजवाद, ३२३, –कार्य गाँवोमे, ३२४, –की कला, ३७४, –के कार्यकर्त्ताओको सलाह, २६५-६६, –के प्रयोग द्वारा हरिजन-सेवा, २३७, २५३, २९२, –जनसाधारणकी एकात्मताका प्रतीक, २८८, –प्रचार, ४३९, –मे गाधीजी का विश्वास, २३५, २३७, –से दरिद्र-नारायणकी सेवा, १७४, १८०-८१,

१९०, २०७, २३५, २६४, —ही असली स्वदेशी है, १२३, २१०
खाम्बे, अमृतराव, ८३ पा० टि०
खिलाफत-आन्दोलन, —मे काग्रेसका भाग लेना, २२९
खुराक, ८, १७५, ३५१
खेर, बी० जी० ८८ पा० टि०

ग

गगा, ४६०
गगाबहन, ७४
गजानन, ३७२
गणेशन, एस०, ३५४, ४२९
गाधी, अरुणकुमार, १०७-८, ३०५, ३९५
गाधी, इन्दिरा, ३३७
गाधी, कनु, ४१३, ४५८
गाधी, कस्तूरबा, १०६-७, १७५, १७८, २३९, ३०४ पा० टि०, ३०५, ३९४, ४०७, ४१३, ४१४, ४१७, ४३६, ४४३, ४५८
गाधी, कान्ति, ५९, १०६, १६२, २४१, ४७७
गाधी, कुसुम, २, १७, २३९, २८२, ३४६, ३९७
गाधी, केशु, ९३, १४२, २१७, २८२ ३३३, ३४६, ३९६, ४५२
गाधी, छगनलाल, ५९
गाधी, जमना, ७५
गाधी, जमनादास, ५८, ७४, ७५, ९३, २१७, ३३१, ३४६
गाधी, जमनाबहन, ९२, ३३१, ४४४, ४७७
गाधी, देवकुँवर, ४७७
गाधी, देवदास, ४२, १०२, १०६, १६६, १७५, २०७, २०९, २६१, २४२, २४५, २४९, ३१६, ४३६, —का लक्ष्मीसे विवाह, २४९
गाधी, धीरू, ३४५
गाधी, नारणदास, १८, ५५, ५८, ७४, ९३, १०१, १०६, १६३, २१७, २२१, २३९, २८१, २८२, २९६, ३२०, ३३१, ३६६, ३५८, ३९९ ४५१, ४५७, ४७६
गाधी, निर्मला, १४४, ४८०
गाधी, पुरुषोत्तम, ५८
गाधी, प्रभुदास, ५८
गाधी, मणिलाल, ९३, १०७, १०८, १७४, २०६, २४०, ३०४, ३०५, ३९५
गाधी, मनु, ३४७, ३९७, ४००
गाधी, राधा, १०६, २१७, ४६०
गाधी, रामदास, ४२, ५९, ७५, ९४ पा० टि०, १४२, १४४, १६३, १७५, २०६, २६१, २९६, ३०४, ३०५, ३२१, ३३८, ३४१, ३४७, ३९२, ३९५, ४००, ४०७, ४१३, ४१४, ४१६, ४१७, ४३६, ४४३, ४४७, ४४८, ४५१, ४६६, ४६७, ४६८, ४७७, ४८०
गाधी, लक्ष्मी, १७५, २४१, —का देवदास गाधीके साथ विवाह, २४९
गाधी, सतोक, ९३, २१७, २८२, ३३१, ४७७, ४५९
गाधी, सुमित्रा, ४५८
गाधी, सुशीला, ४२, १०७, १०८, २०६, २१७, २४०, २४१, ३०४, ३०५, ४००
गाधी, हरिलाल, २४२, ३४६, ३९७
गाधी सेवा सघ, —का कायापलट, ४५४
गाँव, —[ो]के लिए काय, १७०, १९०, ३८१-८२, —मे अस्पृश्यताकी गहरी जड, ६८, २५२, —मे गुजरात विद्यापीठका कार्य, ३२२-२६, —मे चमडा कमानेकी सम्भावनाएँ, ४३९-४०, —मे दरिद्रता, ६४, ३०७, —मे पशु-सुधार, १४६, —मे रचनात्मक-कार्य ३६४, ४१४,

—मे राष्ट्रीय शिक्षा, २७५, —मे सामाजिक कार्यकर्त्ता, ३२२-२६, —मे हरिजन-काय, ११३, ११८
गायकवाड, बाबूराव, ८३ पा० टि०
गायकवाड, महाराजा साहब, ११३
गीता रहस्य, २२४, २४६, २४७
गुजरात स्वदेशी सघ, ११८ पा० टि०
गुजराती, —और मारवाडी, २९७
गुप्ता, जे० सी०, २९३
गुलाब, २३९
गुलाब देवी, —के चित्रका अनावरण, २१२ पा० टि०
गुलाब देवी तपेदिक अस्पताल, लाहोर, —का उद्‌घाटन, २१२-१३
गुहा, वीरेन्द्रनाथ, ३८०, ४१२
गृह-उद्योग, देखिए कुटीर उद्योग।
गोखले, अवन्तिकाबाई, ७७ पा० टि०
गोखले, गोपाल कृष्ण, ९५
गोखले, डी० वी०, १४१
गोपालकृष्णैया, २४
गोपालन, ३३
गोपी, ३७२
गो-रक्षा, ३२५, —हिन्दू धर्मका एक अविभाज्य अग, ३९८, ४४१
गोलमेज-सम्मेलन, १४०, १७६
गोविन्द, देखिए गाधी, अरुणकुमार
गोविन्ददास, सेठ, २८९, ३०६
गोशाला, १४६
गोष्ठी, २४
गो-सेवा सघ, ४७६
ग्राम-सगठन, ३४७
ग्राम-सुधार, २११
ग्रेट ब्रिटेन, —का भारतीय चिकित्सक सघ, २०५

घ

घुमलकर, किसन, ३९०, ४१४

च

चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, १०२, १०६, १६२, १६८, २४२, ३०३, ३४३, ३४९, ३७२, ३७४, ३८३, ४०२
चटर्जी, अमृतलाल, १९
चटर्जी, वसन्तकुमार, २९२ पा० टि०
चटर्जी, सुरेन्द्रनाथ, २९३
चन्दूभाई, १०५
चन्द्रशकर, १५०, १५२, २०३, २१६, २३९, ३६१
चमडेका धन्धा, ४४५, —की गाँवमे सभा बनाएँ, ४३९-४०
चरखा, १०, ६५, ६९, ७३, ९०, १२९, १९६, २३१, ३०९, ३२३, ३२५, ३४६, ४२२, ४३६, —[खे] का महत्व ४२२-२३, —का सन्देश, ३२२-२६, —का समाजवाद, ३२३, —पोषक, २७-२८, —खाली समयमे, ६५, —गरीबी हटानेके लिए, ६९, १८२, २३१, —जीविकोपार्जनके लिए, ६५, —बाँसका, ४५६, —सभी रोगोके लिए रामबाण, २६४, —सत्य ओर अहिसाका प्रतीक, ४२२
चरित्र, २९१, —की स्वच्छता सेवाके लिए आवश्यक, ६४, ७८, ३२६
चर्म-शोध, ४१०, —पर गाधीजी का लेख, ४४५
चाँदीवाला, ब्रजकृष्ण, ५६, ७३, ९५, २४४, २९७, ३११, ३१३, ३३३, ३६५, ३७२, ३९६, ४०१, ४५९
चाण्डाल, ४७
चित्तरजन सेवा-सदन, २१३, २२३
चोखावाला, शारदा गो०, ४५१-५२
चौधरी, अन्नपूर्णा, १६४, ३५९, ४५६
चौधरी, गोपबन्धु, ६७ पा० टि०, ७०, २०५, ३५९ पा० टि०

चौधरी, दुर्गाप्रसाद, ३७६
चौधरी, ग्मादेवी, १६३, १६४ पा० टि०
चौरीचौरा २२५

ज

जगन्नाथ मन्दिर (पुरी), –मे अछूतोका प्रवेश, ४१
जनक, राजा, ८९
जनगणना, –अछूतोकी, २७९-८०, –रिपोर्ट, १३६
जनता, –का शोषण, २६९, –के साथ एकरूपता, ४६०, –गाधीजी के सन्देशसे प्रभावित, ३०२, –से उपवासके दौरान अपील, १७४, १७७, १९३
जनसमूह, –अहिसक, २२४, २२५
जनादन प्रसाद, ९७
जन्म, ३०२, ३०७, –दिनपर सन्देश, ३०७, –दिन (वषगाँठ) रोज ही आता है, २८१, –मृत्यु और व्याधिने किसीको नही छोडा ४६६
जमनाप्रसाद, ३८४
जमीदार, [ो]के बारेमे काग्रेसकी नीति, २५७-५९, २६२
जमीदारी-व्यवस्था, –का उन्मूलन, ३८
जयकुँवर, २
जयप्रकाश नारायण, ३४८
जयरामदास दौलतराम, १५२ पा० टि०, २०३, २१६, ३७०, ३८७, ४००, ४२०
जरथुश्त, पैगम्बर, १८३
जरीफ, टी० एम०, ३७९
जसवानी, तारा, ४९, ६९
जाजु, श्रीकृष्णदास, १०१, ३५१
जाति-भेद, १५९, १८३, १९६, –एक पाप, ६८, –साम्प्रदायिक तनावका कारण, १५३
जीरादेई, ९७
जूठाभाई, १९२
जूलू जाति, –के लोगोको दक्षिण आफ्रिका के 'ट्रेपिस्ट मठ'मे शिक्षा-दीक्षा, २७३
जेकीबहन, देखिए जयकुँवर।
जेल, –आनन्दके लिए नही, १०९
जैन, गुलाबचन्द, ११८
जैन-आगम, ३८८
जोग, जी०जी०, १५०
जोन्स, स्टेनली, ३९३ पा० टि०, ४३६
जोशी, छगनलाल, २, ५८, २४५, ३८५, ४१६
जोशी, धीरू, ३४५
जोशी, रमाबहन, ३३, १९२, ३१२, २४५, ३३२, ३४५
जोशी, विमला, ३४५, ४००
ज्योति सघ, १२४
ज्वालाप्रसाद, ४५०

झ

झवेरी, के० एल०, ७७ पा० टि०

ट

टडन, पुरुषोत्तमदास, ८७, ८८ पा० टि०
टाइटम, ५८, २१७
टाइम्स, (लन्दन) ३६३ पा० टि०
टाटा कम्पनी, २९९
ट्रिब्यून, १५९ पा० टि०, १७९, १९५, १९९, २१२
ट्रेपिस्ट मठ, २५७, २७३

ठ

ठक्कर, अ० वि०, २६, ३३, ३४, ७९, ११४, १५१, १६०, १७५, २०३, ३०५, ३१५, ३४५, ३६०, ३६९, ३७०, ३९३, ४११, ४४७, ४६३

ठक्कर बापा, देखिए ठक्कर, अमृतलाल वि०
ठाकरसी, नथीबाई दामोदर, २४
ठाकरसी, लेडी प्रेमलीला, ३२९, ४१७, ४१८
ठाकरसी, सर विट्ठलदास, २३
ठाकुर, बलवन्तराय, ३९३ पा० टि०, ४७८
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ३७, १८५, २३०

ड

डॉड, डॉ०, ४२१
डिग्री, –शैक्षणिक, १७१, –ज्ञानका माप नही होती, २९६

त

तपस्या, १७०, १८८, २५९, ४७२
तपस्वी, २३७
तपेदिक, –की रोकथाम, २१३
तर्कभूषण, प्रमथनाथ, ४७-४८
तलाजा-हत्याकाड, –की जडमे घोर अधविश्वास और अज्ञान, ४०८, ४०९, ४१६
ताजमहल, ४२१
तारासिह, मास्टर, १९७
तिलक, लोकमान्य बालगगाधर, २२३, २४६, २८३, २८५
तुलसीदास, गोसाईं, १४७, १६८, १९५, २४२, २८६, ३०५, ४३३
तैयबजी, अब्बास, ४२०, ४६१
तैय्यबजी, रैहाना, १०९, २६३, ४३३, ४६१
तैयबजी, हमीदा, १०९, १६३, ४६१
त्याग, ८२, ९९, ११५, १७३, १८९, ३३६
त्रिकमजी, मथुरादास, ५४-५५, ६१, १६७, १६८, २७६, ३६८, ४१५, ४२०, ४५८, ४५९, ४७६

थ

थारपारकर, १५६

द

दक्षिण आफ्रिका, १६९, १७१, १७७, १९५, २४६, ४६७, –मे अस्पृश्यता, २५६
दत्त, डॉ०, १७२
दया, १९६
दयानन्द, स्वामी, २५७
दयाराम जेठामल सिंध कालेज, कराची, १६९
दरिद्रनारायण, ५०, १५७, १५८, १७४, १८२, १९०, २०७, २२०, २३५, २५५, ३९०, –की व्यापारियोको सेवा करनी चाहिए, १५६-५७, –की सेवा खादीके द्वारा, १७४, १८२, २०७, २३५, २५५, –ही भगवान है, ५०
दलित वर्ग, ४६ पा० टि०, २५७, –एक अपमानजनक नाम, ८०, –के लिए हरिजन नाम, २२२, ४७०-७१, देखिए हरिजन भी।
दहनुकर, ७७ पा० टि०
दहेज-प्रथा, १७१, –का उन्मूलन, १७३-७४
दाँडी-कूच, ५, ५४
दाते, पी० जी० ३४४
दामोदरदास, २४४, २९७, ३१३, ३३३, ३६५, ३९६, ४०१, ४५९
दास, देशबन्धु चित्तरजन, २१३, २२३, २२४, २३०
दास, मधुसूदन, ४४०, ४४२
दासगुप्त, क्षितीशचन्द्र, ३८०, ४१२, ४४५
दासगुप्त, सतीशचन्द्र, ३१, ४०, ५१ पा० टि०, ६०, १९३, ४३९, ४४५, ४५२
दासगुप्त, हेमप्रभा, ४५३
दीक्षा, ४७
दीवडा, मोतीलाल, ४४८
दुनीचन्द, लाला, ४, १८६
दूध, –की मात्रा, ४४९, –गायका बनाम भैसका, ३९८-९९, ४४१

देवदासी समाज, —के दुर्गुण, ४७४-७५
देवधर, ४३५
देवनायकाचाय, पण्डित, २७९ पा० टि०, २८०
देवभाई, ४७७
देवभाभी, देखिए गाधी, देवकुँवर
देवराज, ३१५, ३६९
देवी पुराण, २८४
देसाई, डॉ० चन्दूलाल, ११३
देसाई, जीवणजी डाह्याभाई, १०६
देसाई, दुर्गा, १४२, १५२
देसाई, नारायण, १०६, १५२
देसाई, प्रागजी के०, ४१७
देसाई, भुलाभाई, ४२, ९२ पा० टि०, १६८, २७८ पा० टि०, ३८३, ३८४, ३८९, ३९२
देसाई, मगनभाई, ३४५, ३४७, ३८८, ४०१
देसाई, मदनमोहन, ३२७, ३४१, ३५१, ३७०
देसाई, महादेव, १५२, १७४, १७५, १९२, २०२-३, २०७, २१६, २२२ पा० टि०, २३९, २४२, २४३, २४७ पा० टि०, २७६, ३०५, ३१३ पा० टि०, ३१५, ३१७, ३२७, ३२९, ३३१, ३३८, ३४०, ३५०, ३५२, ३५७, ३६१, ३६४, ३६८, ३८९, ४१५, ४३६, ४४३, ४७०, ४७१
देसाई, महेन्द्र, वा०, ४१८
देसाई, वालजी गो० ६०, ८५ पा० टि०, २३९, २५०, २७९ पा० टि०, २९१, ३०५, ३८८
दोषी, बेचरदास जे०, १०१
द्विवेदी, मणिभाई नथुभाई, २४१
द्रोण, ४७५
द्रौपदी, ४५, ४४८, ४६८

ध

धर्म, ८१-८२, १००, १०२, ११५, ११७, १३५, १३८, १४७, १५२, १५७, १९६, २२४, २४६, २४८, २५६, २७५, २८३, २९१, ३३३, —आन्तरिक, २४९, —और अस्पृश्यता, ८१-८२, ११७, १४७, १५३, १७३, २५५-५६, २८३, —और महिलाएँ, ११५, १९६, —और राजनीति, १७८, —का अर्थ, १९५-९६, —का फल तो स्वय धर्म ही है, २७५, —की रक्षा हिंसासे नही, १४९, —की शुद्धि, १४९, —के तत्व, २३७, २९१, —दुनियारूपी गढीकी नीव, १३२, —बुद्धिग्राह्य विषय नही, हृदयग्राह्य है, २८१, —मे समानता, १८३, १८४, —स्वाथसे दूर रहना सिखाता है, १५७
धर्म-परिवतन, १९८, ३२४, —जुलू लोगोमे, २७३, —हरिजनोमे, १९८
धर्मवीर, डॉ० एन० आर० ४३१
धर्मशास्त्र, ११७, २४८, २८४, —[ो]मे अस्पृश्यताके लिए प्रमाण नही, २३०, २८३
धुरन्धर, २८१
ध्रुव, आनन्दशकर बापूभाई, आचार्य, १६२, २८३

न

नगरपालिका, —अहमदाबाद, और गुजरात विद्यापीठ पुस्तकालय, २७७, —कराची, १५३, —का कार्य हरिजनोकी उन्नतिके लिए, १०२-३, २०९, २८६, ३४०, —कानपुर, २३४, —द्वारा बम्बईमें हरिजनोके लिए घरोकी व्यवस्था, ८६-८७, —लाहौर, २११-१२
नगीनदास ट्रस्ट, ३८८

नटराजन, १६६, ३६४
नटवरलाल, ६९
नन्दा, गुलजारीलाल, ४५५
नरेन्द्रदेव, आचार्य, ३९ पा० टि०, २६५ पा० टि०, २८७, ३३७
नरेन्द्रनाथ, राजा, १९८ पा० टि०
नरेश, –[ो] का शासन समाप्त करना, ३७, –की रियासतोंके सम्बन्धमें कांग्रेस की नीति, १३९-४०
नवजोत, १८२
नशीली वस्तुएँ, देखिए मादक पदार्थ व मद्य-निषेध भी।
नागरदास, १६२
नाडिग, एन० आर०, ३४५
नाथाभाई, रावजीभाई, ३८७
नानावटी, सरोज, १०९, ४३४
नायक, जी० बी०, ८३ पा० टि०
नायक, मंजुनाथ, २२
नायर, कृष्ण, ९५
नारायण, राजू, ३७३ पा० टि०
नारायण, स्वामी, ४५३
नासिक जेल, १७५ पा० टि०, १९०
निजी सम्पत्ति, –की जब्ती, १३३, २६२, –के सम्बन्धमें कांग्रेसकी नीति, २५७-५९
निराशा, ४२४, –में आशाका उदय, २४१
निरुपमा, पी०, २२, ४५६
निर्धनता, ६५, –को हाथ-कताई द्वारा दूर करना, ३७५, –भारतीयोंमें, १७१, १८१
नीग्रो, १०३ पा० टि०
नेहरू, कमला, ३२०, ३२१, ३३६, ३४०, ३६२, ३९२
नेहरू, जवाहरलाल, ७, १५, १७९, २१५, २३३, २५९, २८८, ३१७, ३२०, ३३६, ३४०, ३५२, ३६२, ३९२, ४२६, ४२७, –कांग्रेसके काँटोंके ताजका स्वाभाविक उत्तराधिकारी, २८८, –की कैद, ३१७, –की रिहाई, ३२०, –की वैज्ञानिक दृष्टिसे परखनेकी शक्ति, ४२६
नैयर, प्यारेलाल, ६६, १७४, २३९, ३१५, ३५२, ३५७, ३६१, ४३६
नैसर्गिक उपचार, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा।
नौरोजी, खुर्शेदबहन, १०६, ३१६, ४४४
नौरोजी, जालभाई, ३०८
नौरोजी, जे० ए० डी०, ८८ पा० टि०
नौरोजी, दादाभाई, १८२
न्यासिता, २९, २१९, –सम्पत्तिमें, २५८, २५९

प

पंजाब भूमि स्वामित्व-हस्तान्तरण अधिनियम, –को समाप्त करनेका आन्दोलन, १८७
पटेल, गोपालदास, ३८८
पटेल, डाह्याभाई, १६३, १७४, १७५, २०४, ३६४
पटेल, भास्कर, २४३
पटेल, मणिबहन, ८२, १४२, १७५, २०४, २४३, ३९१
पटेल, रावजीभाई एम०, ३८८
पटेल, वल्लभभाई, ७, १५, ४२, ६०, १०५, १२७, १४२, १७५, १७९, १९०, २०२, २०६, २१६, २७७, २७८, २८४, २९५, ३०१, ३३७, ३४८, ३४९, ३५८, ३५९ पा० टि०, ३६३, ३६५, ३७२, ३८१, ३८२, ३८५, ३८६, ३८९, ३९२, ४००, ४१९, ४२१, ४२५, ४७७, ४७९
पटेल, विट्ठलभाई १७३
पटेल, विद्या रा०, ९३, १९७
पट्टणी, प्रभाशंकर, २१, ७६, ३६०, ४१६
पठान, २०९, –[ो] में अहिंसा, ६

पण्डित, वसुमती, २२, ३५, १४३, १९३, ३१५, ३२८, ३४७, ४५२
पण्ड्या, भगवानजी पु०, ३८४
पत्रकारिता, –का मूल शिष्टाचार, १७८
पदयात्रा, ३४, ६१, –एक यज्ञ, २२०, –का उद्देश्य, १-२, –की श्रेष्ठता, २१९-२०, –की समाप्ति, १७, –को समाप्त करनेकी वजह, ६८, –हरिजन-कार्यके लिए, ६४, ७०
परमार, लालजी, १९
परमार्थ, –अथ सहित, १५७
पराजपे, २६३
परिवार, –नियोजनके कृत्रिम उपाय, १३२, –से लगाव, ५७
परीख, नरहरि द्वा०, १७४, २४२, २७७ पा० टि०, २७८ पा० टि०, ३४७, ३८१, ३८७-८८, ४०७, ४१९, ४४७, ४५१, ४५८
पर्णकुटी, ९४, १०७
पर्दा, २३५, –छोडे, २६४
पशु, –[ओ]का विकास, १४६
पश्चिम, –की अन्धाधुन्ध नकल, २२८, २५९, –से आये नारे, २२७
पॉपले, एच० ए०, ३३९
पारनेकर, यशवन्त महादेव, ४७६
पारसी, १२७, १२८, १३८, १५३, १७१, १८०, १८१, २४८, ४६० पा० टि०, –और खादी, १८१-८२, –और मद्य-निषेध, १८२-८३, –[स्त्रियो]मे छुआ-छूत, २४८
पारसी महिला, १७४
पारसी राजकीय मण्डल, १८० पा० टि०
पारेख, प्रभाशकर, २ पा० टि०, ४४६
पार्थसारथी, ४५३
पिछडे क्षेत्र, –का विकास, ३५९, देखिए गाँव भी।
पिलग्रिमेज टु फ्रीडम, १७६
पीर शहशाह, २०९ पा० टि०
पुर्नविवाह, ४६५
पुन्निया, १७७, १७८, १७९
पुराण, २८३
पूना-समझौता, ४०७
पूव, –के रीति-रिवाज, २२७
पूजाभाई, ३८८, ३८९
पूजी, –बनाम श्रम, १२२-२३, २५५-५७, २५८, २५९
पूजीपति, –[यो]का अन्त, १२२-२३, १५७, २२५-२६
पृथक निर्वाचिक मडल, २९३
पृथुराज, देखिए आसर, पृथुराज
पेटिट, मीठूबहन, १८२
पै, सुशीला, १७, २१ पा० टि०
पोद्दार, रामेश्वरदास, ५६
पोलक, एच० एस० एल०, ३६१-६२, ४३१, ४७६
प्रकृति, १२५, २५९, २९७, ३५९
प्रताप, २४६
प्रतियोगिता, –व्यापारमे, १५८
प्रभावती, ४२, १०१, ३०५, ३१५, ३४७, ३६५, ४४९ पा० टि०, ४५०, ४५२, ४६७
प्राकृतिक चिकित्सा, १४४, ३२१-२२, –मे गाधीजी का विश्वास, ११०
प्राणायाम, २९७, ३६३
प्रायश्चित्त, ७१, ११७, १२१, १२६, १२८, १५३, १६७, १७३, १७८, २१५, २७२, ३२८, ४४०, ४४६
प्रार्थना, १९९, –का महत्व, २०७
प्रेम, –का नियम छुआछूतके विरुद्ध, १४७
प्रेमी, जयरामदास, १०८
प्रोटेस्टैट, ३१६
प्रोटेस्टैट धर्म, –मे उपवास, ३१६

फ

फजलभाई, ८९
फाटक, हरिभाऊ, ३९८–९९
फैड्स ऑफ इंडिया लीग, ३१५
फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर, १७२

ब

बंगाल, –का संकट, ७, –के आतंकवादके बारेमें चर्चा, १९६ पा० टि०
बंगाल अधिनियम, २७१
बंगाली २३०
बजाज, उमादेवी, १७, ३४, ४२, ३४२, ३५१, ३७०, ३७१, ३९०, ३९७, ४१२, ४५०, ४५२
बजाज, कमलनयन, ३४१, ३५०
बजाज, जमनालाल, १६, ४२, ४४, ५४, ५६, ५९, ६०, ९१, ९२ पा० टि०, ९३, १०६, १४४, २०६, २३८, २४१, २४२, ३११, ३१२, ३१५, ३१९, ३२१, ३२७, ३२९, ३३०, ३३२-३३, ३३८, ३४१, ३४६, ३४८, ३५०, ३५५-५६, ३६५, ३७०, ३७१ पा० टि०, ३८५, ३८८, ३९०, ३९२, ४२०, ४४९, ४५१, ४६२
बजाज, जानकीदेवी, ३१९, ३२७, ३३०, ३४२, ३७०, ३७१
बजाज, मदालसा, ३४२, ३५०, ३७१, ३९७, ४५०
बजाज, माधव, २८२ पा० टि०
बजाज, राधाकिशन, ३५०, ३७०, ३७१, ४५०
बजाज, रूक्मिणी, ५८, २८२
बनर्जी, डॉ० सुरेशचन्द्र, ३३, ४३७
बनर्जी, सर सुरेन्द्रनाथ, २२६
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, २८३
बबलो, देखिए, देसाई, नारायण
बम-दुर्घटना, १११, –पर वक्तव्य, १०९-१०
बम्बईकी प्रतिज्ञा, १३७-३८, ४०१
बल, –नैतिक, २२७-२८
बलराम, ३८४
बलवन्तसिंह, ५५
बलिदान, १११
बलुभाई, १२५, १२७
बलेव-दिवस, ३७२
बहादुरजी, २७८ पा० टि०
बहिष्कार,–विधान सभाओंका, ९
बहुमत, –धार्मिक मामलोंपर, २८०
बाइबिल, ९९, २८४, ४२४
बाढ़ सहायता, ३८५
बापूके पत्र मीराके नाम, ९४ पा० टि०
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६८, ७७ पा० टि०, ७९ पा० टि०, ८२ पा० टि०, ८८ पा० टि०, १३२, १५९ पा० टि०, २०९, ३०७, ३७३
बार, एफ० मेरी, ३३२, ३७८, ४३४, ४६२
बारह वफात, ९९
बाल-मन्दिर, ४५८
बिड़ला, घनश्यामदास, २५-२६, ३५-३६, ५७, १५९, १६६, १९१, १९३, २०३, २७२, ३२०, ३६४, ३६९, ४३५, ४३७, ४४९ पा० टि०
बिहार भूकम्प राहत समिति, १२, ६६, २०५, २९८-९९, –के कोषका भोजनके लिए उपयोग, ३८५
बुच, पुरातन जे०, १६१, ४४६
बुधाभाई, १९२, ४०७
बुनकर, १३३ पा० टि०
बुनाई, २१०
बूटो, ११९, १६०, २०६
बेगार प्रथा, –का उन्मूलन, १३२

बेरोजगारी, –अमेरिकामे, ४२३, –का उन्मूलन, १२०, –से लडनेके लिए चरखा, ४२३
बैंकर, शकरलाल, २१७, ३५७, ३८८, ४३९
बैप्टिस्ट ईसाई काग्रेस, –जमनीमे, ४२४
बोले, एस० के०, ७७ पा० टि०
बोस, स० न०, ४३०
ब्रजकिशोर, ३६९
ब्रह्मचय, ५६, १८९, ३६३
ब्रह्म-निर्वाण, २८६
ब्रह्मपुत्र, ४६०
ब्रॉकवे, फेनर, ३५२
ब्राह्मण, ५०, ११६, २४८
ब्रिटिश कानून, २३९
ब्रिटिश सरकार, २६८, २८८
ब्रेल्वी, एस० ए०, ८८ पा० टि०, ४१४

भ

भगवदगीता, ७० पा० टि०, ९९, १४५, २२२, २४६, २४७, २८३, २८४, २८५, २८६, २९१, ३१८, ३२९, ४७८
भगवान, देखिए ईश्वर
भजनावली ३२९
भण्डारी, डॉ०, २०५
भागवत, २८४, २९१
भागवती, ५७
भारत धर्म महामण्डल, २७९
भारतीय चिकित्सा सघ, २०५
भारतीय सस्कृति, –और नारी स्वातन्त्र्य आन्दोलन, १२४
भार्गव, डॉ० गोपीचन्द, २६६
भावनगरके महाराजा, १४६
भावे, बालकृष्ण, ४५८
भावे, विनोबा, ९५, २४४, ३४६, ३५०, ३६५, ३७०, ४५८
भावे, शिवाजी, ३५०
भीष्म पितामह, ४७५
भूमि स्वामित्व-हस्तान्तरण अधिनियम, १८७
भोपटकर, लक्ष्मण बलवन्त, १४१
भ्रातृत्व, –का सन्देश, १८३, –की भावना, २०७, –धर्मोमे, १८३-८४, –ससार-मे, हिन्दू धमके पुनरुद्धार द्वारा, ५१

म

मग, बर्माके, ४१८
मगलसिह, १९७
मघाराम, सन्तदास, ३८७
मगनलाल, ८८ पा० टि०
मजदूर, –और बेगार प्रथा, १३२, –[ो]का शोषण, २२५-२६, –की हडताल, ६७, ७५, ८५, –के प्रतिनिधि गाधीजी, १५६-५७, –के लिए गाधीजीकी सेवाएँ, १२१-२२, २३१-३२, –छोटे उद्योगोमे, और उनका श्रमिक सघ द्वारा कल्याण, १२०
मजूमदार, डी०, १५१ पा० टि०
मजमूदार, परीक्षितलाल एल०, ५३, ७३, ८६ १०६, ११३, ११४, १४३, १९२, २४०, २७५, ३९३, ४०७, ४१६, ४३२, ४४६, –की पिटाई, ७३
मतदान, २६३
मत-सग्रह, १३७
मताधिकार, २३८, २६३, २६८
मथुराप्रसाद, ३८९
मद्यनिषेध, ११, १०४, १८०, २५२, ३०८
मनु महाराज, ८०-८१, २४९, –की सनातन धमकी व्याख्या, २५०
मनुस्मृति, १३६, २४९
मनोहर, ४४
मन्त्र, ४७, १८९, –रामनामका, २७९, २८६, ३०५, –समाजवादका, २८८, –स्वराज्यका, २४६

मन्दिर-निर्माण, –हरिजन-कोष द्वारा नही, २७३, ३०४, ४०५
मन्दिर-प्रवेश, ७७, १३७, २३७, २४७, २४८, २८०, २९२, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५
मन्दिर-प्रवेश विरोधी विधेयक, २१, २६, १०४, ३०२, ३०४, ४२९, –की व्याख्या, २९२
मराठी, ९६
मराठे, बी० जे०, ४३८, ४५४, ४६३
मलकानी, ना० र०, २८, ४२, १५१, १६०, २३८
मलिक, एच० के०, ४७१
मशरूवाला, कनुभाई ना०, १०८
मशरूवाला, किशोरलाल, ३४७, ३८२, ३९५, ४१९, ४३५
मशरूवाला, गोमती, ३९५
मशरूवाला, नानाभाई आई०, १०७, १०८, ४१६
मशरूवाला, नीलकठ, ३८८
मसानी, एम० आर०, २८, ३७, ३९, ७५, ३३७ पा० टि०, –का समाजवादी कार्यक्रम, ३६-३८, ७५-७६
महाभारत, ३०६, –मे अन्तर्जातीय विवाहोके उदाहरण, २४९
महाराष्ट्र हरिजन मेवक सघ, ४५४
महिलाएँ, –लाचार अबलाएँ नही हैं, २०८
महेन्द्रप्रसाद, ४२, ५७, २०६, –की मृत्यु, ५८
माता, –और बच्चा, ११६
मादक पदार्थ, –[ों]का त्याग, ६२, ६८, देखिए मद्य-निषेध भी।
माया, –का ससार, २४१-४२
मारवाडी, –और गुजराती, ३९७
मारवाडी रिलीफ सोसायटी, ४५०
मालवीय, पण्डित मदनमोहन, ८, ३३, ४२ पा० टि०, ४३, ८४, ९१, ९२ पा० टि०, १०६ पा० टि०, १७९, २६५, २७१, २८०, २८३, २८४, २९०, २९४-९५, ३००, ३०१, ३४१, ३६६, ३७०, ३७२, ३८२, ३९२, ३९८, ४०२, ४२८-२९, ४३०, ४५०, –का काग्रेससे इस्तीफा, ९१, ९२
मालवीय, राधाकान्त, ४५०
मावलकर, जी० वी०, २७८ पा० टि०, २७९
मित्रता, –का अथ, ३२१
मिलका कपडा, –बनाम खादी, १८२, ३७३-७४
मिल-मजदूर, १२०
मिल मालिक, –[ों]का योगदान, १२६-२७
मिशनरी, –[रियों]का भारतमे योगदान, ४२४
मीराबहन, ५३, ७२, ९४, ९७, १०६, ११९, १५०, १६७, १८४, २१६, २५४, २६०, ३१४, ३२८, ३३२, ३५१, ३६१, ३६२, ३६३, ३७८, ३८७, ३८९, ४१०, ४३१, ४३४, ४३६, ४४३, ४६२, ४७६
मीराबाई, ७१
मुशी, क० मा०, २१, २५, ३२, ४९, ५५, ७२, ८८ पा० टि०, १७६, २७८ पा० टि०, ३५७
मुशी, जगदीश, ३५७
मुशी, लीलावती, ३५६
मुक्ति, १८९
मुखर्जी, भास्कर, ३४०, ४३८
मुले, डॉ० बी० वी०, ४३८, ४५४ पा० टि०, ४६३
मुसलमान, ८४, ९९, १००, १०५, १२०, १२८, १३८, १५३, १५५, १५८, १८१, १९८, २२९, २३५, २३६, २४८, २६७, २७३, २८०, २८४, ३६६, ४६० पा० टि०, –और मन्दिर-

प्रवेश विरोधी विधेयक, १०४, –और साम्प्रदायिक समझौता, ८४, १८९, २६७, ३६६, –[ो]मे अस्पश्यता, २४८, राष्ट्रवादी, –को रियायत, २२९, –से गाधीजी की मित्रता, ९९, –से सम्बन्ध सुधारनेके लिए हरिजन-आन्दोलन, २७२

मुहम्मद, पैगम्बर, ९९

मूर, २१६

मत्यु, ४६६, –पर विजय, ४०

मेढ, सुरेन्द्र, ३९४

मेनन, डॉ० ई० के०, ४३६

मेनन, एस्थर, १२९, ४३५, ४३६

मेनन, तगई, ४३६

मेहता, जमशेद, १५२ पा० टि०

मेहता, जे० के०, ७७ पा० टि०

मेहता, डॉ० जीवराज, ८, ३५०, ३५६

मेहता, दिनशा, ११०, ४४९

मेहता, वैकुण्ठ एल०, ७७ पा० टि०, ८८ पा० टि०

मेहता, भगवानजी अ०, २, ४४६

मेहता, रतिलाल, २

मेहता, शान्तिलाल जे०, २४१

मेहता, सौदामिनी, ४६४

मेहता, हसा, ७७ पा० टि०

मेहरअली, यूसुफ, १४२

मेहरोत्रा, व्रजबिहारी, २५४ पा० टि०

मैक्सवेल, १०७, १५०, ३१६, ३२९

मैती, क्षीरोदचन्द्र, ३२

मोटरकार, –से यात्रा, २२०

मोतीबहन, ३१२

मोदी, चन्दूलाल, ३९४

मोदी, तारा, ३९४

मोदी, धीरजलाल, ८८ पा० टि०

मोदी, रमणीकलाल, ३८८, ३९४

मोघेजी, ४४८

मोफाखेर, ए० एस० एम०, १४१

मोरारजी, शान्तिकुमार एन०, ४१८

मोरारजी, सेठ, ८७

मोहता, सेठ शिवरतन, २७४

मोहट्टा ब्रदस, ४०९

य

यग इडिया, ३६७, ४७५

यन्त्र, –[ो] बडे पैमाने पर चलनेवाले के लिए जगह नही, ४२२

यमुना, ४६०

यरवदा चक्र, ४४५

यरवदा जेल, ६, १३, २८४

यरवदा-समझौता, ५८

युवक, –[ो]का सामाजिक व्यवस्थाको बदलनेमे योगदान, २२९, –को सलाह, १३१-३३

यूबैक, मिस्टर, १२८

यूरोपवासी, –और अहिसामे आस्था, ४७३

र

रघुवीर नारायणसिह, ४६७

रचनात्मक-कार्य, १०९, २११, २२३-२४, –काग्रेसका, ९-१२, १५४, ३००, ३०६, ४२८, –का विरोध, १९८, –गॉवोमे, ३६४, –जुलूओमे, २७३, –पर प्रबन्ध-समितिका नियन्त्रण, ६६, –पर 'हरिजन'मे विचार, ३०८, –विधान-मण्डलोके द्वारा, २६९-७०, –हरिजन-कोषके द्वारा, ३५४

रजबअली, डॉ०, ३५६

राघवदास, बाबा, २५४ पा० टि०

राजचन्द्र, ३८८

राजनीति, –और धर्म, ३८, –और समाज सेवा, २१३, २२३-२४, –मे आध्यात्मिकता, ५, –मे हिसा, १४९, –से विरत रहना, ३०७

राजपूताना हरिजन बोर्ड, २१४

राजभोज, पा० ना०, ४०४, ४०६, ४३८
राजू, नारायण, ३७३
राजेन्द्रप्रसाद, डॉ०, ४२, ५७, ९७, १६८, २०५, २९८ पा० टि०, ३७२, ३८३, ३८५, ३८९ पा० टि०, ४२६, ४७२-७३, –को उनके भाईकी मृत्युपर समवेदनाका तार, ५७
राज्य, –[ों]का उन्मूलन, १३२, –के नरेश, ३९४, ४४६, –मे कांग्रेस कमेटियोका गठन, २८९
राज्य-नियन्त्रण, –उद्योगोपर, २९, –निजी सम्पत्ति पर, १३०, –विदेशी व्यापार-में, ३८
राज्य-सहायता, –मुख्य उद्योगोको, ११८
राधास्वामी सम्प्रदाय, ४०९
राम, ३३, १९९, ३२७
रामचन्द्रन्, ४५४
रामजीभाई, १४६
रामनाम, २७९, ३०५, ३२७, –मानसिक शान्तिके लिए, ४६६, –सर्वश्रेष्ठ मन्त्र, ३०५, ३०६
रामराज्य, २५८
रामायण, २४२, २४९, २८६, २९१, ३०५, ३०६, ३७१, ३९०, ४१३
राय, दिलीपकुमार, २०१
राय, मोतीलाल, ३४४
राय, डॉ० विधानचन्द्र, १, ४२, ५१ पा० टि०, ९१, ९२ पा० टि०, १९३, १९६, २००, २०३, २१३, २२३, २२४, २३२, ३८५, ३८६, ३९८
राय, श्रीमती, ८८ पा० टि०
रावचन्द, केशवजी, ६०
राष्ट्रवादी दल, ३३५ पा० टि०, ३७२, ३८२, ३९८
राष्ट्रीयकरण, ३७, –सम्पत्तिका, २५९
राष्ट्रीय स्त्री समाज, १९५ पा० टि०
रियासत, –[ते] भारतका अविभाज्य अग है, १३९
रुस्तमजी, मोराबजी पी०, २४१
रुखी, देखिए बजाज, रुक्मिणी
रूस, –की योजना, ३५, –मे मताधिकार, ३०
रैयत, –से परिवारिक नाता, २५८, २५९
रोलाँ, मैडेलिन, ९४ पा० टि०
रोलाँ, रोमाँ, ९४ पा० टि०
रोहतगी, चन्द्रकान्ता, ५७
रोहतगी, डॉ० जवाहरलाल, ५७, २३४ पा० टि०
रोहतगी, राजे, ५७

ल

लक्ष्मण, ३७१
लक्ष्मीबाई, लेडी, ११५, ११६
लल्वानी, एच० ए०, ३७०
लल्लूकाका, ३५६
लल्लूराम, २५३ पा० टि०
लवाटे, शकरराव, १०४, १३८
लाजपतराय, लाला, २१३
लॉयर्ड, जॉज म्यूरियल, ३८९
लालकुर्तीवाले, –[लो]की अहिसा, ३१६
लालनाथ, पण्डित, १४८, १४९, १५९, १६४, १६५, २०२, २१४, २१५, ३१७, ३७७, –पर हमला, १४८
लिनफोथ, कुमारी, ४३४, ४६० पा० टि०, ४६२
लीडर, २४७ पा० टि०, २८६ पा० टि०
लुहार, त्रिभुवन पुरषोत्तमदास, १६२
लेम्टर, डोरिस, ३६३
लेस्टर, म्यूरियल, १७ पा० टि०, ४२, ६०, ३५२, ३६२, ४४३
लोकतन्त्र, १३०

व

वन्दे मातरम्, ३५६
वयस्क मताधिकार, ३०, १३०
वगभेद, ३०, ३७, ७५
वग-सघर्ष, ११९-२०, २५८, —अनिवार्य नही, २२६-२७, —अहिंसक, १२९-३०, —पर रोक, २६१
वर्ण, २४९
वर्णाश्रम, —की व्याख्या, २४९-५०, —धर्मके साथ अस्पृश्यताका कोई सम्बन्ध नही, २८३, —सामाजिक व्यवस्थाका अर्थ, २२७
वर्णाश्रम स्वराज्य सघ, २७९
वाइसरायका कोष, —और बिहार भूकम्प राहत समिति, २९९
वाल्मीकि, ३०६
वाशिगटन, बुकर टी०, १०३
विकेन्द्रीकरण, —कृषिका, २९
विचार सृष्टि, ४५९
विट्ठलदास, सर, २३
विदेशी वस्त्र, १४६, १८२
विदेशी व्यापार, —पर सरकारका एकाधिकार ३८
विद्या, —केवल कमानेके लिए नही, १७०-७१, १८९
विद्यापीठ, २७८ पा० टि०, ३८१, ३८८, —के ग्राम-कार्य सम्बन्धी अनुदेश, ३२२-२६, —के पुस्तकालयका स्थानान्तरण, ३५९, ३८७, ३९३, ४७९
विद्यार्थी, गणेशशकर, २४५, २४६
विद्यार्थी, —[र्थियो] का सामाजिक व्यवस्था बदलनेमे योगदान, २२९, —द्वारा हरिजन-सेवा, ९६, १८८-८९, १९६, २५३, —से गाधीजीके सम्बन्ध, १६९-७०
विधान सभा, —के बहिष्कारका इतिहास, ९
विमु, देखिए जोशी, विमला
विलासिता, —बन्द होनी चाहिए, ९५-९६, १९०
विवाह, —में माता-पिताकी जिम्मेदारी, १०१-२
वेद, ९९, १७३, २२४, २४६, २८३, २८४
वेश्यावृत्ति, —की बुराई, ४७४-७५
वेस्ट, ए० एच०, २४०
वैद्य, गगाबहन, २४३
वैरियर, एल्विन, १६, ३३, ३१६
वैल्थ ऑफ नेशन्स, ३७३
व्यापार, —मे स्वार्थ और परमाथ दोनोका समुच्चय हो सकता है, १५७
व्यापार-सगठन, —और मजदूर कल्याण, १२१-२२
व्यापारी, —बनाम दरिद्रनारायण, १५६-५७
व्हाट मार्क्स रियली मेंट, ३३३, ३३७ पा० टि०

श

शकराचार्य, १३३
शराब, —का त्याग, १३३, १८२, —के धन्धेसे जीविका, १८३, —के प्रतिपूरक, २५२
शर्मा, देवीप्रसाद, २९७, ३४१
शर्मा, द्रौपदी, ४१३
शर्मा, बालकृष्ण, २५४ पा० टि०, २६२
शर्मा, रघुनन्दन, २०६
शर्मा, हीरालाल, २०, २२, ४५, ७५, ९३, ९४, १४४, २४१, २९६, २९७ पा० टि०, ३०४, ३०५ ३२१, ३३८, ३४१, ४००, ४०७, ४१३, ४१४, ४४३, ४४७, ४५१, ४६१, ४६७, ४६८, ४८०
शान्ति, ७२, —परमात्मामे आस्थाके द्वारा, ४२३, —मानसिक, ४६६
शातिनिकेतन, ४४०, ४५८

शामराव, १६
शार्दलसिह, १९७
शास्त्र, १०५, ११७, १३६, २३४, २३७, २४६, २४८, २७९, २८०, –और अस्पृश्यता, ४७-४८, ५०-५१, ११७, १२८, १८३, २४३, २४६-४७, २८७, २९१-९२, २७९-८०, –और मन्दिर-प्रवेश, ५, –[ो]का सार गीता, २८४, –की व्याख्या, २३४, २३६-३७, –मे अस्पृश्यतापर विचार, १०५, ११७, १३५, १३७, २४७, २८०
शास्त्री, १३५
शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, –की बहादुरी, ८८
शास्त्री, सीताराम, ६३, ३७३ पा० टि० ४०६
शाह, उत्तमचन्द, १८६
शाह, गुलाब ए०, २३९
शाह, चिमनलाल, ५८, २१७, ३४६, ४५१
शाह, डॉ०, ३७०, ३९०
शाह, फूलचन्द कस्तूरचन्द, १६२
शाह, शकरीबहन चि०, ४५१
शाह, शारदा, ४५१-५२
शाह, सुलोचना ए०, २३९, ३४७
शिक्षा, ८३, –औद्योगिक और हरिजन, १०२, –और काशी विद्यापीठ, २७५, –का उद्देश्य, १९९-२००, –ज्ञानके लिए, २९६, –राष्ट्रीय ९८, –वास्तविक, ९६
शिबली, मौलाना, ९९
शिवराव, ३०८
शीर्षासन, २९७
शुक्ल, चन्द्रशकर पी०, ३१ पा० टि०, ३२, ४९, ५५ पा० टि०, ९२ पा० टि०, २६५ पा० टि०
शैक्सपियर, ३५२
शोधन, रणछोडलाल अमृतलाल, ३१२
शोषण, २२७, ४२८, –जनताका, २६९, –मजदूरोका, २२६-२७
शौकतअली, ९९
श्यामलाल, लाला, १८६
श्रद्धा, १६८, १७०, –सत्य और अहिसामे, ४७२-७३
श्रम, –बनाम पूँजी, १२२-२३, २२५-२६, २५८, –बौद्धिक, ३२३, –शारीरिक, ९८, १६३, १७०, ३२३, ४४०
श्वेतपत्र, १९८, १९९, २६५, २६७, २६८, २७०, ३३५ पा० टि०, –और विधान सभाकी स्वीकृति, २६७-६९, –के सम्बन्धमे काग्रेसका रुख, १३, –को ठुकराना, १९९

स

सगीत, –और सिनेमा काग्रेस सत्रके दौरान, ४२०-२१, –भारतीय, स्वदेशी प्रदर्शनीमे, ४२१
सघर्ष, –अहिसात्मक, ५
सन्यास, –का अथ समस्त शारीरिक क्रियाओका बन्द हो जाना नही, २०१
सयम, ३०७, ३५०, –का पालन, ४४९, ४७८
सविधान सभा, १७६ पा० टि०, –का आयोजन, २६८, २७०
सस्कृत, ९५, १३६
सस्कृत स्वय शिक्षक, २८४
सस्कृति, २५२
सकलातवाला, एस० डी०, १३१
सक्सेना, मोहनलाल, ३२८
सत्य, ६५, ७२, १००, १३६, २५९, –अस्पृश्यताको मानना सत्यको नकारना है, २९१, –ईश्वर है, ४२३, –ईसाई धर्ममे, ४२४, –एक नीति, ५, २१०, –का साक्षात्कार, १, –की खोज पश्चिममे, २२७, –की तलाशमे पैगम्बर, ९९,

१००, –के प्रयोग, ४६५, –के रूपमे अहिसा, ४७३, –द्वारा स्वराज्य, ४२२, –धनोपाजनमे, ५६, –मनसा-वाचा-कर्मणा, ३१८, –मेरा शाश्वत धम, ४७२
सत्यमूर्ति, एस०, ९, २७०
सत्याग्रह, २२८, २६३, ३२१, –एक शस्त्र, ४, –हरिजनोके द्वारा, ३९-४०
सत्याग्रही, १३२, २८६, ४१७
सनाढ्य, तोताराम, १६१
सनाढ्य, हरिप्रसाद, १२८, १६१
सनातन धम, २५०, २५३, २८०, २८१
सनातनी, ८०, १०६, १०५, १०९, १११, ११२, ११४, ११७, १२८, १३५, १५३, १५९, १७४, २३१, २३४, २३६, २३७, २३८, २४६, २४७, २५५, २८०, ३०२, ३४३, –और अस्पृश्यता, ४७-४८, ११७, १३५, १८०-८१, –और अहिंसा, १११, –और बम-दुर्घटना, १०९, –और मन्दिर-प्रवेश, १०४-५, २४७, ४०२, –और हरिजन-आन्दोलन, २३६-३७, ३०३, –और हरिजन-कोष; १२८
सन्त फ्रान्सिसका इतालवी कॉन्वेन्ट, ३५३ पा० टि०
सन्तति-नियमन, १८, १२५, १३२, देखिए परिवार-नियोजन भी।
सन्तदास, मघाराम, ४३०
समन्वय, २६२
समाजवाद, २२७, २८९, –और हिंसा, २८-२९, –का मन्त्र, २८८, –का लाभ, १३०, –के प्रति काग्रेसरवैया, २६२, २६६, –चरखेका, ३२३, –भारतीय, २२७, २५९, –व्यावहारिक बनाम वैज्ञानिक, २८९
समाजवादी, –और अहिसा, १३०, –और काग्रेसका रचनात्मक कार्यक्रम, १५४, –काग्रेसमे, ४२७
समाजवादी कायक्रम, –की आलोचना, २८७-८८
समाजवादी दल, ७५, –काग्रेसमे, १५, २५८, –का कायक्रम, ३७ ३८, ७५, १२९-३०, ४२७, –के गठनका स्वागत, ७५
समानता, –मनुष्योमे, १२१, –हरिजनोमे, २१४
सरकार, नलिनीरजन, २३० पा० टि०
सरकार, नीलरतन, २२३
सरकारी कर्जा, –[जें] को अमान्य करना, ३७
सरिता, २६०, ४८०
सर्वांगासन, २९७
सवण, ६४, ६७, ७७, ८०-८१, १०३-४, १३३, २२३, २३६, २५१, २९२, ३०३, ४०४
सविनय अवज्ञा, ३-४, ६, १०, १३, १५, ४४, १०७, १५४, २७०, २७१, २७६, ३०८, ३३४, ३६२, ४१४, –और अहिसा, ५४, –का स्थगित होना, १०, ६४, –के दौरान जमीने जब्त, २६३, –व्यक्तिगत, १५, २४, –हिसाका पूर्ण विकल्प, ४
सह-शिक्षा, १०२
सहगल, जी० आर०, ३५३, ३९१, ४३२
सहनशीलता, –महिलाओमे, ११५
साइमन-कमीशन, १७६
सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर, ४५७
साधन, –और साध्य, १११, ३३६, –मानव के, ४४६, –[ो] मे विश्वास, ३४८
साध्य, –और साधन, १११, ३३६
साबरमती हरिजन आश्रम, ७३, १९३, २२१, २४३, २४४, २७५, ३४१, ३४६, ३६५, ४२०, –का टूटना, २१८, २७७ पा० टि०, –की आलोचना २०६, –की व्यवस्था, २७५, ३८२,

—की स्वतन्त्रता, ३९३, —हरिजनोके लिए, २५२
सामलदास, लालूभाई, ८८ पा० टि०
साम्प्रदायिक झगडे, —और काग्रेस, १००, २२९, —जाति-भेदके कारण, १२१
साम्प्रदायिक समझौता, १७९, २९०, ३०१, —और काग्रेस काय-समितिका प्रस्ताव, १५५ २६५, २६७, ३३५, ३४२, ३६६, ३८०, ३८३, ३९८, ४२९, —और काग्रेस ससदीय बोर्ड, ८४, —और सविधान, १८७, —और सिख, १९७, —के सम्बन्धमे काग्रेसियोका कर्त्तव्य, ३८५
साम्यवाद, २२७, —का भारतीयकरण, २२७, २५९
साम्यवादी, —और गाधीजी, १२२, १२९
साराभाई, अम्बालाल, १०७, २१७
साराभाई, मृदुला, १२४
साराभाई, सरलादेवी, १०७
साहेबजी महाराज, ४०९, ४१०
सिंध ऑब्जर्वर, १७७
सिंध पत्रकार सघ, १७७, पा० टि०
सिंधी, १७१
सिंह, रघुवीर नारायण ४६७
सिक्का, कानजी मूलजी, ६०
सिख, १५५, २६७, —और साम्प्रदायिक निर्णय, १५०, १९१-९२
सिद्धासन, २९७
सिद्धिमती, २३९, ३४६, ४५५
सिधवा, आर० के०, १८०
सीता, १२५
सीतारमैया, पट्टाभि, ३७३ पा० टि०, ३८३,
सीमान्त गाधी, देखिए अब्दुल गफ्फारखाँ
सुधार, ७९, ८२
सुधारक, ७९, ८१-८२, १११, ११४, १३३, १३७, १४९, १६५, २२३, २३६, २३८, २४९, २५१, ४०२, ४०४, ४७५, —और मन्दिर-प्रवेश विधेयकका वापस लिया जाना ४२४-२५, —और सनातनी, १३५
सुपारीवाला, ८७
सुब्बाराव, जी० वी०, २४
सुमित्रा, ३७१
सुरेन्द्र, १८, २२, ४५, ५५, ३८४, ४०७, ४१६, ४६८
सुरेन्द्रनाथ, स्व० सर, १२६
सुशीलाबहन, ६९, २९६
सूत-शास्त्र, १९४, १९५
सूरजबहन, ४३५
सूय, —ईश्वरकी उपस्थितिका प्रमाण है, २०७
सेठ, मथुरादास विशनजी, २५, ३२, ७७, ८५ पा० टि०, ९३, ३६४
सेन, डॉ० इन्द्रनारायण, ४१२
सेनगुप्त, चारुप्रभा, २५, ४१, १००
सेनगुप्त, यतीन्द्रमोहन, २३०
सैरेसोल, पियरे, १७ पा० टि०, ४२
सोमण, रामचन्द्र जे०, ३८२
सोलकी, डॉ०, ७७ पा० टि०, ८३
स्टेट्समैन, १९६, ३७२
स्त्रियाँ, २०८, —और अस्पृश्यता-निवारण ११५-१७, १४७, —और जेवर, २२, —[यो]का हरिजन-सेवामे योग ७८-७९, १९६, २६४, —का बिलकुल स्वतन्त्र होकर रहना भारतीय सस्कृतिके अनुकुल नही, १२४, —की शिक्षा, ९६, —के विषयमे गाधीजी की जानकारी, ४६५, —द्वारा समाज-सुधार, ८२, —द्वारा हरिजन-सेवा, २१२, —धर्मकी रक्षक ११५, १९६, —मे आध्यात्मिक बल पुरुषोसे अधिक, १२५, —मे फैशन, १९५, —सिंधी, १७१
स्पीगल, मागरेट, १९, ५३, १६०, १६१, १९१, २२१, २४०, २८२, ३२८-२९, ३४६, ४५२

स्मिथ, एडम, ३७३
स्मृतियाँ, २८४
स्वतन्त्रता, –के लिए अहिंसात्मक सघष, २६९, –राजनैतिक और आर्थिक भी, २६९, –व्यक्तिगत कार्यकी, ३-४, –सोचने, बोलने और कार्य करनेकी, ४३३
स्वदेशी, ३५६
स्वदेशी, ७२, ८९, ११८ पा० टि०, ३००, ३०८, ३०९, ४४२, ४४४, ४६९, –की व्यापक व्याख्या, ८८, ११८-१९, ३०८-१०, –पर काग्रेसका प्रस्ताव, ३००, –असली खादी ही, १२४, १९०, २१०
स्वदेशी-आन्दोलन, ११८
स्वदेशी-प्रदर्शनी, ४२१
स्वदेशी सघ, ४६९
स्वराज्य, ४, १०, १४, १७९, २२९, २४६, २८७, ३००, –अहिंसक आन्दोलन द्वारा, २२४-२५, –अहिंसाके द्वारा, ३-४, ६, –कौसिल-प्रवेश द्वारा, १०, १७९, –जनसाधारणकी सर्वांगीण चेतना द्वारा, ११, –पूर्ण, १४, २६९, २८७, ३३६, –रचनात्मक-कायके द्वारा, ४२२, ३००, –सत्य द्वारा, ४२२
स्वराज्य पार्टी, ९, २७०, –का भग होना, १४, –का कराची प्रस्ताव, ११, –का रॉची प्रस्ताव, १३, ८४
स्वामी, आनन्द, १०६, १४६, ३११, ३१५
स्वामी, कृष्णानन्दजी, १५८
स्वार्थपरायणता, –मानव स्वभाव मे, २५९, –शुद्ध आर्थिक हेतु, ३७३, –का सन्यासमें लोप, २०१-२
स्वावलम्बिता, ३५, –हरिजनोमे, ८०, १३३

ह

हसराज, रायजादा, १८६
हठीसिंह, कृष्णा, ३२१, ३३७
हड़ताल, ३२३, –आम, २८८, –का अधिकार, ३८
हरकरे, द्वारकानाथ, ४४-४५, ५९, २२१
हरखचन्द मोतीचन्द, ३३ पा० टि०
हरिजन, ४७, ६८, १०९, १३८, १५३ पा० टि०, २०४, २७४, २७५, २७९, २८३ पा० टि०, २९१ पा० टि०, ३०७, ३०८, ३३४, ३४०, ३५६, ४०२-३, ४०५, ४१४, ४३४, ४४५, ४५४ पा० टि०, ४६९, ४७०, ४७१, ४७५, –कार्यकर्त्ताओका अखबार, २७४, –को व्यापक बनानेका निश्चय, ३५६, –मे स्वदेशीके बारेमे विचार, ३०८-१०, –सभी तरहकी राजनीतिसे परे, ३०७
हरिजन, २८, ६३, ६७, ७०, ७३, ७८-८१, ८६-८७, ९५, ९६, ९८, १०३-४, ११०, ११३, ११४-१५, ११७, ११९, १२१, १२७-२८, १३३, १३६, १३७, १५३, १५९, १६८, १७२, १७४, २०७, २२२, २२४, २२८, २३०, २३१, २३४, २३५, २४७, २५०-५१, २५३, २५५, २७७, २९२, ३०८, ३४०, ३६०, ४०४, ४०९, ४१६, ४३४, ४४०, ४४१, ४६९, ४७५, –और अस्पृश्यता-विरोधी विधेयक, २९२, –और कताई, ४३४, –और राष्ट्रीय शिक्षा ९८, –[ो]का हरिजन सेवक सघ चलानेमें योगदान, ४०४, –की उन्नति गाँवोमे चमडेके धन्धे द्वारा, ४२२, ४४०, –की उन्नति स्वदेशी द्वारा, ४६९-७०, –की जनगणना, २७९-८०, –की बस्तियोका सुधार, ८६-८७, १०२, १२७-२८, २५१, २८६, –की सेवा विद्यार्थियो द्वारा, ९६, १७१-७२, १७३, १८८-८९, १९६, –की सेवा स्त्रियो द्वारा, ११६,

—के प्रति नगरपालिकाके कर्त्तव्य, ८६-८७, १०२-३, १५८, २११, २३०, २३४-३५, २५१, ३८६, ३४०, —के लिए औद्योगिक शिक्षा, १०३, —के लिए कल्याण-योजना बंगालमें, ४४५, —के लिए गांधीजी का पक्षपात, ३०७, —के लिए गृह-निर्माण-योजना, १८७, —के लिए हरिजन सेवक संघ, २७१, ३८१, —को अलग रखनेकी बुरी परम्परा, २१४, —को धर्म-परिवर्तनके लिए कहना निन्दनीय, १९७, —को सामाजिक असुविधाएँ, ८१, —को सामान्य अधिकार, २३७, —को सुविधाएँ, ६४, —पर तलाजामें अत्याचार, ४०७-८, —प्रतिभामें किसीसे कम नहीं, ६७, —बच्चोंके लिए पाठशाला, २५२, —बनाम अहरिजन, ८०-८१, —में अन्तर्जातीय सहभोज, २३७, —में जागृति, १३४, —में रचनात्मक कार्य, ८०, —में स्वच्छता, ६७, —में स्वावलम्बन, १२१, २२३, २५३, २८६, —में हीन भावना, ३९, —शब्दका प्रयोग दलित वर्गोंके लिए, ३२२, ४७०-७१, —शराब पीना व मुर्दार-मांस खाना छोड़ें, १३३, —सेवा-कार्य स्त्रियों द्वारा, ७८-७९, २६४, —सेवा पैदल यात्रा द्वारा, १, २, ७०

हरिजन-आन्दोलन, २४८, २८६, ३१४, —और राजनीति, १७८, —और रोटी-बेटी व्यवहार, २४९, —का अर्थ, २३६-३७, —का उद्देश्य, ७०-७१, —का विश्वव्यापी महत्व, २२८, २८६, —की बंगालमें प्रगति, २३३, —प्रायश्चित्त-स्वरूप, २७२

हरिजन-कोष, १३, ६२, ६९, ८२, १०५, ११३, १२५-२६, १३४, १५० पा० टि०, १५३, १७४, १८३, १९५, २११, २१५, २३१, २३३, २३६-३७, २५३, २५५, २७२, ३०६, ४०६, ४३४, ४४६, —ईसाइयोंके लिए नहीं, ३५४, —का प्रयोग, २१५, —प्रायश्चित्तका प्रतीक, ८५, ११७, १२५, —यात्राके दौरान एकत्रित ३०३, —से कोई मन्दिर नहीं बनवाया गया, २३७

हरिजनबन्धु, ११२ पा० टि०, २०४, २७४

हरिजन-सेवक, २७४, २८३ पा० टि०

हरिजन-सेवक, ६५, ८६, १०३, ११४, १३९, १४८, १५५, १८८, २१३, २७४, ३२६

हरिजन सेवक संघ, ६७, पा० टि०, ७३, ७७, ७८, ८३, ८५ पा० टि०, १०१, ११३, ११४, १५६, १९८, २२२, २५१, ३०३, ३७०, ४०४, ४०६, ४१०, ४३२, ४३८, ४६३, —एक अराजनैतिक संस्था, १८७, —और मन्दिर-प्रवेश विधेयक, १०४, २८०, —का गाँवोंमें कार्य ६५, —का प्रभाव, ३०२-३, —का विघटन, १६५, —का स्वरूप और कार्य, २७१-७२, —का हरिजनोंके प्रति कर्त्तव्य, १०२—३, —की आलोचना, ८३, ८७, —की प्रबन्ध-व्यवस्थामें हरिजनोंका प्रतिनिधित्व, २२२-२३, ४०५-६, —की सफलता, ३०३, —केवल हरिजनोंके लिए, २७१, ३८१, —पश्चात्तापी अपराधियोंकी संस्था है, ४०४

हरिवदन, १०९

हरिश्चन्द्र, ३१२

हरिश्चन्द्र स्कूल, बनारस, २९२ पा० टि०

हसन अली, ४३९

हाउस ऑफ कामन्स, २१५

हाथ कताई, ६५

हाथकी खादी, —और चरखा, २७

हाथकी बनी वस्तुएँ, ८१, ३२८, –[ओ]से करोडोका पोषण, ४६९-७०
हिगोरानी, आनन्द तो०, ६५, १११, २७६, ३६७, ४२०
हिगोरानी, विद्या, ६५, २७६, ३४७
हिंसा, ६, ७२, १११-१२, १३०, १८९, १६५, २५९, २६२, २७६, ३०२, ३२७, ३८८, ४५७, –अधीरताकी निशानी, २८, ७२, –का पथ, ३०२, –का सूक्ष्म रूप घृणा, ३२७, –की सूचक उद्दण्डता, २७६, –के द्वारा अस्पश्यता-निवारण सम्भव नही, १४९, ३२७, –के द्वारा स्वराज्य नहा, ३-४, –के बदलेमे सविनय अवज्ञा, ४, –जन-क्रातिमे, १६४, –वमकी रक्षा नही कर सकती, –१४९, –पश्चिमकी, २२७-२८, –मे वग-सघष निहित, १२९, २६२, –सनातनियोमे, १११
हिन्दी, ९६, ९९ पा० टि०, १०८, १६४, २८६, २५४, ४६२, –का प्रचार, २५४, –भाषा और साहित्यको लोक-प्रिय बनानेके सुझाव, २५४, –राष्ट्रीय भाषाके रूपमे, ९६
हिन्दुस्तान टाइम्स, २६१, ३०० पा० टि०, ३७२, ४२८ पा० टि०
हिन्दू, १३, १०९ पा० टि०, ३०० पा० टि०, ४२८
हिन्दू, ६७-६८, ७७-७८, ८०, ८४, १००, १०३, १०५, ११०, १२०, १२५-२६, १२८, १३८, १४८, १५३, १५५, १५८ १८१, १८९, १९८, २३४, २४७, २८८, २५०, २५६, २६४, २६७, २८४, ३६६, ४६०, पा० टि, –आर मन्दिर-प्रवेश, ५१, १०४-५, १३७, २४७, २८०, ३०३, ४०२, –और साम्प्रदायिक समझौता, १५५, २६७, ३६६, –[ओ]का सुधार, १२१, –का हृदय-परिवतन, १२५, १३१, १७०, –की दलित वर्गोके प्रति असहन-शीलता, २५५-५६
हिन्दू धम, ४८, ७८, ११६, १२४, १४८, १८३, १८९, १९९, २००, –और अस्पृश्यता, ५०-५१, ११७, १८९, २३७, २४६, २७२, २७९, २८४, –और गो-रक्षा, ३९८, ४४०, –और वर्णाश्रम धम, २९२, –की मूल धारणा, २५९, –की शुद्धि, ४७५, –मे सुधार, ७८, २४८
हिन्दू महासभा, २१५
हिन्दू-मुस्लिम एकता, १५५
हिन्दू शास्त्र, १८३
हिरानी, जूठा, ८२०
हिस्ट्री ऑफ दि इडियन नेशनल काग्रेस, ३३५ पा० टि०
हेज, विल, ३८७
हेली, सर मैल्कम, २५९
हैम्पटन इन्स्टीट्यूट, ३६९
हैरिसन, अगाथा, १७, ४२, ५७, ६०, ३१६, ३५२, ३६१, ३६२, ४३१, ४४३
होर, सर सैम्युअल, २१५
ह्यूम, ए० ओ० २२६